बी एच ई एल
BHEL
महारत्न कंपनी

Golden Jubilee
1964 - 2014
50 Years

अभियांत्रिकी उत्कृष्टता के 50 वर्ष

वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

बीएचईएल की इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी यात्रा

नई प्रौद्योगिकियों/उत्पादों का आमेलन/ स्थानीयकरण/विकास

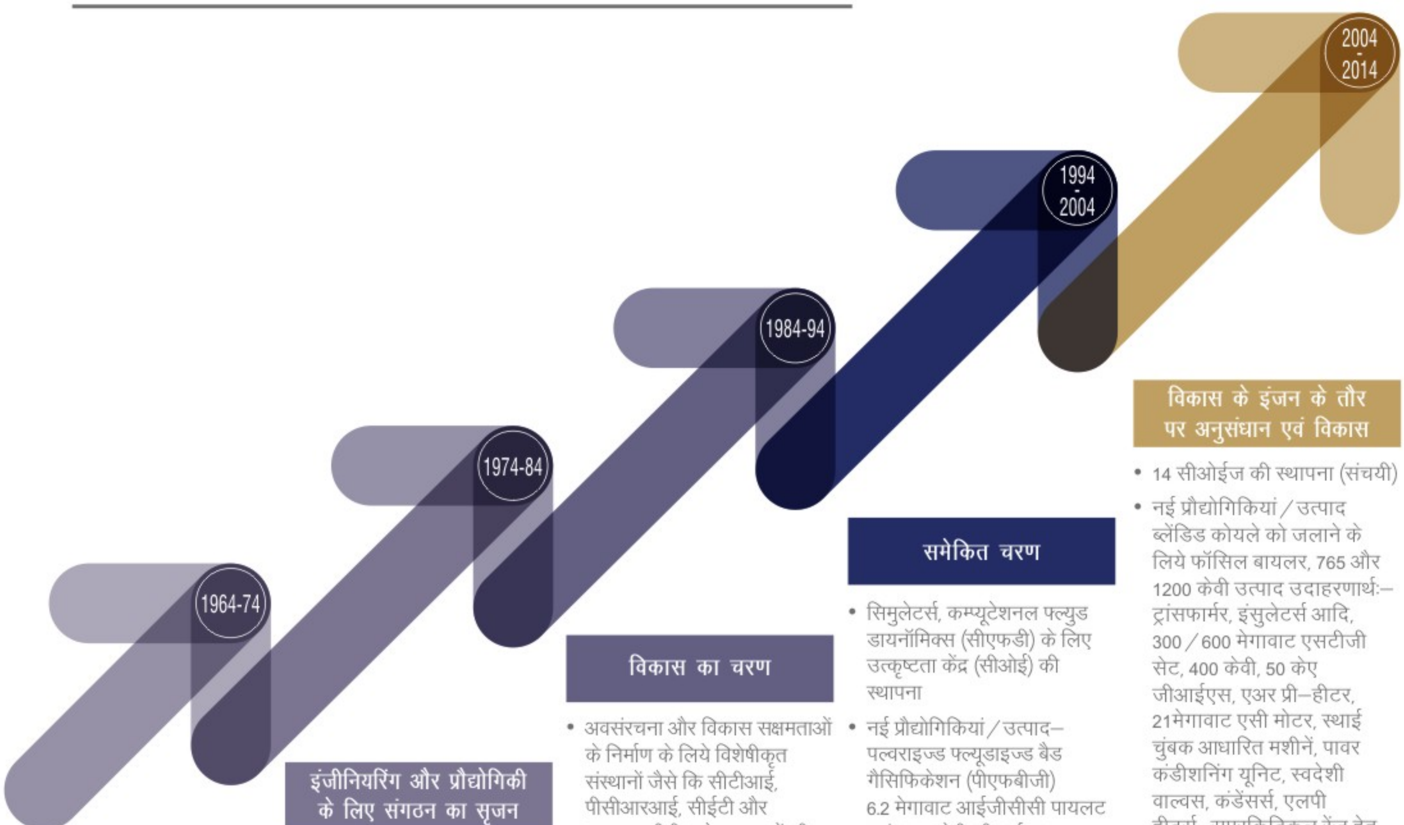

प्रौद्योगिकी, कौशल एवं ज्ञान के लिए आधार बनाया जा रहा है

- आधार का तैयार करने के लिये विद्युत संयंत्र उपकरणों में तकनीकी सहयोग
- पावर सेक्टर प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास और प्रशिक्षण पर फोकस
- बीएचईएल ने पहला पेटेंट–"बौद्धिक सम्पदा निर्माण पूंजी" दाखिल किया।

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए संगठन का सृजन

- ज्ञान वृद्धि, स्वदेशीकरण की गति बढ़ाने, नई प्रौद्योगिकियों/उत्पादों के सृजन के लिये कार्पोरेट आरएंडडी डिवीजन की स्थापना
- उत्पाद इंजीनियरिंग, क्षेत्र इंजीनियरिंग सेवाओं और अनुसंधान एवं उत्पाद विकास से जुड़े इंजीनियरिंग विकास केंद्र
- वैल्डिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना
- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप डिज़ाइनों के अनुकूलन पर फोकस

विकास का चरण

- अवसंरचना और विकास सक्षमताओं के निर्माण के लिये विशेषीकृत संस्थानों जैसे कि सीटीआई, पीसीआरआई, सीईटी और एएसएससीपी प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- ग्राहक आधारित समाधान उपलब्ध करवाने के लिये सिस्टम इंजीनियरिंग संपूरित
- नई प्रौद्योगिकियां/उत्पाद– सिमुलेटर्स, सीएफबीसी लोकोमोटिव्स, आदि
- 2x10 मेगावाट पिटहेड, रबलिंग फ्ल्यूडाइज्ड बैड कम्बस्टन (बीएफबीसी), वॉशरी अवशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्र
- राष्ट्रीय एचवीडीसी परियोजना
- सौर पीवी में प्रवेश

समेकित चरण

- सिमुलेटर्स, कम्प्यूटेशनल फ्ल्युड डायनॉमिक्स (सीएफडी) के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना
- नई प्रौद्योगिकियां/उत्पाद– पल्वराइज्ड फ्ल्यूडाइज्ड बैड गैसिफिकेशन (पीएफबीजी) 6.2 मेगावाट आईजीसीसी पायलट प्लांट, 32 केवी जीआईएस प्रो–कंट्रोल आधारित बायलर एवं टीजी इंटिग्रल कंट्रोल्स, दो सिलेंडर एसटी, रेडियल पंखें, ईएसपी के लिये नियंत्रक, फैक्टस डिवाइसिस, कन्ट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर), फेस शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर (पीएसटी), स्टेटकाम, डिरेटर–1000 मेगावाट तक, बाउल मिल, पीएडीओ, आदि
- रिमोट से नियंत्रित विद्युत केंद्र
- सोलर पीवी पैनल्स/उपग्रहों के लिये बैटरियां

विकास के इंजन के तौर पर अनुसंधान एवं विकास

- 14 सीओईज की स्थापना (संचयी)
- नई प्रौद्योगिकियां/उत्पाद ब्लेंडिड कोयले को जलाने के लिये फॉसिल बायलर, 765 और 1200 केवी उत्पाद उदाहरणार्थः– ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर्स आदि, 300/600 मेगावाट एसटीजी सेट, 400 केवी, 50 केए जीआईएस, एअर प्री–हीटर, 21मेगावाट एसी मोटर, स्थाई चुंबक आधारित मशीनें, पावर कंडीशनिंग यूनिट, स्वदेशी वाल्वस, कंडेंसर्स, एलपी हीटर्स–सुपरक्रिटिकल रेंज हेतु, स्टेटकाम, आईजीबीटी आधारित एसी लोकोज, सिंगल सिलेंडर एसटी, आदि
- प्रौद्योगिकी समावेश 800 मेगावाट तक सुपरक्रिटिकल्स सेट्स
- आईपी कैपिटल 2170 तक पहुंची
- अनुसंधान और विकास व्यय बढ़कर कारोबार का 2.5 प्रतिशत हुआ।
- कार्यनीतिक योजना 2012–17 के भाग के तौर पर "मिशन मोड" में नया प्रौद्योगिकी विकास शुरू किया गया–उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी), इंटिग्रेटिड गैसिफिकेशन कम्बांइड साइकल (आईजीसीसी), नवीकरणीय, जल, 765 केवी जीआईएस, एचवीडीसी आदि
- ज्ञान आधारित इंजीनियरिंग के जरिए डिजाइन ऑटोमेशन एवं उत्पाद अनुकूलन

विषय सूची

2 वार्षिक समीक्षा

2 शेयरधारकों को पत्र
6 बीएचईएल में नेतृत्व
10 वर्ष एक नज़र में

12 कॉर्पोरेट रूपरेखा

12 बीएचईएल के बारे में
16 बीएचईएल की दुनिया
18 उत्कृष्टता का सम्मान

20 निदेशकों की रिपोर्ट

27 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण
28 व्यवसाय रूपरेखा
(व्यवसाय खंडों की रूपरेखा एवं निष्पादन)
55 वित्तीय कार्यनिष्पादन
72 निदेशकों का संक्षिप्त विवरण
76 संधारणीय विकास
83 व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट
89 नवप्रर्वतन
(अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां)
94 कॉर्पोरेट अभिशासन

131 वार्षिक लेखा

132 वार्षिक लेखा स्टैंडएलोन
181 सहायक कंपनी: बीएचईएल–ईएमएल
213 समेकित वित्तीय विवरण

250 अतिरिक्त सूचना

251 दस वर्षों का वित्तीय सार
253 मूल्यवर्धन विवरण
254 वार्षिक योजना कार्यनिष्पादन
254 राजकोष में अंशदान
254 उद्यम मूल्य
255 भारत में बीएचईएल
256 उत्पाद रूपरेखा
266 शब्दावली

268 सूचना

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारको,

अपनी महत्वपूर्ण यात्रा की स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही आपकी कंपनी की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बीएचईएल आर्थिक विकास में क्रमिक मंदी, कम परियोजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने और बढ़ती व्यापार जटिलताओं से युक्त कठिन व्यावसायिक वातावरण से गुजरते हुए हाल के वर्षों में सतत् कार्यनिष्पादन दर्शाने में सफल रहा है। आज, जब हमारे बहुत से साथी उद्योग की आर्थिक विषमताओं को चुनौती दे पाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, आपकी कंपनी ने काफी अवशोषक शक्ति विकसित की है जो कि सतत् बाज़ार नेतृत्व, मुनाफे के कार्यनिष्पादन, सराहनीय परियोजना निष्पादन और नवप्रवर्तन पर निरंतर ध्यान देने से परिलक्षित होती है।

"...आपकी कंपनी ने काफी अवशोषक शक्ति विकसित की है जो कि सतत् बाज़ार नेतृत्व, मुनाफे के कार्यनिष्पादन, सराहनीय परियोजना निष्पादन और नवप्रवर्तन पर निरंतर ध्यान देने से परिलक्षित होती है।"

मैं 2013–14 की कुछ प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी देना और आपके बोर्ड के प्रमुख फ़ोकस क्षेत्रों तथा आपकी कंपनी की भविष्य की संभावनाओं, दोनों पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगाः

- बीएचईएल ने 2013–14 के दौरान ₹ 40,338 करोड़ का कारोबार किया और ₹ 3,461 करोड़ का निवल लाभ कमाया, जिसमें पिछले वर्ष (2012–13) के मुकाबले क्रमशः 20 प्रतिशत और 48 प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ की गई। ये गिरावट मुख्यतः प्रतिकूल बाहरी स्थितियों के कारण है। लेकिन मैं आपकी कंपनी के लचीलेपन से काफी राहत में हूं क्योंकि इसने 9 प्रतिशत का निवल लाभ दर्ज़ किया है जो कि अब भी बहुत से साथी उद्योगों से अधिक है।
- एक ऐसे बाज़ार में, जो तेजी से संकीर्ण हुआ है और हाल के वर्षों में बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया है, आपकी कंपनी ने भारतीय विद्युत क्षेत्र में 72 प्रतिशत के बाज़ार हिस्से के साथ अपनी नेतृत्व स्थिति को और सुदृढ़ किया है। बीएचईएल ने कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद एनटीपीसी से नार्थ करनपुरा परियोजना के लिए 3x660 मेगावाट की सुपरक्रिटिकल इकाइयों के लिए ₹ 7,900 करोड़ मूल्य के एक मेगा ईपीसी आर्डर सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार दोनों में अपने विविध व्यावसायिक क्षेत्रों से ₹ 28,007 करोड़ मूल्य के आर्डर प्राप्त किए हैं।
- परियोजना निष्पादन की हमारी गति अच्छी रही है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 13,452 मेगावाट की अब तक की सर्वोच्च परियोजनाओं को सिंक्रोनाइज/चालू किया है जो कि पिछले वर्ष से 30 प्रतिशत अधिक है।
- बीएचईएल अपनी नवप्रवर्तन आधारित विकास कार्यनीति के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान बीएचईएल ने अनुसंधान एवं विकास पर ₹ 1,114 करोड़ – कारोबार का 2.76% निवेश किया है। कंपनी ने 434 पेटेंट्स और कॉपीराइट भी फाइल किए हैं जिससे कंपनी की बौद्धिक पूंजी 2,589 हो गई है, जिनका उत्पादनकारी उपयोग हो रहा है।
- आपकी कंपनी का फ़ोकस नए व्यावसायिक अवसरों के पूंजीकरण पर है। इस दिशा में एसईसीआई, पीजीसीआईएल, एसजेवीएनएल, एसएसएल और आरईआईएल के साथ सांभर, राजस्थान में 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना की स्थापना और 480 मेगावाट सोलर पीवी सिस्टम्स (वैफर्स–सैल्स–मॉडयूल्स) के लिए एकीकृत विनिर्माण सुविधा की स्थापना की योजना के लिए समझौता ज्ञापन महत्वपूर्ण कदम हैं।

"...आपकी कंपनी ने नए फ्यूल फ्लेक्सिबल सुपरक्रिटिकल बायलर्स का विकास किया है जो कि 100 प्रतिशत विनिर्दिष्ट भारतीय कोयले के साथ-साथ 100 प्रतिशत विनिर्दिष्ट आयातित कोयले की विशेष स्थिति में भाप उत्पादन का प्रचालन और अनुरक्षण कर सकते हैं"

- देश में वर्तमान कोयला स्थिति के मद्देनज़र, आपकी कंपनी ने नए फ्यूल फ्लेक्सिबल सुपरक्रिटिकल बायलर्स का विकास किया है जो 100 प्रतिशत विनिर्दिष्ट भारतीय कोयले के साथ–साथ 100 प्रतिशत विनिर्दिष्ट आयातित कोयले के विशेष स्थिति में भाप उत्पादन का प्रचालन और अनुरक्षण कर सकते हैं। यह डिज़ाइन विभिन्न प्रकार के भारतीय अथवा आयातित कोयले के लिए अकेले अथवा संयोजन में रेटिड क्षमता पर यूनिट का निरंतर संचालन सुनिश्चित करेगा।

विकास के लिए तैयारी

आज, जबकि बीएचईएल सतत् विकास और नेतृत्व की अपनी यात्रा में स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है, यह भारी विद्युत उपकरण के स्वदेशी विनिर्माण में आत्म–निर्भरता हासिल करने में भारत की शानदार सफलता का भी उत्सव है। विडम्बना इस बात की है कि यह महत्वपूर्ण अवसर कठिन दौर के बीच आया है। फिर भी कंपनी भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण में अवसरों के दोहन के लिए और अधिक प्रतिस्पर्धी रूप में उभरने के लिए शक्तियों और मूल्य प्रस्तावों के समेकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए समझदारीपूर्ण स्ट्राटेजी अपना रही है।

- स्ट्राटैजिक योजना 2012–17 में की गई कल्पना के अनुसार, बीएचईएल ने विद्युत परियोजनाओं में योगदान

बढ़ाने, ईपीसी आर्डरों पर अधिक फ़ोकस करने के साथ व्यवसाय विस्तार और लागत प्रभावकारिता में वृद्धि के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। हम फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन, जल प्रबंधन प्रणाली, एअर कूल्ड कंडेंसर और अन्य बैलेंस ऑफ प्लांट्स को शामिल करते हुए अपने विद्युत क्षेत्र पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे हैं। सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी में स्वदेशीकरण का स्तर बढ़ाना, उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल विद्युत उपकरण का विकास और अत्याधुनिक सीएफबीसी प्रौद्योगिकी की शुरूआत विद्युत क्षेत्र में प्रमुख स्ट्राटेजी हैं।

- हाल के वर्षों में कारोबार के विविधीकरण ने बीएचईएल के प्रबंधन का ध्यान आकृष्ट किया है। विविध कारोबार में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यापार कार्यक्षेत्रों में क्षमता विस्तार, उत्पाद विकास, स्टेकहोल्डरों के साथ सहयोग, क्षमताओं का संयोजन और निष्पादन का अनुभव हासिल करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

- आपकी कंपनी निर्यात व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लक्षित देशों में सहयोग के अवसरों का भी पता लगा रही है।

- बीएचईएल में प्रचालनों का पैमाना एक प्रमुख प्रतियोगी सुविधा के तौर पर उभर रहा है क्योंकि यह विद्युत मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण व्यापकता का सृजन करता है। बीएचईएल द्वारा अपने पैमाने के विस्तार के लिए उठाए गये प्रमुख कदमों में प्रति वर्ष 20000 मेगावाट के विद्युत संयंत्र उपकरणों का विनिर्माण, लोकोमोटिव विनिर्माण प्रति वर्ष 75 नग करना, सीएसयू जगदीशपुर, पीपीपीयू तिरुमयम, भंडारा स्थित पीईएफ संयंत्र, नई विनिर्माण इकाइयां और बीएचपीवी, विजाग का विलय शामिल है।

- कंपनी संरचित और केंद्रित तरीके से अपनी अनुसंधान एवं विकास सामर्थ्य में बदलाव से भविष्य के विकास को रास्ते पर लाने के लिए नवप्रवर्तन पर ध्यान दे रही है। अनुसंधान एवं विकास पर कारोबार की 2.5% के अधिक की राशि को खर्च करते रहने की योजना के साथ उत्पाद विकास और इंजीनियरिंग में सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाया गया है।

- बीएचईएल मध्यवर्ती लक्ष्यों, सुपुर्दगी चक्र में कमी और अतिरिक्त औज़ारों और संयंत्रों को उपलब्ध कराने पर फ़ोकस करने के साथ परियोजना निष्पादन त्वरित करने की अपनी प्रमुख स्ट्राटेजीज को आगे बढ़ाना जारी रखेगा।

“ आपकी कंपनी, बीएचईएल की 6-सूत्री कार्यसूची में की गई कल्पना के अनुसार, पूर्व की उपलब्धियों पर विराम लगाए बिना क्षमता वृद्धि, परियोजना निष्पादन, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता एवं गुणवत्ता, विविधीकरण, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी और लोक विकास पर फ़ोकस के जरिए अपनी ताकतों का निर्माण जारी रखेगी ”

- बीएचईएल में जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल सहस्राब्दि पीढ़ी की दिशा में बढ़ रही है जिससे कर्मचारियों की औसत आयु में क्रमिक कमी आई है अर्थात् यह 2006 में 48.96 वर्ष से कम होकर 2013 में 40.84 वर्ष हो गई है। अतः बीएचईएल की जन विकास रणनीति, नेतृत्व विकास, क्षमता मैपिंग, कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन, मेंटरिंग, कौशल विकास, कैरियर नियोजन जैसी पहलों के कार्यान्वयन के जरिए व्यापारिक योजनाओं के संयोजन में प्रत्येक व्यक्ति के विकास पर ध्यान दे रहा है।

- कंपनी अपने ग्राहकों को स्थायी व्यापारिक समाधान उपलब्ध करवाने के मिशन के साथ कार्य कर रही है। चूंकि वैश्विक कार्बन डाईऑक्साइड (CO^2) उत्सर्जन में व्यापक कटौती के लिए वैश्विक प्रयासों में विद्युत क्षेत्र को कार्बन रहित करना एक प्रमुखता है, अतः बीएचईएल अपने ग्राहकों को ईंधन दक्ष और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियां प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2013–14 के दौरान पहली बीएचईएल निर्मित 600 मेगावाट सुपरक्रिटिकल यूनिट एनटीपीसी के लिए बाढ़ में चालू की गई थी और पहला 800 मेगावाट बायलर कृष्णापट्टनम में एपीपीडीसीएल के लिए समकालिक किया गया।

संधारणीयता: हमारी स्वर्णिम विरासत का अटूट अंग

आपकी कंपनी मुनाफे में बने रहते हुए पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से अपने ग्राहकों को उत्पाद, प्रणालियां और सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन का विस्तार कर रही है।

1978 में 500 मेगावाट, 2008 में 660 मेगावाट और 800 मेगावाट और 2010 में 700 मेगावाट के पहले आर्डर के साथ हम प्रगामी रूप से अपने ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल और ईंधन दक्ष प्रौद्योगिकियां प्रस्तुत कर रहे हैं।

कम ऑग्ज़ियलरी विद्युत खपत, उच्च बॉयलर दक्षता, बेहतर संयंत्र उष्मा दर और पीएलएफ तथा अंततः कम जीवन चक्र लागत जैसी कार्यनिष्पादन विशेषताओं के साथ विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण उपकरणों के माध्यम से हम अपने कार्बन उत्सर्जन को घटाने के रास्तों की खोज़ जारी रखे हुए हैं। सामाजिक पहलों पर हमारा सतत् फ़ोकस न केवल एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक होने में हमारे विश्वास को दोहराता है बल्कि दुनिया को बेहतरी के लिए बदलाव के प्रति प्रेरित करता है।

लचीलापन बनाए रखना

आपकी कंपनी, बीएचईएल की 6–सूत्री कार्यसूची में की गई कल्पना के अनुसार, पूर्व की उपलब्धियों पर विराम लगाए बिना क्षमता वृद्धि, परियोजना निष्पादन, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता एवं गुणवत्ता, विविधीकरण, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी और जन विकास पर फ़ोकस के जरिए अपनी शक्ति का विकास करना जारी रखेगी।

मैं अपने शेयरधारकों–ग्राहकों, जिन्होंने हमारे ऊपर अपना भरोसा बनाए रखा है, कर्मचारियों, जिन्हें हम उत्कृष्टता की खोज़ के प्रति उनके उत्साह, निष्ठा और प्रतिबद्धता के लिए अपनी एक प्रमुख संपत्ति के तौर पर मान्यता देते हैं, बोर्ड के हमारे सदस्यों, उनके ज्ञान और सतत् समर्थन के लिए, कंपनी के संसाधनों के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए कंपनी की प्रबंधन टीम, आप सब और हमारे शेयरधारकों, के भरोसे और विश्वास के लिए आभारी हूं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विशेष तौर पर भारी उद्योग विभाग हमारे प्रयासों में मूल्यवान निर्देशन एवं समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

मैं अतीत के नेतृत्वकर्ताओं और कर्मचारियों का दिल से आभारी हूं जिन्होंने हमें यहां–इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के 50 वर्षों तक पहुंचाया है। आज भारत बदल रहा है। बढ़ते शहरीकरण, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और समावेशी विकास जैसे कारक भारत में बदलाव ला रहे हैं। इस नए और परिवर्तनशील भारत को बीएचईएल द्वारा प्रस्तुत उत्पादों और सेवाओं की व्यापक श्रृंखला के प्रति अतृप्त भूख होगी। अतः आपकी कंपनी के बोर्ड को बेहतर कल के लिए समाधान उपलब्ध कराने वाले एक वैश्विक इंजीनियरिंग उद्यम बनने और हमारी स्वर्णिम विरासत का सम्मान रखने के अपने दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के प्रति पूरा विश्वास है।

मैं एक बेहतर भारत के निर्माण की इस चुनौतीपूर्ण परंतु प्रेरणादायक प्रक्रिया में आपके अटूट समर्थन की आशा करता हूं।

शुभकामनाओं के साथ,

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
अगस्त 07, 2014

बीएचईएल

नेतृत्व

निदेशक मंडल

(14.07.2014 को)

दाएं से बाएं बैठे हैं

सुश्री हरिन्दर हीरा, अंशकालिक ग़ैर सरकारी निदेशक

श्री बी. प्रसाद राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस. के. बाहरी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, डीआईपीपी

दाएं से बाएं खड़े हैं

श्री आर. कृष्णनन, निदेशक (मानव संसाधन)

श्री डब्ल्यू वी. के. कृष्णा शंकर, निदेशक (औद्योगिक प्रणालियां एवं उत्पाद)

श्री अंबुज शर्मा, अपर सचिव, भारी उद्योग विभाग

श्री पी. के. बाजपेई, निदेशक (वित्त)

श्री अतुल सोबती, निदेशक (पावर)

श्री आई. पी. सिंह, कंपनी सचिव

बीएचईएल

नेतृत्व

प्रबंधन समिति

(19.07.2014 को)

1. बी. प्रसाद राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. पी. के. बाजपेई, निदेशक (वित्त)
3. आर. कृष्णनन, निदेशक (मा.सं.)
4. डब्ल्यू.वी.के. कृष्णा शंकर, निदेशक (आईएस एंड पी)
5. अतुल सोबती, निदेशक (पावर)
6. ए. वी. कृष्णनन, का. नि. (तिरुचि)
7. जैनेन्द्र कुमार, का. नि. (पीएमजी)
8. बी. शंकर, का.नि. (एचआरएंडसीसी)
9. टी. एन. वीरराघवन, का. नि.(रानीपेट)
10. एस. सी. मित्तल, का. नि. (वित्त एवं सीसीजी)
11. के. सी. राममूर्ति, का. नि. (ईडीएन)
12. ए. के. दवे, का. नि. (सीएमटीएंडआईपी, एमओएन एंड एमएम)
13. सी. के. श्रीखंडे, का. नि. (पीएसएनआर)
14. एस. गोपीनाथ, का. नि. (तिरुमयम एंड पीसी)
15. राजीव पुरी, का. नि. (पीईएम एंड आईएसजी)
16. एस. आर. प्रसाद, का. नि. (भोपाल)
17. एन. रवि चन्दर, का. नि. (एचपीईपी, हैदराबाद)
18. अनुज भटनागर, का. नि. (एफक्यूए एंवं सुरक्षा)
19. प्रकाश चंद, का. नि. (एचईईपी, हरिद्वार)
20. अखिल जोशी, का. नि. (टीएलएंडजेवी, एमएंडए)
21. डॉ. एस. सेकर, का. नि. (कार्पो. आर एंड डी)
22. एस. वी. एस. नारायण, का. नि. (सीएफएफपी, हरिद्वार)
23. राजीव श्रीवास्तव, का. नि. (एसएसबीजी)
24. वी. वेंकट कृष्णनन, का. नि. (पीएस–मार्के.)
25. एस. सी. जैन, का. नि. (पीएसडब्ल्यूआर)
26. के. राजेंद्रन, का. नि. (समन्वय)
27. के. के. सेठ, का. नि. (एचआरडीआई, एनआईसी एवं सीपीजी)
28. रमेश कौल, का. नि. (टीबीजी)
29. बी. एस. विश्वनाथ, का. नि. (टीएसजी)
30. देवेन्द्र रैना, का. नि. (आईपीई एवं आईपीएम)
31. एस. एन. मैती, का. नि. (पीएसटीएस)
32. एम. के. शर्मा, का. नि. (पीईएंडएसडी)
33. प्रदीप सिंघल, का. नि. (सीएसआर, एचएसई एवं प्रशा.)
34. एल. के. रावल, का. नि. (पीएंडडी)
35. सी. वी. एस. एन. मूर्ति, का. नि. (अक्षय ऊर्जा एवं जल व्यवसाय)
36. अमिताभ माथुर, का. नि. (पीएसईआर)

स्थाई आमंत्रित

37. एस. सबापति, म.प्र.–प्र. (आरओडी एवं सीएफपी)
38. आर. राघवन, म.प्र.–प्र. (आईएसजी)
39. कमलेश दास, म.प्र.–प्र. (सीबीयू)
40. डी. बंद्योपाध्याय, म.प्र.–प्र. (पीएसएसआर)
41. जे. शंकरन, म.प्र.–प्र. (एचपीवीपी)
42. डी. गुईन, म.प्र.–प्र. (आईओ)
43. एम. खासगीवाला, म.प्र.–प्र. (झांसी)
44. के. पर्सुवानी, म.प्र.–प्र. (सीक्यू)

सचिव

45. के. एस. शिवप्रसाद, म.प्र. (पीएंडडी)

बीएचईएल
नेतृत्व

कॉर्पोरेट संगठनात्मक संरचना
(11.07.2014 को)

- निदेशक मंडल
  - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
    - कार्यात्मक निदेशकों की समिति

कॉर्पोरेट कार्यप्रणाली

- निदेशक, इंजीनियरिंग# आर एंड डी
  - का.नि./कॉर्पोरेट अनु. एवं वि.
    - कॉर्पोरेट आर एंड डी, हैदराबाद
    - सेरामिक प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर
    - एएसएससीपी, गुड़गांव
  - का.नि./टीएल और जेवी, एमएंडए
    - तकनीकी लाइसेंसिंग तथा संयुक्त उद्यम
    - विलयन एवं अधिग्रहण
  - का.नि./निग. सीएमटी एवं आईपी, सा.प्र.
    - कॉर्पोरेट उत्पादन प्रौद्योगिकी तथा निवेश आयोजन
    - कॉर्पोरेट मानीटरिंग
    - कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन
  - केन्द्रीय स्टैम्पिंग यूनिट, जगदीशपुर
  - फ्रैब्रिक्रेशन प्लांट, जगदीशपुर
  - कॉर्पोरेट इंजीनियरी तथा उत्पाद विकास
  - उन्नत अनुसंधान परियोजनाएं
- निदेशक, वित्त
  - का.नि./वित्त एवं सीसीजी
    - प्राप्य प्रबंधन
    - एग्ज़िम नीति
    - अनुबंध क्लोजिंग समूह @
  - कॉर्पोरेट वित्त
  - बजट तथा बजटीय नियंत्रण
  - लागत प्रबंधन
  - बैंकिंग एवं बीमा
  - राजकोष प्रबंध
  - वित्त परियोजना
  - लेखा एवं लेखापरीक्षा
  - अप्रत्यक्ष कराधान
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन
  - वित्तीय आयोजना एवं नीतियां
  - वित्तीय सेवाएं
  - प्रत्यक्ष कराधान
  - स्थापना
  - आंतरिक लेखा परीक्षा
- निदेशक, मानव संसाधन
  - का.नि./मा.सं. एवं कॉ. सं.
    - मानव संसाधन
    - कॉर्पोरेट संचार
    - चिकित्सा सेवाएं
    - विधिक
  - कॉर्पोरेट प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी
  - का.नि./एचआरडीआई, एनआईसी एवं सीपीजी
    - मानव संसाधन विकास संस्थान
    - कॉर्पोरेट उत्पादकता समूह
    - नई पहल प्रकोष्ठ
  - का.नि./एचएसई, सीएसआर एवं प्रशा.
    - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
    - स्वास्थ, सुरक्षा और पर्यावरण
    - प्रशासन
    - सुरक्षा
    - केंद्रीक लोक सूचना कार्यालय
- मुख्य सतर्कता अधिकारी
  - सतर्कता
- का.नि./समन्वयन
- का.नि./यो एवं वि.
  - स्ट्राटैजिक योजना
  - सरकार के साथ समझौता ज्ञापन
  - प्रबंधन समिति–सचिवालय
  - कार्यात्मक निदेशक समिति–सचिवालय
  - संसदीय मामले
  - निवेशक संबंध
  - क्षमता निर्माण पहलें
  - जोखिम प्रबंधन
- नई गुणवत्ता पहलें
- पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन
- गुणवत्ता प्रमाणन
- कंपनी सचिव
  - सचिवीय अनुपालन और निवेशक सेवाएं
  - कंपनी अधिनियम और सूचीयन समझौता
  - वार्षिक आम बैठक, बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकें

व्यवसाय क्षेत्र

- निदेशक, पावर
- निदेशक, औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद

निदेशक (पावर) ने निदेशक (ई, आरएंडडी) का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है।

ईडी : कार्यकारी निदेशक

@ वर्तमान में सीएमडी को रिपोर्ट

प्रबंध समिति

- **का.नि./पा.से.–मार्केटिंग**
  - पावर सेक्टर – मार्केटिंग
- **का.नि./पीएस–पीएमजी**
  - परियोजना प्रबंधन
  - एमएसएक्स,एससीटी एवं आईटी
- **का.नि./पीएस–एसएसबीजी**
  - पुर्जे और सेवाएं व्यवसाय समूह$
  - हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट, वाराणसी
  - आर एंड एम प्रणाली समूह, भोपाल
- **का.नि./पीएस–पीईएम एवं आईएसजी**
  - परियोजना इंजीनियरी प्रबंध
  - औद्योगिक प्रणाली समूह, बंगलौर
- **का.नि./पीएस–टीएस**
  - तकनीकी सेवाएं
- **का.नि./पीएस–ईआर**
  - पा.से. पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
- **का.नि./पीएस–एनआर**
  - पा.से. उत्तरी क्षेत्र, नोएडा
- **का.नि./पीएस–डब्ल्यूआर**
  - पा.से. पश्चिमी क्षेत्र, नागपुर
- पा.से. दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई
- **का.नि./एफक्यूए एवं सुरक्षा**
  - क्षेत्र गुणवत्ता आश्वासन एंव सुरक्षा
- आईएस–पीएमजी एंव अनुबंध समापन
- **का.नि./टीएसजी**
  - ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समूह
  - रक्षा व्यवसाय
- **का.नि./टीबीजी**
  - ट्रांसमिशन व्यवसाय समूह
- **का.नि./आईपीई एवं आईपीएम**
  - औद्योगिक उत्पाद व्यवसाय (इले.एवं मैके,)
  - कैप्टिव विद्युत संयंत्र व्यवसाय
- **का.नि./नवीकरणीय एवं जल व्यवसाय**
  - नवीकरणीय एवं जल व्यवसाय
- क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग
- कंपोनेंट फेब्रिकेशन संयंत्र, रूद्रपुर
- इलेक्ट्रो पोर्सिलेन्स डिवीजन, बंगलौर
- इंसुलेटर संयंत्र, जगदीशपुर
- **का.नि./पीई एवं एसडी**
  - परियोजना इंजी. एवं सिस्टम्स प्रभाग, हैदराबाद
- विदेशी व्यवसाय

प्रचालन

- **का.नि./भोपाल**
  - हेवी इलेक्ट्रिकल संयंत्र, भोपाल
  - सेंटर फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, भोपाल
  - विद्युत मशीन मरम्मत संयंत्र, मुम्बई
- ट्रांसफार्मर संयंत्र, झांसी
- **का.नि./एचईपी, हरिद्वार**
  - हेवी इलेक्ट्रिकल उपकरण संयंत्र, हरिद्वार
  - प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार
- **का.नि./सीएफएफपी, हरिद्वार**
  - केंद्रीय फाउंड्री फोर्ज़ संयंत्र, हरिद्वार
- **का.नि./एचपीईपी, हैदराबाद**
  - हेवी पावर उपकरण संयंत्र, हैदराबाद
- **का.नि./तिरुचि**
  - हाई प्रेशर बायलर संयंत्र, तिरुचि
  - सीमलैस स्टील ट्यूब संयंत्र, तिरुचि
  - वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान, तिरुचि
  - औद्योगिक वॉल्वस संयंत्र, गोइंदवाल
- **का.नि./थिरुमयम एवं पीसी**
  - पाइपिंग सेंटर, चेन्नई
  - पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट, थिरुमयम
- **का.नि./बीएपी, रानीपेट**
  - बॉयलर ऑग्ज़िलियरी संयंत्र, रानीपेट
- **का.नि./ईडीएन, बंगलौर**
  - इलैक्ट्रानिक्स डिविजन, बंगलौर
  - इलैक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिविजन, बंगलौर
- हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स संयंत्र, विजाग

$ मैट्रिक्स उद्योग क्षेत्र व्यवसाय के लिए निदेशक (आईएसएंडपी) को रिपोर्टिंग

वर्ष एक
नज़र में

कारोबार
(₹ करोड़ में)

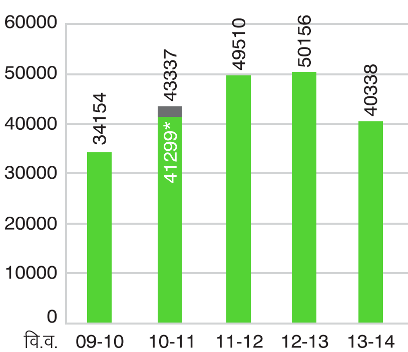

कर पूर्व लाभ / कर उपरांत लाभ
(₹ करोड़ में)

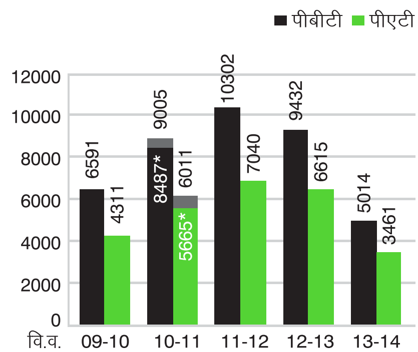

प्राप्त आर्डर / बकाया आर्डर
(₹ करोड़ में)

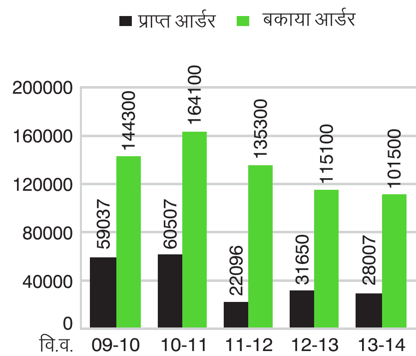

प्रति शेयर निवल मूल्य
(₹ में)

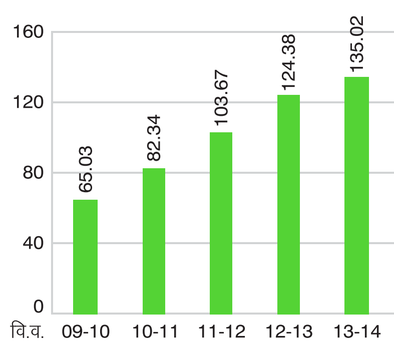

लाभांश (₹ करोड़ में)/
लाभांश भुगतान अनुपात

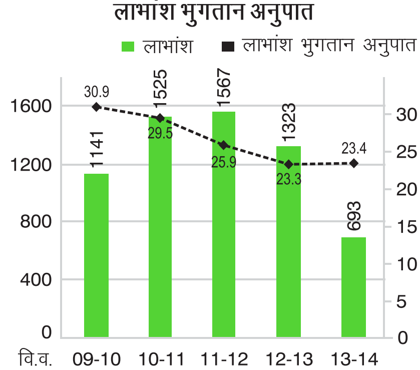

लाभांश भुगतान अनुपात में लाभांश कर शामिल है।

क्षेत्र–वार बकाया आर्डर बुक
(31 मार्च, 2014 को)

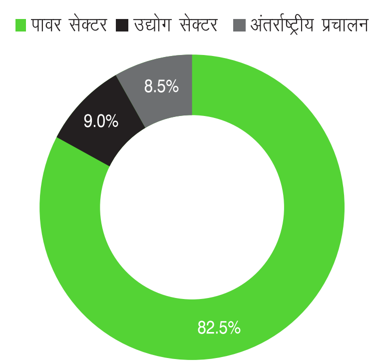

प्रति शेयर अर्जन
(₹ में)

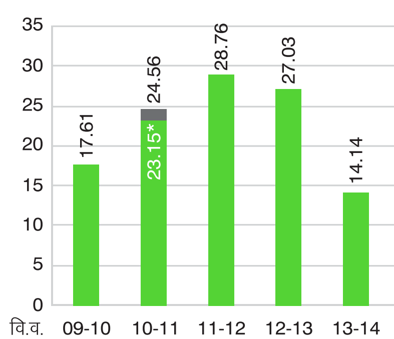

मानवशक्ति
(संख्या में)

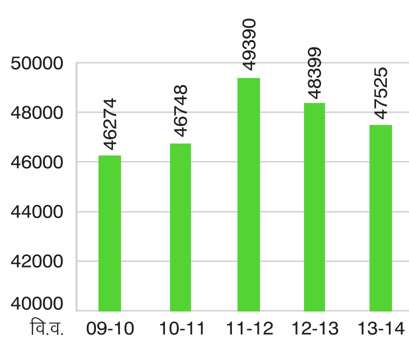

क्षेत्र–वार आर्डर बुक 2013–14

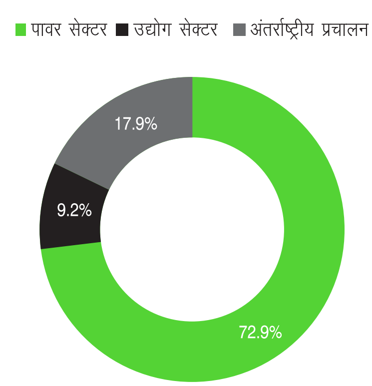

*पूर्ववर्ती वर्षों के लिए वारंटी दायित्वों की नीति में परिवर्तन का एक–कालिक प्रभाव को छोड़कर

वार्षिक समीक्षा

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2012-13
कारोबार	**40,338**	50,156
कर पूर्व लाभ	**5,014**	9,432
कर पश्चात लाभ	**3,461**	6,615
प्रतिधारित अर्जन	**2,650**	5,071
कुल परिसंपत्तियां	**72,791**	70,128
निवल मूल्य	**33,047**	30,444
दीर्घावधि ऋण	**105**	129
ऋण : इक्विटी	**0.01**	0.01
प्रति शेयर (रू में) :		
– निवल मूल्य	**135.02**	124.38
– अर्जन	**14.14**	27.03
कर्मचारी (संख्या)	**47,525**	48,399

खण्ड वार राजस्व
(₹ करोड़ में)

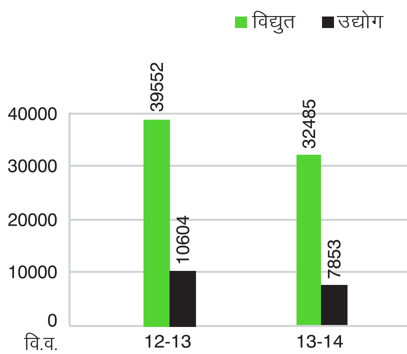

खण्डवार परिणाम
(₹ करोड़ में)

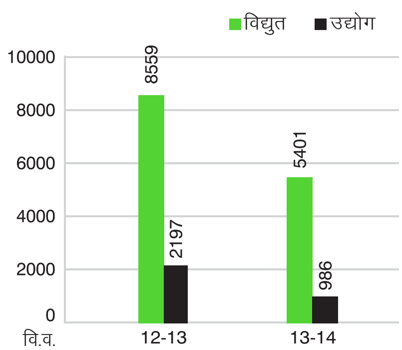

समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन
(₹ करोड़ में)

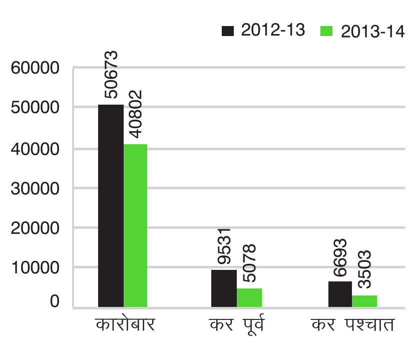

13,452 मेवा
चालू/सिंक्रोनाइज
किया गया

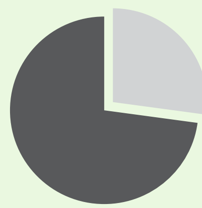

भारतीय विद्युत क्षेत्र में
72%
बाज़ार हिस्सा

नवप्रवर्तन
434
फाइल पेटेंट्स एवं कॉपीराइट्स

47,525
कर्मचारियों की संख्या

प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण
मानवदिवस
5.02

सीएसआर एवं एसडी व्यय
1.64%
कर उपरांत लाभ का (2012–13)

12,995
व्यावसायिक प्रशिक्षण
23,142
एक्ट–अप्रेंटिसिस प्रशिक्षित

18.9%
सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों
से प्रापण

बीएचईएल
के बारे में

इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की की अपनी यात्रा के 50वें स्वर्ण वर्ष में प्रवेश के साथ, बीएचईएल अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कि विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन (रेलवे), अक्षय ऊर्जा, तेल एवं प्राकृतिक गैस तथा रक्षा के क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 180 से अधिक उत्पादों की प्रस्तुति के साथ उत्पादों और सेवाओं की व्यापक श्रेणी के डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग में कार्यरत भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी इंजीनियरी और विनिर्माण कंपनी है। 1964 में बीएचईएल की स्थापना भारत के भारी विद्युत उपकरण उद्योग में वृद्धि के लिए निर्णायक थी। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में लगातार प्रदर्शन ने बीएचईएल को 2013 में 'महारत्न' दर्ज़ा दिलाने में योगदान किया।

बीएचईएल को पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन के भाग के रुप में देश को भारी विद्युत उपकरण के निर्माण में आत्म–निर्भर बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई थी। इस सपने से भी कहीं अधिक काम हो चुका है और इसी तरह राष्ट्र निर्माण में इसका योगदान जारी है। आज विद्युत संयंत्र उपकरण विनिर्माण में 20000 मेगावाट प्रति वर्ष की क्षमता के साथ, बीएचईएल के प्रचालनों का विशाल आकार इसकी 17 विनिर्माण इकाइयों, 2 मरम्मत इकाइयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, 8 सेवा केन्द्रों, 8 विदेशी कार्यालयों, 6 संयुक्त उद्यमों, 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्रों तथा पूरे देश और विदेश में 150 से अधिक परियोजना स्थलों पर

पावर सेक्टर

बीएचईएल विश्व में ऐसी कुछ कंपनियों में से एक है जिसके पास विद्युत संयंत्र उपकरण की सभी श्रेणियों के विनिर्माण की क्षमता है और अवधारणा से संचालन तक विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रामाणिक टर्नकी योग्यताएं हैं। पावर सेक्टर में ताप, गैस, जलविद्युत और परमाणु विद्युत संयंत्र शामिल हैं।

बीएचईएल:

- सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 660/700/800 मेगावाट के सेटों सहित 800 मेगावाट तक की स्टीम टरबाइनों, जेनेरेटरों, बायलरों और इनके सहायक उपकरणों की आपूर्ति करता है।
- 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक के थर्मल सेट बनाने की सुविधा उपलब्ध है।
- 250 मेगावाट तक के हाइड्रो टरबाईनों और जेनरेटरों की आपूर्ति करता है।
- 220/235/540/550/700 मेगावाट परमाणु टरबाइन जेनरेटर सेटों का विनिर्माण करता है।
- विभिन्न किस्मों के विद्युत संयंत्र उपकरणों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और प्रचालन के माध्यम से संयंत्र कार्यनिष्पादन सुधार में प्रामाणिक विशेषज्ञता है।
- संयंत्रों का अवशिष्ट जीवन आकलन, स्वास्थ्य निदान और जीवन विस्तार की विशेष जानकारी
- थर्मल सेटों की आपूर्ति लगातार राष्ट्रीय औसत दक्षता मापदंडों से अधिक रही।

बीएचईएल हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट, भोपाल

2x363 मेगावाट गैस–आधारित पावर प्लांट, ओटीपीसी–पलाटना

वर्तमान परियोजना निष्पादन से परिलक्षित होता है। बीएचईएल से आपूर्ति किए जाने वाले उपकरणों का कुल स्थापित क्षमता आधार–पावर सेक्टर को बीएचईएल द्वारा किए गए योगदान की मात्रा भारत में करीब 138 जीडब्ल्यू है। 31 मार्च, 2014 को भारत की कुल स्थापित क्षमता में बीएचईएल की 57 प्रतिशत हिस्सेदारी और देश की ताप यूटिलिटी सेटों (कोयला आधारित) से कुल उत्पादन में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी इसका प्रमाण है। कंपनी 1971–72 से लगातार लाभ अर्जित कर रही है और 1976–77 से लाभांश का भुगतान कर रही है जो कंपनी के संपूर्ण सराहनीय कार्यनिष्पादन को दर्शाता है।

मलेशिया, ओमान, लीबिया, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, मिस्र और न्यूज़ीलैंड सहित करीब 10,000 मेगावाट की बीएचईएल विनिर्मित विद्युत संयंत्रों की संचयी विदेशी स्थापित क्षमता के साथ 76 देशों में बीएचईएल की व्यापक पहचान है।

बीएचईएल उत्पादों और प्रणालियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का उच्च स्तर इसके स्वयं के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, अस्टोम एसए, सीमेन्स एजी और मित्सुबिशि हेवी इंडस्ट्रीज लिमि. सहित दुनिया में प्रमुख कंपनियों से कुछेक श्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसरण के कारण हैं। इसकी ज्यादातर विनिर्माण इकाइयों और अन्य संस्थाओं को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां (आईएसओ 9001:20

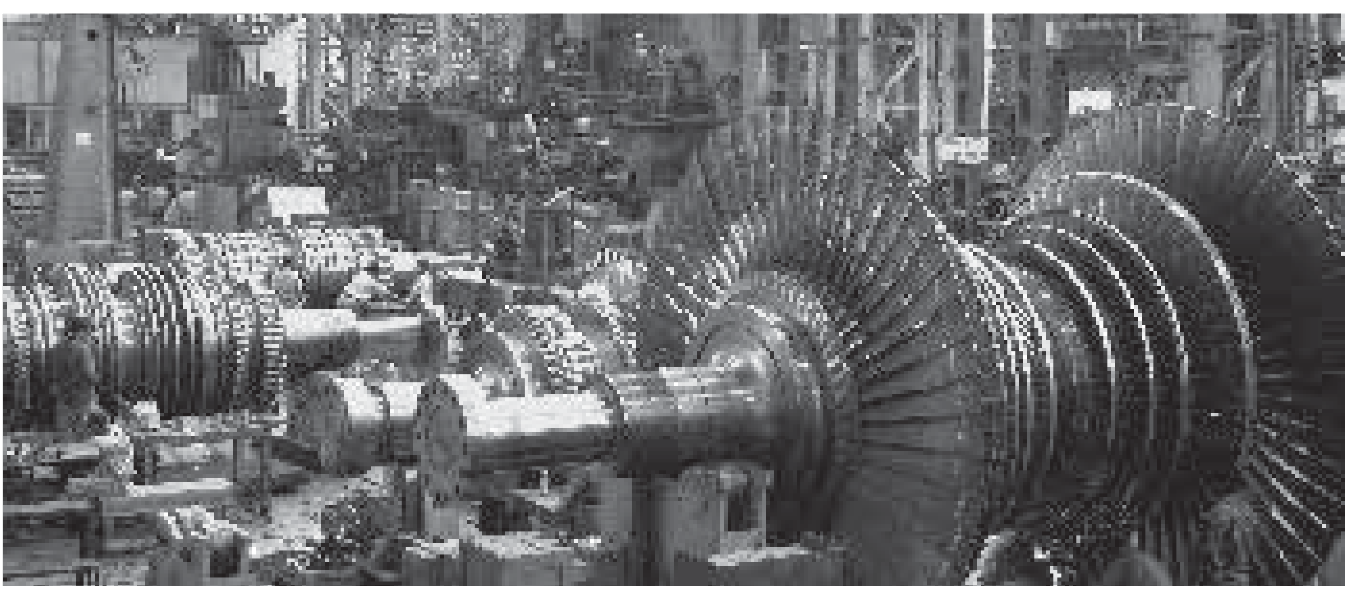

हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट, हरिद्वार में फाइनल रोटर एसेम्बली एरिया

08), पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियां (आईएसओ 14001:2004) और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (ओएचएसएएस 18001:2007) से मान्यता प्राप्त है।

बीएचईएल ने अपनी शानदार यात्रा के सभी चरणों के दौरान आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना किया है। एक संरक्षित बाज़ार में इसके समावेशी से लेकर उदारीकृत अर्थव्यवस्थाा के दबावों और आर्थिक वातावरण में वर्तमान मंदी के दबावों का सामना करने तक बीएचईएल ने उत्पाद विनिर्माण से बाज़ार उन्मुखीकरण तक अपनी कार्यनीतियों में बदलाव, पोर्टफोलियो पुनर्गठन के जरिए व्यवसाय उत्कृष्टता के साथ विविधीकरण के के माध्यम से सतत् विकास के दायरे में रहते हुए विकास किया है। बीएचईएल के पास 1970 में शुरू की गई रणनीतिक योजना की मज़बूत संस्कृति का कौशल है और आज, कंपनी क्षमता वृद्धि, परियोजना निष्पादन, लागत प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता, विविधीकरण, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तथा लोक विकास पर फ़ोकस के साथ अपनी सातवीं कॉर्पोरेट योजना को आगे बढ़ा रही है।

परिवहन, ट्रांसमिशन, जल एवं अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में विविधीकरण की रणनीति प्रस्तावों का संतुलित पोर्टफोलियो बनाये रखने के लिए अपनाई गई थी। राजस्थान में लगने वाली अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना और मेमू कोच फैक्ट्री एवं महाराष्ट्र में सौर पीवी सिस्टम्स हेतु एकीकृत विनिर्माण सुविधा इस दिशा में हरित प्रयास हैं।

अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

नए व्यावसायिक अवसरों के विविधीकरण और पूंजीकरण की ये कार्यनीति विद्युत क्षेत्र में प्रस्तावों के विस्तार के अलावा प्रतिबद्धता से नवप्रवर्तन पर आधारित विकास के कारण हैं जो कि बीएचईएल के बिजनेस मॉडल का एक अनिवार्य हिस्सा

उद्योग क्षेत्र

बीएचईएल विभिन्न किस्मों की औद्योगिक प्रणालियों और उत्पादों का प्रमुख विनिर्माता है और कैप्टिव/औद्योगिक उपयोगिताओं के अलावा धातुकर्मीय, खनन, सीमेंट, कागज़, उर्वरक, रिफ़ाइनरीज एवं पेट्रो रसायन आदि जैसे प्रमुख उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा करता है। प्रमुख प्रस्तुतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कैप्टिव विद्युत संयंत्र:** भाप टरबाईन और गैस टरबाईन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की आपूर्ति करता है।
- **ट्रांसमिशन प्रणालियां और उत्पाद:** 132 केवी से 765 केवी तक की श्रेणी के ईएचवी और यूएचवी सबस्टेशनों और ±800 केवी तक के एचवीडीसी कन्वर्टर स्टेशनों और विद्युत ट्रांसफार्मरों, शंट रिएक्टरों, वैक्यूम तथा एसएफ6 स्विचगियर, गैस इंसुलेटिड स्विचगियर्स, सिरामिक इंसुलेटर्स आदि का निष्पादन।
- **परिवहन:** आईजीबीटी प्रणोदन उपकरण (ट्रैक्शन कन्वर्टर/सहायक कन्वर्टर/वीसीयू), 25 केवी एसी लोको, 1400 एचपी के डीजल इलेक्ट्रिक लोको, आदि का विनिर्माण करता है।
- **अक्षय ऊर्जा:** कि.वा. से मे.वा. तक की एप्लीकेशन रेटिंग के ग्रिड इंटरेक्टिव और स्टैंडएलोन पीवी विद्युत संयंत्रों, स्पेस ग्रेड सौर पैनल्स और स्पेस ग्रेड बैटरियों के लिए ईपीसी समाधान।
- **जल:** आरओ सहित जल शोधन प्रणालियों, प्रवार उपचार झिल्ली आधारित सीवेज शोधन संयंत्रों और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आदि के लिए टर्नकी समाधान।
- **औद्योगिक उत्पाद (विद्युत एवं यांत्रिक):** ऑयल रिग्स, वैल हैड एवं क्रिसमस ट्रीज, फैब्रिकेटिड उपकरणों और बायलर फीड पंपों, कम्प्रेसरों तथा एसी मशीनों सहित विभिन्न श्रेणियों के औद्योगिक उत्पाद।
- **रक्षा:** सुपर रेपिड गन माउंट, नौसेना के जहाजों के लिए इंटिग्रेटिड प्लेटफार्म मैनेजमेंट सिस्टम, थर्मो प्रेस्ड कम्पोनेंटस और एटीवीपी उपकरण, सहित भारतीय रक्षा बलों को रणनीतिक उपकरणों की आपूर्ति।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

बीएचईएल ने विश्व के सभी भागों में 76 देशों में व्यापक संपर्क स्थापित किया है और भारत से बाहर करीब 17000 मेगावाट के विद्युत संयंत्र उपकरणों के लिए अनुबंध किया है जिनमें ताप, जलविद्युत और गैस आधारित टर्नकी विद्युत परियोजनाएं, उपकेंद्र परियोजनाएं, पुनर्वास परियोजनाएं, ट्रांसफार्मर, कम्प्रेसर, मोटर, वाल्व और तेल क्षेत्र उपकरण, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स, पीवी उपकरण, इंसुलेटर्स, हीट एक्सचेंजर्स, स्विचगियर्स, कास्टिंग और फोर्जिंग आदि उत्पादों सहित विभिन्न किस्मों के उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं।

बिक्री उपरांत सेवाओं पर बीएचईएल के मज़बूत फ़ोकस से इंडोनेशिया, भूटान, ओमान, लीबिया, बंगलादेश, वियतनाम और श्रीलंका सहित विभिन्न देशों से आर्डर प्राप्त हुए हैं।

बीएचईएल द्वारा विकसित 800 केवी रेटिंग तक के कम्पोजिट होलो इंसुलेटर के विनिर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधा

है। यह उत्पाद विकास और स्वदेशीकरण उद्देश्य वाली नई अनुसंधान एवं विकास नीति से स्पष्ट है। संगठन का अनुसंधान एवं विकास फ़ोकस उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्रों से लेकर आईजीसीसी आधारित विद्युत संयंत्रों और ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की श्रेणी तक काफी विविध है।

बीएचईएल की सबसे बड़ी ताक़त इसकी 47 हजार से अधिक कर्मचारियों का अत्यधिक कुशल और प्रतिबद्ध कार्यबल है जो बीएचईएल की सफल यात्रा का आधार रही है। इसके अलावा सतत् विकास की अवधारणा बीएचईएल के डीएनए में समाहित है जो कि इसके मिशन स्टेटमेंट ''ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्रों में सतत् व्यवसाय समाधान उपलब्ध करवाना'' से प्रभावित होता है। बीएचईएल भी सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षा, आपदा प्रबंधन और प्रतिभा उन्नयन/कौशल विकास के उद्देश्य से समाज को आगे बढ़ाने के प्रयासों में कार्यरत है।

भविष्य आकर्षक अवसरों और भीषण चुनौतियों दोनों से भरा है। अपनी 50 शानदार वर्षों की स्वर्णिम विरासत के साथ, बीएचईएल ने अपने दीर्घकालीन विज़न को हक़ीक़त में बदलने और बदलते समय के साथ संगत बने रहने के लिए अपनी प्रस्तुतियों और प्रतिस्पर्धात्मकता के विस्तार से अपनी व्यापार गतिशीलता को अपनाया है। नए व्यवसाय अवसरों का सृजन और उपलब्ध अवसंरचना का अधिकतम उपयोग भविष्य के विकास और शेयरधारकों की निधि में वृद्धि की कुंजी होगी।

बीएचईएल महारत्न कंपनी Golden Jubilee 1964 - 2014 50 Years

बीएचईएल की दुनिया

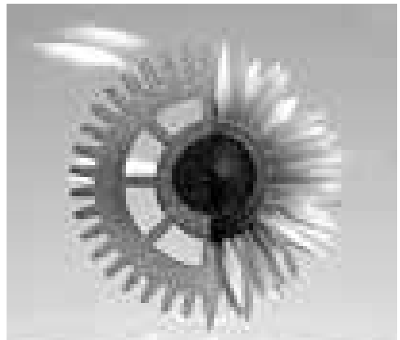

विज़न

बेहतर कल के लिये समाधान प्रदान करवाने वाला एक वैश्विक अभियांत्रिकी उद्यम

मिशन

ऊर्जा, उद्योग बुनियादी ढांचे क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करना

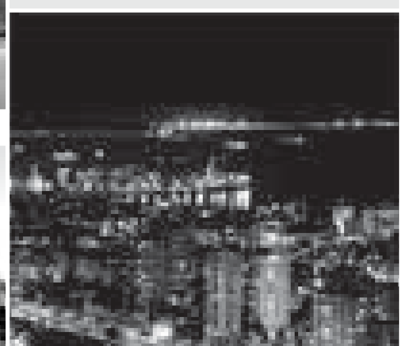

मूल्य

- अभिशासन
- सत्यनिष्ठा
- सम्मान
- प्रतिबद्धता
- उत्कृष्टता
- नवप्रवर्तन
- निष्ठा
- टीम कार्य

विद्युत

ट्रांसमिशन

उद्योग

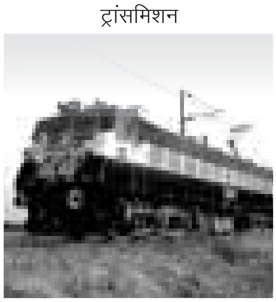
परिवहन

नवीकरणीय

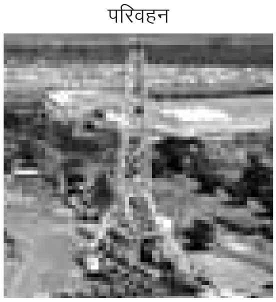
तेल एवं गैस

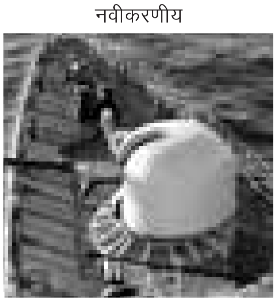
रक्षा

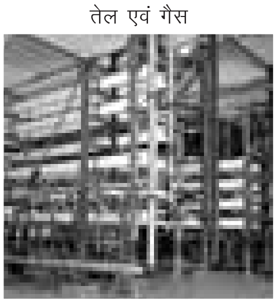
जल

विस्तृत विस्तार

पैन इंडिया

- 17 विनिर्माण इकाइयां
- 1 सहायक कंपनी
- 6 संयुक्त उद्यम
- 8 सेवा केंद्र
- 2 मरम्मत इकाइयां
- 150+परियोजना स्थलों पर एक साथ कार्यव्यवहार की अवसंरचना

वैश्विक उपस्थिति

- 1971 में मलेशिया से बायलरों (2x60 मेवा) के लिये पहला निर्यात आदेश
- त्रिपोली, लीबिया में पहली 120 मेवा बीटीजी एवं सब–स्टेशन इकाई, टर्नकी आधार पर, 1980 में चालू की
- 76 देशों में मौजूदगी
- 8 देशों में कार्यालय
- करीब 17,000 मेवा के विद्युत संयंत्री उपकरणों के ऑर्डर प्राप्त किए
- 20 देशों में फैली 28 परियोजनाओं का कार्यान्वयन

प्रतिष्ठित विशाल उद्यम

- एक भारतीय महारत्न कें.सा.क्षे.उ.
- भारत में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सेवारत है–
  - विद्युत
  - उद्योग

  पारेषण / परिवहन / तेल एवं गैस / नवीकरणीय / जल / रक्षा / औद्योगिक उत्पाद–वैद्युत एवं यांत्रिक
- कुछेक प्रमुख एकीकृत विद्युत संयंत्र उपकरण विनिर्माताओं में से एक
- 20,000 मेवा प्र.व. की विद्युत संयंत्र उपकरण विनिर्माण क्षमता
- भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 57% हिस्सा

तिहरा लाभप्रद निष्पादन

- 1971–72 से लाभ कमाने वाली कंपनी
- 1976–77 से लगातार लाभांश का भुगतान
- 1992 में शेयर बाजारों में अपने इक्विटी शेयर पहली बार सूचीबद्ध किये
- 2007 में बाज़ार पूंजीकरण ₹ 100,000 करोड़ को पार किया

- संयुक्त समिति, संयंत्र परिषद, शॉप परिषद के माध्यम से 1973 से भागीदारी प्रबंधन संस्कृति
- कुल कार्यपालकों में 55 प्रतिशत इंजीनियर और 47525 कर्मचारियों के बीच 5.6 प्रतिशत महिलाएं
- ''बीएचईएल का आहवान–सभी को दृष्टि'' के अधीन 63420 नेत्रदान शपथ

- संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते के प्रति वचनबद्ध
- एचपीबीपी तिरुचि–आंतरिक सिंचाई के लिये प्रयुक्त 100% शोधित ट्रेड एफ्ल्युएंट पानी का प्रयोग
- किफायती और पर्यावरणीय संधारणीय ऊर्जा प्रणालियों के विकास में सुविधाजनक उपकरण की कम जीवनचक्र लागत

नवप्रवर्तन

- अनुसंधान एवं विकास व्यय > कारोबार का 2.5% भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे अधिक
- प्रति दिन 1 पेटेंट/कापीराइट से अधिक फाईल करना
- कुल बौद्धिक पूंजीः 2589
- 14 उत्कृष्टता केंद्र
- कम–कार्बन उत्सर्जक प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय उपकरणों पर फ़ोकस

राष्ट्र निर्माण

- विद्युत संयंत्र उपकरण विनिर्माण में भारत की क्षमता का निर्माण
- कारोबार का 40% से अधिक मूल्य वर्द्धन के साथ स्वदेशीकरण पर फ़ोकस–भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग में सर्वाधिक में एक
- 148–जीडब्ल्यू–विद्युत संयंत्र उपकरण का स्थापित आधार
- 30000+एसी मशीनों की आपूर्ति–भारत का सबसे बड़ा विनिर्माता
- 85+मेगावाट–पीवी सैल्स, मॉडयूल्स और सिस्टम्स का संचयी लदान
- 360 लोको और 377 डीजल शंटर्स–भारतीय रेलवे और अन्य उद्योगों को आपूर्ति की गई
- 375+कम्प्रेशरों और 86+तेल ड्रिलिंग रिग्स की आपूर्ति
- 40+तेल रिग्स–नवीनीकरण और उन्नयन का काम पूरा

उल्लेखनीय उपलब्धियां

- 1964 में 'भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड' के तौर पर स्थापना
- 2012–13 में ₹ 50,000 करोड़ के कारोबार को पार किया
- पहली बार कमीशनिंगः 1984 में 500 मेगावाट, 2013 में 600 और 660 मेगावाट, 2014 में 800 मेगावाट (सिंको.)
- 2013 में 'महारत्न' का दर्ज़ा प्रदान किया गया
- 2014 में स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है

उत्कृष्टता
का सम्मान

विविध क्षेत्रों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए बीएचईएल और इसके कर्मचारियों ने वर्ष 2013–14 के दौरान कई पुरस्कार जीते है। इनमें कुछ उल्लेखनीय इस प्रकार हैं:

व्यवसाय उत्कृष्टता एवं उद्योग नेतृत्व

- कंपनी के निरंतर उच्च कार्यनिष्पादन की मान्यता में भारत के माननीय राष्ट्रपति से बीएचईएल को **महारत्न** दर्ज़े की ट्राफी प्रदान की गई

▼

- इंजीनियरी श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष के लिये **'एनडीटीवी प्रोफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2012'**

▼

- आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा वर्ष का उत्कृष्ट सा.क्षे.उ. होने के लिये **'आइमा मैनेजिंग इंडिया अवार्ड'** भारत के माननीय राष्ट्रपति ने प्रदान किया।
- गवर्नेंस नाउ द्वारा **'भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने के संबंध में ज्यूरी पुरस्कार'**
- भारी उद्योग श्रेणी में उत्कृष्टता के लिये **'दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड अवार्ड'**
- लगातार पांचवें वर्ष **'मोस्ट एफीशिएंट महारत्न पीएसयू डीएसआईजे अवार्ड 2013'**
- इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, भारत से विनिर्माण और प्रोसेसिंग श्रेणी में **'इंडस्ट्री एक्सिलेंस अवार्ड'**
- परियोजना निर्यात के उत्पाद समूह में **'स्टार परफार्मेंस फॉर 2012–13'** के लिए **'45वां ईईपीसी इंडिया अवार्ड'**
- उत्कृष्ट संरक्षा कार्यनिष्पादन की मान्यता के रूप में बीएचईएल ने दो **राष्ट्रीय संरक्षा पुरस्कार** जीते
- लगातार 8वें वर्ष के लिए **'लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार'**

नवप्रर्वतन

- इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा महारत्न और नवरत्न कें.सा.क्षे.उ. श्रेणी में **'अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी विकास और नवप्रर्वतन के लिए सा.क्षे.उ. उत्कृष्टता पुरस्कार 2013'**

▼

- पेटेंट्स में सर्वोच्च भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के लिए **'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2014'**
- अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, व्यय एवं नवाचार के प्रबंधन की मान्यता में **'इन्नोवेटिव मैनेजमेंट के लिये स्वर्ण मयूर पुरस्कार'**
- बीएचईएल के पेटेंट प्रणाली के उपयोग में मज़बूत संलग्नता और अनुसंधान एवं विकास में इसकी

उपलब्धियों के लिये **'नवप्रर्वतनकारी उद्यमों के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) पुरस्कार'**

▼

नेतृत्व

- श्री पी. के. बाजपेई, निदेशक (वित्त), बीएचईएल को **'बिजनेस टुडे बेस्ट सीएफओ ऑफ ए पीएसयू अवार्ड'** प्रदान किया गया (बड़ी कंपनियां)

▼

- श्री बी. प्रसाद राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीएचईएल को उनके उल्लेखनीय दृष्टिकोण और असाधारण नेतृत्व की मान्यता और प्रशंसा में प्रतिष्ठित एनआईटीआईई **'लक्ष्य बिजनेस विजनरी अवार्ड 2013'** से सम्मानित किया गया।

▼

- श्री आर. कृष्णनन, निदेशक (मा.सं.) बीएचईएल को भारत के पूर्व राष्ट्रपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने एनआईटी–तिरुची, संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के सिलसिले में, **प्रतिष्ठित एल्युमनस पुरस्कार** प्रदान किया।

▼

- श्री बी. प्रसाद राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को **'आईईटी उत्कृष्ट इंजीनियर पुरस्कार 2013'** प्रदान किया गया।
- बीएचईएल के दो कामगारों को वर्ष के दौरान **'प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2012'** प्रदान किया गया।
- वर्ष के दौरान बीएचईएल के 15 कामगारों को **'विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2011'** प्रदान किया गया।

▼

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

- हेल्पेज इंडिया ने बीएचईएल को इसके सीएसआर पहलों के तहत वंचितों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये पुरस्कार प्रदान किया।

निदेशकों की रिपोर्ट

20 निदेशकों की रिपोर्ट

27 अनुबंध–I
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

72 अनुबंध–II
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति हेतु प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

76 अनुबंध–III
संधारणीय विकास

83 अनुबंध–IV
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

89 अनुबंध–V
अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

94 अनुबंध–VI
कॉर्पोरेट अभिशासन

120 अनुबंध–VII
ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय

122 अनुबंध–VIII
सहायक कंपनी से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 212 के अनुरूप विवरण

123 अनुबंध–IX
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और प्रचालनों पर 50वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकगण अत्यंत प्रसन्न हैं।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

		वित्तीय वर्ष	
आंकड़े (₹ करोड़ में, प्रति शेयर आंकड़ों को छोड़कर)		**2013-14**	**2012-13**
क)	**कारोबार (सकल)**	40338	50156
ख)	प्रचालनों से राजस्व (निवल)	38389	47618
ग)	अन्य प्रचालन आय	720	807
घ)	प्रचालन व्यय	34595	39037
ङ)	**प्रचालन लाभ**	4514	9388
च)	जोड़ें: अन्य आय	1616	1122
छ)	**मूल्यह्रास, वित्त लागत एवं कर व्यय पूर्व लाभ**	6130	10510
ज)	घटाएं: मूल्यह्रास	983	953
झ)	घटाएं: वित्तीय लागतें	133	125
ट)	**कर पूर्व लाभ**	5014	9432
ठ)	घटाएं: कर व्यय		2817
ड)	**कर पश्चात लाभ**	3461	6615
ढ)	जोड़ें: विगत वर्ष से अग्रेनीत शेष	1102	1031
ण)	**विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष**	4563	7646
	i) समामेलन के अनुसार समायोजन	81	
	ii) लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	693	1323
	iii) कॉर्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश पर सहित)	118	221
	iv) सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित राशि	2500	5000
त)	**लाभ एवं हानि के विवरण में शेष**	1171	1102
थ)	प्रति शेयर अर्जन (₹)	14.14	27.03
द)	प्रति शेयर एनएवी (₹)	135.02	124.38

विद्युत परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों, जैसे ईंधन लिंकेज, धन की कमी, भूमि अधिग्रहण आदि के बावजूद, बीएचईएल ने वर्ष 2013–14 में ₹ 40338 करोड़ का कारोबार दर्ज़ किया। कंपनी का निवल मूल्य बढ़कर 8.55% हो गया है।

वर्ष 2012–13 के लिए बीएचईएल के कार्यनिष्पादन को भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुरूप ''बहुत अच्छा'' का दर्ज़ा दिया गया है। बीएचईएल को '2.49' का एमओयू संयुक्त स्कोर प्रदान किया गया है।

लाभांश

बोर्ड ने वर्ष 2013–14 के लिए 76 प्रतिशत (₹ 1.52 प्रति शेयर), ₹ 372.04 करोड़ के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष 2013–14 के लिए ₹ 489.52 करोड़ की शेयर पूंजी पर 65.5 प्रतिशत (₹ 1.31 प्रति शेयर), ₹ 320.64 करोड़ के अंतरिम लाभांश का पहले ही भुगतान किया जा चुका है। अतः वर्ष 2013–14 के लिए लाभांश का कुल भुगतान (लाभांश कर सहित) पिछले वर्ष में अदा किए गए ₹ 1323 करोड़ (₹ 5.41 प्रति शेयर) के मुकाबले ₹ 692.68 करोड़ (₹ 2.83 प्रति शेयर) है।

अंतिम प्रस्तावित लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश कर के लिए ₹ 63.23 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अंतरिम लाभांश पर ₹ 54.49 करोड़ के कॉर्पोरेट लाभांश कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

बीएचईएल के अ.प्र.नि., वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अंतरिम लाभांश का चैक तत्कालीन केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री को सौंपते हुए

प्राप्त आदेश

मंद परंतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वातावरण में प्रचालन के बावजूद, कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹ 28007 करोड़ मूल्य के आर्डर हासिल किए हैं। क्षेत्रवार बुक किए गए आर्डरों का विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2012-13
पावर सेक्टर	20433	25560
उद्योग क्षेत्र*	5007	4086
अंतर्राष्ट्रीय परिचालन	2567	2004
बुक किए गए कुल आर्डर	28007	31650
वर्ष के अंत में बकाया आर्डर बुक	101500	115100

*अंतर क्षेत्र बुक किए गए आर्डरों को घटाकर

तुलन पत्र तिथि के उपरांत घटित घटना

तुलन पत्र तिथि के उपरांत कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई।

निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है किः

(i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में समुचित व्याख्या के साथ –साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है:

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ–हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखा का समुचित रिकार्ड रखे जाने पर उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;

(iv) निदेशकों ने 'गोइंग कंसर्न' आधार पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किया है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट **परिशिष्ट–I** में दी गई है।

निदेशक मंडल

नियुक्ति

श्री अतुल सोबती को 01.12.2013 से निदेशक (पावर) का कार्यभार संभालने के लिए अतिरिक्त निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

भारी उद्योग विभाग के पत्र सं. 1(18)/2011-पीईएक्सआई, दिनांक 31.12.2013 के अनुरूप श्री बी. प्रसाद राव, सीएमडी का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति ने 01.01.2014 से दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा कर दिया है।

श्री एस. के. बाहरी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को 31.03.2014 से अंश–कालिक सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

सुश्री हरिन्दर हीरा को 08.05.2014 से अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67(iv) के अनुरूप श्री अतुल सोबती, श्री एस. के. बाहरी और सुश्री हरिन्दर हीरा कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक तक अपना निदेशक पद धारण करेंगे और बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र हैं।

सेवा समाप्ति

श्री त्रिम्बकदास एस. जंवर को 12.11.2013 से अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था, 11.11.2013 को उनका कार्यकाल पूरा होने पर वे कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

श्री अतुल सराया को 01.10.2009 से निदेशक (पावर) के तौर पर नियुक्त किया गया था, 30.11.2013 को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर वे 01.10.2009 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

सुश्री कुसुमजीत सिधु, आईएएस, पूर्व अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सचिव, लोक उद्यम विभाग के पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप 01.01.2014 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के तौर पर पदभार छोड़ दिया।

श्री एस. रवि को 10.03.2011 से अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था, 09.03.2014 को

उनका कार्यकाल पूरा होने पर वे कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

निदेशक मंडल ने श्री त्रिम्बकदास एस. जंवर, श्री अतुल सराया, सुश्री कुसुमजीत सिधू और श्री एस. रवि को उनके कार्यकाल के दौरान की गई महत्वपूर्ण सेवाओं तथा दिये गए परामर्श, मार्ग निर्देशन की प्रशंसा को अपने रिकार्ड में रखा है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 255 व 256 तथा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (i) के अनुसार सर्वश्री आर. कृष्णनन और डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर वार्षिक आम बैठक के चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने पर स्वयं की पुनःनियुक्ति हेतु प्रस्ताव करेंगे।

सूचीकरण करार के अनुच्छेद 49 IV (G) (i) के अनुपालन में, नियुक्त और पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति और उन कंपनियों, जिनमें वे निदेशक और निदेशक मंडल की समितियों में सदस्य रहे हैं, के नाम निदेशकों की रिर्पोट का भाग होकर अनुबंध–II में दिए गए हैं।

संधारणीय विकास

स्थायित्व की अवधारणा बीएचईएल के रोम–रोम में समाहित है जो इसके मिशन स्टेटमेंट ''ऊर्जा, उद्योग एवं अवसंरचना के क्षेत्रों में स्थाई व्यवसाय समाधन उपलब्ध कराने'' से साबित होती है। बीएचईएल अपनी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों, उत्पादों और सेवाओं में पर्यावरण अनुकूल कंपनी बनने तथा सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी संधारणीय व्यवसाय व्यवहारों को लागू करते हुए अपनी संगठनात्मक गतिविधियों में और अपने ग्राहकों के कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के भी प्रयास कर रही है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन, सामग्री और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, जल एवं जैव विविधता प्रबंधन और कार्बन प्रबंधन के क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाएं और कार्य संचालित किए जा रहे हैं।

बीएचईएल सदैव क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास तथा समाज के वंचित और जरुरतमंद वर्गों के उत्थान के उद्‌देश्य के साथ समावेशी विकास के जरिए समाज के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है।

2013–14 के दौरान, बीएचईएल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता गतिविधियों पर कर उपरांत लाभ का 1.64 प्रतिशत ख़र्च किया। कंपनी ने देश भर में सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और प्रतिभा उन्नयन/कौशल विकास जैसे विविध क्षेत्रों में परियोजनाएं संचालित करते हुए विभिन्न सामाजिक प्रयासों को समर्थन प्रदान किया है। आगे विवरण परिशिष्ट–III में दिया गया है।

सूचीकरण समझौते के अनुच्छेद 55 की अपेक्षा के अनुरूपा पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन परिप्रेक्ष्य से कंपनी द्वारा उठाये गए कदमों का विवरण देते हुए व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट सुझाये गए प्रपत्र में परिशिष्ट-IV पर संलग्न है।

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

बीएचईएल के उत्पाद और प्रणालियां प्रौद्योगिकी सघन हैं और इस प्रकार, बीएचईएल ने अपनी रणनीति के कार्यान्वयन और एक वैश्विक इंजीनियरी उद्यम बनने के अपने प्रयास को पूरा करने के लिए केंद्रीय संचालक के तौर पर अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास को लागू किया है। स्ट्राटैजिक योजना 2012–17 के भाग के तौर पर, कंपनी वैश्विक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए नये उत्पादों के विकास और वर्तमान उत्पादों के कार्यनिष्पादन में सुधार के वास्ते तथा रणनीतिक निर्देशन, पोर्टफोलियो प्रबंधन, साझेदारी एवं गठबंधन, ज्ञान प्रबंधन को शामिल करते हुए पांच दीर्घकालीन दृष्टिकोण के जरिए संरचित और केंद्रित तरीके से अपने अनुसंधान एवं विकास तथा नवप्रर्वतन में बदलाव कर रही है।

2013–14 के दौरान कंपनी का अनुसंधान एवं विकास पर व्यय ₹ 1114 करोड़ था जो कि पिछले वर्ष के लिए कारोबार के 2.49 प्रतिशत के मुकाबले 2.76 प्रतिशत था। इसमें ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों/डिज़ाइनों में बड़े सुधारों/संशोधनों पर किए गए अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यों का व्यय भी शामिल है जो कि अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के तहत नहीं आता है। इसी तरह कंपनी की आईपीआर पूंजी 2012–13 की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल 2589 हो गई है।

इसके अलावा उत्पाद विकास और इंजीनियरिंग में क्षमता वृद्धि के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश सघन किया जा रहा है। कंपनी अल्प–कार्बन पथ प्रौद्योगिकियों पर फ़ोकस के साथ हाल के वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं पर काम को जारी रखेगी जिसमें सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी का तीव्र स्वांगीकरण, उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी का विकास, आईजीसीसी प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण, कार्बन कैप्चर, सोलर (पीवी, थिन फिल्म, सीएसपी), 765/1200 केवी पारेषण प्रणाली, 765 केवी, ±800 केवी एचवीडीसी सिस्टम, उच्चतर रेटिंग होकोज, ईएमयू के लिए आईजीबीटी आधारित प्रणोदन प्रणालियां, मिशन मोड पर मेट्रो कोच शामिल हैं। आगे के विवरण अनुबंध-V में दिए गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी में राजभाषा के प्रचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरन्तर प्रयास किए गए। सभी इकाइयों और प्रभागों में राजभाषा अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता के लिए हिंदी प्रकोष्ठ हैं। वार्षिक कार्यक्रम 2013–14 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए नियमित आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अधीन 600 से अधिक गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कम्प्यूटर पर यूनिकोड हिंदी के इस्तेमाल के लिए भी सभी इकाइयों/प्रभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु 80 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिसमें 2000 से अधिक कर्मचारियों को शामिल किया गया। इसके अलावा, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की मदद से 2 अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस क्षेत्र में इकाइयों और प्रभागों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अंतर–इकाई राजभाषा योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अधीन 12 इकाइयों को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार दिये गए। दो कार्यपालकों को हिंदी पुस्तक पुरस्कार योजना के अधीन हिंदी पुस्तक के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।

कंपनी की सभी इकाइयों/प्रभागों, कॉर्पोरेट कार्यालय सहित, ने हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा/माह मनाया, जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन आयोजित किए गए।

कर्मचारियों के 12 बच्चों को जिन्होंने बोर्ड स्तर की परीक्षाओं में हिंदी विषय में बी–2 ग्रेड या ऊपर प्राप्त किया था, पुरस्कार प्रदान किए गए।

हमारी कंपनी विभिन्न शहरों में गठित की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इन समितियों के तत्वावधान में बहुत सी रोचक प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष बीएचईएल की 10 इकाइयों/प्रभागों को इस क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियों के लिए नराकास द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए।

सतर्कता

बीएचईएल के सतर्कता संगठन का प्रमुख मंत्रालय द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होता है। बीएचईएल की प्रमुख विनिर्माण इकाइयों/पावर सेक्टर क्षेत्र में वरिष्ठ सतर्कता कार्यपालक के नेतृत्व में सतर्कता ढांचा है जो मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करता है।

सभी वर्षों में निवारक सतर्कता बीएचईएल सतर्कता का फ़ोकस क्षेत्र बना रहा है। 2013–14 के दौरान प्रणालीगत सुधारों पर ज़ोर दिया गया। प्रणालीगत संचालित अध्ययन के आधार पर नीतियों/दिशानिर्देशों में शामिल करने के लिए प्रणाली सुधारों के संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए। तदनुसार वर्ष के दौरान नीतियों/दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया:

- क्रय नीति
- रिवर्स नीलामी दिशानिर्देश
- विक्रेताओं के साथ व्यापारिक गतिविधियों के निलंबन के लिए दिशानिर्देश
- विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया–एसईएआरपी, 2010' में संशोधन

17 सितम्बर, 2013 को बीएचईएल में आयोजित हिन्दी दिवस समारोह

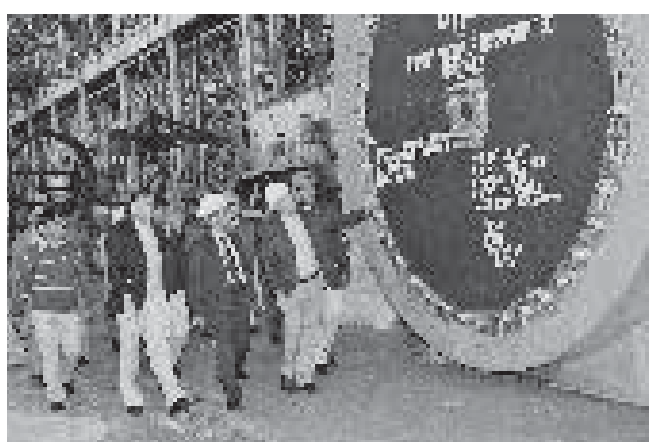

श्री अरविंद कुमार कादयान, सीवीओ, बीएचईएल हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट, हरिद्वार में

सुशासन के लिए सार्वजनिक जागरूकता एक महत्वपूर्ण अंग है। एक प्रबुद्ध कर्मचारी न केवल संगठन के लक्ष्य को हासिल करने में बल्कि प्रणालीगत सुधारों में भी योगदान कर सकता है। कंपनी की नीतियों, नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में कर्मचारियों को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न बीएचईएल इकाइयों और क्षेत्रों में 104 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संबद्ध कार्यपालकों के साथ, अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के प्रति उन्हें संवेदनशील करने के लिए विचार–विमर्श सत्रों का आयोजन किया गया।

बीएचईएल में ख़रीद प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु, वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुदेशों के विस्तार और मामले अध्ययनों को बांटने के लिए तिमाही ई–न्यूज़लैटर ''दिशा'' प्रकाशित की जा रही है।

बीएचईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय, विनिर्माण इकाइयों, पावर सेक्टर अंचलों और परियोजना स्थलों पर 28 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया। सतर्कता जागरूता सप्ताह मनाए जाने की शुरूआत कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाने के साथ हुई।

कॉर्पोरेट कार्यालय और इकाइयों/अंचलों में ''सुशासन को प्रोत्साहन–सतर्कता का सकारात्मक योगदान'' विषय पर विचार–विमर्श सत्रों/चर्चाओं का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आरटीआई, घोटाला जोखिम प्रबंधन से नैतिकता और मूल्यों आदि तक विभिन्न संगत विषयों पर विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विशेषज्ञों के भाषण और संपर्क कार्यक्रम भी पूरे संगठन में आयोजित किए गए।

2013–14 के दौरान, विशेष तौर पर उच्च मूल्य पैकेजों के लिए खुली निविदा मार्ग के जरिए प्रापण पर सतर्कता ज़ोर दिया गया। दर अनुबंधों से संबंधित निविदा शर्तों का अध्ययन किया गया और विक्रेताओं द्वारा व्यावसायी समूहन रोकने के लिए उपयुक्त शर्तें एवं निबंधन को शामिल किया गया। इसके अलावा उत्पादों की अंतिम गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ़ोकस क्षेत्र के तौर पर उप–अनुबंधित/आउटसोर्सड कार्यों में बीएचईएल टीएंडपी के उपयोग और गुणवत्ता निरीक्षण तथा इस्तेमाल को चुना गया।

कॉर्पोरेट सतर्कता दलों ने बीएचईएल की 6 सतर्कता इकाइयों का निरीक्षण किया। निष्कर्षों पर इकाई प्रबंधनों के साथ परस्पर संवाद सत्रों में विचार–विमर्श किया गया। कर्मचारियों पर बाज़ार में स्पर्धी बने रहने के लिए प्रापण से जुड़ी कार्रवाई करते समय अनुमान और मूल्य तार्किकता के पहलुओं पर फ़ोकस किए जाने पर ज़ोर दिया गया। परस्पर संवाद सत्रों नें बीएचईएल कर्मचारियों को एक मज़बूत, व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी संगठन के तौर पर प्रोत्साहित करने में सतर्कता की भूमिका की सराहना करने के प्रति सहायता की।

बीएचईएल प्रौद्योगिकी के लाभ से कंपनी के रोज़मर्रा के प्रचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ख़रीद संबंध मामलों, जैसे कि क्रय आदेशों की स्थिति और अनुबंधों, वेंडर पंजीकरण और साथ में उनकी वर्तमान स्थिति की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर डाली जाती है। इसके अलावा प्रापण के लिए ई–निविदा मार्ग को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा वेंडर्स के आमने–सामने होने में कमी लाने के लिए ई–भुगतान प्रणाली लागू की गई है।

संरक्षा एवं सुरक्षा

कार्य स्थल पर संरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की देखभाल के लिए फैक्ट्री में समर्पित संरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। श्रेष्ठ संभव सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय जैसे कि आवधिक स्वास्थ्य एवं संरक्षा जागरूकता अभियान, पहचान किए गए खतरनाक क्षेत्रों में 6 महीने में एक बार अभ्यास, पहचान की गई गतिविधियों के लिए रोजगार संरक्षा विश्लेषण, सामग्री हैंडलिंग उपकरणों का आवधिक अनुरक्षण और परीक्षण, भोजन एवं पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। अधिकतर विनिर्माण इकाइयों और अन्य संस्थाओं को पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों (आईएसओ 14001:2004) तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (ओएचएसएएस 18001:2007) से मान्यता प्रदान की गई है।

कंपनी का सुरक्षा तंत्र पर्याप्त है और प्रत्येक संयंत्र/इकाई को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। बहुत से संयंत्रों में सीसीटीवी और एसओपी की संस्थापना की गई है। प्रमुख संयंत्रों का समय–समय पर आसूचना ब्यूरो द्वारा सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है और उनके द्वारा जहां कहीं अतिरिक्त आवश्यकताओं का जिक्र किया गया है, संबंधित इकाइयों में तत्काल अनुपालन किया जाता हैं। कंपनी के प्रबंधन, सुरक्षा स्टाफ और कर्मचारियों को सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति संवदेनशील किया जाता है।

कम्प्यूटरों और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। इलेक्ट्रानिक्स विभाग, भारत सरकार (एसआरएसी) ने भी हमारे सॉफ्टवेयर सुरक्षा तंत्र का ऑडिट/समीक्षा की है और उनके सुझाव कार्यान्वित किए गए हैं।

कॉर्पोरेट अभिशासन

सूचीकरण करार के खंड 49 की अपेक्षा अनुसार निम्नलिखित के साथ कॉरपोरेट अभिशासन की विस्तृत रिपोर्ट अनुबंध–iv में दी गई है:

(i) सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र (खंड 49 (v) के अनुसार), और

(ii) कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र (खंड 49 (vii) के अनुसार)

अन्य प्रकटन

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय से संबंधित कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटन) नियम, 1998 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) (ड) के उपबंधों के अनुसार सूचना अनुबंध–vii में दी गई है।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अधीन जारी कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियम, 1975 में संशोधन करते हुए कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 289 (ई) दिनांक 31 मार्च, 2011 के अनुसार, सरकारी कंपनियों के लिए उन कर्मचारियों के विवरण शामिल करना आवश्यक नहीं है जो पूरे वित्तीय वर्ष में नियुक्ति के दौरान प्रति वर्ष ₹ 60 लाख या अधिक प्रति वर्ष वेतन प्राप्त कर रहे हैं, अथवा ₹ 5 लाख प्रति माह प्राप्त कर रहे हैं, यदि वित्तीय वर्ष के हिस्से में कार्यरत रहे हैं। कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण सूचना को निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। लेकिन ऐसे विवरण सदस्यों को वार्षिक आम बैठक के दौरान इस संबंध में विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर किसी भी सदस्य को उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 212 के अनुपालनार्थ सहायक कंपनी का विवरण अनुबंध–viii में दिया गया है।

लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। वर्ष 2013–14 के लिए नियुक्त लेखापरीक्षकों के नाम वार्षिक रिपोर्ट में अलग से मुद्रित हैं।

2013–14 के लिए नियुक्त किए गए लागत लेखापरीक्षकों का विवरण तथा लागत लेखापरीक्षा विवरण का मुद्रण वार्षिक रिपोर्ट में अलग से किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित बिंदुओं के उत्तर तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर अनुबंध–ix में दिए गए है।

आभार

निदेशक मंडल कंपनी के भारत और विदेश में मूल्यवान ग्राहकों और सम्मानित शेयरधारकों के प्रति कंपनी के प्रबंधन में उनके द्वारा व्यक्त विश्वास और प्रदान किए गए सहयोग के लिए हार्दिक सराहना करता है और भविष्य में आपस में सहयोगपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की आशा करता है।

निदेशक मंडल कंपनी के परिचालन और विकास संबंधी योजनाओं में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर भारी उद्योग विभाग से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, सांविधिक लेखापरीक्षकों, शाखा लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों का भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कंपनी सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों और आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निरंतर सहयोग और वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकरों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त करती है। अंत में निदेशक मंडल बीएचईएल परिवार के सभी सदस्यों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता है जिनके उत्साह, टीम प्रयासों, समर्पण और अपनेपन की भावना से इसे महान कंपनी होने का गर्व है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

बी. प्रसाद राव

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14 जुलाई, 2014

अनुबंध–I

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

1.1 आर्थिक और कारोबारी सिंहावलोकन

पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग समस्त विनिर्माण उद्योग की 'जननी' होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूंजीगत वस्तुओं (सीजी) का क्षेत्र औद्योगिक उपकरण, उत्पादों और कृषि, निर्माण और परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली सेवाओं के साथ ही साथ ऊर्जा और बिजली के उत्पादन, इमारत और संयंत्र का बुनियादी ढांचा और सामान्य विनिर्माण सहित बेहद वैविध्यपूर्ण है। इसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी समझा जाता है और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से घरेलू क्षमताओं का विकास इसके लिये सर्वोपरि है। भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग कुल विनिर्माण गतिविधि में 12 प्रतिशत (जो जीडीपी का करीब 15 प्रतिशत है) योगदान देती है।

पूंजीगत वस्तुओं की मांग कारोबारी विश्वास के उतार–चढ़ावों के प्रति संवेदनशील और आर्थिक परिवर्तन के साथ संबंधित है। निर्यात से निर्धारित होने वाला पूंजीगत वस्तुओं का वैश्विक उद्योग 2008 की आर्थिक मंदी के बाद से बुरी तरह प्रभावित है। भारत की अर्थव्यवस्था जो अब काफी हद विश्व के साथ एकीकृत हो चुकी है, उस पर वैश्विक और घरेलू कारकों का असर पड़ा है। विद्युत, तेल और गैस, धातुओं और सीमेंट जैसे पूंजीगत वस्तुओं के तकरीबन सभी प्रमुख ग्राहक कम क्षमताओं पर काम कर रहे हैं, पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग हाल के वर्षों से विनिर्माण क्षमता के कम इस्तेमाल, मूल्यों के दबाव और सिकुड़ती ऑर्डर बुक का सामना कर रहा है।

भारतीय आर्थिक विकास एवं सीजी उद्योग विकास

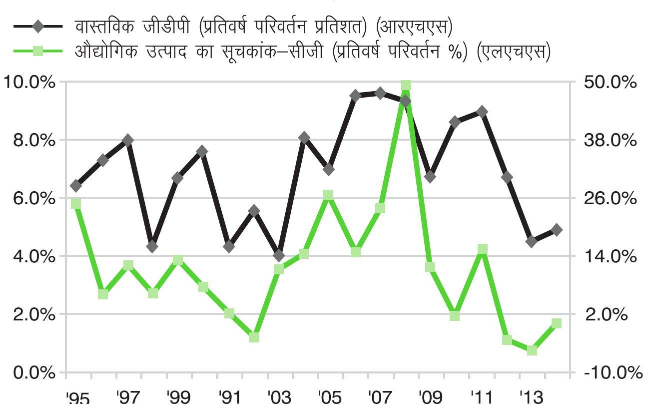

स्रोत : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

आज, वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन उसकी गति संकट के बाद की औसत से ज्यादा तेज है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, वर्तमान गणना के मुताबिक, वैश्विक वृद्धि दर वर्ष 2014 में 3½ प्रतिशत रहने की सम्भावना है, जो वर्ष 2013 से ½ प्रतिशत अधिक है। औद्योगिक उत्पादन और गैर–रिहायशी निर्माण जैसे प्रमुख उद्योग संकेतक वर्ष 2014 के दौरान वैश्विक पूंजीगत वस्तुओं की कम्पनियों की वृद्धि दर में कम बढ़ोत्तरी होने की ओर का इशारा कर रहे हैं। हालांकि अमरीका में अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए अपनायी गई मौद्रिक नीति में बड़े पैमाने पर की जा रही कमी, यूरो क्षेत्र में अपस्फीति की चिंताएं जारी रहने कमजोर बैलेंस शीट्स, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबाव जैसे नकारात्मक पहलुओं से वृद्धि की राह में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चीन में हाल के वर्षों के त्वरित ऋण की वजह से वृद्धि दर कमजोर पड़ने और वित्तीय कमजोरी से वैश्विक व्यापार और वृद्धि बड़े खतरे की कगार पर है।

अपेक्षित राजनीति स्थायित्व, सावधानीपूर्ण सकारात्मक कारोबारी भावनाओं, उपभोक्ताओं के बेहतर विश्वास, वृद्धि दर में मामूली सुधार और मुद्रास्फीति में कमी की सम्भावनाओं के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की सम्भावनाओं में सुधार हुआ है।

वास्तविक जीडीपी (प्रतिवर्ष परिवर्तन %)

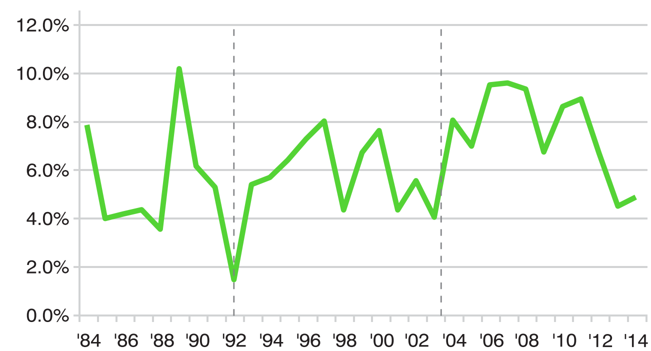

स्रोत : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

पिछले तीन दशकों में वास्तविक जीडीपी व्यवहार ने भारत में आर्थिक वृद्धि के आवर्ती व्यवहार को बल दिया है और इससे आने वाले समय में आर्थिक स्थिति में सुधार का उचित विश्वास उत्पन्न हुआ है।

आगे चलकर, भारत में शहरीकरण, बदलती जनसांख्यिकी, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और समावेशी विकास जैसे मूलभूत रूझान और ऊर्जा का दक्ष इस्तेमाल करने वाले उत्पादों और प्रक्रियाओं के प्रति वैश्विक अभियान से भारत में पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ाने में मददगार होंगे।

1.2 व्यवसाय खंडों की रूपरेखा एवं निष्पादन

1.2.1 पावर सेक्टर

अवसर

विद्युत की मांग मुख्य रूप से आर्थिक वृद्धि और बढ़ती जनसंख्या से निर्धारित होती है। आज, भारतीय अर्थव्यवस्था को सांकेतिक संदर्भ में दुनिया की दसवीं बड़ी अर्थव्यस्था और विद्युत खरीद समतुल्यता यानी पर्चेजिंग पावर पेरिटी के संदर्भ में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। चीन के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और पिछले 10 वर्षों से इसकी वृद्धि दर औसतन 7.5% बनी हुई है और वर्ष 2020 तक इसमें (सांकेतिक आधार पर) दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की सम्भावना विद्यमान है। विभिन्न अध्ययनों और अनुमानों के अनुसार, अगले दो दशकों में, अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर का मौजूदा आकार (पीपीपी) चार से पांच गुणा बढ़ने की सम्भावना है। एक अरब 21 करोड़ लोगों के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। दुनिया की आबादी के छठें से ज्यादा हिस्सा यहीं रहता है। 2025 तक भारत द्वारा चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाने का अनुमान है, वर्ष 2050 तक इसकी आबादी एक करोड़ 60 लाख तक पहुंच सकती है।

इसके अलावा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति बिजली की खपत से है। विकास के निचले स्तरों पर, जो भारत में वर्तमान में विद्यमान है, विद्युत के इस्तेमाल में थोड़ी सी वृद्धि होने से भी एचडीआई में बड़ी बढ़ोत्तरी हो जाती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत और साथ ही साथ मानव विकास के महत्व को बल मिलता है।

उपभोक्ताओं और साथ ही साथ उद्योगों की विद्युत की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए भारत सरकार ने देश में इसकी अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए विविध तरह की पहल की है। भारत का स्थापित क्षमता आधार 1947 में मात्र 1.3 गीगावॉट से बढ़कर

स्थापित उत्पादन क्षमता–ईंधन वार

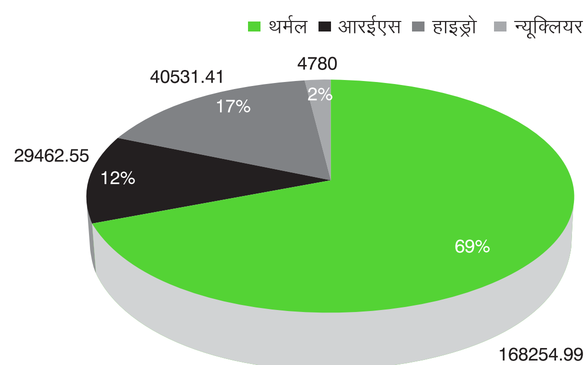

31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान, स्रोतः विद्युत मंत्रालय

स्थापित उत्पादन क्षमता–यूटिलिटी वार

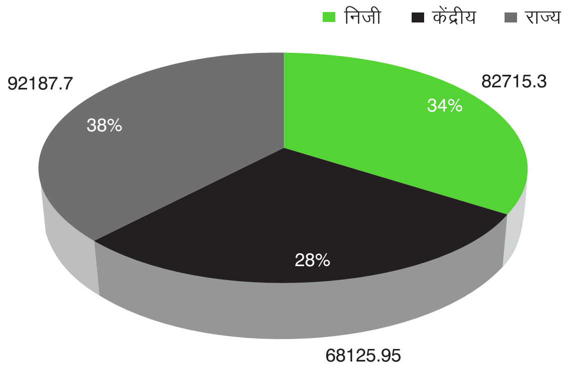

31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान
स्रोत : विद्युत मंत्रालय

मार्च 2014 में 243 गीगावॉट हो गया और वर्तमान उसके पास दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा पॉवर सिस्टम है। बिजली उत्पादन मुख्य रूप से तापीय (कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल), पानी, अक्षय (पवन,सौर आदि) और परमाणु स्रोतों से होता है।

पीक पॉवर और ऊर्जा दोनों के लिए बिजली की निरंतर कमी, देश में बिजली क्षेत्र के निष्पादन में सुधार लाने की जरूरत की ओर संकेत करती है। भारत में कई वर्षों से ज्यादा प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बिजली क्षेत्र के लिए सुधारों का दौर जारी है। हालांकि इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है, लेकिन बिजली की कमी और पहुंच में कमी भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में लगातार रुकावट बनी हुई है, जिसकी झलक अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की कम खपत में देखने को मिलती है।

11वीं योजना में, देश में उत्पादन क्षमता में 54,964 मेगावाट की वृद्धि हुई, जो 10वीं योजना के दौरान हुए 21,080 मेगावाट उत्पादन से 2.5 गुणा ज्यादा है। हालांकि भारत निरंतर ऊर्जा की कमी का सामना कर रहा है और 2012–13 के दौरान उसका कुल घाटा 8.7 प्रतिशत और पीक डेफिसिट समय में कटौती 9.0 प्रतिशत रही।

प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति विद्युत खपत (कि.वा), 2011

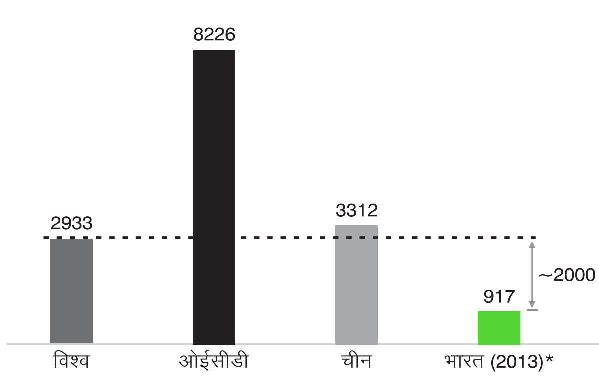

स्रोत : आईईए की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिसटिक्स; *सीईए 2013

विद्युत उत्पादन की वर्तमान अवस्था की स्थिति पर विचार करते हुए और 2035 तक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निरंतर 8.0 प्रतिशत बनाए रखने के लिए विविध एजेंसियों, जैसे–सीईए, आईईए, योजना आयोग और अन्य का अनुमान है कि भारत को बिजली उत्पादन में करीब 7 प्रतिशत सीएजीआर में परिवर्तित होने वाले वर्तमान स्तर के आधार पर अपनी प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति तीन से चार गुणा बढ़ाने की जरूरत है। यह विद्युत उत्पादन क्षमता में वर्तमान स्तरों से पर्याप्त वृद्धि किये जाने की जरूरत प्रस्तुत करता है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र: असीमित अवसर

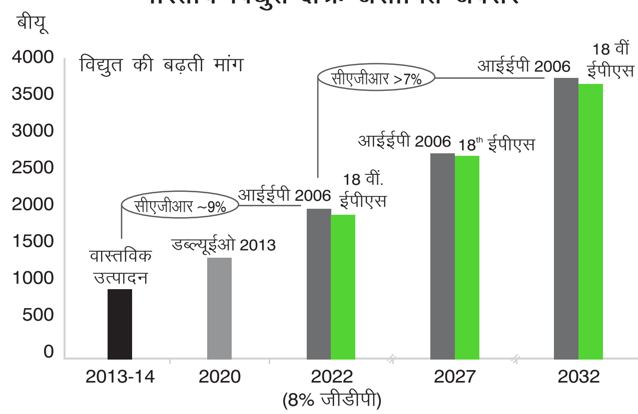

स्रोत एवं संक्षिप्त शब्द – डब्ल्यूईओ : विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण, आईईपी : एकीकृत ऊर्जा नीति, ईपीएस : विद्युत सर्वेक्षण

12वीं योजना (2012–17) में करीब 88,537 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इसमें 72,340 मेगावाट तापीय बिजली, 10,897 मेगावाट जलविद्युत और 5,300 मेगावाट परमाणु बिजली शामिल है। इसके अलावा, करीब 30,000 मेगावाट अतिरिक्त ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय क्षमता की परिकल्पना की गई है। इसमें पवन, लघु पन, बायोमास और सौर ऊर्जा शामिल है।

क्षमता विस्तार के अलावा, नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) कारोबार में अपार अवसर मौजूद हैं, क्योंकि भारत के

यूटिलिटी सेटों का आयु–वार विश्लेषण

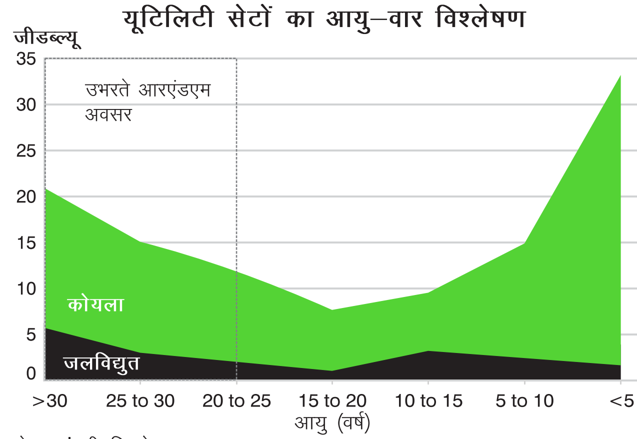

स्रोतः कंपनी विश्लेषण

22 प्रतिशत से ज्यादा कोयला आधारित बिजली संयंत्र 25 साल से अधिक पुराने हैं इसलिए उपकरणों के नियमित रखरखाव, आजीवन विस्तान और निष्पादन सुधार की जरूरत बढ़ती जा रही है।

वर्तमान व्यवसाय वातावरण

पावर सेक्टर इस समय प्रबल सार्वजनिक क्षेत्र के वातावरण से ज्यादा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में अपने विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव पर है, बहुत से निजी उत्पादक भी विभिन्न क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं और नियमों के अधीन में बाजारों पर निर्भरता बढ़ी है। भारत में नीति निर्माताओं का लक्ष्य देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ विभिन्न प्रकारों में वांछित गुणवत्ता वाली ऊर्जा उपयुक्त मात्रा में निरंतर और सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है।

पावर सेक्टर के निष्पादन में कई सकारात्मक विशेषताएं सामने आ रही हैं जिनमें खास तौर पर संयंत्र की कार्यकुशलता और विश्वसनीयता में सुधार लाने पर विशेष बल देते हुए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन में प्रगति के साथ ही साथ पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के अक्षय स्रोतों को बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि हाल के दौर में, पावर सेक्टर में ईंधन आपूर्ति, सरकारी वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति, भूमि अधिग्रहण और कानूनी मंजूरियों सहित कई बाधाएं हैं, जिनके परिणामस्वरूप कम परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है और कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रफ्तार मंद हुई है। गैस की उपलब्धता के मसलों ने गैस आधारित बिजली संयंत्रों की मांग को मंदा कर दिया है।

भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में वृद्धि को गति देने के लिए हाल ही में– पीएसयू को कोयला खंडों के आवंटन, कोयले के मूल्य में विविधताओं में 'पास थ्रू', बुनियादी ढांचे से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति के हस्तक्षेप से परियोजनाओं को जल्द मंजूरी दिलाने आदि जैसे कुछ कदम उठाएं हैं। इसके अलावा केंद्रीय/राज्य स्तरीय इकाइयों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) संबंधी सीईए के परामर्श की अवधि बढ़ाना बीएचईएल और घरेलू उद्योग के लिए सकारात्मक पहल है। उपरोक्त पहल, जारी परियोजनाओं के लिए सहायक साबित हुई है और नई परियोजनाओं को जल्द ही लाभ मिलने लगेगा।

भारत की 148 गीगावॉट की अपार सम्भावनाओं, जिनमें से अब तक सिर्फ 40 गीगावॉट ही पूर्ण हो चुकी है, पर विचार करते हुए जल क्षेत्र अभूतपूर्व स्तरों पर बढ़ने को तैयार है। परमाणु कारोबार प्रमुख रूप से सरकारी नीतियों, सार्वजनिक धारणाओं और वैश्विक गतिशीलता द्वारा संचालित होता है। भारत सरकार का बड़े पैमाने पर परमाणु पार्क्स विकसित करने, विश्वस्तरीय प्रमुख परमाणु कम्पनियों के साथ विविध स्थलों तक प्रसार करने का प्रस्ताव है। बीएचईएल सहित विविध भारतीय कम्पनियों ने परमाणु संयंत्र के महत्वपूर्ण उपकरण आपूर्ति करने में योगदान दिया है।

प्रस्ताव

बीएचईएल शुरू से अंत तक की प्रणालियां, उत्पाद और अभियांत्रिकी, तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना और उन्हें शुरू कराने के लिए भाप वाले टर्बाइन्स, जेनरेटर्स, बॉयलर्स और 660/700/800 मेगावाट रेंटिंग्स के सुपरक्रिटिकल सैट्स आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक सहित 1000 मेगावाट रेंटिंग्स तक की संबंधित सहायक वस्तुओं की आपूर्ति करता है। बीएचईएल ने अभियांत्रिकी, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के आधार पर तापीय विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने और 660/700/800 मेगावाट रेंटिंग्स के सुपरक्रिटिकल सैट्स सहित ईपीसी के आधार पर अनेक प्रतिष्ठित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की क्षमताएं साबित की है। भारत में उपलब्ध लिग्नाइट भंडार का इस्तेमाल करने के लिए बीएचईएल तापीय संयंत्रों के लिए सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज्ड बैड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर्स की भी आपूर्ति करता है। बीएचईएल दुनिया भर की कुछ गिनी–चुनी कम्पनियों में से है, जो इंटीग्रेटिड गैसिफिकेशन कम्बाइंड साइकल (आईजीसीसी) टैक्नॉलोजी के विकास में संलग्न है, जिससे स्वच्छ कोयला टैक्नॉलोजी शुरू की जाएगी।

कम्पनी 220/235/500/540/700 मेगावाट, परमाणु टर्बाइन – जेनरेटर सेट्स का निर्माण करती है और वह ज्यादा रेटिंग वाले परमाणु सेट्स बनाने को तैयार है। बीएचईएल द्वाराकप्लान, फ्रांसिज और पेल्टन प्रकार के विशेष रूप से निर्मित हाइड्रो टर्बाइन्स और उनसे अनुरूप जेनरेटर्स, पम्प टर्बाइन्स और उनके अनुरूप 300 मेगावाट्स क्षमता तक मोटर जेनरेटर्स का निर्माण किया जाता है।

कम्पनी संयंत्रों के अवयवों के आंकलन, खामियों का पता लगाने और सयंत्रों का जीवन काल बढ़ाने के अलावा विद्युत संयंत्र के विविध उपकरणों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और संयंत्र निष्पादन सुधार में भी अपनी विशेषज्ञता साबित कर चुकी है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

ऑर्डर बुकिंग

पावर सेक्टर में सिकुड़ते बाजार और अत्याधिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद बाजार में 72 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ 20,433 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जबकि पिछले पांच वर्षों में बाजार हिस्सेदारी का औसत 63 प्रतिशत था। इससे भारतीय विद्युत क्षेत्र में बीएचईएल का नेतृत्व मजबूत हुआ है। इन ऑडरों में सुपर–क्रिटिकल सेट्स के लिए 3 टर्बाइन्स और जेनरेटर्स (टीजी) और 5 स्टीम जेनरेटर्स (एसजी), सुपर–क्रिटिकल टैक्नोलॉजी के ऑडरों की संख्या बढ़कर 27 टीजी और 32 एसजी हो गई है इस प्रकार इस खण्ड में बीएचईएल का नेतृत्व मजबूत हुआ है।

बुक होने वाले प्रमुख ऑर्डर

विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोगिता ऑर्डर प्राप्त हुए

तापीय

सुपर–क्रिटिकल रेटिंग्स

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से

- 3x660 मेगावाट एनटीपीसी/उत्तरी करणपुरा (ईपीसी)
- 2x800 मेगावाट एनटीपीसी/दार्लिपल्ली (एसजी पैकेज)
- 2x800 मेगावाट एनटीपीसी/लारा (ईएसपी पैकेज)
- 2x800 मेगावाट एनटीपीसी/गदरवारा (ईएसपी पैकेज)

सब–क्रिटिकल रेटिंग्स

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से

- 2x500 मेगावाट एनएलसी/नवेली न्यू टीपीएस (एसजी पैकेज)
- 2x500 मेगावाट एनएलसी/नवेली न्यू टीपीएस (टीजी पैकेज)

बातचीत के माध्यम से (500 मेगावाट)

- 1x500 मेगावाट एनबीपीपीएल/अंचाहार एसटीजी–4 (बीटीजी–इलेक्ट्रिक्स)

हाइड्रो

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से (326 मेगावाट)

- 6x33+1x8 मेगावाट पीएसपीसीएल/शाहपुर खंडी एचईपी (ईएंडएम पैकेज)
- 2x60 मेगावाट यूजेवीएनएल/व्यासी एचईपी (ईएंडएम पैकेज)

3x660 मेगावाट एनटीपीसी उत्तरी करणपुरा में एसटीपीपी चरण–1 के लिए समझौते पर हस्ताक्षर

स्पेयर्स एवं सेवा समूह ने वर्षवार 19 प्रतिशत वर्षवार वृद्धि दर्ज करते हुए कुल मिलाकर ₹ 3,433 करोड़ के सर्वाधिक ऑर्डर्स बुक किये, इनमें ₹ 2,538 करोड़ बिक्री के बाद सेवा तथा ₹ 895 करोड़ नवीकरण और रखरखाव के कार्य के लिए हैं। बीएचईएल ने वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली (आईसीबी) के माध्यम से 1x210 मेगावाट एमएसपीजीसीएल कोरादी टीपीएस का अकेला ऑर्डर प्राप्त किया। बीएचईएल ने 210 मेगावाट एलएमजेड को बढ़ाकर 228 मेगावाट करने के लिए पहली बार आंतरिक प्रौद्योगिकी की पेशकश की। कुल मिलाकर 443 करोड़ के ये ऑर्डर्स एनटीपीसी सिंगरौली एसटीपीएस और ऊंचाहार एसटीपीएस के लिए ईएसपी रेट्रोफिट हेतु आईसीबी निविदा के जरिये प्राप्त हुए।

चालू की गई परियोजनाएं

बीएचईएल ने परियोजना कार्यान्वित करने की दिशा में अच्छी रफ्तार बरकरार रखी। वर्ष के दौरान सर्वाधिक 13,452 मेगावाट की विद्युत परियोजनाएं चालू की गईं : देश में 11,266 मेगावाट यूटिलिटी सेट्स, 1,698 मेगावाट केप्टिव सेट्स/औद्योगिक सेट्स और विदेशी बाजारों के लिए 488 मेगावाट।

कमीशनिंग/सिंक्रोनाइजेशन (मेगावाट)

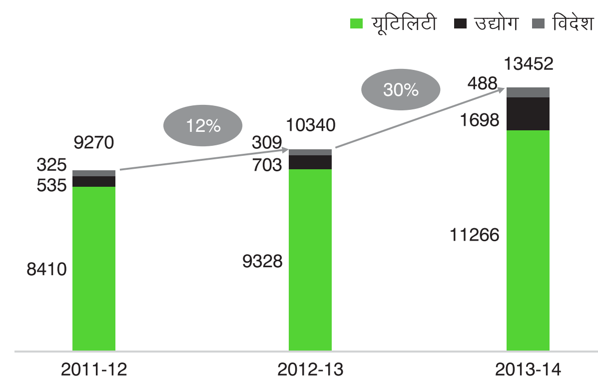

यूटिलिटी क्षमता विस्तार + सिंक्रोनाइजेशन (मेगावाट) (क्षमता विस्तार)

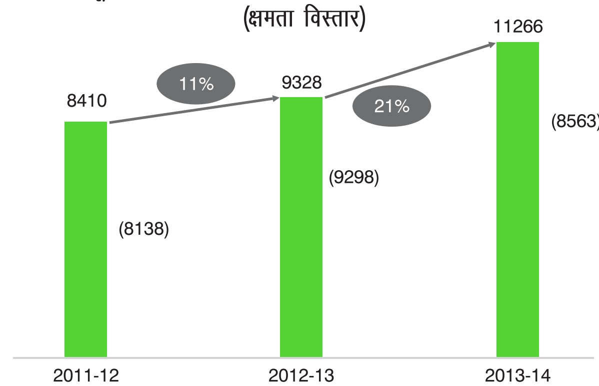

स्रोतः कम्पनी विश्लेषण

वर्ष के दौरान, बीएचईएल के कदमों का 382 कोयला आधारित सेट्स (490/500/525/600 मेगावाट रेटिंग सहित) तक विस्तार कर अनुभव और कार्यान्वयन क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए भारत में स्थापित 28 यूटिलिटी सेट्स, 389 हाइड्रो यूटिलिटी सेट्स और 97 गैस आधारित सेट्स चालू किये गये। हाइड्रो यूटिलिटी खंड में–641 मेगावाट/9 सेट्स क्षमता जोड़ी गई, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक है।

12वीं योजना के शुरूआती दो वर्षों में बीएचईएल एमओपी द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 43 प्रतिशत प्राप्त कर चुका था।

इसके साथ ही, भारत में बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किये जाने

वाले यूटिलिटी सेट्स की स्थापित क्षमता 1,24,064 मेगावाट तक पहुंच गई और कोयला, गैस, डीजल, हाइड्रो और परमाणु सेट्स सहित देश की 2,18,861 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता में कम्पनी की सर्वाधिक 57 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। हालांकि थर्मल यूटिलिटी सेट्स (कोयला आधारित) से कुल उत्पादित 746 बीयू के 65 प्रतिशत हिस्से में बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किये गये सेट्स का योगदान रहा, जिसने बीएचईएल सेट्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रमाणित किया।

स्थापित क्षमता–यूटिलिटी*
2,18,861 मेगावाट (31.03.14)

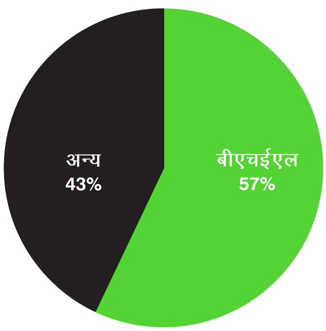

*कोयला, गैस एवं सीसीपी, डीजल एवं हाइड्रो

उत्पादन–यूटिलिटी**
746 बीयू (2013-14)

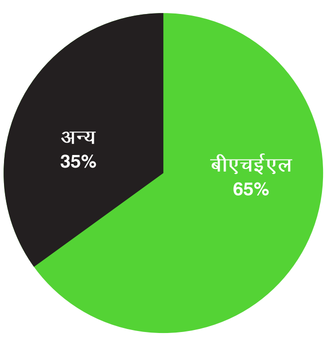

**कोयला, स्रोत : सीईए, कंपनी विश्लेषण

प्रथम उपलब्धि

- एनटीपीसी बाढ़ चरण–II में 660 मेगावाट रेटिंग वाला बीएचईएल का प्रथम सुपर क्रिटिकल सेट चालू किया गया
- भारत में पहली बार स्वदेशी तकनीक से निर्मित 80 मेगावाट क्षमता का बॉयलर कृष्णापत्तनम का (बीएचईएल स्कोप–बॉयलर पैकेज) सिंक्रोनाइजेशन किया गया।
- कुडनकुलम–I में भारत का प्रथम 1000 मेगावाट क्षमता का परमाणु सेट बीएचईएल द्वारा (बीएचईएल स्कोप–टीजीई एंड सी) सिंक्रोनाइजेशन किया गया

परियोजनाएं जल्द चालू करने के मानदंड स्थापित करना

- जेपीएल रायगढ़ : 2 (600 मेगावाट) बॉयलर के इरेक्शन के 683 दिनों के भीतर सिंक्रोनाइज किया गया–जो एक नया रिकॉर्ड है।
- देश में स्वदेशी तकनीक से निर्मित 600 मेगावाट सेट (2012–13/1 सेट, 2013–14/9 सेट कमीशंड/सिंक्रोनाइज) स्थापित किया गया। 600 मेगावाट की चार इकाइयों पांच महीने में ही सिंक्रोनाइज किया गया।
- आईपीएल अमरावती : 1–सभी पैकेजिस (बॉयलर, टीजी, मिल एवं ईएसपी) के लिए पीजी टेस्ट 13 दिन के भीतर सम्पन्न हुए
- वेल्लूर–III, परबती चरण–III (II एवं III) तथा रामपुर–II एवं III का विस्तार सिंक्रोनाइजेशन के दिन ही हासिल कर ली गई।

वर्ष के दौरान चालू किए गए यूटिलिटी सेट्स

वर्ष के दौरान बीएचईएल द्वारा घरेलू बाजार में कुल 8,563 मेगावाट के 28 सेट्स चालू किए गए।

बीएचईएल का 660 मेगावाट रेटिंग का प्रथम सुपरक्रिटिकल सेट, जिसे एनटीपीसी बाढ़ चरण–II में कमीशन किया गया

भारत का प्रथम स्वदेशी रुस में निर्मित 800 मेगावाट का बॉयलर, जिसे कृष्णापट्टनम में सिंक्रोनाइज किया गया।

परियोजनाएं	मेगावाट	राज्य	परियोजनाएं	मेगावाट	राज्य
कोयला : 15 सेट्स/7050 मेगावाट					
उत्तर चेन्नई 1	600	तमिलनाडु	नासिक 1	270	महाराष्ट्र
छाबरा 3	250	राजस्थान	वेल्लूर 3	500	तमिलनाडु
रिहंद 6	500	उत्तर प्रदेश	जेपीएल रायगढ़ 1	600	छत्तीसगढ़
श्री सिंगाजी 1	600	मध्य प्रदेश	मारवा 1	500	छत्तीसगढ़
बाढ़ एसटीजी II 4	660	बिहार	जेपीएल रायगढ़ 2	600	छत्तीसगढ़
सतपुड़ा 11	250	मध्य प्रदेश	दुर्गापुर 8	250	पश्चिम बंगाल
अमरावती 2	270	महाराष्ट्र	अवंथा भंडार 1	600	छत्तीसगढ़
जंजगीर चम्पा 1	600	छत्तीसगढ़			
गैस : सेट्स 4/872 मेगावाट					
प्रगति जीटी 4	250	दिल्ली	पीपावॉव मॉड्यूल 1	351	गुजरात
रोखिया 9	21	त्रिपुरा	प्रगति एसटीजी 2	250	दिल्ली
हाइड्रो : 9 सेट्स/641 मेगावाट					
निमू बाजगो 1	15	जम्मू कश्मीर	पारबती अवस्था III 3	130	हिमाचल प्रदेश
निमू बाजगो 2	15	जम्मू कश्मीर	रामपुर 1	68.67	हिमाचल प्रदेश
निमू बाजगो 3	15	जम्मू कश्मीर	रामपुर 2	68.67	हिमाचल प्रदेश
परबती चरण–III 1	130	हिमाचल प्रदेश	रामपुर 3	68.67	हिमाचल प्रदेश
परबती चरण–III 2	130	हिमाचल प्रदेश			

वर्ष के दौरान बीएचईएल द्वारा विदेश में चालू किए गए सेट्स : सेट्स 5/488 मेगावाट

परियोजना	मेगावाट	परियोजना	मेगावाट
फिन्चा, इथियोपिया 2	12	नामचेन वियतनाम 2	100
कोस्ती, सूडान एसटीजी 1	125	कोस्ती, सूडान एसटीजी 2	125
बेलारूस	126		

उपकरणों का प्रदर्शन

ऐसे संयंत्र जिनमें बीएचईएल की ओर से आपूर्ति किये गये उपकरण लगाये गये हैं, उनका प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ), संचालन उपलब्धता (ओए) और उनके अनुपयोग (आउटेज) में मानदंड के अनुरूप प्रदर्शन जारी है।

बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए कोयला आधारित 166 सेट्स ने 70 प्रतिशत से ज्यादा पीएलएफ हासिल किया। इनमें से, 36 सेटों ने 90 प्रतिशत से ज्यादा पीएलएफ और 73 सेट्स ने 80 से 90 प्रतिशत के बीच पीएलएफ दर्ज कराया।

बीएचईएल के कोयला आधारित 175 सेट्स ने 90 प्रतिशत से ज्यादा ओए हासिल किया। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए कोयला आधारित 173 सेट्स ने वर्ष के दौरान 90 दिन तक बिना किसी रुकावट के कार्य किया, जिनमें से 32 सेट्स ने लगातार 200 से ज्यादा दिन और 45 सेट्स ने 90 से ज्यादा

कुडनकुलम–I में भारत का पहला 1000 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लीयर सेट, जिसे बीएचईएल ने सिंक्रोनाइज किया

प्लांट लोड फैक्टर (कोयला आधारित सेट)

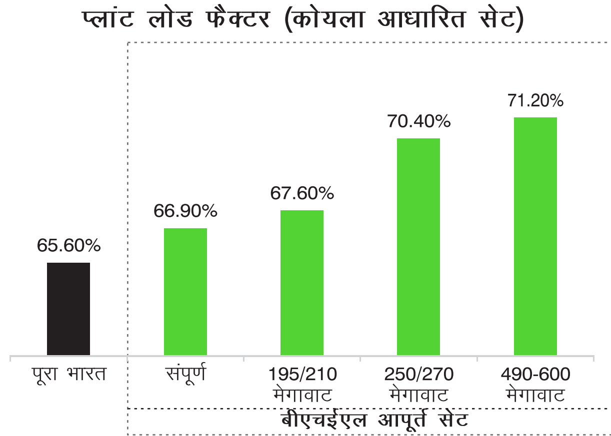

स्रोत : सीईए, कंपनी विश्लेषण

दिन लगातार दो बार कार्य किया। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किये गये परमाणु सेट्स ने वर्ष 2013–14 में 88.6 प्रतिशत ओए और 81.5 प्रतिशत पीएलएफ दर्ज किया। 12 सेट्स ने 90 ज्यादा दिन तक तक बिना किसी रुकावट के कार्य किया।

बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों वाले तापीय विद्युत संयंत्रों ने दर्ज की –

90 प्रतिशत से ज्यादा पीएलएफ : बज बज, दहानु, सिंगरौली, रायगढ़, टांडा, अमरकंटक–एक्सटेंशन, कोरबा एनटीपीसी

80 से 90 प्रतिशत पीएलएफ : मैत्तूर, विंध्याचल, रामागुंडम, कोटा, विजयवाड़ा–500, ऊंचाहार, नवेली एमसी–II, तूतीकोरिन, भिलाई, भटिंडा, सीईएससी, दादरी, हारदुआगंज, सिम्हाद्री, रिहंद, तालचर–एनटीपीसी, विजयवाड़ा–210

बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों वाले कोरबा एसटीपीएस ने 90 प्रतिशत से ज्यादा पीएलएफ दर्ज किया।

ग्राहकों पर ध्यान

बीएचईएल ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुगम बनाने और संयंत्रों को कामकाज करने योग्य अच्छी स्थिति में रखने के लक्ष्य के साथ अपने ग्राहकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता सुदृढ़ की है। वर्ष के दौरान बीएचईएल ने 141 सेट्स की मरम्मत की, इनमें बीएचईएल और गैर–बीएचईएल सेट्स शामिल थे।

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण

निम्नलिखित इकाइयों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और सुधार की दिशा में बीएचईएल के समर्पित प्रयासों की बदौलत, इनमें पूर्ण लोड प्राप्त किया जा सका। स्थापना के 25 वर्ष बाद भी नवीकरण करना–बीएचईएल के उत्पाद एवं उत्कृष्ट सेवा का प्रमाण है।

- मुजफ्फरपुर इकाई–1 (110 मेगावाट) : यह इकाई स्थापना के 25 वर्ष बाद भी निर्धारित क्षमता से 113 मेगावाट से ज्यादा पर संचालित की जा सकी
- ओबरा इकाई–9 (210 मेगावाट) : सुधार कर 216 मेगावाट की गई
  - भारत में किसी 200 मेगावाट क्लास मशीन के सफल आधुनिकीकरण एवं सुधार की पहली घटना है, बीएचईएल ने स्थापना के 34 वर्ष बाद भी इकाई को 221 मेगावाट पर संचालन प्रदर्शित किया।
- यूजेवीएनएल की मनेरी भाली एचईपी इकाई–2 (76 मेगावाट) और शानान–एचईपी इकाई–5, पीएसपीसीएल (50 मेगावाट्स) : पुनर्वास एवं मरम्मत का प्रमुख कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।
- भटिंडा इकाई–3 (110 मेगावाट) : बीएचईएल ने पीजी टेस्ट में 87.5 प्रतिशत गारंटी के विरूद्ध 88.55 प्रतिशत बॉयलर कार्यकुशलता हासिल करके अनुबंधीय दायित्वों से बढ़कर कार्य किया
- बीपीएससीएल बोकारो इकाई–2 : गैर–बीएचईएल रूसी बॉयलर की मरम्मत

मौके पर मरम्मत

बीएचईएल ने मौके पर मरम्मत करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की है, इसलिये वह ऐसी मरम्मत पर लगने वाले समय और लागत की बचत कर सकी। कुछ ऐसी मरम्मते निम्नलिखित हैं:

- जीजीएसएसटीपी, रोपड़ में इकाई–1 और इकाई–2 में एलपी रोटर के ऑयल गॉर्ड हिस्से की मशीनिंग। इसी तरह की मशीनिंग हाइड्रोजन सील क्षेत्र के 'जेनरेटर रोटर' में की गई।
- कोलाघाट टीपीएस, 210 मेगावाट (एलएमडब्ल्यू डिजाइन) में ''रोटर ब्लेड श्राउड मशीनिंग''
- कंटी/केबीयूएनएल में सभी कट मशीन्स द्वारा मिल संघटकों का सुधार/बदलाव

अवशेष जीवन आकलन (आरएलए) व्यवसाय

ग्राहकों को आरएलए सेवाएं मुहैया करने पर बल देना जारी है। वर्ष के दौरान आरएलए के कुल 6 कार्य पूरे किये गये।

स्थल	मेगावाट	आरएलए अध्ययन
डीवीसी–मेजिया 2 एवं 3	210 मेगावाट	बॉयलर
आरआईएनएल–विजाग 5	67.5 मेगावाट	टर्बाइन एवं बॉयलर का टर्बो ब्लोअर
जेएसडब्ल्यू–तोर्नागालु 2	130 मेगावाट	टीजी सेट
टीएएनजीईडीसीओ–मैत्तूर टीपीएस 3	210 मेगावाट	टीजी संघटक
एमएएचएजीईएनसीओ–खपरखेड़ा 1	210 मेगावाट	जेनरेटर

उत्कृष्टता के लिए आभार एवं सराहना

कई मामलों में, चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले पूर्ण करने के लिए बीएचईएल द्वारा किये गये प्रयासों, उसके उपकरणों के प्रदर्शन, निर्माण/चालू करने साथ ही

साथ एसएएस गतिविधियों के क्षेत्र में वर्तमान प्रणालियों में सुधार की हमारे बहुमूल्य ग्राहकों ने सराहना की है। उन्होंने इसके लिए सराहना पत्र भेजकर प्रशंसा की है।

विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त कुछ सराहना पत्र निम्नलिखित हैं:

चालू करना

- एनटीईसीएल वेल्लूर–3 (500 मेगावाट) में सफलतापूर्वक पूर्ण लोड हासिल करने पर
- एनपीसीआईएल कुडनकुलम–1 : भारत के प्रथम 1000 मेगावाट परमाणु सेट के सफल तालमेल के लिए

ओवरहालिंग

- सीएसपीजीसीएल कोरबा–1 (250 मेगावाट) में एलपी टर्बाइन एवं जेनरेटर की मरम्मत के साथ एचपी–आईपी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक बदलने पर
- ओपीजीसीएल आईबी थर्मल–2 (210 मेगावाट) पर निर्धारित समय से पहले ईएसपी की सफलतापूर्वक मरम्मत के लिए
- एनएसपीसीएल एनएसपीसीएल, भिलाई में पीपी–II में 14 मेगावाट जेनरेटर की मरम्मत और उसे चालू करने के लिए

अन्य

- जेपीएल जेपीएल–रायगढ़ इकाई–1 (250 मेगावाट) में एलपी टर्बाइन एवं जेनरेटर की व्यापक मरम्मत के बाद मशीन को अग्रिम तौर पर दोबारा काम करने लायक बनाने
- सीएसपीजीसीएल–एचटीपीएस कोरबा पश्चिम बंगाल इकाई–1 210 मेगावाट : वार्षिक ओ/एच शैड्यूल के दायरे में टॉप बार बदलने का उत्कृष्ट कार्य
- अरावली पॉवर (एपीसीपीएल) आईजीएसटीपीपी, झज्जर (500 मेगावाट) में इकाई–2 के जेनरेटर की आर–फेज़ बुशिंग से हाईड्रोजन रिसाव को रोकने में सहायता करने के लिए
- आरआरवीयूएनएल सूरतगढ़–2 में टर्बाइन खराबी की सफलतापूर्वक सुधार के लिए
- यूपीआरवीयूएनएल–अनपारा–1 (500 मेगावाट) में हाई क्रॉनिक वाइब्रेशन की सफलतापूर्वक सुधार के लिए

काकड़पार परमाणु विद्युत स्टेशन (440 मेगावाट) की उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए नेशनल गोल्ड अवार्ड (2012–13) दिया गया।

बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किये गये सेट्स से युक्त कई बिजली घरों ने विभिन्न श्रेणियों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से **'उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार'** प्राप्त किये हैं।

- 2012–13 के दौरान प्रदर्शन के लिए: पुरस्कृत होने वाले 13 में से 11 बिजली घरों में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बीएचईएल द्वारा निर्मित सेट्स लगे थे।

पुरस्कार श्रेणी	2012–13 में प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत होने वाले स्टेशन
स्वर्ण	तोरंगाल्लू टीपीएस (260 मेगावाट), काकड़ापार परमाणु विद्युत स्टेशन (440 मेगावाट)
रजत*	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (180 मेगावाट) *रामागुंडम टीपीएस (2600 मेगावाट) *नापथा झाकरी (1500 मेगावाट) (हाइड्रो)
कांस्य*	दहानु टीपीएस (250 मेगावाट), कोरबा टीपीएस (2600 मेगावाट), पोंग एचईपी (396 मेगावाट)
सांत्वना	*भटिंडा (एलएम) (920 मेगावाट) *राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन) (1180 मेगावाट) *तारापुर परमाणु विद्युत स्टेशन) (1400 मेगावाट)

- 2011–12 के दौरान प्रदर्शन के लिए: पुरस्कृत होने वाले 13 में से 12 विद्युत स्टेशनों में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बीएचईएल द्वारा निर्मित सेट्स से लगे थे।

पुरस्कार श्रेणी	2011–12 में प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत होने वाले स्टेशन
स्वर्ण	तोरंगाल्लू टीपीएस (260 मेगावाट), काकड़ापार परमाणु विद्युत स्टेशन (440 मेगावाट)
रजत*	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (180 मेगावाट) (गैस) दहानु टीपीएस (500 मेगावाट) पोंग एचईपी (396 मेगावाट)
कांस्य*	विंध्याचल टीपीएस (3260 मेगावाट) *रामागुंडम टीपीएस (2600 मेगावाट) दादरी एसटीपीएस (1820 मेगावाट) *नापथा झाकरी (1500 मेगावाट) (हाइड्रो)
सांत्वना	*भटिंडा (एलएम) (920 मेगावाट) *राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन) (1180 मेगावाट) *तारापुर परमाणु विद्युत स्टेशन) (1400 मेगावाट)

(*) बीएचईएल+ गैर बीएचईएल सेट्स

विकास की तैयारी

बीएचईएल ने कठिनाई भरे दौर में भी भारतीय पावर सेक्टर में अपनी अग्रणी भूमिका सफलतापूर्वक बरकरार रखी है। कम्पनी ने

नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन (1500 मेगावाट) को उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए नेशनल सिल्वर अवार्ड (2012–13) प्रदान किया गया।

संधारणीयता बरकरार रखने के लिए निरंतर अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार और उनमें बदलाव किया है। ग्राहकों के लिए ज्यादा मूल्यवान प्रस्तुतियां बढ़ाने की रणनीति का बुनियादी आधार बढ़ते योगदान, विभाग में विस्तार और प्रतियोगितात्मकता बढ़ाने के गिर्द घूमता है।

बीएचईएल ने हमेशा ग्राहकों को हमेशा अधिकतम महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। कम्पनी ने क्षमता बढ़ाने की राष्ट्र की तेज गति से क्षमता बढ़ाये जाने संबंधी जरूरत पूरी करने के लिए अपनी विनिर्माण क्षमता में प्रतिवर्ष 20,000 मेगावाट वृद्धि की है। बीएचईएल ने विभिन्न उपकरणों के लिए तकनीकी सहयोग के वास्ते सीमंस, जीई, एलस्टॉम, एमएचआई आदि जैसी विश्व की अग्रणी कम्पनियों के साथ गठबंधन किया है। टर्बाइन–जेनरेटर, बॉयलर्स और महत्वपूर्ण सहायक उपकरणों के निर्माण की क्षमता के साथ 1000 मेगावाट की रेंज के साथ बीएचईएल विद्युत के ज्यादातर उपकरणों का आंतरिक स्तर पर ही निर्माण कराने को तैयार है, ताकि पूरे विद्युत संयंत्र के लिये एक ही जगह उत्कृष्ट समाधान उपलब्ध हो सके।

भारतीय परिस्थितियों में बीएचईएल के समृद्ध और वैविध्यपूर्ण अनुभव ने कम्पनी को अपने ग्राहकों को व्यवहारिक और उत्कृष्ट समाधान उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया है। वर्षों से विश्व स्तरीय प्रदर्शन कर रहे बॉयलर्स की आपूर्तिकर्ता के रूप में बीएचईएल ने व्यापक रेंज वाले ईंधन विशेषकर ज्यादा राख वाले भारतीय कोयले के अनुरूप उपकरण तैयार करने, संचालन और रखरखाव और प्रभावी पार्ट लोड ऑपरेशंस का खाका तैयार करने आदि पर मंथन करने के लिए प्रतीकात्मक विशेषज्ञता हासिल की है। प्रतियोगितात्मकता बढ़ाने के क्रम में विशेषकर परियोजना की गतिविधियों की शृंखला के आधार पर, विविध प्रकार की पहल मसलन–अनुकूल रूपरेखा बनाना, विक्रेता के आधार का विस्तार, प्रौद्योगिकी के समावेश, विनिर्माण में कारगरता बढ़ाना, परियोजना का कार्यान्वयन, बिक्री के बाद सेवा, पुराने विद्युत सेट्स में सुधार और आधुनिकीकरण कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

आज, कम्पनी तापीय (कोयला) बिजनेस मिक्स में अपनी ईपीसी परियोजनाओं को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। बीटीजी खंड में विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाते हुए बीएचईएल ने बीओपी खंड मसलन– ट्रांसफॉमर्स, स्विचयार्ड, कोयले की व्यवस्था करना, राख की व्यवस्था करना, जल प्रशोधन, लोक निर्माण आदि में अपनी क्षमताओं को बल प्रदान किया है। इसके अलावा, बीएचईएल अपने विद्युत क्षेत्र विभाग में नए उत्पादों यथा फ्यूल गैस डिस्लफ्यूरिकेशन (एफजीडी), जल प्रबंधन प्रणाली, एयर कूल्ड कंडेंसर और अन्य बीओपी प्रणालियां को शामिल करते हुए अपनी पेशकश का अपना दायरा बढ़ा रही है। यूएमपीपी के लिए विद्युत संयंत्र डवेलपर्स के साथ भागीदारी कर नए कारोबारी मॉडल्स का पता लगाना और वित्तीय संस्थाओं के साथ भागीदारी करके नई परियोजनाओं में ऋण के जरिये धन लगाने का सिलसिला भी जारी है।

अपनी प्रौद्योगिकी को और ज्यादा उन्नत बनाने के लिए, कम्पनी एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टैक्नोलॉजी का विकास करने का प्रयास कर रही है, यह एक अग्रणी परियोजना है, जिस पर बीएचईएल, एनटीपीसी, आईजीसीएआर और अन्य मिलकर कार्य कर रहे हैं। कम्पनी ईंधन की व्यापक रेंज यथा–पैट कोक, लिग्नाइट और वाशरी रिजैक्ट्स आदि के लिये अत्याधुनिक सीएफबीसी टैक्नॉलोजी भी शुरू करेगी।

जलविद्युत क्षेत्र में बीएचईएल ने अपनी क्षमताएं 300 मेगावाट हाइड्रो सेट्स के निर्माण करने तक बढ़ाई हैं। कुशल रनर प्रोफाइल्स बनाना और हाइड्रो टर्बाइन भार घटाना, इस क्षेत्र में बीएचईएल को हाल में मिली कामयाबी का माध्यम साबित हुए हैं। जलविद्युत संयंत्रों में उभरते आर एंड एम के उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए संगठन में जरूरी बदलाव किये गये हैं। परमाणु बिजली संयंत्रों में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए कम्पनी स्वदेशीकरण और महत्वपूर्ण परमाणु क्षेत्र में प्रवेश के साथ परमाणु संयंत्र में अपनी पेशकश बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

बीएचईएल द्वारा निर्मित विद्युत यूटिलिटी संस्थापनाएं

31.03.2014 को पूर्ण किए गए कोयला, गैस, न्यूक्लियर, डीज़ल एवं हाइड्रो प्रोजेक्ट

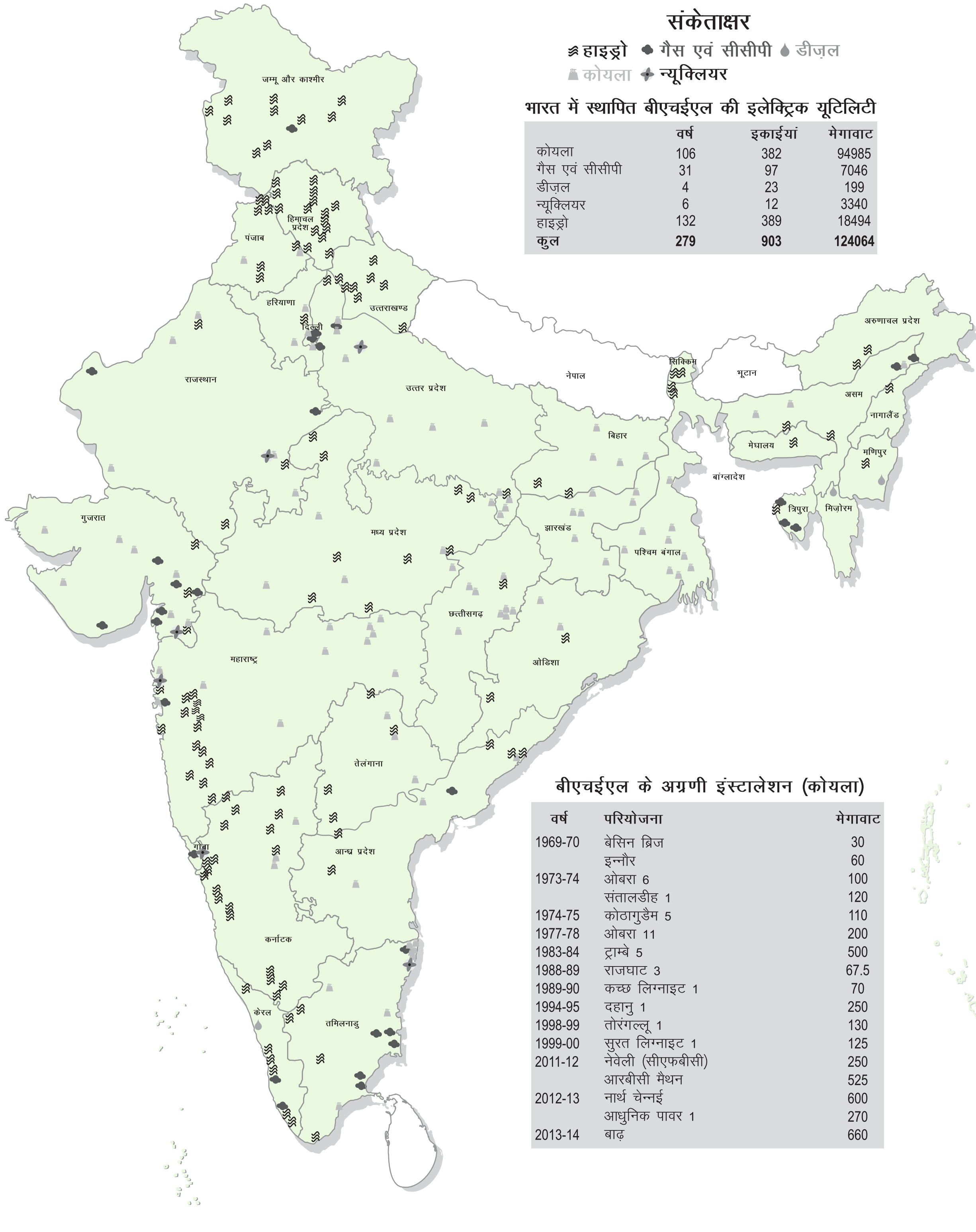

भारत में स्थापित बीएचईएल की इलेक्ट्रिक यूटिलिटी

	वर्ष	इकाईयां	मेगावाट
कोयला	106	382	94985
गैस एवं सीसीपी	31	97	7046
डीज़ल	4	23	199
न्यूक्लियर	6	12	3340
हाइड्रो	132	389	18494
कुल	**279**	**903**	**124064**

बीएचईएल के अग्रणी इंस्टालेशन (कोयला)

वर्ष	परियोजना	मेगावाट
1969-70	बेसिन ब्रिज	30
	इन्नौर	60
1973-74	ओबरा 6	100
	संतालडीह 1	120
1974-75	कोठागुडेम 5	110
1977-78	ओबरा 11	200
1983-84	ट्राम्बे 5	500
1988-89	राजघाट 3	67.5
1989-90	कच्छ लिग्नाइट 1	70
1994-95	दहानु 1	250
1998-99	तोरंगल्लू 1	130
1999-00	सुरत लिग्नाइट 1	125
2011-12	नेवेली (सीएफबीसी)	250
	आरबीसी मैथन	525
2012-13	नार्थ चेन्नई	600
	आधुनिक पावर 1	270
2013-14	बाढ़	660

उद्योग क्षेत्र

1.2.2 उद्योग क्षेत्र

बीएचईएल विविध औद्योगिक प्रणालियों एवं उत्पादों की प्रमुख निर्माता है। कम्पनी के औद्योगिक कारोबार का लक्ष्य कैप्टिव/औद्योगिक इकाइयों के अलावा धातुकर्मिय, खनन, सीमेंट, कागज, उर्वरक, रिफाइनरीज और पेट्रोकैमिकल्स आदि जैसे अनेक उद्योगों की बढ़ती मांगों को पूरा करना है। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले उत्पादों एवं प्रणालियों में कैप्टिव विद्युत संयंत्र, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स, ऑयल रिग्स, ड्राइव टर्बाइन्स, औद्योगिक बॉयलर्स एवं सहायक वस्तुएं, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स, गैस टर्बाइन्स, पम्प, हीट एक्सचेंजर्स, इलैक्ट्रिकल मशीन्स, वॉलव्स, हैवी कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स, इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रसिपिटेटर्स, आईडी/एफडी फैन्स, समेकित स्टील ट्यूब्स आदि शामिल हैं।

बीएचईएल के उद्योग क्षेत्र ने कैप्टिव पॉवर, रेल परिवहन, विद्युत पारेषण, तेल एवं गैस, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा एवं जल कारोबार और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में विविध उत्पादों और प्रणालियों के लिए 2012–13 के ₹ 4500 करोड़ के ऑडरों की तुलना में वर्ष के दौरान ₹ 5,473 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए।

वर्ष के दौरान 1682 मेगावाट सीपीपी परियोजनाओं और 16 मेगावाट सौर पीवी परियोजनाओं में सबसे ज्यादा 1698 मेगावाट का सामंजस्य प्राप्त किया गया

1.2.2.1 कैप्टिव विद्युत परियोजनाएं

वृद्धि की सम्भावनाएं

भारत में विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है : उपयोगी उत्पादन और अनुपयोगी उत्पादन या कैप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी)। इन कम्पनियों पर केंद्र राज्य, राज्य सरकार अथवा निजी निवेशकों का स्वामित्व हो सकता है। दूसरी ओर, उद्योग प्रमुख रूप से सीपीपी चालू करते हैं। विद्युत अधिनियम 2003 सीपीपी को ''... किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए स्थापित विद्युत संयंत्र और किसी सहकारी संस्था अथवा लोगों के संगठन द्वारा प्रमुखतः अपने सदस्यों, मसलन सहकारी समिति या संगठन के सदस्यों के इस्तेमाल के लिए विद्युत का उत्पादन करने के रूप में परिभाषित करता है...''

विद्युत अधिनियम 2003 भारत में कैप्टिव विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन देता है और कानून के आगे के प्रावधान निवेशकों को कैप्टिव विद्युत उत्पादन में निवेश करने का अवसर देते हुए कैप्टिव विद्युत को प्रतियोगितात्मक बाजार तक ले जाते हैं। यह पहुंच कैप्टिव उत्पादकों को किसी भी स्थान पर अतिरिक्त विद्युत को किसी भी खरीदार को बेचने की अनुमति देती है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता वर्ष 2005–06 में 21,468 मेगावाट से बढ़ाकर 2010–11 में 34,444 मेगावाट और वर्ष 2011–12 में 39,375 मेगावाट कर दी गई। ऐसा औद्योगिक और वाणिज्यिक मांग की वजह से किया गया। विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति और अत्यधिक शुल्क दर से पीड़ित औद्योगिक ग्राहकों ने कैप्टिव उत्पादन अपनी मांगें पूरी करने के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पर देखा। कोयला आधारित उत्पादन का कैप्टिव विद्युत उत्पादन पर वर्चस्व है और वह करीब 57 प्रतिशत कैप्टिव क्षमता का निर्माण करता है। कोयला आधारित कैप्टिव विद्युत उत्पादन अधिक होने का एक और कारण कोयले से उत्पादित होने वाली विद्युत की लागत है, जो डीजल और नैफ्था से कम है। हाल में, कोजेनरेशन और वेस्ट हीट रिकवरी सीपीपी के लिए विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि कम्पनियों को ऊर्जा दक्षता प्राप्त होने के साथ–साथ स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) लाभ मिल रहे हैं।

कारोबार का वातावरण

हाल के वर्षों में, सीपीपी कारोबार विविध वेल्यू चैन पार्टनर्स को उत्साहजनक कारोबारी अवसरों की पेशकश नहीं कर रहा है, जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था की मंद वृद्धि दर का असर पड़ा है। उद्योग को विद्युत शुल्क दर में अनपेक्षित गिरते रूझान का भी साक्षी बनना पड़ा है। कोयले के संयोजन और गैस की अनुपलब्धता से नई कैप्टिव क्षमता जोड़ने को हतोत्साहित किया है।

प्रस्तुत उत्पाद

- स्टीम टर्बाइन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र
  - एसटीजी / बॉयलर्स / बीटीजी / ईपीसी : यूनिट दर 200 मेगावाट तक
  - 120 मेगावाट दर तक नॉन रिहीट
  - 200 मेगावाट दर तक रिहीट
- गैस टर्बाइन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र
  - जीटीजी / एचआरएसजी / ईपीसी : एफआर–5 (26 मेगावाट) से एफआर–9ई (126 मेगावाट)
  - मुक्त, कोजेन एवं मिश्रित चक्र

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त ऑर्डर

- सीमेंस, स्कोडा, जीई और मैन–टर्बो के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के बाद पर आरयूपीपीएल, हाजिरा (4X93.1 मेगावाट) और दाहेज (3X90.3 मेगावाट) एसटीजी सेट्स से प्राप्त ऑर्डर
- बीपीसीएल, कोच्चि के लिए 3एफआर6बी जीटीजी सेट्स का ऑर्डर
- एयर कूल्ड कंडेंसर ऑपरेशन के लिए मैसर्स गैमन इंडिया की ओर से नगई पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को पहले सिंगल सिलिंडर 150 मेगावाट स्टीम टर्बाइन के लिए ऑर्डर

परियोजनाएं चालू की गईं

- कृभको हाजिरा, 72 मेगावाट में पहली बार एफआर 6एफए गैस टर्बाइन का सामंजस्य अनोखे डीएलएन 2.6 दहन प्रणाली से स्थापित किया गया
- एफएसीओआर पॉवर लिमिटेड, यूनिट–2, 50 मेगावाट
- ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हरिहर, 20 मेगावाट
- थिस्सेन करूप्प–अनार्क एल्यूमिनियम यूनिट–1, 74.6 मेगावाट
- ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विलायत यूनिट–1, 32 मेगावाट
- मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर–5, 20 मेगावाट
- हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड–महान एल्यूमिनियम यूनिट– 2 और 3,300 मेगावाट
- सैल आईआईएससीओ–पॉवर एंड ब्लोइंग स्टेशन–यूनिट–1, 18 मेगावाट
- द इंडिया सीमेंट लिमिटेड, 50 मेगावाट
- ओपीजी एनर्जी गुमुदीपोंडी यूनिट–2, 80 मेगावाट
- जेएसडब्ल्यू बेल्लारी, 76 मेगावाट
- सैल आईआईएससीओ–पॉवर एंड ब्लोइंग स्टेशन–यूनिट–2, 18 मेगावाट
- सूर्यदेव एलॉयज़ एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट–2, 80 मेगावाट
- एमआरपीएल–जीटीजी–2 (एफआर6बी), 30 मेगावाट
- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दाहेज (यूनिट–1), 38.7 मेगावाट
- थिस्सेन करूप्प–अनार्क एल्यूमिनियम यूनिट–2, 74.6 मेगावाट
- तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर लिमिटेड, 40 मेगावाट
- ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विलायत यूनिट–2, 32 मेगावाट
- आईओसीएल बराउनी, 20 मेगावाट
- आरआईएनएल, वीएसपी–6.3 एमटीपीए एक्सपेंशन, 67.5 मेगावाट
- लोकमंगल मौली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 30 मेगावाट
- हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड–आदित्य एल्यूमिनियम यूनिट– 3 और 4, 300 मेगावाट
- ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विलायत यूनिट–3, 32 मेगावाट
- एमआरपीएल–एसटीजी–2 28.5 मेगावाट
- स्टरलाइज इंडस्ट्रीज यूनिट–2, 80 मेगावाट
- सैल आईआईएससीओ–पॉवर एंड ब्लोइंग स्टेशन–यूनिट–3, 18 मेगावाट
- हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड–महान एल्यूमिनियम की यूनिट– 2 और 3, (300 मेगावाट) बीएचईएल द्वारा चालू की गई

हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड की यूनिट–2 एवं 3 बीएचईएल द्वारा पूर्ण की गई महान एल्यूमिनियम (300 मेगावाट)

वृद्धि की तैयारी

बीएचईएल ने बाजार की मौजूदा विपरीत परिस्थितियों में बने रहने और आगे बढ़ने के लिए विविध प्रकार की महत्वपूर्ण पहल की है। कम्पनी कोयला आधारित तापीय परियोजनाओं के लिए ईपीसी/बीटीजी कार्यों, आंतरिक स्तर पर विकसित किये गये नए डिजाइन के सीएफबीसी बॉयलर्स के ऑर्डर्स प्राप्त करने, दीर्घकालिक सेवा समझौते (एलटीएसए) करने और एमएस डब्ल्यू, सीबीएम और कोल वाशरी से निकले पदार्थों पर आधारित विद्युत संयंत्रों में संभावनाएं तलाशने पर ध्यान दे रही है।

1.2.2.2 ट्रांसमिशन उत्पाद एवं प्रणालियां

वृद्धि की संभावनाएं

भारतीय पारेषण क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता उत्पादन के साथ लाइन लेंथ और पारेषण की अतिरिक्त क्षमताओं सहित दोनों संदर्भों में क्रमबद्ध वृद्धि होने के आसार हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सबस्टेशन की 2,70,000 एमवीए क्षमता और 12,750 मेगावाट की एच वी डी सी प्रणालियों के जोड़े जाने का अनुमान है।

पारेषण क्षेत्र के अवसर
(एसी–सबस्टेशन ट्रांसफोरमेशन क्षमता+एचवीडीसी)

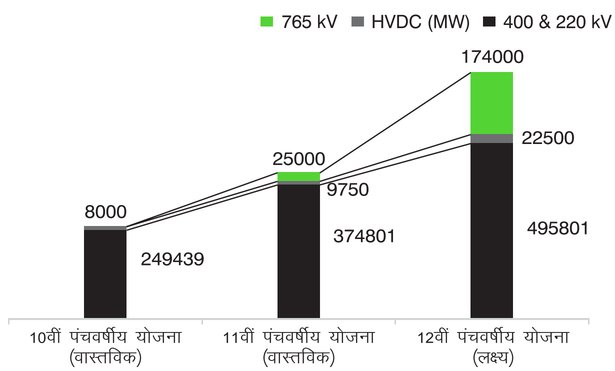

स्रोतः सीईए

प्रत्येक राइट–ऑफ–वे (आर ओ डब्ल्यू) उच्च मेगावाट के लिए यूएचवीएसी में 765 केवी, 1200 केवी और यूएचवीडीसी में ±800 केवी जैसे उच्च वॉलटेज स्तरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पिछले पांच वर्षों में अन्य केवी श्रेणी की तुलना में 765 केवी श्रेणी खंड में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2010–11 में कम 4,500 एमवीए से मार्च, 2014 में 765 केवी श्रेणी का वॉलटेज खंड बढ़कर 8,3000 एमवीए हो चुका है। योजना अवधि के दौरान अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होती जाएगी। 34,000 एमवीए से 2017 के आखिर तक इसके बढ़कर 65,550 मेगावाट हो जाने की संभावना है।

व्यवसाय का वातावरण

जमीन की जरूरत और पारेषण हानियों को कम करने के लिए यूएचवीएसी, यूएचवीडीसी और जीआईएस पर बल देते हुए पारेषण लाइनों के लिए तकनीकी विकास प्रचलन में है। पारेषण उपकरण बाजार पर भारतीय बाजार की मंदी का नकारात्मक असर पड़ा है। विद्युत पारेषण खंड में घरेलू क्षमताओं की अधिकता के परिणामस्वरूप मांग विनिर्माण क्षमताओं से पिछड़ गई है और इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा और मूल्यों का दबाव बेहद बढ़ गया है। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से विशेष कर 765 केवी श्रेणी में आयात ने प्रतिस्पर्धात्मक दबावों को और बढ़ा दिया है। बाजार की अनिश्चितताएं एक बार समाप्त होने के साथ ही मध्यावधि में अधिक से अधिक उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के शुरू होने से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मांग में सुधार होने की संभावना है।

प्रस्तुत उत्पाद

भारत में विद्युत पारेषण के क्षेत्र में व्यापक रेंज वाली पारेषण प्रणालियों और उत्पादों से युक्त बीएचईएल की महत्वपूर्ण मौजूदगी है। बीएलईएल द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों में विद्युत ट्रांसफार्मर, उपकरण ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, शंट रिएक्टर, वैक्यूम और एसएफ 6 स्विच गियर, गैस इंसुलेटिड स्विच गियर, सेरेमिक इंसुलेटर आदि शामिल हैं। कैपेसिटर बैंक्स, सर्किट ब्रेकर्स, नियंत्रण और संरक्षण और उपकरण तथा थ्रिस्टर वॉल्व्स इसकी विनिर्माण रेंज में शामिल हैं।

बीएचईएल ने 145 केवी तक के गैस इंसुलेटिड स्विच गियर (जीआईएस) और 765 केवी तक के ट्रांसफार्मर्स और शंट रिएक्टर्स को स्वदेशी तौर पर विकसित किया है और उन्हें व्यावसायिक रूप दिया है। कंपनी ने देश के पहले 1200 केवी टेस्टेशन के लिए 1200 केवी सीवीटी और 1200 केवी ट्रांसफार्मर विकसित और आपूर्ति किये हैं। बीएचईएल. ने 1200 केवी पारेषण लाइनों के लिये 420 केएन डिस्क इंसुलेटर्स को अतिरिक्त तौर पर विकसित किया है और उनका परीक्षण किया है और अब उसके पास 1200 केवी एसी और ±800 केवी डीसी, 400 केवी तक के सॉलिड कोर इंसुलेटर्स और 765 केवी एसी तक के हॉलो पॉर्सलिन इंसुलेटर ईएचवी और यूवीएसी/डीसी अनुप्रयोगों के लिए डिस्क इंसुलेटर्स की व्यापक रेंज मौजूद है।

बीएचईएल ने 400 केवी लाइन्स के लिए फिक्स्ड सिरीज़ कपनसेशन और 400 केवी पारेषण लाइनों के लिए गतिशील रिएक्टिव विद्युत प्रबंधन के लिए कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर) जैसे एफएसीटीएस उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए योजनाओं को स्वदेशी रूप से विकसित और कार्यान्वित किया है। 400 केवी प्रणालियों में विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बीएचईएल ने स्वदेशी रूप से फेज़ शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर विकसित किया है। अपने मजबूत अभियांत्रिकी आधार के साथ कंपनी ईएचवी और यूएचवी सबस्टेशन्स/स्विचयार्ड (132 केवी से 765 केवी तक की रेंज वाले एआईएस और जीआईएस), ±800 केवी तक केएचवीडीसी मल्टी टर्मिनल कन्वर्टर स्टेशन, और फ्लैक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स (एफएसीटीएस) समाधान जैसे संपूर्ण ईपीसी समाधानों की पेशकश अपने ग्राहकों को करती है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त ऑर्डर

- सब–स्टेशन्स के लिए विभिन्न ग्राहकों से मिले अधिकतम मूल्य वाले ऑर्डर्स में निम्नलिखित शामिल हैं।
    - एमपीपीटीसी, जबलपुर के लिए संबंधित पारेषण लाइनों के साथ 400 केवी सबस्टेशन्स। कार्यक्षेत्र में बालाघाट एवं बदनाबाद में 15 किलोमीटर की 400 केवी पारेषण लाइनों के साथ दो 400 केवी ग्रीन फील्ड सबस्टेशन्स का निर्माण तथा भोपाल नगदा और चीगांव में मौजूदा तीन 400 केवी सबस्टेशनों का विस्तार।
    - टीएएनटीआरएएनएससीओ के 400/230/110 केवी अनिकादावू और 400/110 केवी थप्पागुंडू सब–स्टेशन की टर्नकी आधार पर स्थापना।
    - पीजीसीआईएल के लिए कराएकुडी, पुगालुर, कलाविन्थापुट्टू, अभिषेकापेट्टी, दुर्गापुर, मेथॉन, बिहार शरीफ और पुर्णिया में 400 केवी सबस्टेशन का विस्तार
- पारेषण उत्पादों के लिए मिलने वाले प्रमुख ऑर्डर निम्नलिखित हैं–
    - एपीटीआरएएनएससीओ, एनटीपीसी, यूपीआरवीयूएनएल अनपारा, सीएसपीजीसीएल कोरबा, आरआरवीपीएनएल, एमपीपीटीसीएल और पीएसटीसीएल से विभिन्न दरों के ट्रांसफार्मर्स।
    - बीआईडीसीओ से 765 केवी शंट रिएक्टर
    - राजस्थान बिजली वितरण कंपनियां, सीएसपीटीसीएल, पीवीवीएनएल से वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी)
    - एनटीपीसी से बसडक्ट्स
- एनटीपीसी से नबी नगर, कुडगी, विंध्याचल और गदरवाड़ा परियोजनाओं के लिए 1592 एमवी स्विचगियर का ऑर्डर। इसमें 660 मेगावाट और 800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल सेट्स के लिए आपूर्ति का पहला ऑर्डर शामिल है।
- तोशिबा जेएसडब्ल्यू पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का 5 एमवीए 23.5 केवी ऑर्डर।

एनटीपीसी की विशाल परियोजना के लिए तोशिबा जेएसडब्ल्यू पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का 5 एमवीए 23.5 केवी ड्राई टाइप ऑर्डर एग्ज़िटेशन ट्रांसफार्मर का ऑर्डर।

परियोजनाएं चालू की गई

- **यूएचवी खंड**

  कर्नाटक के रायचूर में पीजीसीआईएल के 765 केवी रायचूर–सोलापुर पारेषण लिंक के दक्षिणी छोर पर 765/400 केवी सबस्टेशन का निर्माण समय से 6 महीने पहले पूरा करके उसे चालू किया गया। 765 केवी रायचूर–सोलापुर पारेषण लिंक के चालू हो जाने से इस समय दक्षिणी ग्रिड का एन–ई–डब्ल्यू ग्रिड के साथ सामंजस्य स्थापित हो गया है और इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रिड सामंजस्यपूर्ण तरीके से संचालित हो रहा है और एक देश–एक ग्रिड–एक फ्रिक्वेंसी की महत्वकांक्षा पूरी हो रही है। कर्नाटक के रायचूर में 765/400 केवी सबस्टेशन का निर्माण समय से 6 महीने पहले पूरा करके उसे चालू किया गया।

रायचूर, कर्नाटक में 765/400 मेगावाट सबस्टेशन निर्धारित समय से 6 माह पहले सफलतापूर्वक निर्मित एवं कमिशन किया गया।

- **ईएचवी खंड**
    - डीपीएल के लिए दुर्गापुर प्रोजेक्ट स्टेशन की 1x250 मेगावाट यूनिट 8 के लिए 220 केवी स्विचयार्ड को सफलतापूर्वक चालू किया गया। इस स्विचयार्ड परियोजना के तहत बीएचईएल ने डीवीसी, डब्ल्यूबीएसईटीसीएल और डीपीएल की 132 केवी और 220 केवी पारेषण लाइनों का चार दिन की न्यूनतम अवधि तक काम बंद कर परिवर्तन भी किया।
    - दिल्ली के बामनौली में पीपीसीएल के आगामी 750 एमवी प्रगति–2 सीसीपीपी के लिये 400 केवी झतीकरा–बामनौली डी/सी और 400 केवी बल्लभगढ़–बामनौली डी/सी पारेषण लाइनों के परिवर्तन का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसके लिये बीएचईएल को पहले से मौजूद क्वैड–बर्सिमिस ओवरहैड कंडक्टर को 850 एम प्रति सर्किट लम्बाई वाली 400 केवी 2X2500 स्क्वेयर एमएम एक्सएलपीई कॉपर केबल के 12 रन्स के साथ बदलना पड़ा। यह भारत में पहली बार लगाई जाने वाली विशालतम क्रॉस सैक्शन 400 केवी एक्सएलपीई केबल और बीएचईएल द्वारा अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हासिल महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

- **एचवीडीसी**

  ±800 केवी के लिए 6000 मेगावाट, मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी एनई आगरा प्रोजेक्ट, 6 नग। बीएचईएल भोपाल में 400 केवी क्लास एचवीडीसी कंटवर्टर ट्रांसफॉर्मर्स का निर्माण और परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया और आगरा तथा बिश्वनाथ चारियाली टर्मिनल भेज दिया गया।

400 केवी क्लास एचवीडीसी कंटवर्टर ट्रांसफार्मर का ±800 केवी 6000 मेगावाट, मल्टी टर्मिनल एचवीडीसी एनई आगरा प्रोजेक्ट के लिए बीएचईएल, भोपाल में परीक्षण किया जा रहा है।

- **जीआईएस**

  बीएचईएल ने जीआईएस सबस्टेशंस के क्षेत्र में आंतरिक अभियांत्रिकी एवं एकीकरण विशेषज्ञता की सहायता से अपनी ईपीसी उपस्थिति बढ़ाई है। बीएचईएल ने भारत में अनेक जीआईएस सबस्टेशन्स वितरण स्तर से ईएचवी पारेषण स्तर तक (33 केवी–400 केवी) कार्यान्वित किये हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित जीआईएस स्विचयाड्‌र्स/सबस्टेशन्स चालू किये गये है :

  - एनएचपीसी की 4x130 मेगावाट पारबती एचईपी चरण–III के लिए 400 केवी जीआईएस स्विचयार्ड
  - 195 मेगावाट सीसीपीपी के लिए टर्नकी अनुबंध के तहत ओनएनजीसी पेट्रो–एडिशंस लिमिटेड की दाहेज रिफायनरी में 42 सर्किट ब्रेकर्स बेज सहित 66 केवी जीआईएस सबस्टेशन
  - एसजेवीएनएल के 6x68.67 मेगावाट रामपुर एचईपी के लिये 400 केवी जीआईएस स्विचयार्ड

वृद्धि की तैयारी

बीएचईएल ने यूएचवीडीसी उपकरणों अर्थात– कंवर्टर ट्रांसफॉर्मर्स, थिरिस्टर वॉल्व्स, फिल्टर कैपिसिटर आदि के निर्माण के लिए अपनी सुविधाओं में वृद्धि की है। बीएचईएल अपनी सहायक भागीदार के साथ अब की सर्वाधिक 8000 मेगावाट की कंवर्टर क्षमता के इस समय ±800 केवी, 6000 मेगावाट्स नॉर्थ–ईस्ट आगरा एचवीडीसी परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। कम्पनी आगामी परियोजनाओं को लागू करने की भी तैयारी कर रही है।

उत्पादों के दृष्टिकोण से, बीएचईएल ने देश में प्रथम 1200 केवी पॉवर ट्रांसफार्मर का विकास और आपूर्ति की जिसे पॉवरग्रिड के बीना सबस्टेशन में जनवरी 2012 में चालू किया गया। बीएचईएल एचवीडीसी और एचवीएसी बाजार पर पकड़ बनाने को तैयार है।

बीएचईएल ने 400 केवी जीआईएस का विकास सफलतापूर्वक सम्पन्न किया है और वह आगामी जीआईएस जरूरते पूरी करने को तैयार है।

बीएचईएल ने एपीजीईएनसीओ के काठगोदाम तापीय विद्युत स्टेशन के लिए फेज़ शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर को विकसित और स्थापित किया है। बीएचईएल ने 400केवी कंट्रोल शंट रिएक्टर, पारेषण सुविधाओं के लिये फिक्स्ड सीरिज कम्पेनसेशन सीरिज तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए कम रेटिंग वाली स्टेटकॉम्स का विकास और उसकी आपूर्ति भी की है और वह आगामी जीआईएस जरूरते पूरी करने को तैयार है।

वर्ष के दौरान बीएचईएल के पारेषण कारोबार खंड में प्रमुख क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास, जिससे बीएचईएल की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी, इसमें शामिल है:

- ईडीएन बैंगलौर में थिरिस्टर वॉल्व के लिए नयी अत्याधुनिक सुविधा और भोपाल के कैपेसिटर्स, बीएचईएल इस वक्त एचवीडीसी और एफएसीटीएस अनुप्रयोगों के लिए थिरिस्टर वॉल्व मॉड्‌यूल्स को जोड़ने और परीक्षण के लिए को पूरी तरह तैयार है।

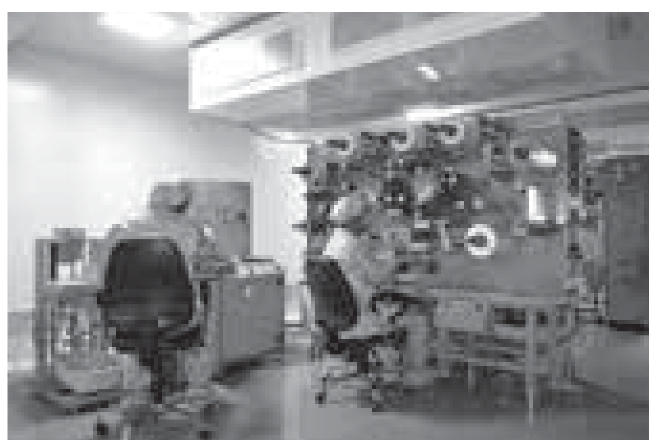

भोपाल में कैपेसिटर्स के लिए नई अत्याधुनिक सुविधा

- 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट्स के लिए आईपी और एसपी बसडक्ट्स का सफल विकास
- सेल, बोकारो की कोल्ड रोलिंग मिल के लिए 7.6 एमवीए के नम्बर– दो के लिए, 11केवी स्पेशल पर्पज ट्रांसफॉर्मर्स के नये डिजाइन का विकास किया गया
- एसकेएस विद्युत विकास के लिए 355 एमवीए, 400 केवी 3 पीएच जीटी (नई दर)

- झांसी में विनिर्माण इकाई में विकसित 400 केवी ट्रांफफार्मर्स के विनिर्माण के लिए क्षमता विकसित की।
- भोपाल में कंवर्टर ट्रांसफार्मर्स के लिए विनिर्माण और परीक्षण सुविधाएं बढ़ाई गई हैं ताकि 800 केवी एचवीडीसी के पारेषण क्षेत्र में उभरते अवसरों का लाभ उठाया जा सके।

1.22.3 परिवहन

वृद्धि की सम्भावनाएं

भारतीय रेल दुनिया का तीसरा सबसे विशाल रेल नेटवर्क है। भारत वर्तमान समय में रेलवे के बुनियादी ढांचे में कम निवेश की गंभीर और पुरानी समस्या से जूझ रहा है। आज, परिवहन 'मांग से उत्पन्न' जैसे अपने परम्परागत दायरे से बाहर आकर 'वृद्धि का अग्रदूत' बन चुका है। देश की 21वीं सदी की सामाजिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए भारतीय रेल की क्षमता बढ़ाने और उसका आधुनिकीकरण करने की तत्काल जरूरत महसूस की जाने लगी है।

भारतीय रेल के 'विजन 2020' में अगले 10 वर्षों में करीब 14 ट्रिलियन निवेश के साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ाये जाने की परिकल्पना की गई है। इसमें 9000 से ज्यादा इंजनों और डीजल इंजनों, इलैक्ट्रिक इंजनों, पैसेंजर कोच ईएमयू/डीईएमयू/एमईएमयू आदि के विनिर्माण/खरीद पर तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी के तहत हाई स्पीड कॉरिडोर्स स्थापित किये जाने के लिए चार ट्रिलियन के निवेश की जरूरत शामिल है। इसमें डीजल और इलैक्ट्रिक इंजन, दोनों को डीसी ड्राइव्स को आईजीबीटी आधारित एसी ड्राइव्स में तथा कोर्टन स्टील कोच को स्टेनलैस स्टील कोच में बदलते हुए एसी ईएमयू, डीईएमयू, एमईएमयू को आईजीबीटी ड्राइव्स के साथ बदलते हुए प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाया जाना शामिल है। कंचरापारा में रेल के डिब्बे बनाने वाली फैक्टरी, मरहोवरा में डीजल इंजन बनाने वाली फैक्टरी और मधेपुरा में इलैक्ट्रिक इंजन बनाने वाली फैक्टरी तथा में छपरा में रेल के पहिये बनाने वाली फैक्टरी के अलावा नई उत्पादन इकाइयों के स्थापित किये जाने की भी योजना है।

बढ़ते शहरीकरण की वजह से भारत के नीति निर्माताओं का ध्यान मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) जाने लगा है। भारतीय शहर अपने दुनिया के अपने समकक्ष से शहरों से पिछड़ चुके हैं सिर्फ दिल्ली में ही यथेष्ट लम्बाई वाली (100 किलोमीटर) मेट्रो है और कोलकाता मेट्रो की लम्बाई केवल 28 किलोमीटर है। भारत में कुछ स्थानों पर मोनोरेल ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा है। वर्तमान में करीब 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू है, 636 किलोमीटर निर्माणाधीन है और 20 किलोमीटर मोनो रेल चालू है। 12 शहरों में पटरी की 620 किलोमीटर लम्बाई नियोजन की अवस्था पर है।

कारोबार का वातावरण

भारतीय रेलवे ने मधेपुरा और मरहोवरा में क्रमशः इलैक्ट्रिक और डीजल इंजन के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी के आधार पर विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए संविदा दर का अनुरोध (आरएफक्यू) और योग्य पक्ष से प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रित किये हैं।

समर्पित मालभाड़ा गलियारे (डीएफसी) पर खर्च होने वाली धनराशि के काफी बड़े हिस्से के रूप में पश्चिमी गलियारे के लिए जापान के साथ और पूर्वी गलिहारे के लिए विश्व बैंक के साथ करार किया है। जमीन खरीदने का काम लगभग पूरा हो चुका है। पटरियों के बड़े–बड़े हिस्सों के निर्माण की जिम्मेदारी बुनियादी ढांचे से निर्माण से जुड़ी विविध कम्पनियों को दी गई है। डीएफसी के 2017 तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। यहां इंजन आपूर्ति करने के अलावा विद्युतीकरण और सिग्नल व्यवस्था के लिए सबस्टेशन्स के पास सम्भावनाएं उपज रही हैं।

प्रस्तुत उत्पाद

परिवहन क्षेत्र में बीएचईएल की सहभागिता त्वरित वृद्धि के लिए उल्लेखनीय रही है। आज, बीएचईएल द्वारा आपूर्ति और स्थापित किये गये आईजीबीटी प्रणोदन उपकरण (ट्रैक्शन कंवर्टर/ऑग्जीलिरी कंवर्टर/वीसीयू) भारतीय रेल द्वारा संचालित आईजीबीटी आधारित 50 प्रतिशत से ज्यादा इंजनों के लिए उत्तरदायी है और भारतीय रेल के 70 प्रतिशत से ज्यादा ट्रैक्शन उपकरण बीएचईएल ने बनाये हैं। वर्ष 2013–14 में, बीएचईएल द्वारा भारतीय रेलवे के लिए विनिर्मित और आपूर्ति किये गये एक रेक में 9 एसी ईएमयू कोच शामिल हैं, जो सम्पूर्ण एसी ईएमयू रेक्स युक्त इलैक्ट्रिक्स की आपूर्ति करने की योग्यता को साबित करता है। उत्पाद और प्रणाली की रेंज में निम्नलिखित हैं :

ट्रैक्शन मशीन्स

- सभी इंजनों और ईएमयू के लिए एसी ट्रैक्शन मोटर्स (1150 किलोवाट तक)
- सभी तरह के इंजनों और ईएमयू के लिए डीसी ट्रैक्शन मोटर्स (630 किलोवाट तक)
- सभी डीई इंजनों और डीईएमयू के लिए एसी ट्रैक्शन ऑल्टरनेटर्स (3860 किलोवाट तक)
- डीसी ट्रैक्शन जेनरेटर्स 2000 किलोवाट तक
- सभी प्रकार की जरूरतों के लिए मोटर जेनरेटर सेट्स (25 किलोवाट तक)
- सभी प्रकार की जरूरतों के लिए ऑग्जीलिरी जेनरेटर्स और एक्साइटर्स (50 किलोवाट तक)

परिवहन प्रणालियां

- ट्रैक्शन सिस्टम्स
- शहरी परिवहन प्रणालियां
- एस इलैक्ट्रिक इंजन (5000 एचपी तक, 25 केवी एसी)
- एसी–डीसी डुएल वॉल्टेज इलैक्ट्रिक इंजन (5000 एचपी तक, 25 केवी 1500 वीडीसी)
- डीजल–इलैक्ट्रिक शंटिंग इंजन (1400 एचपी तक)
- बैटरी पाउवर्ड इंजन
- ओएचई रिकॉर्डिंग–कम–टेस्ट कार

- रेडिएटर फेन के लिए ईडी करंट क्लच
- गतिशील ब्रेकिंग प्रणाली के लिए डीसी ब्लोअर मोटर्स (50 किलोवाट तक)
- ट्रैक्शन ग्रेड गियर्स और गरारियां
- एसीईएमयू और इलैक्ट्रिक इंजनों के लिए ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स
- एसीईएमयू डिब्बे
- गतिशील ट्रैक स्टैबलाइजर्स
- वैल वेगन
- रेल–सह–सड़क वाहन
- उपयोगिता वाहन
- बैलस्ट को साफ करने वाली मशीनें

ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम

6000 एचपी जीटीओ/आईजीबीटी आधारित एसी इंजनों, 6000 एचपी एसी इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) और 6000 एचपी डीजल इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स (डीईएमयू) के लिए ट्रैक्शन कंवर्टर, ऑग्जीलिरी कंवर्टर और व्हीकल कंट्रोल इलैक्ट्रॉनिक्स ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- ट्रांसफॉर्मर्स (85), आईजीबीटी कंवर्टर (33 सेट्स), डीईएमयू इलैक्ट्रिक्स (54 सेट्स) के लिए अकेले एक साल में सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ
- एसीईएमयू के लिए विकसित पूर्णतया अत्याधुनिक आईजीबीटी आधारित प्रणोदन प्रणाली
- झांसी इकाई में आईजीबीटी आधारित फेज़–III प्रणोदन प्रणाली के साथ डब्ल्यूएजी–9 इंजन के निर्माण की डिजाइन सहित तैयारी
- संविदा के अनुरूप सुपुर्दगी से पहले 39 सेट 5400 केवीए 1 फेज़ ट्रांसफॉर्मर्स और 55 एचएस ट्रैक्शन मोटर्स की आपूर्ति की गई
- मालाबार सीमेंट्स लिमिटेड को 1 नम्बर 700 एचपी डीईएसएल सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि से दो महीने पहले आपूर्ति करने के लिए ग्राहक से सराहना पत्र की प्राप्ति

आईजीबीटी आधारित फेज़–III प्रणोदन प्रणाली के साथ डब्ल्यूएजी–9 इंजन

वृद्धि की तैयारी

रेलवे द्वारा प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाए जाने के क्रम में उभर रही जरूरतों को पूरी करने के लिए बीएचईएल ने आईजीबीटी ड्राइव्स के संयुक्त विकास के लिए स्ट्रुक्टन नीदरलैंड्स के साथ कारोबार भागीदारी समझौता (बीएसए) किया है। बीएचईएल ने इलैक्ट्रिक इंजनों के लिए आईजीबीटी आधारित प्रणोदन उपकरण के 50 सेट्स के ऑर्डर को सफलतापूर्वक पूरा किया है। एसी ईएमयू के लिए आईजीबीटी आधारित प्रणोदन उपकरण का नमूना विकसित किया गया है और वर्तमान में सीईटी भोपाल में उसका एकीकृत प्रणाली पर परीक्षण किया जा रहा है।

बीएचईएल ने भीलवाड़ा में एमईएमयू कोच फैक्टरी लगाने के लिए आईआर के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। कम्पनी ने भारतीय रेल के ऑर्डर पर 9 डिब्बों के एसीईएमयू रेक की आपूर्ति करके स्वयं को ईएमयू डिब्बों के एक अन्य आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है। बीएचईएल वैश्विक ओईएम के साथ जुड़कर भारतीय रेलवे की प्रस्तावित नई विनिर्माण सुविधियों में भी भाग लेगी।

1.2.2.4 नवीकरणीय ऊर्जा

वृद्धि की सम्भावनाएं

भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का उद्घाटन 2008 में हुआ था जिसमें 2020 तक नवीकरणी स्रोतों से देश की 15 प्रतिशत विद्युत संबंधी जरूरते पूरी होने की परिकल्पना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन (जेएनएनएसएम) उन आठ प्रमुख मिशनों में से एक है, जिनकी पहचान एनएपीसीसी के अधीन की गई थी। इस मिशन ने सौर विनिर्माण क्षमता के अनुकूल परिस्थितियां तैयार करते हुए 2022 तक तीन चरणों में 20 गीगावाट ग्रिड कनैक्टिड तथा 2 गीगावाट ऑफ–ग्रिड क्षमता जोड़ने का महत्वाकांक्षी

राष्ट्रीय सौर मिशन संचयी लक्ष्य–(मेगावाट)
एसपीवी मार्केट में 35–40 प्रतिशत वृद्धि

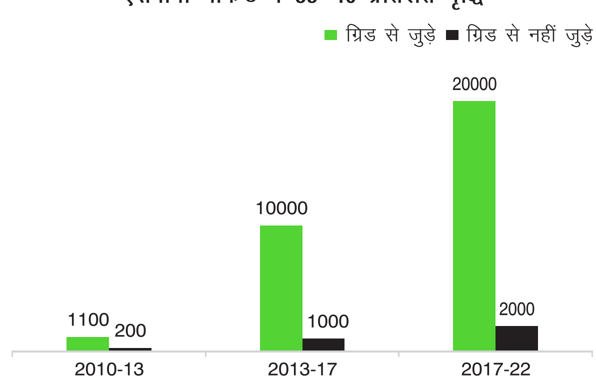

स्रोतः एमएनआरई

लक्ष्य निर्धारित किया है। मिशन का लक्ष्य दीर्घकालिक नीति के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत में भी कमी लाना, बड़े पैमाने पर विकास के लक्ष्य, महत्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल, संघटक और उत्पादों का घरेलू स्तर पर उत्पादन करना भी है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार भी 2030 तक 100,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है। यह जेएनएनएसएम के तहत मौलिक रूप नियोजित 20,000 मेगावाट क्षमता के विपरीत है, जिसे 2021–22 तक पूरा किया जाना है। सौर तापीय क्षेत्र में 2014–15 के दौरान अतिरिक्त अवसर भी सामने आ सकते हैं।

कारोबार का वातावरण

समग्र पीवी संस्थापनाओं की संख्या 2010 में 38 मेगावाट से बढ़कर 2014 में करीब 2640 मेगावाट हो गई है। प्रतिस्पर्धा और सौर पीवी मॉड्यूल तथा ओबीसी उपकरणों के सस्ते होने के कारण सौर पीवी संयंत्र लगाने के ईपीसी मूल्य में कमी आई है जिसकी वजह से विद्युत शुल्क दर में कमी आई है। इसके अलावा सौर ऊर्जा के अगले 3–4 वर्षों में ग्रिड समतुल्यता तक पहुंचने की सम्भावना है। संयंत्र चालू करने के शैड्यूल्स दीर्घकालिक 10 से 25 वर्ष के ओएंडएम की जरूरत के साथ 12 महीने से घटाकर छह महीने कर दिये गये हैं।

विनिर्माण क्षेत्र में सौर पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स का क्षमता के अनुरूप उपयोग आयात के अल्प वित्त के साथ मिलने की वजह से कम होता था। कुछ बड़े निर्माताओं के डीसीआर की जरूरतें पूरी करने को तैयार होने संबंधी एमएनआरई की घोषणा के मद्देनजर इस स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है।

सौर तापीय क्षेत्र सटीक डीएनआई आंकड़ों की उपलब्धता, अधिक भूमि की जरूरत तथा अधिक पूंजी एवं संचालन संबंधी खर्च की वजह से बड़े पैमाने पर विकास करने में विफल रहा है। इसलिये जेएनएनएसएम चरण–I की 470 मेगावाट परियोजनाओं में से सिर्फ 50 मेगावाट परियोजनाएं ही अब तक चालू हो सकी हैं। जेएनएनएसएम चरण–II के कार्यान्वयन के दौरान इस क्षेत्र के लिए निर्देश निर्धारित होने सम्भावना है।

प्रस्तुत उत्पाद

बीएचईएल ग्रिड इंटरैक्टिव और स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले पीवी एप्लीकेशंस के लिए अवधारणा से लेकर उसे चालू करवाने तक के ईपीसी समाधान प्रस्तुत करती है। ये पीवी एप्लीकेशंस में किलोवॉट से मेगावाट आकार के संयंत्र, पीवी मॉड्यूल और बैंलेंस ऑफ सिस्टम (बीओएस), सिविल, ईएंडसी और ओएंडएम की रेंज में हैं। इसके अलावा बीएचईएल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन–इसरो के साथ मिलकर स्पेस ग्रेड सोलर पैनल्स और स्पेस ग्रेड बैटरीज का निर्माण करती है। इसरो द्वारा प्रक्षेपित किये जाने वाले सभी उपग्रहों में बीएचईएल द्वारा निर्मित सोलर पैनल्स और बैटरीज लगी होती हैं। बीएचईएल सीएसपी प्रणालियों के लिए भी पूर्ण ईपीसी समाधान की पेशकश करती है, जिसमें उसका मैसर्स अबेन्गोआ, स्पेन के साथ मिलकर काम करने का समझौता है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त ऑर्डर

- सोलर फोटोवोल्टिक पॉवर प्लाटंस के 24 मेगावाट का सबसे बड़ा ऑर्डर बुक हुआ। इसमें 15 मेगावाट की अधिकतम रैंकिंग एनटीपीसी सिंगरौली की है।
- आरआईटीईएस की ओर गुड़गांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म शेल्टर में से 25 किलोवाट सौर विद्युत संयंत्र का पहला ऑर्डर अपनी तरह का पहला ऑर्डर है।

चालू की गई परियोजना

- एनटीपीसी तालचर और एनटीपीसी ऊंचाहार दोनों जगह 10 मेगावाट सौर विद्युत संयंत्र चालू किया गया।

एनटीपीसी तालचर में 10 मेगावाट सौर विद्युत संयंत्र चालू किया गया।

- 5 मेगावाट ग्रिड इंटरैक्टिव सौर विद्युत संयंत्र बीएचईएल, बीएपी, रानीपट में चालू किया गया। उत्पादित विद्युत की खपत आंतरिक स्तर पर की गई। यह बीएचईएल की इकाइयों में स्थापित सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्रों में से एक है।
- आरआईटीईएस के लिये गुड़गांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म शेल्टर का इस्तेमाल करते हुए 25 किलोवॉट सौर विद्युत

गुड़गाँव रेलवे स्टेशन में राइटस के लिए पूर्ण किया गया 25 किलोवाट रुफ–टॉप सोलर पावर प्लांट (प्लेटफार्म शेल्टर का प्रयोग करके)

संयंत्र अनुबंध की अवधि के चार महीने के अंदर ही चालू कर दिया गया।

वृद्धि की तैयारी

बीएचईएल घरेलू बाजार की मांग के अनुरूप और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं को आपूर्ति के लिए पीवी सेल और मॉड्यूल उत्पादन क्षमता का फैलाव कर रही है। कम्पनी द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीति में शामिल है :

- वैफर, सैल और मॉड्यूल के लिए 480 मेगावाट ग्रीनफील्ड सौर विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव
- अनुसंधान और विकास के आंतरिक प्रयासों की बदौलत सेल और मॉड्यूल की कार्यकुशलता में निरंतर सुधार
- साम्भर (राजस्थान) में 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाने के वास्ते बीएचईएल, एसईसीआई, एसएसएल, पावरग्रिड, एसजेवीएन और आरईआईएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- सौर तापीय परियोजनाओं के लिए साझा ईपीसी बोली लगाने के लिए अबेन्गोआ, स्पेन के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर

1.2.2.5 जल प्रबंधन

वृद्धि की सम्भावनाएं

समझा जाता है कि विशेषकर जनसंख्या के स्तरों में वृद्धि, शहरीकरण तेजी से बढ़ने और नए उद्योग उभरने की वजह से भारत में जल क्षेत्र में कारोबारी अवसरों के अत्याधिक सम्भावनाएं मौजूद हैं। भारत की राष्ट्रीय जल नीति 2012 पानी के पुनर्चक्रण और दोबारा इस्तेमाल, उद्योगों के जलीय लेखा परीक्षण और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) पर ध्यान केंद्रित करती है। जल प्रशोधन कारोबार और भारत के तटीय क्षेत्रों के विलवणीकरण उद्योग की वृद्धि के लिये यह काफी अच्छा है। विद्युत और रसायन जैसे उद्योगों ने भी अपनी जल संबंधी जरूरते पूरी करने के लिए विलवणीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

व्यवसाय का वातावरण

जल प्रशोधन का कारोबार बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारी खंड है। बहुत से नई कम्पनियां इस दिशा में प्रयास कर रही हैं, इसमें परंपरागत प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जाती है, हालांकि मैम्ब्रेन आधारित प्रौद्योगिकियों के कम क्षेत्रफल, रसायनों की कम खपत और ओएवंएम की कम जरूरतों जैसे फायदों को देखते हुए बाजार का रुझान उनकी तरफ है। विद्युत संयंत्रों के लिए ईपीसी/बीओपी/संयंत्र जल प्रणाली वाले परियोजना मॉडल को तरजीह दी जाती है। उद्योग ओएंडएम जरूरत के अनुरूप स्वतंत्र जल पैकेज को प्राथमिकता देते हैं, जबकि नगरपालिकाएं अधिकतर परंपरागत प्रौद्योगिकियां और दीर्घकालिक ओएंडएम के जरिये निर्माण स्वामित्व संचालन यानी बीओओ/निर्माण स्वामित्व संचालन हस्तांतरण यानी बीओओटी के माध्यम से परियोजनाएं चलाती हैं।

प्रस्ताव

बीएचईएल निम्नलिखित प्रणालियों के लिए टर्नकी समाधानों की पेशकश करने की तैयारी कर चुकी है : आरओ आधारित समुद्र जल विलवणीकरण संयंत्र, यूएफ–आरओ–ईडीआई आधारित डीएम संयंत्र, बहि–स्त्रावी प्रशोधन संयंत्र, मैम्ब्रेन आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी), उद्योगों और विद्युत संयंत्र के लिए पूर्ण संयंत्र जल प्रणाली जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी)

वर्ष 2013–14 के दौरान, बीएचईएल को पेट्रो रसायन क्षेत्र में 96 एमएलडी अपरिष्कृत जल प्रशोधन संयंत्र (मैम्ब्रेन फिल्ट्रेशन आधारित) के लिये ओपीएएल से जल प्रशोधन प्रणाली के लिए पहला ऑर्डर मिला।

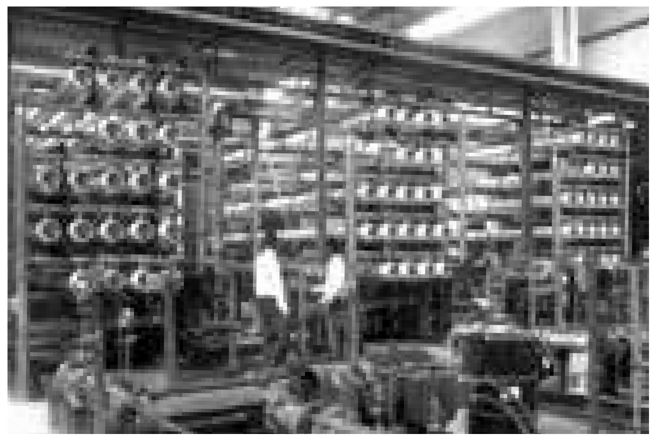

बीएचईएल आरओ आधारित समुद्र जल विलवणीकरण के लिए टर्नकी समाधानों की पेशकश करती है।

वृद्धि की तैयारी

बीएचईएल मैम्ब्रेन आधारित समाधानों के साथ संबद्ध प्रणालियों को शामिल करते हुए जल प्रशोधन कारोबार के लिए समग्र समाधान प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। मैम्ब्रेन आधारित जल प्रशोधन कारोबार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के दृष्टिकोण से बीएचईएल का मैम्ब्रेन कारोबार में विश्व में अग्रणी–जीई इंडिया इंस्ट्रीयल प्राइवेट लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक विनिर्माण सहयोग समझौता (एमएए) रहा है।

1.2.2.6 औद्योगिक उत्पाद

तेल रिग्स, वेल हैड और क्रिसमस ट्रीज, फेब्रीकेटिड उपकरण एवं बॉयलर फीड पम्प्स, कंप्रैसर्स एवं एसी मशीन्स आदि।

वृद्धि की सम्भावनाएं

भारत में तेल एवं गैस क्षेत्र काफी विकसित हो चुका है और अगले 15–20 साल में भारत की ऊर्जा बॉस्केट में यह बड़ी हिस्सेदारी निभाने को तैयार है। भारत सरकार ने हाल ही में नई खनन लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी), विदेश में तेल और गैस परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण, निर्धारित स्थलों पर महत्वपूर्ण भंडारण सुविधाओं का विकास, कोयला, मीथेन गैस हाइड्रैट्स आदि जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना

और अपने हाइड्रोकार्बन विजन 2025 के तहत वर्तमान क्षेत्रों से तेल और गैस की बरामदगी में सुधार लाने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में 4.7 प्रतिशत की सालाना दर से वृद्धि होने का अनुमान है। योजनावधि के दौरान, ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा 1,38,974 किलोमीटर 2डी सैस्मिक और 82,488 वर्ग किलोमीटर 3डी सैस्मिक का अधिग्रहण किये जाने की सम्भावना है। इसके अलावा योजना अवधि में 1310 सम्भावित कुंओं की खुदाई की जाएगी। अन्वेषण के इन उपायों से देश में तेल और तेल के समकक्ष गैस के करीब 727 मिलियन मिट्रिक टन के रूप में हाइड्रोकार्बन भंडार में वृद्धि हो सकती है।

ऐसे में भारत में तेल और गैस उद्योग में विभिन्न महत्वपूर्ण साझेदारों के लिए वृद्धि की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं।

कारोबार का वातावरण

निकट भविष्य में ओएनजीसी नए तेल रिग्स की मांग कर सकता है। ऑयल इंडिया भी दर समझौते के माध्यम से वेल हैड क्रिसमस ट्रीज प्राप्त करने का इच्छुक है। वर्ष 2013–14 में मांग में कमी तथा आर्थिक मंदी का सिलसिला जारी रहने की वजह से भारत में एचटी मोटर्स के उत्पादन में 20 प्रतिशत से ज्यादा कमी आई। विद्युत क्षेत्र से मांग में, जिसमें एचटी मोटर्स का बड़ा हिस्सा शामिल है, इस क्षेत्र की विविध कठिनाइयों की वजह से कमी आई।

प्रस्तुत उत्पाद

तेल रिग्स : बीएचईएल 1975 से विभिन्न प्रकार के तटवर्ती रिग्स के डिजाइन, निर्माण और सेवा क्षेत्र में है। बीएचईएल के पास 9000 मीटर तक की गहराई पर तटवर्ती इलाकों के रिग्स, 3000 मीटर तक की गहराई तक मोबाइल रिग्स और 6100 मीटर की गहराई तक वर्कओवर रिग्स की क्षमता है। इस संम्पूर्ण रिग पैकेज के अलावा, बीएचईएल तेल और गैस की खोज करने वाली भारत की प्रमुख कम्पनियों को तटवर्ती खनन के लिए ड्रॉ–वर्क्स, रोटरी–टेबल, ट्रैवलिंग ब्लॉक, स्विवल, मॉस्ट और सब–स्ट्रक्चर, मड सिस्टम्स तथा रिग इलैक्ट्रिक्स जैसे रिग उपकरणों की भी आपूर्ति करती है।

वैल हैड्स और क्रिसमस ट्री वॉल्व्स : कम्पनी तटवर्ती के साथ–साथ अपतटीय अनुप्रयोगों के लिए भी 10,000 पीएसआई रेटिंग वाले वैल हैड्स और क्रिसमस ट्री वॉल्व्स ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड और खनन करने वाली निजी कम्पनियों को उपलब्ध कराती है।

मैकेनिकल पैकेजिस एवं फेब्रीकेटिड उपकरण : मसलन कॉलम्सः 120 एमएम तक की मोटाई, वैस्सल्स : 120 एमएम तक की मोटाई, रिएक्टर्स : 120 एमएम तक की मोटाई, माउन्डिड बुलेट्स : 120 एमएम तक की मोटाई, क्रायो स्टोरेज टैंक्स : 165 एम 3 (वर्टिकल) एवं 90 एम 3 (हॉरिजेंटल), हीट एक्सचेंजर्स : 450 एमएम तक टीएस, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन संयंत्र और 800 मेगावाट तक के विद्युत संयंत्रों के लिए ड्राइव मोटर/स्टीम टर्बाइन के साथ बीएफपी (बॉयलर फीड वॉटर पम्प)

सेंट्रीफ्यूजल कम्प्रैंसर्स : बीएचईएल को उर्वरक, रिफाइनरीज, पेट्रो रसायन, पाइपलाइन्स, गैस प्रॉसैसिंग, इस्पात उद्योग आदि में अनुप्रयोग के लिए एपीआई 617, 3,00,000 M^3/एचआर तक के प्रवाह, और 350 तक दबाव में सेंट्रीफ्यूजल कम्प्रैसर्स के डिजाइन, निर्माण और सेवा में विशेषज्ञता प्राप्त है। बीएचईएल के पास सभी प्रकार की प्रॉसैस गैसों को सम्भालने के लिए सेंट्रीफ्यूजल कम्प्रैसर्स निर्मित करने की क्षमता मौजूद है।

औद्योगिक उत्पाद (इलैक्ट्रिकल) में एसी स्क्वीरल केज, स्लिप रिंग, सिंक्रोनस मोटर्स (विविध गति अनुप्रयोगों सहित सुरक्षित और जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए) और औद्योगिक विकल्प शामिल हैं।

रेंज : वॉल्टेज–एसी–415 वी से 13800 वी, फ्रीक्वेंसी–50 एचजेड एवं 60 एचजेड, एंक्लोजर्स – एसपीडीपी, टीईटीवी, टीईएफसी, सीएसीए, सीएसीडब्ल्यू और डक्ट वेंटीलेटिड

सुरक्षित क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए एसी मशीन्स :

- स्क्वीरल केज इंडक्शन मोटर्स – 150 केवी – 21000 केवी
- स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स – 150 केवी – 10000 केवी
- सिंक्रोनस मोटर्स – 1000 केवी – 20000 केवी
- वर्टिकल स्लो स्पीड सिंक्रोनस मोटर्स – 4000 केवी – 250000 केवी

जोखिम वाले क्षेत्रों में अनुप्रयोग के लिए एसी मशीन्स

- अग्निरोधी स्क्वीरल केज इंडक्शन मोटर्स – 150 केवी – 1500 केवी
- नॉन स्पार्किंग स्क्वीरल केज एवं सिंक्रोनस मोटर्स – 150 केवी – 21000 केवी
- संवर्द्धित स्क्वीरल केज एवं सिंक्रोनस मोटर्स – 150 केवी – 4000 केवी
- प्रैशराइज्ड मोटर्स
  - 150–21000 केवी (स्क्वीरल केज एवं सिंक्रोनस)

औद्योगिक विकल्पः 3000 केवीए – 25000 केवीए

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- कर्नाटक की मुलवाड लिफ्ट सिंचाई योजना के दूसरे और तीसरे चरण के लिए मैसर्स फ्लोमोर लिमिटेड और मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर क्रमशः 3.5 मेगावाट से 4.3 मेगावाट तक की 36 वर्टिकल इंडक्शन मोटर
- एफसीसी वैट गैस, डीएचडीटी रिसाइकिल गैस और वीजीओ रिसाइकिल गैस के लिए मैसर्स कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड से 3 सेंट्रीफ्यूगल कम्प्रैसर्स

- मैसर्स सीपीसीएल से मैसर्स ईआईएल के माध्यम से 1 डीसीयू वैट गैस कम्प्रैसर
- मैसर्स आईएसजीईसी की ओर से बीपीसीएल, कोच्चि के लिए 2 बीएफपी ड्राइव टर्बाइन्स और एक प्रोसेस पम्प टर्बाइन
- एनटीपीसी नबीनगर के लिए एलस्टॉम से 6 बीएफपी ड्राइव टर्बाइन्स
- आरआईएनएल विजाग से एक एनएमडीसी से 3 टर्बो ब्लोअर का ऑर्डर
- मैसर्स ओएनजीसी और मैसर्स ओआईएल की ओर से ऑयल रिग उपकरण मसलन इंडीपेंडेंट रोटरी ड्राइव (आईआरडी), आल्टरनेटर, मड हैंडलिंग सिस्टम, अंडर स्ट्रक्चर और सुपर एलिवेशन
- मैसर्स ओएनजीसी/ओआईएल/एसईएलएएन की ओर से वैल हैड और क्रिसमस ट्रीज

अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- देश में पहली बार बीएचईएल ने एसी–एसी वैरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) 2000 एपी रिग का प्रौद्योगिकी सहभागी नेशनल ऑयलवैल वारको (एनओवी), यूएसए के साथ मिलकर सफलतापूर्वक निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति की।

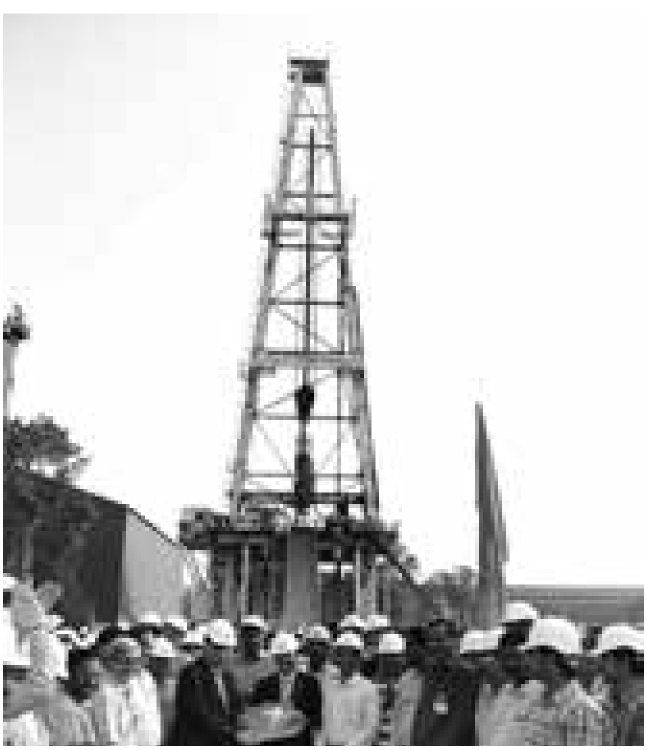

ओएनजीसी के लिए 2000 एचपी एसी–एसी वीएफडी

- एनपीसीआईएल केएपीपी–3 एवं 4 और आरए पीपी–7 और 8 के परमाणु रिएक्टर में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के लिए 6 मेगावाट, 6.6 केवी, 1500 आरपीएम वर्टिकल केज इंडक्शन मोटर का सफलतापूर्वक निर्माण, परीक्षण और आपूर्ति की।
- बॉयलर फीड पम्प अनुप्रयोग के लिए भारत की सर्वाधिक रेटिंग 20.5 मेगावाट, 11 केवी, 1500 आरपीएम मोटर 20.5 मेगावाट 11केवी 4 पीओएलई, 1500 आरपीएम मोटर बॉयलर फीड पम्प अनुप्रयोग के लिए सफलतापूर्वक विकसित की।

बॉयलर फीड पम्प अनुप्रयोग के लिए विकसित 20.5 मेगावाट 11 केवी 4 पोल, 1500 आरपीएफ मोटर

- कम्पनी तेल क्षेत्र और ई एवं पी कम्पनियों से वैल हैड और क्रिसमस ट्रीज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 15 एम (15000 पीएसआई) वैल हैड भी विकसित कर रही है
- एसएआईएल बर्नपुर और राउरकेला संयंत्रों में ड्राइव टर्बाइन्स के साथ दो टर्बो ब्लोअर्स चालू किये गये
- बेजोड़ स्टील ट्यूब्स बनाने के लिए अत्याधुनिक क्रॉस पियर्सिंग एलॉगेशन (सीपीई) निर्माण प्रक्रिया के साथ बीएचईएल कम समय में अब लम्बी ट्यूब्स (22 मीटर लम्बाई तक) की आपूर्ति कर बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों की जरूरते पूरी कर सकती है।

वृद्धि की तैयारी

बीएचईएल सुपुर्दगी में लगने वाले समय में कटौती करके, सबसे किफायती मूल्य और गुणवत्ता में सुधार लाने के निरंतर प्रयास करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।

1.2.2.7 रक्षा

वृद्धि की सम्भावनाएं

भारतीय रक्षा क्षेत्र तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और हमारा देश अब दुनिया भर में रक्षा क्षेत्र का 10वां बड़ा निवेशक है। भारत

ने 2011 में अपने 70 प्रतिशत रक्षा उत्पाद विदेशी कम्पनियों से प्राप्त करके खुद को दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में स्थापित किया। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने भारतीय उद्योग को रक्षा जरूरतों के मुताबिक विकास और निर्माण करने के लिए विविध तरह की नीतिगत पहल की है। इसके परिणामस्वरूप भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिप्राप्ति नीति लागू की है। इसमें खरीदने और बनाने की (भारतीय) वरीयता के मुताबिक वर्गीकरण व्यवस्था शामिल है, महत्वपूर्ण संघटकों में कुल लागत पर 30 प्रतिशत खरीद (भारतीय) श्रेणी प्राप्त की जाएगी, प्रौद्योगिकी के रखरखाव और हस्तांतरण के लिए बीएसए का अवसर, अधिग्रहण 300 करोड़ से बढ़ने पर खरीद (वैश्विक) तथा खरीद एवं निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के साथ समायोजन का प्रावधान है।

प्रस्तुत उत्पाद

बीएचईएल पिछले 20 वर्षों से भारतीय रक्षा और अर्द्धसैनिक बलों के लिए सामरिक उपकरण एवं सेवाओं के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरी है। बीएचईएल के पास भारतीय रक्षा जरूरते पूरी करने के लिए विविध उपकरणों का निर्माण करने और सम्पूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये समर्पित अभियांत्रिकी एवं विनिर्माण सुविधाओं के साथ विशाल बुनियादी ढांचा है। बीएचईएल द्वारा बनाये जा रहे प्रमुख उत्पादों में सुपर रैपिड गन माउंट, नौसेना के जहाजों के लिए इंटीग्रेटिड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, टी 72 टैंक्स के लिए टर्ट कॉस्टिंग, थर्मो प्रैस्ड संघटक और एटीवीपी उपकरण आदि शामिल हैं।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- पीपावाव डिफेंस एंड ऑफश्योर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (पीडीओईसीएल) की ओर पांच 76/62 सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) का ऑर्डर मिला।

सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम)

- भारतीय नौसेना के लिए पहले जहाज सैट पी15ए ऑग्जिलियरी कंट्रोल सिस्टम को सफलतापूर्वक चालू करके प्रथम उपलब्धि प्राप्त की।
- बीएचईएल और पीडीओईसीएल के बीच आपसी कोरोबारी हितों में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए।

वृद्धि की तैयारी

बीएचईएल भारतीय रक्षा क्षेत्र में उभर रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए रक्षा से संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और वैश्विक ओईएम के साथ उत्पाद विकास और सहयोग पर ध्यान दे रही है। कम्पनी 127 एमएम मीडियम कैलिबर गन एवं 30 एमएम नेवल गन के लिए उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

1.2.3 अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

वृहत् अवसर

आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण साधन है। विकासशील देश रहन–सहन के तरीकों में सुधार, शहरीकरण, बढ़ती आय के कारण घरों के बढ़ते खर्च, औद्योगिक विद्युत खपत तथा इलैक्ट्रॉनिक्स, उपकरणों और अन्य सुविधाओं तक व्यापक पहुंच के साथ बदलाव के बड़े दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया भर में ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। अमरीकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के वर्ष 2013 के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दृष्टिकोण के अनुसार दुनिया में बिजली के इस्तेमाल में 2010 से 2040 के बीच 90 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। इस वृद्धि में ज्यादा योगदान विकासशील देशों का होगा।

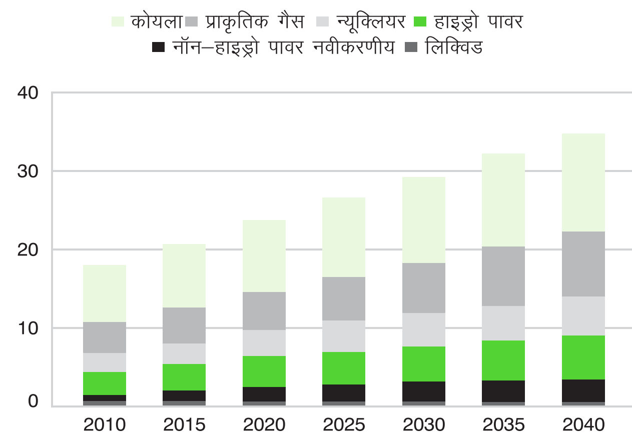

विश्व में उत्पादित कुल विद्युत–द्वारा ऊर्जा स्रोत 2010–2040 (ट्रिलियन किवा. घंटे)
स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आउटलुक (आईईओ), 2013

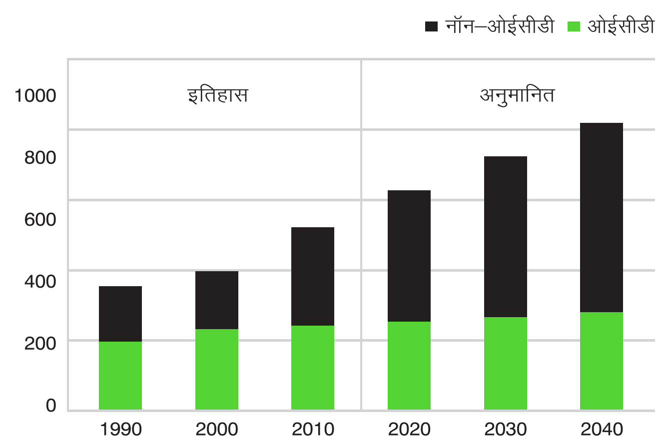

विश्व में कुल ऊर्जा की खपत–1990–2040 (क्वाड्रिलियन बीटीयू)
स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आउटलुक (आईईओ), 2013
(यू.एस. ऊर्जा सूचना प्रशासन)

2010 से 2040 के दौरान ऊर्जा की इस वैश्विक मांग में 85 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि गैर–ओईसीडी (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) देशों के बीच सशक्त आर्थिक वृद्धि और बढ़ती आबादी की वजह से होगी। इस मांग में सबसे ज्यादा योगदान विकासशील देशों का होगा और ज्यादातर वैश्विक वृद्धि विकासशील एशिया में होगी। भारत और चीन दुनिया में आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा की मांग में वृद्धि की दृष्टि से अग्रणी रहेंगे। 1990 से, दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कुल ऊर्जा में दोनों देशों में ऊर्जा की खपत हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है, ये दोनों देश 1990 में विश्व की कुल ऊर्जा खपत में से 10 प्रतिशत और 2010 में करीब 24 प्रतिशत के लिए जवाबदेह रहे।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने और पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र में राजनीतिक एवं नागरिक अशांति में कमी आने से आने वाले वर्षों में बीएचईएल के लिए वहां और भी अवसर प्रस्तुत होंगे, विशेषकर खाड़ी क्षेत्र में, जो पिछले कुछ वर्षों से बीएचईएल के लिए सफल बाजार रहा है। ओमान, लीबिया, यमन और इराक जैसे देश विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विद्युत क्षमता में वृद्धि करना जारी रखेंगे। इसी तरह विद्युत की कमी से जूझ रहे अफ्रीका क्षेत्र में भी काफी सम्भावनाएं मौजूद है, जो कम्पनी के लिए इस क्षेत्र में कदम रखने के अवसरों की पेशकश कर रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम अच्छी सम्भावनाओं की पेशकश करते हैं, क्योंकि इन देशों में विद्युत आपूर्ति आर्थिक वृद्धि और औद्योगिकरण की गति के मुताबिक नहीं हो सकी है। दक्षेस क्षेत्र भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे विकास की व्यापक संभावनाओं वाले देशों के साथ आशाजनक अवसरों की पेशकश कर सकता है। बीएचईएल रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस और ताजिकिस्तान जैसे देशों का भी लक्ष्य कर रहा है, जो स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) का हिस्सा हैं और निवेश की भरपूर सम्भावनाओं से युक्त हैं।

व्यवसाय का वातावरण

वर्ष 2013–14 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी रही। दुनिया भर में आर्थिक मंदी के पांच साल भी, मितव्ययिता और पूंजीगत खर्च में कमी अब तक विद्यमान है। वित्तीय क्षेत्र के अधूरे सुधारों, कमजोर मौद्रिक नीति जैसे पुराने अवरोध मौजूद हैं कुछ यूरोपीय देशों की अर्थव्यस्था पर कारपोरेट कर्ज का दबाव है और बहुत से विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब तक सरकार के भारी कर्ज और उससे संबद्ध वित्तीय और आर्थिक जोखिम से जूझ रही है। मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र में आने वाले दशकों में विद्युत की मांग सात प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ते रहने की सम्भावना है, लेकिन राजनीतिक और असैन्य असंतोष जारी रहने से वर्तमान में कारोबार की सम्भावनाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। मिस्र और यूक्रेन जैसे देशों में हाल के वर्षों में भू राजनीतिक जोखिम भी उभर आए हैं।

वर्तमान आर्थिक वातावरण अनिश्चित होने के बावजूद केंद्रित प्रयास दुनिया भर में लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में बीएचईएल के लिए मददगार रहे हैं। ऐसी चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों और तमाम कठिनाइयों के बावजूद कम्पनी ने ऑर्डर्स में पिछले साल की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। कुल मिलाकर बीएचईएल को दुनिया भर के 21 देशों से अन्य उत्पादों और सेवाओं के अलावा कुल 1700 मेगावाट के विद्युत संयंत्र उपकरण के लिए ऑर्डर मिले हैं।

निर्यात में हमारे अनुभव

बीएचईएल चार दशकों से दुनिया भर में भारतीय अभियांत्रिकी उद्यमों की अग्रदूत रही है। कम्पनी ने 76 देशों के साथ संदर्भ प्राप्त किये हैं और उसने भारत से बाहर करीब 17000 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र उपकरणों के लिए अनुबंध किया है। वैश्वीकरण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए बीएचईएल ने निर्यात में लगातार वृद्धि हासिल की है।

इन संदर्भों के दायरे में तापीय, हाइड्रो और गैस आधारित टर्न की विद्युत परियोजनाओं, सबस्टेशन परियोजनाओं, पुनर्वास परियोजनाओं के साथ–साथ ट्रांसफॉर्मर्स, कंप्रेस्सर्स, मोटर्स, वॉल्व्स और तेल क्षेत्र के उपकरण, इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रीसीपिटेटर्स, फोटोवॉल्टिक इक्विप्मेंट, इंसुलेटर्स, हीट एक्सचेंजर्स, स्विचगियर्स, कास्टिंग्स और फार्गिंग्स आदि सहित बीएचईएल के उत्पादों और सेवाओं की पूरी रेंज आती है।

विदेशी बाजार में बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों के साथ विद्युत संयंत्रों की क्षमता की उत्तरोत्तर में वृद्धि 10,088 मेगावाट है। बीएचईएल द्वारा हासिल सफलताओं में से कुछ प्रमुख सफलतायें उसने ओमान, लीबिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, कजाकिस्तान, बेलारूस और यमन में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं में, साइप्रस, मालटा, लीबिया, मिस्र, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सूडान, सीरिया, इथियोपिया, वियतनाम, सेनेगल, न्यू कालेडोनिया में तापीय विद्युत परियोजनाओं में, भूटान, न्यूजीलैंड, मलेशिया, अजरबेजान, नेपाल, ताइवान, ताजिकिस्तान, वियतनाम, रवांडा, थाईलैंड, अफगानिस्तान, कांगो में हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं में तथा सबस्टेशन परियोजनाओं और उपकरणों में कई देशों में सफलताएं हासिल की हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन ने बीएचईएल को विश्व विख्यात

बीएचईएल के वैश्विक पदचिन्ह

अफ्रीका
अलजीरिया
बुरूंडी
डॉ कांगो
मिस्र
इथियोपिया
घाना
केन्या
लीबिया
मलावी
मॉरीशस
नाइज़ीरिया
रावान्डा
सेनेगल
दक्षिण अफ्रीका
सूडान
स्वाज़ीलैंड
तंजानिया
युगांडा
जाम्बिया
ज़िम्बाब्वे

एशिया
अफगानिस्तान
बांग्लादेश
भूटान
चीन
हॉंगकॉंग
इंडोनेशिया
ईरान
ईराक
जापान
जॉर्डन
कजाकिस्तान
कुवैत
लाओस
मलेशिया
म्यांमार
नेपाल
ओमान
फिलीपिंस
सउदी अरब
सिंगापुर
श्री लंका
सीरिया
ताजिकिस्तान
ताइवान
थाइलैंड
संयुक्त अरब अमीरात
वियतनाम
यमन

यूरोप
अज़रबैजान
बेलारुस
बुल्गारिया
साइप्रस
फ्रांस
फिनलैंड
जॉर्जिया
जर्मनी
ग्रीस
इटली
आयरलैंड
माल्टा
पोलैंड
रोमानिया
रूस
स्वीडन
स्विट्जरलैंड
तुर्की
यूक्रेन
ब्रिटेन

उत्तरी अमेरिका
कनाडा
ट्रिनिडाड और टोबैगो
संयुक्त राज्य अमेरिका

ओशिनिया
ऑस्ट्रेलिया
न्यूज़ीलैंड
न्यू कैलेडोनिया
समोआ

दक्षिण अमेरिका
सूरीनाम

परामर्श संगठनों और निगरानी एजेंसियों के साथ काम करने अवसर प्रदान किया है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

वर्ष 2013–14 में प्राप्त ऑर्डर

वर्ष के दौरान बीएचईएल को निम्नलिखित प्रतिष्ठित ऑर्डर मिले:

- **ऑयल रिग्स के प्रथम विदेशी ऑयल ऑर्डर – इंडोनेशिया** – कम्पनी को तीन 1500 एचपी ऑयल रिग्स की आपूर्ति का पहला ऑर्डर इंडोनेशिया से मिला। चीन और यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों की कम्पनियों सहित दुनिया की प्रमुख कम्पनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद बीएचईएल को ऑयल रिग्स के क्षेत्र में यह पहला ऑर्डर मिला है।

- **वर्तमान बाजार में नया उत्पाद** – बंग्लादेश– बीएचईएल ने बंग्लादेश में 2X120 मेगावाट सिद्धगंज गैस आधारित विद्युत संयंत्र के लिए दीर्घकालिक सेवा समझौता (एलटीएसए) हासिल कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। विदेशी बाजार में बीएचईएल का पहला एलटीएसए ऑर्डर है।
- **पश्चिम एशिया से कैप्टिल स्पेयर्स के लिए विशालतम ऑर्डर** – संयुक्त अरब अमीरात–बीएचईएल को अल घेल विद्युत परियोजना के लिए कैप्टिल स्पेयर्स का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। पश्चिम एशिया के लिए यह बीएचईएल का कैप्टिल स्पेयर्स का सबसे बड़ा ऑर्डर है।
- **जाम्बिया, यूगांडा और कजाकिस्तान** – बाजार में मौजूद नए उत्पाद–जाम्बिया से पहली बार मोटर्स के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ। बीएचईएल को पहली बार यूगांडा और कजाकिस्तान से ब्रशलैस एक्साइटर की आपूर्ति का ऑर्डर भी मिला।
- **दोबारा ऑर्डर मिले** – ओमान से वैलहैड्स के और केन्या से मोटर्स के दोबारा ऑर्डर मिले। इसी तरह अमरीका की मेत्सो ऑटोमेशन ने पहले के प्रदर्शन से संतुष्टी होने की वजह से लगातार तीसरे साल कंट्रोल इक्विप्मेंट की आपूर्ति का ऑर्डर दिया।
- **बिक्री के बाद सेवा** – बीएचईएल बिक्री के बाद अपने ग्राहकों को अच्छी और त्वरित सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश, भूटान, फ्रांस, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत, नेपाल, न्यू कालेडोनिया, नाइजीरिया, ओमान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, अमरीका और यमन सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से स्पेयर्स और बिक्री के बाद सेवाओं के लिए ऑर्डर मिले।

ग्राहकों से सराहना

बीएचईएल को दुनिया के विभिन्न देशों से सराहना मिली है। इनमें बीएचईएल के उपकरणों के बेहतरीन प्रदर्शन और संचालन के लिए बेलारूस के आरयूई ग्रोदनोएनर्जो, परियोजना के जल्द और सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर भूटान से और उपकरणों की विलक्षण गुणवत्ता के लिए ताजिकिस्तान के पामीर एनर्जी से मिली सराहना विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

विदेश में कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाएं

वर्ष 2013–14 के दौरान बीएचईएल ने विदेशी बाजारों में 653 मेगावॅाट की क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों को सफलतापूर्वक चालू किया। वर्ष के दौरान कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाएं हैं –

- सूडान – 4X125 मेगावॅाट यूनिट 3 और 4, कोस्ती तापीय विद्युत संयंत्र
- बेलारूस – 126 मेगावाट ग्रोदनो–2, गैस टर्बाइन आधारित सह–उत्पादन विद्युत संयंत्र
- इथियोपिया – 2X12.5 मेगावाट यूनिट–2, फिंचा शुगर फैक्टरी
- वियतनाम – 2X10 मेगावाट यूनिट–2, नेम चियेन हाइड्रो परियोजना
- न्यू कालेडोनिया – 2X135 मेगावाट यूनिट–1, कोनियाम्बो निकेल एसएएस (बॉयलर)
- इंडोनेशिया – 2X30 मेगावाट यूनिट–2, पीटी एमएसडब्ल्यू सीएफबीसी बॉयलर परियोजना
- ईरान – ताबरिज रिफाइनरी के लिए हाइड्रोजन रिसाइकल कंप्रेस्सर

बीएचईएल इस समय दुनिया के 20 देशों में करीब 7000 मेगावाट के विद्युत संयंत्र उपकरणों की 28 परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

सूडान में सम्पादित 4ग125 मेगावाट यूनिट–3 एवं 4, कोस्ती थर्मल पावर प्लांट

बेलारुस में सम्पादित 126 मेगावाट ग्रोडनो–II, गैस टर्बाइन आधारित कोजनरेशन पावर प्लांट

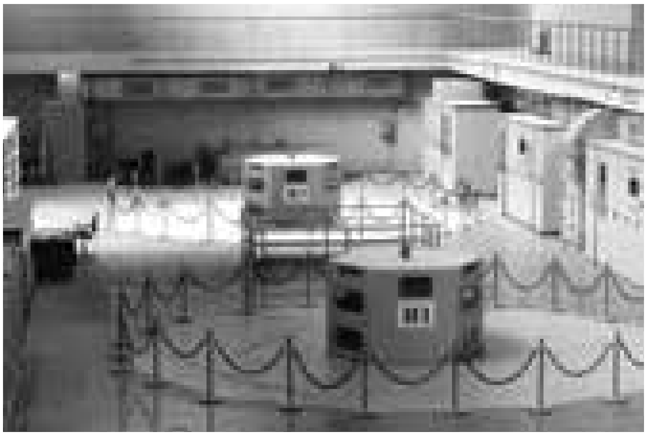

वियतनाम में निष्पादित 2x100 मेगावाट यूनिट–2 नाम चियन हाइड्रो प्रोजेक्ट

वृद्धि की तैयारी

भौगोलिक विविधता बीएचईएल के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिये अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बढ़ाने के लिए पर्याप्त बल दिया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, कारोबार की वृद्धि को बल देने के लिए लक्षित बाजारों की पहचान के साथ विदेशी कारोबार में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना लागू है। रणनीतिक योजना के साथ केंद्रित प्रयास करते हुए बीएचईएल ने दुनिया के सभी महाद्वीपों के 76 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। इन बाजारों में बीएचईएल उपस्थिति मजबूत बनाने और नए स्थलों तक कम्पनी की पहुंच सम्भव बनाने के प्रयास जारी हैं।

1973 जीडब्ल्यू अतिरिक्त योजनाबद्ध – 2010–25

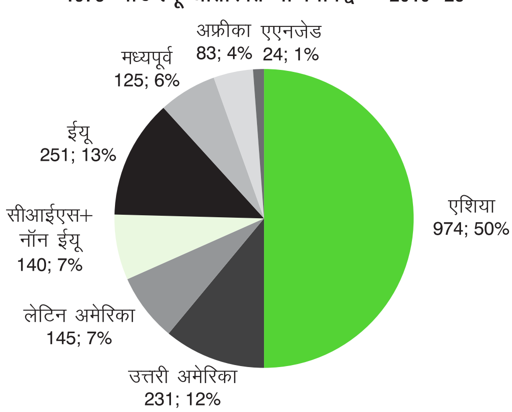

दुनियाभर में 2010–25 के दौरान नियोजित विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि
स्रोत – प्लैट्टस वर्ल्ड इलैक्ट्रिक पॉवर प्लांट डाटाबेस

प्लैट्टस के अनुसार, 2010–2025 के दौरान दुनिया भर में 1973 गीगावॉट विद्युत क्षमता बढ़ाने की योजना है। भारत और चीन अपनी क्षमता को बढ़ाने वाले प्रमुख देश है। जिन बाजारों तक बीएचईएल की पहुंच सम्भव है वे दुनिया में उसकी मौजूदा उपस्थिति के आधार पर इसमें 165 गीगावॉट की वृद्धि करते हैं और अपार अवसर उपलब्ध कराते हैं।

कार्य की जटिलता साथ ही साथ प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता और अन्य जरूरतों के आधार पर कम्पनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतें पूरी करने में सफल रही है। बीएचईएल में विशाल परियोजनाओं में अन्य अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सम्पर्क और उनके साथ मिलकर कार्य करने के लिए जरूरी लचीलापन मौजूद है और उसने मध्यवर्ती उत्पादों का निर्माण और उनकी आपूर्ति करके अनुकूलशीलनता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कम्पनी ने विदेशी कारोबार को कई गुणा बढ़ाने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वृद्धि को और ज्यादा बल देने के लिए कई उपाय किये हैं। उसके द्वारा किये गये प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं :

- स्थानीय बाजार की कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाकर निर्माण और उपकरणों की सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए अवसरों की पहचान और उन ध्यान देना
- भारत की तेल एवं गैस क्षेत्र की कम्पनियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके ऊर्जा सुरक्षा द्वारा प्रदत्त अवसरों पर बल देना
- बीएचईएल अपने प्रस्तावों के साथ वित्तपोषण को शामिल करने तथा अपने ग्राहकों को समग्र समाधान की पेशकश करने के लगातार प्रयास कर रही है। परियोजना के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं देखें–भारत सरकार के जरिये ऋण सहायता, परियोजना संसाधन वित्तपोषण, एनईआईए योजना आदि।
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीएचईएल की भूमिका को ईपीसी कांट्रेक्टर के रूप में सशक्त बनाने के लिए अवसरों के अनुरूप और बाजार के अनुरूप गठबंधन बनाए जा रहे हैं।

उपरोक्त बातों के अनुसार, 240 मेगावाट उलान उदे तापीय विद्युत स्टेशन–2 के निर्माण के लिए बरयातिया, रूस तथा ईपीसी आधार पर दो से चार मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए विद्युत मंत्रालय, मलावी सरकार के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं। इसके अलावा मोजाम्बिक में 2x21 मेगावाट विद्युत संयंत्र को नयी जगह स्थानांतरित करने के लिए पावर प्लांट्स ईपीसी लिमिटेड के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

1.3 कंपनी का वित्तीय कार्यनिष्पादन

1.3.1 स्टैंडएलोन वित्तीय परिणाम

1.3.1.1 तुलन पत्र

शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
अधिकृत शेयर पूंजी	**2000**	2000
जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी	**490**	490

वर्ष 2013–14 के दौरान एलआईसी को ब्लॉक डील के जरिए बीएचईएल की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 4.66 प्रतिशत की बिक्री के परिणामस्वरूप भारत सरकार का हिस्सा 67.72 प्रतिशत से घटकर 63.06 प्रतिशत हो गया।

प्रारक्षित एवं अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
प्रारक्षित पूंजी	**37**	3
सामान्य प्रारक्षित	**31350**	28850
लाभ और हानि का अधिशेष	**1171**	1102
	32558	29955

कंपनी की एक पूर्ववर्ती सहायक कंपनी बीएचपीवी का विलय होने के फलस्वरूप आरंक्षित पूंजी में ₹ 34 करोड़ की वृद्धि हो गई है। वर्ष 2013–14 के लिए लाभ में से ₹ 2500 करोड़ की राशि सामान्य प्रारक्षित पूंजी में स्थानातंरित कर दी गई है।

ऋण

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14			वि.वर्ष 2012-13		
	दीर्घावधि	लघु अवधि	कुल	दीर्घावधि	लघु अवधि	कुल
दीर्घावधि लघु अवधि कुल	105	0	105	129	0	129
असुरक्षित ऋण–वित्तीय लीज़ दायित्व	0	2550	2550	0	1286	1286
	105	**2550**	**2655**	129	1286	1415

प्रभावी नकदी प्रबंधन के लिए निर्यात क्रेडिट के कारण ऋणों में वृद्धि हुई है।

अन्य दीर्घावधि/वर्तमान देनदारियां

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14			वि.वर्ष 2012-13		
	अन्य दीर्घावधि देनदारियां	वर्तमान देनदारियां	कुल	अन्य दीर्घावधि देन–दारियां	वर्तमान देन–दारियां	कुल
व्यापार भुगतान (स्वीकृतियों सहित)	765	8719	9484	756	9675	10431
ग्राहकों और अन्य से प्राप्त जमा	75	538	613	74	481	555
ग्राहकों और अन्य से प्राप्त अग्रिम	5760	8902	14662	4960	11261	16221
अन्य देनदारियां/भुगतान	-	2004	2004	-	2120	2120
	6600	**20163**	**26763**	5790	23537	29327

अन्य दीर्घावधि देनदारियों में कमी मुख्यत: प्रचालन के निचले स्तर और ग्राहकों से अग्रिमों में कमी के कारण है।

प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14			वि.वर्ष 2012-13		
	दीर्घावधि	लघु अवधि	कुल	दीर्घावधि	लघु अवधि	कुल
कर्मचारी लाभार्थ प्रावधान	2438	570	3008	2185	488	2673
संविदा दायित्व हेतु प्रावधान	4693	944	5637	3614	1376	4990
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	-	435	435	-	941	941
अन्य प्रावधान	365	881	1246	145	193	338
	7496	**2830**	**10326**	5944	2998	8942

वृद्धि मुख्यत: संविदात्मक दायित्व और अन्य के लिए सृजित प्रावधानों के लिए लागू लेखाकरण मानदंडों के अनुरूप है।

स्थाई परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
सकल ब्लॉक	12050	10783
घटाएं– मूल्यह्रास/ परिशोधन	7360	6328
घटाएं– पट्टा समायोजन लेखा	(3)	(3)
निवल ब्लॉक	4693	4458
चालू पूंजीगत कार्य प्रगति पर	622	1134
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	20	38
	5335	5630

सकल ब्लॉक में ₹ 1267 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः स्वदेशीकरण, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ग्रह परियोजना संबंधी पूंजीनिवेश के कारण है।

गैर चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
दीर्घावधि व्यापार निवेश	420	429

गैर चालू निवेशों में बदलाव पूर्ववर्ती बीएचपीवी के विलय के फलस्वरूप ₹ 34 करोड़ के निरस्तीकरण के कारण और कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान एनबीपीपीएल को ₹ 25 करोड़ के अतिरिक्त इक्विटी अंशदान के कारण है।

आस्थगित कर आस्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	1969	1551

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में निवल वृद्धि मुख्यतः उन मदों के कारण है जो कि पूर्ववर्ती बीएचपीवी लिमि. के संबंध में पहली बार डीटीए सृजन के समावेशी समय अंतर की प्रकृति के कारण है।

ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14			वि.वर्ष 2012-13		
	दीर्घावधि	लघु अवधि	कुल	दीर्घावधि	लघु अवधि	कुल
ऋण और अग्रिम	1167	2024	3191	905	2029	2934

दीर्घावधि ऋणों में बढ़ोतरी मुख्यतः प्रचालन आवश्यकताओं के कारण है।

मालसूची

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
मालसूची	9798	11764

मालसूची में कमी प्रचालनों के स्तर के अनुरूप है।

प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14			वि.वर्ष 2012-13		
	दीर्घावधि	व्यापार प्राप्य	कुल	दीर्घावधि	व्यापार प्राप्य	कुल
व्यापार प्राप्य (निवल)	11881	28072	39953	10654	29234	39888

विद्युत क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय मुद्दों के बावजूद, पिछले वर्ष के मुकाबले 0.16 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई है।

नकद और बैंक अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
नकद और बैंक अधिशेष	11873	7732

2013–14 के अंत में नकद एवं बैंक अधिशेष 2012–13 के अंत में ₹ 6446 के मुकाबले लघु अवधि ऋणों का निवल ₹ 9323 होगा।

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
अन्य चालू परिसंपत्तियां	253	200

अन्य चालू परिसंपत्तियां बैंक जमाओं और निवेशों पर प्राप्त ब्याज है।

1.3.1.2 लाभ एवं हानि विवरण

परिचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
सकल कारोबार	**40338**	50156
घटाएं ₹ उत्पादक शुल्क	**1342**	1904
घटाएं ₹ सेवा कर	**607**	635
प्रचालनों से राजस्व (निवल)	**38389**	47618

वर्ष 2013–14 में विद्युत क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र ने कंपनी के कुल राजस्व में पिछले वर्ष के 79 प्रतिशत और 21 प्रतिशत के मुकाबले क्रमशः 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का योगदान किया।

अन्य प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
निर्यात प्रोत्साहन	**27**	24
स्क्रैप बिक्री	**285**	283
अन्य	**408**	500
	720	807

अन्य प्रचालन आय में कमी प्रचालनों के स्तर के अनुरूप है।

अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
विनिमय विभिन्नता (निवल)	**659**	143
ब्याज आय	**631**	605
अन्य	**326**	374
	1616	1122

वर्ष के दौरान अन्य आय में बढ़ोतरी मुख्यतः विनिमय विभिन्न लाभ (निवल) के कारण है।

सामग्री की खपत, निर्माण एवं इंजीनियरी व्यय

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
कच्ची सामग्री एवं संघटकों की खपत की लागत	**17138**	23044
स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत	**569**	584
निर्माण एवं इंजीनियरी व्यय	**4392**	4271
	22099	27899

डब्ल्यूआईपी एवं एफजी में अभिवृद्धि/कमी के समायोजन के उपरांत शुद्ध कारोबार का प्रतिशत 2012–13 में 59.13 प्रतिशत से बढ़कर 59.67% हो गया

कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
कर्मचारी लाभ व्यय	**5934**	5753

कर्मचारी लाभ व्यय में 3 प्रतिशता की सामान्य वृद्धि हुई है।

वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
ब्याज और अन्य ऋण लागत	**133**	125

ब्याज लागत वित्त लीज पर ली गई परिसंपत्तियों पर लीज किराए के ब्याज घटक तथा वर्ष के दौरान लघु अवधि ऋणों पर ब्याज का प्रतिनिधित्व करती है।

विनिर्माण, प्रशासन बिक्री और वितरण के अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण के अन्य व्यय	**3309**	3777

अन्य व्ययों में कमी प्रचालनों के स्तर के अनुरूप है।

प्रावधान (निवल)

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
प्रावधान (निवल)	**2259**	1566

बढ़ोतरी मुख्यतः लागू लेखाकरण मानदंडों के अनुरूप संविदात्मक दायित्व और अन्य हेतु सृजित प्रावधानों के कारण है।

मूल्यह्रास

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
मूल्यह्रास	**983**	953

मूल्यह्रास में ₹ 30 करोड़ की वृद्धि सकल ब्लॉक में वृद्धि के कारण है।

कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
आयकर–चालू वर्ष	**1900**	3042
– पिछले वर्ष	**11**	(220)
आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)	**(357)**	(4)
कर व्यय (निवल)	**1554**	2818

कर व्यय में कमी (निवल) वर्ष के लिए लाभ में परिवर्तन के अनुरूप है।

कर पश्चात लाभ

(₹ करोड़ में)

	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
कर पश्चात लाभ	**3461**	6615

1.3.2 सहायक कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीनन्स लिमि.

19 जनवरी, 2011 को ₹ 5.36 करोड़ की इक्विटी निवेश के साथ ''बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड'' के नाम से एक सहायक कम्पनी का निगमन किया गया, जिसमें बीएचईएल के पास 51% का मुख्य अंश है और केरल सरकार के पास 49% है। 2013–14 में बीएचईएल ईएमएल ने ₹ 37.03 करोड़ के कारोबार पर ₹ 1.06 करोड़ का घाटा दर्ज़ किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**5.36**	5.36
कारोबार	**37.03**	26.53
कर पश्चात लाभ	**(1.06)**	(0.55)

1.3.3 संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)

बीजीजीटीएस, बीएचईएल तथा जीई, यूएसए का एक संयुक्त उपक्रम है। इसका गठन जीई द्वारा डिजाइन की गई गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विस के लिए किया गया है। कंपनी वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है–

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.वर्ष 2013-14	वि.वर्ष 2012-13
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**2.38**	2.38
वर्ष के दौरान बुक किए गए आर्डर	**576.05**	489.20
कारोबारन	**782.62**	813.78
कर उपरांत लाभ	**75.75**	81.70
निवल मूल्य	**193.59**	157.38

वर्ष के दौरान बीजीजीटीएस ने ₹ 4.76 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी पर 510 प्रतिशत अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और प्रस्तावित अंतिम लाभांश 200% है।

एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्टस प्रा.लिमि. (एनबीपीपीपीएल)

बीएचईएल ने एनटीपीसी के साथ मिलकर भारत और विदेश में विद्युत संयंत्रों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ईपीसी अनुबंध संचालित करने के लिए ''एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड'' शुरू किया है। संयुक्त उद्यम ने मन्नावरम, आं.प्र. में भूमि अधिगृहीत की है और ईपीसी के संचालन तथा विद्युत संयंत्रों के लिए बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) के विनिर्माण के लिए निवेश के चरण–1 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मन्नावरम में बीओपी विनिर्माण सुविधा के 2014–15 में चालू होने की आशा है। एनबीपीपीपीएल ने कोल हैंडलिंग प्लांट्स के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए मैसर्स डीएमडब्ल्यू, अमरीका के साथ चालू प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता किया है। जेवीसी को एनटीपीसी से 5 अगस्त, 2013 को 1x500 मेगावाट फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना के लिए ईपीसी अनुबंध प्राप्त हुआ है। जेवीसी इसे सौंपे गए बैलेंस ऑफ प्लांट उपकरणों के लिए भी आदेशों का निष्पादन कर रहा है। वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.वर्ष 2013-14*	वि.वर्ष 2012-13
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**50.00**	25.00
कारोबार	**85.41**	116.25
कर पश्चात लाभ	**10.30**	5.66

*अनंतिम आंकड़ों पर आधारित

रायचूर पावर कार्पोरेशन लिमि.

बीएचईएल ने निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर येरामारूस, रायचूर, कर्नाटक में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र और इडलापुर, रायचूर, कर्नाटक में 1x800

मेगावाट सुपरक्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। संयुक्त उद्यम कंपनी ''रायचूर पावर कार्पोरेशन लिमिटेड'' के नाम से 15 अप्रैल, 2009 को गठित की गई थी। संयुक्त उद्यम की 10 करोड आरंभिक अधिकृत और प्रदत्त इक्विटी केपीसीएल और बीएचईएल के लिए समान रूप से निर्धारित की गई थी। नवंबर 2011 में वित्तीय बंदी और आईएफसीआई के तृतीय पक्ष के तौर पर शामिल होने के अनुरूप इक्विटी संरचना में परिवर्तन पर सहमति हो गई है और अंतिम इक्विटी धारित केपीसलएल 50 प्रतिशत, बीएचईएल 26 प्रतिशत और आईएफसीआई 24 प्रतिशत की होगी।

संयुक्त उद्यम को पर्यावरण और वन मंत्रालय से 2x800 मेगावाट येरामारूस परियोजना के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है और 2x800 मेगावाट येरामारूस परियोजना का निष्पादन अग्रिम चरण में है। यह आशा की जाती है कि यूनिट 2014–15 के दौरान समकालीन बनाने की प्रक्रिया को हासिल कर लेगी। 1x800 मेगावाट इदलापुर परियोजना के लिए ₹ 3600 करोड़ का एलओए का निपटारा कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई का नोटिस पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति के बाद जारी किया जाएगा।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.वर्ष 2013-14*	वि.वर्ष 2012-13
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**331.52**	331.52
निवल ब्लॉक	**40.13**	38.43
प्रगति में पूंजीगत कार्य (पूंजी व्यय के लिए अग्रिमों सहित)	**6530.69**	3859.69

*अनंतिम आंकड़ों पर आधारित

दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड

बीएचईएल ने निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन आधार पर खण्डवा, मध्यप्रदेश में 2x800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम प्रवर्तित किया है। यह संयुक्त उद्यम ''दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड'' के नाम 25 फरवरी, 2010 को निगमित किया गया था। संयुक्त उद्यम की आरंभिक अधिकृत और प्रदत्त इक्विटी ₹ 5 करोड़ एमपीपीजीसीएल और बीएचईएल द्वारा समान रूप से निर्धारित की गई थी। वर्तमान में प्रदत्त इक्विटी पूंजी ₹ 45 करोड़ है, जिसमें बीएचईएल और एमपीपीजीसीएल ने प्रत्येक ने ₹ 22.5 करोड़ प्रदान किए है ताकि संयुक्त उद्यम भूमि अधिग्रहण खर्चों को पूरा कर सके। श्रेष्ठ संभव प्रयासों के बावजूद संयुक्त उद्यम के लिए कोयला लिंकेज अथवा कोयला ब्लॉक आबंटन अमल में नहीं लाया जा सका। इस बात को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में कोयला लिंकेज उपलब्ध होने की आशा नहीं है, संयुक्त उद्यम के बोर्ड ने परियोजना विकास गतिविधियां रोक दी हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.वर्ष 2013-14*	वि.वर्ष 2012-13
इक्विटी बीएचईएल का निवेश	**22.50**	22.50
निवल ब्लॉक	**0.03**	0.02
प्रगति में पून्जीगत कार्य	**1.68**	1.63

*अनंतिम आंकड़ों पर आधारित

लातुर पावर कंपनी लिमिटेड

बीएचईएल ने लातूर, महाराष्ट्र में 2x660 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र अथवा 1500 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र (सीसीपीपी) की स्थापना के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमि0 (महाजेनको) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाया है। ये संयुक्त उद्यम कंपनी 06 अप्रैल, 2011 को ''लातुर पावर कंपनी लिमिटेड'' के नाम से निगमित की गई। जेवीसी की वर्तमान प्रदत्त इक्विटी ₹ 5 करोड़ है जो कि दोनों ही साझेदारों ने समान रूप से अंशदान के रूप में देने की स्वीकृति दी है।

संयुक्त उद्यम कंपनी ने कोयला आधारित अथवा गैस आधारित परियोजना की स्थापना के लिए विभिन्न ईंधन विकल्पों की व्यवहार्यता की समीक्षा की है। कोयला लिंकेज की अनुपलब्धता और 2015 तक घरेलू गैस के भी उपलब्ध न होने के कारण संयुक्त उद्यम साझेदार एक सौर पीवी संयंत्र की स्थापना के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। लेकिन महाजेनको नामांकन आधार पर बीएचईएल से पीवी मॉडयूल्स की सोर्सिंग पर सहमत नहीं हुआ है। चूंकि महाजेनको बीचईएल के शेयरों को खरीदने के लिए सहमत नहीं है, परस्पर सहमति से संयुक्त उद्यम कंपनी की स्वैच्छिक बंदी विचाराधीन है।

पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड

संयुक्त उद्यम कंपनी, पावरप्लांट परफार्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल), को बीएचईएल ने सीमैन्स, जर्मनी के साथ मिलकर पुराने फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स के प्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोत्साहित किया है।

चूंकि कंपनी की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बिजनेस नहीं आ रहा है, इसलिए प्रमोटर साझेदार कंपनी को धीरे–धीरे बंद करने पर परस्पर सहमत हैं। पीपीआईएल बकाया मुद्दों के निपटारे, रूके हुये भुगतान के संग्रह और दो लंबित अनुबंधों को बंद करने की प्रक्रिया में है।

1.3.4 समेकित वित्तीय विवरण

संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर" समेकित वित्तीय विवरण तथा लेखांकन मानक – 27 पर लेखांकन मा. क्र. 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

उपर्युक्त के अनुरूप वित्तीय निष्पादन पर परिणामों का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2012-13
लाभ हानि खाते का विवरण		
कारोबार	**40802**	50673
कर पूर्व लाभ	**5078**	9531
कर पश्चात लाभ	**3503**	6693
तुलन पत्र		
निधियों के स्रोत		
शेयरधारक निधि	**33157**	30533
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	**14**	16
अल्प ब्याज	**4**	5
गैर चालू देनदारियां	**16072**	13002
चालू देनदारियां	**25996**	28197
कुल	**75243**	71753
निधियों के आवेदन		
निवल ब्लॉक (सीडब्ल्यूआईपी सहित)	**7658**	7134
गैर चालू निवेश	**6**	6
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**1976**	1556
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	**13208**	11646
चालू परिसंपत्तियां		51411
कुल	**75243**	71753

1.4 पूंजी निवेश

प्रति वर्ष पहले से ही 20000 मेगावाट की निर्माण क्षमता रखते हुए, इस वर्ष पूंजी निवेश का फ़ोकस स्ट्राटैजिक योजना 2017 की संभावना के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास सहित विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उत्पादका वृद्धि, स्वदेशीकरण और क्षमता निर्माण पर है। ₹ 544 करोड़ का कुल पूंजी व्यय में मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है:

- विद्युत संयंत्र अनुप्रयोगों के लिए उच्च दाब एवं क्रिटिकल पाइपिंग के विनिर्माण के लिए थिरूमायाम, तमिलनाडु में एक समर्पित 'पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट' की स्थाना की गई थी। यह संयंत्र, जो कि तेल एवं गैस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बीएचईएल की 16वीं विनिर्माण इकाई के तौर पर 2 अगस्त, 2013 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया।

'विद्युत संयंत्र अनुप्रयोगों के लिए उच्च दाब एवं क्रिटिकल पाइपिंग के विनिर्माण के लिए तिरुमयम में स्थापित 'पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट'

- हरित प्रयासों की प्रतिबद्धता के तौर पर, अक्षय ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए, बीएचईएल ने अपनी कैप्टिव आवश्यकताओं के लिए रानीपेट में बायलर ऑक्जीलियरी प्लांट (बीएपी) में 5 मेगावाट पी ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर फोटो वाल्टियक (पीवी) पावर प्लांट की स्थापना की है। संयंत्र ने सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम के साथ उच्चतर रेटिंग्स (280 डब्ल्यूपी) के इनहाउस विकसित पीवी मॉडयूल्स का प्रयोग सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है।

- पर्यावरण संरक्षण के हमारे प्रयासों में योगदान करते हुए और ग्रीन–हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के वास्ते, बीएचईएल ने हरिद्वार में सेंट्रल फाउण्ड्री फोर्ज़ प्लांट (सीएफएफपी) में डीजल तेल संचालित फर्नेसिस को प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया है।

ग्रीन–हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के वास्ते सीएफएफपी, हरिद्वार में डीजल तेल संचालित फर्नेसिस प्राकृतिक गैस में परिवर्तित

- तिरुचि में सीमलैस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी) का आधुनिकीकरण किया गया, इससे विनिर्माण क्षमता प्रतिवर्ष 40000 मी.ट. से महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ 86500 मी.ट. हुई और अत्याधुनिक क्रास रोल पाइरसिंग तथा एलोगेशन प्रोसेस के अनुकूलन से वर्तमान प्रक्रिया से 40 प्रतिशत अधिक उत्पादन में सुधार हुआ। क्षमता वृद्धि के अलावा, संयंत्र ट्यूबों का भी विनिर्माण करेगा जो कि अभी आयात की जाती हैं। उच्चतर ग्रेड एलाय स्टील की ट्यूबों का निर्माण से संबंधित कार्य जारी है।
- इलेक्ट्रानिक्स प्रभाग, बंगलौर में ±800 केवी एचवीडीसी ट्रांसमिशन प्रणालियों के लिए विनिर्माण और परीक्षण सुविधाएं स्थापित की गई, ईडीएन, बंगलौर में थाइरिस्टर वाल्वस के लिए देश में अत्याधुनिक सुविधा के साथ उच्चतम डीसी बल्क ट्रांसमिशन वाल्टेज है।

State-of-the-art facility for Thyristor Valves at EDN, Bangalore

- इलेक्ट्रानिक्स प्रभाग (ईडीएन) बंगलौर में स्थापित विद्युत संयंत्र और उद्योग क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए कंट्रोल एवं इंस्ट्रयुमेंटेशन प्लेटफार्म के लिए इलेक्ट्रानिक्स मॉडयूल्स के अत्याधुनिक मेस्टो डीएनए सीआर परिवार की विनिर्माण और परीक्षण के लिए प्रमुख सुविधाए हैं, जो कि नवीनतम तकनीकी विशेषताएं, जैसे कि फाउंडेशन फील्डबस, प्रोफिबस, बायरलैस कम्यूनिकेशन, मिनियटराइज्ड़ इनपुट/आउटपुट मॉडयूल्स आदि उपलब्ध करवाता है।

ईडीएन, बेंगलूर में आधुनिक आईजीबीटीएस प्रणाली पर आधारित प्रोप्लशन प्रणाली के लिए ट्रैक्शन प्लेटफार्म की इंटिग्रेटिड टेस्टिंग

- इलेक्ट्रानिम मॉडयूल्स, पावर इलेक्ट्रानिक मॉडयूल्स के लिए विनिर्माण और परीक्षण सुविधाएं तथा एसी ईएमयूज एवं 6000 एचपी एसी होकोज के लिए प्रणोदन प्रणालियों पर आधारित अत्याधुनिक ट्रैक्शन प्लेटफार्म के एकीकृत परीक्षण की सुविधा इलेक्ट्रानिक्स प्रभाग (ईडीएन), बंगलौर में स्थापित की गई।
- थोक विद्युत पारेषण के लिए 1200 केवी एसी और ±800 केवी एचवीडीसी सहित बड़े विद्युत ग्रिड सिमुलेट करने की क्षमता के साथ कार्पोरेट आरएंडडी, हैदराबाद में अनुसंधान एवं विकास की प्रमुख अवसंरचना जोड़ते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस ट्रांसमिशन सिस्टम्स की स्थापना की गई है। इससे उपकेंद्र ऑटोमेशन और स्मार्ट ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए सही, उत्तरदायी और अनुकूल समाधानों के उभरते फ़ोकस के प्रति विकास में सुविधा होगी। इसके साथ ही बीएचईएल 14 समर्पित सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के साथ, नवप्रवर्तन उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं के लिए एक लॉच–पैड के तौर पर एक ताकतवर प्रौद्योगिकी आधार का निर्माण किया है।
- बड़े आकार की फैब्रिकेटेड असेम्बलीज के लिए सुपुर्दगी प्रणाली को मज़बूत करने के लिए, एक समर्पित हरित क्षेत्र 'पावर इक्विपमेंट फैब्रिकेशन प्लांट' भंडारा, महाराष्ट्र में स्थापनाधीन है। इसकी आधारशिला 14 मई, 2013 को रखी गई थी।

भंडारा में हरित क्षेत्र 'पावर इक्विपमेंट फैब्रिकेशन प्लांट' आधारशिला 14 मई, 2013 को रखी गई

1.5 गुणवत्ता कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें

बीएचईएल की लंबे समय से गुणवत्ता के प्रति वचनबद्धता और सीआईआई के साथ इसकी सहभागिता के लिए बंगलौर

में नवंबर 2013 में आयोजित राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में सीआईआई ने इसे विशेष सम्मान प्रदान किया।

उत्कृष्टता हासिल करने की परंपरा को जारी रखते हुए, बीएचईएल की तिरुचि इकाई को गुणवत्ता प्रबंध के लिए यूरोपीय फाउंडेशन (ईएफक्यूएम) के वैश्विक मान्यता प्राप्त मॉडल के अनुरूप व्यवसाय उत्कृष्ट हेतु सीआईआई एग्जिम बैंक पुरस्कार योजना के अधीन 2013–14 में ''महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रशस्ति'' पुरस्कार प्रदान किया गया।

बीएचईएल के विद्युत क्षेत्र के लिए मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल, गुड़गांव द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार बीएचईएल का पावर सेक्टर में कुल मिलाकर ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) 100 में से 67 है जिसमें पिछले वर्ष से 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है।

बीएचईएल के उद्योग क्षेत्र के लिए भी मैसर्स टीएनएस, इंडिया द्वारा समान तरह का ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण संचालित किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार बीएचईएल उद्योग क्षेत्र का कुल मिलाकर ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) 100 में से 65 है जिसमें पिछले वर्ष से 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है।

24वां बीएचईएल वार्षिक गुणता चक्र सम्मेलन भोपाल में 17 दिसंबर 2013 को आयोजित किया गया। बीएचईएल के 15 प्रभागों से 33 गुणता चक्र टीमों ने अपने मामले के अध्ययन प्रस्तुत किए।

ईडीएन बंगलौर के गुणता चक्र नं. 70 ने श्रेष्ठ चक्र के लिए ''श्री पीएन अरूमुगम ट्राफी'' जीती।

1.6 मानव संसाधन प्रबंधन

1.6.1 औद्योगिक संबंध

- कंपनी की विभिन्न विनिर्माण इकाइयों और व्यवसाय क्षेत्रों/कार्यालयों में औद्योगिक संबंध परिदृश्य वर्ष 2013–14 के दौरान सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण बना रहा। वर्ष के दौरान मानव दिवस हानि लगभग नगण्य थी।
- वर्ष के दौरान भागीदारी संस्कृति और सम्प्रेषण पर ज़ोर दिया जाना जारी रहा। सर्वोच्च स्तर का द्विपक्षीय मंच, नामतः ''बीएचईएल की संयुक्त समिति'' की दो बार बैठक हुई। संयंत्र परिषदों की 70 बैठकें और शॉप परिषदों की 486 बैठकें हुईं। इसके अलावा व्यवसाय क्षेत्र/कार्यालयों सहित विभिन्न विनिर्माण इकाइयों के कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ भी लगातार बैठकें आयोजित की गईं।
- विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श, कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाकर, लागत में कमी, गुणवत्ता के जरिए संपूर्ण कार्यनिष्पादन में सुधार तथा ग्राहकों के वायदे पूरे करने के लिए क्रमिक सुपुर्दगी पर केंद्रित रहा।
- संयुक्त समिति का दो दिन का विशेष सत्र 30–31 अगस्त, 2013 के दौरान तिरूअनंतपुरम में आयोजित किया गया। विशेष सत्र में कामगारों को उनके लक्ष्यों और कंपनी को पेश आ रही चुनौतियों तथा इन चुनौतियों से निपटने में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में सुपरिचित कराना था। बैठक में केंद्रीय मज़दूर संघों और बीएचईएल की सभी इकाइयों से संघ प्रतिनिधियों ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों और कंपनी के समक्ष चुनौतियों पर प्रस्तुतिकरण किए गए तथा उन पर लंबा विचारविमर्श किया गया। कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी के प्रचालनों से प्रमुखता से जुड़े विभिन्न विषयों पर बैठक के दौरान सात सिंडीकेट समूहों का गठन किया गया और उन्होंने सौंपे गए विषयों पर अपने मूल्यवान सुझाव और सिफारिशें दीं।

1.6.2 मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास संस्थान (एचआरडीआई)

हैदराबाद में उन्नत तकनीकी शिक्षा केंद्र और विभिन्न इकाइयों में मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी) के साथ–साथ नोएडा में स्थित मानव संसाधन विकास संस्थान (एचआरडीआई) बीएचईएल के शिक्षण बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण स्थान है। मा.सं.वि. मिशन कथन ''बीएचईएल मिशन हासिल करने के लिए मानव संसाधानों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित संस्कृति को प्रोत्साहन और विकसित करना' के अनुरूप, एचआरडीआई चरणबद्ध रूप दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रक्रिया और लघु अवधि आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के जरिए मानव संसाधनों में जोश भरने का काम करता है। एचआरडीआई ने अपने कार्यक्रम और पहलों को कंपनी के गतिशील विकास और नेतृत्व तथा रणनीतिक योजना 2012–17 के लिए छह बिंदु कार्यसूची के अनुरूप ढाल लिया है।

कुछेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं: रणनीतिक आवश्यकता अधारित और कार्यात्मक कार्यक्रम, जैसे कि नेतृत्व प्रभावकारिता हेतु रणनीतिक प्रबंधन पहल (एसएमआईएलई), उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (एएमपी), सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम (जएमपी), रणनीतिक प्रबंधन कार्यक्रम (एसएमपी), मिडिल मैनेजमेंट प्रोग्राम (एमएमपी), युवा प्रबंधक कार्यक्रम (वाईएमपी) और सेल्फ स्टार्टर प्रोग्राम (एसएसपी)। वर्ष 2013–14 में प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण 5.02 मानव दिवस था।

विभिन्न पणधारियों के लिए संचालित कार्यक्रमों का सार नीचे दिया गया है:

- ग्राहकों के लिए कार्यक्रम: बीएचईएल ने बीएचईएल की मा.सं./मा.सं.वि. पहल को समझौने के लिए ड्रक ग्रीन पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (डीजीपीसीएल) से हमारे ग्राहकों के लिए ''मा.सं./मा.सं.वि. पहल कार्यक्रम के जरिए संगठन विकास'' पर कार्यक्रम आयोजित किया।
- नई प्रौद्योगिकियों और जोखिम प्रबंधन पर कार्यशालाएं: इन दिनों, व्यवसाय आंतरिक और बाहरी दोनों बहु कारकों के कारण बाज़ार जोखिम के लिए अधिक खतरे वाले हो गए हैं। इन आसन्न खतरों को अवसरों में बदलने और इन नई प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ते हुए मानव शक्ति के सृजन हेतु, जैसा कि हमारे समझौता ज्ञापन 2013–14 में प्रावधान किया गया है, नई प्रौद्योगिकियों पर कार्यशालाओं की योजना है:
    - स्वच्छ कोयला और कार्बन संग्रह और भंडारण प्रौद्योगिकी पर तिरुचि में सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी तथा विश्व प्रसिद्ध अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।
    - आईजीबीटी आधारित प्रणोदन प्रणालियों पर कार्यशाला बंगलौर में आयोजित की गई जिसमें कन्सेप्ट (जर्मनी), इनफाइओन टेक्नोलॉजिज तथा बोस रिसर्च इंस्टीटयृट से भी वक्ताओं ने भाग लिया।
- जोखिम प्रबंधन पर कार्यशालाएं:
    - 7 महारत्न (गेल, सेल, आईओसीएल, एनटीपीसी, सीआईएल, ओएनजीसी एव बीएचईएल) तथा 4 नवरत्न (पीजीसीआईएल, पीएफसी, ईआईएल और ऑयल इंडिया) सा.क्षे.उ. की सहभागिता के साथ उद्यम जोखिम प्रबंधन पर दो दिवसीय सांगठनिक सम्मेलन।
    - जोखिम प्रबंधन पर एचआरडीआई में कार्यशला जिसमें दिल्ली स्थित सभी डिवीजनों से वरिष्ठ कार्यपालकों (ई7 और ई8) को शामिल किया गया जिसके बाद समान तरह की कार्यशालाएं ईडीएन बंगलौर, तिरूचिरापल्ली, हैदराबाद और पावर सेक्टर में आयोजित की गईं।
- व्यक्ति विकास कार्यशालाएं:
    - समूचे बीएचईएल में कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें 4700 कार्यपालकों को शामिल किया गया। इनका उद्देश्य रिपोर्टिंग अधिकारियां को अपने अधीनस्थों के विकास में उनकी भूमिका के प्रति संवेदनशील करना और उन्हें एक ऐसे स्टाइल को समझने तथा लागू करने के सशक्त करना जिससे कि उनके विकास में सुविधा हो। इस पहल में ई4–ई7 के संवर्ग में रिपोर्टिंग अधिकारियों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया।
    - सुश्री शोभना राधाकृष्णन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से एक प्रमुख नागरिक और श्री रवि चोपड़ा, गांधी दर्शन एवं मूल्य केंद्र के संस्थापक सचिव द्वारा गांधी विचारधारा पर आधारित नैतिक नेतृत्व के लिए व्यक्ति विकास पर 20–अर्ध दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में बीएचईएल के विभिन्न इकाइयों/प्रभागों के सभी स्तरों के 1630 कार्यपालकों ने भाग लिया।
- ज्ञान अंतरण कार्यशाला: ये एक ऐसे तंत्र के तौर पर तैयार की गई हैं जिनमें वरिष्ठ लोगों से, जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके मौजूदा ज्ञान हासिल किया जाता है और उनके ज्ञान को भविष्य में आने वाले बीएचईएल इंजीनियरों के लाभ के लिए प्रलेखित किया जाता है।2013–14 के दौरान, इस पहले को आगे ले जाया गया और इकाइयों में निम्नलिखित कार्यशालाएं

आयोजित की गईं:

- रानीपेट–195 भागीदारों को शामिल करते हुए एफजीडी, ईएसपी और नए उत्पाद
- हैदराबाद–54 भागीदारों को शामिल करते हुए–कम्प्रेशर, पम्पस और कंडेंसर एवं हीट एक्सचेंजर्स

- कार्यात्मक कार्यशालाएं: एचआरडीआई ने भोपाल में 94 भागीदारों को शामिल करते हुए सामग्री प्रबंधन पर दो कार्यशालाएं आयोजित कीं और एचआरडीआई में 30 भागीदारों के साथ वित्त कार्यशाला आयोजित की।
- क्षमता विकास कार्यक्रम: बीएचईएल नेतृत्व सक्षमता मॉडल और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए व्यवहार सक्षमताओं के विकास पर 2011–12 और 2012–13 के दौरान विकास केंद्रों के जरिए सक्षमताओं का अंतर विश्लेषण संचालित किया गया, जिसे संगठन स्तर पर विकसित किए जाने की आवश्यकता है, अनुपालित किया गया। एचआरडीआई में 2013–14 के दौरान आयोजित सभी कार्यक्रम इन नेतृत्व सक्षमता अंतरों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।
  - विशेष संगठनात्मक विकास कार्यक्रम: परियोजना इंजीनियरिंग प्रबंधन, नोएडा में ''परिवर्तनकारी नेतृत्व कार्यक्रम'' शीर्षक पर आठ कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें ई1 और ऊपर के 190 से अधिक कार्यपालकों को शामिल किया गया।
- सर्वोच्च प्रबंधन के लिए कार्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा ग्रेटर नोएडा और वाशिंगटन डी.सी. में एनटीपीसी के सहयोग से ''वैश्विक रणनीतिक नेतृत्व के प्रति, नेतृत्व प्रभावकारिता के लिए रणनीतिक प्रबंधन पहल (एसएमआईएलई)'' नामक सर्वोच्च प्रबंधन कार्यक्रम 13 दिनों के लिए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीएचईएल से 15 कार्यपालक निदेशकों और महाप्रबंधकों ने भाग लिया।

1.6.3 मानव शक्ति संख्या

कंपनी की मानव शक्ति की संख्या 31.03.2014 को 47,525 थी।

1.6.4 कार्यनिष्पादन एवं कॅरिअर विकास

बीएचईएल में जनसांख्यिकीय प्रोफाइल में परिवर्तनों के अनुरूप बीएचईएल की व्यक्ति विकास रणनीति में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं, उनके कार्यनिष्पादन और व्यवसाय योजना से संयोजन की क्षमता के विकास पर केंद्रित है। कंपनी में नेतृत्व विकास, क्षमता मैपिंग, कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन, कॅरियर योजना और सेवानिवृत्ति योजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

1.6.5 राष्ट्रपति के निर्देशों से संबंधित स्थिति

1.6.5.1 आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति संबंधी निर्देश

आरक्षण नीति के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश निर्दिष्ट पदों और निर्दिष्ट आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों अर्थात अजा, अजजा, और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में कुछ प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त इन निर्देशों में निर्दिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में रियायतों और शिथिलताओं तथा आवास में आरक्षण के भी प्रावधान भी निहित है। इस विषय पर समय–समय पर जारी राष्ट्रपति आदेशों का सख़्ती से पालन किया गया है और सरकार द्वारा निर्धारित पद आधारित रोस्टर प्रणाली के माध्यम से आरक्षण प्रतिशत को सुनिश्चित किया जाता है। तथापि इन दिशानिर्देशों से कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है।

अजा और अजजा के कल्याण और उन्नति के लिए कंपनी की गतिविधियां

कंपनी अजा, अजजा, और शारीरिक रूप से विकलांगों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन कर रही है। वर्ष 2013–14 के दौरान बीएचईएल की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व योजना के अधीन बीएचईएल इकाइयों के आसपास के समुदायों और गांवों तथा विभिन्न स्थानों में जहां कहीं कंपनी की मौजूदगी है, अजा, अजजा और पिछड़े वर्गों के सामजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित विभिन्न विकास गतिविधियां संचालित की गईं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व:

कर्मचारियों की कुल संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व दिनांक 01.01.2014 को क्रमश: 19.81 प्रतिशत, 6.03 प्रतिशत तथा 26.25 प्रतिशत था। तथापि वर्ष के दौरान सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 14.97 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.06 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30.51 प्रतिशत था। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्हें 01.01.2013 से पहले नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया था, परंतु केवल वे शामिल हैं जिन्होंने 01.01.2013 के बाद से 31.12.2013 तक कार्यग्रहण किया है।

दिनांक 01.01.2014 तक की स्थिति के अनुसार अ.जा., अ.ज.जा. और अपिव का प्रतिनिधित्व और पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र

में सरकार को प्रेषित विवरण नीचे दिया गया है:—

	अ.जा./अ.ज.जा./अपिव का प्रतिनिधित्व					कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
	(01/01/2014 को)					सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति से*			प्रतिनियुक्ति/विलयन से		
समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज. जा.	अपिव	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अपिव	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा	कुल	अ.जा	अ.ज. जा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
समूह क	14729	2369	975	2838	8547	353	53	25	108	167						
समूह ख	9761	1660	350	1367	6384	0	0	0	0	0						
समूह ग	21960	5082	1503	7952	7423	1	0	0	0	1						
समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	874	176	29	301	368	0	0	0	0	0				1		
घ (सफाई कर्मचारी)	125	113	2	1	9											
कुल	**47449**	**9400**	**2859**	**12459**	**22731**	**354**	**53**	**25**	**108**	**168**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

*बीएचईएल में पदोन्नति द्वारा प्रवेश स्तर पर कोई नियुक्ति नहीं होती है।

01.01.2014 को शारीरिक विकलांग कर्मचारियों की संख्या

01.01.2014 को बीएचईएल में हमारे पास कुल 950 शारीरिक विकलांग कर्मचारी हैं। कंपनी में शारीरिक विकलांग कर्मचारियों की समूह वार मानवशक्ति संख्या नीचे दी गई है:

समूह	कर्मचारियों की संख्या (प्रतिनिधित्व)				सीधी भर्ती (कैलेंडर वर्ष 2013 के दौरान)							पदोन्नति*						
	(01/01/2014 को)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भरी गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्तियां)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			भरी गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्तियां)			
	कुल	दृवि	श्रवि	अवि	दृवि	श्रवि	अवि	कुल	दृवि	श्रवि	अवि	दृवि	श्रवि	अवि	कुल	दृवि	श्रवि	अवि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह क	14729	3	17	209	0	62		353		2	26							
समूह ख	9761	12	16	162				0										
समूह ग	21960	28	38	443				1										
समूह घ	999	1	5	16				0										
कुल	**47449**	**44**	**76**	**830**	**0**	**62**		**354**	**0**	**2**	**26**							

टिप्पणी: (i) दृवि का अभिप्राय दृष्टि विकलांग से है (इसके अंतर्गत दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति आते है)

(ii) श्रवि का अभिप्राय श्रव्य विकलांग से है (इसके अंतर्गत बहरे व्यक्ति आते हैं)

(iii) अवि का अभिप्राय अस्ति विकलांग से है (इसके अंतर्गत लोकोमोटर अथवा प्रमस्तिष्कीय आघार से पीड़ित व्यक्ति आते हैं)

*समूह ख से क तथा समूह क में पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। बीएचईएल में समूह ग और घ में कैरियर आधारित पदोन्नति का अनुसरण किया जाता है इसलिए ग्रेड में निर्धारित पात्रता अवधि पूरी कर लेने पर सभी कर्मचारियों को उनके संतोषजनक कार्यनिष्पादन, आचरण के आधार पर अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है।

1.6.5.2 कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा उपलब्ध करवाने और यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों तथा इससे जुड़े या इनके कारण उत्पन्न मामलों के निपटारे के लिए ''कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निपटान) अधिनियम, 2013'' नामक अधिनियम भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियमों की अधिसूचना के साथ 9 दिसंबर 2013 से लागू हो गया है जिसका नाम ''कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निपटान) अधिनियम, 2013'' है।

अधिनियम के प्रावधानों और संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इस अधिनियम के अनुरूप बीएचईएल की सभी इकाइयों में आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है और उनके गठन तथा संपर्क विवरण इकाई की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं। इकाइयों में 18 कार्यशालाएं/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या और 31.03.2014 को उनकी स्थिति के बारे में विवरण दर्शाने वाली वार्षिक रिपोर्ट नीचे दी गई है:

1	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	8
2	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	6
3	नब्बे से अधिक दिनों से लंबित मामलों की संख्या	1
4	यौन उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशालाओं अथवा जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	18
5	आईसीसी की सिफारिशें पर नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	
	• प्रतिवादी पर दंड लगाते हुए संचयी प्रभाव के साथ 1 वर्ष के लिए उसका वेतन एक चरण कम किया गयाः मामला बंद कर दिया गया	मामला बंद कर दिया गया
	• प्रतिवादी पुरूष कर्मचारी को एक परामर्श पत्र दिया गया और पीड़ित महिला का स्थानातंरण का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। उसे विभाग में तैनात किया गया था. वह इसमें सहजता से थी। मामला बंद कर दिया गया।	मामला बंद कर दिया गया
	• पीड़ित महिला की रिपोर्टिंग संबद्धता बदली गई. मामला बंद कर दिया गया	मामला बंद कर दिया गया
	• प्रतिवादी को किसी अन्य इकाई में स्थानांतरण कर दिया गया था– मामला बंद कर दिया गया	मामला बंद कर दिया गया
	• जांच करने वाली समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई थी।	मामला बंद कर दिया गया
	• प्रतिवादी की निगरानी की गई और यह निर्णय लिया गया कि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। समिति ने अस्थाई रूप से शिकायत को बंद कर दिया और निर्णय किया कि यदि वह भविष्य में असामान्य व्यवहार दोबारा करता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।	मामला अस्थाई रूप से बंद है।
	• आईसीसी के सदस्यों द्वारा कई बैठक आयोजित किए जाने के बावजूद समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची।	मामला लंबित है

1.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बीएचईएल सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में अग्रणी है और उसने अधिनियम को सही अर्थों में अक्षरशः लागू करने हेतु कदम उठाए हैं।

सूचना का अधिकार समूह के भाग के रूप में कंपनी स्तर पर एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, उनकी सहायता के लिए वरिष्ठ कार्यपालक (विधि) तथा भोपाल इकाई में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के साथ'2 प्रत्येक प्रमुख प्रशासनिक इकाई में 17 सीपीआईओ कार्यरत हैं।

आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों की सहायता और सुविधा के लिए बीएचईएल की वेबसाइट पर सूचना प्राप्त करने और अधिनियम के तहत प्रथम अपील दाखिल करने की प्रक्रिया का विवरण देते हुए उचित दिशानिर्देश दिए गए हैं।

अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक इकाइयों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

बीएचईएल की वेबसाइट पर सूचना की विभिन्न श्रेणियों का विस्तार करते हुए अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अनुरूप

पूर्वक्रियात्मक प्रकटन किए गए हैं, ताकि सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को इस अधिनियम का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े।

बीएचईएल स्टैडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (एस सी ओ पी ई) द्वारा गठित सूचना का अधिकार संबंधी संचालन समिति की सक्रिय है।

सीपीआईओ और अन्य हितधारकों को विभिन्न प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से अधिनियम के तहत उनके दायित्वों के बारे में नियमित रूप से संवेदनशील बनाया जाता है। बीएचईएल 7 मार्च 2014 को जयपुर में ''सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया। बीएचईएल के नए और वर्तमान सीपीआईओ/सीएपीआईओ के लाभार्थ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर वार्षिक कार्यशाला 12.09.2013 को आयोजित की गई, जिसमें अन्य वक्ताओं के अलावा केंद्रीय सूचना आयोग की माननीय सूचना आयुक्त सुश्री सुषमा सिंह ने भी प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।

वर्ष 2013–14 के दौरान बीएचईएल को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 1334 आवेदन और 297 अपील प्राप्त हुईं। इन सभी का अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटान किया गया।

1.8 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी के पास इसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप इन–हाउस आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है। कंपनी की प्रमुख विनिर्माण इकाइयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और कारपोरेट कार्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित हैं, जो बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न नीतियों तथा प्रक्रियाओं की नियमित लेखापरीक्षा, प्रणाली पुनरीक्षा और अनुपालन की देखरेख के जरिये आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता की जांच करता है। कम्पनी में उसके संचालन के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखा विभाग हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा के कामकाज और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की पुनरीक्षा बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समितियों द्वारा की जाती है जिन्हें यूनिट स्तर की लेखा परीक्षा समितियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण और दस्तावेजी प्रक्रिया की उचित और पर्याप्त प्रणाली है, जिसमें सभी वित्तीय और प्रचालनात्मक कार्य आते हैं। पर्याप्त आंतरिक उपाय विभिन्न कोड्स, मैनुअल्स और प्रक्रियाओं के रूप में हैं, जिन्हें प्रबंधन नें जारी किया है। इसमें सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे खरीद, सामग्री, भंडारण, निर्माण, वित्त और कार्मिक आदि आते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के कामकाज की बोर्ड स्तर की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है जिसमें इकाई स्तर की लेखा परीक्षा समितियां सहायता करती है और कंपनी के प्रचालन के गतिशील वातावरण के मद्देनजर जहां कहीं अपेखित होता है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सदृढ़ करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं। कंपनी ने अपनी प्रक्रियाओं और नियंत्रण को विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ समायोजित करना जारी रखा है।

1.9 विलय एवं अधिग्रहण

बीएचईएल लक्षित बाजार में मजबूत वैश्विक पकड़ हासिल करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने, नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच कायमकरने और परिवहन तथा पारेषण जैसे उच्च क्षमतावान विकास क्षेत्रों में कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में वैविध्यता लाने के अपने उद्देश्यों को हासिल करने के वास्ते एमएंडए के इनआर्गेनिक विकास मार्ग पर सक्रियता से चल रहा है।

अपने समुद्रपारीय एमएंडए उद्यमों को सुदृढ़ करने के लिए बीएचईएल ने प्रमुख वैश्विक निवेश बैंकों, सलाहकारों और विधि फर्मों को एमएंडए सलाहकारों के तौर पर अपने पैनल का 1 अप्रैल 2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण कर दिया है। पैनल में वित्तीय सलाहकार, लेखा एवं कर सम्यक सलाहकार और विधि सम्यक सलाहकार शामिल हैं।

विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश स्थित भारत हेवी प्लेट एंड वैसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), बीएचईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, का 30 अगस्त 2013 से बीएचईएल में विलय हो गया है। विलय के फलस्वरूप पूर्ववर्ती बीएचपीवी बीएचईएल की 17वीं विनिर्माण इकाई हो गई है और इसे अब ''हेवी प्लेटस एंड वैसल्स प्लांट'' के नाम से जाना जाता है। विलय से बीएचईएल का अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता का मार्ग प्रशस्त होगा।

1.10 अवसर और ख़तरे

2013 के दूसरे अर्द्ध भाग के दौरान वैश्विक आर्थक गतिविधि की मज़बूती 2014–15 में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए अमरीका के नेतृत्व में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले अच्छे प्रोत्साहनों को इंगित करती है। दबाव वाली यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि कुल मिलाकर कमज़ोर और नाजुक बनी रही क्योंकि उच्च ऋण और वित्तीय विखंडन अब भी घरेलू मांग को पीछे धकेल

रहा है। जापान में वित्तीय संयोजन से कुछ विकास संयमित रहेगा जबकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं 2013–14 के दौरान कम प्रदर्शन के बावजूद 2014–15 के दौरान वैश्विक वृद्धि में योगदान जारी रखेंगी।

विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में वैश्विक ऊर्जा परिदश्य में भी व्यापक परिवर्तन और पुनर्गठन देखने को मिले हैं, जिसमें चीन तथा भारत के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया वर्तमान में कुछ विपरीत स्थितियों के बावजूद सतत आर्थिक और सामाजिक विकास से संचालित वैश्विक ऊर्जा प्रणाली में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं। अतः ऊर्जा की मांग और व्यापार की तीव्रता का केंद्र निश्चित रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाएं, विशेष तौर पर चीन, भारत और पश्चिम एशिया की तरफ परिवर्तित हो रहा है, जहां विश्व ऊर्जा उपयोग एक तिहाई अधिक संचालित होता है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय ऊर्जा मूल्य में बड़ा अंतर लाभ सुपुर्दगी के लिए ऊर्जा दक्षता पर नये फ़ोकस की तरफ इशारा करता है, जिसके विस्तार से परस्पर जुड़े ऊर्जा बाजार के जरिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।

विद्युत उत्पादन में मुख्य रूप से कोयले का उपयोग होगा, जिसमें 2035 तक दक्षिण पूर्व एशिया में 58% की वृद्धि होगी और दक्षिण पूर्व एशिया में भाप आप कोयला उत्पादन में इंडोनेशिया का हिस्सा 85% होगा। अक्षय ऊर्जा पर बढ़ते ज़ोर के साथ, प्रौद्योगिकी सघन दक्ष एवं अल्प–कार्बन ऊर्जा क्षेत्र के बदलाव, हालांकि कठिन है, परंतु मूल्य और प्रतिस्पर्द्धा की चिंताओं को पार पाने के लिए परमावश्यक है।

आज, भारत अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद पीपीपी के अनुरूप दुनिया के जीडीपी के 6 प्रतिशत के निकट रहते हुए अमरीका और चीन के बाद विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर आया है। भारत के विकास का उल्लेखनीय पहलु सेवा क्षेत्र की गतिशीलता रही है जो कि जीडीपी का दो तिहाई से अधिक योगदान कर रहा है, जबकि, इसके विपरीत उद्योग अन्य उभरते बाज़ार देशों में भिन्न अनुभव के साथ केवल एक पांचवां भाग रहा है।

आर्थिक विकास और ऊर्जा खपत के बीच दोतरफा मज़बूत संबंध है। अर्थव्यवस्था का विकास सतत ऊर्जा की पहुंच, किफायत और पर्यावरण क्षमताओं की दृष्टि से उपलब्धता पर टिका होता है।

भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जिसकी गणना दुनिया की कुल वार्षिक ऊर्जा खपत का 4.4 प्रतिशत के तौर पर होती है। साथ ही भारत 917/केडब्ल्यूएच/वर्ष के साथ विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत स्तरों में से सबसे नीचे के देशों में से एक है और विश्व औसत का करीब 1/3 है।

2017 तक 306 जीडब्ल्यू से अधिक और 2032 तक करीब 800 जीडब्ल्यू की विद्युत उत्पादन क्षमता की मांग को पूरा करने के लिए, जैसा कि एकीकृत ऊर्जा नीति 2006 में अनुमान लगाया गया है, भारत के लिए आने वाले वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमताओं में जबर्दस्त छलांग लगाना अपेक्षित होगा। विद्युत तैयार करने के लिए अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा कोयल इसकी बहुतायत के कारण एक सस्ता विकल्प रहा है, परंतु दक्षता में सुधार की नीतिगत बाधाओं, वायु प्रदूषण में कमी करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के कारण इसकी दीर्घावधि संभावनाओं का निर्धारण कठिन होगा। इस दृष्टिकोण के साथ ऊर्जा रक्ष और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी आधारित थर्मल उत्पाद, जैसे कि एडवांस अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल, आईजीसीसी और कार्बन संग्रह एवं प्राप्ति अथवा भण्डारण आदि के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना अनिवार्य है। ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों की पृष्ठभूमि में विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2013 के अनुरूप अक्षय साधनों से उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है ताकि फ़्यूल मिक्स में 2035 तक इसके हिस्से को बढ़ाकर 30 प्रतिशत से अधिक किया जा सके। सरकार लगातार विद्युत आपूर्ति कंपनियों को नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी कुल ऊर्जा खपत का एक विनिर्दिष्ट हिस्सा अक्षय स्रोतों से प्राप्त करें।

प्रमुख उद्योगों में अल्प वृद्धि औद्योगिक उत्पादन पर बोझ बनी रही है। नीतिगत अनिश्चितताओं ने उद्योग उत्पादन को, मुख्यतः पूंजीगत वस्तुओं और खनन क्षेत्र के कार्यनिष्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आठ प्रमुख उद्योगों ने, जो कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का 38 प्रतिशत बनता है, 2013–14 में 2.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ की है, जो कि कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस उत्पादन, कोयला और सीमेंट उत्पादन में गिरावट के कारण लगभग एक दशक में सबसे कम है, जबकि ओवरआल संयंत्र उपलब्धता पर ईंधन के भंडारण के प्रभाव के बावजूद उत्साहहीन कामर्शियल और औद्योगिक गतिविधियों के कारण मामूली प्रदर्शन दर्शाया है।

निवेश अनुपात में भारत का जीडीपी 1991 और 2004 के बीच जीडीपी का 23–26 प्रतिशत के बीच बना रहा और ऋण संकट से एकदम पहले तेज़ी के साथ 38 प्रतिशत हो गया। निजी केपेक्स इसका एक बड़ा हिस्सा यानी 28 प्रतिशत हो गया। 2013 में जीडीपी में निवेश गिरकर 32 प्रतिशत हो गया है और निजी केपेक्स गिरकर 22.6 प्रतिशत हो गया। जीडीपी वृद्धि इस केपेक्स चक्र के आसपास रहा है और शीघ्र ही इसके बहाल होने की आशा है। बेहतर निवेश वातावरण के साथ

परियोजना स्वीकृतियों में तेज़ी आने की संभावना है। परियोजना निगरानी समूह की स्थापना के साथ परियोजना स्वीकृति में जबर्दस्त तेजी आई है। देश में उद्योग और विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई विनिर्दिष्ट पहलें शुरू की गई हं जिनमें राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी), दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) का कार्यान्वयन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार तथा ई–ब्रिज पहल शामिल हैं। ये सभी बीएचईएल में विकास की नई गति के लिए अच्छा संकेत हैं।

1.11 विकास के लिए तैयारी

आज जब बीएचईएल संधारणीय विकास और नेतृत्व की अपनी यात्रा में स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है, यह भारी विद्युत उपकरण ों के स्वदेशी विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में भारत की शानदार सफलता का भी उत्सव है। वर्तमान और भविष्य की चुनौतियां संगठन को अपने प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने से नहीं रोक सकेंगीः– प्रचालनों लाभ के पैमाने पर फोकस के जरिए राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया में ध्यान केंद्रित करना, संगठन के संसाधनों का कौशल और निष्पादन की गति, रणनीति और परियोजना दोनों में लाभदायकता और निरन्तरता की पद्धति। बीएचईएल इसे अपने 6 सूत्री एजेंडे के अनुरूप, क्षमता वृद्धि, परियोजना निष्पादन, लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं गुणवत्ता, वैविध्यता, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, और व्यक्ति विकास के सहारे हासिल कर लेगी।

भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कठिन दौर से गुजर रही है। वर्तमान वर्ष में, बीएचईएल ने भी, अन्य की भांति, तीव्र आर्थिक मंदी का प्रभाव महसूस किया। साथ ही ये एक ऐसा वर्ष था जिसमें कंपनी ने आर्थिक वृद्धि के अगले चरण में अवसरों के दोहन के लिए अपनी शक्तियों के समेकन में महत्वपूर्ण प्रगति की।

बीएचईएल ने भारतीय विद्युत क्षेत्र में नेतृत्व का अपना स्थान कायम रखा। इस दिशा में कंपनी दो सूत्रीय नीति अपना रही हैय ईपीसी बिजनेस पर फ़ोकस और प्रस्तुति के दायरे का विस्तार करना। बीएचईएल अपने पोर्टफोलियो को ईंधन–गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), जल प्रबंधन प्रणाली, एअर कूल्ड कंडेसर और अन्य बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) सिस्टम्स को जोड़ते हुए विस्तारित कर रही है। कंपनी स्पेयर्स एवं सर्विस क्षेत्र, यूएमपीपीज के लिए विद्युत संयंत्र विकासकर्ताओं के साथ साझेदारी बढ़ने में पूरी क्षमता का दोहन कर रही है। सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी में स्वदेशीकरण के स्तर बढ़ाना, उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल विद्युत उपकरण के विकास, अत्याधुनिक सीएफबीसी प्रौद्योगिकी की शुरूआत और प्रौद्योगिकी विकास विद्युत क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं।

छह सूत्रीय कार्यक्रम

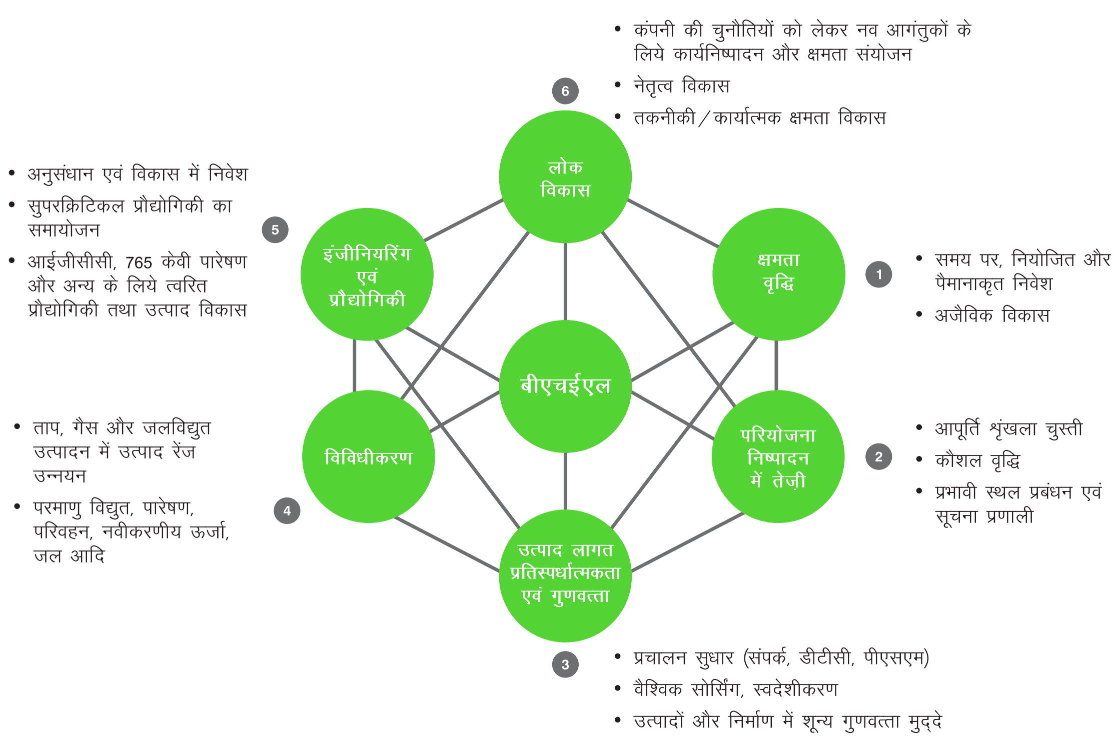

उद्योग खण्ड भी निवेशों में कटौती के प्रभाव को महसूस कर रहा है। यथा नियोजित, बीएचईएल ने हाल में पूर्व में परिवहन (रेल), सौर और पारेषण व्यवसाय क्षेत्रों दोनों में, वर्तमान सुविधाओं में विस्तार करके और नये व्यवसाय अवसरों के पूंजीकरण हेतु मूल्य श्रृंखला साझेदारी के साथ सहयोग पर फोकस से नये बिजनेस माडल्स की खोज़ द्वारा, अपनी उपस्थिति में इजाफा किया है। 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए एसईसीआई, एसएसएल, पीजीसीआईएल, एसजेवीएनएल, आरईआईएल के साथ साझेदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

व्यवसाय वैविध्यता के लिए बीएचईएल क्षमता विस्तार (उदाहरणार्थ लोकोज), उत्पाद विकास (उदाहरणार्थ 765 और 1200 केवी ट्रांसफार्मर), पणधारियों के साथ सहयोग (उदाहरणार्थ 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना), क्षमताओं का समेकन (उदाहरणार्थ जल व्यवसाय) में विस्तार कर रहा है और ट्रनओवर–मिक्स में उद्योग खण्ड के हिस्से को बढ़ाने के लिए नये प्रौद्योगिकी क्षेत्रों (उदाहरणार्थ एनई आगरा ±800 केवी एचवीडीसी पारेषण लाइन) में अनुभव प्राप्त कर रही है।

बीएचईएल प्रचालनों की व्यापकता कंपनी के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मकता का सृजन करता है क्योंकि यह उच्च परिसंपत्ति आधार को नियत लागतों के फैलाव, संसाधनों की पूलिंग से अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने में परिवर्तित करती है और विद्युत परियोजना मूल्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण हिस्से में महत्वपूर्ण वृद्धि सृजित कर रहा है। विद्युत संयंत्र उपकरण विनिर्माण के लिए 20000 मेगावाट प्र.व. तक क्षमता विस्तार, लोकोमोटिव निर्माण 75 नग प्र.व., सीमलैस स्टील ट्यूब्स के लिए 86500 एमटीपीए के लिए क्षमता विस्तार, नई विनिर्माण इकाइयों–जगदीशपुर में केंद्रीयकृत स्टैंपिंग यूनिट, तिरुमयम में विद्युत संयंत्र पाइपिंग यूनिट, भंडारा में विद्युत उपकरण फैब्रिकेशन और बीएचपीवी विजाग का विलय आदि बीएचईएल द्वारा इसके पैमाने को बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कुछेक कदम हैं।

प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और अपने ग्राहकों को समकालीन समाधानों की पेशकश हमारी व्यवसाय रणनीति का एक अभिन्न पहलु है। अनुसंधान एवं विकास में निवेश कारोबार का जमा 2.5 प्रतिशत पर अनुसंधान एवं विकास व्यय बनाये रखने की योजना के साथ उत्पाद विकास और इंजीनियरिंग में क्षमताओं की वृद्धि को तेज़ किया जाता है। नये औद्योगिक ाक्षेत्रों में, स्वदेशीकरण और डिज़ाइन आप्टीमाइजेशन, उपकरण माड्यूल्स के मानकीकरण, पुनक्राय लागत कम करने, कार्यनिष्पादन दायरों में वृद्धि करने और प्रस्तुत मदों की डी–पैकेजिंग तथा सिविल कार्यों, जिन्हें सभी व्यवसाय क्षेत्रों में स्वीकार किया जाता है, के अलावा आयात सामग्री घटाने के लिए भारतीय वेंडर्स के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हाल ही में परियोजना निष्पादन में तेज़ी लाना बीएचईएल की प्रमुख रणनीति बनी हुई है। हमने 600/600 मेगावाट सेटों के निर्माण के लिए उपयुक्त परियोजना स्थलों पर 129 भारी क्रेनों की वृद्धि जैसे विभिन्न कदमों के साथ हमारी निष्पादन क्षमताओं को सुदृढ़ करना जारी रखा है। हम इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स, डिलीवरी चक्र घटाने, केंद्रीय निगरानी प्रणाली और अतिरिक्त औजार तथा संयंत्रों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

बीएचईएल यह मानता है कि प्रचालन उत्कृष्टता ग्राहकों के लिए इसके विभेदित मूल्य प्रस्ताव का आधार है। मूल्यों के जारी दबावों से निपटने के लिए कंपनी प्रतिस्पर्धी खरीद, आपूर्ति जोखिम न्यूनीकरण, आईटी अनुप्रयोग, प्रचालन सुधार और बेहतर कर्मचारी उत्पादकता के जरिये अपने विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में चहुं ओर लागत कटौती पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

कर्मचारियों की औसत आयु में 2006 में 48.96 वर्ष से 2013 में 40.84 तक की क्रमिक कमी आई है कि बीएचईएल में जनसांख्यिकीय प्रोफाइल सहस्राब्दि पीढ़ी की ओर बढ़ रही है। अतः बीएचईएल की व्यक्ति विकास रणनीति में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं के विकास, उनके कार्यनिष्पादन और व्यवसाय योजना के अनुरुप क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कंपनी के अंदर नेतृत्व विकास, क्षमता मैपिंग, कार्यनिष्पादन से जुड़ा वेतन, रोज़गार योजना और सेवानिवृत्ति योजना पहलें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

कंपनी अपने ग्राहकों को सतत व्यवसाय समाधान उपलब्ध करवाने के मिशन के साथ काम करती है। बीएचईएल अपने ग्राहकों को ईंधन दक्ष, और पर्यावरण हितैषी प्रौद्योगिकियां और उत्पाद प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध है। 2013–14 के दौरान बीएचईएल ने बाढ़ में एनटीपीसी के लिए पहले बीएचईएल निर्मित 660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल यूनिट और कृष्णापट्टनम में एपीपीडीसीएल के लिए पहले 800 मेगावाट बायलर को चालू किया। बीएचईएल के लिए संधारणीयता, सामाजिक समानता संतुलन द्वारा खुशहाली हासिल करना ओर पर्यावरण की सहनीय सीमाओं/क्षमता के भीतर बने रहना है।

1.12 जोखिम और चिंताएं

बीएचईएल के पास बोर्ड से अनुमोदिन एक जोखिम प्रबंधन चार्टर एवं नीति (आरएमसीपी) है जो कि कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए संपूर्ण दायरा उपलब्ध करवाती है। एक सर्वोच्च

समिति, यथा जोखिम प्रबंधन स्टीयरिंग कमेटी (आरएमएससी), जिसमें कार्यपालक निदेशक/कार्पोरेट संकार्यों और व्यवसाय क्षेत्रों से संकार्य प्रमुख और सदस्य के तौर पर होते हैं, पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन ढांचे के अनुकूलन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसे जोखिमों के प्रबंधन के लिए निर्ण लेने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) आरएमएससी का संयोजक है और आरएमएससी में विचारविमर्शों के आधार पर निदेशक मंडल को आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है।

कुछ प्रमुख जोखिम, जिनका कंपनी सामना करती है, उनका प्रभाव और कंपनी द्वारा संचालित तत्स्थानी रणनीतियों की चर्चा नीचे सारणी में की गई है:

जोखिम विवरण	न्यूनीकरण रणनीतियां
प्रतिस्पर्धा बढ़ने, अतिरिक्त घरेलू विनिर्माण क्षमताएं और अल्प व्यवसाय परिकल्पनाएं	• लागत प्रभावकारित वृद्धि • पेशकश का दायरा बढ़ाना • ईपीसी व्यवसाय पर फोकस • कार्यनिष्पादन दायरों में सुधार
परियोजनाओं की देरी से सुपुर्दगी जिससे एलडीज, पेनाल्टीज, और ग्राहक असंतुष्टि की स्थिति उत्पन्न होती है	• इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स पर फोकस शिफ्टिंग • सुपुर्दगी चक्र में कमी • केंद्रीय निगरानी प्रणाली • अतिरिक्त औजार और संयंत्रों की तैनाती • चुस्त आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण
ऑनलाइन डाटा एवं सूचना सुरक्षा उल्लंघन जिससे महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को हानि होती है और वह बाधित होता है	• तकनीकी नियंत्रणों के लिए नीति लागू • आईएसओ27001 आईएसएमएस मानकों के अनुरूप तीसरा पक्ष ऑडिट • व्यवसाय निरन्तरता योजना (बीसीपी) और आपदा बहाली (डीआर) रणनीति लागू की गई • सुरक्षा प्रचालन केंद्र प्रक्रियाधीन • संकट प्रबंधन समूह बनाया गया
बाहरी कारकों जैसे कि सरकारी नीति, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, बीओपी इनपुटस में कमी आदि से व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव होता है	• प्रशासनिक मंत्रालय और औद्योगिक एसोसिएशनों के जरिए नीतिगत बहस • प्रमुख व्यवसाय साझेदारों से संपर्क
बढ़ते ऋणों और संकुचित आर्डर बुक से कार्यशील पूंजी पर दबाव हो सकता है	• नकदी संग्रह में तेजी के लिए विशेष समूह बनाया गया • ग्राहकों के साथ पंच–बिंदुओं की तीव्र बंदी • आपूर्तियों का बेहतर अनुसूचीकरण • वित्तीय संस्थानों के साथ सीधे भुगतान की बात उठाना • राज्य यूटिलिटीज के मामले में सरकार के साथ मुद्दे चिन्हित करना

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 2014

बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबंध–II

सूचीकरण करार [(खण्ड-49 IV(G)(i), के अनुसार नियुक्ति और पुनः नियुक्ति के लिये प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री सुनील कुमार बाहरी

58 वर्षीय **श्री सुनील कुमार बाहरी** को 31 मार्च, 2014 से बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया था।

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से स्नातकोत्तर [एम.ए. (अर्थशास्त्र)] की उपाधि प्राप्त, श्री बाहरी भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के 1981 बैच से संबंधित हैं और वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त हैं। उनके पास भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय तथा लोक उद्यम विभाग के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद का अतिरिक्त प्रभार है। वह एचएमटी और एचईसी के निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना की शासकीय परिषद में सरकार द्वारा मनोनीत हैं। डीएमआईसी ट्रस्ट के सदस्य के रूप में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अधीन परियोजनाओं की देखरेख में संलग्न हैं।

उन्हें संघ और राज्य दोनों स्तरों पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और लेखा परीक्षा का 33 वर्ष से अधिक का विभिन्न प्रकार का अनुभव है। उनकी प्रमुख सक्षमताओं में रणनीतिक योजना, मानव संसाधन प्रबंधन, कार्यनिष्पादन ऑडिट और ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों का मूल्यांकन शामिल है। उन्होंने असम के महालेखाकार के तौर पर कार्य किया है और भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्यालय में प्रत्यक्ष कर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा आईटी ऑडिट कार्यों के प्रमुख रहे हैं। वे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सचिवालय के प्रमुख भी रहे हैं। पूर्व में उन्होंने भारतीय दूतावास, वाशिंगटन में और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्फॉरमेशन सिस्टम्स एंड ऑडिट (आईसीआईएसए), नोएडा के महानिदेशक के तौर पर भी काम किया है। वे अपने वर्तमान दायित्व को संभालने से पूर्व प्रधान महालेखाकार, राजस्थान थे।

श्री बाहरी के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है।

अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक

सुश्री हरिन्दर हीरा

62 वर्षीय **सुश्री हरिन्दर हीरा** को बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के तौर पर 08.05.2014 को शामिल किया गया था। वे 1976 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और वे अपनी सेवानिवृत्ति के समय हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव थी।

उन्होंने सेंट बेदे कालेज, शिमला से कला में डिग्री हासिल की थी। उन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यू.के. से समाज विज्ञान (लोक प्रशासन) में मास्टर्स डिग्री भी प्राप्त की है।

सुश्री हीरा को मानव संसाधन विकास, वित्तीय और कार्मिक प्रबंधन, नीति निर्माण और चुनाव प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। उनके 36 वर्ष के लंबे कॅरियर में उन्हें विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि उद्योग, श्रम एवं रोजगार, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सिंचाई और जन स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, राजस्व में व्यापक अनुभव प्राप्त है।

सुश्री हीरा हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग, श्रम एवं रोज़गार, राजस्व और राहत एवं पुनर्वास विभागों में अपर मुख्य सचिव के तौर पर और स्वास्थ्य, सिंचाई और जन स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विभागों प्रधान सचिव के तौर पर कार्य किया। भारत के निर्वाचन आयोग में उन्होंने उप निर्वाचन आयुक्त के पद पर भी कार्य किया है। वे चंबा जिले की उपायुक्त और शिमला की उपमंडलाधीश थी। उनके कॅरिअर में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत, ओपन हार्ट सर्जरी की शुरूआत, टांडा (कांगड़ा) में नया मेडिकल कालेज खोलना, राजस्व रिकार्डस का आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण और बच्चों के अधिकारों के लिये नीति तैयार करना रही है।

सुश्री हीरा के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है।

कार्यकारी निदेशक

श्री आर. कृष्णनन

59 वर्षीय **श्री आर. कृष्णनन** ने बीएचईएल, एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण उद्यम, के निदेशक (मानव संसाधन) के पद पर 01.04.2012 को कार्यभार ग्रहण किया।

आरईसी, तिरुचि (अब एनआईटी) से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तथा एमएसीटी, भोपाल (वर्तमान में एमएएनआईटी, भोपाल) से भारी विद्युत उपकरण के डिजाइन और उत्पादन में स्नातकोत्तर, श्री कृष्णनन बीएचईएल में 1977 में इंजीनियर प्रशिक्षु के तौर पर शामिल हुए। उन्हें बीएचईएल के प्रमुख खंडों में 37 वर्ष कार्य करने का विविध और बहुमुखी अनुभव है।

मानव संसाधन के प्रमुख के तौर पर, उनकी भूमिका में संघों, स्टाफ एसोसिएशनों तथा विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत तौर पर भी बहु–आयामी संचार में संलग्न रहना है। उनका प्रमुख उद्‌देश्य मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र दिशानिर्देश तय करना और कार्पोरेट रणनीतियां निर्धारित करना, व्यवसाय वातावरण का प्रबंधन, सरकार और प्रमुख पणधारियों, मीडिया और कर्मचारियों के साथ संबंध तथा दूसरी प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों में पद समकक्षों के साथ संबंध रखना है। कार्यबल को प्रेरित करना और उनकी अपेक्षाओं का कंपनी के दृष्टिकोण, नीतियों और इसकी कठिनाइयों के साथ संतुलन करना उनके प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। श्री कृष्णनन द्वारा बीएचईएल के अपने कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल के उन्नयन में निवेश के प्रति लगातार प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई है।

बीएचईएल अपनी व्यवसाय रणनीतिक के अभिन्न हिस्से के तौर पर व्यवसाय और सीएसआर के बीच तालमेल बनाने की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः जागरूक प्रतिबद्ध कार्पोरेट नागरिक है। श्री कृष्णनन ने इस क्षेत्र में विभिन्न पहलें शुरू करने के लिये अपनी टीम का नेतृत्व और निर्देशन किया है। इनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं–बीएचईएल ज.एवं क. के युवाओं की रोजगार योग्यता बढ़ाने और उन्हें देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिये भारत सरकार की उड़ान परियोजना से जुड़े है। ''सभी को दृष्टि–बीएचईएल का आह्वान' अभियान के प्रत्युत्तर में भी 51000 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवारों से नेत्रदान के संबंध में शपथ दिलाई है। इस अभियान में उन्होंने इकाइयों का दौरा करके और कर्मचारियों को संबोधित करके बेहतरीन नेतृत्व किया।

श्री कृष्णनन के अपने लोगों के साथ जुड़ाव के कारण बीएचईएल को कई पुरस्कार जैसे कि मानव संसाधन प्रबंध के लिये स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार, सततता के लिये स्वर्ण मयूर पुरस्कार, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये स्वर्ण मयूर पुरस्कार 2011 आदि प्राप्त हुए। इसके अलावा एक दशक से अधिक के अंतर के बाद बीएचईएल ने ''स्वर्ण मयूर राष्ट्रीय प्रशिक्षण पुरस्कार'' भी जीता है। उन्हें एनआईटी, त्रिची ने प्रतिष्ठित एल्युमनी पुरस्कार, 2013 से भी सम्मानित किया है।

इससे पूर्व, वे हेवी पावर उपकरण संयंत्र, हैदराबाद के कार्यपालक निदेशक के तौर पर प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में कंपनी के हैदराबाद संयंत्र ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं जिनमें मात्र दो वर्ष की अवधि में लगभग सभी उत्पादों में दोहरा भौतिक टर्नओवरः ई–2000 ऑयल रिग्स के लिये एसी–एसी टेक्नोलोजी की शुरूआत, सुपरक्रिटिकल अनुप्रयोगों के लिये फ्रेम 9एफए गैस टरबाईन और पम्प की नई प्रौद्योगिकी तथा लगातार दूसरे वर्ष के लिये सीआईआई–एग्ज़िम–बिजनेस मॉडल में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिये प्रशस्ति पुरस्कार शामिल है।

श्री कृष्णनन ने विभिन्न स्थानों के लिये, जिसमें एक बंगलादेश के जरिए गैस टरबाइनों के वितरण के लिये मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना, यूनिट में टेक्नो–कॉमर्शियल एमओयू अवधारणा की शुरूआत–बीएफपी–डीटी, एचपी हीटर्स, पम्पस एवं पल्वराइजर्स जैसे उत्पादों में वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग (लीन मैन्युफैक्चरिंग) की प्रक्रिया में प्रथम उत्पाद के पल्वराइज और निर्देशन से संबंधित व्यवस्था भी की।

इससे पूर्व, उन्होंने हैदराबाद में बीएचईएल की कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग में महाप्रबंधक (प्रभारी) और स्थानापन्न कार्यपालक निदेशक के रूप में नेतृत्व किया। महाप्रबंधक, बीएचईएल, भोपाल के तौर पर उनके नेतृत्वकाल में श्री कृष्णनन पर योजना, विकास और गुणवत्ता की जिम्मेदारी थी। वे बीएचईएल भोपाल द्वारा विनिर्मित सभी उत्पादों के गुणवत्ता कार्यों के अलावा लंबी श्रेणी की योजना, प्रचालन योजना और रणनीतिक योजना में संलग्न थे।

इसके अलावा, महाप्रबंधक के पद पर वे इलेक्ट्रिक मशीनों, 25 मेगावाट रेंज तक की मोटरों के विनिर्माण हेतु सामग्री प्रबंधन, इंजीनियरिंग, उत्पादन और बिक्री उपरांत सेवा के प्रभारी थे। उन पर 200 मेगावाट तक के हाईड्रो जेनरेटरों के डिजाइन और उत्पादन का भी दायित्व था और वे भारतीय रेलवे के एसी–डीसी, डीजल, एसी ईएमयू और डेमू अनुप्रयोगों जैसे परिवहन उत्पादों के प्रभारी थे। श्री कृष्णनन को बीएचईएल के इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट (ईएमआरपी), मंबई का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था।

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के एक फेलो और चार्टर्ड

इंजीनियर श्री कृष्णनन दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड के अंशकालिक अध्यक्ष भी हैं।

श्री कृष्णनन के पास बीएचईएल का कोई शेयर नहीं है।

श्री डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर

59 वर्षीय, **श्री डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर** को 1 अगस्त, 2013 से निदेशक (औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद) के तौर पर बीएचईएल बोर्ड में शामिल किया गया था। उनके नेतृत्व में उद्योग क्षेत्र ने 2013–14 के दौरान ₹ 5473 करोड़ मूल्य के आर्डर बुक किये और 2012–13 की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की तथा 2012–13 में 142 प्रतिशत वृद्धि के साथ अब तक के सबसे उच्च 1698 मेगावाट कैप्टिव सेटों को सिंक्रोनाइज किया।

वह यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बंगलौर यूनिवर्सिटी से यांत्रिक इंजीनियर हैं और उनके पास प्रबंधन में डिप्लोमा है। उन्होंने आईएमआई (अब आईएमडी), जनेवा, स्विटजरलैंड में कॉरपोरेट प्लानिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 37 वर्ष के अपने लंबे कॅरिअर के दौरान उन्होंने कार्यनीतिक और प्रचालन क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं और संकार्यों में विभिन्न असाइनमेंट संभाली। उन्हें जुलाई, 2010 में कार्यपालक निदेशक के तौर पर प्रोन्नत किया गया।

1977 में तिरूचिरापल्ली में बीएचईएल में अपने कॅरिअर की शुरूआत के साथ उन्होंने तिरूचिरापल्ली में बीएचईएल के सीमलैस स्टील टयूब संयंत्र की स्थापना से संबंधित परियोजना नियोजन, अनुसूचीकरण एवं निगरानी गतिविधियों में सक्रियता के साथ भाग लिया। संयंत्र चालू होने के उपरांत उन्हें बीएचईएल के कॉरपोरेट कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उन्होंने बीएचईएल की दो बड़ी निवेश योजनाओं अर्थात तिरूचिरापल्ली में बॉयलर संयंत्र (4000 मेगावाट) के फेस–3 विस्तार और रानीपेट में हरित क्षेत्र में बायलर सहायक संयंत्र की स्थापना के लिए कॉरपोरेट स्तर पर परियोजना निगरानी प्रणालियों को डिज़ाइन और कार्यान्वित किया। वे बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों में 'उत्पाद प्रबंधक' आधारित सांगठनिक ढांचे के मूल्यांकन और डिजाइन में कॉरपोरेट स्तर पर भी निकट से संबद्ध रहे।

1998 से 2004 के दौरान, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र के भाग के तौर पर, उन्होंने पल्वराइज्ड फ्यूल बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांटस, डीजी पावर प्लांटस और रक्षा उत्पादों तथा प्रणालियों के विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने भारत में विनिर्माण के विस्तार और स्थायित्व के वास्ते नीतिगत विचार के लिए उच्चतम स्तर पर एक मंच के तौर पर भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद (एनएमसीसी) में भी कार्य किया। वे मार्च 2006 में ''निर्माण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति' के साथ–साथ सितंबर 2008 में 'भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के समूह की रिपोर्ट' के भाग के तौर पर सिफारिशों के मसौदाकरण कार्य में भी संबद्ध रहे थे।

वे कंपनी की '1980 के दशक के लिए कॉरपोरेट योजना' की शुरूआत से लेकर पांच कॉरपोरेट योजनाएं तैयार करने के काम में भी शामिल रहे। कार्यपालक निदेशक (कॉरपोरेट प्लानिंग एवं डेवलपमेंट) के तौर पर श्री कृष्णा शंकर ने युवा पीढ़ी की कल्पना पर कब्ज़ा करने के एक अनुपम प्रयोग को संचालित करते हुए 2010–11 में कंपनी के लिए एक नया विजन, मिशन और वैल्यूज के सृजन का नेतृत्व किया। कंपनी की नई 'कार्यनीतिक योजना' 2012–17 में बीएचईएल के आठ बिजनेस वर्टिकल्स के निर्माण पर ज़ोर दिया–यूटिलिटी पावर प्लांट बिजनेस; स्पेअर्स और सर्विसिज बिजनेस; कैप्टिव पावर प्लांट बिजनेस; ट्रांसमिशन बिजनेस; परिवहन बिजनेस; औद्योगिक उत्पाद और रक्षा; अक्षय ऊर्जा व्यवसाय; और जल व्यवसाय।

उन्होंने पाँच वर्ष के लिए निवेशक संबंध पोर्टफोलियो को सफलतापूर्वक संभाला। उन्होंने कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन और अमरीका में बीएचईएल के कई इंटरेक्टिव मंचों में प्रतिनिधित्व किया। बीएचईएल की प्रबंधन समिति–कंपनी में सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था, के सचिव के तौर पर और कार्यकारी निदेशकों की समिति के सचिव के तौर पर श्री कृष्णा शंकर कंपनी के लघु–अवधि और दीर्घावधि प्रचालनों से निकट से संबद्ध रहे। श्री कृष्णा शंकर वर्तमान में दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड के बोर्ड में मनोनीत निदेशक हैं। वे दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड की ऑडिट समिति के अध्यक्ष भी हैं।

श्री कृष्णा शंकर के पास बीएचईएल के 100 इक्विटी शेयर हैं।

श्री अतुल सोबती

55 वर्षीय **श्री अतुल सोबती** को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के बोर्ड में 1 दिसंबर, 2013 को निदेशक (विद्युत) के तौर पर शामिल किया गया था।

श्री सोबती एक यांत्रिक स्नातक इंजीनियर हैं और साथ में उनके पास अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर तथा परियोजना प्रबंध में डिप्लोमा है। उन्हें स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान आईएमआई में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। उन्होंने आईआईएम, अहमदाबाद और एशियाई प्रबंध संस्थान, मनीला में उन्नत प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है।

श्री सोबती के पास हैदराबाद में बीएचईएल के एक प्रमुख विनिर्माण संयंत्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रभाग, बीएचईएल हैदराबाद और बंगलौर में कार्पोरेट योजना एवं विकास, नई पूंजीगत परियोजनाओं तथा परियोजना इंजीनियरिंग और सिस्टम्स एकीकरण प्रभागों सहित बीएचईएल के सभी प्रमुख अनुभागों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य करने का 34 वर्ष का व्यापक, विविध और बहुमुखी व्यावसायिक अनुभव है। अनुभव में रणनीतिक और प्रचालन विषयों की व्यापकता भरी हुई है जिनमें विपणन और व्यवसाय विकास, परियोजना प्रबंधन, प्रचालन प्रबंधन, रणनीतिक प्रबंधन, पूंजी निवेश और परियोजना इंजीनियरिंग तथा सिस्टम्स विकास शामिल है।

बंगलौर और हैदराबाद में बीएचईएल इकाइयों में अपने कार्यकाल के दौरान, यूनिटों ने रिकार्ड वित्तीय और भौतिक कार्यनिष्पादन हासिल किया है। उनकी भविष्य की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने और इन प्रभागों में नई व्यावसायिक पहलों में भी भूमिका रही है।

बीएचईएल के अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रभाग में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ओमान, यूएई, इराक, लीबिया, चीन, कजाकिस्तान, सूरीनाम, भूटान, श्रीलंका, मिस्र, कुवैत, यूक्रेन आदि सहित कई देशों से प्रतिष्ठित विद्युत परियोजनाओं और उत्पाद के आर्डर प्राप्त करने और निष्पादन के जरिये इसके समुद्रपारीय बिजनेस में पन्द्रह गुणा तक योगदान किया।

अस्सी के दशक में नये पूंजीगत परियोजना समूह के सदस्य के तौर पर श्री सोबती रूद्रपुर, वाराणसी, पीसीआरआई–हरिद्वार, जगदीशपुर, गोइंदवाल आदि में नये बीएचईएल संयंत्रों की स्थापना में सक्रियता से शामिल रहे।

कॉर्पोरेट योजना एवं विकास में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने रणनीतिक योजना, पूंजी निवेश, एमओयू, प्रचालन निगरानी, प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। वे बीएचईएल की कॉर्पोरेट योजनाओं के साथ–साथ कंपनी के लिये विजन, मिशन और मूल्य सृजन में भी संलग्न रहे।

श्री सोबती 'सीआईआई नेशनल कमेटी ऑफ यंग मैनेजर्स', राष्ट्रीय स्तर की 'सीआईआई ट्रेड कमेटी' और बंगलौर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कामर्स (बीसीआईसी)' के सक्रिय सदस्य रहे हैं।

निदेशक (पावर) के तौर पर, उन पर बीएचईएल के विद्युत क्षेत्र व्यवसाय के नेतृत्व का दायित्व है और उनके नृतत्व में, विद्युत क्षेत्र ने विद्युत परियोजना के लिये एकल सबसे बड़ा आर्डर प्राप्त करने के अलावा, जो कि बीएचईएल ने पहले कभी हासिल नहीं किया था, 2013–14 में विद्युत परियोजनाओं की अब तक सबसे उच्च कमीशनिंग/सिंकोनाइजेशन को हासिल किया है।

वर्तमान में वे बीएचईएल में निदेशक (इंजीनियरिंग, आरएंडडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार भी धारण किये हुए हैं।

श्री सोबती रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएचईएल और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के बोर्ड के अंशकालिक अध्यक्ष तथा बीएचईएल–एनटीपीसी जेवीसी एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एनबीपीपीएल) के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक भी हैं।

श्री सोबती के पास बीएचईएल के 1500 इक्विटी शेयर हैं।

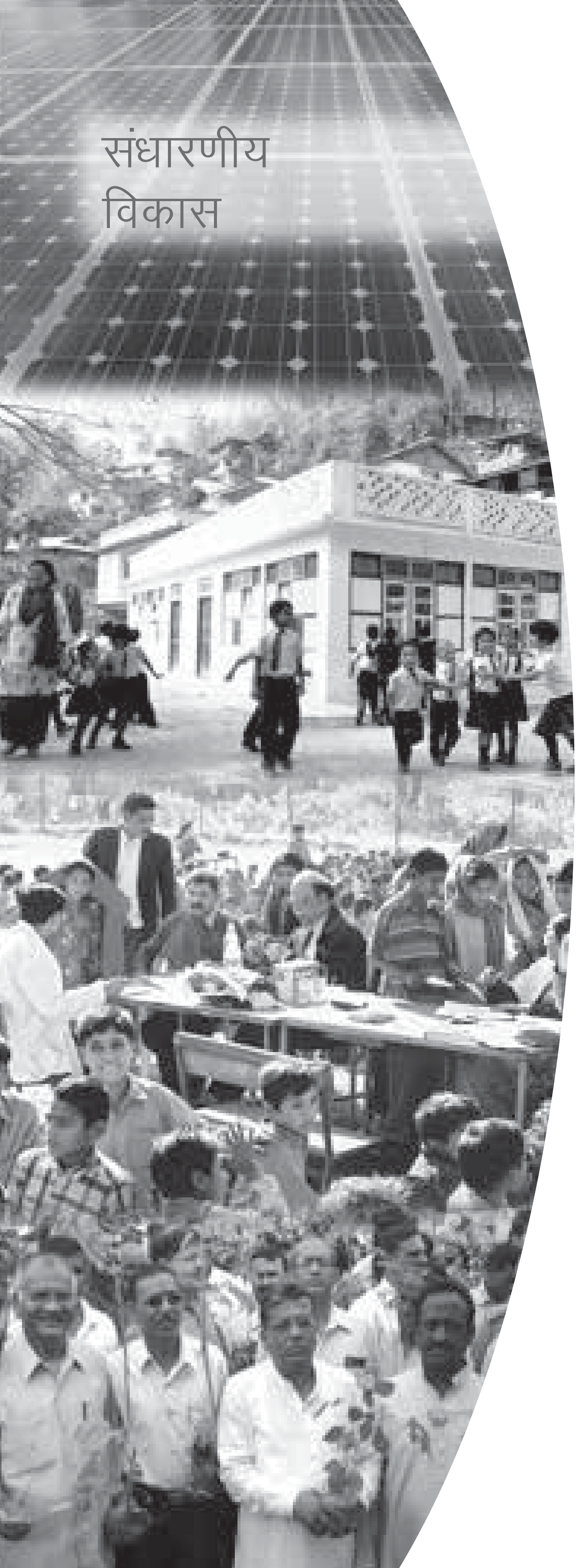

अनुबंध–III

निदेशक मंडल

बीएचईएल में, हम सतत् तरीके से व्यवसाय करने में विश्वास करते हैं जो कि हमारी व्यवसाय रणनीति, पर्यावरणी कार्रवाई, सामाजिक समर्थन और शासन के तमाम क्षेत्रों में फैला हुआ है। कंपनी, इसके उत्पादों, इसके कर्मचारियों, इसके ग्राहकों और समाज के बीच संबंध–अपरिहार्य दृष्टांतों के प्रयोग–जैसे कि एक नदी जितनी गहरी होती है उतना कम शोर करती है, की तरह है। ये उस मार्ग का मात्र प्राकृतिक विस्तार है जो बीएचईएल ने स्वयं देखा और इसकी जिम्मेदारी ली। लगभग पचास वर्षों की इसकी मौजूदगी के दौरान कंपनी अपने ग्राहकों को उत्पाद, प्रणालियों और सेवाओं के लिये प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ प्रदान कर रही है और बेहतर दक्षता और उत्पादकता के साथ संसाधनों के इस्तेमाल में समर्थ बनाया जाये जो कि इसके मिशन बयान–''ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्रों में सतत् व्यवसाय समाधान उपलब्ध करवाना'' से भी साबित होता है।

स्थिरता के प्रति संरचित दृष्टिकोण अपने आप में ही एक मूल्य प्रस्ताव है जो तिहरी आधार पंक्ति से जोडता है। इसने हमें –सामग्री, जल एवं ऊर्जा खपत, उत्सर्जन और कचरा उत्पादन घटाने, समाज में हमारे प्रचालनों के लिये अधिक स्वीकार्यता उपलब्ध करवाने, और हमारे उत्पादों और सेवाओं को अधिक स्थाई एवं लाभकारी बनाने में सहायता की है। यह हमें एक केंद्रीय विषय के तौर पर समान विकास के प्रति योगदान करने में भी समर्थ बनाता है ताकि आर्थिक और व्यावसायिक लाभ अधिकतम जनता तक पहुंच सके।

हमेशा की भांति हमारे ग्राहक हमसे जुड़ते रहते हैं, हमे चुनौतियां देते हैं, हमारे साथ संलग्न होते हैं और बेहतर करने के लिये हमारी मदद करते हैं। बीएचईएल के लिये स्थिरता इसके गौरवपूर्ण इतिहास का एक मज़बूत हिस्सा है जिसने हमें 1971–72 से लेकर लगातार लाभ अर्जित करने में समर्थ बनाया है।

बीएचईएल एक अच्छा कॉर्पोरेट नागरिक ही नहीं हैय बेहतरी के लिये दुनिया को बदलने की इसकी इच्छा है।

3.1 स्थिरता के लिये अभिशासन

बीएचईएल को विश्वास है कि स्थिरता के लिये अभिशासन में, पणधारियों की संलग्नता और स्थिरता से जुड़े मुद्दों का प्रकटीकरण कॉर्पोरेट डीएन के भीतर स्थिरता के समायोजन

के लिये पृष्ठभूमि तैयार करता है, इसके व्यवसाय से जुड़े पर्यावरणीय और समाजिक मुद्दों पर सांगठनिक कार्यनिष्पादन स्थिरता के लिये बुनियादी उपाय है।

इसे सुनिश्चित करने के लिये बीएचईएल, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिये भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अधीन लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और स्थिरता के मुद्दों पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत् विकास के लिये कंपनी में तीन स्तरीय समिति ढांचा है जिसमें उप समिति, लेवल–1 समिति और बोर्ड स्तरीय समिति (बीएलसी) शामिल है। उपरोक्त तीन समितियां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व और सतत् विकास परियोजनाओं के संचालन, जांच, समीक्षा, अनुशंसा और अनुमोदन की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। कॉर्पोरेट सामजिक उत्तरदायित्व और सतत् विकास के लिये वार्षिक बजट का अनुमोदन बीएचईएल का निदेशक मंडल करता है। बजटीय प्रावधान के आधार पर, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतर विकास के लिये वार्षिक योजना को बोर्ड स्तरीय समिति अनुमोदित करती है।

2013–14 के दौरान बीएचईएल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता गतिविधियों पर वर्ष 2012–13 में कर पश्चात लाभ का 1.64 प्रतिशत खर्च किया।

3.2 हमारा स्थिरता कार्यनिष्पादन–पर्यावरणीय

3.2.1 संधारणीय ढांचा

हर सफल पहल में शुरूआत से ही समर्थ बुनियादी ढांचा लोड करना अपेक्षित होता है। संधारणीय विकास के लिये गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं के पैमाने और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 'संधारणीय विकास नीति' के रूप में एक निर्देशन बल का भी सृजन किया गया है।

सतत् विकास नीति

हम बीएचईएल समाज के हित में उत्पादों, व्यवस्था एवं सेवा का प्रस्ताव करते है।

हम सतत् विकास के लिए आर्थिक, पर्यावरण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवहार के प्रति बचनबद्ध है।

हम भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रचालन के सतत् विकास में निरंतर सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी शेयरधारकों के साथ कार्य करेंगे।

इस नीति को कंपनी की स्ट्राटैजिक योजना 2012–17 में आगे अंतर्निहित और परिलक्षित किया गया है। बीएचईएल में इसके उत्पादों और सेवाओं के साथ–साथ आंतरिक गतिविधियों के जरिए सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये फ़ोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है।

सौर विद्युत संयंत्रों के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, टर्बो–वेंटिलेटर्स की संस्थापना के जरिये ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, फ्यूम्स एक्सट्रेक्शन प्रणालियों की संस्थापना द्वारा कार्य स्थल पर्यावरण सुधार, शोर स्तर कटौती प्रणालियां, संसाधन संरक्षण प्रणालियां और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाएं और पहले संचालित की जाती हैं।

सामग्री एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

कंपनी के पास उत्पादों और कचड़े के पुनःचक्रण के लिये एक मजबूत संस्थागत तंत्र है। स्रोत पर ही कचरा (स्क्रैप) उत्पादन को न्यूनतम करने के लिये बीएचईएल में लागू कुछेक निम्न उपाय किए गए हैं:

- बीएचईएल अपनी सामग्रियों का करीब 3–5 प्रतिशत पुनःशोधित इनपुट सामग्रियों के तौर पर पुनःशोधन/पुनःउपयोग करता है, जिसके जरिए प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाला प्रभाव कम होता है।
- सेंट्रल फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी), हरिद्वार स्टील फोर्जिंग्स और कास्टिंग्स का विनिर्माण करता है जिसके लिये अपेक्षित मोलटेन स्टील का उत्पादन स्टील स्क्रैप को एक प्रमुख कच्चे माल के तौर पर प्रयोग करते हुए स्टील मेल्टिंग शाप में उत्पादन किया जाता है। अन्य इकाइयों से प्राप्त इस माइल्ड स्टील (एमएस) स्क्रैप को स्टील मेल्टिंग शाप, सीएफएफपी, हरिद्वार में स्टील फोर्जिंग और

कास्टिंग्स के लिये अपेक्षित मोलटेन स्टील के उत्पादन के लिये एमएस स्क्रैप के पुनर्शोधन के लिये इस्तेमाल करने से पहले सीएफएफपी हरिद्वार में पुनः शोधित स्क्रैप को प्रोसेस और ग्रेडवार अलग अलग करते हुए स्टील मेल्टिंग के लिये सीधे प्रयोग में लाया जाता है।

स्टील मेल्टिंग शाप हरिद्वार में मोल्टर स्टील के लिए एमएस स्क्रैप की रिसाइक्लिंग हो रही है, जिसकी जरुरत स्टील फोर्जिंग एवं कास्टिंग में होती है।

- प्रत्येक प्लेट में कम्प्यूटरीकृत नेस्टिंग प्लान की जाती है ताकि प्लेट में अधिकतम संख्या में कार्यों को समायोजित किया जा सके।
- नेस्टिंग के उपरांत साइज़ >1 वर्ग मीटर के कट–ऑफ सृजित किये जाते हैं और कटिंग को संरक्षित किया जाता है तथा छोटे कार्यों, स्ट्रोंग बैक, लिफ्टिंग जग्स और टैकलर्स आदि के लिये पुनः उपयोग में लाया जाता है।
- खतरनाक/ग़ैर खतरनाक अपशिष्ट का निपटान एमएसटीसी/अन्य अधिकृत एजेंसियों के जरिये किया जाता है।

ऊर्जा प्रबंधन

पूरे बीएचईएल में प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के इसतेमाल के अलावा, विद्युत को सहायक ऊर्जा के तौर पर प्रयोग में लाया जा रहा है। रणनीतिक व्यवसाय आवश्यकता के तौर पर ऊर्जा संरक्षण और दक्षता पर भी ज़ोर दिये जाने की भी पहचान की गई है। बीएचईएल में ऊर्जा प्रबंधन के लिये हाल में उठाये कुछेक कदम इस प्रकार हैं:

- बीएपी रानीपेट में 5 मेगावाट के ग्रिड इंटरेक्टिव सौर विद्युत संयंत्र की संस्थापना जिसमें प्रति वर्ष करीब 74 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन होने की आशा है, जिससे प्रति वर्ष संगठन का 6660 मी.ट. CO_2-e के कार्बन फुटप्रिंट में कमी होगी।
- ऊर्जा संरक्षण के भाग के तौर पर टर्बो–वेंटिलेटर्स की संस्थापना

पूरे बीएचईएल में ऊर्जा प्रबंधन पहल के भाग के रूप में बीएपी रानीपेट में स्थापित 5 मेगावाट पी क्षमता का ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर पावर प्लांट

- बीएचईएल में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन/उपयोग से संबंधित प्रमुख क्षेत्र हैं:
  - रूफ टॉप सोलर पीवी सिस्टम्स की संस्थापना
  - सोलर वाटर हीटिंग प्रणालियों की संस्थापना
  - ग्रिड इंटरेक्टिव एसपीवी विद्युत संयंत्र (सब एमडब्ल्यू और एमडब्ल्यू स्केल) की संस्थापना
  - सोलर स्ट्रीट लाइट की संस्थापना
- विद्युत की अधिकतम मांग में कमी के लिये लोड योजना
- इंडक्टिव लोडस के लिये आटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर की संस्थापना
- उपकरण/मशीन के बेकार संचालन से बचना
- फर्नेसिस का इष्टतम उपयोग
- कम्प्रेस्ड एअर, स्टीम पाइपिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लीकेज पकड़ना
- वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग
- मशीनों में मोटरों के लिये वेरिएबल स्पीड ड्राईव्स उपलब्ध करवाना
- लाइटिंग फीडर्स को पावर सेवर्स उपलब्ध करवाना
- ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली की संस्थापना

जल एवं जैव विविधता प्रबंधन

बीएचईएल में, पानी और अपशिष्ट पानी की प्रणालियों को बढ़ती सामुदायिक आवश्यताओं के लिये निरन्तर प्रबंधित किया जाता है। ऐसा कोई पानी स्रोत नहीं है जो कि बीएचईएल इकाइयों द्वारा पानी की निकासी से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता होता है। बीएचईएल में गतिविधियों के पैमाने में बढ़ोतरी के बावजूद पिछले 3 वर्षों में पानी की खपत में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि कार्यस्थल पर पानी के पुनःशोधन और पुनः उपयोग पर ज़ोर दिया जाता है।

- सभी परिसरों में वर्षा जल संरक्षण क्षमता के विकास के सतत् प्रयास
- फैक्टरी से हुई निकासी को शोधित, पुनःउपयोग, पुनः शोधन किया जाता है और केवल इसके बाद ही बहाया जाता है। एचईआरपी वाराणी में शून्य अपशिष्ट जल डिस्चार्ज यूनिट जैसी सुविधा का सृजन किया गया है जिसमें कूलैंड के तौर पर प्रयुक्त पानी को पुनः शोधित किया जाता और अंततः प्रक्रिया के भीतर समाप्त हो जाता है। एचबीपी त्रिची यूनिट में शून्य डिस्चार्ज बनाये रखने के लिये परिसर के भीतर सिंचाई के उद्देश्यों के लिये 100 प्रतिशत शोधित ट्रेड एफ्ल्युएंट वाट का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह जलाशय सड़ने से बच जाते हैं।
- हाइड्रो परीक्षण जल का पुनःशोधन, एसएसटीपी त्रिची से कूलिंग टावर टाउनशिप और फैक्ट्री से सीवेज पानी को शोधित करता है और ये युविधाएं पूर्ण क्षमता के साथ प्रचालन में हैं।
- प्रत्येक बीएचईएल यूनिट में पर्यावरणीय नियमों की अनुपालना में डिस्चार्जड पानी के पैरामीटर सीमाओं के अंदर हैं, जिन्हें संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनिर्दिष्ट करते हैं।
- हरित परिसर–अब तक कंपनी ने पूरे कॉर्पोरेशन के अंदर 30 लाख से अधिक पौधे लगाये हैं।

कार्बन प्रबंधन

बीएचईएल इकाइयों ने संगत गैस उत्सर्जनों का परिमाणन शुरू किया है। हालांकि एनओएक्स, एसओएक्स, एसपीएम के उत्सर्जन का स्तर और अन्य महत्वपूर्ण दायरे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं। बायलर और गैस संयंत्र फर्नेसिस से उत्सर्जन की निगरानी और नियंत्रण नियमित रूप से की जाती है ताकि प्रदूषण के स्तर बनाये रखे जा सकें। इस दिशा में हाल में उठाये गये कुछ कदम इस प्रकार हैं:

- पेंट स्प्रे गन में सुधार के जरिए पेंट स्प्रे गन के लिये फिक्सर का विकास जिसके परिणामस्वरूप वालेटाइल आर्गेनिक कम्पाउंडस (वीओसी) उत्सर्जन में कमी आई है।
- फैबिक्रेशन शॉप में फ्यूम्स एक्सट्रैक्शन सिस्टम की संस्थापना जिसके परिणामस्वरूप पलायक उत्सर्जन में कटोती हुई है।
- शॉक छड़ों और लिफ्टिंग होल्डर्स में हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का विस्तार करके फैब्रिकेशन प्रक्रिया को सरल किया गया है और इससे थर्मल हीटिंग हट गई हैं।
- एसिड मिस्ट की पकड़ के लिये स्क्रबर का इस्तेमाल
- कोल – फायरड बालयर का आरएलएनजी – फायरड बायलर में परिवर्तन और ऑयल फायरड एचटीके का आरएलएनजी–फायरड में परिवर्तन जिससे सस्पेंडिड पार्टिकुलेट मैटर्स (एसपीएम) में 82 प्रतिशत की कमी आई है।
- ऑयल–फायरड बर्नरों को प्राकृतिक गैस फायरर्ड में परिवर्तन से उत्सर्जन में कमी आई है।
- उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट में कमी के लिये क्लीनर फ्यूल का इसतेमाल–एचपीईपी हैदराबाद

3.2.2 एक कदम आगे

बीएचईएल इस तथ्य के प्रति संवेदनशील है कि वैश्विक रूप से ऊर्जा संबंधी CO_2 उत्सर्जनों में वर्तमान में विद्युत क्षेत्र का योगदान 41 प्रतिशत है। यह दोहराया जाता है कि विद्युत क्षेत्र को कार्बनमुक्त करना वैश्विक CO_2 उत्सर्जनों में सघन कटौती के प्रति हमारे प्रयासों का केंद्र बिंदु होगा। कंपनी भारत में उद्योगों के लिये इस दिशा में सदैव मार्गदर्शक बनी रही है। बीएचईएल ने सत्तर के दशक में बाद में भारतीय कोयले के दक्ष उपयोग और इसके न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के लिये प्रौद्योगिकियों का विकास किया। 1984 में 500 मेगावाट, 2008 में 660 मेगावाट और 800 मेगावाट तथा 2010 में 700 मेगावाट के साथ, बीएचईएल प्रगामी रूप से अपने ग्राहकों के लिये पर्यावरण अनुकूल और ईंधन दक्ष प्रौद्योगिकियां अपना रहा है। बीएचईएल बर्निंग मल्टीपल ईंधनों के लिये सीएफबीसी, बर्बाद गर्मी समाहित करने के लिये एचआरएसजी और भारत में कोल गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकियां भी लेकर आया है।

आज, बीएचईएल के उपकरण विश्व स्तरीय कार्यनिष्पादन से भरपूर हैं, जैसे कि अल्प सहायक विद्युत खपत, बढ़िया बायलर दक्षता, बेहतर संयंत्र गर्मी दर और संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ) तथा अंततः निचली जीवन चक्र लागत। बीएचईएल के ग्राहक, लाभ कमाने वाले बने रहने के साथ मौजूदा और स्वीकार्य सामाजिक पारिस्थितिकी मानदंडों के अनुरूप राष्ट्र की सेवा करने में समर्थ हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत और नार्थ अमेरिका इलेक्ट्रिक रिलाएबिलिटी कार्पोरेशन (एनईआरसी), अमरीका से विभिन्न कार्यनिष्पादन रिपार्टों में स्पष्ट रूप से बीएचईएल थर्मल सेटों के बढ़िया कार्यनिष्पादन को इंगित किया गया है, जो कि अंततः ऐसे विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन के अधिकतम उपयोग की दिशा में ले जायेगा।

3.3 हमारा स्थिरता प्रदर्शन–सामाजिक

3.3.1 प्रबंधन दृष्टिकोण

स्थिरता के लिये त्रिपक्षीय आधार पंक्ति दृष्टिकोण के दूसरे मुद्दे को हल करने की दिशा में बीएचईएल ने एक सीएसआर योजना विकसित की है और सीएसआर तथा स्थिरता पर इसका मिशन बयान ''अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति

जागरूक एक प्रतिबद्ध कॉर्पोरेट नागरिक बनना'' है। बीएचईएल का समावेशी विकास और समान विकास के प्रति एक सुसंरचित सीएसआर कार्यक्रम है।

सीएसआर का मुख्य फ़ोकस समावेशी विकास है जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, समुदायों का सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा और पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा वंचित और दबे कुचले समाज के वर्गों का उत्थान करना है। कंपनी ने देश भर में सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षा, आपदा प्रबंधन और प्रतिभा उन्नयन/कौशल विकास जैसे विविध क्षेत्रों में परियोजनाएं संचालित करते हुए विभिन्न सामाजिक पहलों का समर्थन किया है। बीएचईएल देश भर में सामाजिक गतिविधियों में संलग्न विभिन्न गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्टों/समाज कल्याण संस्थाओं के जरिये कार्यान्वयन हेतु सीएसआर पहलों का संचालन करता है।

3.3.2 2013–14 के दौरान संचालित प्रमुख सीएसआर गतिविधियां

बीएचईएल द्वारा समाज के व्यापक सुधार और कल्याण के लिये संचालित कुछ प्रमुख सीएसआर गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

सामुदायिक विकास

- बिहार में मुंगेर पिछड़े जिले के 25 गांवों में 'अनहाद ग्राम' परियोजना में 4 उद्देश्यों के साथ सहायता की–
  - डेयरी विकास
  - बायोमास ईंधन
  - महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
  - खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण इकाई
- सीमांत किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये जनजातीय बहुत खरगोन जिले में नर्सरी/फसल/कीट प्रबंधन और कटाई उपरांत प्रयासों के जरिए 'प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत कृषि उपाय' नामक परियोजना संचालित की गई।

बीएचईएल के कर्मचारियों ने उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में एक दिन के वेतन के रूप में ₹ 6.38 करोड़ अंशदान दिया।

- उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों को भोजन, पानी, दवाइयां और कोबाइल चिकित्सा इकाइयों के जरिए राहत उपलब्ध करवाई गई। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 2 करोड़ का अंशदान किया गया। बीएचईएल के कर्मचारियों ने अपना एक दिन का वेतन जिसकी ₹ 6.38 करोड़ की राशि होती है, प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराई।
- छत्तरपुर जिला (म.प्र.) के बिजावाड़ ब्लॉक में **छोटे गरीब किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिये संचित वर्षा जल के निरन्तर उपयोग के लिये 15 गांवों को गोद लेने संबंधी परियोजना आरंभ की गई।**

शिक्षा

- भुबनेश्वर नगर, असम में जनजातीय, ग्रामीण और स्लम के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये **'जनजातीय कल्याण स्कूल का निर्माण'** में सहायता की।
- दिल्ली के 10 झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले 240 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण सहित 1260 स्ट्रीट/स्लम बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिये अभावग्रस्त बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिये ग़ैर सरकारी संगठन **'दिशा'** के जरिए एक परियोजना को सहायता प्रदान की।

स्ट्रीट चिल्ड्रन को शिक्षा के लिये गैर सरकारी संगठन 'दिशा' के जरिये एक परियोजना को सहायता

- अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिये **'कटिंग एंड टेलरिंग'** और **'ब्यूटी कल्चर'** में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करवाया गया।
- **बीएचईएल–एफएईए** (फाउंडेशन फॉर एकेडिमक एक्सीलेंस एंड एक्सेस) शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 150 बीपीएल उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
- हरिद्वार, उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से 100 स्नातकपूर्व लड़कियों को उच्चतर शिक्षा का अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की गई

- उड़ानः एटीआई, चेन्नई, बीएचईएल की भारत भर में फैली विभिन्न विनिर्माण इकाइयों और विद्युत क्षेत्र स्थलों पर ज.एवं.क. के 87 इंजीनियरिंग डिग्री तथा डिप्लोमा उम्मीदवारों को नौ महीने का सघन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- निरन्तर श्रेणीबद्ध मूल्य शिक्षा कार्यक्रम (एसजीवीईपी): बीएचईएल ने दिल्ली स्थित स्कूलों के छात्रों को (ग्रेड VII–ग्रेड–XI) मूल्य आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाने के मिशन में सहयोग के लिये अत्यधिक प्रतिष्ठित संगठन आर के मिशन के साथ समझौता किया है।

स्वास्थ्य

- ठाकुरपुर, कोलकाता में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के निर्माण के लिये 'कोलकाता की साने एंड एनथुसिआट वालंटियर्स एसोसिएशन' नामक एनजीओ वित्तीय सहायता प्रदान की।
- बुंदेलखंड क्षेत्र के अत्यधिक जरूरतमंद और गरीब लोगों को मुफ्त चिकित्सा इलाज उपलब्ध करवाने के लिये 'विश्व के पहले–हास्पिटल ऑन व्हील्स', 'लाइफलाइन एक्सप्रेस' ट्रेन की सेवाओं में संलग्न। करीब 1000 रोगियों के विभिन्न समस्याओं के लिये सर्जिकल आपरेशन किये गये।

बुंदेलखंड क्षेत्र के जरूरतमंदों लोगों को मुफ्त चिकित्सा इलाज उपलब्ध करवाने के लिये 'विश्व का पहला–हास्पिटल ऑन व्हील्स', 'लाइफलाइन एक्सप्रेस' ट्रेन

- बीएचईएल के दूरदराज के स्थापना की परियोजना क्षेत्र में प्रचालन के लिये **हेल्प एज इंडिया** को मूलभूत निदान उकपरणों से पूर्णतः सज्जित 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयूज) उपलब्ध करवाई गईं।
- दिल्ली/रा.रा.क्षे. और भोपाल में टर्मिनली कैंसर पीड़ित रोगियों सहित गरीब रोगियों को उपशामक देखभाल उपलब्ध करवाने के लिये गैर सरकारी संगठन **'ग्लोबल कैंसर कन्सर्न इंडिया (जीसीसीआई)'** के साथ साझेदारी।
- हेमोफिलिया से पीड़ित लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिये **'हील ए सोल'** स्वास्थ्य परियोजना की शुरूआत।
- आंध्र, ओडीशा और छत्तीसगढ़ से गरीब रोगियों के लिये आर्बिटल सर्जरियां संचालित करने के लिये संकार फाउण्डेशन को सतत् सहायता

इसके अलावा, बीएचईएल भारत से कोर्नियल दृष्टिहीनता के उन्मूलन के लिये नेत्र शपथ की आवश्यकता को महसूस करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को नेत्र शपथ के लिये प्रोत्साहन के लिये अभिनव कार्यक्रम शुरू किया है जो कि उनकी मृत्यु के बाद लाभार्थी को नेत्रदान कर सकें। नेत्रदान के जरिये कोर्नियल दृष्टिहीनता के उन्मूलन के लिये, **बीएचईएल ने एक नोबेल और विशिष्ट सीएसआर पहल मई 2012 में ''सब को दृष्टि–बीएचईएल का आहवान'** अपने कर्मचारियों के बीच शुरू की और एक सामाजिक अभियान के साथ जुड़ा। 31 मार्च, 2014 तक बीएचईएल कर्मचारियों, पारिवारिक सदस्यों और समाज के अन्य सदस्यों से 63420 नेत्रदान शपथ प्राप्त हुए हैं और कोर्नियल दृष्टिहीन को दृष्टि बहाल करने के लिये कुल 1104 जोड़े नेत्र बाल (कोर्नियाज–2208) प्राप्त किये गये हैं।

बड़ी संख्या में सीएसआर और एसडी पहलों के जरिये स्थानीय समुदायों के कल्याण में सक्रिय भागीदारी द्वारा बड़े पैमाने पर समाज के लिये कार्य करने की परंपरा को तेज़ करते हुए बीएचईएल ने देश भर में फैले अपने परियोजना स्थलों और विनिर्माण संयंत्रों के आसपास स्थित गांवों और समुदायों में रहनसहन की स्थितियों में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सामाजिक–आर्थिक और सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित किये हैं।

3.3.3 संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल काम्पैक्ट कार्यक्रम

बीएचईएल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल काम्पैक्ट (यूएनजीसी) कार्यक्रम के प्रति वचनबद्धता जारी रखते हुए मानवाधिकारों, श्रम मानदंडों, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी अपने दस सिद्धांतों के साथ

हेल्प एज इंडिया को बुनियादी डायगनोस्टिक उपकरणों से युक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) प्रदान की गई।

प्रमुख भूमिका निभा रहा है। बीएचईएल ने ग्लोबल काम्पैक्ट नेटवर्क (जीसीएन)–प्रमुख भारतीय संगठनों द्वारा बनाई गई एक सर्वोच्च स्तरीय नोडल एजेंसी में सक्रिय भागीदारी के जरिये भारतीय संगठनों में ग्लोबल काम्पैक्ट सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बीएचईएल अब ग्लोबल काम्पैक्ट नेटवर्क, भारत का आजीवन कॉर्पोरेट सदस्य है। बीएचईएल ने इसके सचिव के तौर पर सभी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका जारी रखी है। कंपनी ने प्रगति के सम्प्रेषण की नियमित पूलिंग (सीओपी) के जरिए यूएनजीसी कार्यक्रम के प्रति अपनी वचनबद्धता को आगे जारी रखा है।

3.3.4 व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

सहभागी प्रबंधन संस्कृति बीएचईएल की औद्योगिक संबंध नीति का शुरूआत से हालमार्क बना रहा है। बीएचईएल में कामकाज़ भागीदारी योजना 3 स्तरों पर अर्थात शाप फ्लोर स्तर, संयंत्र स्तर और सर्वोच्च स्तर पर है। सर्वोच्च स्तर पर द्विपक्षीय फोरम ''बीएचईएल की संयुक्त समिति'', 1973 से काम कर रही है जो कि कंपनी में निर्बाध और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों का मुख्य स्तम्भ है। फैक्ट्री परिसरों में समर्पित संरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्य स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों की देखरेख कर रहे हैं। कार्यस्थल पर संरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति के निर्माण और अनुरक्षण के लिये फैक्ट्रियों में संचालित कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

- आवधिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जागरूकता अभियान
- मा.सं.वि. केंद्र में नियमित स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पोस्टरों और सुरक्षा अनुदेशों का डिस्पले
- सुरक्षा शपथ एवं औजार बॉक्स आवश्यकताएं
- सुरक्षा अधिकारियों/पर्यवेक्षकों और शॉप कार्यपालकों तथा सेफ्टी स्टीवार्ड के दल द्वारा नियमित संयंत्र सुरक्षा निरीक्षण
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
- छह माह में एक बार चिन्हित खतरनाक क्षेत्रों में मॉक ड्रिल्स
- विभिन्न संरक्षा विषयों पर घरेलू पत्रिकाओं और हैंड बुकों का प्रकाशन
- महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित करने के लिये कार्य परमिट प्रणाली
- वैधानिक प्राधिकारियों के साथ संपर्क
- आंतरिक लेखा परीक्षा और तीसरा पक्ष लेखा परीक्षा
- चिन्हित गतिविधियों के लिये कार्य संरक्षा विश्लेषण
- मासिक विभागीय संरक्षा समिति बैठक और संयंत्र संरक्षा समिति बैठक
- आवधिक संरक्षा अभ्यास
- कर्मचारियों के रजिस्टर का अनुरक्षण
- मशीन/उपकरण का निवारक अनुरक्षण कार्यक्रम
- सामग्री देखरेख उपकरण (क्रेनों, होइस्टस, लिफि्टंग टैकल्स, फोकलिफ्टस, पैलेट्स सहित); सभी प्रेशर वैसल्स/एअर रिसीवर्स, पावर प्रेसस का आवधिक अनुरक्षण और परीक्षण
- सभी खतरनाक रसायनों के लिये उपलब्ध सामग्री संरक्षा डाटा शीट (एमएसडीएस) और सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है।
- प्रचालन नियंत्रण प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं और कार्यान्वयन हेतु संबंधितों को जारी की गईं।
- भोजन एवं पानी की गुणवत्ता की निगरानी
- 40 वर्ष से अधिक के सभी कर्मचारियों के लिये स्वास्थ्य जांच हेतु स्वस्थ व्यक्ति जांच योजना शुरू की गई है।
- स्कूली बच्चों के लिये सामान्य संरक्षा और सड़क सुरक्षा पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम

इसके अलावा बीएचईएल तिरुचि में 28–29 मई 2013 को वार्षिक संरक्षा प्रमुख बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अपने संबंधित कार्यस्थलों पर संरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रत्यक्ष जिम्मेदार लोगों के बीच अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिये बुलाई गई थी।

3.4 भविष्य में संधारणीय विकास

बीएचईएल के लिये सतत् विकास, भविष्य की पीढ़ी को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिये योग्यता से कोई समझौता किये बगैर वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी किये जाने (''हमारा सामान्य भविष्य'' शीर्षक पर अपनी रिपोर्ट में बरूंडटलैंड कमीशन द्वारा यथा परिभाषित) का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी विभिन्न बाहरी चार्टर्स, सरकारी दिशानिर्देशों और इसकी स्वयं की स्थिरता दर्शन को सही अर्थों में लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है। बीएचईएल के लिये स्थिरता सामजिक समानता के संतुलन और पर्यावरण की सहनीय सीमाओं/क्षमता के भीतर रहते हुए खुशहाली हासिल करने के बारे में है। बीएचईएल स्थिरता के मार्ग पर चल रहा है और इस यात्रा का व्यापक संगठन के अभिशासन ढांचे से निर्धारित होता है क्योंकि कंपनी कोा विश्वास है कि स्थिरता एक यात्रा है न कि अपने आप में गंतव्य है। ●

अनुबंध–IV

बीएचईएल की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट

खंड–क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): एल74899डीएल1964जीओआई004281
2. कंपनी का नामः भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3. पंजीकृत पताः बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली–110 049
4. वेबसाइटः www.bhel.com
5. ई–मेल आईडीः shareholderquery@bhel.in
6. प्रतिवेदित वित्तीय वर्षः 2013.14
7. सेक्टर जिनमें कंपनी संलग्न हैः 'कारपोरेट रूपरेखा', वार्षिक रिपोर्ट 2013–14 का संदर्भ लें
8. तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जो कंपनी निर्माण/उपलब्ध करवाती है

   क. ताप विद्युत संयंत्रों के लिए भाप टरबाइन्स, जनरेटर्स, बायलर्स और सहायक उपकरण

   ख. परिवहन क्षेत्र के लिए लोकोमोटिव्स, प्रोपल्शन उपस्कर, ट्रैक्शन मोटर्स/अल्टरनेटर्स, ट्रांसफार्मरए वीसीबीज

   ग. पारेषण खंड के लिए पावर एवं इंस्ट्रयुमेंट ट्रांसफार्मर्स, रिएक्टर्स, स्विचगियर्स, इंसुलेटर्स और एचवीडीसी सिस्टम

9. स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करती है।

   क. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 का विवरण उपलब्ध करवाएं)

   ख. बीएचईएल के 8 विदेश कार्यालय हैं। प्रमुख पांच में जकार्ता (इंडोनेशिया), अलमाटी (कजाख़्स्तान गणराज्य), थिम्पू (भूटान) दुबई (यूएई) और शंघाई (चीन) हैं।

   ख. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

   कंपनी के 17 विनिर्माण प्रभाग, 2 रिपेयर यूनिट, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सेवा केंद्र और 15 क्षेत्रीय केंद्र हैं।

10. कंपनी द्वारा सेवारत बाज़ार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बीएचईएल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए सेवारत है।

खंड–खः कंपनी का वित्तीय विवरण (वित्तीय वर्ष 2013–14)

1.	प्रदत्त पूंजी	:	₹ 489.52 करोड़
2.	कुल कारोबार	:	₹ 40338 करोड़
3.	कर उपरांत कुल लाभ	:	₹ 3461 करोड़
4.	सीएसआर और एसडी पर खर्च की गई कुल राशि	:	₹ 108.60 करोड़

5. गतिविधियों की सूची, जिनमें सीएसआर पर व्यय किया गया हैः सतत विकास पर अनुबंध–III का संदर्भ लें।

खंड–गः अन्य विवरण

1. क्या कंपनी कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?

   हां, 31.03.14 को बीएचईएल की एक सहायक कंपनी बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमि. (बीएचईएल–ईएमएल), कासरगोड है।

2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर गतिविधियों में शामिल होती है? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें।

   बीएचईएल–ईएमएल, कासरगोड बीएचईएल की बीआर गतिविधियों में भाग नहीं लेती। लेकिन बीएचईएल–ईएमएल एक अनुसूचित 'ग' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो कि समय–समय पर भारत सरकार से जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (जैसे कि आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनसे कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी के बीआर प्रयासों में भाग लेती हैं? यदि हां, ऐसी संस्था/संस्थाओं की प्रतिशतता का उल्लेख करें? [30% से कम, 30.60%, 60% से अधिक]

   ज्यादातर मामलों में बीआर पहले केवल बीएचईएल द्वारा संचालित की जाती हैं।

खंड घः बीआर सूचना

1. बीआर हेतु जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए निदेशक/बीआर प्रमुख का विवरण

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1	डिन नंबर (यदि लागू है)	03053133
2	नामः	आर कृष्णनन
3	पदनाम	निदेशक (मा.सं.)
4	टेलीफोन नंबर	011-26001003
5	ई–मेल आईडी	rkrishnan@bhel.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुरूप) बीआर नीति/नीतियां (हां/नहीं में उत्तर दें)

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक व्यवसाय उत्तरदायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश में व्यवसाय उत्तरदायित्व के नौ क्षेत्रों का अनुकूलन किया गया है। इनका सार निम्नानुसार हैः

पी1ः व्यवसाय का संचालन और शासन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही से होना चाहिये।

पी2ः व्यवसाय को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए जो कि सुरक्षित हैं और संपूर्ण जीवन चक्र में स्थायित्व का योगदान करती हैं।

पी3ः व्यवसाय को सभी कर्मचारियों की भलाई को प्रोत्साहित करना चाहिए।

पी4ः व्यवसायों को सभी पणधारियों, विशेषकर उनके हितों का सम्मान करना चाहिये और उनके प्रति जिम्मेदार होना चाहिए जो कि प्रतिकूल परिस्थितिजन, वंचित और दबे कुचले हैं।

पी5ः व्यवसाय का मानवाधिकारों को प्रोत्साहन और सम्मान करना चाहिए।

पी6ः व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, संरक्षा और बहाली के लिये प्रयास करना चाहिए।

पी7ः व्यवसाय, जब कभी जनता को प्रभावित करने और विनियामक नीति से जुड़ा हो, जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

पी8ः व्यवसाय में समावेशी विकास और समान विकास को समर्थन किया जाना चाहिये।

पी9ः व्यवसायों को अपने ग्राहकों को मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं से जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से जुड़ना चाहिए।

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास ....के लिए नीति/नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2	क्या नीति संगत स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श से तैयार किया जा रहा है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से पुष्ट होती है? यदि हां, विनिर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हां, क्या इस पर प्र.नि/स्वामी/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक ने हस्ताक्षर किये हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्यन की देखरेख के लिए बोर्ड की विनिर्दिष्ट समिति/निदेशक/अधिकारी है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
6	ऑनलाइन समीक्षा की जाने वाली नीति हेतु लिंक का उल्लेख करें?	जहां पर लागू है लिंक प्रदान किए गए हैं।								
7	क्या नीति की औपचारिक सूचना सभी संगत आंतरिक और बाहरी स्टेकहोल्डर्स को दी जाती है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए इन–हाउस संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
9	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकहोल्डर्स की शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत निपटारा तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी ने इस नीति के कामकाज की आंतरिक या बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ

टिप्पणियां:

1. हमारे पास इन सिद्धांतों के आधार पर स्थापित विभिन्न व्यवहार हैं, परंतु इनमें से कुछ के लिए औपचारिक नीति दस्तावेज नहीं रखते हैं। हमारी आने वाले समय में ऐसी नीतियां लाए जाने की योजना है।
2. बोर्ड द्वारा एक बार नीति का अनुमोदन कर दिये जाने पर इस पर प्रबंध निदेशक/बोर्ड निदेशक के हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं है।
3. संगठन की नीतियां और प्रक्रियाएं आईएसओ 9001/आईएसओ 14001/ओएचएसएएस 18001 लेखा परीक्षाओं, कैग लेखा परीक्षा, संसदीय समिति समीक्षा, बोर्ड/कार्यात्मक निदेशकों/बोर्ड स्तरीय समिति/प्रबंधन समिति आदि द्वारा समीक्षा के विषयाधीन हैं।

2क. यदि क्रम सं. 1 में किसी भी सिद्धांत के तहत उत्तर नहीं में है, तो कृपया उल्लेख करें कि क्यों है: (2 विकल्पों तक टिक करें)

नीति पक्षसमर्थन के संदर्भ में सिद्धांत 7 के संबंध में, हमने इन सिद्धांतों पर आधारित विभिन्न व्यवहार स्थापित किये हैं परंतु इनमें से कुछ के संबंध में औपचारिक नीति दस्तावेज नहीं है। हमारी आने वाले समय में ऐसी नीतियां लाने की योजना है।

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

- अंतराल को इंगित करें जिसमें निदेशक मण्डल, बोर्ड की समिति या सीईओ कंपनी के बीआर कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। (3 माह के भीतर, 3–6 माह, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक)

  सीएसआरएंडएसडी गतिविधियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिये सीएसआरएंडएसटी हेतु बोर्ड स्तरीय समिति ने 2013–14 में छह बार बैठक की।

  इसके अलावा विभिन्न समितियों की बैठकों, विशेषकर शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति और कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यवृत्त नियमित रूप से सूचना हेतु बोर्ड को प्रस्तुत किये जाते हैं।

- क्या कंपनी बीआर अथवा स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? रिपोर्ट देखने के लिये हाइपरलिंग क्या है? इसे कितनी बार प्रकाशित किया जाता है?

  वार्षिक पर्यावरण स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और इसे लिंक: http://www.bhel.com/healthsafety/global_compact.php के जरिये देखा जा सकता है।

खंड च: सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1: नीतिशास्त्र, पारदर्शिता और जवाबदेही

कंपनी के पास सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए बोर्ड अनुमोदित 'व्यवसाय आचरण एवं नीतिशास्त्र हेतु संहिता' है जिसे निम्नलिखित लिंक के जरिए देखा जा सकता है: http://www.bhel.com/investor_relations/pdf/Code%20of%20Business%20Conduct%20and%20Ethics.pdf

इसके अलावा, बीएचईएल के अपने कर्मचारियों के लिये आचरण के उच्च मानदंड निर्धारित करने के सतत प्रयासों के भाग के तौर पर (उनके अलावा जो स्थाई आदेशों के तहत शासित होते हैं), 'बीएचईएल के आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1975' लागू किये गये हैं। कंपनी आरटीआई अधिनियम 2005 और सांविधिक लेखा परीक्षा (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अधीन), कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन कैग लेखा परीक्षा के विषयाधीन है। कंपनी ने सार्वजनिक प्रापण और संविदा कार्य को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दोनों पक्षों को नीति शास्त्र आचरण के लिए बाध्य करने हेतु 'इंटिग्रिटी पैक्ट' लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। विभिन्न अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के अधीन जवाबदेही को अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। कार्य नीति, क्रय नीति और अन्य नीतिगत दस्तावेजों से हमारे कामकाज में पारदर्शिता और उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा की वचनबद्धता में सहायता मिली है। कंपनी के पास विशेषकर शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निपटान से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए एक शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति (एसआईजीसी) भी है।

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) की रिपोर्ट के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 1086 शिकायतें प्राप्त हुईं और 31 मार्च, 2014 तक सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया।

सिद्धांत 2 : उत्पाद जीवन चक्र स्थिरता

बीएचईएल के उत्पाद और सेवाएं ईंधन दक्ष, ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण अनुकूल और विश्वस्तरीय निष्पादन के लिए जाने जाते हैं। बीएचईएल आपूरित विद्युत संयंत्र उपस्करों का निष्पादन कम सहायक विद्युत खपत, उच्चतर संयंत्र दक्षता, कम डिजाइन हीट दर और बेहतर पीएलएफ से संचालित होता है–इन सबके परिण ाामस्वरूप जीवन चक्र लागत में कमी होती है।

चार प्रमुख उत्पाद, जिनके डिज़ाइन में पर्यावरणीय चिंताएं समाहित हैं, निम्नलिखित हैंः– सुपरक्रिटिकल पैरामीटर्स पर भाप के साथ संचालित विद्युत संयंत्र, फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सोलर पीवी और इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ईएसपी)।

बीएचईएल व्यवसाय सुधार और स्थिरता व्यवसाय व्यवहार के तौर पर चरणबद्ध रूप में ई–प्रोक्योरमेंट भी कार्यान्वित कर रहा है। पुनःउपयोग योग्य सामग्री का पैकिंग आदि के लिए उपयोग किया जा रहा है। कंपनी का उत्पादों और अपशिष्टों के पुनः शोधन का मजबूत सांस्थानिक तंत्र है। हमारी इकाइयों में से एक सेंट्रल फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी) स्टील फोर्जिंग्स और कास्टिंग्स का विनिर्माण करती है जिसके लिये अपेक्षित मोल्टन स्टील का उत्पादन स्टील मेल्टिंग शाप में स्टील स्क्रैप का एक प्रमुख कच्चे माल के तौर पर प्रयोग करते हुए उत्पादन किया जाता है। बीएचईएल अपनी सामग्रियों को करीब 3–5 प्रतिशत पुनःशोधित/पुनः इस्तेमाल, पुनःशोधित इनपुट सामग्रियों के तौर पर करता है और इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभावत कम हो रहा है।

बीएचईएल ने लघु एवं मध्यम उद्यमों को जानकारी के आदान–प्रदान, प्रशिक्षण और विकास तथा संसाधन संग्रहण आदि के जरिए नियमित सहायता प्रदान करते हुए अपनी विनिर्माण इकाइयों में और इनके आसपास उद्यमशीलता विकास का भी बीड़ा उठाया है। 2013–14 के दौरान बीएचईएल ने भारत सरकार की एमएसईज के लिये सरकारी खरीद नीति 2012 की अनुपालना में सूक्ष्म और लघु उद्यमों से इसकी खरीद का करीब 19 प्रतिशत क्रय किया।

सिद्धांत 3: कर्मचारियों का कल्याण

बीएचईएल मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा एकरूपता सुनिश्चित करने के वास्ते संहिताबद्ध कार्मिक मैनुअल के रूप में मा.सं.प्र. नीतियां और नियम प्रलेखित किये हैं।

1. 31.03.2014 को नियमित कर्मचारियों की कुल संख्याः 47,525
2. अस्थायी/अनुबंध आधार पर रखे गये कर्मचारियों की कुल संख्याः बीएचईएल स्थायी/कैजुअल आधार पर कर्मचारी नियुक्त नहीं करता है। बीएचईएल अपनी विभिन्न इकाइयों/प्रभागों/विभागों में संगठनों की आवश्यकताओं के अनुरूप ठेकेदारों को कार्य/जॉब/अनुबंध प्रदान करता है। ठेकेदारों के साथ काम करने वाले कामगारों की संख्या समय–समय पर भिन्न होती है।
3. 31.03.2014 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्याः 2640
4. 31.03.2014 को स्थायी निःशक्त कर्मचारियों की संख्याः 954
5. कामगारों के संबंध में बीएचईएल में 30 सहभागी यूनियन हैं। बीएचईएल में दो कर्मचारी एसोसिएशन हैं जिनमें एक कार्यपालकों के लिये और एक पर्यवेक्षकों के लिये है।
6. स्थायी कर्मचारियों की प्रतिशतता का विवरण, जो कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं, उपलब्ध नहीं है।
7. 2013–14 में कंपनी को यौन उत्पीड़न की 8 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 6 को संतोषजनक ढंग से निपटा दिया गया। इसके अलावा बाल श्रम/जबरन श्रम/अनिच्छुक श्रम/भेदभावपूर्ण रोज़गार के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।
8. वर्ष 2013–14 के दौरान, प्रति कर्मचारी कुल प्रशिक्षण मानव दिवसों की संख्या 5 है। कुल मिलाकर 4900 कार्यक्रम दिवसों में विभिन्न बहु–कौशल/कौशल उन्नयन कार्यक्रम संचालित किये गये जिनमें 19473 दस्तकारों, 12995 व्यावसायिक प्रशिक्षुओं (378683 मानव दिवस) और 23142 एक्ट अप्रेंटिसिस (972486 मानव दिवस) को विभिन्न इकाइयों में प्रशिक्षित किया गया। एचएसई और सेफ्टी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये हमारी शुरूआत ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके अलावा यूनिटों/क्षेत्रों में अन्य कर्मचारियों के लिये एचएसई एवं सेफ्टी पर नियमित रूप से अलग कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

सिद्धांत 4: स्टेकहोल्डर व्यवसाय

हां, कंपनी ने ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, वेंडर्स और समाज की अपने स्टेकहोल्डर्स के तौर पर पहचान की है। बीएचईएल के पास स्टेकहोल्डर्स की चिंताओं और आशाओं के समावेशन सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रियाएं हैं। जारी स्टेकहोल्डर व्यवसाय के जरिए प्रमुख मुद्दों की पहचान की जाती है

और स्पष्ट तथा औसत लक्ष्यों के साथ कार्यक्रमों अथवा कार्य योजनाओं के जरिए इन्हें हल किया जाता है। बीएचईएल ने बीएचईएल विनिर्माण इकाइयों की भीतर वंचित, कमज़ोर और सीमांत स्टेकहोल्डर्स की स्पष्ट पहचान की है तथा सीएसआर योजना के अनुरूप यथासंभव उनकी चिंताओं को दूर किया जाता है।

सिद्धांत 5–मानवाधिकार

बीएचईएल की नीतियां मानवाधिकारों, भारत के संविधान और विभिन्न लागू कानूनों के अनुरुप हैं। बीएचईएल में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान हैं। कंपनी में मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई भी मामला दर्ज़ नहीं हुआ है।

इसके अलावा, बीएचईएल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट (सीएनजीसी), इंडिया नेटवर्क का आजीवन सदस्य है। कंपनी प्रगति पर सम्प्रेषण के जरिए हर साल यूएनजीसी के 10 सिद्धांतों पर अपने कार्य–निष्पादन की जानकारी देती है जिसे सार्वजनिक उपलब्धता के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है, जो कि http://www.bhel.com/healthsafety/BHEL's%20Communication%20on%20Progress%202012-13.pdf पर देखी जा सकती है।

सिद्धांत 6: पर्यावरण

कंपनी की सभी विनिर्माण इकाइयां और पावर सेक्टर क्षेत्र पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों अर्थात आईएसओ–14001 से संबद्ध हैं और उसकी 'स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)' नीति है। पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान/मूल्यांकन करने के लिए उत्कृष्ट फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाता है उन्हें संरचित तरीके से हल किया जाता है। लागू कानूनों के अनुसार संबंधित पर्यावरणीय अनुपालन दर्शाते हुए पर्यावरणीय विवरण सभी विनिर्माण इकाइयों द्वारा संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

बीएचईएल ने ऑक्सी–फ्यूल कम्बुशन, बायोमास कम्बुशन, एमोनिया आधारित सीओ2 सिकवेस्ट्रेशन सिस्टम्स आदि के जरिए कार्बन डाईआक्साइड में कमी और/या सीओ2 संग्रह के प्रति अनुसंधान एवं विकास कार्य संचालित किये हैं। संगठन आंतरिक कार्बन फुटप्रिंटस को भी विभिन्न पहलों के जरिए न्यूनतम करने के प्रयास कर रहा है जिसमें भोपाल, त्रिची, बंगलौर में विनिर्माण इकाइयों में और कार्पोरेट आरएंडडी, हैदराबाद में सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना शामिल है। 5 मेगावाट क्षमता का एक ग्रिड इंटरेक्टिव सोलर पावर प्लांट बीएपी रानीपेट इकाई में 2013–14 के दौरान स्थापित किया गया जो प्रति वर्ष लगभग 7.5 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इसके अलावा कंपनी ने अपनी विनिर्माण इकाइयों में विद्युत और जल संरक्षण के लिये बहुत से योजनाएं शुरू की हैं।

बीएचईएल स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के तत्वावधान में आईजीसीएआर, एनटीपीसी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर एडवांस्ड अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है। हरित ऊर्जा प्रयासों के अनुरूप, बर्बाद उष्मा के दोहन के लिए 100–140 मेगावाट अनुप्रयोग हेतु एक ऊर्जा दक्ष सबसे बड़ा एकल सिलेंड नॉन–रिहीट स्टीम टरबाईन पहले ही विकसित किया जा चुका है।

सम्पूर्ण 2013–14 वर्ष के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से कोई कारण बताओ कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन दो कारण बताओ नोटिस/कानूनी नोटिस राज्य पीसीबी (एक पंजाब पीसीबी से और एक म.प्र. पीसीबी से) से प्राप्त हुये हैं जो कि 31.03.2014 को लंबित थे।

सिद्धांत 7: नीति समर्थन

बीएचईएल कई व्यापार और चैम्बर/एसोसिएशन्स का सदस्य है। इनमें से कुछेक हैं–सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईमा)।

कंपनी जानकारी के आदान प्रदान के जरिए कंपनी के हितों को बढ़ावा देने हेतु इन संस्थाओं के जरिए नीतिगत बहस में भाग लेता है। उदाहरण स्वरूप इसकी हाल की सार्वजनिक बहस की गतिविधियां भारतीय विद्युत क्षेत्र और भारतीय विनिर्माण उद्योग के विकास, देश में प्रौद्योगिकी आधार को सुदृढ़ करने और बेहतर अभिशासन के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का कौशल विकास और प्रगति पर केंद्रित रही हैं।

सिद्धांत 8 : समावेशी विकास

बीएचईएल का समावेशी विकास और समतुल्य विकास के प्रति संरचित सीएसआर कार्यक्रम है। कंपनी ग़ैर सरकारी संगठन, सरकारी एजेंसी आदि जैसी विशेषीकृत एजेंसी के जरिए परियोजनाएं संचालित करके देशभर में कई सामाजिक पहलों का समर्थन करती है। वर्ष के दौरान सतत विकास पर अनुबंध–III का संदर्भ लें। सीएसआर और एसडी पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन तृतीय पक्ष द्वारा किया जाता है ताकि संचालित पहलों के लाभदायक परिणामों का पता लगाया जा सके।

सिद्धांत 9: ग्राहक मूल्य

गांधी जी के शब्दों में ''वह (ग्राहक) इसका उद्देश्य (बिजनेस का) है'', ये हमारी कार्पोरेट संस्कृति में समाहित है। ग्राहक

फोकस हमारे दृष्टिकोण, मिशन और मूल्य अभिव्यक्तियों का हिस्सा है। ग्राहक और उत्पादों के अंतिम उपयोगकर्ताओं के प्रति फ़ोकस इस बात का सबूत है कि भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में, बीएचईएल निर्मित विद्युत संयंत्र करीब 57 प्रतिशत बिजली का उत्पादन करते हैं जो इसके उत्पादों और सेवाओं की उच्चतर ग्राहक मूल्य प्रस्थापना का सबूत है। बीएचईएल सज्जित विद्युत संयंत्र विद्युत का करीब 65 प्रतिशत उत्पादन करते हैं जो कि इसके उत्पादों और सेवाओं की उच्च ग्राहक मूल्य स्थिति का परिचायक है।

ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं और उनके साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुरूप उत्पाद लेबल/नेम प्लेट्स/परीक्षण प्रमाण–पत्रों का विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

बीएचईएल के विविध और बड़े पैमाने पर प्रचालनों को देखते हुए ग्राहक शिकायतों की देखरेख संबंधित बिजनेस इकाइयों/परियोजना प्रभागों द्वारा की जाती है। ग्राहकों का फीडबैक नियमित रूप से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षणों, ग्राहक मुलाकातों और आमने–सामने विचारविमर्श के जरिए प्राप्त किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी के किसी भी स्टेकहोल्डर की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहारों, ग़ैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार के लिए कोई मामला दायर नहीं किया गया है। ●

अनुबंध–V

अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

5.1 नवप्रवर्तन ➔उत्पाद ➔बाजार

आज की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बीएचईएल सहित सभी संगठनों को पांच बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है नामतः (क) मुक्त व्यापार, पूंजी की गतिशीलता, श्रम और ज्ञान से उत्पन्न वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि; (ख) उन्नत प्रौद्योगिकियों में वृद्धि जिससे नए प्रकार के उत्पादों और सेवाओं को अंतहीन अवसर प्राप्त हो रहे हैं; (ग) बाजार की परिवर्तित होती और विविध जरुरतें; (घ) प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने की गति में वृद्धि और अंततः पर्यावरणीय चिंताओं में वृद्धि तथा संधारणीयता बनाए रखना।

इन चुनौतियों की गंभीरता को महसूस कर बीएचईएल ने अपनी रणनीति के कार्यान्वयन तथा विकास हासिल करने के लिए नवप्रवर्तन को केन्द्रीय प्रचालक स्वीकार किया है। कंपनी न केवल देश की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी भावी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर स्वदेशी उत्पादों और प्रणालियों के स्वदेशीकरण में अपने निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रयासों में देश के इंजीनियरिंग सेक्टर में हमेशा दूसरों से ऊपर रही है। नवप्रवर्तन पर लगातार बल देने के कारण अन्य उद्योगों की तुलना में बीएचईएल का महत्व बढ़ा है तथा उसके मुनाफे में वृद्धि हुई है।

चल रहे प्रौद्योगिकी सहयोग (साझेदार/उत्पाद)

अल्सटोम एसए, फ्रांस	एक बार बॉयलर के जरिए
सीमेन्से एजी, जर्मनी	स्टीम टर्बाइन, टीजी एक्सीयल/लेटरल कंडेशनर
मितसुबिसी हेवी इंडस्ट्री ज लिमिटेड, जापान	बॉयलर फीड बूस्टर, कूलिंग वाटर, सुपरक्रिटिकल विद्युत संयंत्रों के लिए कंडेनसनेट एक्सट्रैक्शन पंप, एफजीडी सिस्टम
जनरल इलेक्ट्रिक, यूएसए	गैस टर्बाइन
ओटो मेलारा, इटली	76 एमएम एसआरजीएमएस
शेफील्ड फोर्जमास्टर यूके	फोर्गिंग
मेट्सो, फिनलैंड	सीएंडआई आटोमेशन प्लेटफार्म
न्यूवोवो पिग्नोने, इटली	सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर्स
वोग्ट पावर इन्ट्लं, यूएसए	एचआरएसजी
जीई इंडिया इंडस्ट्रियल	जल उपचार उपस्कर
टीएलटी जीएमबीएच, जर्मनी	फैन

समय के साथ बीएचईएल ने यूनाइटेड स्टेट (अमेरिका) की जनरल इलेक्ट्रिक विद्युत कंपनी, जर्मन की साइमन्स एजी, फ्रांस की अल्सटोम एस.ए. जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्विट्जरलैंड के एबीबी ग्रुप जैसी विश्व की प्रमुख विनिर्माण और इंजीनियरिंग कंपनियों से सहयोग प्रबंध किया। कंपनी ने भारतीय ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने तथा विनिर्माण में गहराई लाने के लिए इन प्रौद्योगिकियों का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया है। 11 सहयोग प्रबंधों के साथ बीएचईएल आज इन प्रौद्योगिकियों के सफल अनुकूलन और स्वदेशीकरण पर बल दे रहा है।

5.2 नवप्रवर्तन रणनीति

आज बीएचईएल नवप्रवर्तन पर जितना बल दे रहा है उतना बल उसने पहले कभी नहीं दिया। 2012–13 की रणनीतिक योजना के भाग के रुप में कंपनी अपने अनुसंधान तथा विकास और नवप्रवर्तन के पांच प्रकार के दृष्टिकोण से केन्द्रीय रीति से परिवर्तित कर रही है। इस दृष्टिकोण में शामिल हैं: रणनीति निदेश, पोर्टफोलियो प्रबंधन, साझेदारी और गठबंधन, ज्ञान प्रबंधन और सुकरकर्ता अनुसंधान और विकास सलाहकार परिषद के मार्गदर्शन के तहत नीतिगत ढांचे के माध्यम से अनुसंधान और विकास को रणनीतिक निदेश दिया जाता है। उदीयमान और मौजूदा क्षेत्रों में क्षमता का निर्माण करने और सुदृढ़ बनाने के लिए 15 मिशन परियोजनाओं और 131 प्रौद्योगिकी संयंत्रों से युक्त 146 प्रौद्योगिकीय पहलों के पोर्टफोलियों की पहचान की गई और यह निष्पादनाधीन है। प्रौद्योगिकी योजनाएं आगे विशिष्ट अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं में विभक्त कर दी गई हैं।

प्रमुख मिशन परियोजनाएं

1. 710° सेन्टीग्रेड/310 एटीए पैरामीटर सहित 800 मेगावाट एडवांस अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल संयंत्र स्थापित करना।
2. समान प्रकार के बीओएस (सौर पीवी तथा सौर थर्मल दोनों) सहित ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए इन–हाऊस क्षमता।
3. समानुपाती अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सेटअप सहित सौर पीवी के लिए विनिर्माण संयंत्र की स्थापना।
4. 765 केवी तक के पारेषण उत्पादों/सब स्टेशन के लिए कुल क्षमता विकसित करना।
5. रेलवे की सभी जरुरतों के लिए 3 फेज़ प्रोपल्सन सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिक/डीजल इलेक्ट्रिक लोको, ईएमयू, डीईएमयू, एमईएमयू, कोच, मेट्रो और रोलिंग स्टॉक आते हैं जिनसे शहरी परिवहन का समाधान होता है।

बीएचईएल ने आर एंड डी और विकास गतिविधियां कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अपने संगठन के ढांचे को पुनः संयोजित किया है तथा अवसंरचनात्मक अंतराल की समस्या के समाधान के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना कर रहा है। इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में नवप्रवर्तन शामिल करने तथा अपने ज्ञान के आधार का प्रबंधन करने को बीएचईएल में अनुसंधान और विकास में प्रमुख बल दिया जाने वाला क्षेत्र माना गया है।

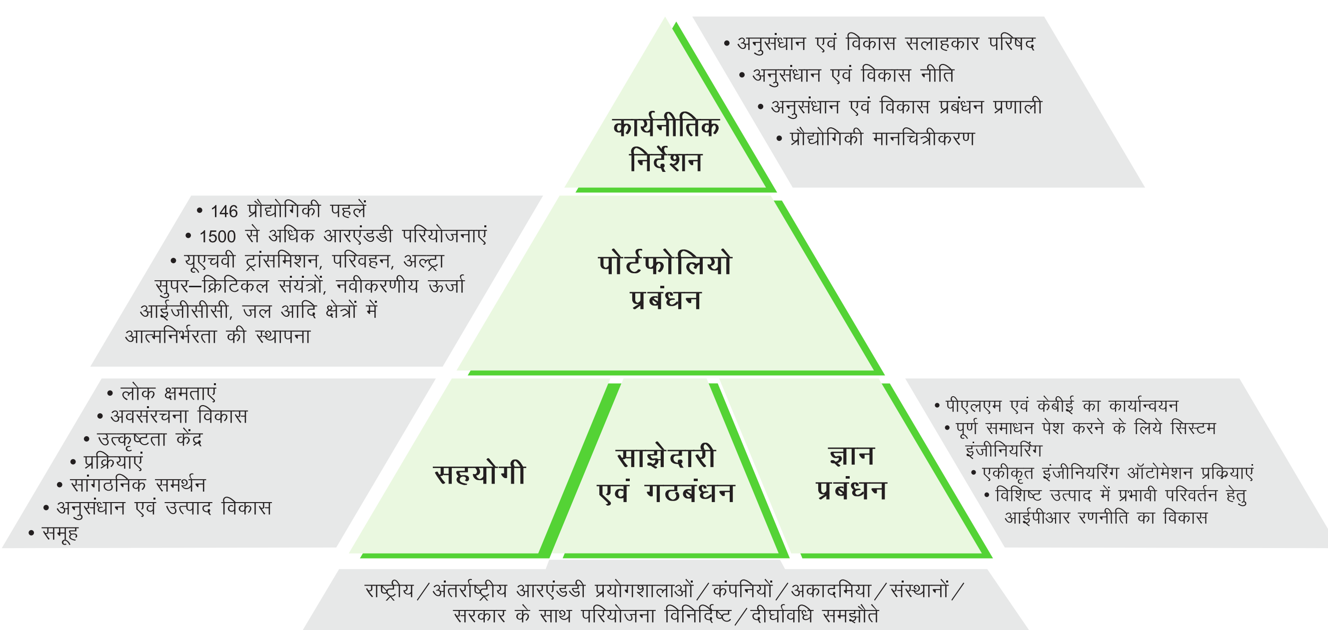

उत्कृष्टता केन्द्र

हैदराबाद स्थित कारपोरेट अनुसंधान और विकास में

1. सिमुलेटर
2. कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स
3. पर्मानेंट मैगनेट मशींस
4. सरफेस इंजीनियरिंग
5. इंटेलीजेंट मशींस और रोबोटिक्स्
6. मशीन डायनामिक्स
7. कम्प्रेशर और पंप
8. नैनो–टेक्नोलाजी
9. यूएचवी लैबोरेटरी
10. उन्नत पारेषण प्रणालियां

बंगलौर स्थित इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में

11. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईजीबीटी तथा कंट्रोलर टेक्नोलाजी
12. कंट्रोल तथा इंस्ट्रूमेंटेशन

तिरुचि स्थित उच्चा दाब वाले बॉयलर संयंत्र में

13. उन्नचत फैब्रीकेशन टेक्नोलाजी
14. कोयला अनुसंधान केन्द्र

अपने सभी उत्पादों में डिजाइन चक्र समय तथा डिजाइन इष्टतमीकरण में कमी लाने के लिए ज्ञान आधारित इंजीनियरिंग (केबीई) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बीएचईएल ने अनेक केबीई परियोजनाएं शुरु की हैं और दक्षता निर्माण तथा केबीई/ पीएलएम गतिविधियों को सुकर बनाने के लिए केबीई/ पीएलएम के लिए क्षमता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान की खाई को पाटने के लिए बीएचईएल ने बुनियादी तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान के अकादमिक और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के साथ सहयोग में वृद्धि की है। अपने महात्वाकांक्षी प्रौद्योगिकीय प्रयासों में सफलता प्राप्त करने के लिए कंपनी कार्य संपन्न करने वाली सभी बातों जैसे लोगो की क्षमता, अवसंरचना, प्रक्रियाओं और संगठन सहायता का प्रयोग भी कर रही है।

5.3 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

वर्ष के दौरान बीएचईएल ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। एचवीडीसी 1200 केवी तक यूएचवीएसी रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट, सब–स्टेशन ऑटोमेशन, वाइड एरिया प्रोटेक्शन (डब्यूएपी) आदि से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उन्नत पारेषण प्रणाली (एटीएस) के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) स्थापित किए गए हैं। कंपनी का वर्ष के लिए अनुसंधान और विकास व्यय ₹ 1114 करोड़ था जो कुल कारोबार का 2.76 प्रतिशत था जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में यह 2.49 प्रतिशत था। इसमें अनुसंधान और विकास पर हुआ व्यय तथा ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों/डिजाइनों में किए गए मुख्य आशोधन/सुधार भी शामिल हैं जो अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में शामिल नहीं होते हैं। वर्ष 2013–14 में 435 पेटेंट और कापीराइट दायर की गई जिससे कंपनी

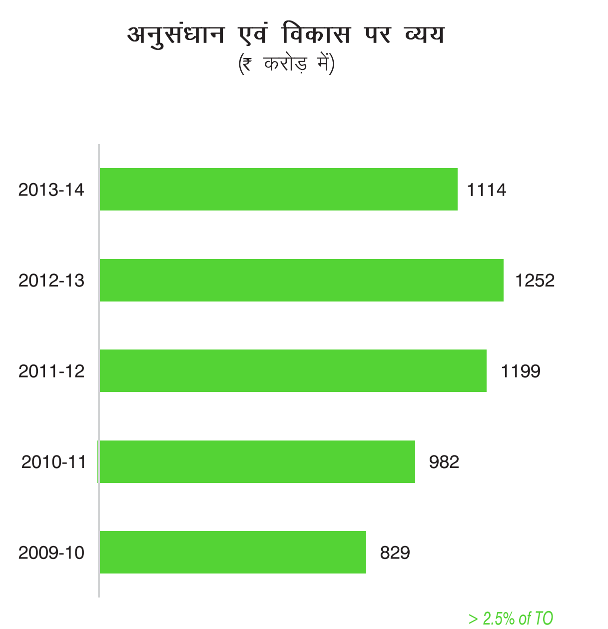

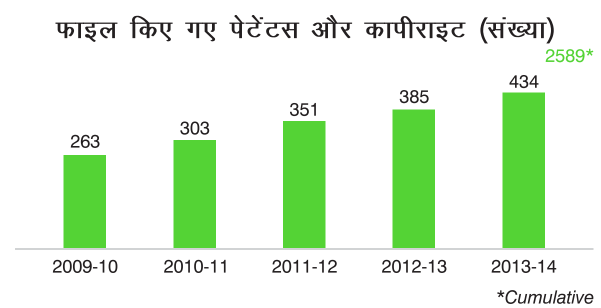

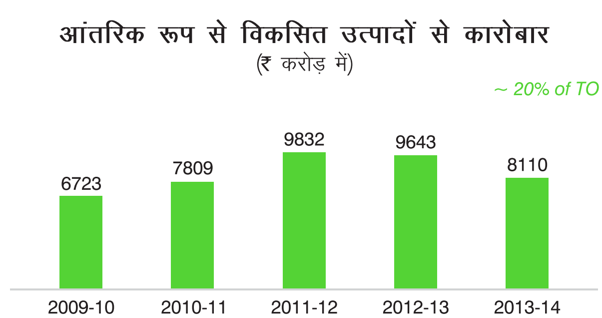

की बौद्धिक पूंजी बढ़कर 2,589 हो गई। ये सभी प्रयोग में हैं। आंतरिक रुप से विकसित उत्पादों का कारोबार ₹ 8110 करोड़ तक था जो कंपनी के कारोबार का 20 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान विद्युत, उद्योग, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न व्यापारिक वर्टिकल को शामिल करने वाली इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं तथा उत्पादों में उल्लेखनीय विकास/सुधार हुआ है। कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- 800 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्रों में बॉयलर फीड पंप ड्राइव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बीएचईएल ने अपना सबसे बड़ा 20,500 किलोवाट, 4 पोल, 11 केवी का साइनक्रोनस केज इंडक्शन मोटर तैयार किया है जिसमें विशेष रुप से डिजाइन किया गया वेंटीलेशन सर्किट लगा है।
- उन्नत कार्यकुशलता सहित 160 मेगावाट रेटिंग तक के सिंगल सिलेंडर रिहीट टर्बाइन के नए रुप का विकास।

बीएचईएल द्वारा विकसित उन्नत कार्यकुशलता सहित 125 मेगावाट रेटिंग के सिंगल सिलेंडर रिहीट टर्बाइन का नया रुप

- विद्युत संयंत्रों के लिए पानी की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए बीएचईएल ने विशेष 80 मेगावाट थर्मल विद्युत संयंत्र के लिए हीट एक्सचेंजर बंडल्स जैसे सब–सिस्टम की माड्यूलर डिजाइन (10 मेगावाट तक की ऊष्मा संभालने में सक्षम) सहित एयर कूल्ड कंडेशनर (एसीसी) विकसित किया है।
- भारतीय रेलवे की आवश्यकता पूरी करने के लिए बीएचईएल ने कोच एयर कंडीशनिंग लोड को संभालने के लिए पृथक होटल लोड के प्रावधान सहित आईजीवीटी आधारित 3 फेज 25 के ड्राइव के लिए उपयुक्त एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ई एम यू) ट्रांसफार्मर विकसित किया है।
- एसी कोचों में एयर कंडीशनरों के प्रचालन के लिए बैटरियों को चार्ज करने के लिए बीएचईएल द्वारा आईजीबीटी आधारित डीसी वोल्टेज कंट्रोलर सहित 30 किलोवाट का स्थायी मैगनेट अल्टररनेटर विकसित किया गया है।
- प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उत्कृष्ट और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पाद देने के लिए बीएचईएल ने स्प्रिंग हाइड्रो ड्राइव 40 केवी, 40 केए, सिंगल ब्रेक गैस इंसुलेटेड सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कर तथा बीएचईएल द्वारा विकसित और सफलतापूर्वक परीक्षित स्प्रिंग हाइड्रो ड्राइवर का प्रयोग कर अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला में 420 केवी, 40ए सिंगल ब्रेक गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन (जीआईएस) विकसित कर उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

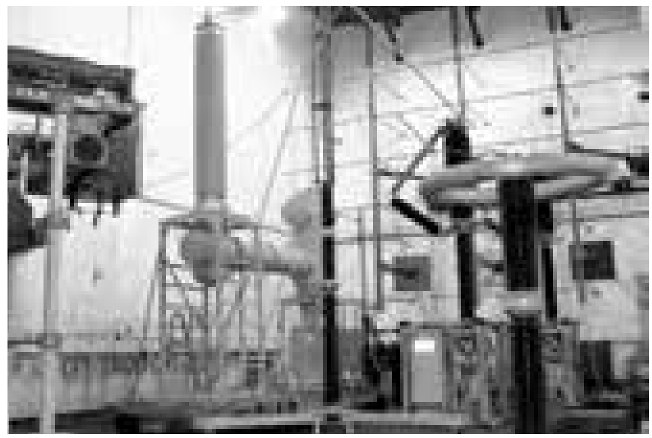

बीएचईएल द्वारा विकसित एवं सफलतापूर्वक जांच की गई स्प्रिंग हाइड्रो ड्राइव का प्रयोग कर 420 केवी, 40 केए सिंगल ब्रेक जीआईएस सर्किट ब्रेकर

- टेलीकॉम अनुप्रयोगों के लिए साफ विद्युत स्रोत उपलब्धि करवाने हेतु बीएचईएल ने वाणिज्यिक श्रेणी के हाइड्रोजन और रिएक्टेंट फीड गैसों के रूप में हवा का प्रयोग कर 1 किलोवाट का हाई टेम्प्रेचर एयर–हाइड्रोजन प्रोटोन एक्सरचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) फ्यूल सेल स्टैक विकसित किया है।
- उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल पैरामीटरों (एयूएससी) के लिए उच्च दाब वाले टर्बाइन के विकास के भाग के रुप में 3 डी ब्लेड प्रोफाइलों का सीएफडीआर संरचनात्मक विश्लेषण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- नई और नवीकरणीय ऊर्जा पहल के अंतर्गत सिमुलेटेड गैस मिक्सचर में 0.5 NM^3/एचआर परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है ताकि कोयला गैसों से H_2 का उत्पादन किया जा सके (मेम्ब्रेन आधारित प्रौद्योगिकी)।
- ओपन पीडीसी (फेजर डेटा कंसंट्रेटर) सहित समेकित परीक्षण को शामिल करते हुए विस्तृत क्षेत्र के मापन के लिए फेजर मापन ईकाई का विकास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

- प्रक्रिया विकास पहल के भाग के रुप में निकिल आधारित एलॉय के असमान वेल्डिमेंट के कैरेक्टराइजेशन, कोरोजन और शक्ति व्यवहार के संबंध में अध्ययन और 10 प्रतिशत सीआर स्टील सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है तथा परीक्षण के परिणामों का मूल्यांकन किया गया है।
- रणनीतिक अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए बीएचईएल ने लाइटर (25 प्रतिशत कम वजन सहित) पर्मानेंट मैगनेट जनरेटर विकसित कर सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया है जिसकी मुख्य विशेषताएं घूमने वाले हिस्सों की संख्या में कमी तथा शोर का स्तर 80 डीबी कम होना है। एसी कोचों में एयर कंडीशनरों के प्रचालन के लिए बैटरियों को चार्ज करने के लिए बीएचईएल ने पर्मानेंट मैगनेट अल्टरनेटर विकसित किया है।

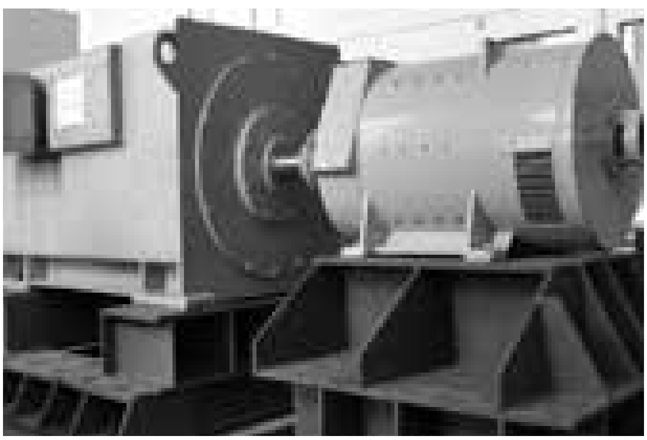

एस कोचों में एयर कंडीशनरों के प्रचालन के लिए बैटरियां चार्ज करने के लिए बीएचईएल द्वारा विकसित 30 केडब्ल्यू परमानेंट मैगनेट अल्टरनेटर।

- बड़ी क्षमता वाला प्रोपलीन रेफ्रीजरेंट गैस कंप्रेशर का विकास जो उच्च प्रवाह की आवश्यरकता को पूरा करने में सक्षम है तथा ड्राई गैस सील सिस्टम के लिए उपयुक्त है (उत्सर्जन कम करना)
- बीएचईएल ने एक सिंगल पार्सलिन हाउसिंग में हल्का तथा कंपैक्ट 220 किलोवाट का कैपीसेटर वोल्टेज डिवाइडर (सीवीडी) विकसित किया है जिससे एक कंपैक्ट, हल्का और लागत प्रभावी कैपीसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी) अस्तित्व में आया।
- स्माल रुफ टाप तथा कार पार्किंग अनुप्रयोग करने वाले ग्राहकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए बीएचईएल ने 500 डब्ल्यू फोटोवोल्टेइक माड्यूल विकसित किया है जिसकी कार्यकुशलता 15.9 प्रतिशत है और जिसमें 156 मिमी के मोनो क्रिकेट सौर सेल प्रयोग में लाए जाते हैं।
- बीएचईएल ने इंफ्रारेड कैमरा के माध्यमम से उच्चम शक्ति वाले अल्ट्रा साउंड एनर्जी की शुरुआत कर तथा इंफ्रारंड सिग्ने चर लेकर बॉयलर ट्यूबों के इंडक्शन प्रेशर वेल्ड (आईपीडब्ल्यू) ज्वाइंट में कमियों का पता लगाने के लिए त्वरित, परिशुद्ध, विश्वसनीय, उन्नत, गैर विनाशकारी अल्ट्रा साउंड इंफ्रारेड थर्मोग्राफी तकनीक विकसित किया है।
- बीएचईएल ने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशरों के 3डी इम्पेंलरों के विनिर्माण के लिए उन्नत 5 एक्सिस प्रोग्रामिंग और स्कूप मिलिंग प्रौद्योगिकी स्थापित किया है जिससे विनिर्माण के समय चक्र और लागत में कमी आई है।

5.4 भावी महत्वपूर्ण क्षेत्र

बीएचईएल ने प्रौद्योगिकी विकास की अनेक पहलें की हैं जिनमें विभिन्न व्यापारिक वर्टिकल जैसे विद्युत, परिवहन, पारेषण, सौर, जल, रक्षा तथा अन्य उद्योग शामिल हैं। कंपनी हाल के वर्षों में शुरु की गई विभिन्न परियोजाओं का अनुसरण करना जारी रखेगी जिसमें सुपरक्रिटिकल टेक्नोलाजी को तेजी से आत्मसात करने, एडवांस अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलाजी के विकास, आईजीसीसी टेक्नोलाजी का वाणिज्यीकरण, कार्बन कैप्चेर, सौर पीवी और थर्मल, 765/1200 केवी पारेषण प्रणाली, 765 केवी तक जीआईएस, ±800 केवी एचवीडीसी प्रणाली ऊंची रेट मिशन मोड पर हायर रेटिंग लोको, ईएमयू मेट्रो कोचों सहित लो कार्बन पाथ टेक्नोलाजी पर बल दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त फ्रंटियर टेक्नोलाजी के क्षेत्र में कंपनी वितरित पर्यावरण अनुकूल विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन सेल, विशेषताएं बढ़ाने के लिए नैनो/सूक्ष्म पार्टिकिल जोड़कर नई सामग्री का विकास और ट्रांसफार्मरों, जनरेटरों, मोटरों आदि में सुपरकंडक्टिंग अनुप्रयोग जैसे हाइड्रोजन ऊर्जा अनुप्रयोग में भी संलग्न है।

अनुबंध–VI

कॉर्पोरेट अभिशासन

6.1 कॉर्पोरेट अभिशासन पर हमारी विचारधारा

बीएचईएल ने कॉरपोरेट अभिशासन का एक सुदृढ़ ढांचा विकसित किया है जो अभिशासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रकटन, हितधारकों के महत्व के निरंतर विस्तार और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है। बीएचईएल शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और संपूर्ण समाज सहित अपने हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के महत्व पर सतत् रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए कॉर्पोरेट अभिशासन के विनियामक ढांचे और बुनियादी अपेक्षाओं से बहुत अधिक आगे जाने का प्रयास करता है। कंपनी ने सभी, विशेषकर अल्पसंख्यक शेयरधारकों को पारदर्शिता, प्रकटन और औचित्य सुनिश्चित करने के लिए ढांचा विकसित किया है।

बीएचईएल के विजन में बेहतर कल के लिए समाधान उपलब्ध कराने के लिए एक वैश्विक इंजीनियरिंग उद्यम बनना है तथा इसका मिशन ''ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्रों में सतत् व्यवसाय समाधान उपलब्ध कराना'' है।

बीएचईएल की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटन, स्वतंत्र निगरानी और सभी के लिए औचित्य के चार स्तंभों पर आश्रित है। इसे सुदृढ़ करने के लिए, बीएचईएल ने ''सत्यनिष्ठा करार'' अपनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। हमारी कॉर्पोरेट संरचना व्यावसायिक कार्यविधियों और प्रकटन पद्धतियों ने हमारी कॉर्पोरेट अभिशासन नीति के साथ सुदृढ़ साम्यता प्राप्त कर ली है, जिससे लक्ष्यों तथा व्यावसायिक नैतिकता के उच्च स्तर की प्राप्ति हुई है। बीएचईएल की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

i) निदेशक मंडल की स्वतंत्रता और परिवर्तनीयता

ii) सभी कार्मिकों को सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार

iii) सभी हितधारकों–ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, आपूर्तिकर्ताओं और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की पहचान

iv) प्रकटन और पारदर्शिता का उच्च स्तर

v) सभी क्षेत्रों जिसमें कंपनी प्रचालन करती है, में कानूनों का पूर्ण अनुपालन।

vi) लोगों और पर्यावरण के लिए सहानुभूति के साथ उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति।

vii) लोगों और पर्यावरण के लिए सहानुभूति के साथ उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति।

कंपनी का विश्वास है कि कारपोरेट अभिशासन की कार्यविधियों तथा आचार संहिता का अनुपालन करते हुए व्यवसाय करना हमारे प्रत्येक प्रधान मूल्य के प्रतिपादन करता है, जो हमें अपने शेयरधारकों को दीर्घावधि प्रतिफल प्रदान करने मे समर्थ बनाता है, हमारे ग्राहकों को अनुकूल परिणाम तथा हमारे कर्मचारियों को अच्छे अवसर प्रदान करता है और आपूर्तिकर्ताओं को समाज की प्रगति और समृद्धि करने में भागीदार बनाता है।

6.2 निदेशक मंडल

i. संरचना और निदेशकों की श्रेणी:

कंपनी अधिनियम के अनुसरण में बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है, क्योंकि कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 63.06 प्रतिशत भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है।

निदेशक मंडल में बोर्ड की स्वतंत्रता बनाए रखने और प्रबंधन के निदेशक मंडल के कार्यों और नियंत्रण को अलग करने के लिए अ. एवं प्र.नि. सहित कार्यात्मक निदेशकों के प्रतिनिधित्व में कार्यपालकों और सरकारी नामितियों द्वारा प्रतिनिधित्व में गैर–कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उपयुक्त संयोजन है। चूंकि अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक हैं इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की संख्या की आधी है।

31 मार्च, 2014 को बीएचईएल के बोर्ड में अ. एवं प्र.नि. सहित पांच पूर्णकालिक कार्यपालक (कार्यकारी) निदेशक और दो अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती) थे। बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक (ई, आरएंडडी) की एक रिक्ति और अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की आठ रिक्तियां थी। इन रिक्तियों को भरने का मामला भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है। वर्तमान में निदेशक (पावर) के पास निदेशक (ई, आरएंडडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार है।

निदेशक मंडल का संयोजन निम्नानुसार है:

विवरण	बोर्ड की संरचना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1
पूर्णकालिक कार्यपालक (कार्यात्मक) निदेशक	5
अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	2
अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	8
कुल	**16**

31 मार्च, 2014 को बीएचईएल के बोर्ड में अ.एवं प्र.नि. सहित पांच पूर्णकालिक कार्यपालक (कार्यकारी) निदेशक और दो अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती) थे। बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक (ई, आरएंडडी) की एक रिक्ति और अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की आठ रिक्तियां थी। इन रिक्तियों को भरने का मामला भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है। वर्तमान में निदेशक (पावर) के पास निदेशक (ई, आरएंडडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार है।

ii. 2013–14 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और पिछली आम वार्षिक बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम सर्व / श्री	निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या		पिछली आम सभा (20.09.2013)
	आयोजित	भाग लिया	
कार्यपालक निदेशक			
बी. प्रसाद राव# अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	9	9	हां
अतुल सराया* निदेशक (विद्युत) (30.11.2013 को सेवानिवृत्त)	6	6	हां
ओ. पी. भुटानी* निदेशक (ई, आरएंडडी) (31.05.2013 को सेवानिवृत्त)	3	3	-
एम. के. दुबे* निदेशक (आईएसएंडपी) (31.07.2013 को सेवानिवृत्त)	3	3	-
पी. के. बाजपेयी, निदेशक (वित्त)	9	9	हां
आर. कृष्णनन, निदेशक (मा.सं.)	9	9	हां
डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर, निदेशक (आईएसएंडपी) (01.08.2013 से)	6	6	हां
अतुल सोबती*##, निदेशक (विद्युत) (01.12.2013 से)	3	3	.
अंश–कालिक सरकारी निदेशक – सरकारी नामिती			
सुश्री कुसुमजीत सिधू अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (10.05.2013 से 01.01.2014 तक)	6	5	हां
अम्बुज शर्मा, अपर सचिव, भारी उद्योग विकास, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	9	9	हां
एस. के. बाहरी* अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (31.03.2014 तक)	-	-	-

अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक			
एस. रवि (09.03.2014 तक)	9	9	हां
त्रिम्बकदास एस. जंवर (11.11.2013 तक)	6	6	हां
श्रीमती चंद्रा अयंगर* (01.04.2013 से) (29.05.2013 तक)	3	1	-

01.06.2013 से 28.02.2014 तक निदेशक (ई, आरएंडडी) का अतिरिक्त प्रभार धारण किया।
01.03.2014 से निदेशक (ई, आरएंडडी) का अतिरिक्त प्रभार धारण किये हुये हैं।
*यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति पिछली आम सभा की तिथि को बीएचईएल के निदेशक नहीं हैं।

iii. 31 मार्च, 2014 को अन्य बोर्डों या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें बीएचईएल के निदेशक सदस्य या अध्यक्ष के रूप में हैं।

निदेशक का नाम सर्वश्री	अन्य कंपनियों में निदेशक पद का ब्यौरा	समिति की सदस्यता और अध्यक्षता का ब्यौरा
बी. प्रसाद राव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	शून्य
पी. के. बाजपेयी निदेशक (वित्त)	लातुर पावर कंपनी लिमि.	शून्य
आर. कृष्णनन निदेशक (मा.सं.)	दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमि.	शून्य
डब्ल्यू वी. के. कृष्णा शंकर निदेशक (आईएस एंड पी.)	दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमि.	**लेखा परीक्षा समिति:** दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमि. (सदस्य)
अतुल सोबती निदेशक (पावर)	1. एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमि. 2. रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमि.	शून्य
अंबुज शर्मा अंशकालिक सरकारी निदेशक	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमि.	शून्य
एस. के. बाहरी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य

*केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निदेशक शिकायत समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया गया है।

कंपनी का कोई निदेशक एक ही समय में पंद्रह (15) कंपनियों से अधिक में निदेशक का पद धारित नहीं करता है।

कंपनी का कोई निदेशक दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य अथवा सभी कंपनियों जिसमें वे निदेशक है, में पांच (5) समितियों से अधिक के अध्यक्ष नहीं है।

iv. निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की संख्या और तारीख

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और उन्हें बहुत पहले निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से कंपनी सचिव प्रत्येक निदेशक को लिखित में प्रत्येक बैठक का नोटिस भेजता है। निदेशक मंडल की कार्यसूची पहले से ही निदेशकों को परिचालित की जाती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की कंपनी की सभी सूचनाओं तक पहुंच होती है और वे चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी विषय को शामिल करने की सिफारिश के लिए स्वतंत्र होते हैं। आवश्यकता होने पर चर्चा की जा रही मदों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने और/अथवा निदेशक मंडल प्रस्तुतिकरण करने के लिए निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने हेतु वरिष्ठ प्रबंधन को आमंत्रित किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही परिणामों और कार्यसूची पर अन्य मदों की समीक्षा करने के लिए तिमाही में कम से कम एक बार अपनी बैठक करता है। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने निम्नलिखित तारीखों को नौ बैठकें की :

(i) 8 अप्रैल, 2013	(ii) 23 मई, 2013
(iii) मई 24–27, 2013	(iv) 3 अगस्त, 2013
(v) 8 अक्तूबर, 2013	(vi) 6 नवंबर, 2013
(vii) 11 दिसंबर, 2013	(viii) 2 जनवरी, 2014
(ix) 5 फरवरी, 2014	

v. निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वः

निदेशक मंडल के अधिधेष का उद्देश्य कंपनी का कार्यनीतिक दिशा पर निगरानी रखना, कॉरपोरेट कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मॉनीटरिंग करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और शेयरधारकों के हित की रक्षा करना है।

vi. स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका

निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में स्वतंत्र निदेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इंजीनियरी, वित्त, प्रबंधन विधि और सरकारी नीति के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता कंपनी को प्रदान करते हैं।

निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए लेखापरीक्षा समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति, पारिश्रमिक समिति, मा.सं. समिति, सीएसआर एवं एसडी समिति, स्वतंत्र निदेशकों की समिति और नामांकन समिति आदि जैसी विभिन्न समितियां स्थापित की हैं और स्वतंत्र निदेशकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और उक्त समिति के कार्य परिभाषित विचारार्थ विषय के भीतर हैं। सीपीएसई के लिये कॉर्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और सूचीकरण करार के खंड 49 की अनुपालन के अनुरूप एक पारिश्रामिक समिति का गठन किया गया है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास पर सीपीएसईज हेतु लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की अनुपालना में बोर्ड ने सीएसआर गतिविधियों की समुचित और आवधिक निगरानी तथा सतत् विकास गतिविधियों की देखरेख के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत् विकास के लिये बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया है। कें.सा.क्षे.उ. के गैर–सरकारी सदस्यों की आदर्श भूमिका और दायित्वों के संबंध में लोक उद्यम विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 28.12.2012 के अनुरूप स्वतंत्र बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति गठित की है। समिति की बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड की बैठकों में परिचालित किए जाते हैं और उन पर विचार–विमर्श किया जाता है।

vii. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत सूचना :

निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत सूचना सामान्यतः बीएचईएल के निदेशक मंडल को कार्यसूची कागजातों के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाती है अथवा बोर्ड की बैठक के दौरान पेश/प्रस्तुत की जाती हैः

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं तथा बजट एवं कोई अन्य अद्यतन सूचना।
- पूंजी बजट एवं कोई अन्य अद्यतन सूचना।
- कंपनी तथा इसके प्रचालन प्रभागों अथवा व्यवसाय खंडों के तिमाही परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों का कार्यवृत्त।
- गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेन–देनों और व्यवस्थाओं का विवरण।
- बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती एवं पारिश्रमिक संबंधी सूचना।
- निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ अपेक्षित किसी संयुक्त उद्यम अथवा अनुसंधान एवं विकास परियोजना अथवा तकनीकी सहयोग करार का विवरण।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं तथा उनके प्रस्तावित समाधान। वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि जैसी मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण घटना।
- महत्वपूर्ण प्रकृति के निवेशों, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की बिक्री, जो कि व्यवसाय की सामान्य क्रिया में नहीं है।
- बोर्ड द्वारा अपेक्षित सभी मामलों पर कार्रवाई रिपोर्ट।
- निदेशकों द्वारा उनकी निदेशक पदधारिता तथा उनकी

रुचि की अन्य कंपनियों में से उनके द्वारा हासिल समिति पदों के बारे मे सूचना।

- विभिन्न कानूनों के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित सूचना।
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति।
- अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश।
- कोई संविदा (संविदाएं) जिनमें निदेशक (निदेशकों) की रुचि मानी जाती है।
- शेयरधारकों की शिकायतों संबंधी त्रैमासिक स्थिति।
- विद्युत तथा उद्योग क्षेत्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रभाग में त्रैमासिक आधार पर सूचना/स्थिति।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव।
- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन और उसके कारण।
- विभिन्न इकाइयों/कार्यों के निष्पादन संबंधी, विस्तृत विवरण।
- आसूचना तथा अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य कोई सूचना।

viii. नए निदेशकों का चयन

बीएचईएल के अतर्नियमावली के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशकों और बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त करते हैं और बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक और गैर–सरकारी (स्वतंत्र निदेशकों) को भी नामित करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों का चयन भारी उद्योग विभाग द्वारा लोक उद्यम की खोज समिति, जो प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरी प्रशासन और उद्योग में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों की सूची रखता है, के परामर्श से किया जाता है।

ix. सदस्यता अवधि और सेवानिवृत्ति नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति ऐसी शर्तों, पारिश्रमिक और कार्यकाल पर होती है जिसे भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर निर्धारित करे।

दो अंशकालिक निदेशक अर्थात् भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव/संयुक्त सचिव तथा वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बीएचईएल के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। वे भारत सरकार के विवेक पर बीएचईएल के निदेशक मंडल में बने रहते हैं।

अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के कार्यकाल का निर्णय भारी उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। सामान्यतः स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ऐसे सभी नियुक्त व्यक्ति बीएचईएल के अंतर्नियमावली के उपबंधों के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के योग्य होते हैं।

x. आचार संहिता

बीएचईएल के आचरण के उच्च मानक निर्धारित करने के सतत् प्रयास के भाग के रूप में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों के लिए एक 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की संहिता' निर्धारित की गई है। भारी उद्योग विभाग द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन 2011–12 के अनुरूप उक्त संहिता को विनियामक दायरे और व्यावसायिक गतिशीलता परिवर्तन करते हुए संहिता को सुदृढ़ करने के लिए अन्य संगत प्रावधानों को शामिल करते हुए संशोधित किया गया था।

संहिता में निम्नलिखित बातें शामिल हैं–

- सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं,
- विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व, और
- निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिकों के लिए अतिरिक्त कर्तव्य/अनिवार्यताएं

उक्त संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त संहिता में सुधार करने के लिए अतिरिक्त सुझावों/विचारों को हर्षपूर्वक आमंत्रित किया जाता है।

xi. निदेशक बोर्ड का चार्टर

बोर्ड तथा प्रत्येक निदेशक की भूमिका एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप परिभाषित करने के लिए बोर्ड ने निदेशक बोर्ड का एक चार्टर अनाया है। इस चार्टर में कॉर्पोरेट अभिशासन के उद्देश्यों एवं दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया गया है।

xii. सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सूचीकरण करार के खंड 49(v) के अनुसरण में सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण संलग्न हैं।

6.3 लेखापरीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 तथा साथ ही कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ये निम्नानुसार हैं –

1. कंपनी कि वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं, इसकी वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना।
2. निदेशक मंडल को सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति और अगर अपेक्षित हो, उनके प्रतिस्थापन अथवा उन्हें हटाने तथा लेखापरीक्षा शुल्क के नियतन की सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करनाः
   - क. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2कक) के अनुसार निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित मामले।
   - ख. लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, अगर कोई हो और उसके लिए कारण।
   - ग. प्रबंधन के निर्णय के आधार पर अनुमानों वाली मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां।
   - घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   - ड. वित्तीय विवरण से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन।
   - च. किसी संबद्ध पक्ष के साथ लेन—देन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना।
   - छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।
5. प्रबंधन के साथ निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व तिमाही वित्तीय विवरण की समीक्षा करना।
6. (i) प्रबंधन के साथ सांविधिक आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
   (ii) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की संख्या और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य करने की पर्याप्तता अगर कोई हो, की समीक्षा करना।
8. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार—विमर्श।
9. आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे विषयों की आंतरिक जांच, जिनमें धोखाधड़ी अथवा अनियमितता या वास्तविक रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता का संदेह हो, उनके निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को इस विषय में जानकारी देना।
10. (i) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में आवधिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरिक लेखा—परीक्षकों के साथ विचार—विमर्श।
    (ii) लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व लेखापरीक्षकों के स्वरूप और कार्यक्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार—विमर्श करना तथा साथ ही लेखापरीक्षकों के अवलोकनों सहित चिंता के किसी सत्र को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा पश्चात विचार—विमर्श करना।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों और भुगतान (घोषित लाभांश का भुगतान नहीं करने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में पर्याप्त चूक करने के कारणों पर गौर करना।
12. व्हिसल ब्लोअर कार्यतंत्र, अगर मौजूद हो, तो उसकी कार्यशीलता की समीक्षा करना।
13. आंतरिक लेखापरीक्षा/बोर्ड और अथवा भारत सरकार द्वारा बीएलएसी में उल्लिखित लेखापरीक्षा पैरा की समीक्षा करना और उसमें उल्लिखित मुद्दों पर अपना सुझाव/मार्गदर्शन/टिप्पणियां प्रस्तुत करना।
14. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार यथाउल्लिखित, कोई अन्य कार्य करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम और उपस्थिति

जैसा कि सूचीकरण करार में अधिदेशित है, लेखापरीक्षा समिति में अधिकांशतः स्वतंत्र निदेशक शामिल होते हैं। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं। सदस्य निदेशकों में वाणिज्य, वित्त, प्रशासन और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों अधिशासन की पृष्ठभूमि वाले ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा समिति का पिछला गठन 28 जनवरी, 2014 को किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैंः—

निदेशक का नाम	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (09.03.2014 तक)	अध्यक्ष	7	7
सुश्री कुसुमजीत सिधू (अंशकालिक सरकारी निदेशक (01.01.2014 तक)	सदस्य (12.11.2013 से)	-	-
अंबुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	7	7
त्रिम्बकदास एस जंवर (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (11.11.2013 तक)	सदस्य	5	5
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य (28.01.2014 से)	2	2

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। निदेशक (वित्त) कॉर्पोरेट आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखा परीक्षा आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेते हैं।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2013–14 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठक सात बार 8 अप्रैल, 2013, 23 मई, 2013, 3 अगस्त, 2013, 20 सितंबर, 2013, 6 नवंबर, 2013, 5 फरवरी, 2014 और 3 मार्च, 2014 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त सारणी में दिया गया है।

6.4 पारिश्रमिक समिति

i. पारिश्रमिक नीति

सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के नियतन का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अंशकालिक और गैर–कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मंडल अथवा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक फीस को छोड़कर कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें बीएचईएल के नियमानुसार पट्टा आवास, मकान किराया भत्ते का भुगतान, सज्जित आवास, उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन, आदि जैसी परिलब्धियों और लाभों की व्यवस्था करती है। इसलिए सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुरूप निदेशक मंडल ने दिनांक 7 दिसंबर, 2005 को निम्नलिखित विचारार्थ विषय सहित एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया था।

II. विचारार्थ विषय

क) पेंशन अधिकारों और कोई प्रतिपूर्ति भुगतान जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किया जाता है, सहित पूर्णकालिक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज परिलब्धियों पर कंपनी की नीति पर गौर करना।

ख) पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कतिपय परिलब्धियों को अनुमोदित करना, जो निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हों। मुख्य समूहों, जैसे प्रोत्साहन/लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि के अधीन सारांश दिए गए प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक पैकेज के अवयवों की समीक्षा करना।

ग) अनुपलब्धियों और लाभों तथा अन्य संबद्ध मामले पर नीतियों को अंतिम रूप देना, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किए जाते परंतु निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हैं।

घ) कार्यनिष्पादन मानदंडों पर आधारित नियत संघटक और कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का अनुमोदन।

ङ) गैर–कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड को अंतिम रूप देना।

च) स्वतंत्र निदेशकों, निदेशक मंडल/शेयरधारकों सहित गैर–कार्यपालक निदेशकों को फीस/प्रतिपूर्ति/स्टॉक विकल्प, अगर कोई हो, का भुगतान/प्रदान करने की सिफारिश करना।

छ) पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों से संबद्ध अन्य कोई कार्य करना।

iii. संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम तथा उपस्थिति

पारिश्रमिक समिति का पिछली बार 6 दिसंबर, 2012 को गठन किया गया था। निदेशक मंडल ने 02.01.2014 को हुई अपनी बैठक में निर्णय किया कि पारिश्रमिक समिति और कार्यनिष्पादन से संबद्ध वेतन पर पारिश्रमिक समिति (कॉर्पोरेट अभिशासन

रिपोर्ट का बिंदु सं. 6.9) की भूमिका एकल ''पारिश्रमिक समिति'' द्वारा निभाई जानी चाहिए। इस ''पारिश्रमिक समिति'' के विचारार्थ विषय इस रिपोर्ट के बिंदु 6.9 में दिये गये हैं। 02.01.2014 तक समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:–

निदेशक का नाम सर्वश्री	पद
त्रिम्बकदास एस. जंवर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) (11.11.2013 तक)	अध्यक्ष
अंबुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य
एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य

कंपनी का कंपनी सचिव समिति के सचिव के तौर पर काम करता है।

iv. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष में पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

v. वर्ष 2013–14 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(₹ में)

क्रम सं.	निदेशक का नाम सर्व/श्री	वेतन	लाभ	कार्यनिष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन	कुल	सेवा अनुबंध/नोटिस अवधि विच्छेदन शुल्क
1.	बी. प्रसाद राव	25,84,032	8,53,864	9,15,131	43,53,026	--
2.	अतुल सराया (30.11.2013 तक)	39,99,968	14,16,653	6,28,029	60,44,650	--
3.	ओ. पी. भुटानी (31.05.2013 तक)	20,82,275	10,79,204	6,23,782	37,85,261	--
4.		34,73,073	12,15,060	6,55,474	53,43,607	--
5.	पी. के. बाजपेई	24,58,684	5,47,297	6,14,375	36,20,356	चक्रानुसार सेवानिवृत्ति के लिये पात्र
6.	आर. कृष्णन	24,26,354	7,02,000	6,02,251	37,30,605	चक्रानुसार सेवानिवृत्ति के लिये पात्र
7.	डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर (01.08.2013 से)	14,83,040	5,96,608	3,19,481	23,99,129	चक्रानुसार सेवानिवृत्ति के लिये पात्र
8.	अतुल सोबती (01.12.2013 से)	8,46,466	1,10,686	1,71,070	11,28,222	चक्रानुसार सेवानिवृत्ति के लिये पात्र

vi. वर्ष 2013–14 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

(₹ में)

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक फीस		कुल
सर्वश्री	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
एस. रवि	1,80,000	3,60,000	5,40,000
त्रिम्बकदास एस. जंवर	1,20,000	1,65,000	2,85,000
श्रीमती चंद्रा अयेंगर	20,000	-	20,000

स्वतंत्र निदेशक उनके द्वारा भाग ली गई निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक ₹ 20,000/– और प्रति बोर्ड स्तरीय बैठक ₹ 15000/– की दर पर बैठक फीस के हकदार थे।

vii. निदशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर

यहां नीचे वर्णित को छोड़कर कोई भी निदेशक बीएचईएल में कोई इक्विटी शेयर धारित नहीं करता है (दिनांक 31 मार्च, 2014 को)

निदेशक का नाम सर्वश्री	धारित शेयरों की संख्या
बी. प्रसाद राव	2000
डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर	100
अतुल सोबती	1500

वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी ने कोई स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किया है।

6.5 शेयरधारक समिति

6.5.1 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 25 मार्च, 1992 को एक शेयर अंतरण समिति गठित की थी, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (पावर) और निदेशक (वित्त) शामिल थे।

शेयर अंतरण समिति डीमैट मोड के अधीन लाभार्थी की स्थिति का ध्यान रखने के अतिरिक्त सभी शेयर संबद्ध मुद्दों, शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वास्तविक मोड में शेयर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने आदि पर विचार कर अनुमोदित करती है।

वर्ष 2013–14 के दौरान बैठकें

शेयर अंतरण समिति की वर्ष के दौरान 36 बार बैठक हुई। शेयर अंतरण समिति की बैठकों का कार्यवृत्त आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

6.5.2 शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति (एसआईजीसी)

i. विचारार्थ विषय

शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन विशेष रूप से शेयरों के अंतरण, तुलन–पत्र, लाभांश की अप्राप्ति जैसी शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों और शेयरधारकों की अन्य संगत शिकायतों से संबद्ध मामलों पर गौर करने के लिए दिनांक 26 जुलाई, 2001 को किया गया था।

ii. समिति की संरचना सदस्यों और अध्यक्ष का नाम एवं उपस्थिति

शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति को 23 मई, 2013 को पुनर्गठित किया गया था।

निदेशक का नाम सर्वश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) (09.03.2014 तक)	अध्यक्ष	4	4
निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	4	4

कंपनी सचिव इसके सचिव के तौर पर कार्य करेगा।

कंपनी सचिव स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 47 के अनुसार अनुपालन अधिकारी है।

iii. बैठकें एवं उपस्थिति

समिति ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 12 जून, 2013, 20 सितंबर, 2013, 6 नवंबर, 2013 और 5 फरवरी, 2014 को चार बैठकें हुईं।

शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) द्वारा "सेबी" को जैसा सूचित किया गया है, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों की 1086 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और दिनांक 31 मार्च, 2014 तक सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया था। रिपोर्ट की अवधि के अंत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

6.6 मानव संसाधन समिति

i. संदर्भ की शर्तें

निदेशक मंडल ने विशेषकर निम्नलिखित मामलों पर गौर करने के लिए दिनांक 31 मई, 2006 को मानव संसाधन समिति का गठन किया।

क. कार्यपालकों के पुरस्कार/प्रोत्साहन तथा पदोन्नति के संबंध में मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना।

ख. बीएचईएल को परिवर्तित/उभरते हुए वातावरण के लिए तैयार करने हेतु दीर्घावधि और अल्पकालिक नीतियां सुझाना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम

मा.सं. समिति का पिछले पुनर्गठन 16 जुलाई, 2012 को किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:–

निदेशक का नाम सर्वश्री	पद
त्रिम्बकदास एस. जंवर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) (11.11.2013 तक)	अध्यक्ष
अंबुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य
एस. रवि (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) (09.03.2014 तक)	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य

कंपनी सचिव इसके सचिव के तौर पर काम करेंगे।

iii. सदस्य और उपस्थिति

वर्ष के दौरान मा.सं. समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

6.7 आमेलन एवं अधिग्रहण समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल ने विशेषकर निम्नलिखित मामलों को देखने के लिए दिनांक 25 जनवरी, 2007 को आमेलन एवं अधिप्राप्ति समिति का गठन किया।

क. आमेलन, अधिग्रहण और नवरत्न पीएसयू के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में अधिकार प्राप्ति से संबंधित प्रस्तावों की व्यवहार्यता की जांच करना तथा निदेशक मंडल को आवश्यक सिफारिश करना।

ख. बीएचईएल और बैठकों एवं उपस्थिति अवसरों के बीच उचित सहक्रियात्मक एवं कार्यनीतिक निरीक्षण करना और विभिन्न उपयुक्त कार्यों से संबंधित सिफारिशों पर निर्णय लेना।

ग. लक्ष्य, निविदा कार्यनीति, टर्मशीट, वित्तीय पद्धति के मूल्यांकन पर विचार करना और शेयर होल्डर तथा शेयर खरीद करार आदि जैसे आवश्यक जटिल दस्तावेजों के संबंध में सिफारिशों को अंतिम रूप देना।

घ. आमेलन एवं अधिग्रहण पश्चात् प्रबंधन पुनःसंरचना के मुद्दों, मूल कंपनी के संबंधों तथा अन्य संबद्ध मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष का नाम

आमेलन एवं अधिग्रहण समिति का पिछला पुनर्गठन 26 मार्च, 2011 को किया गया। निदेशक मंडल ने 02.01.2014 को हुई इसकी बैठक में आमेल एवं अधिग्रहण समिति को इस सुझाव के साथ भंग कर दिया कि यदि कोई विशिष्ट अपेक्षा होने के मामले में बोर्ड द्वारा समिति का पुनर्गठन कर दिया जायेगा। 02.01.2013 तक समिति में निम्नलिखित निदेशक थे:

निदेशक का नाम सर्वश्री	पद
अंबुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष
एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	सदस्य
निदेशक (पावर)	सदस्य
निदेशक (ईआरएंडडी)	सदस्य
निदेशक (आईएसएंडपी)	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य

विलयन एवं अधिग्रहण के प्रमुख स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे और कंपनी सचिव समिति को सचिवीय सहायता देंगे।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 02.01.2014 तक कोई बैठक नहीं हुई।

6.8 परियोजना समीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ 25 जनवरी, 2007 को परियोजना समीक्षा समिति का गठन किया है–

क. परियोजना समीक्षा समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होंगी।

ख. बैठक हेतु कोरम तीन सदस्यों का होगा।

ग. परियोजना समीक्षा समिति तिमाही आधार पर 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परियोजना लागत वाली परियोजनाओं की स्थिति, प्राप्त/अप्राप्त ऑर्डरों, ऊर्जा एवं उद्योग क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रभाग के संबंध में प्रमुख उपभोक्ता शिकायतों की समीक्षा करेगी।

घ. परियोजना समीक्षा समिति उन कार्यपालकों को समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकती है, जिनकी उपस्थिति को वह बैठक में उचित समझे।

ङ परियोजना समीक्षा समिति, जब कभी आवश्यक समझे, पावर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के संबंध में परियोजना हेतु एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर भी निदेशक मंडल को आवश्यक सिफारिश करेगी।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम

समिति को अंतिम बार 6 दिसंबर, 2012 को पुनर्गठित किया गया था। निदेशक मंडल ने 02.01.2014 को हुई बैठक में विभिन्न समितियों की समीक्षा की और समितियों के लिये वर्तमान कार्य परिदृश्य तथा तार्किकता को देखते हुए परियोजना समीक्षा समिति को भंग करने का फैसला किया। 02.01.2014 तक समिति में निम्नलिखित निदेशक थेः

निदेशक का नाम सर्वश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष	3	3
अंबुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य	3	3
निदेशक (पावर)	सदस्य	3	3
निदेशक (आईएसएंडपी)	सदस्य	3	3

बीएचईएल के अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के प्रमुख को जब भी अपेक्षित होगा आमंत्रित किया जायेगा। कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के तौर पर कार्य करेंगे।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समिति की तीन बार 23 मई, 2013, 20 सितंबर, 2013 ओर 18 अक्तूबर, 2013 को बैठकें हुईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर सारणी में दिया गया है।

6.9 कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन पर पारिश्रमिक समिति

i. कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन पर पारिश्रमिक समिति

दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) द्वारा जारी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल ने कार्यपालकों और गैर–यूनियन वाले पर्यवेक्षकों में बोनस/परिवर्ती वेतन तथा उसके वितरण की नीति पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 23 अप्रैल, 2009 को कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन पर पारिश्रमिक समिति गठित किया।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष के नाम

समिति का पिछला पुनर्गठन 6 दिसंबर, 2012 को किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैंः

निदेशक का नाम सर्वश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
एस रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक)	अध्यक्ष	1	1
अंबुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य	1	1
त्रिम्बकदास एस जंवर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) (11.11.2013 तक)	सदस्य	1	1

निदेशक (मा.सं.) स्थायी आमंत्रित होंगे।

iii. बैठकें तथा उपस्थिति

समिति की 8 अक्तूबर, 2013 को एक बार बैठक हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण ऊपर सारणी में दिया गया है।

निदेशक मंडल ने 02.01.2014 को हुई अपनी बैठक में निर्णय किया कि सूचीकरण समझौते के अनुरूप गठित पारिश्रमिक समिति और कार्यनिष्पादन से संबद्ध वेतन पर पारिश्रमिक समिति (कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का बिंदु सं. 6.4) की भूमिका एकल ''पारिश्रमिक समिति'' द्वारा निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ निभाई जानी चाहिए।

क) पेंशन अधिकारों और कोई प्रतिपूर्ति भुगतान जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किया जाता है, सहित पूर्णकालिक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज परिलब्धियों पर कंपनी की नीति पर गौर करना।

ख) पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कतिपय परिलब्धियों को अनुमोदित करना, जो निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हों। मुख्य समूहों, जैसे प्रोत्साहन/लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि के अधीन सारांश दिए गए प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक पैकेज के अवयवों की समीक्षा करना।

ग) अनुपलब्धियों और लाभों तथा अन्य संबद्ध मामले पर नीतियों को अंतिम रूप देना, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किए जाते परंतु निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हैं।

घ) कार्यनिष्पादन मानदंडों पर आधारित नियत संघटक और कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का अनुमोदन।

ङ) गैर–कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड को अंतिम रूप देना।

च) स्वतंत्र निदेशकों, निदेशक मंडल/शेयरधारकों सहित गैर–कार्यपालक निदेशकों को फीस/प्रतिपूर्ति/स्टॉक विकल्प, अगर कोई हो, का भुगतान/प्रदान करने की सिफारिश करना।

छ) कार्यपालकों और गैर यूनियनकृत पर्यवेक्षकों में वितरण के लिये बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और नीति के बारे में निर्णय करना

ज) पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषयों से संबद्ध अन्य कोई कार्य करना।

इसके बाद नई पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

6.10. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं सतत् विकास

i. विचारार्थ विषय

सीपीएसई के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर डीपीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने सीएसआर गतिविधियों की उचित एक आवधिक मॉनीटरिंग के लिये 25 नवम्बर, 2010 को बोर्ड स्तरीय उच्च समिति का गठन किया है। इसके अलावा सतत् विकास पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल ने तय किया कि समिति सतत् विकास गतिविधियों की देखरेख भी करेगी। तदनुसार उक्त समिति का ''कॉर्पोरेट सामाजिक दायित (सीएसआर) और सतत् विकास (एसडी)'' के रूप में पुनः नामकरण किया गया।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति का पिछली बार पुनर्गठन 11 दिसंबर, 2013 को किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम सर्वश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) (09.03.2014 तक)	अध्यक्ष (11.12.2013 से)	3	3
	सदस्य	3	3
त्रिम्बकदास एस. जंवर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) (11.11.2013 तक)	अध्यक्ष	3	3
अंबुज शर्मा (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य	6	6
निदेशक (वित्त)	सदस्य	6	6
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	6	6

कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक प्रभारी (एचएसई एवं सीएसआर) स्थायी आमन्त्रिती होंगे। कम्पनी के कम्पनी सचिव समिति के सचिव होंगे।)

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की छह बैठकें 23 मई, 2013, 20 सितंबर, 2013, 06 नवंबर, 2013, 2 जनवरी, 2014, 20 फरवरी, 2014 और 3 मार्च, 2014 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त सारणी में दिया गया है।

6.11 बोर्ड स्तरीय नामांकन समिति

i. कार्य की शर्तें

बोर्ड ने बीएचईएल अधिकारियों के इसकी सहायक कंपनियों के बोर्डों तथा अन्य सरकारी संगठनों में नामांकन की अनुशंसा करने के वास्ते 22 मार्च, 2013 को नामांकन समिति का गठन किया जिसका भारी उद्योग विभाग को प्रस्तुति करने पहले बीएचईएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदन करना अपेक्षित है।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:

निदेशक का नाम सर्वश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
श्री एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) (09.03.2014 तक)	अध्यक्ष एवं प्रमुख स्वतंत्र निदेशक	1	1
त्रिम्बकदास एस. जंवर (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) (11.11.2013 तक)	सदस्य	1	1

कम्पनी सचिव समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेंगे।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की 20 सितंबर, 2013 को एक बैठक हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त सारणी में दिया गया है।

6.12 बोर्ड स्तरीय नामांकन समिति

i. कार्य की शर्तें

बोर्ड ने बीएचईएल अधिकारियों के इसकी सहायक कंपनियों के बोर्डों तथा अन्य सरकारी संगठनों में नामांकन की अनुशंसा करने के लिए 22 मार्च, 2013 को नामांकन समिति का गठन किया जिसका भारी उद्योग विभाग को प्रस्तुति करने पहले बीएचईएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदन करना अपेक्षित है।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:

निदेशक का नाम सर्वश्री	पद	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
श्री एस. रवि (अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक) (09.03.2014 तक)	अध्यक्ष	1	1
निदेशक (ई, आर एंड डी)	सदस्य	-	-
निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	1	1

प्रमुख/मा.सं. स्थायी आमंत्रिती होंगे। कंपनी सचिव समिति के सचिव के तौर पर कार्य करेंगे।

iii. बैठक और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की 15 फरवरी, 2014 को एक बैठक हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त सारणी में दिया गया है।

6.13 आम बैठकें

i. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के स्थान और समय

वर्ष	स्थान	तिथि	समय
वित्त वर्ष 2010–11 (47 वीं आम बैठक)	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001	20 सितंबर, 2011	10.00 पूर्वाह्न
वित्त वर्ष 2011–12 (48 वीं आम बैठक)	फिक्की आडिटोरियम, बाराखम्बा, रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110001	19 सितंबर, 2012	10.00 पूर्वाह्न
वित्त वर्ष 2012–13 (ईजीएम)	फिक्की आडिटोरियम, बाराखम्बा, रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110001	27 जून, 2013	11.00 पूर्वाह्न
वित्त वर्ष 2012–13 (49वीं आम बैठक)	फिक्की आडिटोरियम, बाराखम्बा, रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110001	20 सितंबर, 2013	10.00 पूर्वाह्न

ii. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों/असाधारण आम बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा

वर्ष के दौरान, 20.09.2011 को हुई 47वीं वार्षिक आम बैठक में संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन के संबंध में (₹ 10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयरों का प्रत्येक ₹ 2/– के 5 इक्विटी शेयरों में उप विखंडन के लिए) एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

भारत हेवी प्लेट एंड वैसल्स लिमिटेड (बीएचपीवीएल), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और बीएचईएल के बीच विलय के संबंध में संशोधित मसौदा पुनर्वास योजना (एमडीआरएस) 27 जून, 2013 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित किया गया। तदनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) भारत हेवी

प्लेट एंड वैसल्स लिमिटेड और बीएचईएल के बीच विलय संबंधी एमडीआरएस को 29.09.2013 को मंजूरी प्रदान कर दी है। बीएचपीवीएल का बीएचईएल में 30.08.2013 (प्रभावी तिथि) से विलय हो गया है।

iii. डाक मतपत्र

पिछले वर्ष कोई विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से पारित नहीं किया गया। वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से ऐसा कोई संकल्प प्रस्ताव नहीं है।

6.14 प्रकटीकरण

i. संबद्ध पक्ष के साथ वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण लेन–देन का प्रकटीकरण, जिसके लिए कंपनी के हित के विरुद्ध होने की संभावना हो।

कंपनी ने वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष के साथ कोई लेन–देन नहीं किया है, जिनका कंपनी के हित के विरुद्ध होने की संभावना हो। फिर भी द्वि–पक्षों के साथ लेन–देनों को वार्षिक रिपोर्ट में लेखे की अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 31 में प्रकट किया गया है।

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के संबंध में कंपनी पर लगाए गए गैर–अनुपालन/दंड और आलोचना

पिछले तीन वर्षों में कंपनी पर न तो कोई दंड लगाया गया है अथवा न तो आलोचना की गई और न ही ऐसी कोई गैर अनुपालन की घटना हुई है। कंपनी कानूनों के अनुपालन और अनुरूपता के संबंध में उच्चतम मानक निर्धारित किए हैं ओर संविधि द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के पूर्व सभी अनुपालन किए जाते हैं।

iii. व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी में विशल ब्लोअर नीति निर्माणाधीन है।

iv. खंड 49 की अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन और गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने सहित कॉर्पोरेट अभिशासन एवं अनुपालन पर डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन का ब्यौरा

कम्पनी ने सीपीएसई कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया हैं इस के अलावा सूचीकरण करार के खंड 49 में यथादर्शित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है। इसका ब्यौरा इस रिपोर्ट में उपयुक्त स्थानों में दिया गया है।

अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन करने के अलावा बीएचईएल खंड 49 में दी गई निम्नलिखित कुछ और अनिवार्य अपेक्षाओं का भी अनुकरण कर रही है। कम्पनी ने निदेशकों के पारिश्रमिक के विशिष्ट कक्षों को अनुमोदित करने के लिये पहले ही पारिश्रमिक समिति बना दी है। कम्पनी पहले से ही अन अहर्ता वित्तीय विवरण आधार पर काम कर रही है।

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों, सूचीयन समझौते और निदेशकों को (क) उनके वैधानिक कर्त्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं की जानकारी, (ख) भविष्य के दृष्टिकोण और कार्यनीतियों के विकास के लिए व्यावसायिक वातावरण की बेहतर समझ, और (ग) बोर्ड सदस्यों की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के वास्ते आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण के लिए बीएचईएल ने निदेशकों के प्रशिक्षण के एक नीति का अनुमोदन किया है। इसमें कंपनी के विशिष्ट क्षेत्रों के प्रति अधिक समन्वित सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण दानों शामिल हैं।

अन्य गैर अनिवार्य अपेक्षाओं को कंपनी द्वारा आवश्यकता के आधार पर धीरे धीरे अनुपालित किया जायेगा।

लेखा बहियों में कोई खर्च डेबिट नहीं किया गया, तो व्यवसाय के लिये नहीं है और किसी भी इस व्यक्तिगत खर्च को नहीं किया गया है, और हिसाब में नहीं लिया है, जिसे निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन के लिये किया गया।

v. राष्ट्रपति के निर्देश

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2011–12, 2012–13 और 2013–14 दौरान कोई राष्ट्रपति आदेश प्राप्त नहीं हुआ।

vi. जोखिम प्रबंधन

सूचीयन समझौते के अनुच्छेद 49(IV) (सी) और सीपीएसईज के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.3 की अनुपालन में बोर्ड सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण के बारे में सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए एक जोखिम प्रबंधन चार्टर एवं नीति (आरएमसीवी) को निदेशक मण्डल ने अनुमोदित किया है। इस नीति में कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए संपूर्ण फ्रेमवर्क है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम समीक्षा, श्रेणीकरण, जोखिमों के न्यूनीकरण/बचाव के लिए जोखिम समाधान योजना/परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड को जोखिमों की रिपोर्टिंग तथा आवधिकता और जोखिम प्रबंधन शासन अवसंरचना शामिल है। आरएमसीपी में जोखिमों की समीक्षा और इसकी आवधिकता के लिए तंत्र शामिल है।

एक सर्वोच्च समिति, नामतः जोखिम प्रबंधन स्टीयरिंग समिति (आरएमएससी), कॉर्पोरेट संकायों और व्यवसाय

क्षेत्रों से निदेशकों/संकार्य प्रमुखों को शामिल किया गया है, समूचे संगठन में जोखिम प्रबंधन ढांचे के अनुकूलन और कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है। इसे जोखिमों के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है। मुख्य जोखिक अधिकारी (सीआरओ) आरएमएससी का संयोजक होता है और उस पर आरएमएससी में विचारविमर्श के आधार पर निदेशक मंडल को रिपोर्टिंग करने का दायित्व होता है।

इसके अलावा जोखिम प्रबंधन संगठन ढांचे में व्यवसाय क्षेत्रों/अंचलों/संयंत्रों/कॉर्पोरेट संकार्य स्तर पर 35 जोखिम प्रबंधन समितियां बनाई गई है जिनमें संबंधित क्षेत्रों से प्रमुख निर्णय निर्माण शामिल किये गये हैं। आरएमसी संबंधित इकाइयों/क्षेत्रों और संयंत्रों में जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को लागू करने और इसके कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार हैं।

2013–14 के दौरान कंपनी के दस सर्वोच्च जोखिमों की पहचान की गई है और जोखिम प्रबंधन की स्थिति का दो बार बीएलएसी और बोर्ड ने समीक्षा की है।

vii. कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र संलग्न है।

6.15 वित्तीय और अन्य सूचना का संप्रेषण

खंड 41 के अधीन अपेक्षानुसार कंपनी निदेशक मंडल की उस बैठक जिसमें अलेखापरीक्षित/लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारार्थ होते हैं, के लिए स्टॉक एक्सचेंज को कम से कम 7 दिन पूर्व नोटिस जारी करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त परिणाम को तत्काल रिकार्ड पर रखने/अनुमोदित करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाते हैं। ये वित्तीय परिणाम सामान्यतः उक्त बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर, जिसमें वित्तीय परिणाम को अनुमोदित किया गया था, संपूर्ण भारत में अथवा काफी अधिक प्रसार वाले कम से कम एक अंग्रेजी दैनिक में और क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित होने वाले किसी एक दैनिक समाचार पत्र में, जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है प्रकाशित किये जाते हैं तथा कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर भी अपलोड किए जाते हैं। कंपनी एनएसई और बीएसई द्वारा विकसित नई प्रणालियों अर्थात क्रमशः एनएसई इलेक्ट्रानिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम अथवा एनईएपीएस और बीएसई लिस्टिंग सेंटर पर भी सूचीयन समझौते के अधीन अपेक्षित सूचना को दायर/प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी विज्ञप्तियां जिनमें प्रमुख आदेशों की प्राप्ति जैसी प्रमुख घटनाओं तथा आवधिक निवेशक बैठकों में निवेशकों और वित्तीय विश्लेषकों के समक्ष किये गये प्रस्तुतिकरण संबंधी सूचनाओं को भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

सूचीयन समझाते के अनुच्छेद 54 की अनुपालना में कंपनी की वेबसाइट पर अतिरिक्त अद्यतन सूचना जैसे कि शेयरधारिता पद्धति, कॉर्पोरेट शासन की अनुपालना, निवेशकों की सहायता और शिकायतों आदि की देखरेख के लिए जिम्मेदार कंपनी के पदनामित अधिकारियों की संपर्क सूचना भी उपलब्ध होती है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बीएचईएल ने अपनी वेबसाइट पर अंतिम वार्षिक आम बैठक की तिथि को अनपेड/अनक्लेम्ड लाभांश तथा लाभांश प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों, देय राशि और निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष में अंतरण की देय तिथि से संबंधित सूचना को भी अपलोड किया जाता है। अनपेड/अन्कलेम्ड लाभांश का शेयरधारकों द्वारा दावा किये जाने की प्रक्रिया (यदि इन्हें आईईपीएफ को अंतरित नहीं किया गया है) भी अपलोड की गई है।

6.16 शेयरधारक के लिए सामान्य सूचना

i. वार्षिक आम बैठक

तारीख	समय	स्थान
19 सितंबर 2014	प्रात 10.00 बजे	फिक्की ऑडिटोरियम, बाराखंबा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110 001

ii.	**वित्तीय वर्षः**	:	1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014
iii.	**खाता बंदी की तारीख**	:	10 सितंबर, 2014 से 19 सितंबर, 2014 तक (दोनों दिवस शामिल)
iv.	**लाभांश भुगतान तिथि**	:	18 अक्तूबर, 2014 को या इससे पूर्व

iv. लाभांश इतिहास

लाभांश भुगतान के संबंध में बीएचईएल 'स्थिरता एवं वृद्धि' नीति अपनाता रहा है। विगत 10 वर्षों के दौरान बीएचईएल द्वारा भुगतान किए गए लाभांश और

31.03.2014 तक दावा न की गई लाभांश राशि का सारांश निम्नलिखित है–

वर्ष	लाभांश की दर	शेयरों की सं. (करोड़ में)	भुगतान किये गये लाभांश की की कुल राशि	लाभांश घोषित करने की तिथि	31.03.2014 को अदावाकृत लाभांश (₹)
2004-2005 (अंतरिम)	35%	24.476	85.67	10.12.2004*	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2004-2005 (अंतिम)	45%	24.476	110.14	29.09.2005	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2005-2006 (अंतरिम)	40%	24.476	97.90	07.12.2005*	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2005-2006 (विशेष अंतरिम)	85%	24.476	208.05	07.03.2006*	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2005-2006 (अंतिम)	20%	24.476	48.95	15.09.2006	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2006-2007 (अंतरिम)	125%	24.476	305.95	25.01.2007*	निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में पहले से अंतरित
2006-2007 (अंतिम)	60%	48.952	293.71	17.09.2007	11,48,646#
2007-2008 (अंतरिम)	90%	48.952	440.57	25.01.2008*	19,11,717$
2007-2008 (अंतिम)	62.50%	48.952	305.95	17.09.2008	18,11,986
2008-2009 (अंतरिम)	90%	48.952	440.57	29.01.2009*	26,57,484
2008-2009 (अंतिम)	80%	48.952	391.62	17.09.2009	17,43,680
2009-2010 (अंतरिम)	110%	48.952	538.47	21.01.2010*	29,10,380
2009-2010 (अंतिम)	123%	48.952	602.11	17.09.2010	27,23,107
2010-2011(अंतरिम)	132.50%	48.952	648.62	15.03.2011*	24,50,860
2010-2011 (अंतिम)	179%	48.952	876.24	20.09.2011	32,72,844
2011-2012 (अंतरिम)	136%	244.76 @	665.75	02.03.2012*	29,44,586
2011-2012 (अंतिम)	184%	244.76 @	900.72	19.09.2012	49,36,926
2012-2013 (अंतरिम)	106%	244.76 @	518.89	01.02.2013*	33,77,139
2012-2013 (अंतिम)	164.5%	244.76 @	805.26	20.09.2013	44,25,248
2013-2014 (अंतरिम)	65.5%	244.76 @	320.64	05.02.2014*	24,33,052

*निदेशक मंडल की बैठक की वह तारीख, जिसमें अंतरिम लाभांश घोषित किया गया।

23.10.2014 को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड (आईईपीएफ़) में अन्तरण के लिए प्रस्तावित है।

$ 01.03.2015 को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड (आईईपीएफ़) में अन्तरण के लिए प्रस्तावित है।

@ ₹ 2 की फेस वैल्यू के शेयरों की पोस्ट–स्पलिट संख्या.

यदि शेयरधारक पिछले सात वर्षों में किसी के लिए भी लाभांश प्राप्त नहीं कर पाए हैं और जिसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा कोष (आईईपीएफ) में अंतरित नहीं किया गया है, वे कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर अपलोड की गई प्रक्रिया का पालन करते हुए अनपेड लाभांश के लिए दावा कर सकते हैं।

vi. (क) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण और स्टॉक कोड

बीएचईएल के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जिसके 2013–14 के लिए फीस का भुगतान किया जा चुका है।

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
1. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जिजीभाय, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001	500103
2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा" सी–1, ब्लॉक–जी, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई – 400 051	बीएचईएल

(ख) जमाकर्ताओं को वार्षिक कस्टोडियन फीस का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियन फीस का भुगतान कर दिया गया है।

vii. इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना

बीएचईएल ने इक्विटी शेयरों को सूची से हटाने के बारे में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के पास आवश्यक आवेदन दाखिल किया था। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड से सूची से हटाने का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित है। तथापि, बीएचईएल के शेयरों को सीएस में सूचीगत सेक्यूरिटी की में नहीं दिखाया गया है।

viii. एसएंडपी बीएसई सूचकांक, बीएसई, पीएसयू सूचकांक और एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक जैसे वृहद आधार वाले सूचकांकों की तुलना में बाजार मूल्य आंकड़ा और निष्पादन निम्नानुसार है–

बीएचईएल बनाम एसएंडपी बीएसई सैंसेक्स

एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स की तुलना में बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान बीएचईएल के उच्च और निम्न बाजार शेयर मूल्य, व्यापार में किए गए शेयरों की संख्या और निवल कुल कारोबार का सारांश निम्नानुसार है–

महीना	बीएसई में बीएचईएल के शेयर			एसएंडपी बीएसई सेन्सेक्स			व्यापारित शेयरों की सं.	कारोबार (₹ लाख में)
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद		
अप्रैल–13	194.50	176.00	192.50	19,622.68	18,144.22	19,504.18	84,36,522	15,488.45
मई–13	207.90	187.60	199.95	20,443.62	19,451.26	19,760.30	94,27,068	18,681.46
जून–13	201.70	162.10	174.30	19,860.19	18,467.16	19,395.81	69,72,795	12,492.09
जुलाई–13	189.90	148.35	158.25	20,351.06	19,126.82	19,345.70	1,15,14,699	19,859.96
अगस्त–13	160.65	100.35	118.75	19,569.20	17,448.71	18,619.72	3,46,14,629	39,960.31
सितंबर–13	152.55	118.50	137.35	20,739.69	18,166.17	19,379.77	3,05,91,143	41,697.47
अक्तू–13	151.90	131.30	140.95	21,205.44	19,264.72	21,164.52	1,51,32,080	21,683.64
नवं–13	158.35	131.05	156.05	21,321.53	20,137.67	20,791.93	1,73,48,646	24,782.10
दिसं–13	181.20	153.00	176.45	21,483.74	20,568.70	21,170.68	1,51,33,100	25,096.74
जन–14	177.90	160.15	172.85	21,409.66	20,343.78	20,513.85	1,95,90,231	33,021.34
फर–14	173.35	145.75	167.20	21,140.51	19,963.12	21,120.12	86,57,972	13,606.01
मार्च–14	201.95	161.40	196.80	22,467.21	20,920.98	22,386.27	12,44,87,950	2,08,186.74

स्रोत: www.bseindia.com

2013–14 में बीएसई (₹) बनाम एसएंडपी बीएसई सूचकांक (बंद)
बीएचईएल के बंद शेयर मूल्य का निष्पादन

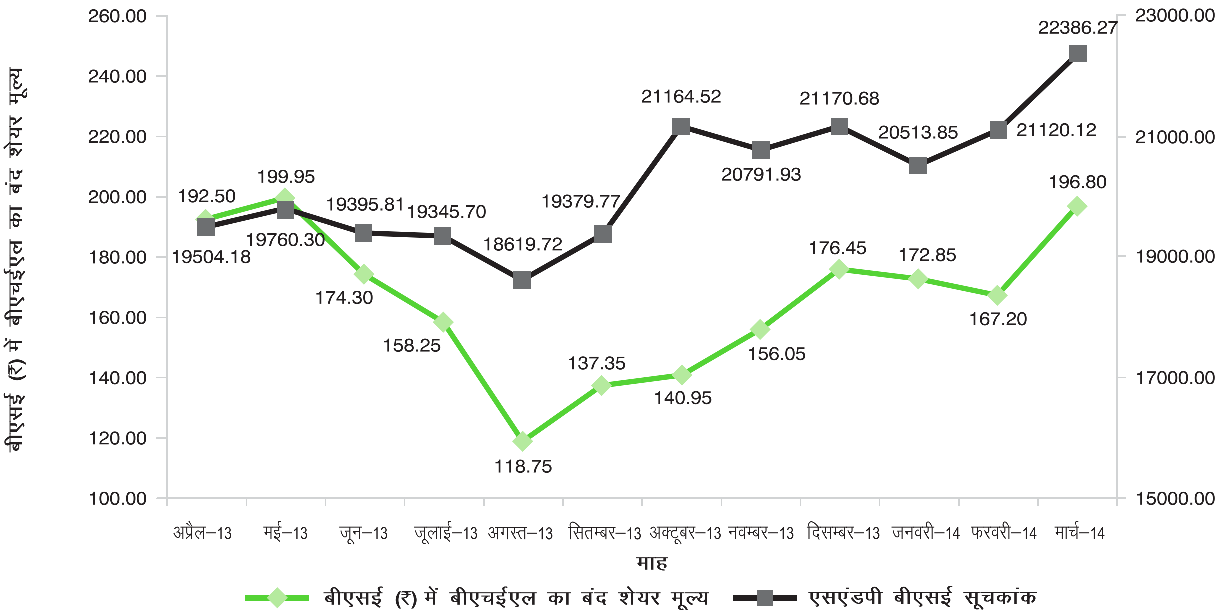

बीएचईएल की तुलना में एसएंडपी बीएसई पीएसयू सूचकांक

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान एसएंडपी बीएसई पीएसयू सूचकांक की तुलना में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) पर बीएचईएल के उच्च और निम्न बाजार शेयर मूल्य का सारांश निम्नानुसार है–

माह	बीएसई में बीएचईएल शेयर मूल्य (₹)			एसएंडपी बीएसई पीएसयू सूचकांक		
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद
अप्रैल–13	194.50	176.00	192.50	6,924.55	6,339.32	6,864.61
मई–13	207.90	187.60	199.95	7,078.13	6,639.68	6,655.84
जून–13	201.70	162.10	174.30	6,675.88	5,888.45	6,162.99
जुलाई–13	189.90	148.35	158.25	6,277.32	5,234.19	5,449.81
अगस्त–13	160.65	100.35	118.75	5,533.55	4,774.97	4,989.82
सितंबर–13	152.55	118.50	137.35	5,823.82	4,938.86	5,446.02
अक्तू–13	151.90	131.30	140.95	5,839.55	5,392.22	5,804.19
नवं–13	158.35	131.05	156.05	5,970.39	5,548.07	5,809.31
दिसं–13	181.20	153.00	176.45	6,106.47	5,626.68	5,909.74
जन–14	177.90	160.15	172.85	5,976.49	5,472.38	5,554.94
फर–14	173.35	145.75	167.20	5,674.05	5,405.32	5,514.88
मार्च–14	201.95	161.40	196.80	6,475.58	5,472.64	6,354.61

स्रोतः www.bseindia.com

2013–14 में बीएसई (₹) बनाम एसएंडपी बीएसई पीएसयू सूचकांक (बंद) में बीएचईएल के बंद शेयर मूल्य का निष्पादन

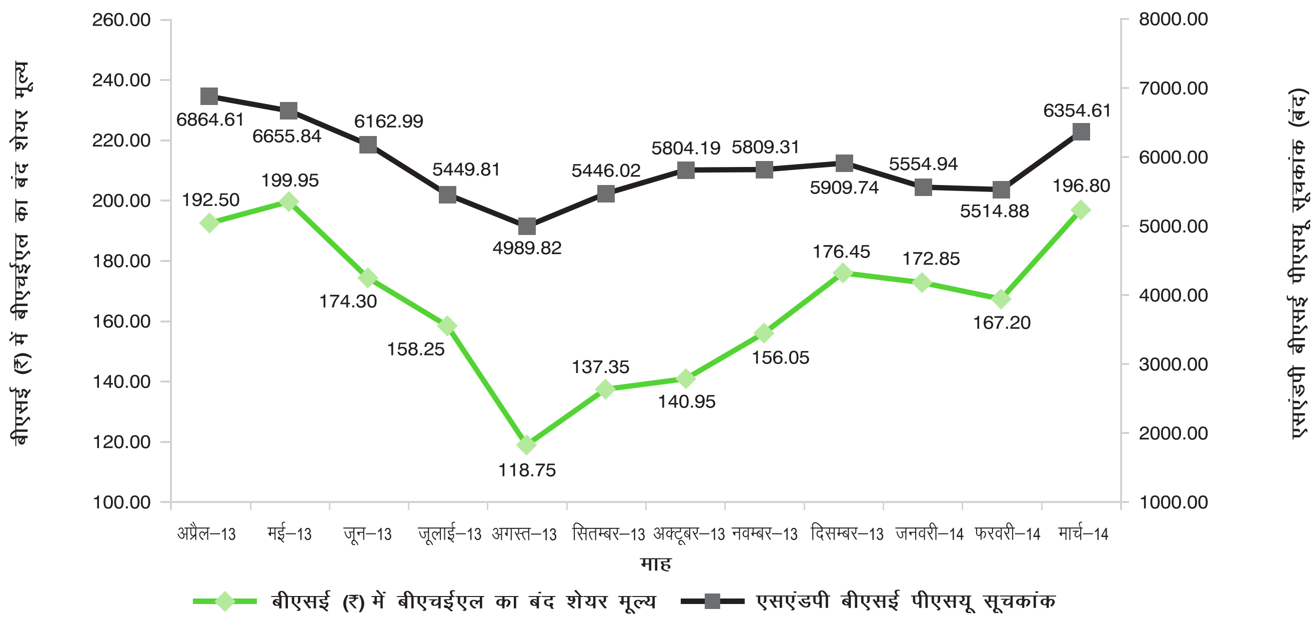

बीएचईएल बनाम सीएनएक्स निफ्टी

सीएनएक्स निफ्टी की तुलना में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान बीएचईएल के उच्च और निम्न बाजार शेयर मूल्य, व्यापार में किए गए शेयरों की संख्या और निवल कुल कारोबार का सारांश निम्नानुसार है–

माह	एनएसई में बीएचईएल के शेयर (₹)			सीएनएक्स निफ्टी			व्यापारित शेयरों की सं.	कारोबार (₹ लाख में)
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च	निम्न	बंद		
अप्रैल–13	194.80	175.50	192.75	5962.30	5477.20	5930.20	5,96,23,154	1,09,737.83
मई–13	207.90	187.80	200.55	6229.45	5910.95	5985.95	6,80,58,291	1,34,931.61
जून–13	201.85	162.05	174.25	6011.00	5566.25	5842.20	5,07,79,073	90,085.82
जुलाई–13	190.55	148.25	158.30	6093.35	5675.75	5742.00	9,06,00,554	1,56,525.15
अगस्त–13	160.65	100.15	119.00	5808.50	5118.85	5471.80	22,78,79,245	2,62,544.00
सितंबर–13	152.90	118.40	137.40	6142.50	5318.90	5735.30	21,79,42,161	2,98,383.84
अक्तू–13	151.95	131.15	141.10	6309.05	5700.95	6299.15	11,22,81,954	1,60,875.10
नवं–13	158.65	131.00	156.35	6342.95	5972.45	6176.10	12,24,81,871	1,74,882.71
दिसं–13	181.20	152.65	176.90	6415.25	6129.95	6304.00	11,75,25,199	1,95,070.73
जन–14	177.80	160.45	172.75	6358.30	6027.25	6073.70	7,34,67,878	1,23,336.70
फर–14	173.80	145.55	167.75	6282.70	5933.30	6276.95	8,38,36,737	1,31,520.94
मार्च–14	202.15	160.80	196.05	6730.05	6212.25	6704.20	8,64,63,727	1,61,338.45

स्रोतः www.bseindia.com

2013–14 में एनएसई (₹) बनाम सीएनएक्स निफ्टी (बंद) बीएचईएल के बंद शेयर मूल्य का निष्पादन

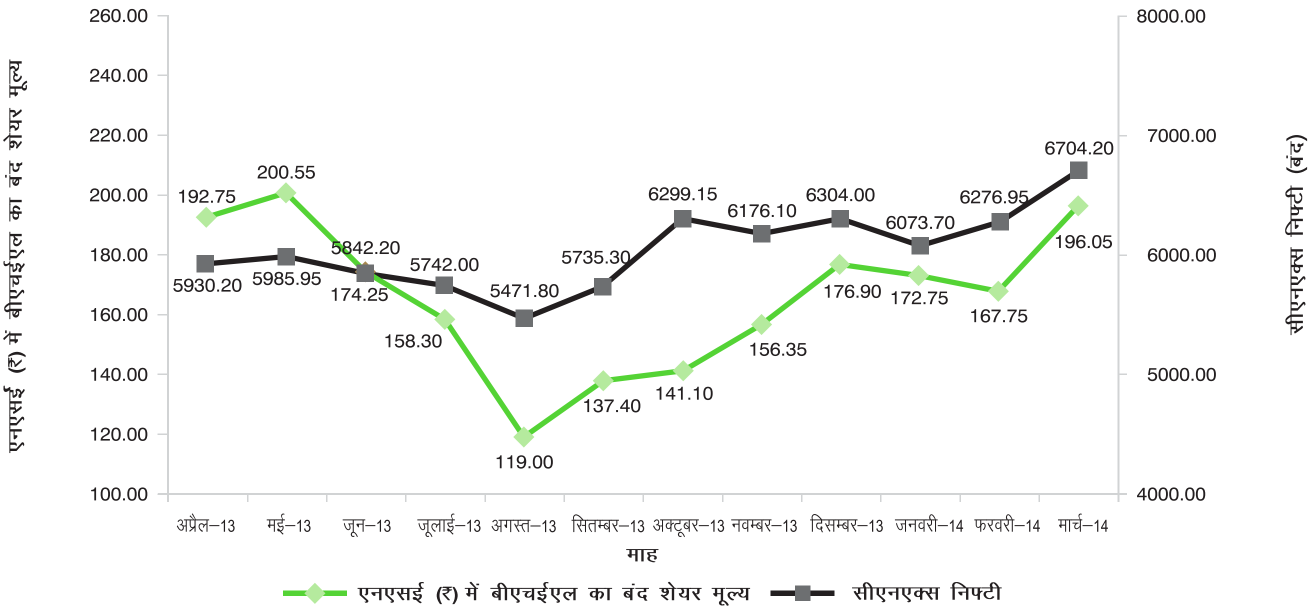

ix. आतंरिक व्यापार पर नीति

बीएचईएल का प्रयास है कि अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना की गोपनीयता को बनाए रखा जाए ताकि इस प्रकार की सूचना के दुरुपयोग की रोकथाम की जा सके। इस प्रयोजन के लिए तथा सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियमन, 1992 के अनुसार कंपनी ने 26 अगस्त, 2002 को ''आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' को अपनाया था।

नवंबर, 2008 को जारी सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) (संशोधन) विनियमन, 2008 के अनुपालनार्थ बीएचईएल ने अपनी ''आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' को संशोधित किया था। बीएचईएल की संशोधित ''आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' 29 जनवरी, 2009 को लागू की गई थी। इस संहिता का उद्देश्य अंतरंगों (निदेशक, पदनामित कर्मचारी और अन्य संबद्ध व्यक्ति) को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के आधार पर कंपनी के शेयरों के क्रय–विक्रय से रोकना है। निदेशक मंडल ने निदेशक (वित्त) को संहिता के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

x. रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमि.

दिल्ली का पताः	हैदराबाद का पता
यूनिट : **बीएचईएल** 105–108, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली – 110001 फोन : 011-23324401 43681700/01/02/21 फैक्स : 011-2373074 ई–मेलः ksbldelhi@karvy.com	यूनिट : **बीएचईएल** 17–24, विठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद–500 081 टेलीः 040–44655000 फैक्सः 040–44655024 ई–मेलः madhusudhan@karvy.com einward.ris@karvy.com वेबसाइटः www.karvycomputershare.com

शेयरधारकों की सेवा के लिए आरटीए का निष्पादन संतोषजनक रहा है। निवेशकों की सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया है।

xi. शेयर अंतरण पद्धति

प्रत्यक्ष खंड के अधीन संपूर्ण शेयर अंतरण संबंधी कार्यकलाप यथा दस्तावेजों की प्राप्ति/प्रॉक्स, उनका सत्यापन और अंतरण इस प्रकार कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्रा. लिमिटेड द्वारा किए जाते हैं। शेयर अंतरण प्रणाली के अंतरिती से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, उसका सत्यापन, अंतरण समिति द्वारा उसके अनुमोदन और सूचीकरण करार के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर अंतरितियों को अंतरित प्रमाणपत्र भेजने जैसे कार्यकलाप शामिल हैं। सेबी परिपत्र दिनांक 5 जुलाई, 2012 के अनुरूप शेयर प्रमाण–पत्र अंतरण, उप विभाजन और समेकन के लिए अनुरोध दर्ज होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जारी किये जा रहे हैं। भौतिक स्वरूप में शेयर अंतरण गतिविधियां जैसे कि दस्तावेजों की रसीद/डिस्पैच, उनका सत्यापन और अंतरण ज्ञापन तैयार करने आदि का काम मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है।

xii. शेयरधारिता का वितरण

(i) 31 मार्च, 2014 को धारिता के आकार के अनुसार शेयरों का वितरण

धारित इक्विटी शेयरों की सं.	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की सं.	शेयरधारिता का प्रतिशत
1 - 500	3,78,599	93.23%	3,62,23,377	1.48%
501 - 1000	16,037	3.95%	1,26,24,188	0.51%
1001 - 2000	6,789	1.67%	1,02,97,839	0.42%
2001 - 3000	1,798	0.44%	45,70,386	0.19%
3001 - 4000	688	0.17%	24,45,415	0.10%
4001 - 5000	507	0.13%	24,08,858	0.10%
5001 - 10000	751	0.19%	54,20,409	0.22%
10001 & Above	904	0.22%	2,37,36,09,528	96.98%
कुल	**4,06,073**	**100%**	**2,44,76,00,000**	**100%**

(ii) 31 मार्च, 2014 के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप

श्रेणी	2014		2013	
	मत संख्या (%)	धारित शेयरों की संख्या	मत संख्या (%)	धारित शेयरों की संख्या
प्रवर्तकों की धारिता				
भारतीय प्रवर्तक .				
– भारत के राष्ट्रपति	63.06	1,54,34,52,000	67.72	1,65,75,52,000
कुल प्रवर्तक धारिता	**63.06**	**1,54,34,52,000**	**67.72**	**1,65,75,52,000**
गैर प्रवर्तक निवेशक				
म्युचुअल फंड तथा यूटीआई	0.30	73,47,397	1.00	2,44,71,627
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां	16.17	39,58,44,109	11.41	27,93,51,514
विदेशी संस्थागत निवेशक (अर्हक विदेशी निवेशक सहित)	16.14	39,50,53,774	14.76	36,11,22,791
अन्य				
निदेशक एवं संबंधी	0.00	3,600	0.00	3,100
निजी कॉरपोरेट	0.96	2,35,91,005	1.50	3,66,67,462
व्यक्ति	2.89	7,05,49,138	3.23	7,90,88,900

विदेशी नागरिक	0.00	1,090	0.00	1,090
एनआरआई	0.22	53,38,381	0.24	57,42,426
ट्रस्ट	0.05	11,99,678	0.03	8,56,552
क्लीयरिंग सदस्य	0.21	52,19,828	0.11	27,42,538
कुल गैर प्रवर्तक धारिता	**36.94**	**90,41,48,000**	**32.28**	**79,00,48,000**
कुल जोड़	**100.00**	**2,44,76,00,000**	**100.00**	**2,44,76,00,000**

31 मार्च, 2014 को शेयरधारिता का स्वरूप

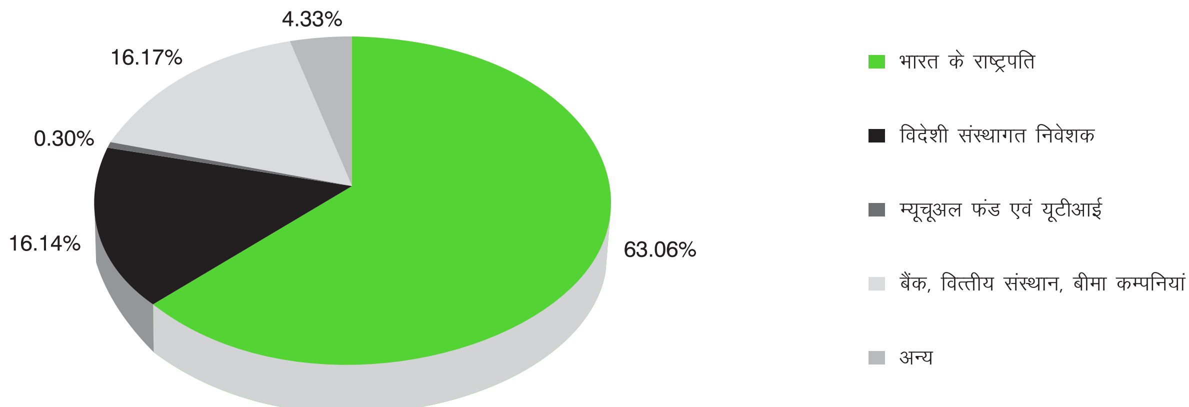

(iii) उन शेयरधारकों की सूची जो दिनांक 31 मार्च, 2014 को कंपनी के शेयरों का 1 प्रतिशत से अधिक धारित कर रहे हैं।

श्रेणी तथा शेयरधारकों के नाम	2014	
	मत सं. (%)	धारित शेयरों की सं.
प्रवर्तक		
1. भारत के राष्ट्रपति	63.06	1,54,34,52,000
गैर प्रवर्तक		
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	9.92	24,28,90,195
2. लज़ार्ड एसेट मैनेजमेंट एलएलसी अकाउंट लज़ार्ड इमरजिंग मार्किटस पोर्टफोलियो	1.59	3,89,42,264
3. कामगेस्ट एसए अकाउंट मैगेलान	1.23	3,00,00,000
4. एलआईसी ऑफ इंडिया मार्किट प्लस 1 ग्रोथ फंड कामगेस्ट एसए अकाउंट मैगेलान	1.02	2,49,39,880

xiii. शेयरों और नकदी निधि का अमूर्तकरण

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा, बीएचईएल के शेयरों का अमूर्त (डीमैट) रूप में व्यापार दिनांक 5 अप्रैल, 1999 से अनिवार्य कर दिया गया है। बीएचईएल ने देश के दोनों निक्षेपागारों अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ अपनी प्रतिभूतियों के डीमैट रूप में प्रवेश के लिए करार निष्पादित किया है। दिनांक 31 मार्च, 2014

को बीएचईएल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी 99.94 प्रतिशत को शेयरधारकों ने अमूर्त करा लिया है। वर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रपति की शेयर धारिता (जो कि कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 63.06 प्रतिशत बनती है) को भी अमूर्त करा लिया गया। कंपनी को आबंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई 257 I01026 है।

31.03.2014 को डिपाजिटरियों द्वारा धारित शेयर

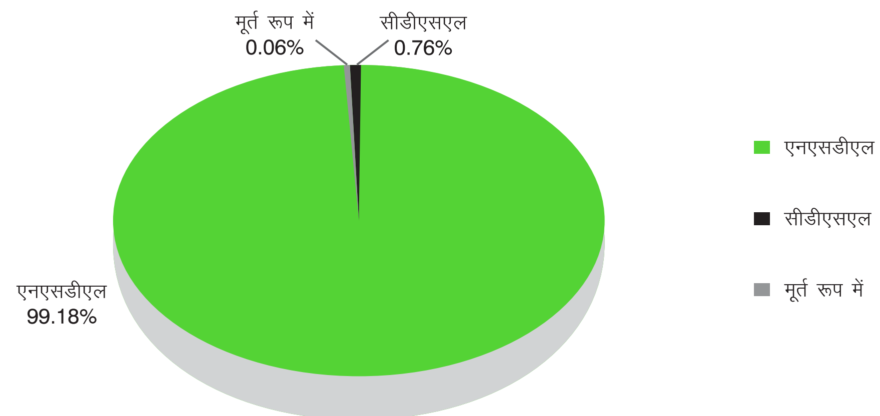

xiv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा किसी अन्य परिवर्तनीय वस्तु, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभावः

शून्य

xv. संयंत्र स्थल

बीएचईएल विनिर्माण इकाइयां	बंगलौर	1. इलेक्ट्रानिक डिवीजन 2. इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिवीजन 3. इलेक्ट्रो पोर्सलीन डिवीजन
	भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट
	गोइंदवाल	5. इंडस्ट्रियल वाल्वस प्लांट
	हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट
		7. सेंट्रल फाउण्डरी फोर्ज़ प्लांट
	हैदराबाद	8. हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट
	जगदीशपुर	9. इंसुलेटर प्लांट
		10. केन्द्रीकृत स्टैम्पिंग यूनिट
	झांसी	11. ट्रांसफार्मर प्लांट
	रूद्रपुर	12. कम्पोनेंट फैब्रीकेशन प्लांट
	रानीपेट	13. बॉयलर ऑग्लीलियरीज प्लांट
	तिरूचिरापल्ली	14. हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट 15. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट

	थिरूमायाम	16. पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट
	विशाखापत्तनम	17. भारत हेवी प्लेट एंड वैसल्स लिमि.
बीएचईएल रिपेयर यूनिट	मुंबई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर संयंत्र
	वाराणसी	2. हेवी इक्विपमेंटस रिपेयर संयंत्र
बीएचईएल सहायक कंपनी	कासरगोड	1. बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीनन्स लिमि.

xvi. पत्राचार का पता

शेयरधारक शेयरों के अंतरण/अमूर्तकरण, शेयरों पर लाभांश भुगतान, लाभांश वारंटी को पुनःवैधीकरण और कंपनी के शेयरों से संबंधित अन्य पूछताछ के लिए शेयरधारक अपने पत्र निम्नांकित में से किसी को भी प्रेषित कर सकते हैं–

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लिमि.

यूनिटः **बीएचईएल**

दिल्लीः	105–108, अरूणाचल बिल्डिंग	फोनः	011–23324401
	19, बाराखंबा रोड,		43681700/01/02/21
	नई दिल्ली – 110 001	फैक्सः	011–23730743
		ई–मेलः	ksbldelhi@karvy.com
हैदराबादः	17–24, विट्ठलराव नगर,	फोनः	040–44655000
	माधापुर,	फैक्सः	040–44655024
	हैदराबाद – 500 081	ई–मेलः	madhusudhan.ms@karvy.com
			einward.ris@karvy.com

अथवा

श्री आई.पी. सिंह	फोनः	011–26001046
कम्पनी सचिव	फैक्सः	011–66337533
बीएचईएल	ई–मेलः	shareholderquery@bhel.in
रजि. कार्यालय – बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट,		
नई दिल्ली–110 049		

टिप्पणीः इलेक्ट्रानिक मोड में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों को सभी पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार के साथ करना चाहिए।

घोषणाः स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49(1–घ) के अनुसरण में एतदद्वारा यह घोषणा की जाती है कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 'वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए बीएचईएल की व्यवसाय' आचरण और नैतिकता की संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड

(बी. प्रसाद राव)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14 जुलाई, 2014

मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सीएफओ प्रमाणीकरण

सेवा में

निदेशक मंडल,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
नई दिल्ली

(क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार –

(i) इन विवरणों में वास्तविक रूप से कोई असत्य विवरण नहीं है अथवा किसी वास्तविक तथ्य को नहीं हटाया गया है या ऐसा कोई विवरण निहित नहीं, जो भ्रामक हो।

(ii) ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्य का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये मौजूदा लेखाकरण मानक, लागू कानून और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैर–कानूनी अथवा कंपनी की आचरण संहिता के उल्लंघन में हो।

(ग) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं कि हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन अथवा प्रचालन में कमियां, अगर कोई हों, जिससे हम अवगत हैं और इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए उपायों तथा किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों को बताया है।

(घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित दर्शाया है–

(i) वर्ष 2013–14 के दौरान आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(ii) वर्ष 2013–14 के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दर्शाया गया है, और

(iii) धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, जिनसे हम अवगत हैं और कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की उनमें भागीदारी।

(पी. के. बाजपेई)
निदेशक (वित्त)

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2014

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सदस्यगण,

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त कंपनी के सूचीकरण करार के खंड 49 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों (डीपीई दिशानिर्देशों) में यथानिर्दिष्ट दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित के अधीन हम उल्लेख करते हैं किः

कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को के ऊपर लिखित सूचीकरण करार में उल्लिखित कॉर्पोरेट अभिशासन की सभी शर्तों के स्वंतत्र निदेशकों की संख्या के संदर्भ में, सूचीकरण करार के खंड 49 (1) (ए) के संबंध में (डीपीई दिशानिर्देशों का अनुच्छेद 3.1.4) को छोड़कर, जो कि निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों के कम से कम पचास प्रतिशत होने के संबंध में है, अनुपालन सुनिश्चित किया है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्यकालीन व्यवहार्यता का और न ही कंपनी के कार्यों को संचालित करने में प्रबंधन की कुशलता अथवा प्रभावशीलता का आश्वासन है।

कृते एवं एस एन धवन एंड कंपनी चार्टर्ड एकाऊण्टेंट्स
की ओर से
एफआरएन 000050एन

(एस. के. खट्टर)
साझेदार
स.सं. 84993

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 2014

अनुबंध–VII

7.1 ऊर्जा का संरक्षण

निम्नलिखित संबंधित गतिविधियां पूरी की गईं।

1. एचईईपी–हरिद्वार यूनिट में विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा ऊर्जा आडिट संचालित किया गया।
2. विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा ऊर्जा ऑडिट रिपोर्टों में दिये गये सुझाव अनुसार समूची कंपनी में ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएं (32 नग) कार्यान्वित की गईं।
3. ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता फैलाने के लिये पूरी कंपनी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित किया गया।
4. विभिन्न इकाइयों से कर्मचारियों (17) को ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ–50001) में प्रशिक्षित किया गया।
5. कंपनी में 1400 से अधिक टर्बो विंड वेंटिलेटर्स स्थापित किये गये।

7.2 प्रोद्योगिकी आमेलन एवं अनुसंधान तथा विकास

अनुसंधान एवं विकास

1.	विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की गईं हैं,	निदेशकों की रिपोर्ट में आरएंडडी एंड टेक्नोलाजी के अधीन विवरण दिया गया है
2.	''आरएंडडी एवं टेक्नोलाजी' के अंतर्गत उपर्युक्त आरएंडडी के परिणाम स्वरूप हुए लाभ	

3. भविष्य की कार्रवाई योजनाः

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिक पर बल दिये जाने वाले प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार हैंः–

- सुपरक्रिटिकल पैरामीटरों का प्रयोग करते हुए अत्यधिक सक्षम पारंपरिक ताप विद्युत संयंत्र
- अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल एंड एडवान्स्ड अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल पैरामीटरों का प्रयोग करते हुए अत्यधिक सक्षम पारम्परिक ताप विद्युत संयंत्र
- ताप विद्युत संयंत्र एवं औद्योगिक उपयोग हेतु एडवांस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्लेटफॉर्म
- भारतीय कोयले की विशेषताओं का पता लगाने के लिए कोयला अनुसंधान
- इंटीग्रेटिड गैसीफिकेशन कम्बाइंड साइकल (आईजीसीसी) पावर प्लांट्स
- अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) प्रोजेक्ट्स आदि के उत्सर्जन में कमी के लिए ग्रीन टेक्नोलाजी
- एटम्सफीयरिक एंड सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज्ड बेड कंब्युशन (सीएफबीसी) बॉयलर
- उच्च कार्यकुशलता तथा लम्बी आयु वाले हाइड्रो पावर प्लांट
- एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, 800 केवी एचवीडीसी, 765 केवी, 1200 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम/उत्पाद
- फ्लेक्सीबल एसी ट्रांसमीशन सिस्टम्स तथा अन्य उपकरण जैसे थाइरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कम्पनसेशन, फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर, स्टेटिक सिंक्रोनाइज्ड कम्पनसेटर (स्टेटकॉम), कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर आदि
- गैस इंसुलेटिड स्विचगियर
- कार्यकुशल, विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सहित आईजीबीटी – ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आधारित अनुप्रयोग जैसे डीजल इलेक्ट्रिक लोको, मेमू के लिए थ्री फेज एसी ड्राइव सिस्टम
- उच्चतम रेटिंग की इंडस्ट्रियल स्टीम टर्बाइन
- मौजूदा उत्पादों की क्षमता वृद्धि
- ग्रिड सम्बद्ध सोलर पीवी सोलर थर्मल, विंड आदि जैसी गैर–परंपरागत ऊर्जा प्रणालियां
- सिमुलेटर्स
- एडवांस्ड फेब्रिकेटर्स टेक्नोलाजी
- सेरामिक उपयोग सहित सरफेस कोटिंग्स
- अवशेष आयु मूल्यांकन अध्ययन
- साइकल टाइम तथा लागत घटाने के लिए नई टेक्नोलॉजियों सहित इंटेलिजेन्ट मशीनें एवं रोबोटों का उपयोग
- विशिष्ट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग

- ज्ञान प्रबंधन
- ऑटोमेशन/केबीई/पीएलएम पर फोकस के साथ ईपीसी सहित सम्पूर्ण इंजिनीयरिंग समाधान
- कम्पन एवं शोर में कमी
- उच्च तापमान सुपरकंडक्टर्स पर आधारित अनुप्रयोग
- डिसेलिनेशन एवं जल–शोधन संयंत्र
- ईंधन गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियां
- नैनो टेक्टनोलॉजी अनुप्रयोग
- हाइड्रोजन एनर्जी तथा फ्यूल सैल्स

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

1.	कुल	.....	₹ 1113.79 करोड़
क)	आवर्ती	.....	₹ 981.58 करोड़
ख)	पूंजीगत		₹ 132.21 करोड़
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में व्यय	.....	2.76 प्रतिशत

7.3 प्रौद्योगिकी आमेलन एवं व्यय

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिक की विवरण:

प्रौद्योगिकी	आयात वर्ष	आमेलन स्थिति
बड़े आकार की फोर्जिंग	2010	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर है।
सेन्ट्रिफ़्यूगल कम्प्रेसर	2010	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर है।
ईंधन गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियां	2013	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर है।

7.4 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(₹ करोड़ में)

	2013–14	2012–13
(i) प्रयुक्त विदेशी मुद्रा	6758	6982
(ii) अर्जित विदेशी मुद्रा	8778	12357

कृते निदेशक मंडल की ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

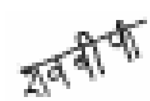

बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 2014

अनुबंध–VIII

कंपनी अधिनियम, 1956 के खंड 212 के अनुपालनार्थ सहायक कंपनी से संबंधित विवरण

	सहायक कंपनी का नाम	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लि.
1	सहायक कंपनी समाप्ति का वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2014
2	सहायक कंपनी बनने की तारीख	19 जनवरी, 2011
3	31 मार्च, 2014 की यथा स्थिति कम्पनी द्वारा धारिता सहायक कम्पनी का शेयर	
	क) संख्या तथा अंकित मूल्य	10/– रुपये प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 5355000 इक्विटी शेयर
	ख) धारिता की मात्रा	51%
4	धारिता कंपनी की सदस्य होने के नाते सहायक कंपनी की कुल लाभ/हानि की राशि	(₹ करोड़ में)
	क) धारिता कंपनी के खातों से संबंधित नहीं	
	i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	(-) 0.54
	ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष तक	(-) 0.47
	धारिता कंपनी के खातों से संबंधित	
	i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य
	ii) धारिता कंपनी की सहायक कंपनी बनने की तारीख से सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्ष के लिए	शून्य

कृते निदेशक मंडल की ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई, 2014

बी. प्रसाद राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबंध–IX

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने इसके साथ संलग्न भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (कंपनी) का 31.03.2014 का तुलन पत्र, इसी तारीख को समाप्त लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सारांश की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और कंपनी के नकद प्रवाह के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के संबंध में कार्पोरेट मामले मंत्रालय के सामान्य परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 के उप अनुच्छेद (3सी) में संदर्भित लेखा मानदंडों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष विवरण प्रदान करता है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संगत आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण का दायित्व शामिल है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करे तथा तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हो।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानदंडों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस संबंध में एक उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और संचालित करें कि क्या ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गड़बड़ी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में संलग्न प्रलेख और वित्तीय विवरण के प्रकटन शामिल रहते हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गड़बड़ी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हुई है, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के वास्ते वित्तीय विवरणों को तैयार करने और स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण के कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो स्थिति अनुरूप उपयुक्त होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं महत्वपूर्ण आकलन तथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किये हैं वह हमारे लेखा परीक्षा मत के लिये आधार उपलब्ध करवाने के लिये पर्याप्त और उचित है।

राय

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ सूचना के अनुसार तथा हमें दिये गये विवरण के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करता है और यह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करता है:

(i) तुलन पत्र की स्थिति में 31 मार्च, 2014 तक के कंपनी के कार्य

(ii) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ के लाभ एवं हानि खाते के मामले में

(iii) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह के नकद प्रवाह विवरण के मामले में

अन्य विधि एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम के खंड 227 के उप खंड (4ए) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनियों (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश ,2003 ("आदेश") के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्देशित मामलों विवरण का अनुलग्नक प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम के खंड 227 (3) के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि:

   क. हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिये आवश्यक

हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमने सभी जानकारियां एवं विवरण प्राप्त कर लिये हैं।

ख. हमारे विचार के अनुसार कंपनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियां रखी हैं जैसा कि हमें इन बहियों की जांच में मिला है और हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिये आवश्यक पर्याप्त जानकारियां प्राप्त हो गई हैं।

ख.ख. शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट जिन्हें अनुच्छेद 228 के अधीन कंपनी से भिन्न लेखा परीक्षक ने लेखापरीक्षित किया है, उन्हें अनुच्छेद 228 के उप अनुचछे 3 के उपबंध ग की अपेक्षा अनुसार हमें अग्रेषित किया गया है और आवश्यक विचारित तरीके से हमारे द्वारा रिपोर्ट तैयार करते समय शामिल कर लिया गया है।

ग. इस रिपोर्ट में हमारे लिये जांचे गए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह, लेखा बहियों और दौरा न की गई शाखाओं से प्राप्त जानकारियों के अनुसार हैं।

घ. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के संबंध में कार्पोरेट मंत्रालय के सामान्य परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

ड़ कंपनी मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) दिनांक 21.10.2003 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (छ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

	कृते वाही एवं गुप्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन 002263एन	कृते एस एन धवन एंड कं0 चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन 000050एन
स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 29 मई, 2014	**(वाई के गुप्ता)** साझेदार सदस्य सं. 016020	**(एस के खट्टर)** साझेदार सदस्यता सं. 084993

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 31 मार्च, 2014 को समाप्त लेखों की समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैरा–1 में यथा उल्लिखित)

i) (क) कंपनी ने सामान्यतः मात्रात्मक विवरण और अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष की अवधि में सभी अचल परिसंपत्तियों को कवर करते हुए निर्धारित एक कार्यक्रम के अधीन चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार स्थाई परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और व्यवसाय स्वरूप के दृष्टिगत समुचित समझा जाता है और वर्ष के दौरान कराए गए सत्यापन में कोई मूर्त विंसगति नही देखी गई। वास्तविक सत्यापन के बिना भारतीय रेलवे में पट्टे पर दिए 65 लोकोमोटिव के संबंध में इन लोकोमोटिव के वास्तविक अधिग्रहण की पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र भारतीय रेलवे पट्टा करार के अनुसार प्राप्त किया गया है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी भी हिस्से का निपटान नहीं किया है।

ii) (क) हमें जैसा स्पष्ट किया गया है, कुछ यूनिटों मे चालू कार्य के भंडार और तैयार माल, जहां ऐसी यूनिटों के उत्पादन योजना विभाग का निरीक्षण तथा उत्पादन रिपोर्टों के संदर्भ में इनका वर्ष के अंत में सत्यापन किया जाता है, को छोड़कर वर्ष के दौरान नियमित अंतरालों पर स्थायी मालसूची कार्यक्रम के अधीन प्रबंधन द्वारा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। संविदाकारों/फैब्रिकेटरों और अन्य पक्षों के पास पड़े हुए स्टाक के संबंध में केवल कुछ मामलों में पुष्टियां प्राप्त हुई थीं। उपयुक्त के अधीन, हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ख) हमारी राय में प्रबंधन द्वारा मालसूची के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई कार्यविधि कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में सामान्यतः उचित और पर्याप्त है।

(ग) मालसूची के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी ने सामान्यतः मालसूची का समुचित रिकार्ड रखा हुआ है और मालसूची के सत्यापन में कंपनी के आकार और कार्य की प्रकृति के संदर्भ में दर्शाई गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं तथा इन्हें कंपनी की लेखा बही में समुचित स्थान दिया गया है।

iii) (क) हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा किसी अन्य पक्षों को रक्षित अथवा आरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार चालू वर्ष के लिए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश पैरा 4 के खंड (iii) (ख) से (iii) (घ) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कम्पनियों अथवा आरक्षित ऋण नही लिया है। तदानुसार चालू वर्ष के लिए कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट), आदेश खण्ड (iii) (च) से (iii) (छ) कम्पनी पर लागू नही है।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय के अनुरूप माल की खरीद और अन्य परिसंपत्तियों तथा सामग्रियों की बिक्री के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि है। इसके अलावा, कंपनी की बहियों एवं रिकार्डों की जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि में किसी बड़ी कमी के संकेत न तो हमें मिलें हैं और न ही किसी से जानकारी प्राप्त हुई है। लेखापरीक्षा के दौरान हमने ऐसा नहीं पाया कि आंतरिक नियंत्रण की किसी बड़ी कमी मे सुधार न किया जा रहा हो।

v) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर

हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में किसी संविदा और प्रबंधन का उल्लेख नहीं है। कंपनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है, जिसे रजिस्टर में दर्ज किए जाने की आवश्यकता है। तदानुसार कंपनी पर आदेश पैराग्राफ–4 के खंड – (अ) (ख) लागू नहीं हैं।

vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 58 क और 58कक अथवा अन्य संगत प्रावधान और उसके अधीन बनाए कंपनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 1975 के अनुसरण के वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और इकाइयों के विभिन्न विभागों में अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग भी है। हमारी राय में कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली व्यापक तौर पर कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।

viii) हमने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(I) (घ) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विद्युत मोटरों, सीमलेस इस्पात ट्यूबों, इलेक्ट्रिक जेनरेटर, पावर ट्रांसफार्मर, विद्युत चालित पम्पों, विंड मिल्स के द्वारा विद्युत उत्पादन, कंट्रोल इंस्ट्रुमेंटेशन और ऑटोमेशन उपस्कर के विनिर्माण के लिए लेखा बही और रिकार्ड की विस्तृत समीक्षा की है और हमारे विचार से प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखा और रिकार्ड तैयार किए गए हैं और उन्हें रखा गया है। लेकिन हमने इन रिकार्डों की इस दृष्टि से की जांच नहीं की है कि जो ठीक और पूरे हैं।

ix) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रस्तुत की गई तथा हमारे द्वारा जांची गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों पर यथा लागू कोई अन्य वास्तविक सांविधिक देयताएं सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को जमा कर रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भुगतान की तारीख से के 6 महीने से अधिक माह की अवधि हेतु 31 मार्च, 2014 को भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धनकर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य. सांविधिक देयता बकाया राशि विवादित नहीं थी। केवल लीबिया में एक मामले को छोड़कर, वहां पर करार के अनुसार आयकर देयताओं का उन्मोचन ग्राहक द्वारा सीधे लीबियाई सरकार के साथ किया जाना ही है। छह महीने से अधिक की बकाया राशि 37.09 करोड़ है जो वित्तीय वर्ष 2008–09 और 2009–10 से संबधित है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जिस बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और उपकर को विवाद के कारण जमा नहीं किया है, वह निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	सांविधि का नाम	देयताओं की प्रकृति	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	विरोध के साथ भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)	मंच, जिसके समक्ष विवाद लंबित है
1	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, कार्य अनुबंध कर अधिनियम, पट्टा कर, प्रवेश कर अधिनियम तथा विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर प्रवेश कर तथा कार्य अनुबंध कर	101.57	37.67	आकलन अधिकारी
			192.49	17.84	उपायुक्त/संयुक्त आयुक्त/आयुक्त (अपील)
			247.42	55.07	अपीलीय अधिकरण
			444.30	59.66	उच्च न्यायालय
			3.43	3.38	उच्चतम न्यायालय
			377.11	21.75	विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी
2	आयकर अधिनियम, 1961	आय कर	0.30	-	अपीलीय अधिकरण
			0.32	-	उच्च न्यायालय
			0.28	-	आयुक्त (अपील)
3	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	52.25	3.29	आयुक्त (अपील)
			332.29	10.09	अपीलीय अधिकरण
			43.25	4.37	उच्च न्यायालय
4	वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन सेवा कर	सेवा कर	55.35	-	आयुक्त (अपील)
			224.74	0.61	अपीलीय अधिकरण
			11.62	-	उच्च न्यायालय
5	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	0.21	0.06	आयुक्त (अपील)
			2.93	2.83	विभिन्न अपीलय प्राधिकरण

x) कंपनी को 31 मार्च, 2014 तक कोई संचित हानि नहीं थी और इसने उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष या उसके तत्काल बाद के वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं उठाई है।

xi) हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा डिबेंचरधारकों को बकाए की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की है। लेकिन कंपनी को चालू वर्ष में बीएचईएल के साथ आमेलित पूर्ववर्ती सहायक कंपनी (भारत हेवी प्लेट्स एवं वैसल्स लिमिटेड) द्वारा जारी ₹ 6.52 करोड़ की राशि के बॉण्डों को (ब्याज सहित) अभी रिडीम करना है।

xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचर तथ अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

xiii) हमारी राय में कंपनी चिट फंड या निधि/म्युचुअल लाभ

फंड / सोसायटी नहीं है। अतः कंपनी पर आदेश के पैराग्राफ 4 के खंड (xiii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xiv) हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में व्यवसाय अथवा व्यापार नहीं कर रही है। तदनुसार, कंपनी पर ऑर्डर के पैरा 4 के खंड (xiv) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं हैं।

xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के असार कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

xvii) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट देते हैं कि अल्पावधि आधार पर ली गई निधि का दीर्घावधि निवेश हेत उपयोग नहीं किया गया है।

xviii) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रख रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

xix) हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी न कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। अतः कंपनी पर आदेश के पैरा 4 के खंड (xix) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xx) वर्ष के दौरान कंपनी ने पब्लिक इश्यु से कोई धन अर्जित नही किया है। अतः कंपनी पर आदेश के पैरा 4 के खंड (xx) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xxi) कंपनी कि बहियों और रिकार्डों की जांच की अवधि में जो कि सामान्यतः भारत में अपनाई जा रही लेखापरीक्षा प्रणालियों तथा हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार है वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया और न ही इसके बारे मे सूचित किया गया।

	कृते वाही एवं गुप्ता चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन 002263एन	कृते एस एन धवन एंड कं0 चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएन 000050एन
स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 29 मई, 2014	**(वाई के गुप्ता)** साझेदार सदस्य सं. 016020	**(एस के खट्टर)** साझेदार सदस्यता सं. 084993

बिंदु संख्या (ix) (ख) पर प्रबंधन का उत्तर : ईको लीबिया के संबंध में, संविदा के अनुसार आयकर की देयता को ग्राहक (इको) द्वारा पूरी की जानी है। इको ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि वे अपनी वचनबद्धता का सम्मान करेंगे और सीधे लीबियाई कर अधिकारियों से संपक्र करेंगे। इसके आगे इको ने वर्ष के दौरान और 2014–15 में इस देनदारी का आंशिक निर्वहन कर दिया है।

गोपनीय

सं/ MAB-III/Rep./01-20/A/cs-BHEL/2014-15/Vol.-III/ 622

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

Indian Audit & Accounts Department
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III
NEW DELHI

दिनांक/Dated: 05 July 2014

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय- 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अग्रेषित कर रही हूं। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीया,

संलग्नः यथोपरि ।

तनुजा मित्तल
(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002
Tel: 23239227, FAX: 23239211 e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक 29 मई, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजातों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित होती है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने का कारण बनती है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए और उसकी ओर से

Tanuj S Mittal

(तनुज एस मित्तल)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड–III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05 जुलाई, 2014

वार्षिक लेखा

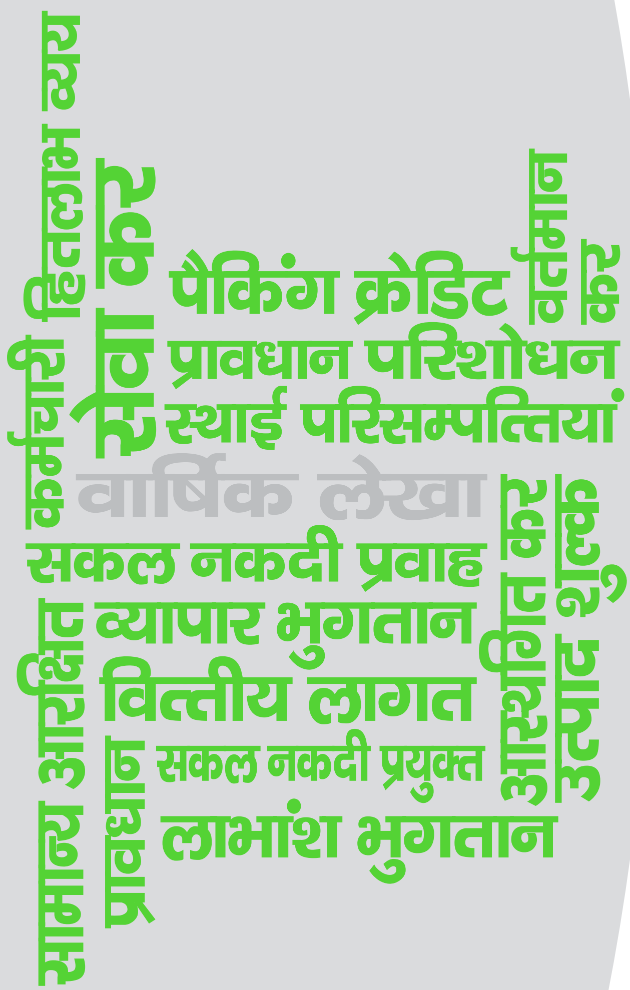

132 वार्षिक लेखा स्टैंडएलोन
181 बीएचईएल–ईएमएल सहायक कंपनी
213 समेकित वित्तीय विवरण

तुलन पत्र

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार (₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2014 को आंकड़े		31.03.2013 को आंकड़े	
I. इक्विटी एवं देनदारियां					
(1) शेयरधारक निधियां					
(क) शेयर पूंजी	1	489.52		489.52	
(ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	32557.53	33047.05	29954.58	30444.10
(2) गैर–चालू देनदारियां					
(क) दीर्घावधि ऋण	3	104.77		129.20	
(ख) अन्य दीर्घावधि देनदारियां	4	6600.17		5789.68	
(ग) दीर्घावधि प्रावधान	5	7496.43	14201.37	5944.02	11862.90
(3) चालू देनदारियां					
(क) लघु अवधि ऋण	6	2550.00		1286.00	
(ख) व्यापार भुगतान	7	8719.02		9675.18	
(ग) अन्य चालू देनदारियां	8	11444.14		13862.37	
(घ) लघु अवधि प्रावधान	9	2829.59	25542.75	2998.11	27821.66
कुल			72791.17		70128.66
II. परिसंपत्तियां					
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियां					
(क) अचल परिसंपत्तियां	10				
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		4525.13		4314.67	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		167.81		143.82	
(iii) पूंजीगत कार्य–प्रगति पर		622.01		1133.51	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		20.11	5335.06	38.08	5630.08
(ख) गैर–चालू निवेश	11	420.17		429.17	
(ग) आस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	12	1968.95		1550.69	
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	1167.14		905.54	
(ङ) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	14	11881.07	15437.33	10653.72	13539.12
(2) चालू परिसंपत्तियां					
(क) मालसूचियां	15	9797.55		11763.82	
(ख) व्यापार प्राप्तियां	16	28071.92		29234.49	
(ग) नकदी एवं बैंक अधिशेष	17	11872.93		7732.05	
(घ) लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	18	2023.86		2029.12	
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	252.52	52018.78	199.98	50959.46
कुल			72791.17		70128.66
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां					
वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य अनुसूचियां	31				

अनुसूची 1 से 31 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तुलनपत्र का अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आई. पी. सिंह)
कंपनी सचिव

(पी. के. बाजपेई)
निदेशक (वित्त)

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050 एन

(एस. के. खट्टर)
साझेदार
सदस्यता सं. 084993

कृते वाही एंड गुप्ता
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–002263एन

(वाई. के. गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 016020

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 मई, 2014

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	अनुसूची सं.		31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े
I.	**प्रचालनों से राजस्व (सकल)**	20		40337.92		50156.48
	घटाएं : उत्पाद शुल्क			1342.26		1904.01
	घटाएं: सेवा कर			606.84		634.80
	प्रचालनों से राजस्व (शुद्ध)			38388.82		47617.67
II.	**अन्य प्रचालन आय**	21		720.01		806.98
III.	**अन्य आय**	22		1616.03		1121.71
	कुल राजस्व (I से III)			40724.86		49546.36
IV.	**व्यय**					
	सामग्री खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय	23		22099.08		27899.37
	प्रगति अधीन कार्य में (वृद्धि)/कमी और तैयार वस्तुएं	24		1057.40		116.21
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	25		5933.78		5752.78
	वित्त लागत	26		132.63		125.27
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	10.1		982.92		953.39
	उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण संबंधी अन्य व्यय	27		3308.50		3776.56
	प्रावधान (शुद्ध)	28		2258.70		1565.77
	घटाएं: आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य की लागत			68.46		75.87
	कुल व्यय			35704.55		40113.48
V.	**पूर्वावधि समायोजन और कर पूर्व लाभ**			5020.31		9432.88
VI.	**जोड़ें/घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)**	29		-6.01		-0.44
VII.	**वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ**			5014.30		9432.44
VIII.	**घटाएं: कर व्यय**	30				
	क) चालू कर		1911.00		2822.15	
	ख) आस्थगित कर		-357.48	1553.52	-4.44	2817.71
IX.	**वर्ष के लिए लाभ**			3460.78		6614.73
	प्रति शेयर आय (मूल एवं मिश्रित) (संदर्भ अनुसूची 31 की बिंदु सं. 20) ₹ में			14.14		27.03
	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹ में)			2.00		2.00
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां					
	वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य अनुसूचियां	31				

अनुसूची 1 से 31 तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तुलनपत्र का अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आई. पी. सिंह)
कंपनी सचिव

(पी. के. बाजपेई)
निदेशक (वित्त)

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050 एन

(एस. के. खट्टर)
साझेदार
सदस्यता सं. 084993

कृते वाही एंड गुप्ता
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–002263एन

(वाई. के. गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 016020

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 मई, 2014

नकदी प्रवाह विवरण

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

		2013-14	2012-13
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	लाभ एवं हानि के विवरण के अनुरूप कर पूर्व निवल लाभ	**5014.30**	**9432.44**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	मूल्यह्रास/परिशोधन	988.95	954.16
	पटटा समकरण	0.51	0.29
	प्रावधान (निवल)	1629.24	423.95
	अशोध्य ऋण एवं बही खाते डाली गई एलडी	70.30	377.26
	स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-0.05	-3.31
	दीर्घावधि निवेशों की बिक्री पर लाभ	0.00	-31.50
	लघु अवधि निवेशों की बिक्री पर लाभ	-0.02	0.00
	वित्त लागत	132.66	125.27
	ब्याज/लाभांश आय	-652.42	-623.95
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**7183.47**	**10654.61**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	व्यापार तथा अन्य प्राप्तियां	-952.82	-4368.69
	मालसूची	1945.06	1788.30
	व्यापार देय तथा अग्रिम	-1526.27	-2971.92
	प्रचालनों से सृजित रोकड़	**6649.44**	**5102.30**
	भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर (शुद्ध वापसी)	-2131.30	-3237.52
	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह/(अंतर्वाह)	**4518.14**	**1864.78**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद राशि**		
	स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	-791.42	-988.52
	स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री और निपटान	121.72	12.72
	लघु अवधि निवेशों की बिक्री एवं निपटान	0.02	0.00
	सहायक एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश की बिक्री	0.00	64.00
	सहायक एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश (निवल)	9.00	0.00
	विलय के अनुरूप समायोजन (टिप्पणी 31 के पैरा नं. 26 का संदर्भ लें)	-108.20	0.00
	ब्याज एवं लाभांश आय	600.81	573.75
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	**168.07**	**338.05**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	लघु अवधि और दीर्घावधि ऋण (निवल)	1233.01	1304.43
	भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	-1315.55	-1648.57
	वित्त लागत	-126.65	-122.52
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	**209.19**	**466.66**
घ.	**नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल बढ़ोतरी/(कमी)**	**4140.88**	**1060.07**
	नकद तथा नकद समतुल्यों का अथशेष	7732.05	6671.98
	नकद तथा नकद समतुल्यों का इतिशेष (संदर्भ टिप्पणी सं. 17)	11872.93	7732.05

नोटः 1 : नकद तथा नकद के समतुल्यों में नकद तथा बैंक अधिशेष एवं बैंकों में जमा राशियां शामिल हैं।
2 : पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है।
3 : नकद तथा नकद समतुल्यों में मनोनीत बैंक खातों में पड़े दावा रहित ₹ 3.87 करोड़ (₹ 3.52 करोड) का लाभांश शामिल है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आई. पी. सिंह)
कंपनी सचिव

(पी. के. बाजपेई)
निदेशक (वित्त)

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050 एन

(एस. के. खट्टर)
साझेदार
सदस्यता सं. 084993

कृते वाही एंड गुप्ता
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–002263एन

(वाई. के. गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 016020

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 मई, 2014

1 – शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े		31.03.2013 को आंकड़े	
प्राधिकृत				
प्रत्येक ₹ 2 के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर्स (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर)		**2000.00**		2000.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		**489.52**		489.52
प्रत्येक ₹ 2 के 244,76,00,000 के पूर्णतः चुकता शेयर ₹ 2 प्रति शेयर (पिदले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 244,76,00,000 शेयर)				
क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान नीचे दर्शाया गया है:				
	संख्या	**राशि**	संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	**2447600000**	**489.52**	2447600000	489.52
वर्ष के दौरान पुनः क्रय किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**2447600000**	**489.52**	2447600000	489.52
ख) वर्ष के अंत में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण	**शेयरों की संख्या**	**शेयरधारिता का %**	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भारत के राष्ट्रपति (पीओआई) एवं नामिती	1543452000	63.06%	1657552000	67.72%
भारतीय जीवन बीमा निगम	242890195	9.92%	141433662	5.78%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		**2.00**		**2.00**

ग) इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/अधिकारः–

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसमें प्रति शेयर ₹ 2 की कीमत है। (पिछले वर्ष ₹ 2 प्रति शेयर)। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए हकदार है।

घ) बीएचईएल की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 4.66 प्रतिशत (11,41,00,000 शेयर) भारत सरकार ने ब्लॉक डील के जरिए 03.03.2014 को भारतीय जीवन बीमा निगम को बेच दिये गये।

2 – प्रारक्षित निधि और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े		31.03.2013 को आंकड़े	
प्रारक्षित पूंजी				
अथशेष	**2.74**		2.74	
जोड़ें: आमेलन के अनुरूप परिवर्धन (टिप्पणी 31 के पैरा सं. 26 का संदर्भ लें)	**0.02**		-	
जोड़ें: आमेलन के अनुरूप परिवर्धन (टिप्पणी 31 के पैरा सं. 26(च) का संदर्भ लें)	**33.80**	**36.56**	-	2.74
सामान्य प्रारक्षित				
अथशेष	**28849.72**		23849.72	
जोड़ें: अधिशेष से अंतरित अर्थात लाभ एवं हानि के विवरण से शेष	**2500.00**		5000.00	
घटाएं: कटौतियां	**-**	**31349.72**	-	28849.72
अधिशेष अर्थात लाभ एवं हानि विवरण से शेष				
अथशेष	**1102.12**		1031.23	
जोड़ें: विलय के अनुरूप 30.09.2011 तक लाभ एवं हानि खाते के डेबिट शेष का समायोजन (टिप्पणी 31 के पैरा सं. 26(j) का संदर्भ लें)	**-278.05**		-	
जोड़ें: 01.10.2011 से 31.03.2013 तक की अविध के दौरान लाभ के लिए समायोजन (टिप्पणी 31 के पैरा सं. 26(j) का संदर्भ लें)	**59.95**		-	
जोड़ें: समामेलन पर कर एवं आस्थगित कर के प्रावधान के लिए समायोजन (टिप्पणी 31 के पैरा सं. 26(j) का संदर्भ लें)	**136.85**		-	
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	**3460.78**		6614.73	
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	**4481.65**		7645.96	
घटाएं: विनियोजन				
– सामान्य प्रारक्षित	**2500.00**		5000.00	
– लाभांश (पिछले वर्ष ₹ 518.89 करोड़ के लाभांश सहित ₹ 665.75 करोड़)	**692.68**		1323.00	
– कॉर्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश पर कर ₹ 54.49 करोड़ सहित, पिछले वर्ष ₹ 84.18 करोड़)	**117.72**	**1171.25**	220.84	1102.12
		32557.53		29954.58
प्रति इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश (₹)		**1.52**		3.29

3 – दीर्घावधि उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2013 को आंकड़े
असुरक्षित		
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	**104.77**	129.20
	104.77	129.20

4 – अन्य दीर्घावधि देनदारियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2013 को आंकड़े
व्यापार देयताएं	**764.91**	756.10
ग्राहकों एवं अन्य से प्राप्त अग्रिम	**5759.88**	4959.23
ठेकेदारों व अन्य से प्राप्त जमा	**75.38**	74.35
	6600.17	5789.68

5 – दीर्घावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2013 को आंकड़े
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान	**2437.96**	2185.47
संविदात्मक दायित्व	**4692.95**	3613.96
अन्य दीर्घावधि प्रावधान	**365.52**	144.59
	7496.43	5944.02

6 – लघु अवधि उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2013 को आंकड़े
प्रारक्षित		
बैंकों से ऋण		
रूपये निर्यात पैकिंग क्रेडिट	**2550.00**	1286.00
(कच्चे माल, अवयवों, प्रगति अधीन कार्य, तैयार वस्तुओं, बुक ऋणों और अन्य चालू परिसंपत्तियां, वर्तमान और भविष्य की दोनों को गिरवी रखकर प्रथम वसूली से प्रारक्षित)		
	2550.00	**1286.00**

7 – व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2013 को आंकड़े
व्यापार देयताएं	**8644.69**	**9600.05**
स्वीकृत बिल	**74.33**	**75.13**
	8719.02	**9675.18**

(सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रकटीकरण के लिए बिंदु सं. 10 नोट 31 के संदर्भ में)

8 – अन्य चालू देनदारियां

₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2013 को आंकड़े
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वताएं	**67.68**	75.24
ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**8902.48**	11261.12
ठेकेदारों और अन्यों से जमा	**538.14**	481.00
विलय के अनुरूप बॉण्डस (टिप्पणी 31 के पैरा नं. 26)	**1.00**	-
अदावाकृत लाभांश*	**3.87**	3.52
अन्य देयताएं/देनदारियां**	**1914.35**	2030.88
ब्याज उपार्जित परंतु देय नहीं	**0.39**	1.15
ब्याज उपार्जित परंतु देय		
विलय के अनुरूप बॉण्डस (टिप्पणी 31 के पैरा नं. 26)	**5.52**	-
रुपये निर्यात पैकिंग क्रेडिट	**2.89**	-
राज्य सरकार के ऋण	**2.33**	2.33
वित्त पट्टा	**5.49**	7.13
	11444.14	13862.37

*ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिमों में मूल्यांकन समायोजन शामिल है:–

– ₹ 4025.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5759.02 करोड़)

*तुलन पत्र की तिथि को कोई राशि देय या बकाया नहीं है क्योंकि राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है।

**कर्मचारियों को देयताएं और वैधानिक देयताएं शामिल

9 – लघु अवधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2013 को आंकड़े
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	**570.10**	488.33
प्रस्तावित लाभांश	**372.04**	804.11
कॉर्पोरेट लाभांश कर	**63.23**	136.66
संविदात्मक दायित्व	**943.86**	1376.02
अन्य लघु अवधि प्रावधान	**880.36**	178.66
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि	**0.00**	14.33
	2829.59	2998.11

10 – अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2013 को आंकड़े
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		
सकल ब्लॉक	**11644.66**	10441.74
घटाएं: संचित मूल्यह्रास	**7122.37**	6130.42
घटाएं: पट्टा समायोजन खाता	**-2.84**	-3.35
शुद्ध ब्लॉक	**4525.13**	4314.67
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		
सकल ब्लॉक	**405.83**	341.52
घटाएं: संचित मूल्यह्रास	**238.02**	197.70
शुद्ध ब्लॉक	**167.81**	143.82
(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य		
निर्माण कार्य प्रगति पर–सिविल	**121.23**	214.65
निर्माण स्टोर्स (ट्रांजिट सहित)	**8.95**	11.27
संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य उपकरण		
– निर्माणाधीन/निर्माण प्रतीक्षारत	**345.80**	630.17
– ट्रांजिट में	**146.03**	277.30
निर्माणाधीन पट्टे पर परिसंपत्तियां	**0.00**	0.12
	622.01	1133.51
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	**20.11**	38.08
	20.11	38.08
कुल	**5335.06**	5630.08
नोट 10.1 में विवरण का संदर्भ लें		

अनुसूची 10.1

स्थाई परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास						शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2013 की लागत	वर्ष के दौरान समायोजन/संयोजन	समामेलन के अनुसरण में संयोजन	वर्ष के दौरान कटौतक/समायोजन	31.03.2014 को लागत	01.04.2013 को संचित/मूल्यह्रास/परिशोधन	समामेलन पर संचित/मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	मूल्यह्रास समायोजन	पट्टा समायोजन लेखा	31.03.2014 को संचित/मूल्यह्रास/परिशोधन	31.03.2014 को	31.03.2013 को
फैक्टरी/कार्यालय काम्पलेक्स													
(i) मूर्त परिसंपत्तियां													
फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	17.81	7.32	0.16		25.29							25.29	17.81
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	6.20	58.82		4.86	60.16	0.41		0.63			1.04	59.12	5.79
सड़कें, पुल और पुंलियां	25.02	2.97	0.25		28.24	5.13	0.18	0.42			5.73	22.51	19.89
भवन	1591.50	205.42	9.62	11.43	1795.11	594.13	8.83	106.20	-9.91		699.25	1095.86	997.37
पट्टाधारित भवन	3.12				3.12	1.39		0.05			1.44	1.68	1.73
जल निकासी, जल–मल निकासी	24.74	4.27	0.44		29.45	11.65	0.38	0.65			12.68	16.77	13.09
रेलवे साइडिंग	16.43	0.09	0.18		16.70	9.07	0.18	0.73			9.98	6.72	7.36
लोकोमोटिव तथा वैगन	44.32	8.10	0.17		52.59	20.86	0.17	2.70			23.73	28.86	23.46
प्लांट तथा मशीनरी	6508.40	738.27	51.02	3.01	7294.68	3991.92	49.26	680.98	2.96		4725.12	2569.56	2516.48
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	142.55	33.10	3.72	3.78	175.59	135.94	3.71	1.70	28.65		170.00	5.59	6.61
विद्युत संस्थापना	299.90	35.41	1.52	0.21	336.62	119.25	1.52	19.99	-0.03		140.73	195.89	180.65
निर्माण उपकरण	247.92	19.82	4.41	6.82	265.33	163.04	4.41	32.59	-6.80		193.24	72.09	84.88
वाहन	18.55	1.59	0.56	0.58	20.12	16.13	0.52	0.55	-0.56		16.64	3.48	2.42
फर्नीचर और फिक्चर्स	51.46	4.21	0.57	0.50	55.74	14.86	0.55	3.81	-0.21		19.01	36.73	36.60
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	169.26	13.47	1.36	1.33	182.76	81.44	1.32	10.83	-0.76		92.83	89.93	87.82
₹ 10,000 तक की स्थायी परिसम्पत्तियां	105.84	8.07	1.53	4.48	110.96	105.84	1.53	8.05	-4.46		110.96	0.00	
पूंजीगत व्यय	0.44				0.44	0.44					0.44		
पट्टे पर दी गई उपकरण	497.15				497.15	493.79				2.84	493.79	6.20	6.71
पट्टे पर ली गई ईडीपी परिसंपत्तियां	400.31	34.37	0.91	39.02	396.57	232.94	0.57	64.08	-36.56		261.03	135.54	167.37
कार्यालय तथा अन्य उपकरण पट्टे पर	3.84	0.33		0.00	4.17	0.74		0.30			1.04	3.13	3.10
पट्टे पर ली गई अन्य परिसंपत्तियां	2.17			0.17	2.00	2.17		0.11	-0.17		2.11	-0.11	
कुल मूर्त परिसंपत्तियां–फैक्टरी	**10176.93**	**1175.65**	**76.42**	**76.19**	**11352.81**	**6001.14**	**73.13**	**934.37**	**-27.85**	**2.84**	**6980.79**	**4374.86**	**4179.14**
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां													
– आंतरिक विकसित													
सॉफ्टवेयर													
अन्य	40.10	19.78			59.88	23.45		11.25			34.70	25.18	16.65
– अन्य													
सॉफ्टवेयर	140.69	10.19	0.59	1.05	150.42	120.30	0.55	12.02	-0.30		132.57	17.85	20.39
तकनीकी जानकारी	151.88	19.40		0.00	171.28	45.10		15.57			60.67	110.61	106.78
अन्य	8.85	15.40			24.25	8.85		1.23			10.08	14.17	
कुल अमूर्त परिसंपत्तियां–फैक्टरी	**341.52**	**64.77**	**0.59**	**1.05**	**405.83**	**197.70**	**0.55**	**40.07**	**-0.30**		**238.02**	**167.81**	**143.82**
फैक्टरी परिसंपत्तियों का कुल जोड़	**10518.45**	**1240.42**	**77.01**	**77.24**	**11758.64**	**6198.84**	**73.68**	**974.44**	**-28.15**	**2.84**	**7218.81**	**4542.67**	**4322.96**

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास						शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2013 की लागत	वर्ष के दौरान समायोजन/ संयोजन	समामेलन के अनुसरण में संयोजन	वर्ष के दौरान कटौतक/ समायोजन	31.03.2014 को लागत	01.04.2013 को संचित/ मूल्यह्रास/ परिशोधन	समामेलन पर संचित/ मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	मूल्यह्रास समायोजन	पट्टा समायोजन लेखा	31.03.2014 को संचित/ मूल्यह्रास/ परिशोधन	31.03.2014 को	31.03.2013 को
टाउनशिप/आवासीय													
मूर्त परिसंपत्तियां													
फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	2.09	0.22	0.08		2.39							2.39	2.09
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	2.04	9.67		0.28	11.43	0.62		0.12	-0.08		0.66	10.77	1.42
सड़कें, पुल, पुलियां	5.68	1.34	0.20		7.22	3.01	0.11	0.09			3.21	4.01	2.67
भवन	171.50	2.14	4.05	0.00	177.69	64.40	3.78	4.18	0.04		72.40	105.29	107.10
पट्टाधारित भवन	0.27			0.00	0.27	0.21		0.06			0.27	0.00	0.06
जल निकासी, जल–मल निकासी	17.36	2.36	0.22	0.00	19.94	14.53	0.19	0.38			15.10	4.84	2.83
प्लांट तथा मशीनरी	19.81	3.95		0.00	23.76	12.56		1.54			14.10	9.66	7.25
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण		0.03			0.03							0.03	
विद्युत संस्थापना	18.53	0.53	0.48		19.54	14.98	0.37	0.53			15.88	3.66	3.55
वाहन	1.07			0.07	1.00	1.02		0.01	-0.07		0.96	0.04	0.05
फर्नीचर और फिक्चर्स	0.94	0.27	0.09	0.00	1.30	0.36	0.09	0.13			0.58	0.72	0.58
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	22.91	1.97	0.14	0.77	24.25	14.98	0.13	1.04	-0.75		15.40	8.85	7.93
₹ 10,000 तक की स्थायी परिसम्पत्तियां	2.61	0.41		0.00	3.02	2.61		0.41			3.02	0.00	
कुल मूर्त परिसम्पत्तियां– टाउनशिप	**264.81**	**22.90**	**5.26**	**1.12**	**291.85**	**129.28**	**4.67**	**8.49**	**-0.86**		**141.58**	**150.27**	**135.53**
टाउनशिप परिसंपत्तियों का कुल जोड़	**264.81**	**22.90**	**5.26**	**1.12**	**291.85**	**129.28**	**4.67**	**8.49**	**-0.86**		**141.58**	**150.27**	**135.53**
मूर्त परिसंपत्तियों का जोड़	**10441.74**	**1198.55**	**81.68**	**77.31**	**11644.66**	**6130.42**	**77.80**	**942.86**	**-28.71**	**2.84**	**7122.37**	**4525.13**	**4314.67**
अमूर्त परिसंपत्तियों का जोड़	**341.52**	**64.77**	**0.59**	**1.05**	**405.83**	**197.70**	**0.55**	**40.07**	**-0.30**		**238.02**	**167.81**	**143.82**
फैक्टरी और टाउनशिप का जोड़	**10783.26**	**1263.32**	**82.27**	**78.36**	**12050.49**	**6328.12**	**78.35**	**982.92**	**-29.01**	**2.84**	**7360.39**	**4692.94**	**4458.49**
पिछला वर्ष	**9706.64**	**1126.22**		**49.60**	**10783.26**	**5413.47**		**953.39**	**-38.74**	**3.35**	**6328.12**	**4458.49**	**4296.81**
ऊपर सम्मिलित आरएंडडी पूंजीगत मदों का विवरण													
संयंत्र एवं मशीनरी और अन्य उपकरण	**435.14**	**49.46**		**1.65**	**482.95**	**266.49**		**36.16**	**-0.25**		**302.40**	**180.55**	**168.65**
भवन	**37.02**	**4.43**			**41.45**	**17.67**		**1.09**			**18.76**	**22.69**	**19.35**

31.03.2014 को सकल ब्लॉक में बेकार और सक्रिय प्रयोग से हटाई गई ₹ 85.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 61.57 करोड़) की परिसंपत्तियां शामिल हैं।

31.03.2014 को सकल ब्लॉक में बेकार और सक्रिय प्रयोग से हटाई गई ₹ 0.02 करोड़ की परिसंपत्तियां शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹ 0.14 करोड़)

सकल ब्लॉक में निष्पादक एजेंसी के रूप में अनुसंधान के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों की लागत शामिल नहीं है यद्यपि, परिसम्पत्तियां कम्पनी से जुड़ी नहीं है।

	2013-14	2012-13
₹ करोड़ में		
	42.04	30.81

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में कोई हानि नहीं हुई।

11 – गैर चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े		31.03.2013 को आंकड़े	
दीर्घावधि निवेश (लागत पर)				
गैर उद्धत शेयर (पूर्णतः प्रदत्त):				
ट्रेडः				
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. के 1892 (पिछला वर्ष 1402) प्रत्येक ₹ 10/– इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 10 प्रत्येक शेयर)	*		*	
एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लि. के 728960 (पिछला वर्ष 728960) प्रत्येक ₹ 10/– इक्विटी शेयर	0.91		0.91	
नीलाचल इस्पात निगम लि. के 5000000 (पिछले वर्ष 5000000) प्रत्येक ₹ 10/– के इक्विटी शेयर	5.00	5.91	5.00	5.91
सहायक कंपनियां				
भारत इलेक्ट्रिकल मशीन लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 5355000 (पिछले वर्ष 5355000) इक्विटी शेयर	5.36	5.36	5.36	5.36
संयुक्त उद्यमी कंपनियाँ				
पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड के ₹ 10/– तक के 1999999 (पिछले वर्ष 1999999) इक्विटी शेयर –	2.00		2.00	
घटाएँः मूल्य में कमी के हेतु प्रावधान	2.00		2.00	
– एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 500000000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 25000000)	50.00		25.00	
– रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 331523312 (पिछले वर्ष 331523312) इक्विटी शेयर।	331.52		331.52	
– दादा धुनीवाले खंडवा पावर लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 22500000 (पिछले वर्ष 2500000) इक्विटी शेयर	22.50		22.50	
– लातुर पावर कंपनी लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 2500000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	2.50		2.50	
– बीएचईएल–जीई गैस टरबाईन सर्विसिज प्रा. लि. के ₹ 10/– प्रत्येक के 2379999 (पिछले वर्ष 2379999) इक्विटी शेयर	2.38	408.90	2.38	383.90
अग्रिम में प्रदत्त शेयर राशि				
भारत हेवी प्लेट एंड वैसल्स लिमिटेड		0.00		34.00
ट्रेड के अलावाः				
बीएचईएल हाउस बिल्डिंग को–ऑपरेटिव सोसाइटी लि. हैदराबाद के 3 (पिछले वर्ष 3) ₹ 100/– प्रत्येक		*		*
बीएचपीवी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि. के प्रत्येक ₹ 10/– के 250 शेयर		*		-
कुफे परेड परसोपोलिस परमिसिस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमि. मुंबई के ₹ 50 प्रत्येक के 10 शेयर		*		-
हिल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि. मुंबई के प्रत्येक ₹ 50 के 20 शेयर		*		-
मैसर्स रीता इंटरप्राइजिज, मुंबई को प्रत्येक ₹ 10 के 50 शेयरों के आबंटन के लिए अग्रिम शेयर राशि का भुगतान		*		-
मैसर्स आशीष इंटरप्राइजिज, मुंबई को प्रत्येक ₹ 10 के 50 शेयरों के आबंटन के लिये अग्रिम शेयर राशि का भुगतान		*		-
* ₹ 1 लाख से कम का मूल्य				
		420.17		429.17
अनुद्धत निवेश का कुल मूल्य		420.17		429.17
निवेशों के मूल्यह्रास में सकल प्रावधान		2.00		2.00

12 – आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2014 को आंकड़े
प्रावधान	**1317.02**	1088.81
वैधानिक देयताएं	**609.47**	484.03
मॉडवैट समायोजन	**50.05**	60.79
अन्य	**40.66**	31.94
	2017.20	1665.57
आस्थगित कर देनदारियां		
अवमूल्यन	**48.25**	114.88
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	**1968.95**	1550.69

13 – दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े		31.03.2013 को आंकड़े	
ऋण				
सहायक कंपनियों को ऋण	**0.00**		234.98	
कर्मचारियों को ऋण	**0.01**		0.01	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण	**8.00**		12.00	
उपार्जित ब्याज और या ऋण पर देय	**0.32**	**8.33**	0.56	247.55
अग्रिम (नकद वसूली योग्य या अन्य प्रकार से या प्राप्त किये जाने वाले मूल्य के लिए)				
क्रय हेतु	**413.29**		113.42	
पूंजी अग्रिम	**36.06**		60.76	
अन्यों को	**58.85**	**508.20**	70.06	244.24
जमा				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष		**55.55**		42.48
अन्य जमाएं		**65.05**		51.22
अग्रिम कर/टीडीएस (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान ₹ 8007.45 करोड़) (पिछले वर्ष ₹ 9268.23 करोड़)		**563.36**		343.06
		1200.49		928.55
घटाएं: प्रावधान		**33.35**		23.01
		1167.14		905.54
उप वर्गीकरण:				
प्रारक्षित, अच्छा माना गया		**8.09**		12.15
अप्रारक्षित, अच्छा माना गया		**1159.05**		893.39
संदेहपूर्ण		**33.35**		23.01
		1200.49		928.55
शामिल:				
अधिकारियों से देय		**0.01**		0.01

14 – अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े		31.03.2013 को आंकड़े	
दीर्घावधि प्राप्तियां	**14858.76**		13036.39	
घटाएं: हानिकारक और संदग्धि ऋण	**2403.35**		1804.84	
घटाएं – स्वतः मूल्य कटौती समायोजन	**574.34**	**11881.07**	577.83	10653.72
		11881.07		10653.72
उप वर्गीकरण: लघु अवधि व्यापार प्राप्तियां				
प्रारक्षित, अच्छा माना गया		**-**		-
अप्रारक्षित, अच्छा माना गया		**11881.07**		10653.73
संदेहपूर्ण		**2977.69**		2382.67
		14858.76		13036.39
दीर्घावधि व्यापार प्राप्तियों में आस्थगित ऋण ₹ 11619.96 करोड (पिछले वर्ष ₹ 9859.62 करोड़) शामिल है।				

15 – मालसूचियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े		31.03.2013 को आंकड़े	
कच्चा माल तथा संघटक	**3702.96**		4489.12	
मार्गस्थ सामग्री	**593.50**	**4296.46**	664.73	5153.85
प्रगति पर कार्य		**3009.87**		4188.19
(उप–ठेकेदारों के साथ वस्तुओं सहित)				
तैयार माल	**1498.52**		1358.14	
मार्गस्थ अन्तर–प्रभाग अन्तरण में	**295.84**	**1794.36**	297.06	1655.20
स्टोर्स एवं हिस्से पुर्जे				
उत्पादन	**210.35**		238.85	
ईंधन स्टोर्स	**17.06**		23.94	
विविध	**47.46**	**274.87**	45.20	307.99
फ़ैब्रिकेटर्स/ठेकेदारों के पास सामग्री		**197.34**		234.94
खुले औज़ार		**31.14**		44.36
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)		**65.47**		63.42
अचल मालसूची	**214.78**		170.64	
घटाएं: अचल मालसूची हेतु प्रावधान	**86.74**	**128.04**	54.77	115.87
		9797.55		11763.82

मूल्यांकन की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 9 के संदर्भ में

16 – व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2014 को आंकड़े
छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	**15015.42**	11631.09
अन्य ऋण	**14248.31**	18604.19
	29263.73	30235.28
घटाएं : बुरे और संदेहपूर्ण ऋणों एवं स्वतः मूल्य कमी समायोजन हेतु प्रावधान	**1191.81**	1000.79
	28071.92	29234.49
व्यापार प्राप्तियों में आस्थगित ऋण शामिल हैं		
– ₹ 6327.62 करोड (पिछले वर्ष ₹ 7220.91 करोड़)		
व्यापार प्राप्तियों में वितरित वस्तुओं के लंबित बिल शामिल हैं		
– ₹ 1328.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1705.16 करोड़)		
मूल्य समायोजन सहित व्यापार प्राप्तियां –		
– ₹ 1342.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1274.42 करोड़)		
व्यापार प्राप्तियों का विवरण :		
प्रारक्षित, अच्छा माना गया	**-**	-
अप्रारक्षित, अच्छा माना गया	**28071.92**	29234.49
संदेहपूर्ण	**1191.81**	1000.79
	29263.73	30235.28

17 – रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2014 को आंकड़े
नकदी एवं नकदी समकक्ष		
बैंकों में अधिशेष*	**2383.66**	2562.47
चैक, डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में	**185.54**	418.47
नकदी और स्टैम्प के रूप में	**0.94**	1.11
पारगमन में प्रेषण	**0.06**	0.00
अन्य बैंक अधिशेष		
सावधि जमा जिनकी परिपक्वता 3 माह से अधिक और 12 माह से कम है	**9302.73**	4750.00
	11872.93	7732.05
***सम्मिलित**		
अदावाकृत लाभांश के तहत चिन्हित्	**3.87**	3.52
गैर प्रत्यावर्तनीय खाते	**5.87**	13.16

18 – लघु अवधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े		31.03.2013 को आंकड़े	
ऋण				
कर्मचारियों को ऋण	**0.02**		0.02	
ऋण पर जारी सामग्री	**0.00**		9.74	
अन्य को ऋण	**0.00**		0.01	
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण	**8.00**		4.00	
अर्जित ब्याज और या ऋण पर देय	**1.95**	**9.97**	2.64	16.41
अग्रिम (नकद प्राप्तियां या किसी अन्य प्रकार या मूल्य के रूप में प्राप्त)				
सहायक कंपनियों को	**0.51**		0.55	
कर्मचारियों को	**39.68**		31.07	
क्रय के लिए	**505.78**		695.56	
अन्य के लिए	**1046.82**	**1592.79**	940.91	1668.09
जमा				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष		**436.82**		336.71
अन्य		**86.86**		60.24
		2126.44		2081.45
घटाएंः संदेहपूर्ण ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		**102.58**		52.33
		2023.86		2029.12
ऋणों और अग्रिमों का विवरणः–				
प्रारक्षित, अच्छा माना गया		**8.14**		6.19
अप्रारक्षित, अच्छा माना गया		**2015.72**		2022.93
संदेहपूर्ण		**102.58**		52.33
		2126.44		2081.45
शामिलः				
अधिकारियों से देय		**0.15**		0.11

19 – अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2013 को आंकड़े
बैंक जमाओं और निवेशों पर अर्जित ब्याज	**252.52**	199.98
	252.52	199.98

20 – प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

		31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़े
बिक्री घटा वापसी (सकल)		**33136.29**		42893.34
बाहरी निर्माण और अन्य सेवाओं से आय और वर्क्स ठेकों से राजस्व		**7201.63**		7263.14
		40337.92		50156.48
टिप्पणी सं. 31 के बिंदु सं. 29ए का संदर्भ लें				

21 – अन्य प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	
निर्यात प्रोत्साहन		**27.04**		24.26
पट्टे पर परिसंपत्तियों से किराये की आय	**0.93**		0.93	
लीज इक्वेलाइजेशन अकाउंट	**-0.51**	**0.42**	-0.29	0.64
स्क्रैप की बिक्री		**284.88**		283.35
बिक्री/अधिशेष के स्थानांतरण से प्राप्ति		**0.05**		0.07
अन्य		**407.62**		498.66
		720.01		806.98

22 – अन्य आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़े
क. अन्य आय				
दीर्घावधि निवेशों की बिक्री से लाभ		**-**		31.50
लघु अवधि निवेश की बिक्री से लाभ		**0.02**		-
अचल परिसंपत्तियों एवं पूंजीगत भण्डारों की बिक्री से लाभ (सकल)		**0.05**		3.31
लाभांश		**21.38**		19.00
विनिमय अंतर प्राप्ति (निवल)		**658.78**		143.38
अन्य अनुसन्धान एवं विकास परियोजना पर भारत सरकार से प्राप्त शून्य (गत वर्ष ₹ 0.33 करोड) अनुदान सहित		**304.76**		319.57
	कुल (क)	**984.99**		516.76
ख. ब्याज आय*				
ग्राहकों से		**0.09**		0.03
बैंकों से		**613.85**		534.41
अन्य		**17.10**		70.51
	कुल (ख)	**631.04**		604.95
*टीडीएस ₹ 60.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 56.08 करोड़)				
कुल अन्य आय	कुल (क+ख)	**1616.03**		1121.71

23 – सामग्री की खपत, संस्थापना और इंजीनियरी व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़े
कच्चे माल और संघटकों की खपत*	**17137.51**	23043.84
भंडार और पुर्ज़ों की खपत	**569.19**	583.89
निर्माण तथा इंजीनियरी व्यय – अंशदाताओं को भुगतान	**4392.38**	4271.64
	22099.08	27899.37

*टिप्पणी सं. 31 के बिंदु सं. 29 एफ का संदर्भ लें

24 – प्रगति अधीन कार्य एवं तैयार माल में वृद्धि/(कमी)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	
कार्य प्रगति पर				
अंतः शेष	**3009.94**		4188.13	
प्रारंभिक शेष	**4188.13**		4821.13	
घटाएं: आमेल पर स्टॉक समायोजन	**13.29**	**-1191.48**		-633.00
तैयार माल				
अंतः शेष	**1498.80**		1359.89	
प्रारंभिक शेष	**1359.89**		952.42	
घटाएं: आमेल पर स्टॉक समायोजन	**1.11**	**137.80**		407.47
अंतर प्रभागीय अंतरण		**-3.72**		109.32
टिप्पणी:		**-1057.40**		-116.21
तैयार माल में उत्पाद शुल्क का तत्व				
अंतः शेष		**130.62**		126.49
प्रारंभिक शेष		**126.49**		99.97

25 – कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़े
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ	**5019.40**	4856.50
उपदान निधि में अंशदान	**107.13**	142.09
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**328.32**	297.60
समूह बीमा	**10.56**	11.77
कर्मचारी कल्याण व्यय	**468.37**	444.82
	5933.78	5752.78

26 – वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़े
ब्याज व्यय	**103.90**	42.39
आयकर पर ब्याज	**4.47**	-
अन्य ऋण लागत	**24.26**	82.88
	132.63	125.27
घटाएं: पूंजीकृत ऋण लागत	**-**	-
	132.63	125.27

27 – उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण पर अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़े
रॉयल्टी, तकनीकी प्रलेखीकरण, निवासी परामर्शदाता प्रभार और अन्य परामर्श प्रभार	**134.03**	124.10
किराया	**81.95**	84.79
उत्पाद शुल्क	**285.61**	307.14
बिजली और ईंधन	**603.52**	555.78
दरें और कर	**74.75**	71.42
सेवा कर	**8.25**	13.22
बीमा	**119.34**	125.79
मरम्मत:		
भवन	**84.04**	95.59
प्लांट तथा मशीनरी	**44.56**	37.83
अन्य	**135.40**	152.36
निर्यात से संबंधितं अन्य व्यय	**23.30**	28.28
बट्टाकृत हानियां	**0.05**	1.06
बट्टाकृत अशोध्य ऋण	**8.58**	28.12
बाह्य ढुलाई प्रभार	**382.40**	573.44
यात्रा और वाहन	**186.78**	197.45
विविध व्यय	**1027.67**	994.12
प्रभारित किये गये निर्णीत हर्ज़ाने	**61.67**	348.08
दान	**0.06**	0.03
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास पर व्यय	**46.54**	37.96
	3308.50	3776.56

25 – प्रावधान (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	
सन्दिग्ध ऋण, निर्णीत हर्ज़ाने तथा ऋण और अग्रिम				
वर्ष के दौरान सृजित	**1469.92**		1195.88	
घटाएँ : वर्ष के दौरान पुरांकित	**713.85**	**756.07**	819.55	376.33
संविदात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	**1116.95**		1786.05	
घटाएँ : वर्ष के दौरान पुरांकित	**487.49**	**629.46**	644.23	1141.82
अन्य				
वर्ष के दौरान सृजित	**947.14**		86.87	
घटाएँ : वर्ष के दौरान पुरांकित	**73.97**	**873.17**	39.25	47.62
		2258.70		1565.77

29 – पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	
आय				
प्रतिफल रहित बिक्री	**0.00**		1.97	
अन्य आय	**0.03**	**0.03**	0.12	2.09
व्यय				
उप ठेकेदारों को भुगतान	**0.14**		0.06	
कच्चा माल तथा संघटकों की खपत	**0.40**		0.47	
मूल्यह्रास	**6.03**		0.77	
ब्याज लागत	**0.03**		0.00	
विविध व्यय	**-0.56**	**6.04**	1.23	2.53
		-6.01		-0.44

30 – कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के लिए आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आंकड़े	
क) वर्तमान कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	**1899.95**		3042.00	
पूर्व वर्ष के लिये	**11.05**	**1911.00**	-219.85	2822.15
ख) आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)				
चालू वर्ष के लिए	**-315.10**		-163.26	
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए	**-42.38**	**-357.48**	158.82	-4.44
		1553.52		2817.71

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्रोद्भवन विधि तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी द्वारा निरंतर किया जा रहा है।

2. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और कल्पनाएं करना अपेक्षित होता है जो रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय और वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक देयताओं सहित देनदारियों और परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम सामने आते हैं।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां (राज्य से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि से भिन्न) अधिग्रहण या निर्माण अथवा संग्रहित मूल्यह्रास को घटाकर बही मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं।

लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या बाजार कीमत, जो भी कम हो, में लिए गए पूंजीगत कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/ऋणों के संबंध में अवमूल्यन/पुर्नमूल्यन जैसी असाधारण घटनाओं के प्रभाव को लागत में जोड़ा/घटाया जाता है।

राज्य सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि का मूल्य ₹ 1 लगाया गया है, सिवाए इसके कि वह 16 जुलाई, 1969 के पश्चात् न अधिग्रहित की गई हो, क्योंकि उस मामले में यह भूमि संबद्ध राज्य सरकार से पूंजी प्रारक्षित निधि में समतुल्य जमा द्वारा अधिग्रहण मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

3. पट्टे

वित्तीय पट्टा

क) (i) 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां सामान्य विक्रय मूल्य/उचित मूल्य/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत की जाती हैं और उन्हें बिक्री के रूप में माना जाता है।

उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण नीति के अनुसार समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होता है। पट्टा किराए पर समतुल्य प्रभार पट्टा समकरण लेखा द्वारा तैयार किया जाता है।

वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

(ii) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को सामान्य विक्रय मूल्य/उचित मूल्य/एनपीवी पर बिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें पट्टा शुरू होने पर खर्च कर दी जाती है।

ख) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को उचित मूल्य/एनपीवी/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण नीति के अनुसार समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। यदि पट्टा परिसंपत्तियां, पट्टा अवधि समाप्त होने पर पट्टादाता को वापस करनी है तो उनकी उपयोगी अवधि या पट्टा अवधि, जो भी अल्प हो, के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है।

किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों से संबद्ध वित्त प्रभारों एवं बकाया देयता की कमी, में विभाजित कर दिया जाता है।

प्रचालन पट्टा

क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां पूंजीकृत की जाती हैं। उनसे होने वाली पट्टा आय को पट्टा अवधि में हुई आय माना जाता है।

ख) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में हुआ व्यय माना जाता है।

4. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

क. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियो को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है, अगर

(क) यह संभाव्य हो कि भविष्य में परिसंपत्ति के कारण होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा, और

(ख) कंपनी का परिसंपत्तियों पर नियंत्रण होगा, और

(ग) इन परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है और ₹ 10,000 से अधिक है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि में सीधी रेखा यथानुपात मासिक आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर के मामले में तीन वर्षों और अन्य के मामले में दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

ख.

(क) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को होने वाले वर्ष में लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक के अनुसार मानदंड पूरी करने वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास चरण के दौरान व्यय सहित विकास पर किए गए व्यय को अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

(ग) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागतें

उधार लागतें, जो अर्हक परिसंपत्तियों के विनिर्माण, अधिग्रहण या निर्माण पर व्यय की जाती हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में शामिल की जाती हैं।

अर्हक परिसंपत्ति वह होती है जो अभिप्रेत उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से बारह महीने से अधिक का समय लेती है।

अन्य उधार लागतों को उस अवधि का व्यय माना जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

6. मूल्यह्रास

(i) स्थायी परिसंपत्तियों (संविदा के अधीन विदेशों में प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यह्रास, उसे छोड़कर जहां मूल्यह्रास, तकनीकी रूप से आकलित अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाता है, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–XIV में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी–रेखा विधि पर परिसंपत्तियों की कुल लागत तक प्रभारित किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है–

	एकल पाली	दोहरी पाली	तिहरी पाली
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	8%	12%	16%
स्वचालित/ अर्ध–स्वचालित मशीनें	10%	15%	20%
स्थापना उपकरण, पूंजीगत औजार तथा साज–सामान	20%		
टाउनशिप बिल्डिंगें			
– द्वितीय श्रेणी	2.5%		
– तृतीय श्रेणी	3.5%		
रेलवे साइडिंग	8%		
लोकोमोटिव तथा वैगन	8%		
विद्युतीय संस्थापनाएं	8%		
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	8%		
ड्रेनेज, सीवरेज तथा अन्य जल आपूर्ति	3.34%		
इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	20%		

स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि/से कटौती के मामले में मूल्यह्रास प्रभार, यथानुपात मासिक आधार पर होता है–

(ii) दीर्घावधिक संविदाओं के अनुसरण में भारत से बाहर प्रयुक्त स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रारंभिक संविदा की अवधि के दौरान होता है।

(iii) ₹ 10,000 या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा उन परिसंपत्तियों, जिनका ह्रासित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में ₹ 10,000 या कम है, का पूर्णतः मूल्यह्रास होता है। जहां तक, टाउनशिप भवनों का प्रश्न है, वहां प्रति मकान की लागत ₹ 10,000 की सीमा के लिए आधार है।

(iv) निर्माण/परियोजना स्थल पर सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत संविदा अवधि में पूर्णतः परिशोधित

की जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंगें, विद्युतीय संस्थापनाओं और इस प्रकार के अन्य समर्थकारी कार्यों (पूर्णतः अस्थायी निर्माण, लकड़ी के कार्य को छोड़कर) पर अवशिष्ट मूल्य के रूप में 10 प्रतिशत प्रतिधारित करते हुए उन्हें मूल्यह्रासित किया जाता है।

(v) लकड़ी के ढांचों जैसे पूर्णतः अस्थायी निर्माण कार्यों पर निर्माण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

(vi) पट्टाधारित भूमि और भवनों को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्यह्रास उनकी उपयोगी अवधि अथवा पट्टे की अवधि जो भी कम हो, में होता है।

8. निवेश

(i) दीर्घावधि निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, ऐसे निवेशों में गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए व्यवस्था की जाती है।

(ii) चालू निवेश लागत या उद्धृत/उचित मूल्य, जो भी कम है, पर किए जाते हैं। अउद्धृत चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं।

(iii) निवेश की लागत में अधिग्रहण प्रभार जैसे, दलाली, शुल्क तथा ड्यूटी शामिल है।

मौजूदा राशि में यदि कोई कमी होती है या किसी की पूर्ति होती है तो उसे लाभ और हानि में लेखा प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

9. मालसूची मूल्यांकन

(i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(ii) गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑग्जिलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सैटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेटों के संयंत्रों में तैयार माल तथा जारी कार्यों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या वसूली योग्य मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(iii) संयंत्र में तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का अर्थ कारखाना लागत है, वास्तविक/ अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।

(iv) कच्चे माल, संघटकों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारांकित औसत लागत है।

(v) क) 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए–

जहां संविदा की लागत के वर्तमान अनुमान और विक्रय मूल्य हानि दर्शाते हैं, वहां ऐसी संविदा के लिए प्रत्याशित हानि को तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है, चाहे कार्य शुरू हो गया है या नहीं।

ख) अन्य सभी संविदाओं के लिए–

जहां किसी संविदा का भाग होने वाली पृथक रूप से अभिज्ञात परियोजना की लागत और विक्रय मूल्य संबंधी वर्तमान अनुमान हानि दर्शाता है, वहां ऐसी परियोजना के संबंध में, जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है, प्रत्याशित हानि को मान्यता दी जाती है।

(ग) प्रत्याशित हानि निर्धारण में प्राप्त कुल आय पर विचार किया जाता है, जिसमें निर्यातों/माने गए निर्यातों पर प्रोत्साहन भी शामिल होते हैं।

(vi) उत्पादन आर्डरों के लिए खरीद/विनिर्मित संघटकों और अन्य सामग्रियों, जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया हो, को तकनीकी अनुमानों के आधार पर अवशिष्ट मूल्य प्रतिधारित करते हुए राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

9. राजस्व मान्यता

ग्राहक के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर बिक्री को दर्ज किया जाता है। बिक्री के अंतर्गत आंशिक शिपमेंट द्वारा ग्राहक को प्रेषित किया गया माल आता है।

क. 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए

राजस्व को संविदा की कुल अनुमानित लागत पर सूचना तिथि तक व्यय की गई वास्तविक लागत की प्रतिशतता पर आधारित प्रतिशतता समापन विधि से मान्यता दी जाती है।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिए

(i) लम्बे उत्पादन चक्र वाली मदों (गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑग्जिलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेट) के संबंध में बिक्री राजस्व को मान्यता तकनीकी अनुमानों पर दी जाती है। जब शिपमेंट

का कुल मूल्य प्राप्णीय मूल्य का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो उन पर प्राप्णीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत या प्राप्णीय मूल्य न होने पर, उद्धृत मूल्य पर विचार किया जाता है। अन्यथा, उन पर वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या प्राप्णीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, विचार किया जाता है। शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा के अधीन आपूर्ति पूरी हो जाने पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) निर्माण और परियोजना प्रबंध सेवाओं को निम्नलिखित आधार पर मान्यता दी जाती है–

पूर्णता की प्रतिशतता, अथवा

अंतर्भूत मूल्य की गणना संविदा मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा समाप्त होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(iii) प्रदान की गई इंजीनियरिंग सेवाओं से प्राप्त आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर प्राप्णीय मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(iv) बीएचईएल में निर्माण न किए गए उपस्करों/प्रणालियों और सिविल कार्यों की आपूर्ति/निर्माण से प्राप्त आय की मान्यता ग्राहकों को किए गए प्रेषणों/परियोजना स्थल पर किए गए कार्यों पर आधारित होती है।

11. विदेशी मुद्रा लेन–देन के लिए लेखाकरण

विदेशी मुद्रा लेन–देनों को लेन–देनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विनिमय दरो पर रूपांतरित किया जाता है। लेन–देनों के निपटान और मौद्रिक मदों के रूपांतरण पर उत्पन्न हुए विनिमय अंतर को उस वर्ष जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, में आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

12. अभिन्न विदेशी प्रचालनों के वित्तीय विवरणों का रूपांतरण:

(i) आय और व्यय की मदें, मूल्यह्रास, जिसे समतुल्य अचल परिसंपत्तियों के लिए अपनाई गई दरों पर परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर औसत दर पर रूपांतरित की जाती हैं।

(ii) मौद्रिक मदें इतिशेष दर पर रूपांतरित की जाती हैं, ऐतिहासिक लागत पर लाई गई गैर–मौद्रिक मदें रूपांतरण की तारीख को लागू दरों पर रूपांतरित की जाती हैं, उचित मूल्य पर लाई गई गैर–मौद्रिक मदें, उन विनिमय दरों, जो मूल्य निर्धारित करने के समय मौजूद थी, पर रूपांतरित की जाती हैं।

(iii) रूपांतरणों की सभी भिन्नताओं को लाभ और हानि लेखे में लाया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंशदान को प्रोद्भवन आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावे और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है। बीमांकिक देयता कर्मचारियों के संदर्भ में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में निर्धारित की जाती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति होने वाले वर्ष में यथानुपात मासिक आधार पर प्रभारित की जाती है।

14. कंपनी द्वारा/के विरुद्ध दावे

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेन–देनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आकलन के आधार पर लेखे में माना जाता है।

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क की वापसी और बीमा के लिए दावे आदि प्राप्ति पर लेखे में लिए जाते हैं।

(iii) मूल्य वृद्धि दावे और/अथवा संविदा कार्य के परिवर्तनों के संबंध में देय राशियों को केवल तभी राजस्व के रूप में माना जाता है जब संविदाओं से ऐसे दावों अथवा भिन्नताओं की शर्तें हों और/अथवा ग्राहकों से उसकी स्वीकार्यता का साक्ष्य हो। तथापि वृद्धि आंतरिक मूल्य तक प्रतिबंधित होती है।

15. वारंटियों के प्रावधान

(i) 1.04.2003 को या उसके बाद किए गए निर्माण संविदाओं के लिए :

संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान परीक्षण प्रचालन समाप्त होने पर संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है।

(ii) अन्य सभी संविदाओं के लिए: वर्ष के अंत में वारंटी के अंतर्गत संविदाओं के लिए संविदात्मक दायित्वों का प्रावधान संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर

अनुरक्षित किया जाता है। एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति वाली संविदाओं के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(iii) सुधार कार्य पर वारंटी के दावे/व्यय को जब भी व्यय किया जाता है, प्राथमिक शीर्ष के अधीन लेखांकन किया जाता है और वर्ष के अंत में प्रावधानों पर प्रभारित किया जाता है।

16. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब उनकी वसूली की उचित निश्चितता हो। अचल मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध अनुदानों को संगत परिसंपत्तियों की सकल लागत के अधीन समायोजित किया जाता है, जबकि गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध को पूंजी प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है। राजस्व सबद्ध अनुदान जब तक व्यय/हानियों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं किए जाते, तब तक उन्हें उस अवधि, जिससे वे राजस्व की समतुल्य लागत के सिद्धांत पर संबद्ध हैं, राजस्व के रूप में माना जाता है।

गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में अनुदानों को अधिग्रहण की लागत पर अथवा नॉमिनल मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है, अगर वे निःशुल्क प्राप्त होते हैं।

17. आय पर कर

चालू कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य आय पर किया जाता है। आस्थगित कर देया/परिसंपत्ति लेखाकरण आय और कर योग्य आय के बीच समयांतर के परिणामस्वरूप कर का निर्धारण लागू दर पर और बाद में कार्यान्वित कानून को ध्यान में रखते हुए विचारित किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की गणना केवल तभी आगे उस स्थिति में की जाती है कि इस बात की न्यायोचित निश्चितता है कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों के तहत उपलब्ध होगी। गैर विलयकृत अवमूल्यन के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्यिां और आगे अग्रेषित हानियां को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ऐसी वास्तविक स्थिति हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के वास्तविकीकरण के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

18. हानि

जब कभी हानि के संकेत होते हैं प्रत्येक तुलन पत्र पर नकदी सृजन इकाइयों की राशि की समीक्षाा की जाती है। इम्पेअरमेंट हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब अग्रेषित राशि नकदी सृजन इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होता है तो इम्पेयरमेंट हानि को रिवर्स कर दिया जाता है और ऐसी हानि अधिक समय नहीं रहती अथवा घट जाती है।

19. खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग कंपनी की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप होती है। खण्डों में राजस्व और व्यय की पहचान खण्ड की प्रचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर की जाती है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं, जो कि एक औचित्यपूर्ण तौर पर खण्ड के लिए बांटने लायक नहीं है, उन्हें ''गैर–आबंटित राजस्व/व्यय/परिसंपत्तियां/देनदारियां के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

31 – लेखा विवरणों पर अन्य टिप्पणियां

क्र. सं.	विवरण			2013-2014	2012-2013
1	पूंजी एवं अन्य प्रतिबद्धताएं				
	क)	अग्रिम को छोड़कर संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजीगत खाते में निष्पादित किया जाता है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया जा सकता	₹ करोड़ में	**327.92**	323.89
		उपरोक्त में अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण शामिल है।	₹ करोड़ में	**9.80**	1.65
	ख)	संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश जिसके लिये कंपनी पर उसके निगमन/परियोजना/परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन/प्रथम ईपीसी संविदा के पूर्ण होने, जो भी मामला हो, से पांच वर्ष के लिये उनके निपटान के लिये प्रतिबंध है।	₹ करोड़ में	**406.50**	381.25
	ग)	सहायक कंपनियों में निवेश जिनके लिये कंपनी पर उनके निपटान के लिये संविदा के पंजीकरण के उपरांत प्रथम चार वर्ष के लिये निपटान पर प्रतिबंध है (19.01.2011)	₹ करोड़ में	**5.36**	5.36
	घ)	संयुक्त उद्यम कंपनी में भविष्य के निवेश के प्रति वचनबद्धता	₹ करोड़ में	**137.50**	25.00
	ङ)	व्यवसाय की प्रकृति के मद्देनजर, दीर्घावधि निर्माण संविदाएं होने से सामग्री आदि की खरीद के लिये अन्य वचनबद्धता हो सकती है जिसे सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के तौर पर विचारित किया गया है, अतः प्रकटन नहीं किया गया है।			
2	भूमि तथा भवन में शामिल हैं				
	क) (i)	एकड़ भूमि जिसके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	एकड़	**8939.61**	8462.27
		उक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़ में	**79.17**	5.36
	(ii)	फ़्लैटों की संख्या, जिनके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	संख्या	**12**	12
		उक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़ में	**1.51**	1.55
	(iii)	भवनों की संख्या, जिनके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	संख्या	**1**	1
		उक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़ में	**5.07**	5.21
	(iv)	एकड़ भूमि जिसके लिए भुगतान किया गया है, वह अनंतिम है पंजीकरण प्रभार तथा स्टाम्प शुल्क (पहले से ही किए गए प्रावधान को घटाकर) यदि कोई है तो उसे भुगतान के समय हिसाब में लिया जाएगा	एकड़	**528.18**	51.52
		उक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़ में	**70.98**	0.87
	ख)	एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभागों तथा अन्य को छोड़कर लीज़ पर दी गई है	एकड़	**30.60**	31.27
	ग)	एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय को उपर्युक्त के लिये दी गई है जिसके लिये लाइसेंस रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है	एकड़	**180.00**	180.00
	घ)	एकड़ भूमि गलत कब्जे/अतिक्रमण में है	एकड़	**598.78**	527.94

	ङ)	363.85 एकड़ भूमि हरिद्वार में म्यूटेशन के लिये लंबितं है (उपरोक्त 2(ख), (ग), (घ), और (ङ) में वर्णित भूमि की कीमत मैटीरियल नहीं है)			
3		प्रत्येक ₹ 10,000 तक की अचल संपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास देने पर लाभ में प्रमाण इस प्रकार है जहाँ पर पूर्व पूर्व वर्षों में ऐसे ब्याज को विचार में नहीं लिया जाएगा			
		लेखा वर्ष में ₹ 10,000 की परिसंपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास को छोड़ दिया (चार्ज ऑफ़)	₹ करोड़ में	**10.59**	11.40
		उपर्युक्त पर सामान्य मूल्यह्रास	₹ करोड़ में	**3.21**	3.33
		अधिक राशि प्रभारित की गई	₹ करोड़ में	**7.38**	8.07
4		प्रचालन से राजस्व			
	i)	क. इसमें अंतरिम मूल्य पर आधारित शामिल है	₹ करोड़ में	**154.02**	261.87
		ख. इसमें विक्रय संविदा के अनुसार किए गए दावे में वृद्धि प्रोद्भूत आधार पर, जहाँ तक नवीनतम सूचियाँ उपलब्ध हैं;	₹ करोड़ में	**1673.94**	2136.62
		ग. इसमें ग्राहक के अनुरोध पर उनकी ओर से रोके गए उन उपकरणों की डिस्पैच शामिल है, जिसके लिए कंपनी को भुगतान प्राप्त हो चुका है; और	₹ करोड़ में	**36.22**	151.55
		घ. इसमें संविदा की शर्त के अनुसार डिलीवरी में देरी के लिए मूल्य में कमी शामिल नहीं है (रिफ़ंड को छोड़कर) शामिल नहीं हैं	₹ करोड़ में	**57.66**	201.19
	ii)	सामान के स्पैच पर अनुमानित निर्यात अनुबंधों पर टर्मिनल आबकारी कर की गणना की गई है। दावों/बीमादावों को अर्ज कराने पर निर्यात सब्सिडी/ड्यूटी ड्राबैक दावा स्वीकरण पर आधारित है।			
5		आकस्मिक देयताएं:			
		कंपनी के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है:			
	i)	क आयकर लम्बित अपीलें	₹ करोड़ में	**0.90**	34.05
		ख विरोध स्वरूप किया गया भुगतान, जिन्हें ''जमा अन्य'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
	ii)	क. बिक्री कर मांग	₹ करोड़ में	**1343.70**	876.47
		ख. विरोध स्वरूप किया गया भुगतान जिसे ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़ में	**190.51**	121.85
	iii)	क. उत्पाद शुल्क मांगें	₹ करोड़ में	**489.55**	333.56
		ख. विरोध स्वरूप किया गया भुगतान जिसे ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़ में	**17.75**	8.52
	iv)	क. सीमा शुल्क मांग	₹ करोड़ में	**3.14**	0.21
		ख. विरोध स्वरूप किया गया भुगतान जिसे ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल किया गया है।	₹ करोड़ में	**2.89**	0.06
	v)	न्यायालय एवं मध्यस्थ मामले	₹ करोड़ में	**1033.88**	726.38
	vi)	क. निर्णीत हर्जाने	₹ करोड़ में	**4347.41**	3376.67
		ख. क में शामिल एलडी हेतु ग्राहक द्वारा काटी गई राशि	₹ करोड़ में	**2672.49**	2004.98

vii)	ठेकेदारों द्वारा प्रति दावे	₹ करोड़ में	**0.77**	0.61
viii)	क. सेवा कर मांग	₹ करोड़ में	**291.71**	165.41
	ख. जिनका भुगतान विरोधस्वरूप किया गया	₹ करोड़ में	**0.61**	0.01
ix)	अन्य	₹ करोड़ में	**65.31**	56.54
x)	सहायक कंपनी की ओर से दी गई कॉरपोरेट गारंटी	₹ करोड़ में	**0.00**	6.56

(विभिन्न न्यायालय मामले और मुकदमों तथा कंपनी द्वारा विवादित दावों को ध्यान में रखते हुए इस चरण पर संसाधनों के आउटफ्लो पर वित्तीय प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।)

6 क) बैंकों से ₹ 5000 करोड़ (गत वर्ष ₹ 5000 करोड़) की नकद ऋण सीमा तथा कच्चे माल, उपकरण, चालू कार्य, तैयार माल, स्टोर्स, बही ऋण तथा वर्तमान तथा वर्तमान एवं माली व चालू परिसंपत्तियों को गिरवी के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा बैंकों के संघ द्वारा स्वीकृत ₹ 50000 करोड़ (गत वर्ष ₹ 50,000 करोड़) की बैंक गारंटी/ऋण सीमा पत्र के संबंध में कंपनी की प्रति गारंटी/क्षतिपूर्ति देयताएं रक्षित हैं। 31.03.2014 को बकाया बैंक गारंटियां ₹ 45007 (गत वर्ष ₹ 41786 करोड़) है।

ख) 31.03.2014 को कॉर्पोरेट बैंक गारंटी ₹ 3312.07 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4717.71 करोड़) है।

7 अन्य देयताओं में 1990–91 तक सरकार के निर्देश पर कंपनी द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में सरकार द्वारा मांगी गई गारंटी फीस के लिए ₹ 100.51 (गत वर्ष ₹ 100.51 करोड़) की राशि शामिल है। इससे छूट लेने के लिए सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है क्योंकि जिस समय ऋण लिया गया था (सरकार द्वारा गारंटीड) उस समय ऐसी गारंटी फीस के लिए कोई शर्त नहीं थी। बीएचईएल के 05.09.2013 के पत्र द्वारा गारंटी फीस से छूट के लिए भारी उद्योग विभाग से फिर अनुरोध किया गया है।

8 एमोरफॉस सिलिकॉन सोलर सैल प्लांट (एएसएससीपी) गुड़गांव को 1 अप्रैल, 1999 को अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय से 30 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है। अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय से ऑपचारिक लीज करार अभी निश्चित किया जाना है।

9 दीर्घावधि व्यापार प्राप्यिों, व्यापार प्राप्तियों, व्यापार भगतानों, ठेकेदार के अग्रिम जमा तथा उप ठेकेदार/फेब्रिकेटर के पास पड़े स्टाक/सामग्री के तहत दर्शाए गये अधिशेष पुष्टि, पुनर्मिलान एवं परिणामी समायोजन के अधीन है। समाधान सतत् आधार पर किये जाते हैं क्योंकि कंपनी दीर्घावधि निर्माण संविदाओं और प्रावधानों के व्यवसाय में है और जहां भी आवश्यक समझे गए हैं प्रावधान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

10	सूक्ष्म तथा लघु उद्यम से संबंधित प्रकटन		**2013-14**	**2012-13**
	लेखा वर्ष के अंत में कुल बकाया	₹ करोड़ में	**173.92**	503.30
i)	लेखा वर्ष के अंत में कुल बकाया	₹ करोड़ में	**173.85**	492.83
ii)	लेखावर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल धन पर ब्याज	₹ करोड़ में	**0.07**	10.47
iii)	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ प्रदत्त ब्याज की राशि	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
iv)	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित धारा 18 के संदर्भ में प्रदत्त ब्याज की राशि	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
v)	भुगतान में विलम्ब की अवधि के लिए देयताएं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज की राशि बिना जोड़े	₹ करोड़ में	**0.38**	5.67
vi)	वर्ष के दौरान उद्भूत ब्याज की राशि जो वर्ष के अंत में अप्रदत्त रही	₹ करोड़ में	**0.45**	8.07
vii)	आगामी वर्ष में बकाया एवं अतिरिक्त ब्याज उस तारीख तक जब ब्याज की उपर्युक्त बकाया राशि लघु उद्योग को वास्तव में कटौती योग्य खर्च के रूप में डिसअलाउंस के उद्देश्य के लिए अदा की गई।	₹ करोड़ में	**0.45**	10.14

11 क) लेखांकन मानक–7 (संशोधित) की अपेक्षाओं के अनुसार 01.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओ के संबंध में प्रकटन इस प्रकार है :–

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2012-13
संविदा वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त संविदा राजस्व	**33109.49**	41925.55
वर्ष के अंत में चल रही संविदा के संबंध में:		
खर्च की लागत एवं मान्यता प्राप्त लाभ (मान्यता प्राप्त हानि को घटाकर)	**240459.04**	207339.17
प्राप्त अग्रिम की राशि	**7949.11**	7899.17
प्रतिधारण की राशि (आस्थागित ऋण)	**19009.06**	16845.57
ग्राहकों से बकाया राशि के संबंध में		
परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों द्वारा देय सकल राशि	**2903.39**	2678.10
देयता के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों को देय सकल राशि	**2161.35**	2648.75
आकस्मिक	**-**	-

ख) लेखांकन मानक (एएस)–7 (आर) निर्माण संविदाओं के अनुसार 1 अप्रैल, 2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के संबंध में कुल लागतों और कुल राजस्व का परिकलन की समीक्षा की जाती है और राजस्व मान्यता के लिए पूर्ति प्रतिशत निर्धारित करने हेतु उनको आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है। लेकिन अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव की मात्र का पता लगाना अव्यवहारिकता है।

12 तिशरीन सीरियाई परियोजना स्थल, लीबियाई परियोजना स्थल, अफगानिस्तान, वियतनाम, बेलारूस में चल रही परियोजना को नोएडा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में रखे गए अलेखापरीक्षित लेखों के आधार पर समेकित किया गया है।

13 वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर किए गए खर्च का विवरण जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2एबी) के अधीन कटौती योग्य है।

			2013-14	2012-13
क.	अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय			
	भूमि	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
	भवन	₹ करोड़ में	**4.43**	0.53
	संयंत्र एवं मशीनरी तथा अन्य उपस्कर	₹ करोड़ में	**49.05**	66.89
	कुल पूंजी व्यय	₹ करोड़ में	**53.48**	67.42
ख.	अनुसंधान एवं विकास पर राजस्व खर्च			
	वेतन एवं मजदूरी	₹ करोड़ में	**198.56**	187.56
	उपभोग्य सामग्री/स्पेयर्स	₹ करोड़ में	**24.83**	24.74
	निर्माण एवं अन्य खर्चे (आय का निवल)	₹ करोड़ में	**79.01**	65.64
	कुल राजस्व व्यय(आय का निवल)	₹ करोड़ में	**302.40**	277.94

14 व्युत्पन्न लिखतों से संबंधित प्रकटन:

क) व्युत्पन्न लिखत जो 31.03.2014 को रक्षित और बकाया है वह शून्य (गत वर्ष शून्य) है।

ख) विदेशी मुद्रा जिन्हें व्युत्पन्न लिखतों या अन्यथा रक्षित नहीं किया जाता है, वे इस प्रकार हैं :

क) परिसंपत्तियाँ/प्राप्तव्य

		2013-14	2012-13
विदेशी मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	करोड़ में	**69.75**	62.53
यूरो में	करोड़ में	**57.05**	60.61
एलवाईडी में	करोड़ में	**0.83**	0.88
आरओ में	करोड़ में	**0.03**	0.03
भारतीय मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़ में	**4136.82**	3372.99
यूरो में	₹ करोड़ में	**4635.44**	4160.17
एलवाईडी में	₹ करोड़ में	**39.75**	37.17
आरओ में	₹ करोड़ में	**5.24**	4.78
अन्य में	₹ करोड़ में	**32.20**	35.19
ख) देयताएं			
विदेशी मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	करोड़ में	**26.53**	36.21
यूरो में	करोड़ में	**18.84**	32.62
एलवाईडी में	करोड़ में	**1.42**	1.42
भारतीय मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़ में	**1607.18**	1987.81
यूरो में	₹ करोड़ में	**1575.57**	2297.00
एलवाईडी में	₹ करोड़ में	**69.36**	61.00
अन्य में	₹ करोड़ में	**210.24**	151.22

(₹ करोड़ में)

15 निदेशकों को प्रदत्त/देय पारिश्रमिक (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित)*	2013-14	2012-13
वेतन एवं भत्ते	**2.39**	2.12
भविष्य निधि में अंशदान	**0.11**	0.12
ग्रेच्यूटी में अंशदान	**0.33**	0.09
अन्य	**0.19**	0.23

*उपर्युक्तराशि में भुगतान के आधार पर छुट्टी नकदीकरण शामिल हैं, लेकिन समूह बीमा प्रीमियम शामिल नहीं है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों को ड्यूटी एवं गैर–ड्यूटी यात्राओं के लिये स्टाफ़ कार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित राशि की वसूली के आधार पर गैर–ड्यूटी यात्रा की सीमा 1000 कि. मी. प्रति माह है। आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार कार के उपयोग हेतु, अनुलब्धियों मौद्रिक परिकलित किया जाये तो उसकी राशि ₹ 0.02 करोड़ (पूर्व वर्ष में ₹ 0.02 करोड़) होगी।

(₹ करोड़ में)

16 क) विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर खर्च का विवरण इस प्रकार हैं:	2013-14	2012-13
प्लांट एवं मशीनरी	**186.64**	192.06
भवन	**56.41**	58.97

	अन्य	**51.13**	31.30
ख)	निर्यात के सम्बन्ध में खर्चों में शामिल निर्यात पर एजेन्सी कमीशन	**11.15**	18.55
ग)	अनुसन्धान एवं विकास पर खर्च	**311.38**	337.18
घ)	आवासीय किराया	**50.96**	59.12
ड)	लेखापरीक्षकों को भुगतान (सेवा कर का निवल)		
	लेखापरीक्षा फ़ीस	**0.52**	0.50
	इसमें विदेश में किया गया भुगतान शामिल है	**0.02**	0.01
	व्यय की प्रतिपूति	**0.15**	0.16
	आयकर मामलें (प्रमाणन सहित)	**0.14**	0.12
	इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल	**0.02**	0.00
	अन्य सेवाएं	**0.35**	0.33
च)	लागत लेखापरीक्षकों का भुगतान	**0.12**	0.12
छ)	आतिथ्य पर व्यय	**7.41**	8.27
ज)	विदेशी यात्रा पर व्यय		
	दौरों की संख्या	**734**	891
	रुपये में व्यय	**15.82**	19.46
झ)	प्रचार एवं जनसम्पर्क वेतन भत्तों		
	एवं अन्य लाभों पर व्यय	**11.96**	11.47
	अन्य व्यय	**17.52**	15.00
ञ)	निदेशकों की फीस	**0.08**	0.12

17 एएस–15 (आर) से संबधित प्रकटन–कर्मचारी लाभ

क) उपदान योजना

भावी भुगतानों के कारण उपदान देयता पैदा हुई है, जिसका भुगतान सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या आहरण की दशा में करना अपेक्षित होता है। देयता का अनुमान प्रदर्शित इकाई क्रेडिट बीमांकक पद्धति के आधार पर किया गया है। वर्ष की समाप्ति पर परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य के प्रारम्भिक एवं अंत शेषों का समाधान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

1	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**2013-14**	**2012-13**
क)	प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1872.92**	1828.21
ख)	अधिग्रहण समायोजन	**-**	-
ग)	ब्याज लागत	**149.83**	146.26
घ)	पूर्व सेवा लागत	**-**	-
ङ)	वर्तमान सेवा लागत	**92.28**	86.86
च)	कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
छ)	निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
ज)	अदा किया गया लाभ	**-241.55**	-246.85
झ)	बीमांकिक (लाभ)/हानि	**30.79**	58.45
ञ)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1904.28**	1872.92

2	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क)	प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	**1872.92**	1828.21
ख)	अधिग्रहण समायोजना	**-**	-
ग)	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**159.20**	155.40
घ)	अंशदान	**-**	-
ङ)	अदा किए गए लाभ	**-241.55**	-246.85
च)	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**-6.15**	-5.92
छ)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1784.42**	1730.83
3	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
क)	प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	**1872.92**	1828.21
ख)	अधिग्रहण समायोजना	**-**	-
ग)	योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**153.05**	149.48
घ)	अंशदान	**-**	-
ङ)	अदा किए गए लाभ	**-241.55**	-246.85
च)	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**1784.42**	1730.83
छ)	वित्तपोषित स्थिति	**-119.86**	-142.09
ज)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का अनुमानित से अधिक	**-6.15**	-5.92
4	माना गया बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) दायित्व	**-30.79**	-58.45
ख)	अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ/(हानि) – योजना परिसंपत्तियां	**6.15**	5.92
ग)	वर्ष के लिए (लाभ)/हानि	**36.94**	64.37
घ)	अवधि के लिए माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**36.94**	64.37
ङ)	अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
5	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई राशि		
क)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1904.28**	1872.92
ख)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1784.42**	1730.83
ग)	वित्तपोषण की स्थिति	**-119.86**	-142.09
घ)	अनुमानित के स्थान पर वास्तविक से अधिक	**-6.15**	-5.92
ङ)	न माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
	घटाएंः समामेलन के अनुसरण में	**-12.60**	
च)	तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**-107.26**	-142.09
6	लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय		
क)	वर्तमान सेवा लागत	**92.28**	86.86
ख)	सेवा उपरांत लागत	**-**	-
ग)	ब्याज लागत	**149.83**	146.26
घ)	योजना परिसंपत्तियों से अपेक्षित रिटर्न	**-159.20**	-155.40
ड़)	कटौती लागत/(जमा)	**-**	-

	च) निपटान लागत/(जमा)	-	-
	छ) अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**36.94**	64.37
	ज) उलट देनदारियों का समायोजन	**12.72**	-
	झ) लाभ और हानि से विवरण में माना गया व्यय	**107.13**	142.09

पूर्वानुमान–बट्टा दर – 8.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.00 प्रतिशत), भावी वेतन वृद्धि 6.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6.00 प्रतिशत), योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर – 8.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.50 प्रतिशत)

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (₹ करोड़ में)

1	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**2013-14**	**2012-13**
	क) प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1222.20**	1069.10
	ख) अधिग्रहण समायोजन	**0.00**	0.00
	ग) ब्याज लागत	**97.78**	85.53
	घ) पूर्व सेवा लागत	**0.00**	0.00
	ङ) वर्तमान सेवा लागत	**23.40**	21.32
	च) कटौती लागत/(जमा)	**0.00**	0.00
	छ) निपटान लागत/(जमा)	**0.00**	0.00
	ज) अदा किया गया लाभ	**-68.80**	-63.66
	झ) बीमांकिक (लाभ)/हानि	**85.87**	109.91
	ञ) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1360.44**	1222.20
2	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	-	-
3	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
	वित्तपोषित स्थिति	**-1360.44**	-1222.20
4	माना गया बीमांकिक लाभ/हानि		
	क) अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) दायित्व	**-85.87**	-109.91
	ख) अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ/हानि) – योजना परिसंपत्तियां	-	-
	ग) वर्ष के लिये कुल (लाभ)/हानि	**85.87**	109.91
	घ) अवधि में मानी गई बीमांकिक (लाभ)/हानि	**85.87**	109.91
	ङ) अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
5	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि वितरण में मानी गई राशि		
	क) वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1360.44**	1222.20
	ख) वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों/(दायित्व) का उचित मूल्य	-	-
	ग) वित्तपोषण की स्थिति	**-1360.44**	-1222.20
	घ) तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**-1360.44**	-1222.20
6	लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय		
	क) वर्तमान सेवा लागत	**23.40**	21.32
	ख) ब्याज लागत	**97.78**	85.53

ग)	अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**85.87**	109.91
घ)	लाभ और हानि के विवरण में माना गया व्यय	**207.04**	216.75

ग) दीर्घावधि छुट्‌टी देयता (नकदीकरण योग्य छुट्‌टी/गैर–नकदीकरण योग्य छुट्‌टी /अर्धवेतन छुट्‌टी)

कंपनी कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्द्ध वेतन छुट्‌टी का लाभ उपलब्ध कराती है जो कि अर्द्ध वार्षिक रूप से क्रमशः 15 दिन (अधिकतम) और 10 दिन जमा होती हैं। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का 73.33 प्रतिशत नकदीकरण योग्य है और सेवानिवृत्ति के समय यह 300 दिन है। अर्द्ध वेतन छुट्‌टी 50 वर्ष की आयु के ऊपर विमुक्त होने पर अधिकतम 480 दिनों की कुल सीमा के अधीन नकदीकरण योग्य होती है। अवकाश देयता को दीर्घ अवधि लाभ माना गया है और प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट बीमांकिक पद्वति का उपयोग करते हुए उसका निर्धारण किया गया है।

(₹ करोड़ में)

1	दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**2013-14**	**2012-13**
क)	प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1174.31**	1199.22
ख)	अधिग्रहण समायोजन	**-**	-
ग)	ब्याज लागत	**93.95**	95.94
घ)	पूर्व सेवा लागत	**-**	-
ङ)	वर्तमान सेवा लागत	**48.75**	40.58
च)	कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
छ)	निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
ज)	अदा किया गया लाभ	**-256.00**	-335.00
झ)	बीमांकिक (लाभ)/हानि	**267.61**	173.57
ट)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1328.62**	1174.31
2	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
क)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-
ख)	अधिग्रहण समायोजन	**-**	-
ग)	योजना परिसंपत्तियों से अपेक्षित रिटर्न	**-**	-
घ)	अंशदान	**-**	-
ड़)	भुगतान किया गया लाभ	**-**	-
च)	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
छ)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**-**	-
3	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
क)	प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-
ख)	अधिग्रहण समायोजना	**-**	-
ग)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**-**	-
घ)	अंशदान	**-**	-
ङ)	अदा किए गए लाभ	**-**	-
च)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-

छ)	वित्तपोषित स्थिति	**-1328.62**	-1174.31
ज)	योजना परिसंपत्तियों की अनुमानित वापसी से ऊपर वास्तविक अधिकता	-	-
4	माना गया बीमांकिक लाभ/हानि		
क)	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) दायित्व	**-267.61**	-173.57
ख)	अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ/(हानि) – योजना परिसंपत्तियां	**-**	-
ग)	वर्ष के लिए (लाभ)/हानि	**267.61**	173.57
घ)	अवधि के लिए माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**267.61**	173.57
ङ)	अवधि के अंत में नहीं माना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
5	तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में मानी गई राशि		
क)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1328.62**	1174.31
ख)	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	-
ग)	वित्तपोषण की स्थिति	**-1328.62**	-1174.31
घ)	अनुमानित के स्थान पर वास्तविक से अधिक	**-**	-
ङ)	न माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**-**	-
च)	तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता)	**-1328.62**	-1174.31
6	लाभ और हानि विवरण में माना गया व्यय		
क)	वर्तमान सेवा लागत	**48.75**	40.58
ख)	पूर्व सेवा लागत	**-**	-
ग)	ब्याज लागत	**93.95**	95.94
घ)	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी	**-**	-
ङ)	कटौती लागत/(जमा)	**-**	-
च)	निपटान लागत/(जमा)	**-**	-
छ)	अवधि में माना गया निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**267.61**	173.57
ज)	लाभ और हानि के विवरण में माना गया व्यय	**410.31**	310.09

घ) कंपनी ने यूनिटों/क्षेत्रों के पीएफ ट्रस्टों के संबंध में भविष्य निधि का बीमांकिक मूल्यांकन कराया है। बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण–पत्र के अनुसार संभावित ब्याज में कमी की प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा पीएफ ट्रस्ट को की जानी है, जिसका लेखाओं में प्रावधान किया गया है।

वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित पीएफ ब्याज देनदारी में कमी हेतु प्रावधान (निकासी) किया गया।	₹ करोड़ में	**-10.39**	-2.95
बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित पीएफ ब्याज देयता में कमी हेतु संचयी प्रावधान	₹ करोड़ में	**18.80**	29.19

18 संबद्ध पार्टियों के साथ लेन–देनः

i) संबद्ध पार्टियां, जहाँ नियंत्रण मौजूद है (संयुक्त उद्यम):

पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड

बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड

एनटीपीसी–बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड

लातूर पावर कंपनी लिमिटेड

ii) अन्य संबद्ध पार्टियां (मुख्य प्रबन्धन कार्मिक – कार्यात्मक निदेशक मौजूदा और सेवानिवृत्त)

सर्वश्री बी. पी. राव, अतुल सराया (30.11.2013 तक), ओ. पी. भुटानी (31.05.2013 तक), एम. के. दुबे (31.07.2013 तक), पी. के. बाजपेई, आर कृष्णनन, डब्ल्यू. वी. के. कृष्णाशंकर (01.08.2013 से) और अबुल सोबती (01.12.2013 से)

iii) लेन–देन का ब्यौरा

संयुक्त उद्यम		2013-14	2012-13
वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री	₹ करोड़ में	39.96	86.70
माल एवं सेवाओं की बिक्री	₹ करोड़ में	1982.39	2757.14
सेवाएँ प्राप्त करना	₹ करोड़ में	40.60	0.00
सेवाएँ प्रदान करना	₹ करोड़ में	289.86	303.63
लाभांश आय	₹ करोड़ में	16.90	16.66
रॉयल्टी आय	₹ करोड़ में	1.29	0.90
शेयरों की खरीद	₹ करोड़ में	25.00	0.00
शेयरों की बिक्री	₹ करोड़ में	0.00	64.00
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशियाँ	₹ करोड़ में	1034.17	978.18
वर्ष के अंत में बीएचईएल से देय राशि (अग्रिमों सहित)	₹ करोड़ में	466.79	588.65
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	₹ करोड़ में	10.81	4.39
दिए गए अग्रिम	₹ करोड़ में	0.81	2.20
नोटः प्रमुख लेन–देन बीजीजीटीस, एनबीपीपीएल और रायचूर पावर कॉपोरेशन लि. के साथ है।			
प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी (केएमपी)			
वेतन का भुगतान	₹ करोड़ में	3.02	2.53
केएमपी के संबंधी			
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	₹ करोड़ में	0.01	0.01
वेतन का भुगतान	₹ करोड़ में	0.24	0.25

19 पट्टा

1 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद वित्त पट्टा पर ली गई परिसंपत्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं–

i) वित्तीय पट्टाः		2013-14	2012-13
क. न्यूनतम पट्टा भुगतानों का बकाया शेष			
एक वर्ष से अधिक नहीं	₹ करोड़ में	83.67	90.12

	एक वर्ष से अधिक किंतु पाँच वर्ष तक	₹ करोड़ में	**121.43**	150.43
	पाँच वर्ष से अधिक	₹ करोड़ में	**0.23**	0.00
	तुलन पत्र तिथि को कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	₹ करोड़ में	**205.34**	240.55
ख.	उक्त (क) का वर्तमान मूल्य			
	एक वर्ष से अधिक नहीं	₹ करोड़ में	**67.68**	75.24
	एक वर्ष से अधिक, किंतु पाँच वर्ष तक	₹ करोड़ में	**104.56**	129.20
	पाँच वर्ष से अधिक	₹ करोड़ में	**0.20**	0.00
	तुलन पत्र की तारीख को कुल वर्तमान मूल्य	₹ करोड़ में	**172.45**	204.44
ग.1	वित्त प्रभार	₹ करोड़ में	**32.89**	36.11
ग.2	अवशिष्ट मूल्य, यदि कोई है, तो उसका वर्तमान मूल्य	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00

ii) कंपनी में कर्मचारियों के लिए मकानों, कार्यालय भवनों और ईडीपी उपस्करों को रद्द करने योग्य तथा रद्द न करने योग्य प्रचालन पट्टे पर लेने की परंपरा है।

iii)

प्रचालन पट्टा		**2013-14**	**2012-13**
रद्द न करने योग्य प्रचालन पट्टे के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है:			
एक वर्ष तक	₹ करोड़ में	**1.47**	1.94
एक वर्ष से अधिक किंतु पाँच वर्ष तक	₹ करोड़ में	**1.95**	2.43
पांच वर्ष से अधिक	₹ करोड़ में	**4.15**	4.40

iv) 1.4.2001 से पहले पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के किराये के विवरण नीचे दिए गए हैं:

परिसंपत्तियों की लागत			
भूमि तथा भवन	₹ करोड़ में	**0.01**	0.01
कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
पट्टे की असमाप्त अवधि पर देय किराया			
भूमि तथा भवन	₹ करोड़ में	**0.02**	0.02
कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00

20 प्रति शेयर अर्जन:

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (क)	संख्या करोड़ में	**244.760**	244.760
इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य	(₹)	**2.00**	2.00
वर्ष के लिए वित्त लाभ (ख)	₹ करोड़ में	**3460.78**	6614.73
प्रति शेयर मूल एवं विलयित अर्जन (ख)/(क)	(₹)	**14.14**	27.03

21 संयुक्त उद्यम

भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन स्टैंडर्ड 27 के अनुपालन में संयुक्त उद्यमों कें संबध में संगत प्रकटन इस प्रकार है :

			2013-14	2012-13
क)	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात	
	पॉवर प्लांट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लिमि.	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम
	बीएचईएल–जीईई गैस टर्बाइन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	भारत		
	एनटीपीसी–बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50%	50%
	लातूर पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	50%	50%
	रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	36.49%	42.73%
	दादा धूनीवाले खंडवा पूावर लिमिटेड लिमिटेड	भारत	49.99%	49.99%

ख) पॉवर प्लांट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लिमि. में निवेश उद्यमों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया गया है, और इक्विटी के साथ में प्रदत्त राशि वसूली योग्य नहीं है।

ग) लेखों के अनुसार संयक्त उद्यमों में कंपनी की कुल ब्याज राशि निम्नलिखित है।

बीएचईएल–जीईई गैस टरबाईन सर्विसेज प्रा. लि. (₹ करोड़ में)

	2013-14	2012-13
गैर चालू परिसंपत्तियां	**10.86**	6.99
निवल चालू परिसंपत्तियां	**86.17**	72.42
गैर चालू देनदारियां	**4.10**	3.45
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**3.87**	2.73
शेयरधारकों की निधियाँ	**96.80**	78.69
आय	**399.04**	413.55
व्यय	**341.92**	353.10
आकस्मिक देयताएँ	**2.66**	2.53
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**0.41**	2.97

एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (₹ करोड़ में)

	2013-14	2012-13
गैर चालू परिसंपत्तियां	**57.22**	35.96
निवल चालू परिसंपत्तियां	**13.00**	3.36
गैर चालू देनदारियां	**6.18**	4.97
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**2.09**	1.63
शेयरधारकों की निधियाँ	**66.13**	35.99
आय	**42.88**	57.33

व्यय	**34.98**	53.61
आकस्मिक देयताएँ	**37.75**	0.00
पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**17.13**	28.85

(₹ करोड़ में)

रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लि.	**2013-14**	**2012-13**
गैर चालू परिसंपत्तियां	**2397.69**	1676.19
निवल चालू परिसंपत्तियां	**-195.81**	-215.74
गैर चालू देनदारियां	**1856.97**	1111.07
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**0.00**	0.00
शेयरधारकों की निधियाँ	**331.52**	331.52
आय	**0.50**	0.00
व्यय	**162.73**	80.15

2012–13 के आंकड़े अनकेंक्षित वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं।

(₹ करोड़ में)

दादा धूनीवाले खंडवा पॉवर लिमिटेड	**2013-14**	**2012-13**
गैर चालू परिसंपत्तियां	**8.20**	19.87
निवल चालू परिसंपत्तियां	**14.79**	3.01
गैर चालू देनदारियां	**0.12**	0.00
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.00
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**0.00**	0.00
शेयरधारकों की निधियाँ	**22.87**	22.89
आय	**0.00**	0.38
व्यय	**0.00**	0.00
आकस्मिक देनदारियां	**1.93**	1.93

2013–14 के आंकड़े अनकेंक्षित हैं।

(₹ करोड़ में)

लातुर पावर कॉर्पोरेशन लिमि.	**2013-14**	**2012-13**
गैर चालू परिसंपत्तियां	**0.00**	0.00
निवल चालू परिसंपत्तियां	**2.59**	2.44
गैर चालू देनदारियां	**0.00**	0.00
बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय	**0.00**	0.30
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	**0.00**	0.00

शेयरधारकों की निधियाँ	**2.59**	2.74
आय	**0.23**	0.21
व्यय	**0.02**	0.01
आकस्मिक देयताएं	**0.00**	0.00
पूंजी वचनबद्धता	**0.00**	0.00

2013–14 के आंकड़े अनकेंक्षित वित्तीय परिणामों पर आधारित हैं।

22 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के अनुसार कंपनी द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का उचित ब्यौरा नीचे दिया गया है–

i) सहायक कंपनी के संबंध में (₹ करोड़ में)

बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड	**2013-14**	**2012-13**
ऋण के रूप में ऋण तथा अग्रिमों की बकाया राशि	**0.00**	0.00
वर्ष के दौरान ऋण के रूप में ऋण तथा अग्रिमों की अधिकतम बकाया राशि	**0.00**	1.70

ii) कोई भी ऋण (कर्मचारियों को दिए गए ऋणों को छोड़कर) नहीं दिया गया है जिनमें कोई वापसी भुगतान समय–अनुसूची अथवा सात वर्षों के बाद वापसी भुगतान नहीं हैं, और

iii) फ़र्मों/कंपनियों, जिनमें निदेशकों का हित है, को ऋणों की प्रकृति का कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

23 लेखाकरण मानक–29 से संबंधित प्रकटन (₹ करोड़ में)

	2013-14	**2012-13**
क) **निर्णीत हर्जाना**		
प्रारंभिक	**1320.46**	1137.44
जोड़ें: आमेल के अनुरूप समायोजन (संदर्भ टिप्पणी 31 का पैरा 26)	**39.61**	
परिवर्धन	**697.84**	649.42
उपयोग/बट्टा खाते/भुगतान	**-61.67**	-348.08
निकासी/समायोजन	**-267.47**	-118.32
अंतिम शेष	**1728.77**	1320.46
संविदगत दायित्व		
प्रारंभिक	**4989.97**	3850.91
जोड़ें: आमेल के अनुरूप समायोजन (संदर्भ टिप्पणी 31 का पैरा 26)	**6.87**	
परिवर्धन	**1116.95**	1786.05
उपयोग/बट्टा खाते/भुगतान	**-133.39**	-154.31
राशि, निकाली/समायोजन	**-343.59**	-492.68
अंतिम शेष	**5636.81**	4989.97

ख) निर्णीत हर्जाना कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुरूप प्रदान किया जाता है और भुगतान के समय अथवा अन्यथा उचितरूप से विचार किया जाता है। निर्णीत हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयता अनुसूची–31 की टिप्पणी सं. 5 में दर्शाई गई है।

ग) संविदात्मक दायित्व के लिए प्रावधान संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वारंटी के दायित्व की पूर्ति के लिए महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 15 अनुसूची के अनुरूप संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर पर किया जाता है। उसे संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा हाने तक प्रतिधारित किया जाता है। वास्तविक वारंटी दायित्व संबंधित संविदा की शर्तों पर निर्भर करते हुए संविदा दर संविदा और वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकता है।

24 परिसंपत्तियां और देयताएं 12 माह की अवधि का प्रचालन चक्र मानते हुए चालू और गैर चालू के बीच वर्गीकृत किया जाता है।

25 ₹ एक लाख से कम व्यय और आय की मद पर पूर्वावधि मदों को अधीन दर्जा करने के लिए विचार नहीं किया गया है।

26 पूर्ववर्ती भारत हेवी प्लेटस एंड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का कंपनी के साथ विलय

क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बीआईएफआर) ने अपने आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2013 के तहत भारत हेवी प्लेट एंड वैसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) (बीएचईएल की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी) का कंपनी के साथ घाटे में चल रही औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (''एसआईसीए'') के अनुच्छेद 18(5) के अधीन निर्धारित तिथि अर्थात 01 अक्तूबर, 2011 से विलय के लिये संशोधित मसौदा पुनर्वास योजना (एमडीआरएस) को मंजूरी प्रदान कर दी।

ख) कंपनी ने 30 अगस्त, 2013 (प्रभावी तिथि) को कंपनियों के पंजीयक के पास आवश्यक फाइलिंग कर दी है। विलय की योजना को तदनुरूप इन लेखाओं में प्रभावित में ले लिया गया है।

ग) विलय के अनुरूप पूर्ववर्ती भारत हेवी प्लेट एंड वैसल्स लिमिटेड (जिसका प्रमुख व्यवसाय हीट एक्सचेंजों, कोलम्स, भण्डार क्षेत्र, रिएक्टरों और संबंधित उत्पादों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और इरेक्शन से संबंधित था) की परिसंपत्तियां और देनदारियां निर्धारित तिथि अर्थात 01 अक्तूबर, 2011 से कंपनी में ऑनगोइंग कन्सर्न आधार पर स्थानांतरित और प्रेषित कर दी गईं।

घ) बीएचपीवी के कंपनी के साथ विलय पर बीएचपीवी की शेयर पमंजी बगैर आगे किसी कार्रवाई या समझौते या इंस्ट्रयुमेंट के निर्धारित तिथि से रद्द हो गई। चूंकि कंपनी बीएचपीवी की जारी, सब्सक्राइब्ड और प्रदत्त पूंजी का 100 प्रतिशत (इसके नामितियों सहित) धारण करती है, कंपनी में बीएचपीवी के व्यवसाय/संचालन को लेकर कोई अंतरण और अन्य गतिविधि जो भी हो के तहत किसी भी व्यक्ति को न कोई शेयर आबंटित किया और नहीं कोई भुगतान किया गया।

ङ) बीएचपीवी की लेखा बहियों में दर्ज ₹ 33.80 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी और इस संबंध में ₹ 1 करोड़ के तत्स्थानी निवेशों को जो कि कंपनी की लेखा बहियों में दर्ज हैं रद्द हो गई है और उत्पन्न अंतर ₹ 33.80 करोड़ को कंपनी की आरक्षित पूंजी में समायोजित कर दिया गया है।

झ) बीएचपीवी के लेखा खातों में शामिल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 33.80 करोड़ और कम्पनी के लेखा खातों के संबंध में शामिल ₹ 1 का संगत निवेश को निरस्त किया गया है और ₹ 33.80 करोड़ की राशि का अंतर कम्पनी के पूंजी आरक्षित खाते में समायोजित किया गया है।

च) 01.10.2011 को ₹ 278.05 करोड़ की राशि का बीएचपीवी के लाभ हानि खाते का डेबिट बेलैंस कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में सरप्लस बेलैंस के तहत समायोजित कर दिया गया है।

छ) कंपनी की बहियों में तत्स्थानी बेलैंसिस के तहत कुल ₹ 273.67 करोड़ के सभी बकाया अंतर–कंपनी बेलैंसिस रद्द कर दिये गये हैं। विलय से उपार्जित परिसंपत्तियां/देनदारियां निर्धारित तिथि (अर्थात् 01.10.2011) को निम्नानुसार हैं:

परिसंपत्तियां		(₹ करोड़ में)
अचल परिसंपत्तियां (निवल)	4.25	
निवेश	0.01	
मालसूचियां	44.99	
विविध देनदार	120.98	
नकदी एवं बैंक शेष	2.73	

हानियां एवं अग्रिम	55.77	
		228.73
देनदारियां		
आरक्षित पूंजी	0.02	
असुरक्षित ऋण	9.62	
चालू देनदारियां	165.01	
प्रावधान	24.66	
		199.31
विलय से उपार्जित निवल परिसंपत्तियां–देनदारियां		**29.42**
लाभ एवं हानि खाते का डेबिट बेलैंस	278.05	
घटाएंः अंतर कंपनी शेष	273.67	**4.38**
आरक्षित पूंजी के साथ समायोजन		**33.80**

ज) सभी नियमित कर्मचारी, जो कि प्रभावी तिथि को बीएचपीवी की सेवा में हैं, कंपनी के कर्मचारी बन गये हैं और उनकी सेवाएं जारी रहेंगी तथा बीएचपीवी के विलय के कारण बाधित नहीं होंगी।

झ) सरप्लस के तहत समायोजन अर्थात लाभ हानि के विवरण में शेष के संबंध में: (₹ करोड़ में)

i)	निर्धारित तिथि (01.10.2011) को पूर्ववर्ती बीएचपीवी के लाभ एवं हानि खाते का डेबिट बेलैंस		-278.05
ii)	01.10.2011 से 31.03.2013 तक कर पूर्व लाभ		
	कारोबार	343.05	
	घटाएंः	283.10	59.95
iii)	आस्थगित कर सहित कर हेतु प्रावधान		136.85

27 क) वर्तमान वर्ष 2013–14 के लिये प्रचालनों से राजस्व और कर पूर्व लाभ में एचपीवीपी यूनिट (पूर्ववर्ती बीएचपीवी) के लिये क्रमशः ₹ 105.04 करोड़ और ₹ (–)186.55 शामिल है।

ख) भारत हेवी प्लेट एंड वैसल्य लिमिटेड, कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, का कंपनी के साथ 01 अक्तूबर, 2011 से विलय होने पर 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष से संबंधित परिणाम समतुल्य नहीं हैं और पिछले वर्ष के तत्स्थानी हैं।

ग) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं आवश्यक हुआ पुनवर्गीकृत/पुनर्निर्धारित किये गये हैं।

28. खंड सूचना

(₹ करोड़ में)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए		
क.	**प्राथमिक खंड – व्यावसायिक खंड**						
		विद्युत	**उद्योग**	**योग**	**विद्युत**	**उद्योग**	**योग**
I.	**खंड राजस्व**						
क.	खंड राजस्व	32485.38	7852.54	**40337.92**	39552.48	10604.00	50156.48
ख.	प्रचालन राजस्व – बाह्य	32485.38	7852.54	**40337.92**	39552.48	10604.00	50156.48
II.	**खंड राजस्व**						
क.	खंड परिणाम	5400.98	985.51	**6386.49**	8559.48	2196.57	10756.05
ख.	अनाबंटित व्यय (आय का निवल)			**1239.56**			1198.34
ग.	वित्त लागत एवं आयकर पूर्व लाभ (क) – (ख)			**5146.93**			9557.71
घ.	वित्त लागत			**132.63**			125.27
ङ	आय कर पूर्व निवल लाभ (ग) – (घ)			**5014.30**			9432.44
च.	आय कर			**1553.52**			2817.71
छ.	आय कर पश्चात निवल लाभ			**3460.78**			6614.73
III.	**परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ**						
क.	खंड परिस्थितियाँ	45469.32	11977.15	**57446.47**	46465.35	13038.33	59503.68
ख.	अनाबंटित परिसंपत्तियाँ			**15344.70**			10624.98
ग.	कुल परिसंपत्तियाँ			**72791.17**			70128.66
घ.	खंड देयताएँ	29294.73	6684.03	**35978.76**	29809.47	7182.77	36992.24
ङ	अनाबंटित देयताएँ			**3765.36**			2692.32
च.	कुल देयताएँ			**39744.12**			39684.56
IV.	**अन्य सूचना**						
क.	स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की अवधि के दौरान व्यय की गई लागत (सीडब्ल्यूआईपी)	337.34	273.59		694.74	203.27	
ख.	मूल्यह्रास	755.29	186.19		709.65	191.91	
ग.	गैर नकद व्यय (मूल्यह्रास के अतिरिक्त)	2092.02	235.40		1361.49	354.30	
ख.	**अनुपूरक खंड – भौगोलिक क्षेत्र**						
		भारत में	भारत के बाहर	**कुल**	भारत में	भारत के बाहर	कुल
1	निवल बिक्री/प्रचालनों से आय	38354.35	1983.57	**40337.92**	49261.01	919.73	50156.48
2	कुल परिसंपत्तियाँ	72164.17	627.00	**72791.17**	69634.52	493.93	70128.66
3	स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की अवधि के दौरान व्यय की गई लागत	713.85	-0.79	**713.06**	939.52	0.07	939.59

प्रारंभिक खंडों की संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए आर्डर्स के आधार पर 'विद्युत' और 'उद्योग' के रूप में पहचान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन समूह द्वारा बुक किए गए आदेश विद्युत या उद्योग, जो भी मामला हो, के अंतर्गत लिए जाते हैं।

29. अन्य सूचना

क. बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक एवं अंतिम स्टॉक

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2013–14 के दौरान बिक्री		1.4.2013 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.3.2014 को अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एचईपी, भोपाल							
स्विचगीयर, कन्ट्रोल गीयर,रेक्टिफ़ायर, कैपेसिटर्स							
स्विचगीयर – 11 के. वी. से 220 के. वी.	संख्या	5492	231.29	0	11.44	101	11.42
उच्च गति वाले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स	संख्या	(4119)	(287.08)	(16)	(0.67)	0	(11.44)
कंट्रोल पैनल	संख्या	970	35.73	0	2.41	12	2.42
	संख्या	(191)	(40.92)	0	(0.08)	0	(2.41)
औद्योगिक कंट्रोल गीयर	संख्या	0	6.80	0	0.00	0	0.00
	संख्या	0	(9.12)	0	0.00	0	0.00
एसी, डीसी तथा डीज़ल प्रणाली के लिए	सेट	166	105.31	0	0.11	7	1.42
ट्रैक्शन कंट्रोल गीयर	सेट	(251)	(163.49)	0	(0.92)	0	(0.11)
इलेक्ट्रॉनिक्स सहित रेक्टीफ़ायर	संख्या	529	76.82	0	0.28	3	0.27
	संख्या	(135)	(96.93)	0	0.00	0	(0.28)
कैपेसिटर्स	एमवीएआर	2172	17.77	0	0.00	382	2.43
	एमवीएआर	(1046)	(10.91)	(27)	(0.28)	0	0.00
बुशिंग्स		0	22.63	0	0.41		0.70
		0	(19.22)	0	(0.20)	0	(0.41)
ट्रांसफ़ॉर्मर्स							
पॉवर ट्रांसफ़ॉर्मर्स (400 के. वी. तक)	एमवीए	21568	978.18	683	26.25	1398	68.93
	एमवीए	(21919)	(789.82)	(311)	(22.73)	(683)	(26.25)
इंस्ट्रुमेंट, वेल्डिंग, ट्रांसफ़ॉर्मर्स	एमवीए	552	15.33	0	0.06	36	1.31
तथा रिएक्टर्स	संख्या	468		1		0	
	एमवीए	0	(14.04)	0	(0.19)	(0)	(0.06)
	संख्या	(490)		(24)	0.00	(1)	
औद्योगिक एवं ट्रैक्शन मशीनें							
एसी, डीसी तथा डीज़ल प्रणाली, मुख्य/	संख्या	3444	466.94	17	2.42	135	9.89
सहायक जेनरेटरों के लिए ट्रैक्शन मोटरें	संख्या	(2121)	(558.83)	0	(10.79)	(17)	(2.42)
औद्योगिक मशीनें, 1000 एच. पी. तक की एसी	संख्या	819	193.48	131	14.46	63	11.88
मोटरें, सभी प्रकार की डीसी मोटरे	संख्या	(1071)	(259.32)	(108)	(12.18)	(131)	(14.46)
तथा जेनरेटर							
हेवी रोटेटिंग प्लांट तथा टर्बाइन							
1000 एचपी से अधिक बड़ी	संख्या	217	337.30	17	14.17	16	12.82
इलेक्ट्रिकल मशीनें	संख्या	(386)	(451.59)	(30)	(17.42)	(17)	(14.17)
वाटर व्हील आल्टर्नेटर्स तथा वाटर	संख्या	6	611.33	0	14.47	0	33.03
टर्बाइन और मिनी माइक्रो टर्बाइन	मेगावाट	742					
एवं जेनरेटर	संख्या	2	183.10	0	10.68	0	14.88
	मेगावाट	220					
	संख्या	(7)	(575.49)	0	(50.94)	0	(14.47)
	मेगावाट	(880)					
	संख्या	(7)	(325.53)	0	(39.16)	0	(10.68)
	मेगावाट	(1310)					
टर्बो आल्टर्नेटर्स तथा	सेट	5	605.53	0	44.04	0	15.32
स्टीम टर्बाइन	सेट	(2)	(476.24)	0	(4.05)	0	(44.04)
हीट एक्सचेंजर्स	संख्या	27	407.98	5	5.93	7	3.66
	संख्या	(52)	(259.09)	0	0.00	(5)	(5.93)
अन्य			6.70		0.39		0.00
			(164.73)		(0.35)		(0.39)
		कुल	**4302.22**		**147.52**		**190.38**

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2013–14 के दौरान बिक्री		1.4.2013 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.3.2014 को अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
टीपी, झांसी							
पावर ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	147	451.44	0	0	0	0
एवं विशेष ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	(131)	(471.07)	0	0.00	0	0
ईएसपी ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	1179	125.00	0	0.00	0	0
	संख्या	(1705)	(174.06)	(4)	(0.19)	0	0.00
एसीईएमयू. ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	10	1.95	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(97)	(18.81)	0	0.00	0	0.00
फ्रेट लोको ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	94	85.17	3	1.60	10	4.85
	संख्या	(90)	(71.71)	(8)	(6.49)	(3)	(1.60)
इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफ़ॉर्मर्स	संख्या	491	16.85	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(395)	(14.07)	0	0.00	0	0.00
बस डक्ट	संख्या/सेट	0	0.23	0	0.00	0	0.00
	संख्या/सेट	0	(0.25)	0	0.00	0	0.00
ड्राई टाइप ट्रंसफ़ॉर्मर्स	संख्या	61	28.38	0	0	0	0
	संख्या	(75)	(26.99)	0	0.00	0	0.00
डीज़ल शटर्स	संख्या	11	39.39	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(7)	(27.38)	0	(0.00)	0	0.00
एसी लोको	संख्या	32	286.53	0	0.00	0	0.00
	संख्या	(62)	(492.35)	0	0.00	0	0.00
उत्पाद लोको	संख्या	1	7.94				
अन्य/विविध	संख्या		18.08		0.02		
	संख्या	0	(18.86)	0	(0.31)	0	(0.02)
		कुल	**1060.96**		**1.62**		**4.85**
एचईईपी, हरिद्वार							
इलेक्ट्रिकल मशीनें	मेगावाट/संख्या	0	0	1/2	0.22	1/2	0.11
		0	0	(1/2)	(0.22)	(1/2)	(0.22)
औद्योगिक कंट्रोल पैनल	संख्या	0	0	3	0.19	3	0.00
	संख्या	0	0	(3.00)	(0.19)	(3.00)	(0.19)
टर्बो सेट							
टबाईन मॉड्यूल्स	मेगावाट/संख्या	8991/79		1131/19		1357/19	
		(13319/121)	5364.74	(148/3)	365.05	(1131/19)	313.05
टर्बोजनरेटर मॉडॅयूल्स	मेगावाट/संख्या	13740/28.5	(5940.28)	1350/4	(69.07)	1711/5.5	(365.05)
		(13670/31.5)		0		(1350/4)	
हाइड्रो सेट	मेगावाट/संख्या	0	1.47	0	0	0	0
		0	(0.68)	0	0	0	0
सुपर रेपिड गन माउंट	संख्या	0	0.00	0	0	0	0
		(2)	(77.50)	0	0	0	0
गैस टर्बाइन	मेगावाट/संख्या	400/4	852.74	0	0	0	0
		0	(0.02)	0	0	0	0
अन्य		0	639.57	0	28.72	0	36.78
		0	(506.02)	0	(22.70)	0	(28.72)
		कुल	**6858.52**		**394.18**		**349.94**

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2013–14 के दौरान बिक्री		1.4.2013 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.3.2014 को अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एचपीबीपी, त्रिचि							
बॉयलर	एमटी	311288	8466.15	25498	358.83	39042	445.06
		(515127)	(13852.06)	(16047)	(285.09)	(25498)	(358.83)
वॉल्व	संख्या	130485	703.02	18964	42.13	17623	30.17
		(160367)	(870.34)	(2341)	(45.55)	(18964)	(42.13)
परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय			10.59		0		0
			(4.75)		0		0
सीमलेस स्टील ट्यूब	एमटी	187	2.46	97	1.73	79	1.01
		(286)	(4.09)	0	0	(97)	(1.73)
		कुल	**9182.22**		**402.69**		**476.24**
बीएपी, रानीपेट							
बॉयलर ऑग्ज़िलरी	एमटी	129139	2018.80	40734	296.98	47304	311.03
		(227150)	(3704.91)	(37701)	(256.25)	(40734)	(296.98)
परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय			2.58				
			(1.97)		0.00		0.00
बाहरी निर्माण तथा अन्य सेवाओं से आय			5.68				
			(3.67)		0.00		0.00
		कुल	**2027.06**		**296.98**		**311.03**
एचपीईपी, हैदराबाद							
यूटिलिटी सेट	संख्या	7+P	388.90	P	24.41	P	30.65
		(P)	(818.68)	(1P)	(12.11)	(P)	(24.41)
लघु तथा मघ्यम सेट्स	संख्या	11+P	354.47	2+P	11.70	P	16.23
		(4P)	(408.32)	(1P)	(11.11)	(2+P)	(11.70)
पम्प तथा हीटर	संख्या	31+P	1904.88	P	2.09	P	23.72
		(P)	(1560.63)	(7P)	(2.49)	(P)	(2.09)
कम्प्रेसर	संख्या	11+P	116.82	1+P	3.45	P	7.71
		(P)	(642.46)	(P)	(17.78)	(1+P)	(3.45)
गैस टर्बाइन	संख्या	12+P	635.28	0	0.00	0	9.50
		(27P)	(1448.13)	(P)	(6.97)	0	0.00
बॉउल मिल्स	संख्या	50+P	1235.44	0	0	0	0
		(1P)	(1374.67)	0	0	0	0
हीट एक्सचेंजर्स	संख्या		2.77	0	0	0	0
		(P)	(21.13)	0	0	0	0
निर्माण आय			37.03		0		0
			(18.34)		0		0
कास्टिंग			0.75		0	0	0
			(0.48)	0	0	0	0
ब्रेकर	संख्या	3	12.46				
		(6)	(16.27)	0	0	0	0
ऑयल रिग्स	संख्या	P	513.44				
		(P)	(167.31)	0	0	0	0
		कुल	**5202.24**		**41.65**		**87.81**

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2013–14 के दौरान बिक्री		1.4.2013 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.3.2014 को अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आईएसजी, बैंगलूर							
अन्य सेवाएँ			1024.82		0		0
			(1164.11)		0		0
		कुल	**1024.82**		**0.00**		**0.00**
ईडीएन, बैंगलूर							
पावर डिवाइसिस*	संख्या	3540	1.32	82	0.08	125	0.14
		(6968)	(1.93)	(129)	(0.06)	(82)	(0.08)
फ़ोटोवोल्टेइक्स	कि.वा.	33761	177.10	48	0.21	55	0.27
		(2348)	(21.18)	(1)	(0.01)	(48)	(0.21)
कंट्रोल उपकरण	क्यूबीकल्स	3709	1274.53	266	17.45	276	20.36
		(4605)	(1610.09)	(176)	(26.49)	(266)	(17.45)
		कुल	**1452.95**		**17.74**		**20.77**
ईपीडी, बैंगलूर							
इंसुलेटर्स तथा बुशिंग	एमटी	7333	120.26	888	10.02	661	7.17
		(5678)	(91.13)	(513)	(5.25)	(888)	(10.02)
सेरालिन	एमटी	3543	53.69	188	2.35	156	1.67
		(4190)	(101.26)	(28)	(0.35)	(188)	(2.35)
कंट्रोल पैनल	संख्या		42.12			56	1.31
		(76)	(4.11)				
परीक्षण तथा सेवाओं से आय			3.39		0.00		
			(4.31)		(0.00)		(0.00)
		कुल	**219.46**		**12.37**		**10.15**
पॉवर ग्रुप							
इरेक्शन तथा अन्य सेवाओं एवं अतिरिक्त पुर्जों से आय			7449.24		0.19		-7.05
			(8392.84)		(1.55)		(0.19)
		कुल	**7449.24**		**0.19**		**(-7.05)**
आईपी, जगदीशपुर							
इंसुलेटर्स	सीएमटी	5767	81.07	1048	13.27	1215	16.77
		(6385)	(84.67)	(699)	(8.84)	(1048)	(13.27)
सेरालिन	एमटी	2945	53.58	83	1.55	269	4.18
		(4501)	(77.15)	(36)	(1.11)	(83)	(1.55)
		कुल	**134.65**		**14.82**		**20.95**
आईवीपी, गोइंदवाल							
औद्योगिक वाल्व	संख्या	0	0.00	1050	5.38	1220	5.80
		0	0.00	(364)	(1.07)	(1050)	(5.38)
ईंधन पाइप कपलिंग	संख्या					84	0.04
				(16)	(0.01)	0	0.00
		कुल	**0.00**		**5.38**		**5.84**
सीएफ़पी, रुद्रपुर							
बस डक्ट प्रोजेक्ट	सेट	49	198.67	22	9.05	24	10.21
		(39)	(207.00)	(21)	(6.76)	(22)	(9.05)
		कुल	**198.67**		**9.05**		**10.21**

(₹ करोड़ में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2013–14 के दौरान बिक्री		1.4.2013 को तैयार माल का प्रारंभिक स्टॉक		31.3.2014 को अंतिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एचईआरपी, वाराणसी							
बॉयलर/टर्बाइन तथा ऑग्जियलरी के लिए अतिरिक्त पुर्ज़े और मरम्मत			237.84		0.12		1.49
			(192.01)	0.00	(0.22)	0.00	(0.12)
		कुल	**237.84**		**0.12**		**1.49**
ट्रांसमिशन व्यवसाय समूह							
अतिरिक्त पुर्ज़े (सेवाओं सहित)			554.69		16.66		8.66
			(631.41)		(4.22)		(16.66)
		कुल	**554.69**		**16.66**		**8.66**
एफपी जगदीशपुर							
फैब्रिकेटिड मदें			0.04		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
		कुल	**0.04**		0.00		0.00
ईएमआरपी, मुम्बई							
मरम्मत तथा परियोजना कार्य			19.29		0.00		0.07
			(46.96)		0.00		0.00
		कुल	**19.29**		**0.00**		**0.07**
अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन							
बिक्री से आय (राजस्व मान्यता समायोजन)			-13.15		0.00		-1.18
			(-12.46)		0.00		0.00
		कुल	**-13.15**		**0.00**		**-1.18**
उद्योग क्षेत्र							
बिक्री से आय (राजस्व मान्यता समायोजन)			70.94		-0.14		-1.44
			(26.58)		0.00		(-0.14)
		कुल	**70.94**		**-0.14**		**-1.44**
पीईएंडएसडी							
औद्योगिक सेट			74.98				
			(190.84)				
गैस टरबाईन			62.53				
			(81.50)				
थर्मल सेट			0.03				
		कुल	**137.54**				
आरएमएजी							
डीजी सेट्स एवं इरेक्शन सेवाएं			111.25				
		कुल	**111.25**				
एचपीवीपी							
बायलर्स		4845	60.30	164	1.11*	438.00	9.90
क्रोयोजेनिक्स		1767	43.23				
अन्य		16	1.51				
		कुल	**105.04**		**1.11**		**9.90**
सीएफएफपी, हरिद्वार							
स्टील कास्टिंग		14	1.14			4.70	0.18
एनएफ कास्टिंग्स	एमटी	1	0.27				
		0	(0.22)				
		कुल	**1.41**				**0.18**
समायोजन			0.00		-0.94		
			(-20.30)		0		(-0.94)
	कुल जोड़		**40337.92**		**1361.00**		**1498.80**
			(50156.48)		**(952.42)**		**(1359.89)**

*विलय के अनुरूप आ. स्टॉक

(₹ करोड़ में)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए
ख.	**आयात का मूल्य**		
	सीआईएफ आधार		
	कच्चा माल	**2248.67**	3042.51
	संघटक तथा अतिरिक्त पुर्ज़े	**4013.10**	3245.41
	पूंजीगत माल	**85.30**	319.86
ख.	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	रॉयल्टी	**112.06**	112.86
	तकनीकी ज्ञान	**1.58**	0.88
	व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	**14.28**	12.72
	ब्याज तथा अन्य (विदेशी परियोजना स्थलों सहित)	**282.69**	248.25
	लाभांश : @		
	क) अप्रवासी शेयरधारकों की संख्या	**9339**	9334
	ख) धारित शेयरों की संख्या	**361310807**	338319525
	ग) लाभांश की सकल राशि	**118.87**	124.5
	घ) लाभांश का खर्च	**2012-13**	2011-12
		(अंतिम लाभांश)	(अंतिम लाभांश)
	अंतरिम लाभांश : @		
	क) अप्रवासी शेयरधारकों की संख्या	**8725**	8908
	ख) धारित शेयरों की संख्या	**393383985**	367614071
	ग) लाभांश की सकल राशि	**51.53**	77.93
	घ) लाभांश का खर्च	**2013-14**	2012-13
		(अंतरिम लाभांश)	(अंतरिम लाभांश)
	@ कंपनी ने लाभांश का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया है। बैंकरों/अप्रवासी शेयरधारकों के पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी धारकों को भुगतान कर दिया गया है, और उनके द्वारा विदेशी मुद्रा किए गए लाभांश भुगतान की निश्चित राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती।		
ङ.	**कच्चे माल, संघटकों, भंडार और अतिरिक्त पुज़ों की खपत का मूल्य**		
	# आयातित (सीमा शुल्क सहित)	**6954.22**	7752.76
	स्वदेशी	**10752.48**	15874.97
	कुल खपत का प्रतिशत		
	आयातित	**39**	33
	स्वदेशी	**61**	67
च.	**विदेशी मुद्रा में आय**		
	माल का निर्यात (एफओबी आधार पर)**	**1358.41**	438.68
	ब्याज	**0**	0
	इरेक्शन तथा अन्य सेवाएँ**	**250.16**	143.12
	मानित निर्यात में विदेशी मुद्रा (घरेलू संविदाओं सहित)	**7169.17**	11774.79

₹ सारणीबद्ध मदें, जहाँ कहीं भी अभिलिखित हैं, सम्मिलित की गई हैं।

(₹ करोड़ में)

	इकाई	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए मात्रा	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्य	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए मात्रा	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्य
छ. कच्चे माल और संघटकों की खपत का विवरण					
सामग्री का समूह	**इकाई**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
लौह सामग्री					
	एमटी	**252360**		359639	
	मीटर	**5894301**		12455008	
	संख्या	**2744341**		4484045	
	वर्ग मी.	**201723**		16181	
	कि.ग्रा.	**36344557**		65601635	
	अन्य	**680**		461	
			2522.14		4517.67
अलौह सामग्री					
	एमटी	**13253**		10757	
	मीटर	**1316512**		2628311	
	संख्या	**195572**		338013	
	वर्ग मी.	**327**		4285	
	कि.ग्रा.	**5749753**		7896378	
	आरएल	**14680**		23838	
	अन्य	**29781**		34565	
			425.72		597.11
इंसुलेटिंग सामग्री					
	मीटर	**39478186**		55491713	
	एमटी	**14031**		23715	
	संख्या	**208777**		898553	
	वर्ग मी.	**3681993**		2749575	
	कि.ग्रा.	**674542**		711885	
	एलटी	**6729480**		5410250	
	आरएल	**80972**		235629	
	एम2	**163327**		190245	
	केएल	**6748**		3493	
	एसटी	**112**		237	
	अन्य	**7660**		112034	
			277.08		305.72
इंसुलेटिंग केबल तथा मैग्नेट वायर					
	मीटर	**6015498**		2777834	
	संख्या	**129112**		459681	
	कि.ग्रा.	**8163**		12504	
	अन्य	**4**	**86.27**		45.62
संघटक			**8967.26**		12635.20
अन्य			**4859.04**		4942.52
			17137.51		23043.84

निदेशकों की रिपोर्ट

बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को आपके समक्ष 2013–14 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए में प्रसन्नता हो रही है। आपकी कंपनी ने ₹ 3702 लाख का कारोबार अर्जित किया है जो कि कारोबार में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 39.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये आपकी कंपनी के कुल मिलाकर कामकाज में ₹ 106.16 लाख की निवल हानि दर्ज की गई है।

प्रमुख विशेषताएं

वर्ष के लिये कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

(₹ लाख में)

	2013-2014	2012-2013
प्रचालनों से आय (सकल)	**3702.97**	2653.38
सामग्री की खपत, निर्माण और इंजीनियरी व्यय	**2656.26**	1811.23
कर्मचारी लाभ व्यय	**692.61**	563.25
मूल्यह्रास एवं एमोर्टाइजेशन	**94.04**	100.48
कर पूर्व और विशिष्ट मदों से पूर्व लाभ/(हानि)	**-131.11**	-130.46
सतत प्रचालनों से अवधि के लिये लाभ/(हानि)	**-106.16**	-54.96

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक रिपोर्ट **अनुबंध–I** पर प्रस्तुत की गई है।

निदेशक मंडल

नियुक्ति और पदत्याग

- श्रीमती संयुक्ता समादर (निदेशक, भारी उद्योग विभाग) को 20.01.2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अगले आदेशों तक के लिये बीएचईएल ईएमएल के बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।
- श्री शशि रंजन प्रसाद (कार्यपालक निदेशक, बीएचईएल, भोपाल) को 14.03.2014 से तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा अगले आदेश तक बीएचईएल ईएमएल का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्ति किया गया।
- श्री सोमक बासु (अ.म.प्रं., बीएचईएल) 14.03.2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा अगले आदेशों तक के लिये श्री एल गोपालकृष्णन के स्थान पर प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।

निदेशकों का दायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के प्रावधानों की अनुपालन में आपके निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि:–

i. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करते समय सामग्री प्रस्थान के संबंध में उपयुक्त व्याख्या के साथ–साथ, जहां कहीं आवश्यक है, लागू लेखाकरण मानकों' का अनुपालन किया गया है।

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ–हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखा का समुचित रिकार्ड रखे जाने पर उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया।

iv. निदेशकों ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये 'गोइंग कंसर्न' आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

शेयर पूंजी

रिपोर्टाधीन अविध के दौरान वर्ष में शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चूंकि आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन अविध के

दौरान कोई शेयर पुनर्खरीद नहीं की है, अनुच्छेद 217(2ख) के अधीन सूचना कंपनी के लिये लागू नहीं है।

कार्मिक

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 217(2ए) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किसी भी कर्मचारी ने पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया।

कार्पोरेट अभिशासन

कार्पोरेट अभिशासन पर एक रिपोर्ट और साथ में कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाण–पत्र निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध–II के तौर पर संलग्न है। लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अन्य प्रकटन

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा आय तथा निर्गमन के संबंध में कंपनीज (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियम, 1988 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 217(1) के प्रावधानों के अनुरूप सूचनाः

आपकी कंपनी उन उद्योगों की सूची में नहीं आयगी जिन्हें ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेल आदि के लिये उठाये गये कदमों का अनिवार्यतः प्रकट किया है। लेकिन ऊर्जा खपत के न्यूनतम और ऑप्टिमाइज और प्रचालन की लागत कम करने के लिये सभी कदम उठाये हैं। अनुसंधान एवं विकास विंग को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि कंपनी नये उत्पादों का विकास कर सके। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन नही हुआ। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कच्चे मालखरीद पर कुल विदेशी मुद्रा निर्गमन ₹ 38.39 लाख के समकक्ष था।

लेखा परीक्षकः

मैसर्स जैकब आइजक एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कानहांगाड को, जिनकी मेंगलौर–575001 में शाखा है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कंपनी का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से शून्य टिप्पणी रिपोर्ट प्राप्त हुई। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के लेखाओं पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के तौर पर रखी गई है।

आभारः

आपकी कंपनी धारक कंपनी, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों, भारतीय स्टेट बैंक, कंपनी के वेडरों और कंपनी के ग्राहकों तथा कंपनी से जुड़े अन्य सभी व्यक्तियों की प्रशंसा और धन्यवाद रिकार्ड में लेना चाहती है। बोर्ड कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को निष्ठापूर्वक दिये गये गंभीर सहयोग को रिकार्ड में लेना चाहता है। बोर्ड कंपनी के अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों को हृदय से दिये उनके सहयोग के लिये प्रशंसा को भी रिकार्ड में रखती है।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी की ओर से

(एस. आर. प्रसाद)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अगस्त 6, 2013

अनुबंध–I

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी का गठन 19 जनवरी, 2011 को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और केरल सरकार के बीच 8 सितंबर, 2010 को क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ किया गया था। कंपनी को भारी उद्योग विभाग के अधीन अनुसूचित 'ग' श्रेणी कंपनी के तौर पर विभाग के आदेश सं. 20(24)/2010–पीई–XI दिनांक 06.12.2012 के अधीन श्रेणीबद्ध किया गया था। वित्तीय वर्ष 2013–14 कंपनी का लगातार तीसरा प्रचालन वर्ष था।

i. उद्योग संरचना और विकास

कंपनी ब्रशलैस एसी जनरेटरों, रेक्टिफायर रेगुलेटर इकाइयों, इंडक्शन मोटरों और डीजी सेटों के विनिर्माण, विपणन और सर्विसिंग के क्षेत्र में एक इंजीनियरी उद्योग है।

कंपनी ने केवल मौजूदा अवसंरचना और सुविधाओं के साथ जो कि केरल इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की कासरगोड इकाई के अधिग्रहण के समय उपलब्ध थीं, पिछले वर्ष में प्रगामी कारोबार हासिल किया है।

विवरण	31-03-2012	31-03-2013	31-03-2014
कारोबार (₹ लाख में)	2113.76	2653.38	**3702.97**
पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशतता वृद्धि	प्रथम वर्ष	25.53	**39.56**
सामग्री की खपत, निर्माण एवं इंजीनियरी व्यय (₹ लाख में)	1295.35	1783.40	**2615.02**
प्रशासन, बिक्री और वितरण (₹ लाख में)	119.58	149.60	**156.52**
कर्मचारी लाभ व्यय (₹ लाख में)	498.59	563.25	**692.21**
मूल्यह्रास एवं अमोर्टाइजेशन (₹ लाख में)	92.93	100.48	**94.04**
लाभ/(हानि) – ब्याज और कर पूर्व (₹ लाख में)	-37.52	-130.46	**-131.11**
लाभ/हानि (₹ लाख में)	-37.52	-54.96	**-106.16**

कंपनी ने कारोबार में वृद्धि हासिल की है लेकिन मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से निवल हानियों में बढ़ोतरी हुई हैः

1. बाहर से लाई गई मदों की उच्च प्रतिशतता के साथ उत्पाद मिक्स में बदलाव जिसके परिणामस्वरूप सामग्री की लागत में वृद्धि हुई।
2. संशोधित आरबीआई दरों और मुद्रा संकेतकों के अनुरूप बीमांकिकी मूल्यांकित उपदान और अवकाश लाभों के लिये प्रावधान में वृद्धि के कारण मुख्यतः कर्मचारी व्ययों में बढ़ोतरी।

ii. मज़बूती एवं कमज़ोरियां

मजबूती	कमजोरियां
• प्रमाणित उत्पाद प्रोफाइल • अनुभवी कार्य बल • गुणवत्ता उत्पाद	• पुरानी संयंत्र मशीनरी • अल्प अंतर उत्पाद,पुराने डिज़ाइन होने से उच्च आरएम लागत • दीर्घावधि योजना कठिनाई, उत्पादों के लघु–चक्रित होना • प्रमुख क्षेत्रों/पदों पर कम मानव संसाधन • कर्मचारियों के लिये अल्प प्रेरक कारक

iii. अवसर एवं खतरे

अवसर	खतरे
• रेलवे की विस्तार योजना के साथ रेलवे के लिये उच्च क्षमता विद्युत कारों की उच्च मांग का प्रस्ताव • रेलवे अनुप्रयोगों के लिये प्रस्तावित पीएमजी विकल्प जिनके लिये कंपनी ने कमर कस ली है। • अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिये योगदान, प्रस्तावित विंड इलेक्ट्रिक जनरेटरों का विनिर्माण किया जा सकता है। • विभिन्न प्रकार के ट्रैक्शन अल्टरनेटर्स के विनिर्माण की क्षमता, बीएचईएल इकाइयों (भोपाल/झांसी) के जरिये	• रेलवे उपकरण के क्षेत्र में निजी पक्षों की कड़ी प्रतिस्पर्धा • कच्चे माल के मूल्य बढ़ना

iv. खण्ड–वार अथवा उत्पाद–वार अथवा कार्यनिष्पादन

	2013-14		2012-13	
मद	मात्रा (संख्या)	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा (सं.)	मूल्य (₹ लाख में)
110 केवीए तक बीएजीपी	**107.00**	**113.00**	128	91.85
110 केवीए से ऊपर बीएजीपी	**30.00**	**67.80**	49	117.98
25 कि.वा ट्रेन लाइटिंग अल्टरनेटर्स	**363.00**	**742.00**	153	317.52
320 केवीए यू/एस डीजी सेट	**4.00**	**223.54**	0	0.00
विशेष अल्टरनेटर्स/ऑक्स अल्टरनेटर्स	**24.00**	**70.68**	42	132.94
डीजी सेट	**2.00**	**52.19**		
स्पार्ट के लिये डीजी सेट	**20.00**	**355.20**	16	281.60
पावर कार के लिये 570 केवीए डीजी सेट	**27.00**	**756.88**	1	82.37
इंडक्शन मोटर्स	**42.00**	**54.40**	25	710.59
आरआरयू	**156.00**	**115.34**	68	136.82
जनरल स्पेयर्स		**48.70**		119.67
सेवाएं एवं सस्थापना		**206.51**		63.33
जीएसओएस		**645.75**		417.51
ईडी		**250.98**		181.20
कुल संख्या	**775.00**	**3702.97**	482	2653.38

v. आउटलुक

कंपनी अल्प अंतर उत्पादों के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रचालन कर रही है। कंपनी के कार्यनिष्पादा के सुधार हेतु सभी उपायों पर विचार करते हुए प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये ₹ 5259.53 के कारोबार और ₹ 92.71 लाख का कर पूर्व लाभ अर्जित करने का लक्ष्य रखा है।

vi. जोखिम एवं चिंताएं

- कंपनी के लिये उच्चतर लक्ष्यों के लिये मशीनरी/संयंत्र का आधुनिकीकरण अपेक्षित है।
- व्यवसाय योजना में शामिल उच्च उत्पाद संख्या (जैसे कि ट्रैक्सन अल्टरनेटर्स/विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स) को प्राप्त नहीं किया जा सका।

- निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिये उत्पाद विविधता अनिवार्य है।

vii. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और अन्य पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा बीएचईएल, बंगलौर की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम ने संचालित की है और आंतरिक लेख परीक्षा प्रबंधन को सौंप दी गई है। लेखापरीक्षकों ने आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा कर ली है और वर्ष के लिये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की पुष्टि की है।

viii. प्रचालन कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन

(₹ लाख में)

		2013-14	2012-13
1	कारोबार	**3702.97**	2653.38
2	मूल्य वर्द्धन	**853.64**	706.66
3	कर पूर्व लाभ	**-131.11**	-130.46
4	कर उपरांत लाभ	**-106.16**	-54.96
5	वित्त लागत (ब्याज)	**24.74**	23.79
6	असाधारण आय	**-**	-
7	लगाई गई पूंजी	**1203.83**	1215.89
8	सकल खंड	**1065.44**	1062.57
9	निवल खंड	**777.99**	869.16
10	पूंजी (डब्ल्यूआईपी)	**-**	-
11	कार्यशील पूंजी	**514.23**	567.79
12	निवल मूल्य	**851.36**	957.52

अनुपातः

		2013-14	2012-13
1	कारोबार की प्रतिशतता के तौर पर पीबीडीआईटी	**0.34%**	2.61%
2	कारोबार की प्रतिशतता के तौर पर पीएटी	**-2.87%**	-2.07%
3	जीटीओ के % के तौर पर मूल्यवर्द्धन (ईडी का निवल)	**25%**	29%

ix. नियुक्त व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधनों, औद्योगिक संबंध मोर्चे में सामग्री विकास

वर्ष की शुरूआत पर 178 के मुकाबले मार्च 2014 के अंत में कर्मचारियों की कुल संख्या 177 थी। मानव संसाधन विकास और कल्याण उपायों के भाग के तौर पर कंपनी के प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वीकृत संख्या	कार्यरत									
			पुरुष	महिला	कुल	अजा	अजजा	अपिव	सामान्य	कुल	शावि	रिक्त
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10	11 (7 से 10)	12	13
क	नियमित कर्मचारी											
1	कार्यपालक	20	17	2	19	1	0	11	7	19	1	1
2	सहायक / पर्यवेक्षक	5	4	0	4	0	0	3	1	4	0	1

3	स्टाफ और कामगार	169	148	6	154	10	5	107	32	154	1	15
4	कुल (1 से 3 तक)	194	169	8	177	11	5	121	40	177	2	17
ख	अनुबंधित कामगार	30	25	2	27	1	0	3	23	27	0	3
ग	कें.सा.उ. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनःनियुक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ	कें.सा.उ. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा नियमित पदो ंके तहत परामर्शदाता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

x. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बीएचईल ईएमएल लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर ख़र्च से संबंधित जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन नहीं आती है। बीएचईएल ईएमएल घाटे में चल रहा कें.सा.क्षे.उ. है और दिशानिर्देशों के अनुसार घाटे में चल रही कपंनियों के लिये सीएसआर गतिविधियों के लिये विनिर्दिष्ट वित्तपोषण चिन्हित करना अनिवार्य नहीं है।

अनुबंध–II

कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

लोक उद्यम विभाग ने कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश का.ज्ञा.सं. 18(8)2005 जीएम दिनांक 14.05.2010 के तहत अनिवार्य कर दिये गये थे। लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं की अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) को भेजी जाती है। कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रमाण–पत्र रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मण्डल

14.03.2014 को बोर्ड का संयोजन	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
श्री एस. आर. प्रसाद	14.03.2014	अध्यक्ष
श्री एस. बासु	14.03.2014	प्रबंध निदेशक
श्रीमती संयुक्ता समादार	20.01.2014	अंश कालिक सरकारी निदेशक, भा.उ.वि.
कोमो. (रिटा.) श्री के. शमसुद्दीन	19.01.2014	अंशकालिक सरकारी निदेशक, केरल सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिये कॉर्पोरेट अभिशासन पर जारी किये गये दिशानिर्देशों में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के साथ निदेशक मण्डल का अभी पुनर्गठन किया जाना है। बोर्ड के विस्तार पर विभिन्न समितियां गठित की जायेंगी।

बोर्ड प्रक्रिया

कंपनी अधिनियम और कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुरूप नियमित अंतराल पर बोर्ड की बैठकें होती हैं। बोर्ड बैठक बुलाये जाने की अग्रिम सूचना सभी निदेशकों को भेजी जाती है जिसके साथ मदों की कार्य सूची और सभी संगत सूचना प्रेषित की जाती है। बोर्ड के सदस्यों के पास सभी सूचनाओं की पूर्ण पहुंच है और अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण के लिये बैठक के दौरान किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को बुलाने के लिये स्वतंत्र होते हैं।

बोर्ड कंपनी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है और उस पर कंपनी के विकास तथा निर्बाध संचालन के लिये प्रबंधन को निर्देश एवं परामर्श देने की जिम्मेदारी है। बोर्ड सभी लागू कानूनों की अनुपालन की स्थिति की आवधिक समीक्षा करता है। बैठक में बोर्ड सदस्यों के व्यापक विचारविमर्श के उपरांत सभी फ़ैसले किये जाते हैं।

बोर्ड बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान निदेशक मंडल की पांच बैठकें हुईं। बोर्ड बैठकें 23.04.2013, 24.07.2013, 21.10.2013, 20.01.2014 और 14.03.2014 को हुई। बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति और 2013 – 14 के दौरान अन्य निदेशकताओं आदि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	विवरण	कार्यकाल के दौरान हुई बोर्ड बैठकों की सं.	बैठकों में उपस्थिति	क्या वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हुए	अन्य आयोजित निदेशकताओं की सं.
1	श्री अनिल आहुजा	अध्यक्ष	2	2	-	
2	श्री एस. आर. प्रसाद	अध्यक्ष (14वीं बोर्ड बैठक में 14.03.2014 को नियुक्त)	1	1	-	1
3	कोमो. (रिटा.) श्री के. शमसुद्दीन	निदेशक (केरल सरकार के नामिती)	5	4	-	1

4	श्री एल गोपालाकृष्णन	प्रबंध निदेशक (14.03.2014 तक)	5	5	हां	शून्य
5	श्रीमती संयुक्ता समादर	अंश कालिक सरकारी (सरकारी निदेशक) (13वीं बोर्ड बैठक में 20.01.2014 को नियुक्त)	2	2	-	1
6	श्री सोमक बसु	प्रबंधन निदेशक (14वीं बोर्ड बैठक में 14.03.2014 को नियुक्त)	1	1	-	शून्य

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 292 ए के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति का कंपनी की 14वीं बोर्ड बैठक में 14.03.2014 को पुनर्गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखाओं पर चर्चा, अनुमोदन और स्वीकृति हेतु लेखा परीक्षा समिति की बैठक 29.04.2014 को हुई। बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के उपरांत कंपनी अधिनियम, 2013 और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरुप स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।

आम सभा की बैठकें

गठन के बाद से एजीएम/ईजीएम का विवरण:

वित्तीय वर्ष	तिथि और समय	स्थान
2010–2011 (पहली ईजीएम)	23.02.2011 अपराह्न 4.30 बजे	बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली
2011–2012 (दूसरी ईजीएम)	24.06.2011 अपराह्न 12.30 बजे	बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली
2011–2012 (पहली एजीएम)	07.09.2011 प्रातः 11.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, बेडराडका, कासरगोड, केरल
2012–2013 (दूसरी एजीएम)	17.08.2013 प्रातः 11.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, बेडराडका, कासरगोड, केरल

आचार संहिता

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिये लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने 20.01.2014 को हुई 13वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिये ''आचार संहिता'' को अनुमोदित और स्वीकार किया। संहिता को अनुपालन के लिये बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध में परिचालित किया गया। बोर्ड के सभी सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने संहिता के लिये अपनी अनुपालन की पुष्टि की।

निदेशक मण्डल के लिये प्रशिक्षण

बोर्ड नये बोर्ड सदस्यों के लिये प्रशिक्षण के महत्व को मान्यता देता है और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने 20.01.2014 को हुई इसकी 13वीं बोर्ड बैठक में ''बोर्ड सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर नीति'' को अनुमोदित और स्वीकार किया।

प्रकटन

कम्पनी अधिनियम की धारा 297 के प्रावधानों यथा उपबंधित निदेशक नियमित रूप से कम्पनी के हितों के अनुरूप यह प्रकटन करते हैं कि कम्पनी के साथ प्रबंधन अथवा उसके संबंधी का फर्म से किसी प्रकार का लेन–देन अथवा व्यवसाय नहीं है। कम्पनी नीतिगत मानकों को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों के अनुरूप समुचित प्रकटन सुनिश्चित कर रही है।

सम्प्रेषण का माध्यम

कंपनी अपने स्टेकहोल्डर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित सम्प्रेषण के सभी माध्यमों का अनुरक्षण करती है। कंपनी की वेबसाइट इंटरनेट पर डाली जाती है और इसके स्टेकहोल्डर्स ई–मेल, टेलीफोन और फैक्स तथा संचार के सभी अन्य परंपरागत माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं।

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में : सदस्यगण
मैसर्स बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड
कासरगोड

हमने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिनांक 14.05.2010 को जारी लोक उद्यम विभाग (डीपीईं) के दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित के अधीन हम उल्लेख करते हैं किः

गैर सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिये कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार कम से कम एक तिहाई बोर्ड सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और लेखा परीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। चूंकि सरकार द्वारा अभी पूर्ण बोर्ड का गठन किया जाना है, कंपनी शर्त को पूरा नहीं कर सकी। अतः कंपनी में इसके बोर्ड अथवा लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर वर्णित दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों की अनुपालना की है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भविष्यकालीन व्यवहार्यता का और न ही कंपनी के कार्यों को संचालित करने में प्रबंधन की कुशलता अथवा प्रभावशीलता का आश्वासन है।

कृते जैकब एंड इसाक एसोसिएट्स

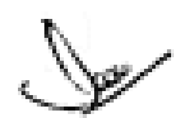

चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
के.पी. मोहम्मद इसाक, बी.कॉम., एफसीए
साझेदार
एफआरएन नं.: 007675एस
सदस्यता सं. :204171

स्थान : मंगलौर
दिनांक : 30 अप्रैल, 2014

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड के संलग्न तुलनपत्र, लाभ हानि खाते और नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है जिसमें वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और कंपनी के नकद प्रवाह का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानदंडों के अनुरूप सही और सच्ची तस्वीर दी गई है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के संगत आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो सत्य और मुक्त तथा तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण से मुक्त, चाहे किसी घोटाले अथवा त्रुटि के कारण हो, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानदंडों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस संबंध में एक उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और संचालित करें कि क्या ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गड़बड़ी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में संलग्न प्रलेख और वित्तीय विवरण के प्रकटन शामिल रहते हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गड़बड़ी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हुई है, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के वास्ते वित्तीय विवरणों को तैयार करने और स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण के कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो स्थिति अनुरूप उपयुक्त होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं महत्वपूर्ण आकलन तथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से प्राप्त सबूत हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध करवाने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षानुसार तथा सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य सिद्धातों के अनुरूप सही और उचित विचार देते हैं:

(क) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों के तुलन पत्र के मामले में,

(ख) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के लाभ–हानि, लाभ के विवरण के मामले में,

(ग) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के नकद प्रवाह के विवरण के मामले में।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227 के उप अनुच्छेद (4ए) के अनुसरण में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार तथा कम्पनी की बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांच के अवसर पर जिसे हमने उचित समझा तथा हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमने उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण संलग्न अनुबंधों में दिया है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 227(3) के प्रावधानों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

   क) हमने लेखापरीक्षा के प्रयोजन से अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी आवश्यक

जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं,

ख) जहां तक कंपनी की बहियों की जांच का प्रश्न है, हमारी राय में कंपनी ने लागू कानून की अपेक्षानुसार अपनी बहियों का उचित रखरखाव किया है,

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुबंध के अनुसार है,

घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाते, नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 211 के उप अनुच्छेद 3ग) में उल्लिखित लेखांकन मानदंडों के अनुरूप हैं;

ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन के आधार पर 31 मार्च, 2014 को, जिसे निदेशक मण्डल ने रिकार्ड में शामिल किया है, कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के उप अनुच्छेद (1) के उपबंध (छ) की शर्तों के तहत निदेशक के तौर पर नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।

कृते मैसर्स जैकब एंड आइसेक एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 007675 एस

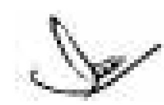

के.पी. मोहम्मद आइसेक, बी.कॉम. एफसीए
साझेदार
(स.सं. 204171)

स्थान : मंगलौर
दिनांक : अप्रैल 30, 2014

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

अनुबंध बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड के सदस्यों को कंपनी के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में है।

यथापेक्षित और लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर, जिन्हें उपयुक्त समझा गया, जांच के आधार पर हम बयान करते हैं कि:

1. (क) कंपनी ने सामान्य तौर पर अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरों और स्थिति सहित पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित दस्तावेज बनाए रखे हैं।

   (ख) हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधन ने न्यायोचित अंतराल में स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया है; ऐसे सत्यापन पर कोई वास्तविक विरोधाभाष नहीं देखा गया है।

   (ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान किसी अचल परिसंपत्ति का निपटान नहीं किया गया है और इस प्रकार इसकी जारी स्थिति प्रभावित नहीं हुई है।

2. (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल के बाद मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है।

   (ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार मालसूची के भौतिक सत्यापन के संबंध में अनुपालित प्रक्रिया का कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृतिक के अनुरूप युक्तिसंगत और पर्याप्त है।

   (ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी मालसूची का रिकार्ड उचित प्रकार से रख रही है और भौतिक सत्यापन में कोई त्रुटि सामने नहीं आई है।

3. (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कवर कम्पनियां, फर्मों और अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित अथवा असुरक्षित नहीं प्राप्त किया है। तद्नुसार कम्पनी (लेखा परीक्षण की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैरा 4 का खण्ड (iii) (ख) से (iii) (ग) (iii) (घ) चालू वर्ष के लिए कम्पनी पर लागू नहीं है।

   (ख) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों से कोई ऋण सुरक्षित अथवा असुरक्षित नहीं लिया है। उप खण्ड (च) और (छ) कम्पनी पर लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद तथा माल एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में कम्पनी के आकार तथा इसके व्यवसाय स्वरूप के समनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी की बहियों तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमें आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में बड़ी कमजोरियों को सुधार करने में लगातार असफल रहने के बारे में न तो पता चला है और न ही कोई सूचना मिली है।

5. क) हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित कोई संविदाएं अथवा व्यवस्थाओं की उस धारा के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है।

   ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के तहत कवर होने वाले पक्षों के साथ किया गया कारोबार एक वित्तीय वर्ष में पांच लाख से अधिक नहीं है अतः कारोबार की न्यायोचितता संबंधी अपेक्षा का सवाल पैदा नहीं होता है।

6. कम्पनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 58ए तथा 58एए के अधीन आने वाली जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

7. प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

8. प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुरूप केंद्रीय सरकार द्वारा लागत रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उप धारा (1) के उपबंध (घ) के अधीन निर्धारण किया गया है और हमारी राय में प्रथम दृष्टि में निर्धारित लेखा और रिकार्डस तैयार और अनुरक्षित किया गया है।

9. (क) कंपनी के रिकार्डस के अनुसार, कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और यथा लागू कोई अन्य वास्तविक सांविधिक देयताएं सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उचित प्राधिकारियों के पास जमा कर रही है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भुगतान की तारीख के छः महीने से अधिक माह की अवधि हेतु 31 मार्च, 2014 को कोई भी सांविधिक देयता बकाया राशि विवादित नहीं थी।

   (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार आयकर, धन कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में ऐसी कोई देय राशि नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

10. इस उपबंध के तहत हमसे संचयी हानियों और नकदी हानियों के बारे में रिपोर्ट करना अपेक्षित है, जब कंपनी 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पंजीकृत हो। चूंकि कंपनी केवल 3 वर्ष पुरानी है, इस उपबंध के तहत कोई टिप्पणी नहीं की जानी है।

11. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणें के आधार पर, हमारी राय है कि, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों अथवा डिबेंचरधारकों को बकाए की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की है।

12. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचर तथ अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

13. कंपनी चिट फंड या निधि/म्युचुअल लाभ फंड/सोसायटी नहीं है। अतः कंपनी पर कंपनीज (आडिटर्स रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) के उपबंध के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में व्यवसाय अथवा व्यापार नहीं कर रही है। अतः लागू नहीं हैं।

15. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के असार कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से अन्य लोगों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

17. हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण और कंपनी के 31 मार्च, 2014 के तुलन पत्र की समग्र जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं कि अल्पावधि आधार पर ली गई निधि का दीर्घावधि निवेश हेत उपयोग नहीं किया गया है।

18. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई वरीयतन आबंटन नहीं किया है।

19. लेखापरीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी का कोई बताया डिबेंचर नहीं है।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक इश्यू के जरिए कोई धन नहीं जुटाया है।

21. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय है कि वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया और न ही इसके बारे मे सूचित किया गया।

कृते मैसर्स जैकब एंड आइसेक एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 007675 एस

के.पी. मोहम्मद आइसेक, बी.कॉम., एफसीए
साझेदार
(स.सं. 204171)

स्थान : मंगलौर
दिनांक : अप्रैल 30, 2014

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड, कासरगोड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड, कासरगोड का वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा और उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के उत्तरदायी हैं। इसे उनकी दिनांक **30.04.2014** की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा किया गया बताया जाता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड, कासरगोड के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकरण कागजातों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित होती है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने का कारण बनती है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

(जी. सुधारमिनि)
प्रधान निदेशक– वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई

स्थान : चेन्नई
दिनांक : मई 30, 2014

तुलन पत्र

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार

(₹ लाख में)

	विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2014 को		31.03.2013 को	
I.	**इक्विटी एवं देनदारियां**					
(1)	**शेयरधारक निधियां**					
	(क) शेयर पूंजी	1	**1050.00**		1050.00	
	(ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	**-198.64**	**851.36**	-92.48	957.52
(2)	**गैर–चालू देनदारियां**					
	(क) दीर्घावधि ऋण					
	(ख) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)					
	(ग) अन्य दीर्घावधि देनदारियां					
	(घ) दीर्घावधि प्रावधान	3	**352.47**	**352.47**	258.37	258.37
(3)	**चालू देनदारियां**					
	(क) लघु अवधि ऋण	4	**193.62**		317.78	
	(ख) व्यापार भुगतान	5	**1070.12**		891.83	
	(ग) अन्य चालू देनदारियां	6	**149.15**		172.64	
	(घ) लघु अवधि प्रावधान	7	**47.93**	**1460.82**	21.41	1403.66
	कुल			**2664.65**		2619.55
II.	**परिसंपत्तियां**					
(1)	**गैर–चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) अचल परिसंपत्तियां					
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	8	**777.99**		869.16	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां					
	(iii) पूंजीगत कार्य–प्रगति पर			**777.99**		869.16
	(ख) गैर–चालू निवेश					
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां	9	**100.42**		75.37	
	(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	10	**4.81**		21.35	
	(ङ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां			**105.23**		96.72
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) चालू निवेश					
	(ख) मालसूचियां	11	**432.62**		417.49	
	(ग) व्यापार प्राप्तियां	12	**1260.50**		1156.64	
	(घ) नकदी एवं नकदी समकक्ष	13	**50.20**		56.65	
	(ङ) लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	14	**38.11**		22.89	
	(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां			**1781.43**		1653.67
	कुल			**2664.65**		2619.55
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां					
	वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां	**26**				

अनुसूची 1 से 26 और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(राम कुमार मिश्र)
कंपनी सचिव

(भरथ कुमार शेट्टी)
प्रबंधक (वित्त)

(कोमोडोर (रिटा.) के. शमसुद्दीन)
निदेशक

(एस. बासु)
प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैकब एंड आइसेक एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन नं.: 001007S

(के.पी. मोहम्मद आइसेक)
साझेदार
सदस्य सं. : 204171

स्थान : मंगलौर
दिनांक : 30 अप्रैल, 2014

बीएचईएल BHEL महारत्न कंपनी Golden Jubilee 1964-2014 50 Years

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

	विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़ें	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़ें
I.	**प्रचालनों से राजस्व (सकल)**	15	**3702.97**	2653.38
	घटाएं : उत्पाद शुल्क		**243.79**	181.20
	घटाएं : सेवा कर		**7.19**	
			3451.99	2472.18
II.	**अन्य प्रचालन आय**	16	**13.16**	13.08
III.	**अन्य आय**	17	**3.51**	4.80
	कुल राजस्व (I से III)		**3468.66**	2490.06
IV.	**व्यय**			
	सामग्री खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय	18	**2656.26**	1811.23
	प्रगति अधीन कार्य में वृद्धि/(कमी) और तैयार वस्तुए	19	**-41.24**	-27.83
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	20	**692.61**	563.25
	उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा विवरण संबंधी अन्य व्यय	21	**156.52**	149.60
	प्रावधान (निवल)	22	**16.84**	
	वित्त लागत	23	**24.74**	23.79
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	8.1	**94.04**	100.48
	घटाएंः आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य की लागत			
	कुल व्यय		**3599.77**	2620.52
V.	पूर्व अवधि समायोजन लाभ/(हानि), विशिष्ट मदें और कर		**-131.11**	-130.46
	पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	24	**-0.10**	0.13
	घटाएंः कर व्यय/(कर आय)	25	**25.05**	75.37
VI.	जारी प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/ (हानि)		**-106.16**	-54.96
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां			
	वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियां	**26**		

अनुसूची 1 से 26 और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(राम कुमार मिश्र)	(भरथ कुमार शेट्टी)	(कोमोडोर (रिटा.) के. शमसुद्दीन)	(एस. बासु)
कंपनी सचिव	प्रबंधक (वित्त)	निदेशक	प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैकब एंड आइसेक एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन नं.: 001007S

(के.पी. मोहम्मद आइसेक)
साझेदार
सदस्य सं. : 204171

स्थान : मंगलौर
दिनांक : 30 अप्रैल, 2014

नकदी प्रवाह विवरण

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

		2013-2014	2012-2013
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शुद्ध लाभ (हानि)	-131.21	-130.33
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	मूल्यह्रास	94.04	100.48
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		
	प्रावधान (दीर्घावधि)	94.10	21.43
	ब्याज व्यय		
	कुल	56.93	-8.42
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	व्यापार तथा अन्य प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	-102.54	-631.58
	मालसूची में (वृद्धि)/कमी	-15.13	-34.61
	व्यापार तथा अन्य भुगतान में (वृद्धि)/कमी	181.32	585.13
	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	63.65	-81.06
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	परिसंपत्तियों की बिक्री		
	प्राप्त ब्याज		
	(स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद)	-2.87	-6.34
	निवेश गतिविधियों से नकद राशि	-2.87	-6.34
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	दीर्घावधि ऋण में वृद्धि/(कमी)		
	लघु अवधि ऋण में वृद्धि/(कमी)	-124.16	131.38
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	-124.16	131.38
	नकदी/नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	-6.45	35.56
	प्रारंभिक नकदी शेष	56.65	21.09
	अवधि के अंत में नकदी/नकदी समतुल्य	50.20	56.65

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(राम कुमार मिश्र)
कंपनी सचिव

(भरथ कुमार शेट्टी)
प्रबंधक (वित्त)

(कोमोडोर (रिटा.) के. शमसुद्दीन)
निदेशक

(एस. बासु)
प्रबंध निदेशक

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैकब एंड आइसेक एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन नं.: 001007S

(के.पी. मोहम्मद आइसेक)
साझेदार
सदस्य सं. : 204171

स्थान : मंगलौर
दिनांक : 30 अप्रैल, 2014

अनुसूची 1 – शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

		31.03.2014 को		31.03.2013 को
प्राधिकृत				
@ ₹ 10 प्रत्येक के 15000000 शेयर	**1500.00**		1500.00	
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		**1050.00**		1050.00
@ ₹ 10 प्रत्येक के 10500000 शेयर पूर्णतः प्रदत्त				
(बीएचईएल और इसकी नामांकित धारक – @ ₹ 10 प्रत्येक के 5355000 शेयर – 51 प्रतिशत (पिछले वर्ष @ ₹ 10 प्रत्येक के 5355000 शेयर)				
केरल सरकार और इसके नामांकित धारक – @ ₹ 10 प्रत्येक के 5145000 शेयर – 49 प्रतिशत (पिछले वर्ष केरल सरकार और इसकी नामांकित धारक के पास @ ₹ 10 प्रत्येक के 5145000 शेयर)				
		1050.00		**1050.00**

अनुसूची 2 – प्रारक्षित निधि और अधिशेष

(₹ लाख में)

		31.03.2014 को		31.03.2013 को
वर्ष के लिए लाभ/हानि				
(लाभ एव ंहानि का विवरण)	**-106.16**		**-54.96**	
पिछले वर्ष से आगे ले जाया गया लाभ (हानि) का शेष	**-92.48**		**-37.52**	
विदेशी परियोजना प्रारक्षित पुनर्लेखन				
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ		**-198.64**		-92.48

अनुसूची 3 – दीर्घावधि प्रावधान

(₹ लाख में)

		31.03.2014 को		31.03.2013 को
संविदात्मक दायित्व–दीर्घावधि				
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान				
अवकाश लाभ उपार्जित–दीर्घावधि	**23.25**		15.06	
उपदान उपार्जित–दीर्घावधि	**329.22**		243.31	
अन्य दीर्घावधि प्रावधान				
		352.47		258.37

अनुसूची 4 – लघु अवधि ऋण

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को	31.03.2013 को
प्रारक्षित		
बैंकों से ऋण एवं अग्रिम		
कैश क्रेडिट (स्पष्ट बैलेंस) (अचल परिसंपत्तियों, कच्चे माल, अवयवों, स्टोर्स एवं स्पेयर्स, प्रगति अधीन कार्य, तैयार वस्तुओं, व्यापार प्राप्तियों और अन्य चालू परिसंपत्यिां को गिरवरी रखकर प्रारक्षित)	**193.62**	317.78
अप्रारक्षित		
– कंपनियों से–शून्य		
	193.62	317.78

अनुसूची 5 – व्यापार देयताएं

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को	31.03.2013 को
व्यापार देयताएं	**1070.12**	891.83
₹ 14320 के स्टेल चैकों सहित		
(सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर प्रकटन		
अनुसूची सं. 26 के मद सं. 2(ख) में दिया गया है)	**1070.12**	891.83

अनुसूची 6 – अन्य चालू देनदारियां

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को	31.03.2013 को
ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**60.19**	84.32
ठेकेदारों और अन्यों से जमा	**14.63**	1.02
अन्य देयताएं/देनदारियां	**74.33**	87.30
कर्मचारी हितलाभ के प्रति 2012–2013 में अन्य देनदारियों में कर्मचारी लाभों के प्रति ₹ 29.63 अन्य कर्मचारी हितलाभ इस वर्ष बिन्दु सं. 7 के अंतर्गत लाये गये हैं।		
	149.15	172.64

अनुसूची 7 – लघु–अवधि प्रावधान

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को		31.03.2013 को	
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान				
अवकाश नकदीकरण	**2.06**		1.52	
उपदान	**14.74**		13.93	
अन्य कर्मचारी हितलाभ	**30.12**	**46.92**		15.45
अन्य लघु–अवधि प्रावधान				
बिक्री पर अवास्तविक अंतर		**1.01**		5.96
(एएस 9 के अनुसार)		**47.93**		21.41

अनुसूची 8 – अचल परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को	31.03.2013 को
(i) मूर्त परिसंपत्तियां		
सकल खण्ड	**1065.43**	1062.57
घटाएं: संचित मूल्यह्रास	**-287.44**	-193.41
घटाएं: संचित हानि		
घटाएं: पट्टा समायोजन खाता		
निवल खण्ड	**777.99**	869.16

अनुसूची 8.1 में विवरण का संदर्भ लें

अनुसूची 8.1 – अचल परिसंपत्तियां

(31.03.2014 को)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	निवल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
		01.04.2013 को लागत	वर्ष के दौरान संयोजन/समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	31.03.2014 को कुल लागत	01.04.2013 को मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	31.03.2014 तक मूल्यह्रास	31.03.2014 को	31.03.2013 को
1	फ्री–होल्ड भूमि (विकास खर्चों सहित)	31.15	0.00	0.00	31.15	0.00	0.00		0.00	31.15	31.15
2	भवन	337.43	0.00	0.00	337.43	22.80	11.40		34.20	303.23	314.63
3	संयंत्र एवं मशीनरी	638.20	2.33	-6.41	646.94	153.22	77.66	6.41	237.29	409.65	484.98
4	इलेक्ट्रॉनिक डॉटा प्रोसेसिंग उपकरण	5.43	0.00	0.00	5.43	1.74	1.15		2.89	2.54	3.69
5	इलेक्ट्रिकल संस्थापना	33.19	0.00	-0.64	33.83	5.36	2.65	0.64	8.65	25.18	27.83
6	वाहन	0.44	0.00	0.00	0.44	0.06	0.04		0.10	0.34	0.38
7	फर्नीचर और फिक्सचर्स	0.12	0.00	0.00	0.12	0.01	0.01		0.02	0.10	0.11
8	कार्यालय और अन्य उपकरण	7.31	0.00	0.00	7.31	0.92	0.59		1.51	5.80	6.39
9	अचल परिसंपत्तियां जिनकी लागत ₹10,000 तक है	9.30	0.54	7.05	2.79	9.30	0.54	-7.05	2.79	0.00	0.00
	कुल	**1062.57**	**2.87**	**0.00**	**1065.44**	**193.41**	**94.04**	**0.00**	**287.45**	**777.99**	**869.16**

अनुसूची 9 – आस्थगित कर परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को	31.03.2013 को
प्रावधान	**75.37**	75.37
वर्ष के लिये संयोजन*	**25.05**	
*अनुसूची सं. 25 में कार्यों का संदर्भ लें	**100.42**	75.37

अनुसूची 10 – गैर–चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को	31.03.2013 को
गैर चालू ऋण एवं अग्रिम		
अग्रिम कर		19.37
अग्रिम कर पर उपार्जित ब्याज		1.20
टीडीएस	**4.81**	0.78
	4.81	21.35

अनुसूची 11 – मालसूचियां

(₹ लाख में)

		31.03.2014 को		31.03.2013 को
भंडार और अतिरिक्त पुर्ज़े				
उत्पादन	**2.19**		2.17	
ईंधन भंडार				
विविध		**2.19**		2.17
कच्चा माल तथा संघटक	**171.65**		199.95	
मार्गस्थ सामग्री	**2.17**	**173.82**		199.95
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)				
तैयार माल		**119.61**		90.59
कार्य प्रगति पर		**137.00**		124.78
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 6 के अनुरूप मूल्यांकित				
		432.62		417.49

अनुसूची 12 – व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

		31.03.2014 को	31.03.2013 को
छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		**192.32**	76.55
अन्य ऋण		**1085.02**	1080.09
		1277.34	1156.64
घटाएं : बुरे और संदेहपूर्ण ऋण तथा स्वचालित मूल्य कमी समायोजन खाता		**16.84**	
		1260.50	1156.64
व्यापार प्राप्तियों में शामिल है:			
आस्थगित ऋण: ₹ 53.51 लाख			
वस्तु वितरित लंबित बिलिंग ₹ 1.99 लाख			
व्यापार प्राप्तियों का विवरण			
सुरक्षित विचारित सामान			
असुरक्षित विचारित सामान		**1260.50**	1156.64
संदिग्ध		**16.84**	
		1277.34	1156.64

अनुसूची 13 – रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(₹ लाख में)

		31.03.2014 को	31.03.2013 को
नकदी और स्टैम्पस के रूप में		**0.31**	0.28
चैक, डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में			
पारगमन में प्रेषण			
अनुसूचित बैंकों में अधिशेष			
चालू खाता		**0.70**	0.27
जमा खाता			
एलसी पर मार्जिन मनी	**48.30**		
उपार्जित ब्याज (पिछले वर्ष ₹ 55.67 लाख एवं ₹ 0.43 लाख)	**0.89**	**49.19**	56.10
12 माह की परिपक्वता अवधि से अधिक के जमा			
		50.20	56.65

अनुसूची 14 – लघु–अवधि ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को		31.03.2013 को	
अग्रिम (नकद प्राप्तियां या किसी अन्य प्रकार या मूल्य के रूप में प्राप्त)				
सहायक कंपनियों को				
कर्मचारियों को	**9.39**		2.80	
क्रय के लिए	**0.22**		0.17	
अन्य के लिए	**5.54**	**15.15**	7.92	10.89
जमा				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष	**0.03**		0.03	
अन्य	**22.93**		11.97	
अग्रिम कर/टीडीएस (कराधान हेतु प्रावधान का शुद्ध)		**22.96**		12.00
		38.11		22.89
ऋणों और अग्रिमों का विवरण:–				
प्रारक्षित, अच्छा माना गया				
अप्रारक्षित, अच्छा माना गया		**38.11**		22.89
संदिग्ध				

अनुसूची 15 – प्रचालनों से राजस्व

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये
बिक्री घटा वापसी	**3462.40**	2570.75
बाहरी निर्माण और अन्य सेवाओं से आय	**240.57**	82.63
वर्क्स ठेकों से राजस्व		
वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां		
	3702.97	2653.38

अनुसूची 16 – अन्य प्रचालन आय

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये
निर्यात प्रोत्साहन		
लीज़ पर परिसंपत्तियों से किराये की आय		
लीज इक्वेलाइजेशन अकाउंट		
वित्त पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर वित्त आय		
विनिमय भिन्नताएं (अधिशेष)		
स्क्रैप की बिक्री	**13.16**	12.79
अन्य		0.29
बिक्री/अधिशेष के स्थानांतरण से प्राप्ति		
	13.16	13.08

अनुसूची 17 – अन्य आय

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये
ग्राहकों से		
कर्मचारियों से		
बैंकों से टीडीआर पर ब्याज – (टीडीएस ₹ 0.51 लाख)	**3.51**	2.40
अग्रिम कर/टीडीएस पर ब्याज		1.20
निवेश से (चालू–व्यापार के अलावा)		
विविध प्राप्तियां		1.20
	3.51	4.80

अनुसूची 18 – सामग्री की खपत, संस्थापना और इंजीनियरिंग व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये
कच्चे माल और संघटकों की खपत	**2412.49**	1714.39
भंडार और पुर्ज़ों की खपत	**16.69**	14.44
निर्माण एवं इंजीनियरी, उप ठेकेदारों को भुगतान छोड़कर	**227.08**	82.40
	2656.26	1811.23

अनुसूची 19 – प्रगति अधीन कार्य में वृद्धि/(कमी) और तैयार वस्तुएं

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये		31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये	
कार्य प्रगति पर				
अंतः अधिशेष	**137.00**		124.78	
प्रारंभिक अधिशेष	**124.78**	**12.22**	63.84	60.94
तैयार माल				
अंतः अधिशेष	**119.61**		90.59	
प्रारंभिक अधिशेष	**90.59**	**29.02**	123.70	-33.11
		41.24		27.83
टिप्पणी:				
तैयार माल में उत्पाद शुल्क का तत्व				
अंतः अधिशेष		**11.17**		9.96
प्रारंभिक अधिशेष		**9.96**		13.61

अनुसूची 20 – कर्मचारियों का लाभ

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ	**568.12**	452.19
उपदान निधि में अंशदान		
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**54.86**	49.68
कर्मचारी कल्याण व्यय	**69.63**	61.38
	692.61	563.25

अनुसूची 21 – उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण पर अन्य व्यय

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये
किरायाः आवासीय	**1.90**	1.99
उत्पाद शुल्क (तैयार माल और स्क्रैप पर)	**2.65**	-2.23
बिजली और ईंधन	**50.21**	43.91
दरें और कर	**4.26**	8.51
सेवा कर (जीटीए के प्रति)	**1.83**	0.49
बीमा	**1.99**	1.91
मरम्मत	**12.00**	11.22
बाह्य ढुलाई प्रभार	**18.84**	18.88
यात्रा और वाहन	**15.15**	17.96
(निदेशकों को टीए/डीएः ₹ 3.60 लाख)		
विविध व्यय	**47.69**	46.91
निर्णीत हर्ज़ाना चार्ज़्ड ऑफ		0.05
	156.52	149.60

अनुसूची 22 – प्रावधान

(₹ लाख में)

		31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये
सन्दिग्ध ऋण, निर्णीत हर्ज़ाने तथा ऋण और अग्रिम			
वर्ष के दौरान सृजित	**16.84**		
घटाएँ : वर्ष के दौरान पुरांकित		**16.84**	
संविदात्मक दायित्व			
वर्ष के दौरान सृजित			
घटाएँ : वर्ष के दौरान पुरांकित			
अन्य			
वर्ष के दौरान सृजित			
घटाएँ : वर्ष के दौरान पुरांकित		**0.00**	0.00
		16.84	0.00

अनुसूची 23 – वित्त लागत

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये
डिबेंचर/बॉण्ड, केंद्रीय और राज्य सरकार से ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उधार	**24.74**	7.67
आस्थगित ऋण		
अन्य (2012–2013 में बीएचईएल से डब्ल्यूसीएल पर ₹ 170 लाख)		16.12
अन्य ऋण लागत		
घटाएं : पूंजीकृत उधार लागत		
	24.74	23.79

अनुसूची 24 – पूर्वावधि समायोजन

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये		31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिये	
आय				
ब्याज			0.08	
अन्य	**0.88**	**0.88**	0.61	0.69
घटाएं				
खर्चे				
अन्य खर्चे	**0.98**	**0.98**		0.56
निवल		**-0.10**		0.13

अनुसूची 25 – आस्थगित कर आय/परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिये	
लाभ/(हानि)–लाभ एवं हानि खाते के अनुरूप	**-131.21**	
जोड़ें		
लेखाओं के अनुरूप मूल्यह्रास	**94.04**	
घटाएं–आयकर नियमों के अनुरूप मूल्यह्रास	**103.11**	
निवल हानि		**-140.28**
घटाएं लेखा बहियों में प्रावधान–समय अंतर		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**16.84**	
अशोध्य ऋणों के लिये प्रावधान	**25.31**	
कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान (बोनस)	**20.91**	**63.06**
आयकर के अनुरूप आय		**-77.22**
कर आय/आस्थगित कर परिसंपत्ति		**-25.05**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्रोद्भवन विधि तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी द्वारा निरंतर किया जा रहा है।

2. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और कल्पनााएं करना अपेक्षित होता है जो रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय और वित्तीय विवरणों की तिथि को आकसिमक देयताओं सहित देनदारियों और परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में मान्य किये जाते हैं जिसमें परिणाम आए होते हैं।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

स्थायी परिसंपत्तियां अधिग्रहण या निर्माण अथवा संग्रहित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई है, को घटाकर बही मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं।

लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत/बाजार कीमत, जो भी कम हो, में लिए गए पूंजीगत कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/ऋणों के संबंध में अवमूल्यन/पुर्नमूल्यन जैसी असाधारण घटनाओं के प्रभाव को लागत से घटाया जाता है।

3. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

क. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियो को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है, अगर

(क) यह संभाव्य हो कि भविष्य में परिसंपत्ति के कारण होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा, और

(ख) कंपनी का परिसंपत्तियों पर नियंत्रण होगा, और

(ग) इन परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है और ₹ 10,000 से अधिक है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि में सीधी रेखा यथानुपात मासिक आधार पर परिषोधित किया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर के मामले में तीन वर्षों और अन्य के मामले में दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

ख. (क) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को होने वाले वर्ष में लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक के अनुसार मानदंड पूरी करने वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास चरण के दौरान व्यय सहित विकास पर किए गए व्यय को अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

(ग) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

5. मूल्यह्रास

स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उसे छोड़कर जहां मूल्यह्रास, तकनीकी रूप से आकलित अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाता है, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–XIV में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी–रेखा विधि पर परिसंपत्तियों की कुल लागत तक प्रभारित किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है –

	एकल पाली	दोहरी पाली	तिहरी पाली
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	8%	12%	16%
भवन (तृतीय श्रेणी)	3.5%		
विद्युतीय संस्थापनाए	8%		
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	8%		
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	20%		

स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि/से कटौती के मामले में मूल्यह्रास प्रभार, यथानुपात मासिक आधार पर होता है।

₹ 10,000 या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा उन परिसंपत्तियों, जिनका ह्रासित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में ₹ 10,000 या कम है, का पूर्णतः मूल्यह्रास होता है।

6. मालसूची मूल्यांकन

(i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(ii) संयंत्रों में तैयार माल तथा जारी कार्यों का मूल्यन

वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या वसूली योग्य मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(iii) तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का अर्थ कारखाना लागत है, वास्तविक/ अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।

(iv) कच्चे माल, संघटकों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारांकित औसत लागत है।

(v) उत्पादन आर्डरों के लिए खरीद/विनिर्मित संघटकों और अन्य सामग्रियों, जिन्हें अथिशेष घोषित किया गया हो, को तकनीकी अनुमानों के आधार पर अवशिष्ट मूल्य प्रतिधारित करते हुए राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

7. राजस्व मान्यता

ग्राहक के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर बिक्री को दर्ज किया जाता है। बिक्री के अंतर्गत आंशिक शिपमेंट द्वारा ग्राहक को प्रेषित किया गया माल आता है।

8. कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना अंशदानों की गणना उपार्जन आधार पर होती है। अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंशदान को प्रोद्भवन आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। उपदान, सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावे और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है। बीमांकिक देयता कर्मचारियों के संदर्भ में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में निर्धारित की जाती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति होने वाले कैलेण्डर वर्ष में यथानुपात मासिक आधार पर प्रभारित की जाती है।

9. ऋण लागत

ऋण लागत, जो कि अर्हक परिसंपत्तियों के विनिर्माण, अधिग्रहण या निर्माण के कारण होती है, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के तौर पर शामिल की जाती है। अर्हक परिसंपत्ति वह है जिसमें उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में बारह माह से अधिक का समय लगता है।

अन्य ऋण लागतों को उस अवधि में खर्च के तौर पर माना जाता है जिसमें वे घटित होते हैं।

10. कंपनी द्वारा/के विरुद्ध दावे

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेन–देनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आकलन के आधार पर लेखे में माना जाता है।

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क की वापसी और बीमा के लिए दावे आदि प्राप्ति पर लेखे में लिए जाते हैं।

(iii) मूल्य वृद्धि दावे और/अथवा संविदा कार्य के परिवर्तनों के संबंध में देय राशियों को केवल तभी राजस्व के रूप में माना जाता है जब संविदाओं से ऐसे दावों अथवा भिन्नताओं की शर्तें हों और/अथवा ग्राहकों से उसकी स्वीकार्यता का साक्ष्य हो। तथापि वृद्धि आंतरिक मूल्य तक प्रतिबंधित होती है।

11. आय पर कर

चालू कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य आय पर किया जाता है। आस्थगित कर देयता/परिसंपत्ति लेखाकरण आय और कर योग्य आय के बीच समयांतर के परिणामस्वरूप कर का निर्धारण लागू दर पर और बाद में कार्यान्वित कानून को ध्यान में रखते हुए विचारित किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की गणना केवल तभी आगे उस स्थिति में की जाती है कि इस बात की न्यायोचित निश्चितता है कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों के तहत उपलब्ध होगी। गैर विलयकृत अवमूल्यन के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आगे अग्रेषित हानियां को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ऐसी वास्तविक स्थिति हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के वास्तविकीकरण के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

12. हानि

जब कभी हानि के संकेत होते हैं प्रत्येक तुलन पत्र पर नकदी सृजन इकाइयों की राशि की समीक्षा की जाती है। इम्पेअरमेंट हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब अग्रेषित राशि नकदी सृजन इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होता है तो इम्पेअरमेंट हानि को रिवर्स कर दिया जाता है और ऐसी हानि अधिक समय नहीं रहती अथवा घट जाती है।

टिप्पणी–26

1. देय कर्मचारी उपदान और अवकाश नकदीकरण का मूल्यांकन एएस–15 के अनुरूप बीमाकिंग मूल्यांकन के जरिए किया जाता है।

2. व्यापार देयताओं में शामिल है

   क. सरकारी चैकः ₹ 14320/–

   ख. एसएसआई यूनिट को देय राशिः ₹ 270291/–

   ग. संविदात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप वेंडर्स से रिटेंशनः ₹ 725709/–

3. कंपनी वर्ष 2011–2012 के दौरान अस्तित्व में आई है। अतः 31.03.2014 को धारित सभी कच्ची सामग्रियों की आये 3 वर्ष से कम पुरानी है। धमी/अचल मदों के स्टॉक का विधिवत मूल्यांकन किया गया है और मूल्यांकन कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुरूप किया जाता है।

4. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार बिक्री को महत्वपूर्ण जोखिमों और ग्राहकों के पक्ष में अंतरित किये जा रहे स्वामित्व के आधार पर दर्ज किया जाता है। वर्ष 2012–2013 के दौरान अवास्तविक अंतर के रूप में ₹ 5.96 लाख की राशि को वर्ष के दौरान वास्तविक किया गया। बिक्री के तहत वर्ष 2013–14 के लिये बुक किया गया अवास्तविक अंतर ₹ 1.01 लाख है।

5. अचल परिसंपत्तियों पर प्रत्येक ₹ 10000/– तक 100 प्रतिशत मूल्यह्रास प्रदान करने के लाभ का प्रभाव, पूर्ववर्ती वर्षों पर इसके प्रभाव पर विचार किये बग़ैर, निम्नानुसार हैः–

	2013-2014	2012-2013
लेखा वर्ष में प्रभारित ₹ 10000/– तक की परिसंपत्तियों पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास	₹ 183669.00	₹ 856819.00
उपरोक्त पर सामान्य मूल्यह्रास	₹ 25500.00	₹ 91223.00
प्रभारित किया गई अतिरिक्त राशि	₹ 158169.00	₹ 765596.00

6. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुरूप, अचल परिसंपत्तियां जिनकी रिटन डाउन वैल्यू वर्ष के शुरू में ₹ 10000/– अथवा कम है, पूर्णतः अवमूल्यन कर दिया गया है। लेकिन वर्ष 2012–2013 के दौरान इन परिसंपत्यिों को (कुल मूल्य ₹ 704817) उपयुक्त खण्ड के अधीन सूची से हटा दिया गया है और ''₹ 10000/– या कम की लागत की अचल परिसंपत्तियों'' के अधीन वर्गीकृत किया गया है। इनमें संबंधित शीर्ष के अधीन जिनसे वे संबंधित हैं पुनवर्गीकृत करते हुए सुधार किया जाता है। इसका न तो अचल परिसंपत्तियों के पूर्ण मूल्य पर और नही लाभपरकता पर कोई प्रभाव है।

7. उप ठेकेदारों/निर्माताओं के पास व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देयताओं, जमाओं, सामग्रियों के अधीन पड़े शेष का समायोजन किया जाता है और जहां कहीं संभव है पुष्टि का पत्र प्राप्त कर लिया गया है। अन्य सभी मामलों में संचालित आधार पर किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक माना जाता है कि दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किये जाते हैं।

8. निदेशकों (प्रबंध निदेशक सहित) का यात्रा व्यय

वर्ष	2013-2014	2012-2013
प्रबंध निदेशक	₹ 306865.00	₹ 543393.00
अन्य निदेशक	₹ 53348.00	₹ 28968.00

9. आकस्मिक देयताएंः–

   क. कंपनी के विरूद्ध दावक जिन्हें ऋण/कटौती योग्य नहीं माना गया है

(₹ लाख में)

		2013-2014	2012-2013
1	निर्णीत हर्ज़ाने के कारण अवधारण	102.40	51.39
2	मूल्य में कमी के उपबंध पर धारण	-	6.72
3	सांविधिक दर विभिन्नता उपबंध पर विभिन्न रेलवे द्वारा धारण	-	8.57
4	कामगारों को भुगतान किए गए तदर्थ वसूली योग्य अग्रिम की राशि	6.67	-
	कुल	**109.07**	**66.68**

i) उपरोक्त क्रम सं. 1 के तहत ग्राहकों से अधिकतम संभव राशि के वास्तविकीकरण के प्रबंध के पूर्ण प्रयास जारी हैं। चूंकि दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान अब नहीं लगाये जा सकते, एएस 29 के अनुरूप इन मदों को आकस्मिक देयताओं के तहत वर्गीकृत किया गया है।

ii) कामगारों के वेतन संशोधन के लिये ट्रेड संघों के साथ विचारविमश्श जारी है। अंतिम समझौते की पद्धति पर किसी संकेत की अनुपस्थिति में और चूंकि तदर्थ स्वीकृत अग्रिम सशर्त है, वेतन एरियर के लिये कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। अतः भुगतान किये गये अग्रिम को एएस 29 के अनुरूप आकस्मिक देनदारियों के अधीन दर्शाया गया है।

ख. आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में स्थापित क्रेडिट पत्र का विवरण 31.03.2014 के अनुसार लंबित क्लीयरेंस ₹ 254.35 लाख है। इन साख पत्रों के तहत आपूर्ति प्राप्त हुई, इनकी गणना की गई और व्यापार देयता खाते में इन्हें दर्शाया गया।

ग. 31.03.2014 को जारी, लंबित बैंक गारंटी का विवरण ₹ 66.88 है।

घ. 31.03.2014 को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बैंक के जरिए प्रस्तुत किये गये बिल, जिनकी क्लीयरेंस लंबित है, शून्य है।

10. विविध रसीदों का विवरण

क. अन्य (राउंड ऑफ सहित): ₹ 72.05

11. एएस 18 के अनुरूप संबंधित पक्ष लेनदेन

क. संबंधित पक्ष जहां नियंत्रण मौजूद है

पक्ष का नाम : **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**

संबंध की प्रकृति : **धारक कंपनी**

ख. अन्य संबंधित पक्ष (प्रमुख प्रबंध कार्मिक):

1. श्री एल. गोपालकृष्णन, प्रबंध निदेशक (बीएचईएल के नामिती) 14.03.2014 से
2. श्री एस. बासु, प्रबंध निदेश (बीएचईएल के नामिति) 14.03.2014 से

संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेनदेन की पकृति	धारक कंपनी	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
1	वस्तुओं की बिक्री	676.40	-
2	देय राशि	363.85	-
3	आर्डरों के तहत अग्रिम	46.24	-

2 इंजीनियर प्रशिक्षु और 1 इंजीनियर कंपनी में बीएचईएल से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

12. पूर्वावधि खर्चों और आय का विवरण

क. पूर्वावधि खर्चः ₹ **98447/–**

क) अतिरिक्त लिये गये उपकर की वापसी	: ₹ 8265.00
ख) यात्रा खर्च	: ₹ 1427.00
ग) बिक्री पर मालभाड़ा	: ₹ 50988.00
घ) कर्मचारियों को उपस्थिति बोनस	: ₹ 3989.00
ड) चिकित्सा व्यय	: ₹ 33610.00
च) केवैट उपकर	: ₹ 168.00

ख. पूर्वावधि आयः ₹ **87514.35/–**

क) भुगतान की गई वृत्ति की वसूली	: ₹ 536.35
ख) टीडीआर पर ब्याज	: ₹ 12273.00
घ) ट्रांजिट बीमा दावा	: ₹ 74705.00

13. अनुसूची 21 के अधीन प्रेषित विविध व्यय में शामिल है।

क.	लेखापरीक्षकों को भुगतान	2013-2014	2012-2013
क.	वैधानिक लेखापरीक्षक फीस	₹ 31000.00	₹ 25000.00
ख.	कर लेखापरीक्षा फीस	₹ 12500.00	₹ 2500.00
ग.	वैट लेखापरीक्षा फीस	₹ 7500.00	₹ 4000.00
ख.	**अन्य**		
क.	गेस्ट/गेस्ट हाउस व्यय	₹ 134868.00	₹ 126632.00

14. किराये पर व्यय

स्थान	2013-2014	2012-2013
क. गेस्ट हाउस (निवल)	₹ 165840.00	₹ 167718.00
ख. मनोरंजन क्लब	₹ 24000.00	₹ 31200.00

15. अनुरक्षण और मरम्मत पर अलग–अलग विवरण

मद	2013-2014	2012-2013
क. भवन	₹ 143030-00	₹ 184952-00
ख. संयंत्र एवं मशीनरी	₹ 855522-00	₹ 578209-00
ग. अन्य	₹ 201468-00	₹ 267280-00

16. प्रकटन एएस 7 के अनुरूप – शून्य

17. निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक सहित)

क. वेतन एवं भत्ते :– ₹ शून्य

ख. पीएफ में अंशदान :– ₹ शून्य

ग. उपदान में अंशदान :– ₹ शून्य

प्रबंध निदेशक को लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के विषयाधीन कंपनी के नियमों के अनुरूप प्रभाराधीन

आधार पर उनके निजी उपयोग के लिए कंपनी के वाहन का उपयोग करने की अनुमति है।

प्रबंध निदेशक को कंपनी द्वारा वसूली योग्य मासिक नियत दरों पर कंपनी के गेस्ट हाउस में बैचलर आवास उपलब्ध कराया जाता है।

18. चूंकि कंपनी में कोई अलग उपदान निधि मौजूद नहीं है, उपार्जित उपदान (एएस 15 के अधीन मूल्यांकन के अनुरूप वर्ष के लिये व्यय) सामान्य शीर्ष वेतन और अन्य भत्तों के अधीन वर्गीकृत किया किया जाता है। तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत किये जाते हैं।

19. मात्रात्मक विवरण–उत्पादन, बिक्री और क्लोजिंग स्टॉक

(₹ लाख में)

	खुला स्टॉक		उत्पादन		बिक्री		बंद स्टॉक	
मद	मात्रा (नं.)	मूल्य	मात्रा (नं.)	मूल्य	मात्रा (नं.)	मूल्य	मात्रा (नं.)	मूल्य
बीएजीपी, 110 केवीए तक	4	2.15	105.00	112.25	107.00	113.00	2.00	1.40
बीएजीपी, 110 केवीए से ऊपर	5	18.28	30.00	69.06	30.00	67.80	5.00	19.54
25 कि.वा ट्रेन लाइटिंग अल्टरनेटर्स			381.00	776.70	363.00	742.00	18.00	34.70
320 केवीए/यू/एस डीजी सेट			4.00	223.54	4.00	223.54		
विशेष अल्टरनेटर्स/ऑक्स अल्टरनेटर्स	9	31.04	28.00	78.42	24.00	70.68	13.00	38.78
डीजी सेट्स			2.00	52.19	2.00	52.19		
स्पार्ट के लिये डीजी सेट			20.00	355.20	20.00	355.20		
570 केवीए डीजी सेट फॉर पावर कार			27.00	756.88	27.00	756.88		
इंडक्शन मोटर्स			48.00	63.04	42.00	54.40	6.00	8.64
आरआरयू	64	29.15	102.00	91.56	156.00	115.34	10.00	5.37
सामान्य स्पेयर्स				48.70		48.70		
सर्विसिज एंड इंस्टालेशन				206.51		206.51		
जीएसओएस				645.75		645.75		
ईडी		9.97		252.18		250.98		11.17
सकल कारोबार	**82.00**	**90.59**	**747.00**	**3731.98**	**775.00**	**3702.97**	**54.00**	**119.60**

20. महत्वपूर्ण कच्चे माल की खपत

(₹ लाख में)

		खुला स्टॉक		क्रय		बंद स्टॉक		खपत	
मद	यूनिट	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लेमिनेशन	कि.ग्रा	48345.60	66.41	120785.06	156.30	31027.00	40.15	138103.66	182.56
डीजल ईंजन	नं.	0.00	0.00	42.00	695.78		0.00	42.00	695.78
तांबा	कि.ग्रा	10813.25	25.03	54670.86	148.00	8341.00	22.58	57143.11	150.45
इस्पात एवं एल्युमीनियम	कि.ग्रा	25572.13	13.27	117634.69	60.39	19635.00	10.08	123571.82	63.58
कास्टिंग	थोक		18.96		184.11		16.45	0.00	186.62
बियरिंग एवं अन्य	थोक		10.32		175.68		14.43	0.00	171.57
कंट्रोल पैनल	नं.		0.00	1.00	66.52		0.00	1.00	66.52
जनरेटर्स	नं.		0.00	23.00	524.52		0.00	23.00	524.52
टोरोइडल कोर	नं.		7.67	1306.00	30.72	0.00	0.00	1620.00	38.39
अन्य	नं.	314.00	60.47		358.87		70.15	0.00	349.19
			202.13		**2400.89**		**173.84**		**2429.18**

21. आयातित और स्वदेशी माल की खपत

(₹ लाख में)

	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
कच्चा माल:				
आयातित	**1.41%**	**38.39**	2.77%	24.24
स्वदेशी	**98.59%**	**2374.10**	97.23%	1690.15
कुल		**2412.49**		1714.39
स्टोर्स एवं स्पेयर पार्टस				
आयातित		**0.00**		0.00
स्वदेशी		**16.69**		14.44
कुल		**16.69**		14.44
कुल खपत		**2429.18**		1728.83
आयातों का सीआईएफ मूल्य				
कच्ची सामग्री		**30.72**		31.91

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (''कंपनी'' और इसकी सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों (संयुक्त रूप से ''समूह'' के तौर पर संदर्भित) के संलग्न समेकित तुलनपत्र की 31 मार्च, 2014 की और इनसे संबंधित उस वर्ष में समाप्त सम तारीख हेतु समेकित लाभ हानि लेखे और समेकित नकद प्रवाह विवरण की भी यथास्थिति जांच की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है और इन्हे अलग वित्तीय विवरणों तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सारांश की लेखापरीक्षा की है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और कंपनी के नकद प्रवाह के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 के संबंध में कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के सामान्य परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 के उप अनुच्छेद (3सी) में संदर्भित लेखा मानदंडों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष विवरण प्रदान करता है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संगत आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण का दायित्व शामिल है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करे तथा तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हो, से मुक्त हो।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानदंडों के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानदंडों के तहत यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और इस संबंध में एक उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और संचालित करें कि क्या ये वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गड़बड़ी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच और राशि के समर्थन में संलग्न प्रलेख और वित्तीय विवरण के प्रकटन शामिल रहते हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गड़बड़ी, चाहे घोटाले अथवा त्रुटिवश हुई है, के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के वास्ते वित्तीय विवरणों को तैयार करने और स्वतंत्र प्रस्तुतिकरण के कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो स्थिति अनुरूप उपयुक्त होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं महत्वपूर्ण आकलन तथा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का संपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किये हैं वह हमारे लेखा परीक्षा मत के लिये आधार उपलब्ध करवाने के लिये पर्याप्त और उचित है।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और नीचे पैरा 1 में यथा उल्लिखित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की व्यक्तिगत रिपोर्टों पर विचार के आधार पर तथा नीचे पैरा 2 में यथा उल्लिखित अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर, वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षानुसार तथा सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित विचार देते हैं:

(क) 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के क्रियाकलापों के तुलन पत्र के मामले में,

(ख) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के लाभ–हानि, लाभ के विवरण के मामले में,

(ग) वर्ष की समाप्ति की तारीख को कंपनी के नकद प्रवाह के विवरण के मामले में।

1. बीएचईएल में निम्नलिखित इकाइयों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा करायी गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में जहां तक परिसम्पत्तियों, राजस्व तथा ईकाईयों के लिए निवल नकद प्रवाह का संबंध है, यह पूर्ण रूप में अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	परिसंपत्तियां	राजस्व	निवल नकद प्रवाह
क. सहायक कम्पनी			
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	26.65	37.20	-0.06
ख. संयुक्त उद्यम			
बीएचईएल – जीई गैस टरबाइन सर्विसेस प्रा.लि.	190.23	399.05	11.44

2. निम्नलिखित उद्यमों के संबंध में हमने लेखापरीक्षा नहीं की है। इन गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और हमारी राय में, जहां तक हम संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल परिसंपत्तियों और राजस्वों का संबंध है, उन पर हमारी राय पूर्ण रूप से प्रबंधन द्वारा हमें यथा प्रस्तुत अंतिम वित्तीय विवरणों पर आधारित है। चूंकि 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इन संयुक्त उद्यमों के विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी अतः शेषों के लिए कोई परिवर्ती समायोजन संबद्ध समेकित वित्तीय विवरणों पर परिणामी प्रभाव हो सकते हैं।

(₹ करोड़ में)

कम्पनी का नाम	परिसंपत्तियां	राजस्व	निवल नकद प्रवाह
दादा धूनीवाले खंडवा पावर लि.	23.08	-	11.59
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2397.85	0.50	0.03
एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	230.62	87.68	31.56
लातूर पावर कंपनी लिमिटेड	2.78	0.24	0.13

3. पावर प्लांट परफ़ारमेंस इम्प्रूवमेंट्स लिमिटेड, बीएचईएल के संयुक्त उपक्रम, के खातों को समेकित नहीं किया गया है, क्यों कि ये कंपनियाँ परिसमापन के अधीन हैं और इक्विटी निवेश की पूरी राशि का प्रावधान किया गया है।

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर एन नं. 000050एन

(वाई. के. गुप्ता)
सदस्यता सं. 016020

कृते वाही एंड गुप्ता
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआर एन नं. 00005एन

(एस. के. खट्टर)
सदस्यता सं. 084993

दिनांक : मई 29, 2014
स्थान : नई दिल्ली

समेकित तुलन पत्र

(31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2014 को आंकड़ें		31.03.2013 को आंकड़ें	
I. इक्विटी एवं देनदारियां					
(1) शेयरधारक निधियां					
(क) शेयर पूंजी	1	489.52		489.52	
(ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	32667.35	33156.87	30043.21	30532.73
(2) शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन			13.36		15.64
(3) अल्पमत ब्याज			4.18		4.70
(4) गैर–चालू देनदारियां					
(क) दीर्घावधि ऋण	3	1961.33		1233.03	
(ख) अन्य दीर्घावधि देनदारियां	4	6600.18		5795.79	
(ग) दीर्घावधि प्रावधान	5	7510.46	16071.97	5973.63	13002.45
(5) चालू देनदारियां					
(क) लघु अवधि ऋण	6	2659.34		1389.54	
(ख) व्यापार भुगतान	7	8833.10		9753.74	
(ग) अन्य चालू देनदारियां	8	11662.75		14027.16	
(घ) लघु अवधि प्रावधान	9	2841.00	25996.19	3026.95	28197.39
कुल			75242.57		71752.91
II. परिसंपत्तियां					
(1) गैर चालू परिसंपत्तियां					
(क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	4561.52		4337.28	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		167.81		329.74	
(iii) पूंजीगत कार्य–प्रगति में		2907.22		2427.26	
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		21.44	7657.99	39.42	7133.70
(ख) गैर चालू निवेश	11	5.91		5.94	
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	1975.92		1555.80	
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	1315.00		929.99	
(ङ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	14	11892.72	15189.55	10716.66	13208.38
(2) चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूचियां	15	9808.69		11869.03	
(ख) व्यापार प्राप्तियां	16	28198.55		29370.29	
(ग) नकदी एवं बैंक शेष	17	12019.97		7852.50	
(घ) लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	18	2113.48		2116.28	
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	254.34	52395.03	202.73	51410.83
कुल			75242.57		71752.91
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां					
वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां	32				

अनुसूची 1 से 26 और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आई. पी. सिंह)
कंपनी सचिव

(पी. के. बाजपेई)
निदेशक (वित्त)

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन

(एस. के. खट्टर)
साझेदार
सदस्यता सं. 084993

कृते वाही एंड गुप्ता
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–002263एन

(वाई. के. गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 016020

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2014

लाभ एवं हानि खाता का समेकित विवरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	अनुसूची सं.	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़ें		31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़ें	
I.	**प्रचालनों से राजस्व (सकल)**	20		40801.99		50672.84
	घटाएं : उत्पाद शुल्क			1344.70		1930.15
	घटाएं : सेवा कर			609.00		636.38
	प्रचालन से राजस्व (निवल)			38848.29		48106.31
II.	**अन्य प्रचालन आय**	21		721.12		809.53
III.	**अन्य आय**	22		1623.02		1128.76
	कुल राजस्व (I से III)			41192.43		50044.60
IV.	**व्यय**					
	सामग्री खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय	23		22461.52		28171.38
	प्रगति अधीन कार्य में वृद्धि/(कमी) और तैयार वस्तुए	24		1057.14		121.20
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	25		5956.57		5824.00
	वित्त लागत	26		133.46		127.61
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	10.1		985.36		957.18
	उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा विवरण संबंधी अन्य व्यय	27		3323.86		3808.31
	प्रावधान (निवल)	28		2260.83		1583.76
	घटाएं : आंतरिक उपयोग के लिए किए गए कार्य की लागत			69.99		75.86
	कुल व्यय			36108.75		40517.58
V.	**पूर्व अवधि समायोजन पूर्व लाभ, विशिष्ट मदें और कर**			5083.68		9527.02
VI.	**जोड़ें/घटाएं : पूर्व अवधि समायोजन (निवल)**	29		-6.00		-0.45
VII.	**जोड़ें/घटाएं : विशिष्ट मदें**	30		0.00		4.14
VIII.	**वर्ष के लिये कर पूर्व लाभ**			5077.68		9530.71
IX.	**घटाएं : कर व्यय**	31				
	क) चालू कर		1934.68		2843.93	
	ख) आस्थगित कर		-359.34	1575.34	-6.32	2837.61
X.	**वर्ष के लिये अल्पमत ब्याज से पूर्व लाभ**			3502.34		6693.10
	घटाएं : अल्पमत ब्याज			-0.52		-0.27
XI.	**वर्ष के लिये अल्पमत ब्याज उपरांत लाभ**			3502.86		6693.37
	प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटिड) (अनुसूची 32 के बिंदु सं. 15 का संदर्भ लें) ₹ में			14.31		27.35
	अंकित मूल्य प्रति शेयर (अनुसूची 32 के बिंदु 15 का संदर्भ लें) ₹ में			2.00		2.00
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां					
	वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	32				

संलग्न अनुसूची 1 से 32 और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां समेकित वित्तीय परिणामों का अभिन्न अंग है।

कुल राजस्व में संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं के शेयर के ₹ 446.54 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 470.48 करोड़) शामिल हैं।

कुल व्यय में संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं के ₹ 373.11 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 405.75 करोड़) के शेयर शामिल हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आई. पी. सिंह)
कंपनी सचिव

(पी. के. बाजपेई)
निदेशक (वित्त)

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन

(एस. के. खट्टर)
साझेदार
सदस्यता सं. 084993

कृते वाही एंड गुप्ता
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–002263एन

(वाई. के. गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 016020

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2014

समेकित नकद प्रवाह विवरण

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	2013-2014	2012-2013
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	**5077.68**	**9530.71**
निम्न के लिए समायोजन		
मूल्यह्रास/परिशोधन	991.39	957.95
पट्टा समानीकरण	0.51	0.29
प्रावधान (निवल)	1629.68	438.03
पुनरांकित अशोध्य ऋण एवं एलडी व निवेश	68.90	378.87
स्थाई सम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	-0.06	-3.42
दीर्घावधि निवेशों की बिक्री से लाभ	0.00	-31.50
लघुवधि निवेशों की बिक्री से लाभ	-0.02	0.00
वित्त लागत	133.49	127.61
ब्याज/लाभांश आय	-661.70	-632.59
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व प्रचालन लाभ	**7239.87**	**10765.95**
निम्न के लिए समायोजन		
व्यापार तथा अन्य प्राप्तियाँ	-1135.33	-4639.08
मालसूची	2039.05	1767.62
व्यापार देय तथा अग्रिम	-1473.09	-3021.89
प्रचालन से प्राप्त नकदी	**6670.50**	**4872.60**
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर (वापसी को छोड़कर)	-2158.50	-3113.97
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/(आउटफ्लो)	**4512.00**	**1758.63**
ख. वित्तीय गतिधियों से नकद प्रवाह		
स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीद	-1604.13	-1755.30
स्थाई परिसम्पत्तियों की बिक्री व निपटान	233.52	29.01
लघु निवेशों की बिक्री व निपटान	0.02	0.00
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की बिक्री	0.02	31.50
विलय के फलस्वरूप	-108.20	0.00
ब्याज एवं लाभांश आय	610.91	581.85
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**867.86**	**1112.94**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लघु अवधि और दीर्घावधि ऋण (निवल)	1990.45	2267.45
शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	-2.28	0.00
भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	-1335.31	-1673.50
वित्त लागत	-129.53	-121.48
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	**-523.33**	**-472.47**
घ. नकद तथा समतुल्य नकद में निवल वृद्धि/(कमी)	**4167.47**	**1118.17**
नकद तथा नकद समतुल्य का अनुशेष	7852.50	6734.33
नकद तथा नकद समतुल्य का इतिशेष (बिंदु सं. 17 का संदर्भ लें)	12019.97	7852.50

नोट
1. नकदी एवं नकदी समतुल्य में नकदी तथा बैंक शेष तथा बैकों में जमा आवधिक जमा राशि शामिल है
2. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत/ पुनः व्यवस्थित किया गया है।
3. नकदी तथा नकदी समतुल्य में नामित बैंकों में अदावाकृत लाभांश की ₹ 3.87 करोड़ (₹ 3.52 करोड़) की राशि शामिल है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आई. पी. सिंह)
कंपनी सचिव

(पी. के. बाजपेई)
निदेशक (वित्त)

(बी. प्रसाद राव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–000050एन

(एस. के. खट्टर)
साझेदार
सदस्यता सं. 084993

कृते वाही एंड गुप्ता
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन–002263एन

(वाई. के. गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 016020

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2014

1 – शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें		31.03.2013 को आंकड़ें	
अधिकृत				
₹ 2 प्रत्येक के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹ 2 के 1000,00,00,000 शेयर)		**2000.00**		2000.00
जारी, अंशदान तथा प्रदत्त		**489.52**		489.52
₹ 2 प्रत्येक के पूर्णतः भुगतेय 244,76,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष ₹ 2/– प्रत्येक के 244,76,00,000 इक्विटी शेयर)				
क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान निम्नानुसार निर्धारित किया गया:				
	संख्या	**राशि**	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	**2447600000**	**489.52**	2447600000	489.52
वर्ष के दौरान पुनर्खरीद किए गए शेयर	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**2447600000**	**489.52**	2447600000	489.52
ख) वर्ष के अंत में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण कर रहे शेयर धारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण	**शेयरों की सं0**	**धारिता का प्रतिशत**	शेयरों की सं0	धारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति, साथ में उनके नामिती	**1543452000**	**63.06%**	1657552000	67.72%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**242890195**	**9.92%**	141433662	5.78%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		**2.00**		2.00

ग) इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें/अधिकार :
कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका समकक्ष मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर (पिछले वर्ष ₹ 2 प्रति शेयर) है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

घ) बीएचईएल के कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (11,41,00,000) का 4.66 प्रतिशत भारत सरकार ने खण्ड समझौते के जरिए 03.03.2014 को भारतीय जीवन बीमा निगम को बेच दिया था।

2 – प्रारक्षित और अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें		31.03.2013 को आंकड़ें	
प्रारक्षित पूंजी				
प्रारंभिक शेष	**2.74**		2.74	
जोडें: विलय के फलस्वरूप तिरिक्त	**0.02**			
जोड़ें: विलय होने पर समायोजन	**33.80**			
जोड़ें: संयोजन			-	
घटाएं: कटौतियां	**-**	**36.56**	-	2.74
सामान्य प्रारक्षित				
प्रारंभिक शेष	**28875.91**		23871.82	
जोड़ें: लाभ तथा हानि लेखा से अंतरित	**2503.79**		5004.09	
घटाएं: कटौतियां	-		-	
		31379.69		28875.91
लाभ एवं हानि विवरण से अधिशेष				
प्रारंभिक शेष	**1164.56**		1038.98	
विलय के फलस्वरूप (अनुसूची 32 के पैरा सं. 19 का संदर्भ लें)	**-218.10**			
विलय के फलस्वरूप (अनुसूची 32 के पैरा सं. 19 का संदर्भ लें)	**136.85**			
जोड़े: वर्ष के लिए निवल लाभ	**3502.86**		6693.37	
घटाएं: समायोजन	**-1.12**		-0.46	
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ	**4585.05**		7731.89	
घटाएं: विनियोग				
– सामान्य प्रारक्षित	**2503.79**		5004.09	
– लाभांश (₹ 337.53 करोड़, पिछले वर्ष ₹ 535.55 करोड़ के अंतरिम लाभांश सहित)	**709.57**		1339.66	
– कॉर्पोरेट लाभांश कर (अंतरिम लाभांश पर कर ₹ 57.36 करोड़, पिछले वर्ष ₹ 86.92 करोड़)	**120.59**	**1251.10**	223.58	1164.56
		32667.35		30043.21

3 – दीर्घाअवधि उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें	31.03.2013 को आंकड़ें
प्रारक्षित		
बैंकों से ऋण	**494.79**	304.22
(बैंकों से ऋण प्रथम समरूप प्रभार अचल परिसंपत्तियों वर्तमान और भविष्य की, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी स्पेयर्स फिटिंग फर्नीचर स्पेयर पार्टस टूल्स और असेसरीज तथा स्टोर्स और अन्य चल संपत्तियां–प्रचालन नकद प्रवाह, खजाना आय, बही खाता ऋण, प्रापण योग्य, लागत कमीशन्स और वर्तमान राजस्व तथा भविष्य की प्राप्ति तथा साथ में किसी अन्य बैंक खातों का प्रथम प्रभार जहां कहीं भी 2*800 मेवा येरमुरस थर्मल पावर स्टेशन का अनुरक्षित है। प्रथम पारी पासु प्रभार पावर फाइनेंस कार्पोरेशन और बैंकों के पक्ष में है)		
पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से ऋण	**1361.56**	799.31
(आरपीसीएल 2*800 मेगावाट येरमारस थर्मल पावर स्टेशन की सभी चल और अचल संपत्ति, सभी संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य परिसंपत्तियों सहित, जो कि समझौता ज्ञापन और डीड ऑफ हाइपोथिकेशन दिनांक 14 जुलाई 2011 के विषयाधीन है, पीएफसी के पक्ष में प्रथम प्रभार के विषयाधीन होगी)		
	1856.35	1103.53
अप्रारक्षित		
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घावधि परिपक्वता	**104.98**	129.50
	104.98	129.50
	1961.33	1233.03

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के ₹ 1856.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1103.82 करोड़) के शेयर सम्मिलित

4 – अन्य दीर्घावधि देनदारियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें	31.03.2013 को आंकड़ें
व्यापार देयताएं	**764.91**	756.09
ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**5759.89**	4964.99
ठेकेदारों और अन्यों से जमा	**75.38**	74.71
	6600.18	5795.79

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के ₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) के शेयर सम्मिलित

5 – दीर्घावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें	31.03.2013 को आंकड़ें
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान	**2443.46**	2196.52
अनुबंधात्मक दायित्व	**4701.04**	3632.52
अन्य दीर्घावधि प्रावधान	**365.96**	144.59
	7510.46	5973.63

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के ₹ 10.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.13 करोड़) के शेयर सम्मिलित

5 – दीर्घावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें	31.03.2013 को आंकड़ें
सुरक्षित		
बैंकों से प्रारक्षित ऋण*		
केपीसीएल से कार्यशील पूंजी मांग ऋण	**107.40**	100.35
नकद ऋण	**1.94**	3.18
*(कच्चे माल, अवयवों, स्टोर्स एवं स्पेयर्स, प्रगति अधीन कार्य, तैयार वस्तुओं, स्टोर्स, व्यापार प्राप्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां, वर्तमान और भविष्य की दोनों को गिरवरी रखकर प्रथम वसूली से प्रारक्षित)		-
रूपया निर्यात पैकिंग क्रेडिट (कच्चे माल, अवयवों, प्रगति अधीन कार्य, तैयार वस्तुओं, स्टोर्स, व्यापार प्राप्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां, वर्तमान और भविष्य की दोनों को गिरवी रखकर प्रथम वसूली से प्रारक्षित)	**2550.00**	1286.00
अप्रारक्षित		
– कंपनियों से	**0.00**	0.01
	2659.34	1389.54

7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 9 माह की अवधि के भीतर पुनः भुगतान योग्य

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के ₹ 107.40 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 100.36 करोड़) के शेयर सम्मिलित

7 – व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें	31.03.2013 को आंकड़ें
व्यापार देयताएं	**8758.77**	9678.61
स्वीकृतियां	**74.33**	75.13
	8833.10	9753.74

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के ₹ 107.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 144.81 करोड़) के शेयर सम्मिलित

8 – अन्य चालू देनदारियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें	31.03.2013 को आंकड़ें
वित्त पट्टा दायित्व की वर्तमान परिपक्वता	**67.88**	75.53
ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिम	**9016.39**	11310.84
ठेकेदारों और अन्यों से प्राप्त जमा	**539.85**	485.15
अदावाकृत लाभांश	**3.87**	3.52
अन्य देयताएं/देनदारियां*	**2010.31**	2131.63
बॉण्ड	**1.00**	1.00
ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	**7.22**	5.38
ब्याज उपार्जित और परंतु देय:		
बॉण्डस	**5.52**	4.65
पैकिंग क्रेडिट	**2.89**	0.00
राज्य सरकार के ऋण	**2.33**	2.33
वित्त लीज	**5.49**	7.13
	11662.75	14027.16

ग्राहकों और अन्यों से प्राप्त अग्रिमों मूल्यांकन समायोजन शामिल है।

– ₹ 4025.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5759.02 करोड़)

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के ₹ 217.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 37.64 करोड़) के शेयर सम्मिलित

*कर्मचारी को देय और सांविधिक देयताएं शामिल

4 – अन्य दीर्घावधि देनदारियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें	31.03.2013 को आंकड़ें
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	**570.83**	488.71
प्रस्तावित लाभांश	**376.80**	808.87
कॉर्पोरेट लाभांश कर	**64.04**	137.47
अनुबंधात्मक दायित्व	**944.83**	1380.10
अन्य लघु अवधि प्रावधान	**884.50**	211.80
	2841.00	3026.95

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के ₹ 10.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 9.01 करोड़) के शेयर सम्मिलित

10 – स्थायी परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

		31.03.2014 को आंकड़ें	31.03.2013 को आंकड़ें
(i)	**मूर्त परिसंपत्तियां**		
	सकल ब्लॉक	**11696.98**	10555.85
	घटाएं: संचित मूल्यह्रास	**7138.30**	6221.92
	घटाएं: लीज समायोजन खाता	**-2.84**	-3.35
	निवल ब्लॉक	**4561.52**	4337.28
(ii)	**अमूर्त परिसंपत्तियां**		
	सकल ब्लॉक	**405.89**	528.05
	घटाएं: संचित मूल्यह्रास/परिशोधन	**238.08**	198.31
	निवल ब्लॉक	**167.81**	329.74
(iii)	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर**		
	प्रगति अधीन निर्माण कार्य–सिविल	**233.97**	309.47
	प्रगति अधीन निर्माण कार्य–अन्य	**247.40**	97.78
	स्टोर्स का निर्माण (ट्रांजिट सहित)	**8.95**	11.27
	संयंत्र, मशीनरी और अन्य उपकरण		
	– निर्माणाधीन/फैब्रिकेशन/निर्माण प्रतीक्षारत	**2270.87**	1731.32
	– ट्रांजिट में	**146.03**	277.30
	निर्माणाधीन पट्टा पर परिसंपत्तियां	**0.00**	0.12
		2907.22	2427.26
(iv)	**विकास अधीन मूर्त परिसंपत्तियां**	**21.44**	39.42
		21.44	39.42
	कुल	**7657.99**	7133.70
	अनुसूची 10.1 में विवरणों का संदर्भ लें		
	संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के ₹ 2315.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1295.91 करोड़) के शेयर सम्मिलित		

अनुसूची – 10.1

स्थाई परिसंपत्तियां–समेकित

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / परिशोधन					सकल ब्लॉक	
	01.04.2013 की लागत	वर्ष के दौरान समायोजन / संयोजन	वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	31.03.2014 को लागत	01.04.2013 को संचयी / मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2014 को पट्टा समायोजन लेखा	31.03.2014 को संचयी मूल्यह्रास / परिशोधन	31.03.2014 को	31.03.2013 को
फ़ैक्टरी / कार्यालय कॉम्प्लेक्स											
(i) मूर्त परिसंपत्तियां											
फ्री–होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	18.28	7.33		25.61						25.61	18.28
पट्टाधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	6.20	67.42	4.86	68.76	0.41	0.63			1.04	67.72	5.79
सड़कें, पुल और पुलिया	26.60	4.20	0.20	30.60	5.34	0.42	0.07		5.83	24.77	21.26
भवन	1605.07	209.04	11.59	1802.52	603.28	106.38	-9.86		699.80	1102.72	1001.79
पट्टाधारित भवन	3.12			3.12	1.39	0.05			1.44	1.68	1.73
जल निकासी, जल–मल निकासी	25.17	4.94		30.11	12.03	0.65	0.10		12.78	17.33	13.14
रेलवे साइडिंग	16.61	0.09		16.70	9.25	0.73			9.98	6.72	7.36
लोकोमोटिव तथा वैगन	44.48	8.11		52.59	21.03	2.70			23.73	28.86	23.45
प्लांट तथा मशीनरी	6580.16	742.59	4.81	7317.94	4051.40	682.44	1.22		4735.06	2582.88	2528.76
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	148.00	33.45	4.15	177.30	140.82	1.92	28.29		171.03	6.27	7.18
विद्युत संस्थापनाएं	302.30	36.48	0.20	338.58	121.29	20.04	0.14		141.47	197.11	181.01
निर्माण उपकरण	253.63	20.52	6.84	267.31	168.59	32.71	-6.62		194.68	72.63	85.04
वाहन	19.12	1.59	0.59	20.12	16.65	0.55	-0.56		16.64	3.48	2.47
फर्नीचर ओर फ़िक्स्चर्स	54.32	4.31	2.15	56.48	17.25	3.84	-1.79		19.30	37.18	37.07
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	170.23	15.11	1.35	183.99	82.04	10.92	0.57		93.53	90.46	88.19
₹ 10000 / – लागत की पूंजीगत संपत्तिया	106.11	9.63	4.55	111.19	106.11	8.09	-3.01		111.19		
पूंजी व्यय	0.44			0.44	0.44				0.44		
पट्टे में दी गई परिसंपत्तियाँ	497.15			497.15	493.79			2.84	493.79	3.36	6.71
पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां											
संयंत्र एवं मशीनरी	0.16			0.16	0.16				0.16		
पट्टे पर लिये गये ईडीपी उपकरण	401.32	34.37	39.03	396.66	233.55	64.10	-36.56		261.09	135.57	167.77
पट्टे पर लिए गए अन्य उपकरण और कार्यालय	3.84	0.33	0.00	4.17	0.74	0.30			1.04	3.13	3.10
पट्टे पर ली गई अन्य परिसंपत्तियां	3.14	0.11	0.33	2.92	2.65	0.33	-0.30		2.68	0.24	0.49
कुल मूर्त परिसंपत्तियां–फैक्टरी	**10285.45**	**1199.64**	**80.65**	**11404.44**	**6088.21**	**936.80**	**-28.30**	**2.84**	**6996.71**	**4407.73**	**4200.59**
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां											
समेकन पर साख	185.87		185.87								185.87
– आंतरिक रूप से विकसित											
सॉफ्टवेयर	0.66		0.01	0.65	0.61		-0.01		0.60	0.05	0.05
अन्य	40.10	19.78		59.88	23.45	11.25			34.70	25.18	16.65
– अन्य											

(₹ करोड़ में)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / परिशोधन					सकल ब्लॉक	
	01.04.2013 की लागत	वर्ष के दौरान समायोजन / संयोजन	वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	31.03.2014 को लागत	01.04.2013 को संचयी / मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2014 को पट्टा समायोजन लेखा	31.03.2014 को संचयी मूल्यह्रास / परिशोधन	31.03.2014 को	31.03.2013 को
सॉफ्टवेयर	140.69	10.19	1.05	149.83	120.30	12.02	-0.29		132.03	17.80	20.39
तकनीकी ज्ञान	151.88	19.40	0.00	171.28	45.10	15.57			60.67	110.61	106.78
अन्य	8.85	15.40		24.25	8.85	1.23			10.08	14.17	
कुल अमूर्त परिसंपत्तियां–फैक्टरी	**528.05**	**64.77**	**186.93**	**405.89**	**198.31**	**40.07**	**-0.30**		**238.08**	**167.81**	**329.74**
कुल फैक्टरी परिसंपत्तियां	**10813.50**	**1264.41**	**267.58**	**11810.33**	**6286.52**	**976.87**	**-28.60**	**2.84**	**7234.79**	**4575.54**	**4530.33**
टाउनशिप / आवासीय मूर्त परिसंपत्तियां											
फ्री–होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	2.17	0.22		2.39						2.39	2.17
पट्टेधारित भूमि (विकास व्यय सहित)	2.04	9.67	0.28	11.43	0.62	0.12	-0.08		0.66	10.77	1.42
सड़कें, पुल, पुलियां	5.88	1.34		7.22	3.11	0.09			3.20	4.02	2.76
भवन	176.01	2.35		178.36	68.08	4.19	0.14		72.41	105.95	107.94
पट्टाधारित भवन	0.27			0.27	0.21	0.06			0.27		0.06
जल निकासी, जल–मल निकासी, जलापूर्ति	17.58	2.36		19.94	14.72	0.38			15.10	4.84	2.86
प्लांट एवं मशीनरी	19.81	3.95		23.76	12.56	1.54			14.10	9.66	7.25
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण		0.03		0.03						0.03	
विद्युत संस्थापनाएं	19.00	0.53		19.53	15.35	0.53			15.88	3.65	3.65
वाहन	1.07		0.07	1.00	1.02	0.01	-0.07		0.96	0.04	0.05
फर्नीचर और फिक्सचर्स	1.03	0.27		1.30	0.45	0.13			0.58	0.72	0.58
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	22.93	2.11	0.77	24.27	14.98	1.04	-0.62		15.40	8.87	7.95
₹ 10,000 / – तक की स्थायी परिसंपत्तियाँ	2.61	0.42	0.00	3.03	2.61	0.41	0.01		3.03	0.00	
कुल मूर्त परिसंपत्तियां–टाउनशिप	**270.40**	**23.26**	**1.12**	**292.54**	**133.71**	**8.50**	**-0.62**		**141.59**	**150.95**	**136.69**
टाउनशिप परिसंपतियों का योग	**270.40**	**23.26**	**1.12**	**292.54**	**133.71**	**8.50**	**-0.62**		**141.59**	**150.95**	**136.69**
कुल मूर्त परिसंपत्तियां	**10555.85**	**1222.90**	**81.77**	**11696.98**	**6221.92**	**945.30**	**-28.92**	**2.84**	**7138.30**	**4561.52**	**4337.28**
कुल अमूर्त परिसंपत्तियां	**528.05**	**64.77**	**186.93**	**405.89**	**198.31**	**40.07**	**-0.30**		**238.08**	**167.81**	**329.74**
टाउनशिप और फैक्टरी परिसंपत्तियों का योग	**11083.90**	**1287.67**	**268.70**	**12102.87**	**6420.23**	**985.36**	**-29.22**	**2.84**	**7376.38**	**4729.33**	**4667.02**
पिछले वर्ष	**10017.15**	**1132.66**	**65.91**	**11083.90**	**5502.14**	**957.18**	**-39.09**	**3.35**	**6420.23**	**4667.02**	**4518.65**

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सकल ब्लॉक में ₹ 85.29 करोड़ (गत वर्ष ₹ 61.57 करोड़) की एवं सक्रिय उपयोग परिसंपत्तियाँ शामिल है।

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार निवल ब्लॉक में ₹ 0.02 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.14 करोड़) की बेकार एवं सक्रिय उपयोग परिसंपत्तियाँ शामिल है।

सकल ब्लॉक में अनुसन्धान तथा परिसंपत्तियों के लिए कार्यकारी एजेन्सी के रूप में परिसंपत्तियों की खरीद लागत के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल नहीं है क्योंकि संपत्ति कंपनी के पास मौजूद नहीं है।

	2013-14	2012-13
₹ करोड़ में	42.04	30.81

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में कोई हानि नहीं हुई।

सकल ब्लॉक में संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 41.70 करोड़ (गत वर्ष ₹ 21.12 करोड़) का शेयर शामिल है।

वर्ष के लिए मूल्यह्रास में संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों का हिस्सा ₹ 1.50 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.85 करोड़) शामिल हे।

11 – ग़ैर–चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें		31.03.2013 को आंकड़ें	
दीर्घावधि निवेश (लागत पर)				
अनुबद्ध (पूर्ण प्रदत्त) शेयरः				
व्यापार				
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. के प्रत्येक ₹ 10/– के 1892 (पिछले वर्ष 1402) इक्विटी शेयर्स	*		0.01	
एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ₹ 10 के 728960 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 728960)	**0.91**		0.91	
नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के प्रत्येक ₹ 10/– के 5000000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 5000000)	**5.00**	**5.91**	5.00	5.93
संयुक्त उद्यम कंपनियाँ				
पावरप्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 1999999 (पिछले वर्ष 1999999) मूल्य के इक्विटी शेयर	**2.00**		2.00	
घटाएंः मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	**2.00**	**0.00**	2.00	0.00
व्यापार के अलावा				
बीएचईएल हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. हैदराबाद के ₹ 100 प्रत्येक के 3 शेयर	*		*	
बीएचपीवी एम्प्लॉईज कन्ज़्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड में ₹ 10 प्रत्येक के 250 शेयर	*		*	
कफ़ परेड परसोपोलिस प्रेमिसिस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई में ₹ 50 प्रत्येक के 20 शेयर	*		*	
हिल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई में ₹ 50 प्रत्येक के 20 शेयर	*		*	0.01
अग्रिम में प्रदत्त शेयर राशि				
₹ 10 प्रत्येक के 50 शेयरों के आबंटन के लिए मैसर्स रीता एंटरप्राइज मुंबई	*			*
10 प्रत्येक के 50 शेयरों के आबंटन के लिए मैसर्स आशीष एंटरप्राइसिंग, मुंबई	*			*
* ₹ 1 लाख से कम मूल्य के				
		5.91		5.94
ग़ैर उद्धृत निवेशों का कुल मूल्य		**5.91**		5.94
निवेशों के मूल्य में ह्रास में कुल प्रावधान		**2.00**		2.00

12 — आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े	31.03.2013 को आंकड़े
प्रावधान	**1323.32**	1091.82
वैधानिक देयता	**609.47**	484.03
मॉडवैट समायोजन	**50.05**	60.79
अन्य	**41.66**	34.18
	2024.50	1670.82
आस्थगित कर देयताएं		
अवमूल्यन	**48.58**	115.02
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**1975.92**	1555.80

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 5.97 करोड़ (गत वर्ष ₹ 4.36 करोड़) का शेयर शामिल है।

13 — दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़े		31.03.2013 को आंकड़े	
कर्मचारियों को ऋण	**0.11**		1.47	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण	**8.00**		12.00	
ब्याज उपार्जित और या ऋणों पर देय	**0.32**	**8.43**	0.56	14.03
अग्रिम (नकद वसूली योग्य या अन्य प्रकार से या प्राप्त किये जाने वाले मूल्य के लिए)				
क्रय हेतु	**413.29**		104.48	
अग्रिम पूंजी	**179.02**		325.67	
अन्यों को	**58.86**	**651.17**	70.04	500.19
जमा राशियां				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष		**55.60**		42.54
अन्य जमाएं		**67.39**		54.30
अग्रिम कर/टीडीएस (कराधान हेतु निवल प्रावधान)		**565.76**		341.94
		1348.35		953.00
घटाएं: प्रावधान		**33.35**		23.01
		1315.00		929.99
उप वर्गीकरणः—				
प्रारक्षित अच्छा माना		**8.09**		12.16
अप्रारक्षित, अच्छा माना		**1306.91**		917.83
संदेहपूर्ण		**33.35**		23.01
		1348.35		953.00
सम्मिलित				
अधिकारियों से देय		**0.01**		0.01

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 147.79 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2647.67 करोड़) का शेयर शामिल है।

14 – अन्य गैर–चालू परिसंपत्तिया

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें		31.03.2013 को आंकड़ें	
दीर्घावधि प्राप्तियां	**14870.40**		13099.34	
घटाएं : अशोध्य और संदग्धि ऋण	**2403.34**		1804.85	
घटाएं : स्वतः मूल्य कटौती समायोजन खाता	**574.34**	**11892.72**	577.83	10716.66
		11892.72		10716.66
उप वर्गीकरण : दीर्घावधि व्यापार प्राप्तियां				
प्रारक्षित अच्छा माना		**-**		-
अप्रारक्षित, अच्छा माना		**11892.72**		10716.66
संदिग्ध		**2977.68**		2382.68
		14870.40		13099.34

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का
₹ 11619.96 करोड़ आस्थगित ऋण (गत वर्ष ₹ 9859.62 करोड़),
₹ 11.67 करोड़ (गत वर्ष ₹ 9.34 करोड़) का शेयर शामिल है।

15 – मालसूचियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें		31.03.2013 को आंकड़ें	
कच्चा माल तथा संघटक	**3708.30**		4516.79	
मार्गस्थ सामग्री	**594.74**	**4303.04**	708.70	5225.49
कार्य प्रगति पर (उप–टेकेदारों के साथ वस्तुओं सहित)		**3011.24**		4202.73
तैयार माल	**1501.49**		1361.39	
मार्गस्थ अन्तर–प्रभाग अन्तरण में	**295.84**	**1797.33**	297.06	1658.45
भण्डार एवं स्पेअर्स				
उत्पादन	**210.57**		243.40	
ईंधन स्टोर्स	**17.06**		24.22	
विविध	**47.46**	**275.09**	48.15	315.77
फ़ैब्रिकेटर्स/ठेकेदारों के पास सामग्री		**197.34**		234.95
खुले औज़ार		**31.14**		44.58
रद्दी माल (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)		**65.47**		67.21
अचल मालसूची	**214.78**		185.30	
घटाएं: अचल मालसूची हेतु प्रावधान	**86.74**	**128.04**	65.45	119.85
		9808.69		11869.03

मूल्यांकन की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 9 का संदर्भ लें
संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 6.82 करोड़ (गत वर्ष ₹ 44.30 करोड़) का शेयर शामिल है।

16 – व्यापार प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें	31.03.2013 को आंकड़ें
छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	**15063.71**	11781.57
अन्य ऋण	**14332.69**	18668.74
	29396.40	30450.31
घटाएं : संदेहपूर्ण ऋणों एवं स्वतः मूल्य कमी समायोजन हेतु प्रावधान	**1197.85**	1080.02
	28198.55	29370.29
व्यापार प्राप्तियों में आस्थगित ऋण शामिल हैं		
– ₹ 6345.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7243.93 करोड़)		
व्यापार प्राप्तियों में वितरित वस्तुओं के लंबित बिल शामिल हैं–		
– ₹ 1328.75 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 1705.16 करोड़)		
व्यापार प्राप्तियों में मूल्यांकन समायोजन शामिल है–		
– ₹ 1342.28 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 1274.42 करोड़)		
चालू व्यापार प्राप्तियों का विवरण :		
प्रारक्षित, अच्छा माना गया	**-**	-
अप्रारक्षित, अच्छा माना गया	**28198.55**	29370.29
संदिग्ध	**1197.85**	1080.02
	29396.40	30450.31

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 117.66 करोड़ (गत वर्ष ₹ 116.03 करोड़) का शेयर शामिल है।

17 – रोकड़ एवं बैंक अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें	31.03.2013 को आंकड़ें
रोकड़ एवं नकदी समतुल्य		
बैंकों में अधिशेष*	**2460.83**	2680.72
सावधि समा जिनकी परिपक्वता 3 माह से कम है	**17.50**	-
चैक, डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में	**200.80**	420.03
नकदी और स्टैम्पस के रूप में	**0.93**	1.19
ट्रांजिट में जमा राशियां	**0.06**	-
अन्य बैंक अधिशेष		
मार्ज़िन मनी डिपाजिट	**0.00**	0.56
सावधि जमा जिनकी परिपक्वता 3 माह से अधिक और 12 माह से कम है	**9339.85**	4750.00
	12019.97	7852.50
सहित*		
अदावाकृत लाभांश के तहत चिन्हित	**3.87**	3.52
गैर प्रत्यापवर्तनीय खाता	**5.87**	13.16

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 146.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 91.94 करोड़) का शेयर शामिल है।

18 – लघु अवधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें		31.03.2013 को आंकड़ें	
ऋण				
कर्मचारियों को ऋण	0.17		0.15	
ऋण पर जारी सामग्री	0.00		9.74	
अन्यों को ऋण	0.00		0.01	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ऋण	8.00		4.00	
अर्जित ब्याज और या ऋण पर देय	1.95	10.12	2.65	16.55
अग्रिम (नकद प्राप्तियां या किसी अन्य प्रकार या मूल्य के रूप में प्राप्त)				
सहायक कंपनियों को	0.05		0.55	
कर्मचारियों को	39.76		32.30	
क्रय हेतु	584.50		721.90	
अन्य के लिए	1055.32	1679.63	1028.05	1782.80
जमा				
कस्टम, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सरकारी प्राधिकारियों के पास अधिशेष		439.27		342.07
अन्य		87.10		56.94
		2216.12		2198.36
घटाएं: संदेहपूर्ण ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		102.64		82.08
		2113.48		2116.28
ऋण एवं अग्रिम का विवरण				
प्रारक्षित, अच्छा माना		8.14		6.19
अप्रारक्षित, अच्छा माना		2105.34		2110.09
संदेहपूर्ण		102.64		82.08
		2216.12		2198.36
सम्मिलित:				
अधिकारियों से देय		0.15		0.11

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 89.69 करोड़ (गत वर्ष ₹ 62.27 करोड़) का शेयर शामिल है।

19 – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को आंकड़ें	31.03.2013 को आंकड़ें
बैंक जमाओं और निवेशों पर अर्जित ब्याज	253.00	201.27
अन्य चालू परिसंपत्तियां	1.34	1.46
	254.34	202.73

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 1.81 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2.44 करोड़) का शेयर शामिल है।

20 – प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
बिक्री घटा वापसी	**33484.92**	43271.23
बाहरी निर्माण और अन्य सेवाओं से आय और वर्क्स ठेकों से राजस्व	**7317.07**	7401.61
	40801.99	50672.84

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 434.02 करोड़ (गत वर्ष ₹ 465.01 करोड़) का शेयर शामिल है।

21 – अन्य प्रचालन आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
आंकडे निर्यात प्रोत्साहन		**27.93**		24.27
लीज़ पर परिसंपत्तियों से किराये की आय	**0.93**		0.93	
लीज इक्वेलाइजेशन अकाउंट	**-0.51**	**0.42**	-0.29	0.64
स्क्रैप बिक्री		**285.00**		283.94
बिक्री/अधिशेष के स्थानांतरण से प्राप्ति		**0.05**		0.07
अन्य		**407.72**		500.61
		721.12		809.53

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 0.98 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.07 करोड़) का शेयर शामिल है।

22 – अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
क. अन्य आय		
दीर्घावधि निवेशों की बिक्री से लाभ	**-**	31.50
लघु अवधि निवेशों की बिक्री से लाभ	**0.02**	0.00
अचल परिसंपत्तियों और पूंजी स्टोर्स की बिक्री से लाभ (निवल)	**0.06**	3.42
लाभांश	**21.38**	19.00
विनिमय अंतर प्राप्ति (निवल)	**656.50**	141.57
अन्य (अनुसन्धान एवं विकास परियोजनाओं पर भारत सरकार से प्राप्त ₹ शून्य (पिछला वर्ष ₹ 0.33 करोड़) सहित)	**304.74**	319.68
कुल (क)	**982.70**	515.17
ख. ब्याज आय		
ग्राहकों से	**0.09**	0.03
बैंकों से	**623.11**	542.63
अन्य	**17.12**	70.93
कुल (ख)	**640.32**	613.59
कुल अन्य आय — **कुल (क+ख)**	**1623.02**	1128.76

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 11.54 करोड़ (गत वर्ष ₹ 5.40 करोड़) का शेयर शामिल है।

23 – सामग्री की खपत, संस्थापना और इंजिनियरिंग व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
कच्चे माल और संघटकों की खपत	**17459.09**	23239.40
स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत	**573.52**	590.59
इरेक्शन तथा इंजीनियरी व्यय – उप ठेकेदारों को भुगतान	**4428.91**	4341.39
	22461.52	28171.38

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 341.15 करोड़ (गत वर्ष ₹ 371.88 करोड़) का शेयर शामिल है।

24 – प्रगति अधीन कार्य और तैयार माल में वृद्धि/कमी

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
कार्य की प्रगति				
अंतः शेष	**3012.63**		4204.10	
प्रारंभिक शेष	**4204.10**	**-1191.47**	4842.50	-638.40
तैयार माल				
अंतः शेष	**1500.20**		1362.15	
प्रारंभिक शेष	**1362.15**	**138.05**	954.27	407.88
ट्रांजिट में अंतर प्रभागीय अंतरण		**-3.72**		109.32
		-1057.14		-121.20
टिप्पणी:				
तैयार माल में उत्पाद कर का हिस्सा:				
अंतः शेष		**130.73**		126.59
प्रारंभिक शेष		**126.59**		99.97

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 0.17 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.46 करोड़) का शेयर शामिल है।

25 – कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ	**5038.01**	4910.26
उपदान निधि में अंशदान	**107.27**	144.76
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	**329.85**	302.17
समूह बीमा	**10.63**	11.80
कर्मचारी कल्याण व्यय	**470.81**	455.01
	5956.57	5824.00

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 15.86 करोड़ (गत वर्ष ₹ 14.04 करोड़) का शेयर शामिल है।

26 – वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
ब्याज व्यय	**104.20**	43.67
आयकर पर ब्याज	**4.47**	
अन्य ऋण लागत	**24.79**	83.94
	133.46	127.61
घटाएं : उधार लागत पूंजीकृत	**0.00**	0.00
	133.46	127.61

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 0.59 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.14 करोड़) का शेयर शामिल है।

27 – उत्पादन, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण पर अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
रॉयल्टी, तकनीकी प्रलेखीकरण, परामर्श प्रभार और अन्य परामर्श	**136.76**	126.76
किराया	**83.10**	86.18
उत्पाद कर	**285.64**	307.28
विद्युत एवं ईंधन	**605.54**	562.18
दरें और कर	**75.04**	72.96
सेवा कर	**8.26**	13.22
बीमा	**119.39**	125.95
मरम्मत:		
भवन	**84.06**	97.17
संयंत्र एवं मशीनरी	**44.93**	38.97
अन्य	**136.11**	153.41
निर्यात से संबंधित अन्य व्यय	**23.30**	28.28
बट्टाकृत निवेशों पर हानि	**0.05**	1.06
बट्टाकृत प्रारंभिक व्यय	**0.31**	-
बट्टाकृत अशोध्य ऋण	**8.59**	28.13
बाह्य ढुलाई प्रभार	**382.59**	574.16
यात्रा और वाहन ख़र्च	**189.75**	200.72
विविध व्यय	**1033.57**	1004.22
प्रभारित किये गये निर्णीत हर्ज़ाने	**60.26**	349.68
दान	**0.06**	0.03
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और अन्य संधारणीय विकास पर व्यय	**46.55**	37.95
	3323.86	3808.31

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 13.68 करोड़ (गत वर्ष ₹ 16.87 करोड़) का शेयर शामिल है।

28 – प्रावधान (निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
सन्दिग्ध ऋण, निर्णीत हर्ज़ाने तथा ऋण और अग्रिम				
वर्ष के दौरान सृजित	**1470.10**		1209.26	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**713.86**	**756.24**	819.57	389.69
अनुबंधात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	**1119.53**		1793.43	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**488.38**	**631.15**	647.70	1145.73
अन्य				
वर्ष के दौरान सृजित	**947.41**		87.59	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टाकृत	**73.97**	**873.44**	39.25	48.34
		2260.83		1583.76

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 1.96 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.41 करोड़) का शेयर शामिल है।

29 – पूर्व अवधि समायोजन (निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
आय				
प्रतिफल रहित बिक्री	**0.00**		1.97	
अन्य आय	**0.04**	**0.04**	0.13	2.10
व्यय				
उप ठेकेदारों को भुगतान	**0.14**		0.06	
कच्चे माल एवं संघटकों की ह्रास	**0.40**		0.47	
मूल्यह्रास	**6.03**		0.77	
ब्याज लागत	**0.03**		0.00	
विविध व्यय	**-0.56**	**6.04**	1.25	2.55
		-6.00		-0.45

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 0.02 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.13) का शेयर शामिल है।

30 – विशिष्ट मदें

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
ब्याज की माफी	**-**	-4.14
	0.00	-4.14

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ शून्य करोड़ (गत वर्ष ₹ शून्य) का शेयर शामिल है।

31 – कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2014 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े		31.03.2013 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े	
क) वर्तमान वर्ष के लिए				
चालू कर	**1923.63**		3063.78	
पूर्व के वर्षों के लिये	**11.05**	**1934.68**	-219.85	2843.93
ख) आस्थगित कर प्रभार (क्रेडिट)				
वर्तमान वर्ष के लिये	**-316.96**		-165.14	
पूर्व के वर्षों के लिये	**-42.38**	**-359.34**	158.82	-6.32
		1575.34		2837.61

संयुक्त नियन्त्रित इकाइयों का ₹ 22.08 करोड़ (गत वर्ष ₹ 20.65) का शेयर शामिल है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(समेकित वित्तीय विवरण)

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार लेखाकरण की प्रोद्भवन विधि तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए है, जैसा कि कंपनी द्वारा निरंतर रूप में अपनाया जा रहा है।

2. अनुमानों का उपयोग

सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और कल्पनाएं करना अपेक्षित होता है जो रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय और वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक देयताओं सहित देनदारियों और परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम आते हैं।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

(क) स्थायी परिसंपत्तियां (राज्य सरकार से निःशुल्क अधिगृहीत भूमि से भिन्न) अधिग्रहण या निर्माण अथवा संग्रहित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई है, को घटाकर बही मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं।

(ख) लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या बाजार कीमत, जो भी कम हो, में लिए गए पूंजीगत कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/ऋणों के संबंध में अवमूल्यन/पुर्नमूल्यन जैसी असाधारण घटनाओं के प्रभाव को लागत में जोड़ा/घटाया जाता है।

(ग) राज्य सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि का मूल्य ₹ 1 लगाया गया है, सिवाए इसके कि वह 16 जुलाई, 1969 के पश्चात् न अधिग्रहित की गई हो, क्योंकि उस मामले में यह भूमि संबद्ध राज्य सरकार से पूंजी प्रारक्षित निधि में समतुल्य जमा द्वारा अधिग्रहण मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

4. पट्टे

वित्तीय पट्टा

क) (i) 01 अप्रैल 2001 से पूर्व पट्टे पर दी गई परिसंपत्तिया

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां सामान्य विक्रय–मूल्य/उचित मूल्य/संविदाकृत मूल्य पर पूंजीकृत की जाती है और उन्हे बिक्री के रूप में माना जाता है।

उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रास पर लेखाकरण नीति के अनुसार समान किस्म की स्थायी परिसंपत्तियों के लिए लागू होती है। पट्टा किरायों के लिए समान प्रकार पट्टा समानीकरण लेखा के माध्यम से लिया जाता है।

वित आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

(ii) 01 अप्रैल 2001 को अथवा उनके पश्चात पट्टे पर दी गई परिसंम्पत्तियां

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को समान्य बिक्री कीमत/उचित मूल्य/एनपीवी पर बिक्री के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

प्रारंभिक लागत को पट्टे के शुरू होने पर खर्च माना जाता है।

ख) 01 अप्रैल 2001 अथवा उसके पश्चात पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों को उचित मूल्य/एनपीवी/संविदाकृत कीमत पर पूंजीकृत किया जाता है।

उक्त पर मूल्यह्रास उस दर से प्रभारित किया जाता है जो मूल्यह्रस पर लेखाकरण की नीति के अनुसार सम्पन किस्म की स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए लागू होता है। मूल्यह्रास पर नीति यदि पट्टा परिसंपत्तियां पट्टेदार को पट्टा अवधि समाप्त होने पर लौटायी जानी है, तो इसे प्रयुक्त अवधि अथवा पट्टा अवधि जो भी कम हो, के लिए मूल्यह्रासित किया जाता है।

पट्टा भुगतानों को पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के संबध में वित्त प्रभारों एवं बकाया देयता की कमी में विभाजित कर दिया जाता है।

प्रचालन पट्टा

क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

विनिर्मित और प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां

पूंजीकृत की जाती हैं। उनसे होने वाली पट्टा आय को पट्टा अवधि में हुई आय माना जाता है।

ख) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां

प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में हुआ व्यय माना जाता है।

5. अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

क) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियो को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है, यदि

(क) यह संभाव्य है कि भविष्य में परिसंपत्ति के कारण होने वाला आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा, और

(ख) कंपनी का परिसंपत्तियों पर नियंत्रण होगा, और

(ग) इन परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है और ₹ 10,000 से अधिक है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनकी अनुमानित उपयोगी अवधि में सीधी रेखा यथानुपात मासिक आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जो सॉफ्टवेयर के मामले में तीन वर्षों और अन्य के मामले में दस वर्षों से अधिक नहीं होगी।

ख) (क) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान चरण के दौरान व्यय सहित अनुसंधान पर व्यय को होने वाले वर्ष में लाभ और हानि में प्रभारित किया जाता है।

ख) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर लेखाकरण मानक के अनुसार मानदंड पूरी करने वाली अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के विकास चरण के दौरान व्यय सहित विकास पर किए गए व्यय को अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

ग) अनुसंधान और विकास के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

6. उधार लागते

उधार लागतें, जो अर्हक परिसंपत्तियों के विनिर्माण, अधिग्रहण या निर्माण पर व्यय की जाती हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में शामिल की जाती है।

अर्हक परिसंपत्ति वह होती है जो अभिप्रेत उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से बारह महीने से अधिक का समय लेती है। अन्य उधार लागतों को उस अवधि का व्यय माना जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

7. मूल्यह्रास

(i) स्थायी परिसंपत्तियों (संविदा के अधीन विदेशों में प्रयुक्त को छोड़कर) पर मूल्यह्रास, उसे छोड़कर जहां मूल्यह्रास, तकनीकी रूप से आकलित अनुमानित उपयोगी अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाता है, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–XIV में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी–रेखा विधि पर परिसंपत्तियों की कुल लागत तक प्रभारित किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है –

	पहली पाली	दोहरी पाली	तिहरी पाली
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	8%	12%	16%
स्वाचालित / अर्ध–स्वचालित मशीनें	10%	15%	20%
निर्माण उपकरण, पूंजीगत औजार तथा साज–समान	20%		
टाउनशिप बिल्डिंग			
– द्वितीय श्रेणी	2.5%		
– तृतीय श्रेणी	3.5%		
रेलवे साइडिंग	8%		
लोकोमोटिव तथा वैगन	8%		
विद्युतीय संस्थापना	8%		
कार्यालय तथा अन्य उपकरण	8%		
ड्रेनेज, सीवरेज तथा जल आपूर्ति	3.34%		
इलेट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	20%		

स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि/से कटौती के मामले में मूल्यह्रास प्रभार, यथानुपात मासिक आधार पर होता है,

(ii) दीर्घावधिक संविदाओं के अनुसरण में भारत से बाहर प्रयुक्त स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रारंभिक संविदा की अवधि के दौरान होता है।

(iii) ₹ 10,000 या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा उन परिसंपत्तियों, जिनका हासित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में ₹ 10,000 या कम है, का पूर्णतः मूल्यहास होता है। जहां तक, टाउनशिप भवनों का प्रश्न है, वहां प्रति मकान की लागत ₹ 10,000 की सीमा के लिए आधार है।

(iv) निर्माण/परियोजना स्थल पर सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत संविदा अवधि में पूर्णतः परिशोधित की जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युतीय संस्थापनाओं और इस प्रकार क अन्य समर्थकारी कार्यों (पूर्णतः अस्थायी निर्माण, लकड़ी के कार्य को छोड़कर) पर अवशिष्ट मूल्य के रूप में 10 प्रतिशत प्रतिधारित करते हुए उन्हें मूल्यहासित किया जाता है।

(v) लकड़ी के ढांचों जैसे पूर्णतः अस्थायी निर्माण कार्यों पर निर्माण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है।

(vi) पट्टाधारित भूमि और भवनों को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्मित भवनों का मूल्यहास उनकी उपयोगी अवधि अथवा पट्टे की अवधि जो भी कम हो, में होता है।

बीजीजीटीएस के मामले में (50% जेवी)

स्थाई सम्पत्तियों पर मूल्यह्रस प्रबंधन द्वारा यथा आकलित परिसम्पत्तियों के अर्थपूर्ण जीवन के लिए प्रत्यक्ष तरीका अपनाकर प्रदान किया जाता है। कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची–XIV में निर्धारित मूल्यह्रास दरों को न्यूनतम दरें समझा जाता हैं। यदि परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के समय अथवा उक्त अनुसूची में परिकल्पित की तुलना में शेष उपयोगी जीवन कम है, तो उपयोगी जीवन/शेष उपयोग जीवन के प्रबंधन के आकलन के आधार पर मूल्यह्रास उच्च दर पर दिया जाता है। इस नीति के अनुसरण में, परिसम्पत्तियां पर मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा यथा आंकलित स्थाई परिसंम्पत्तियों के निम्नलिखित अर्थपूर्ण जीवन पर आधारित दरों के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसम्पत्ति की श्रेणी	आकलित अर्थपूर्ण जीवन
प्लांट तथा मशीनरी	2–15
विद्युत संस्थापनाएं	3–10
सिविल स्ट्रक्चर	5–10
फर्नीचर तथा फिक्चर	1–8
कम्प्यूटर	3
कार्यालय उपकरण	3–5

मूल्यह्रास का परिकलन परिसम्पत्तियें की खरीद/बिक्री माह से/तक के यथानुपात आधार पर किया जाता है। ₹ 5000/– से कम की अलग–अलग परिसम्पत्तियों खरीद वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रासित की जाती है।

रायचुर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में (36.49% जेवी)

विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास प्रत्यक्ष तरीका अपनाकर दिया जाता है। उन परिसम्पत्तियों के संबंध में जिसके लिए विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 में दरों का निर्धारण नही है, मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIV के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों पर प्रदान किया जाता है।

परिसम्पत्तियों का मूल्सह्रास लागत की 90% तक किया जाता है और 10% अपशिष्ट मूल्य के रूप में रोक लिया जाता है।

परिसम्पत्तियों के परिवर्धन पर मूल्यह्रास परिवर्धन की तारीख को देखे बिना पूरे वर्ष के लिए दिया जाता है।

बिक्री/डिस्कार्ड/डिस्मेंटलिंग के वर्ष में बेची गई/विखंडित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्लास प्रभारित नहीं किया जाता है।

₹ 5000/– तक की लागत की व्यक्तिशः परिसंपत्तियों का वर्ष में पूर्ण अवमूल्यन किया जाता है जिसमें वे उपयोग में लाई जाती हैं।

एनटीपीसी – बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. के मामले में

स्थाई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIV में निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्यक्ष तरीके से प्रभारित किया जाता है।

दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड के मामले में

स्थाई परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIV में निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्यक्ष तरीके से प्रभारित किया जाता है।

₹ 5000/– तक की लागत की व्यक्तिशः परिसंपत्तियों का वर्ष में पूर्ण अवमूल्यन किया जाता है जिसमें वे उपयोग में लाई जाती हैं।

8. निवेश

(i) दीर्घावधिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, ऐसे निवेशों में गिरावट को मान्यता दी जाती है और इसके लिए व्यवस्था की जाती है।

(ii) चालू निवेश लागत या उद्धृत/उचित मूल्य, जो भी कम है, पर किए जाते हैं। अउद्धृत चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं।

(iii) निवेश की लागत में अधिग्रहण प्रभार जैसे, दलाली, शुल्क तथा ड्यूटी शामिल है।

मौजूदा राशि में यदि कोई कमी होती है या किसी की पूर्ति होती है तो उसे लाभ और हानि में लेखा प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

8. मालसूची मूल्यांकन

(i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/अनुमानित लागत अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य जो भी कम हो, पर लिया जाता है।

(ii) संयंत्रों में तैयार माल तथा जारी कार्यों का, जिनमें गैस आधारित विद्युत संयंत्र, बायलर्स, बायलर सहायक उपकरण, कम्प्रेसर्स और औद्योगिक टर्बो सेट सहित जलविद्युत और थर्मल सेट शामिल हैं, मूल्यन वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या वसूली योग्य मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

(iii) संयंत्र में तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के संबंध में लागत का अर्थ कारखाना लागत है, वास्तविक/अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।

(iv) कच्चे माल, संघटकों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारांकित औसत लागत है।

(v) क. 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए जहां संविदा की लागत के वर्तमान अनुमान और विक्रय मूल्य हानि दर्शाते हैं, वहां ऐसी संविदा के लिए प्रत्याशित हानि को तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है, चाहे कार्य शुरू हो गया है या नहीं।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिए–

जहां किसी संविदा का भाग होने वाली पृथक रूप से अभिज्ञात परियोजना की लागत और विक्रय मूल्य संबंधी वर्तमान अनुमान हानि दर्शाता है, वहां ऐसी परियोजना के संबंध में, जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है, प्रत्याशित हानि को मान्यता दी जाती है।

ग. प्रत्याशित हानि निर्धारण में प्राप्त कुल आय पर विचार किया जाता है, जिसमें निर्यातों/माने गए निर्यातों पर प्रोत्साहन भी शामिल होते हैं।

(vi) उत्पादन आर्डरों के लिए खरीदे/विनिर्मित संघटकों और अन्य सामग्रियों, जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया हो, को तकनीकी अनुमानों के आधार पर अवशिष्ट मूल्य प्रतिधारित करने हुए राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

बीजीजीटीएस के मामले में 50% संयंत्र उद्यम

ट्रेड किए गए स्टॉक का मूल्य न्यूनतम लागत और निवल प्राप्त पर निकाला जाता है। लागत का निर्धारण पहले खरीदी पहले बेची पद्धति पर किया जाता है।

10. राजस्व मान्यता

ग्राहक के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर बिक्री को दर्ज किया जाता है। बिक्री के अंतर्गत आंशिक पोतलदान द्वारा ग्राहक को प्रेषित किया गया माल आता है।

क. 1.04.2003 को या उसके बाद की गई निर्माण संविदाओं के लिए:

राजस्व को संविदा की कुल अनुमानित लागत पर सूचना तिथि तक व्यय की गई वास्तविक लागत की प्रतिशतता पर आधारित प्रतिशतता समापन विधि से मान्यता दी जाती है।

ख. अन्य सभी संविदाओं के लिए:

(i) लम्बे उत्पादन चक्र वाले मदों (गैस आधारित पावर संयंत्रों, बॉयलरों, बॉयलर ऑग्जिलियरी, कम्प्रेसरों और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेट) के संबंध में बिक्री राजस्व को मान्यता तकनीकी अनुमानों पर दी जाती है। जब शिपमेंट का कुल मूल्य प्राप्णीय मूल्य का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो उन पर प्राप्णीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर विचार किया जाता है। अन्यथा, उन पर वास्तविक/अनुमानित फैक्टरी लागत या प्राप्णीय मूल्य के 97.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, विचार किया जाता है। शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा के अधीन आपूर्ति पूरी हो जाने पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) निर्माण और परियोजना प्रबंध सेवाओं को निम्नलिखित आधार पर मान्यता दी जाती है–

पूर्णता की प्रतिशतता, अथवा

अंतर्भूत मूल्य की गणना संविदा मूल्य के 97.5 प्रतिशत पर की जाती है तथा शेष 2.5 प्रतिशत को संविदा समाप्त होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(iii) प्रदान की गई इंजीनियरिंग सेवाओं से प्राप्त आय को पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर प्राप्णीय मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

(iv) गैर बीएचईएल उपस्करों/प्रणालियों और सिविल कार्य की आपूर्ति/निर्माण से प्राप्त आय की मान्यता ग्राहकों को किए गए प्रेषणों/परियोजना स्थल पर किए गए कार्यों पर आधारित होती है।

11. विदेशी मुद्रा लेन–देनों के लिए लेखाकरण

विदेशी मुद्रा लेन–देनों को लेन–देनों की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेषी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है। लेन–देनों के निपटान और मौद्रिक मदों के रूपांतरण पर उत्पन्न हुए विनिमय अंतर को उस वर्ष जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, में आय अथवा व्यय के रूप में माना जाता है।

12. अभिन्न वित्तीय प्रचालनों के वित्तीय विवरणों को मूल रूप देना

(i) आय तथा व्यय की मदों को मूल्यह्रास के अलावा औसत दर पर मूल रूप दिया जाता है, जिसे तत्संबंध स्थायी परिसंपत्तियों के लिए अंगीकृत दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

(ii) मौद्रिक मदों को अन्य दरों पर मूल रूप दिया जाता है, ऐतिहासिक लागत पर चलाई जाने वाली गैर–मौद्रिक मदों को सौदे की तारीख को लागू दरों पर मूर्त रूप दिया जाता है, उचित मूल्य पर चलाई जाने वाली गैर–मौद्रिक मदों की उस विदेशी मुद्रा पर विनिमय दर पर मूर्त रूप दिया जाता है जो मूल्य निर्धारित किए जाते समय विद्यमान होती है।

(iii) सभी उदग्रहण भिन्नताओं को लाभ व हानि लेखा के लिए लिया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेन्शनल योजना अंशदानों की गणना प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध की जाती है। अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, उपदान, सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावे और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन प्रतिपूर्ति होने वाले वर्ष में यथानुपात मासिक आधार पर प्रभारित की जाती है।

14. कंपनी द्वारा/के विरूद दावें

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावे को समान लेन–देनों के अनुभवों द्वारा अनुपूरित उपलब्ध सूचना के संदर्भ में संभावित परिणामों के प्रबंधन के आकलन के आधार पर लेखे में माना जाता है।

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क की वापसी और बीमा के लिए दावे आदि प्राप्ति पर लेखे में लिए जाते हैं।

(iii) मूल्य वृद्धि दावे और/अथवा संविदा कार्य के परिवर्तनों के संबंध में देय राशियों को केवल तभी राजस्व के रूप में माना जाता है जब संविदाओं से ऐसे दावों अथवा भिन्नताओं की शर्तें हों और/अथवा ग्राहकों से उसकी स्वीकार्यता का साघक्ष्य हो। तथापि वृद्धि अतिरिक्त मूल्य तक प्रतिबंधित होती है।

14. वारंटियों के प्रावधान

(i) 1.04.2003 को या उसके बाद किए गए निर्माण संविदाओं के लिए:

कंपनी उत्तरोत्तर राजस्व पर, जब कभी भी राजस्व को मान्यता देती है, 2.5% वारंटी लागत देती और वारंटी अवधि में यही प्रतिशत बनाए रखा जाता है।

(ii) अन्य सभी संविदाओं के लिए:

वर्ष के अंत में वारंटी के अंतर्गत संविदाओं के लिए संविदात्मक दायित्वों का प्रावदान संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाता है। एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति वाली संविदाओं के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

(iii) सुधार कार्य पर वारंटी के दावे/व्यय को जब भी व्यय किया जाता है, प्राथमिक शीर्ष के अधीन लेखांकन किया जाता है और वर्ष के अंत में प्रावधानों पर प्रभारित किया जाता है।

16. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब लेखाबद्ध किया जाता है जब उनकी वसूली की उचित निश्चितता हो।

अचल मूल्यहास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध अनुदानों को संगत परिसंपत्तियों की सकल लागत के अधीन समायोजित किया जाता है, जबकि गैर–मूल्यहास योग्य परिसंपत्तियों से संबद्ध को पूंजी प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है।

राजस्व सबद्ध अनुदान जब तक व्यय/हानियों के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त नहीं किए जाते, तब तक उन्हें उस अवधि, जिससे वे राजस्व की समतुल्य लागत के सिद्धांत पर संबद्ध हैं, राजस्व के रूप में माना जाता है। गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों के रूप में अनुदानों को अधिग्रहण की लागत पर अथवा नॉमिनल मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाता है, अगर वे निःशुल्क प्राप्त होते हैं।

17. आय पर कर

चालू कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य आय पर किया जाता है। आस्थगित कर देया/परिसंपत्ति लेखाकरण आय और कर योग्य आय के बीच समयांतर के परिणामस्वरूप कर का निर्धारण लागू दर पर और बाद में कार्यान्वित कानून को ध्यान में रखते हुए विचारित किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की गणना केवल तभी आगे उस स्थिति में की जाती है कि इस बात की न्यायोचित निश्चितता है कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों के तहत उपलब्ध होगी। गैर विलयकृत अवमूल्यन के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्यिां और आगे अग्रेषित हानियां को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ऐसी वास्तविक स्थिति हो कि ऐसी परिसंपत्तियों के वास्तविकीकरण के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

18. हानि (इम्पेअरमेंट)

जब कभी हानि के संकेत होते हैं प्रत्येक तुलन पत्र पर नकदी सृजन इकाइयों की राशि की समीक्षा की जाती है। इम्पेअरमेंट हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब अग्रेषित राशि नकदी सृजन इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होता है तो इम्पेअरमेंट हानि को रिवर्स कर दिया जाता है और ऐसी हानि अधिक समय नहीं रहती अथवा घट जाती है।

19. खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग कंपनी की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप होती है। खण्डों में राजस्व और व्यय की पहचान खण्ड की प्रचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर की जाती है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं, जो कि एक औचित्यपूर्ण तौर पर खण्ड के लिए बांटने लायक नहीं है, उन्हें ''गैर आबंटित राजस्व/व्यय/परिसंपत्तियां/देनदारियां'' के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

32 – लेखाओं पर समेकित वित्तीय विवरणों पर अन्य टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ''मूल कंपनी'' तथा इसकी सहायक कंपनियों तथा इसके संयुक्त उपक्रमों से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

   लेखाकरण का आधार :

   i) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा संयुक्त उपक्रमों में इनके ब्याज को कंपनी की समान रिपोर्टिंग तारीख को बनाया जाता है।

   ii) समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानदंड (एएस) 21 – 'समेकित वित्तीय विवरण' तथा लेखांकन मानदंड (एएस 27) – 'संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार तैयार किए गए हैं।

   समेकन के सिद्धांत:

   (क) मूल कंपनी के वित्तीय विवरण तथा इसकी सहायक कंपनी लाइन दर लाइन आधार पर संयुक्त होती है जिसमें परिसपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों की बुक वैल्यू को जोड़ा जाता है। जोड़ने से पूर्व इन मदों में से इंट्रा ग्रुप बैलेंस तथा इंट्रा ग्रुप लेन–देन और वसूले न गए लाभ अथवा हानियों को लेखांकन मानदंड (एएस–21) – 'समेकित वित्तीय विवरणों' के अनुसार पूरी तरह समाप्त किया जाता है।

   (ख) संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण लाइन दर लाइन विधि के अनुसार यथानुपात होते हैं जिसमें परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों को समेकन विधि से इसमें जोड़ा जाता है। जोड़ने से पूर्व इन मदों में से वसूले ने गए लाभ–हानि को लेखांकन मानदंड (एएस–27)– 'संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार यथानुपात रूप से समाप्त किया जाता है।

   (ग) समेकित वित्तीय विवरण लेन–देन तथा इसी प्रकार की अन्य स्थितियों जैसी समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किये जाते हैं। इन्हें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में किए विशेष उल्लेख आदि को छोड़कर कंपनी के अलग वित्तीय विवरणों की तरह प्रस्तुत किया जाता है।

   (घ) कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण के समय निवल परिसंपत्तियों में से सहायक कंपनी के निवेश में लागत का अंतर वित्तीय विवरणों में ख्याति अथवा पूंजीगत प्रारक्षित राशि, जैसा भी मामला हो, से देखा जा सकता है।

   (ड़) वर्ष के लिए समेकित सहायक कंपनी की निवल हानि के अल्प ब्याज हिस्से का समायोजन समूह की आय के साथ किया जाता है ताकि कंपनी के शेयरधारकों के अनुकूल निवल आय पर पहुंचा जा सके।

   (च) समेकित सहायक कंपनी की निवल देनदारियां के अल्प ब्याज हिस्से की पहचान की जाती है और कंपनी शेयरधारक की परिसंपत्तियों/देनदारियों और इक्विटी से अलग समेकित तुलन पत्र में प्रस्तुत की जाती हैं।

2. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित कम्पनियों के परिणाम शामिल हैं:–

	कम्पनी का नाम	देश जहां पर निगमित की गई	31.03.2014 की यथास्थिति शेयरधारिता अनुपात (%)	31.03.2013 की यथास्थिति शेयरधारिता अनुपात (%)
सहायक कंपनी				
1)	भारत हेवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड (बीएचपीवी)	भारत		100
2)	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लि. (बीएचईएल ईएमएल)	भारत	51	51
संयुक्त उपक्रम कंपनियां				
1)	बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड	भारत	50% से कम एक शेयर	50% से कम एक शेयर
2)	एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.	भारत	50	50
3)	दादा धूनीवाला खंडवा पावर लि.	भारत	50	50
4)	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	36.49	42.73
5)	लातूर पावर कंपनी लिमिटेड	भारत	49.99	49.99

(क) बीएचपीवी और बीएचईएल ईएमएल के वित्तीय विवरण 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित विवरण के आधार पर समेकित किए गए हैं।

(ख) बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कम्पनी में ब्याज की गणना 31.03.2013 की यथास्थिति वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर की जाती है।

(ग) पावर प्लांट परफार्मेंस इन्प्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल) में ब्याज की गणना समेकित वित्तीय विवरण में नहीं की गई है क्योंकि कंपनी परिसमापनाधीन है और इक्विटी निवेश की पूर्ण राशि निवेश के मूल्य में कमी के लिए उपलब्ध कराई गई है।

(घ) संयुक्त उद्यम एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रायचुर पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, दादा धूनीवाला खंडवा पावर लिमिटेड और लातूर पावर कंपनी लिमिटेड में ब्याज की गणना 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाती है।

				2013-2014	2012-2013
3	पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं				
	अग्रिम को छोड़कर संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजीगत खाते में निष्पादित किया जाता है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।		₹ करोड़ में	**345.46**	450.82
	उपयुक्त में अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण शामिल है।		₹ करोड़ में	**9.80**	1.65
4	भूमि तथा भवन में शामिल हैं				
	क)	i) एकड़ भूमि जिसके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है, उपरोक्त का निवल ब्लॉक	एकड़	**8939.61**	8462.27
		उपरोक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़ में	**79.17**	5.36
		ii) फ़्लैटों की संख्या, जिनके लिये औपचारिक हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	संख्या	**12**	12
		उपरोक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़ में	**1.51**	1.55
		iii) भवनों की संख्या, जिनके लिये औपचारिकता हस्तान्तरण/लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है	संख्या	**1**	1
		उपरोक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़ में	**5.07**	5.21
		iv) एकड़ भूमि जिसका लागत भुगतान अनंतिम है, पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प ड्यूटी (पहले से किये प्रावधान का निवल), यदि कोई हे, भुगतान करने पर हिसाब में लिया जायेगा।	एकड़	**528.18**	51.52
		उपरोक्त का निवल ब्लॉक	₹ करोड़ में	**70.98**	0.87
	ख)	एकड़ भूमि रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के विभागों तथा अन्य को लीज़ पर दी गई है	एकड़	**30.60**	31.27
	ग)	एकड़ भूमि रक्षा मन्त्रालय को उपर्युक्त के लिये दी गई है जिसके लिये लाइसेन्स रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है	एकड़	**180.00**	180.00
	घ)	एकड़ भूमि प्रतिफल कब्ज़े/अतिक्रमण में है।	एकड़	**598.78**	527.94
	ङ)	हरिद्वार में म्यूटेशन के अधीन लंबित 363.85 एकड़ भूमि			
		(उपरोक्त 4 (ख),(ग), (घ) एवं (ड़) में वर्णित भूमि की लागत सामग्री नहीं है)			
5	प्रत्येक ₹ 10,000 तक की अचल संपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास देने पर लाभ में प्रमाण इस प्रकार है जहाँ पर पूर्व पूर्व वर्षों में ऐसे ब्याज को विचार नहीं लिया जाएगा।				
	लेखा वर्ष में ₹ 10,000 की परिसंपत्ति पर 100 प्रतिशत		₹ करोड़ में	**10.64**	11.62

	मूल्यह्रास को छोड़ लिया (चांर्ज ऑफ़)		₹ करोड़ में	**3.21**	3.36
	उपर्युक्त पर सामान्य मूल्यह्रास		₹ करोड़ में	**7.43**	8.26
6	प्रचालनों से आय				
	क	इसमें अंतरिम मूल्य पर आधारित शामिल है	₹ करोड़ में	**154.02**	261.87
	ख	इसमें विक्रय संविदा के अनुसार किए गए दावे में वृद्धि प्रोद्भूत आधार पर, जहाँ तक नवीनतम सूचियाँ उपलब्ध हैं	₹ करोड़ में	**1673.94**	2136.62
	ग	इसमें ग्राहक के अनुरोध पर उनकी ओर से रोके गए उन उपकरणों की डिस्पैच शामिल है, जिसके लिए कंपनी को भुगतान प्राप्त हो चुका है; और	₹ करोड़ में	**36.22**	156.15
	घ	इसमें संविदा की शर्त के अनुसार डिलीवरी में देरी के लिए मूल्य में कमी शामिल नहीं है (निवल रिफ़ंड) शामिल नहीं हैं	₹ करोड़ में	**57.66**	201.19
7	आकस्मिक देयताएँ:				
	क	कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना			
	i)	क आय कर लंबित अपील	₹ करोड़ में	**0.90**	34.36
		ख जिनके लिए विरोध स्वरूप भुगतान किया और यह 'जमा अन्य' शीर्ष में शामिल है	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
	ii)	क बिक्री कर मांग	₹ करोड़ में	**1344.13**	890.36
		ख जिनके लिए विरोध स्वरूप भुगतान किया गया और यह ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल है	₹ करोड़ में	**190.56**	129.19
	iii)	क उत्पाद कर मांग	₹ करोड़ में	**489.55**	438.90
		ख जिनके लिए विरोध स्वरूप भुगतान किया गया और यह ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल है	₹ करोड़ में	**17.75**	13.91
	iv)	क सीमा शुल्क मांग	₹ करोड़ में	**3.14**	2.63
		ख जिसके लिए भुगतान किया गया और यह ''वसूली योग्य अग्रिम'' शीर्ष में शामिल है	₹ करोड़ में	**2.89**	0.06
	v)	न्यायालय एवं मध्यस्थता मामले	₹ करोड़ में	**1045.24**	746.57
	vi)	क निर्णीत हर्जाने	₹ करोड़ में	**4347.41**	3381.71
		ख निर्णीत हर्जाने vi) क में शामिल एलडी के लिये	₹ करोड़ में	**2673.51**	2005.50
	vii)	संविदाकारों के प्रति दावे	₹ करोड़ में	**0.77**	0.61
	viii)	क सेवा कर मांग	₹ करोड़ में	**294.13**	186.03
		ख जिनके लिये विरोध स्वरूप भुगतान किया गया	₹ करोड़ में	**0.70**	0.00
	ix)	अन्य	₹ करोड़ में	**91.52**	158.88
	x)	सहायक कंपनियों की ओर से दी गई कार्पोरेट गारंटी (बीएचपीवी)	₹ करोड़ में		6.56

(विभिन्न न्यायालय मामले और मुकदमों तथा कंपनी द्वारा विवादित दावों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों के बाह्य प्रवाह के रूप में वित्तीय प्रभाव आँकलन इस चरण पर नहीं किया जा सकता)।

8 क) बैंकों से नकद ऋण सीमा कुल ₹ 5000 करोड़ (गत वर्ष ₹ 5000 करोड़) है तथा बैंक गारंटी/ऋण सीमा मामले में कंपनी काउंटर गारंटी/क्षतिपूर्ति दायित्व रू 50000 करोड़ (गत वर्ष ₹ 50000 करोड़) है। इस कच्चे माल, संघटकों, चल रहे कार्य तैयार माल, भंडार, बुक ऋण तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों, वर्तमान तथा भावी, को गिरवी रखने के माध्यम से बैंकों के संघ द्वारा मंजूर किया गया है। 31.03.2014 को बकाया गारंटी ₹ 45,083 करोड़ (गत वर्ष ₹ 41786 करोड़) है।

ख) 31.03.2014 को कॉर्पोरेट गारटी ₹ 3312.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4717.71 करोड़) है।

9 विविध देनदारों, लेनदारों, ठेकेदारों के अनुबन्धों, जमा राशि तथा उप–ठेकेदारों/फ़ैब्रिकेटरों के पास पड़े स्टॉक/सामग्री बकाया शेष की पुष्टि, समाधान और परिवर्ती समायोजन यदि कोई हो, किया जाना है। समाधान एक सतत् प्रक्रिया के रूप में किया गया है और जहाँ आवश्यक समझा गया है दिशानिर्देशों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

10 क) लेखाकरण मानदंड एएस–7 (संशोधित) की अपेक्षानुसार 01.04.2003 को अथवा इसके बाद किये गये निर्माण अनुबन्धों से संबंधित प्रकटन निम्नलिखित हैं:–

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2012-13
वर्ष के लिए मान्य किया गया अनुबन्ध राजस्व	**33377.46**	42268.26
वर्ष के अंत में चल रही सविंदाओं के संबंध में :		
खर्च की गई लागत तथा मान्य लाभ (घटाएँ : मान्य हानियाँ)	**240909.16**	208103.02
अग्रिम प्राप्त राशि	**7952.36**	7912.90
प्रतिधारण राशि (आस्थगित ऋण)	**19038.41**	16932.57
उपयुक्त नेटिंग ऑफ़ करने के बाद ग्राहकों से देय के सम्बन्ध में		
परिसंपत्ति के रूप में कार्य अनुबन्ध के लिये ग्राहकों से देय सकल राशि	**2913.68**	2833.23
देयता के रूप में अनुबन्ध कार्य के लिये ग्राहकों को देय सकल राशि	**2167.28**	2655.14
आकस्मिकताएँ	**-**	-

(ख) लेखांकन मानदंड एएस–7 (आर) के अनुसार निर्माण अनुबन्धों के मामलों में कुल लागतों तथा कुल राजस्व के अनुमान 1 अप्रैल, 2003 को अथवा इसके बाद लगाये गये हैं। वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा आवधिक रूप से निर्माण अनुबन्धों को पुनरीक्षित एवं अद्यतन किया जाता है। हालांकि यह अनुमानों में परिवर्तन के प्रभाव की मात्रा का पता लगाना असाध्य है।

11 व्युत्पन्न लिखतों से सम्बन्धित ब्यौरे:

क) व्युत्पन्न लिखतों, जिन्हें रक्षित किया गया है और दिनांक 31.03.2014 के बकाया शून्य है (पिछले वर्ष शून्य) है।

ख) विदेशी मुद्रा, जिन्हें व्युत्पन्न लिखतों तथा अन्यथा रक्षित नहीं किया जाता, निम्नानुसार हैं:

		2013-14	2012-13
क) परिंसपत्तियाँ/प्राप्तव्य			
विदेशी मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	करोड़ में	**69.90**	62.73
यूरो में	करोड़ में	**57.05**	60.61
एलवाईडी में	करोड़ में	**0.83**	0.88
आरओ में	करोड़ में	**0.03**	0.03
भारतीय मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़ में	**4145.94**	3383.78
यूरो में	₹ करोड़ में	**4635.44**	4160.17
एलवाईडी में	₹ करोड़ में	**39.75**	37.17
आरओ में	₹ करोड़ में	**5.24**	4.78
अन्य में	₹ करोड़ में	**32.20**	35.19

ख) देयताएं			
विदेशी मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	करोड़ में	**27.24**	37.65
यूरो में	करोड़ में	**18.84**	32.62
एलवाईडी में	करोड़ में	**1.42**	1.42
भारतीय मुद्रा में			
अमरीकी डॉलर में	₹ करोड़ में	**1649.57**	2066.01
यूरो में	₹ करोड़ में	**1575.57**	2297.00
एलवाईडी में	₹ करोड़ में	**69.36**	61.00
अन्य में	₹ करोड़ में	**210.24**	151.22

12 क) विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर खर्च का विवरण इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

		2013-14	2012-13
	प्लान्ट एवं मशीनरी	**186.73**	193.09
	भवन	**56.43**	59.82
	अन्य	**51.15**	33.14
ख)	निर्यात के सम्बन्ध में खर्चों में शामिल निर्यात पर एजेन्सी कमीशन	**11.15**	18.87
ग)	अनुसन्धान एवं विकास पर खर्च	**311.38**	338.23
घ)	किराया आवासीय	**50.98**	59.14
ङ)	लेखापरीक्षकों को भुगतान		
	लेखापरीक्षा शुल्क (सेवा कर का निवल)	**0.58**	0.58
	इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल है।	**0.02**	0.01
	खर्चों की प्रतिपूर्ति	**0.16**	0.16
	कराधान मामले (प्रमाणन सहित)	**0.15**	0.13
	इसमें विदेश में किया गया भुगतान भी शामिल है	**0.02**	0.00
	अन्य सेवाएं	**0.36**	0.35
च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान	**0.12**	0.12
छ)	आतिथ्य पर व्यय	**7.42**	8.35
ज)	विदेशी यात्रा पर व्यय		
	व्यय रूपये में	**15.82**	19.82
झ)	प्रचार एवं जन सम्पर्क, वेतन, भत्ते		
	एवं अन्य लाभों पर व्यय	**11.96**	11.75
	अन्य व्यय	**17.52**	15.14
ण)	निदेशकों की फीस	**0.10**	0.14

13 एएस–18 द्वारा अपेक्षित "सम्बन्धित पक्षकार सम्बन्धी सूचना" निम्नानुसार है:

i) सम्बन्धित पक्षकार – संयुक्त उद्यम कम्पनियाँ

1 पावर प्लान्ट परफारमेंस इम्प्रूवमेन्ट लिमिटेड

2 बीएचईएल – जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

3 एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड

4 लातूर पावर कंपनी लि.

5 रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

6 दादा धूनीवाला खंडवा पावर लिमिटेड

ii) प्रबन्धन के शीर्ष अधिकारी

सर्वश्री/

बी.पी. राव, अतुल सराया (30.11.2013 तक), ओ.पी. भूटानी (31.05.2013 तक), एम.के. दुबे (31.07.2013 तक) और पी.के. बाजपेई, आर. कृष्णनन, डब्ल्यू.वी.के. कृष्णाशंकर (01.08.2013 से) और अतुल सोबती (01.12.2013 से), एस. बसु, आनंद बंसल, एस. श्रीनिवास राव, वाई.के. रस्तोगी, एम.आर. काम्बले, ए.बी. रविचंद्रन, भवराजु श्रीनिवास राव, वी.पी. सिंह

iii) लेन–देन सम्बन्धी विवरण

संयुक्त उद्यम		**2013-14**	2012-13
सामान और सेवाओं की खरीद	₹ करोड़ में	**39.96**	86.70
सामान और सेवाओं की बिक्री	₹ करोड़ में	**1982.39**	2757.14
सेवाओं की प्राप्ति	₹ करोड़ में	**40.60**	0.00
सेवाएँ प्रदान करना	₹ करोड़ में	**289.86**	303.63
लाभांश आय	₹ करोड़ में	**16.90**	16.66
रॉयल्टी आय	₹ करोड़ में	**1.29**	0.90
शेयरों की खरीद	₹ करोड़ में	**25.00**	-
शेयरों की बिक्री	₹ करोड़ में	**0.00**	64.00
वर्ष के अन्त में बीएचईएल को देय राशि	₹ करोड़ में	**1034.17**	978.18
वर्ष के अन्त में बीएचईएल द्वारा देय राशि	₹ करोड़ में	**466.79**	588.65
शेयर जारी करने के प्रति अग्रिम जमा	₹ करोड़ में	**-**	-
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	₹ करोड़ में	**10.81**	4.39
दिये गये अग्रिम	₹ करोड़ में	**0.81**	2.20

टिप्पणीः अधिकांश लेन–देन बीजीजीटीएस, एनबीपीपीएल और रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किये जाते हैं

प्रबन्धन के शीर्ष अधिकारी (केएमपी)			
वेतन का भुगतान	₹ करोड़ में	**3.02**	2.53
केएमपी के सम्बन्धी			
वर्ष के अन्त में बीएचईएल को देय राशियाँ	₹ करोड़ में	**0.01**	0.01
वेतन का भुगतान	₹ करोड़ में	**0.24**	0.25

14 पट्टा

1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का विवरण निम्नानुसार हैं:

i) वित्त पट्टाः

क. न्यूनतम पट्टा भुगतान की शेष राशि		**2013-14**	2012-13
एक वर्ष तक	₹ करोड़ में	**83.90**	90.43

			2013-14	2012-13
	एक वर्ष के बाद, किन्तु पाँच वर्षों तक	₹ करोड़ में	**121.68**	150.83
	पाँच वर्षों के बाद	₹ करोड़ में	**0.23**	0.00
	तुलन पत्र की तारीख को कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	₹ करोड़ में	**205.81**	241.26
ख.	उपर्युक्त (क) का वर्तमान मूल्य			
	एक वर्ष तक	₹ करोड़ में	**67.87**	75.53
	एक वर्ष के बाद, किन्तु पाँच वर्षों तक	₹ करोड़ में	**104.78**	129.50
	पाँच वर्षों के बाद	₹ करोड़ में	**0.02**	0.02
	तुलन पत्र की तारीख को कुल वर्तमान मूल्य	₹ करोड़ में	**172.67**	205.05
ग.1	वित्तीय प्रभार	₹ करोड़ में	**33.14**	36.21
ग.2	अवशिष्ट मूल्य का वर्तमान मूल्य, यदि कोई है	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00

ii) कम्पनी अपने कर्मचारियों के लिये मकान, कार्यालय के भवन और ईडीपी उपस्कर आदि प्रचालन पट्टे पर लेती है, जो रद्दीकरण योग्य और अरद्दीकरण दोनों ही रूपों में होते हैं।

iii)	**प्रचालन पट्टा** अरद्दीकरण प्रचालन पट्टे के अन्तर्गत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:		**2013-14**	2012-13
	एक वर्ष तक	₹ करोड़ में	**2.10**	2.54
	एक वर्ष के बाद, किन्तु पाँच वर्षों तक	₹ करोड़ में	**3.92**	5.04
	पाँच वर्षों के बाद	₹ करोड़ में	**4.15**	4.40
iv)	1.4.2001 से पहले पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के सम्बन्ध में किराये से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार हैं:			
	परिसम्पत्तियों की लागत			
	भूमि एवं भवन	₹ करोड़ में	**0.01**	0.01
	कम्प्यूटर एवं पेरिफ़ेरल्स	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00
	पट्टे की असमाप्त अवधि के लिये देय किराया			
	भूमि एवं भवन	₹ करोड़ में	**0.02**	0.02
	कम्प्यूटर एवं पेरिफ़ेरल्स	₹ करोड़ में	**0.00**	0.00

15 प्रति शेयर अर्जन:

		2013-14	2012-13
गणना के लिये प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या प्रति शेयर अर्जन (क)	संख्या करोड़ में	**244.760**	244.760
इक्विटी शेयर का कुल अंकित मूल्य	(₹)	**2.00**	2.00
अल्प ब्याज समायोजना उपरांत समूह का वर्ष का निवल लाभ (ख)	₹ करोड़ में	**3502.86**	6693.37
प्रति शेयर मूल्य और डाइल्यूटेड अर्जन (ख)/(क)	(₹)	**14.31**	27.35

16 लेखाकरण मानक – 29 से सम्बन्धित सूचना (₹ करोड़ में)

क)	**निर्णीत हर्जाने**	**2013-14**	2012-13
	प्रारंभिक	**1356.49**	1170.62
	वृद्धि	**697.84**	652.27

उपयोग/बट्टे खाते डाले गये/भुगतान	**-61.51**	-348.08
आहरण/समायोजन	**-264.05**	-118.32
अन्तिम शेष	**1728.77**	1356.49
संविदागत दायित्व		
प्रारम्भिक	**5012.62**	3867.87
वृद्धि	**1119.53**	1793.43
उपयोग/बट्टे खाते डाले गये/भुगतान	**-133.39**	-154.31
आहरण/समायोजन	**-352.89**	-494.37
अन्तिम शेष	**5645.87**	5012.62

ख) निर्णीत हर्जाने कम्पनी की लेखाकरण नीति के अनुसार दिये जाते हैं और इन्हें निपटान के समय अथवा अन्यथ लेखों में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाता है। निर्णीत हर्जाने से सम्बन्धित देयता का उल्लेख अनुसूची 32 की टिप्पणी संख्या 7 में किया गया है।

ग) संविदा के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार, वारंटी सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने के लिए महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुसार संविदागत दायित्व सम्बन्धी प्रावधान संविदा राजस्व के 2.5 प्रतिशत की दर से किया जाता है। ये संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक बरकरार रहता है। वारंटी दायित्व का वास्तविक व्यय सम्बन्धित संविदा के निबन्धनों एवं शर्तों के आधार पर संविदा दर संविदा एवं वर्ष दर वर्ष अलग–अलग हो सकते हैं।

17 ₹ 1 लाख से कम आय–व्यय वाली मदों को पूर्व अवधि की मदों में शामिल नहीं किया जाता है।

18 कुछेक मदों के लिए, कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों ने महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में यथा इंगित भिन्न–2 लेखाकरण नीतियों का पालन किया है। लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संयुक्त नियंत्रित कंपनियों के हिस्से का उल्लेख अनुसूचियों के द्वारा वार्षिक लेखा की प्रत्येक अनुसूची में किया गया है।

19 पूर्ववर्ती भारत हेवी प्लेटस एंड वैसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम का कंपनी के साथ विलय।

क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बीआईएफआर) ने अपने आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2013 के तहत भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी) (बीएचईएल की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी) का कंपनी के साथ घाटे में चल रही औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (''एसआईसीए'') के अनुच्छेद 18(5) के अधीन निर्धारित तिथि अर्थात 01 अक्तूबर, 2011 से विलय के लिये संशोधित मसौदा पुनर्वास योजना (एमडीआरएस) को मंजूरी प्रदान कर दी।

ख) कंपनी ने 30 अगस्त, 2013 (प्रभावी तिथि) को कंपनियों के पंजीयक के पास आवश्यक फाइलिंग कर दी है। विलय की योजना को तदनुरूप इन लेखाओं में प्रभावित में ले लिया गया है।

ग) विलय के अनुरूप पूर्ववर्ती भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (जिसका प्रमुख व्यवसाय हीट एक्सचेंजों, कॉलम्स, भण्डार क्षेत्र, रिएक्टरों और संबंधित उत्पादों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और इरेक्शन से संबंधित था) की परिसंपत्तियां और देनदारियां निर्धारित तिथि अर्थात 01 अक्तूबर, 2011 से कंपनी में ऑनगोइंग कन्सर्न आधार पर स्थानांतरित और प्रेषित कर दी गईं।

घ) लेखांकन मानदंड (एएस) 14 –''विलय के लिये गणना'' के अनुरूप, विलय की योजना ''ब्याज पद्धति की पूलिंग'' के अधीन गणना में ली गई है, जिसमें पूर्ववर्ती बीएचपीवी लिमिटेड की सभी संपत्तियां, देनदारियां और आरक्षित एवं अधिशेष/हानियां 01 अक्तूबर, 2011 को लेखा बहियों में यथा उल्लिखित अनुसार उनकी बुक वैल्यू में ले ली गई हैं।

ङ) बीएचपीवी के कंपनी के साथ विलय पर बीएचपीवी की शेयर पूंजी बगैर आगे किसी कार्रवाई या समझौते या इंस्ट्रयुमेंट की निर्धारित तिथि से रद्द हो गई। चूंकि कंपनी बीएचपीवी की जारी, सब्सक्राइब्ड और प्रदत्त पूंजी का 100 प्रतिशत (इसके नामितियों सहित) धारण करती है, कंपनी में बीएचपीवी के व्यवसाय/संचालन को लेकर कोई अंतरण और अन्य गतिविधि जो भी हो के तहत किसी भी व्यक्ति को न कोई शेयर आबंटित किया और नहीं कोई भुगतान किया गया।

च) बीएचपीवी की लेखा बहियों में दर्ज ₹ 33.80 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी और इस संबंध में ₹ 1 करोड़ के तत्स्थानी निवेशों को जो कि कंपनी की लेखा बहियों में दर्ज हैं रद्द हो गई है और उत्पन्न अंतर ₹ 33.80 करोड़ को कंपनी की आरक्षित पूंजी में समायोजित कर दिया गया है।

छ) 01.10.2011 को ₹ 278.05 करोड़ की राशि का बीएचपीवी के लाभ हानि खाते का डेबिट बेलैंस कंपनी के लाभ और हानि के विवरण में सरप्लस बेलैंस के तहत समायोजित कर दिया गया है।

ज) कंपनी की बहियों में समनुरूप शेषों के तहत कुल ₹ 273.67 करोड़ के सभी बकाया अंतर–कंपनी बेलैंसिस रद्द कर दिये गये हैं। विलय से उपार्जित परिसंपत्तियां/देनदारियां निर्धारित तिथि (अर्थात् 01.10.2011) को निम्नानुसार हैं:

परिसंपत्तियां		(₹ करोड़ में)
अचल परिसंपत्तियां (निवल)	**4.25**	
निवेश	**0.01**	
मालसूचियां	**44.99**	
विविध देनदार	**120.98**	
नकदी एवं बैंक शेष	**2.73**	
हानियां एवं अग्रिम	**55.77**	**228.73**
देनदारियां		
आरक्षित पूंजी	**0.02**	
असुरक्षित ऋण	**9.62**	
चालू देनदारियां	**165.01**	
प्रावधान	**24.66**	**199.31**
विलय से उपार्जित निवल परिसंपत्तियां–देनदारियां		**29.42**
लाभ एवं हानि खाते का डेबिट बेलैंस	**278.05**	
घटाएं: अंतर कंपनी बेलैंसिस	**273.67**	**4.38**
आरक्षित पूंजी के साथ समायोजन		**33.80**

झ) सभी नियमित कर्मचारी, जो कि प्रभावी तिथि को बीएचपीवी की सेवा में हैं, कंपनी के कर्मचारी बन गये हैं और उनकी सेवाएं जारी रहेंगी तथा बीएचपीवी के विलय के कारण बाधित नहीं होंगी।

ण) अधिशेष के तहत समायोजन अर्थात लाभ हानि के विवरण में शेष के संबंध में:

		(₹ करोड़ में)
i) निर्धारित तिथि (01.10.2011) को पूर्ववर्ती बीएचपीवी के लाभ एवं हानि खाते का डेबिट बैलेंस		**-278.05**
ii) 01.10.2011 से 31.03.2013 तक कर पूर्व लाभ		
कारोबार	**343.05**	
घटाएं:	**283.10**	**59.95**
iii) आस्थगित कर सहित कर हेतु प्रावधान		**136.85**

20 पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं आवश्यक हुआ पुर्नवर्गीकृत/पुनर्निर्धारित किये गये हैं।

21 लंबित आबंटन शेयर आवेदन राशि आरपीसीएल, एक संयुक्त उद्यम कंपनी, की है जो कि उन्हें केपीसीएल से प्राप्त राशि के संबंध में है तथा इसका बाद की तिथि को जब कभी भी केपीसीएल से पूंजी का फ्रेश इल्यूजन अपेक्षित होगा, इक्विटी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

22 – खंड सूचना–समेकित

(₹ करोड़ में)

		31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए			31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिए		
क.	**प्रारंभिक खंड – व्यवसाय खंड**						
		पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	**खंड राजस्व**						
क.	खंड राजस्व	32919.37	7882.62	**40801.99**	40017.51	10655.33	50672.84
ख.	अन्तर–खंड राजस्व	-	-	**-**	-	-	-
ग.	प्रचालन राजस्व बाह्य (क) – (ख)	32919.37	7882.62	**40801.99**	40017.51	10655.33	50672.84
II.	**खंड परिणाम**						
क.	खंड परिणाम	5466.52	984.45	**6450.97**	8625.34	2233.02	10858.36
ख.	अनाबंटित व्यय (निवल आय)			**1239.83**			1200.04
ग.	वित्त लागत पूर्व लाभ एवं आय कर (क) – (ख)			**5211.14**			9658.32
घ.	वित्त लागत			**133.46**			127.61
ङ.	आयकर पूर्व निवल लाभ (ग) – (घ)			**5077.68**			9530.71
च.	आयकर			**1575.34**			2837.61
छ.	आयकर उपरान्त निवल लाभ			**3502.34**			6693.10
III.	**परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ**						
क.	खंड परिसम्पत्तियाँ	48306.61	11998.56	**60305.17**	48254.35	13200.27	61454.62
ख.	अनाबंटित परिसम्पत्तियाँ			**14937.40**			10298.29
ग.	कुल परिसम्पत्तियाँ			**75242.57**			71752.91
घ.	खंड देयताएँ	31618.07	6698.08	**38316.15**	31228.93	7300.31	38529.24
ङ.	अनाबंटित देयताएं			**3752.01**			2670.60
च.	कुल देयताएँ			**42068.16**			41199.84
IV.	**अन्य सूचना**						
क.	अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों (सीडब्ल्यूआईपी सहित) के अधिग्रहण के दौरान किया गया खर्च	1352.54	273.61		1548.56	212.93	
ख.	मूल्यह्रास	756.80	187.13		711.50	193.84	
ग.	नकद रहित व्यय (मूल्यह्रास के अलावा)	2094.16	235.57		1362.91	370.87	
ख.	**अनुपूरक खंड – भौगोलिक खंड**						
		भारत में	भारत से बाहर	कुल	भारत में	भारत से बाहर	कुल
1	प्रचालनों से निवल बिक्री/आय	38791.39	2010.60	**40801.99**	49726.08	946.76	50672.84
2	कुल परिसंपत्तियां	74606.02	636.55	**75242.57**	71249.43	503.48	71752.91
3	स्थायी परिसंपत्तियां प्राप्त करने के लिए अवधि के दौरान किया गया खर्च	1729.07	-0.79	**1728.28**	1803.00	0.07	1803.07

टिप्पणियां :

1. संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों द्वारा बुक किये गये आर्डरों के आधार पर 'पावर एवं उद्योग' के तौर पर प्रमुख खण्डों की पहचान की गई है, अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन समूह द्वारा बुक किये गये आर्डर पावर अथवा उद्योग में, जो भी मामला हो, लिये जाते हैं।
2. बीजीजीटीएस (संयुक्त उपक्रम) गैस टर्बाइनों, इंजीनियरिंग सेवाओं, रिपेयर सेवाओं के लिए पुर्जों तथा संघटकों की बिक्री से संबंधित व्यवसाय में कार्यरत है अन्य संयुक्त उद्यम विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के व्यवसाय से जुड़े हैं अथवा विद्युत व्यवसाय से जुड़े हैं और इन्हें 'विद्युत खंड' में माना गया है।
3. बीएचईएल ईएमएल (सहायक कंपनी) जो कि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीनों का विनिर्माण करती है, 'उद्योग खंड' के अधीन मानी गई है।

शेयरधारकों के लिए अतिरिक्त सूचना

251 दस वर्षों की वित्तीय सूचनाएं
253 मूल्यवर्धन विवरण
254 वार्षिक योजना निष्पादन
254 राजकोष में अंशदान
254 उद्यम मूल्य
255 भारत में बीएचईएल
256 उत्पाद रूपरेखा
266 शब्दावली

दस वर्षों का सार

(₹ करोड़ में)

		2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
I	**अर्जन / आउटगोइंग्स**										
	अर्जन										
	कारोबार (सकल)	40338	50156	49510	43337	34154	28033	21401	18739	14525	10336
	प्रचालनों से राजस्व (निवल)	38389	47618	47228	41566	32861	26212	19305	17237	13374	9527
	अन्य प्रचालन आय	720	807	751	680	493	514	422	379	277	420
	अन्य आय	1616	1121	1266	1021	1155	983	1023	445	280	236
	कुल अर्जन	40725	49546	49245	43267	34509	27709	20750	18061	13931	10183
	आउटगोइंग्स										
	सामग्री, विनिर्माण तथा इंजीनियरिंग व्यय की लागत	22099	27899	28908	23209	20672	17620	11821	10182	8145	5871
	चालू कार्य एवं तैयार माल में कमी / (वृद्धि)	1057	116	(823)	(127)	(787)	(1152)	(827)	(181)	(386)	(540)
	कर्मचारी लाभ व्यय	5933	5753	5466	5397	6540	2984	2608	2369	1879	1650
	अन्य विनिर्माण, प्रशासनिक तथा बिक्री और वितरण व्यय (पूर्वावधि मदों सहित)	3315	3777	3242	2537	2057	1823	1644	1496	1177	1212
	प्रावधान (निवल)	2259	1566	1403	2715	(934)	1281	778	172	283	126
	घटाएं: आंतरिक उपयोग के लिए किये गये कार्यों की लागत	68	76	104	69	121	61	38	28	36	19
	वित्त लाभ एवं मूल्यह्रास से पूर्व आउटगोइंग्स	34595	39035	38092	33662	27427	22495	15986	14009	11062	8301
	मूल्यह्रास, वित्त लागत एवं कर पूर्व लाभ	6130	10511	11153	9605	7082	5214	4763	4052	2869	1882
	मूल्यह्रास	983	953	800	544	458	334	297	273	246	219
	सकल लाभ	5147	9558	10353	9061	6624	4880	4466	3779	2623	1663
	वित्त लागत	133	125	51	55	33	31	36	43	59	81
	कर पूर्व लाभ	5014	9432	10302	9006	6591	4849	4430	3736	2564	1582
	कराधान व्यय (निवल)	1553	2817	3262	2995	2280	1711	1571	1321	885	628
	कर उपरांत लाभ	3461	6615	7040	6011	4311	3138	2859	2415	1679	953
	लाभांश	693	1323	1567	1525	1141	832	746	600	355	196
	कॉरपोरेट लाभांश कर	118	221	254	249	191	141	127	93	50	27
	प्रतिधारित लाभ	2650	5071	5219	4237	2979	2165	1986	1722	1274	731
II	**कंपनी की संपत्तियां**										
	स्थाई परिसंपत्तियां										
	सकल ब्लॉक	12050	10783	9707	8050	6580	5225	4443	4135	3822	3629
	घटाएं: संचयी मूल्यह्रास तथा पट्टा समायोजन	7357	6325	5410	4649	4165	3754	3462	3146	2840	2585
	निवल ब्लॉक	4693	4458	4297	3401	2415	1471	981	989	982	1044
	पूंजीगत चालू कार्य, अमूर्त सहित विकासाधीन परिसंपत्तियां	642	1172	1348	1733	1530	1157	658	302	185	95
	गैर चालू निवेश	420	429	462	439	80	52	8	8	8	9
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	1969	1551	1546	2164	1527	1840	1338	935	674	518
	वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम और गैर–चालू परिसंपत्तियों के अलावा	65067	62518	59123	51523	42915	36901	27906	20980	16331	13343
	कुल परिसंपत्तियां	**72791**	**70128**	**66776**	**59260**	**48467**	**41421**	**30892**	**23214**	**18180**	**15010**

दस वर्षों का सार (जारी...)

		2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
III	**कंपनी की देनदारियां**										
	दीर्घावधि उधार	105	129	123	102	81	105	61	58	539	524
	देनदारियां एवं प्रावधान	39639	39555	41280	39004	32489	28377	20056	14368	10340	8459
	कुल देनदारियां	39744	39684	41403	39106	32570	28482	20117	14426	10879	8983
IV	**कंपनी का निवल मूल्य**										
	शेयर पूंजी	490	490	490	490	490	490	490	245	245	245
	प्रारक्षित तथा अधिशेष	32557	29954	24883	19664	15427	12449	10285	8544	7057	5782
	निवल मूल्य	33047	30444	25373	20154	15917	12939	10775	8788	7301	6027
V	**निवल कार्यशील पूंजी**	28026	24273	17892	12551	10426	8524	7850	6612	5991	4884
VI	**नियोजित पूंजी**	33139	29161	22651	16391	12968	10091	8873	7640	7001	5950
VII	**मूल्य वर्धन**	15046	19460	19098	18476	13171	9894	8323	7182	5683	4254
VIII	**अनुपात**										
	कुल परिसंपत्तियों पर पीबीडीआईटी (%) #	8.6%	15.4%	17.7%	17.8%	15.8%	14.4%	17.6%	19.6%	17.3%	13.9%
	नियोजित पूंजी पर सकल लाभ (%) #	16.5%	36.9%	53.0%	61.7%	57.5%	51.5%	54.1%	51.6%	40.5%	29.8%
	कारोबार/सकल ब्लॉक	3.3	4.7	5.1	5.4	5.2	5.4	4.8	4.5	3.8	2.8
	अर्जन प्रति शेयर (₹)✦	14.14	27.03	28.76	24.56	17.61	12.82	11.68	9.86	6.86	3.9
	प्रति शेयर निवल मूल्य (₹)✦	135.02	124.38	103.67	82.34	65.03	52.86	44.02	35.9	29.83	24.62
	चालू अनुपात	1.76	1.64	1.43	1.32	1.32	1.3	1.4	1.5	1.6	1.58
	कुल ऋण/इक्विटी	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.09
	निवल मूल्य पर प्रतिफल	10.5%	21.7%	27.7%	29.8%	27.1%	24.3%	26.5%	27.5%	23.0%	15.8%
	सकल लाभ मार्जिन	12.8%	19.1%	20.9%	20.9%	19.4%	17.4%	20.9%	20.2%	18.1%	16.1%
	निवल लाभ मार्जिन	8.6%	13.2%	14.2%	13.9%	12.6%	11.2%	13.4%	12.9%	11.6%	9.2%

औसत निवल परिसंपत्तियों एवं नियोजित पूंजी के आधार पर

✦ आंकड़े 2011–12 में किए गए विखंडन पूर्व के आधार पर और 1:1 के अनुपात में 2007–2008 में बोनस इश्यू पर आधारित है।

मूल्य वर्धन विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
क. मूल्य वर्धन का सृजन					
उत्पादन का मूल्य (घटाएं उत्पाद शुल्क)	37073	47219	47815	41527	33598
घटाएं–प्रत्यक्ष सामग्री, विद्युत एवं ईंधन तथा ठेकेदारों को भुगतान	22027	27759	28717	23051	20427
वर्धित मूल्य	15046	19460	19098	18476	13171
घटाएं–अन्य परिचालन व्यय	2982	3196	2479	3461	845
(निवल आय)					
निवल मूल्य वर्धन	12064	16264	16619	15015	12326
उत्पादन मूल्य का प्रतिशत	32.54%	34.44%	34.76%	36.16%	36.69%
ख. मूल्य वर्धन का प्रयोग					
कर्मचारियों को भुगतान	5934	5753	5466	5410	5243
निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	49.19%	35.37%	32.89%	36.03%	42.54%
मूल्यह्रास	983	953	800	544	458
निवल मूल्यह्रास का प्रतिशत	8.15%	5.86%	4.81%	3.62%	3.72%
वित्तीय प्रभार :					
– उधार पर ब्याज	133	125	51	55	34
– निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	1.10%	0.77%	0.31%	0.36%	0.27%
कर प्रावधान (आयकर, आस्थगित कर, कर पूर्व लाभ तथा पूर्वावधि)	1553	2818	3262	2994	2280
निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	12.88%	17.32%	19.63%	19.94%	18.50%
लाभांश (लाभांश कर सहित)	811	1544	1821	1775	1332
निवल मूल्यवर्धन का प्रतिशत	6.71%	9.49%	10.95%	11.82%	10.81%
प्रतिधारित लाभ	2650	5071	5219	4236	2979
निवल मूल्यर्वधन का प्रतिशत	21.97%	31.18%	31.41%	28.22%	24.17%

वार्षिक योजना कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

निवेश की श्रेणी	2013-14	2012-13
योजनाएं	340	549
आधुनिकीकरण और युक्तिकरण तथा अन्य	140	72
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1	14
ग्राहक परियोजना संबंधी पूंजी निवेश	63	117
कुल	**544**	**752**

राजकोष में अंशदान (₹ करोड़ में)

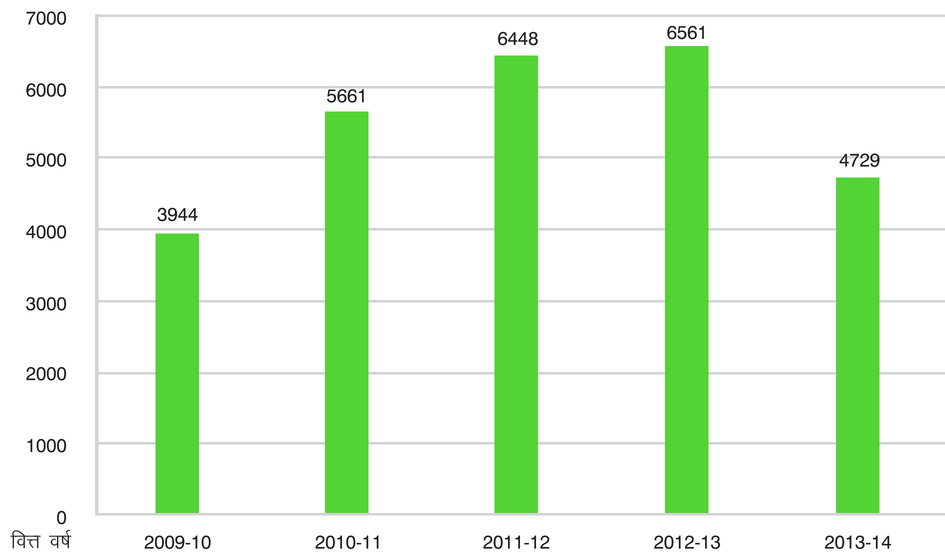

उद्यम मूल्य

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
इक्विटी का बाज़ार मूल्य	48169	43322	62940	100971	117027
जोड़ें: ऋण	2740	1500	193	163	128
घटाएं: नकदी एवं नकदी समकक्ष	11873	7732	6672	9630	9790
उद्यम मूल्य	39036	37090	56461	91504	107365

भारत में बीएचईएल

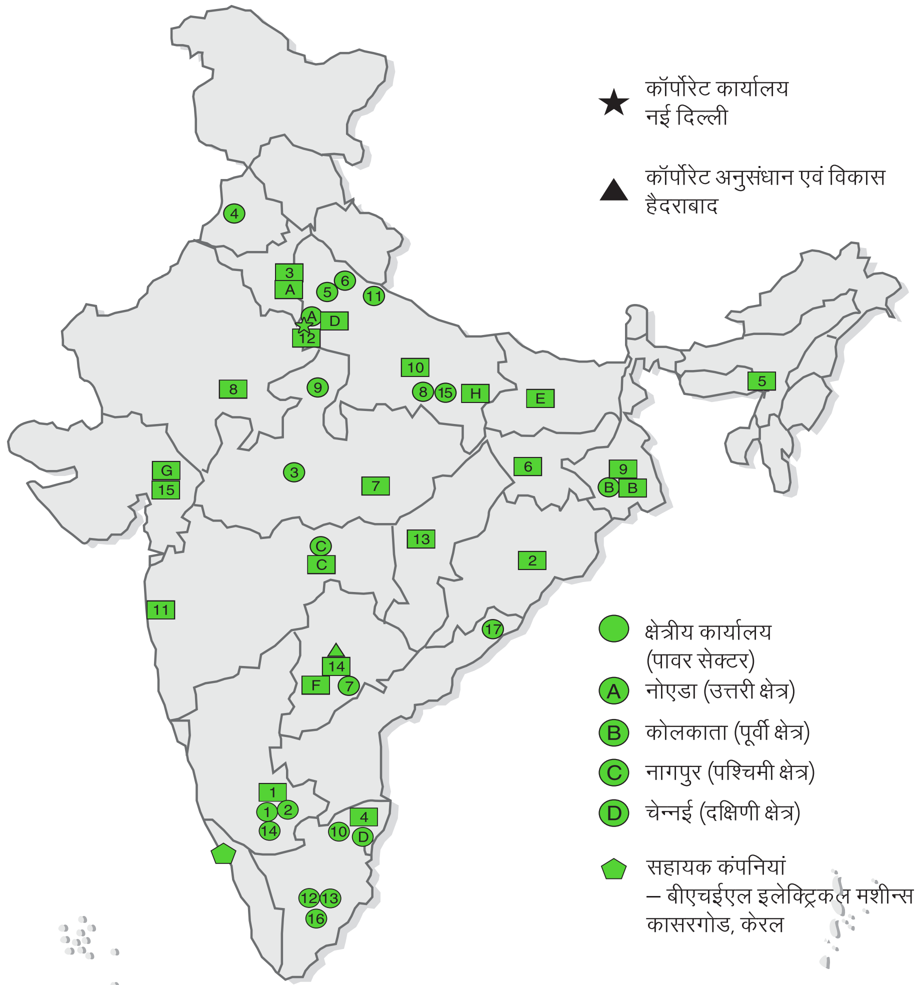

★ कॉर्पोरेट कार्यालय
नई दिल्ली

▲ कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास
हैदराबाद

● क्षेत्रीय कार्यालय
(पावर सेक्टर)

- A नोएडा (उत्तरी क्षेत्र)
- B कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र)
- C नागपुर (पश्चिमी क्षेत्र)
- D चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र)

⬟ सहायक कंपनियां
– बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड
कासरगोड, केरल

व्यवसाय कार्यालय

- 1 बंगलौर
- 2 भुवनेश्वर
- 3 चंडीगढ़
- 4 चेन्नई
- 5 गुवाहाटी
- 6 राँची
- 7 जबलपुर
- 8 जयपुर
- 9 कोलकाता
- 10 लखनऊ
- 11 मुम्बई
- 12 नई दिल्ली
- 13 रायपुर
- 14 सिकन्दराबाद
- 15 वड़ोदरा

विनिर्माण इकाइयां

- 14 1 2 बंगलौर
- 3 भोपाल
- 4 गोइंदवाल
- 5 6 हरिद्वार
- 7 हैदराबाद
- 15 8 जगदीशपुर
- 9 झांसी
- 10 रानीपेट
- 11 रुद्रपुर
- 12 13 तिरुचिरापल्ली
- 16 तिरुमयम
- 17 विशाखापट्टनम

सेवा केन्द्र

- A चंडीगढ़
- B कोलकाता
- C नागपुर
- D नोएडा
- E पटना
- F सिकन्दराबाद
- G वड़ोदरा
- H वाराणसी

यह भौगोलिक वर्णन भारत के शासन विषयक मानचित्र का आशय नहीं है।

उत्पाद

रूपरेखा

थर्मल विद्युत संयंत्र

- स्टीम जेनरेटर, स्टीम टर्बाइन, टर्बो जेनरेटर सहित जीवाश्म ईंधन, न्यूक्लियर एवं संयुक्त चक्र उपयोगों के लिए 800 मेगावाट तक के लिए रिजेनरेटिव फ़ीड सुपरक्रिटिकल स्टीम साइकल मानदंडों वाले बॉयलरों एवं स्टीम टर्बाइनों तथा 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक के समतुल्य जेनरेटरों का डिज़ाइन एवं निर्माण करने की क्षमता।
- 1000 मेगावाट तक के टीजी सेटों की उपर्युक्त आवश्यकता पूरी करते हुए कंडेन्सर कन्डेन्सेट एक्सट्रैक्शन पम्प, बॉयलर फ़ीड पम्प वॉल्व एवं हीट एक्सचेंजर।

न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र

- 700 मेगावाट तक की क्षमता वाले स्टीम जेनरेटर और टर्बाइन तथा समतुल्य टर्बो–जेनरेटर, कंडेन्सर
- हीट एक्सचेंजर
- प्रेशर वेसल
- रिएक्टर वेसल्स

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

- 25 से 292 मेगावाट (आईएसओ) उच्च श्रेणी की रेटिंग तक की गैस टर्बाइनें।
- उद्योग एवं यूटिलिटी उपयोगों के लिए गैस टर्बाइन आधारित सह–उत्पादन एवं संयुक्त चक्र प्रणालियां।

हाइड्रो विद्युत संयंत्र

- समरूप जेनरेटर सहित केपलान, फ्रेंसिस एवं पेल्टॉन प्रकार के कस्टम निर्मित परंपरागत हाइड्रो टर्बाइनें, समरूप मोटर जेनरेटर सहित पम्प टर्बाइनें 300 मेगावाट तक के समतुल्य मोटर जेनरेटर, 10 मेगावाट तक के समतुल्य जेनरेटरों सहित बल्ब टर्बाइन।
- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए समतुल्य मोटरों के साथ उच्च क्षमता के पम्प (150 मेगावाट तक)
- परंपरागत टर्बाइनों के लिए इलेक्ट्रो–हाइड्रॉलिक माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल नियंत्रक
- लिफ्ट सिंचाई पम्पों के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल कंट्रोलर
- 15 मेगावाट तक के पीएलसी आधारित कंपैक्ट डिजिटल नियंत्रक सहित अतिलघु/लघु हाइड्रो सेट
- हाइड्रो जेनरेटर और मोटरों के लिए स्टेटिक एक्साइटेशन सिस्टम
- हाइड्रो जेनरेटर और मोटरों के लिए ब्रुशलेश एक्साइटर
- विशेष प्रयोजन और मोटर जेनरेटर सेट
- हाइड्रो स्टेशनों के लिए गोलाकार (रोटरी) बटरफ्लाई और रोटरी वाल्व और सहायक उपकरण

डीजी विद्युत संयंत्र

- एचएसडी, एलडीओ, एफओ, एलएसएचएस, प्राकृतिक गैस आधारित डीजल जेनरेटर विद्युत संयंत्र, टर्नकी आधार पर आपातकाल, पीकिंग तथा बेस लोड प्रचालनों के लिए 20 मेगावाट तथा 11 किलोवाट तक की वोल्टेज क्षमता वाले यूनिट।

औद्योगिक सेट

- 7 से 150 मेगावाट की क्षमता वाले औद्योगिक टर्बो सेट।
- ड्राइव उपयोगों तथा सह उत्पादन उपयोगों के लिए औद्योगिक स्टीम टर्बाइनें तथा गैस टर्बाइनें।
- 120 से 150 मेगावाट तक रिहीट स्टीम टर्बाइन और समतुल्य जेनरेटर

कास्टिंग एवं फ़ोर्जिंग

- परिष्कृत भारी कास्टिंग एवं क्रीप रोधी एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एवं ग्रेड की एलॉय स्टील जो सब–क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल तथा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रॉद्योगिकी के उपकरणों हेतु सख़्त अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टिताओं को पूरा सके।

बॉयलर

- कोयला, लिग्नाइट, तेल, प्राकृतिक गैस अथवा इन ईंधनों के सम्मिश्रण का उपयोग करके 30 से 800 मेगावाट तक की क्षमता वाली यूटिलिटियों के लिए स्टीम जेनरेटर, 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक के सुपरक्रिटिकल मानदंडों वाले बॉयलरों का निर्माण करने की क्षमता।
- कोयला, प्राकृतिक गैस, औद्योगिक गैस, बायोमास,

लिग्नाइट, तेल, बेगास अथवा इन ईंधनों के सम्मिश्रण का उपयोग कर 40 से 450 टन प्रति घंटे की क्षमता वाले औद्योगिक उपयोगों के लिए स्टीम जेनरेटर्स।

- पल्वराइज्ड ईंधन फायर्ड बॉयलर
- स्टोकर बॉयलर
- बबलिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन (बीएफबीसी) बॉयलर
- 250 मेगावाट तक सर्कुलेटिंग फ्ल्युडाइज्ड बेड कम्बशन बॉयलर सीएफ़बीसी
- हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (एचआरएसजी)
- सूखे ठोसों के 100 से 1000 टन प्रति दिन की क्षमता वाले कागज उद्योग के लिए रासायनिक रिकवरी बॉयलर।

बॉयलर ऑग्जिलियरीज

पंखे

- 40 से 1300 घनमीटर/सेकेंड तक की क्षमता और 400 से 1500 मिमी. डब्ल्यूसी तक दाब सहित 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक धूल भरी उष्म गैस प्रयोग और स्वच्छ वायु प्रयोग के लिए एक एवं दो चरण के एक्सियल रिएक्शन पंखे
- 25 से 600 घन मीटर/सेकेंड तक की क्षमता और 300 से 700 तक मिमी डब्ल्यूसी तक दाब सहित 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के स्वच्छ वायु और दग्ध गैस दोनों प्रयोगों के लिए एक्सियल इंपल्स पंखे
- गैस कॉलम की 4 से 660 घन मीटर प्रति सेकेंड तक की क्षमता तथा 200 से 3000 तक की दाब वाली स्वच्छ हवा और धूल भरी गर्म गैसों के उपयोगों के लिए एकल एवं दोहरे सक्शन रेडियल पंखे (प्लेट एरोफोइल ब्लेडिड)

एयर प्री–हीटर

- औद्योगिक और यूटीलिटी बॉयलरों के लिए ट्यूबुलर एयर प्रिहीटर
- बॉयलरों और प्रोसेस फर्नेस के लिए रोटरी रिजेनरेटिव एयर प्रिहीटर
- 800 मेगावाट तक की यूटीलिटी के लिए बडे रोटरी रिजेनेरेटिव एयर प्रिहीटर

पल्वेराइजर

- 67.5 मेगावाट से 800 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 18 टन/प्रति घंटे से 110 टन प्रति घंटे की क्षमता वाले कोयला फ़ायर्ड थर्मल स्टेशनों हेतु धीमी एवं मध्यम गति के बाउल मिल।
- 110 मेगावाट से 500 मेगावाट तक थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 30 टन/प्रति घंटे से 110 टन/प्रति घंटे के उच्च राख संघटक वाले निम्न श्रेणी कोयला पल्वेराइजिंग के लिए ट्यूब मिल।

इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रोसिपिटेटर (ईएसपी)

- बायोमास प्रज्जवलित बॉयलरों, सीमेंट संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों, सोडा प्राप्ति बॉयलरों आदि सहित यूटीलिटी और औद्योगिक प्रयोगों के लिए 17 मिग्रा/ना.घ.मी. (99.97 प्रतिशत तक की क्षमता) तक निकासी उत्सर्जन सहित किसी भी क्षमता का इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिरेटर

गुलीटाइन गेट्स और डैम्पर्स

- इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिव एक्चुएटर के साथ गुलीटाइन गेट्स 6 मीटर ऊँचे और 7 मीटर चौड़े (स्प्लिट सहित) आकार वाले/सील एयर सहित 100% रिसाव रोधी
  - इलेक्ट्रिक/एक्चुएटर के साथ बाई–प्लेन डैम्पर्स 7 मीटर ऊँचे और 4.5 मीटर चौड़े आकार वाले सील एयर सहित 100% रिसाव रोधी
  - इलेक्ट्रिक/न्यूमेटिक एक्चुएटर सहित लाउवर डैम्पर्स (सुलाबंद/नियमनकारी)/7 मीटर ऊँचे और 4.5 मीटर चौड़े आकार वाले
  - न्यूमैट्रिक एक्चुएटर के साथ कन्ट्रोल डैम्पर्स (रेग्युलेटिंग)। 7 मीटर ऊँचे (स्प्लिट निर्माण) एवं 4.5 मीटर चौड़े आकार के।
- यूटिलिटी एवं औद्योगिक उपयोग के लिए बैग फ़िल्टर
- समुद्री जल/लाइमस्टोन सल्री स्क्रबर के साथ फ़्लू गैस डिसएफराइज़ेशन (एफजीडी, प्रणाली)
- ऑग्जिलरी बॉयलरों और अन्य फ्लू गैस एक्ज़ॉस्ट उपयोगों के लिए स्टील चिमनी

सूट ब्लोअर्स

- 12.2 मीटर तक चलने वाले लम्बे रिट्रेक्टेबलर सूट ब्लोअर्स (एलआरएसबी)
- 6.9 मीटर तथा 8.3 मीटर लम्बाई तक चलने वाले फ़र्नेस टेम्परेचर प्रोब (एफटीपी)
- एयर हीटरों के लिए फ़ॉर्वर्ड ब्लोविंग के साथ लम्बे रिट्रेक्टेबल नॉन–रोटेटिंग (एलआरएनआर) सूट ब्लोअर्स
- सीएफबीसी बॉयलर उपयोगों के लिए एश डिस्चार्ज वाल्व
- इन्टीग्रल स्टार्टर के साथ सूट ब्लोअर्स

- पीएलसी अनुक्रमिक सूट ब्लाआर्स
- रैक टाइप लम्बे रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर्स
- वॉल ब्लोअर्स
- रोटरी सूट ब्लोअर्स

वाल्व

- यटिलिटी एवं औद्योगिकी उपयोग के लिए उच्च दाब तथा निम्न दाब बायपास वाल्व एवं हाइड्रॉलिक प्रणाली
- 950 मिमी व्यास, 4500 (791 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर) के अधिकतम दाव श्रेणी और 650° सेंटीग्रेड तापक्रम तक स्टीम, तेल और गैस कार्यों के लिए उच्च और मध्यम प्रेशर वाल्व, गेट, ग्लोब के ढलंग और फोर्ज इस्पात, वन रिर्टन वाल्व (स्विंग चेक और पिस्टन लिफ्ट चैक) किस्म
- 900 एमएम अधिकतम श्रेणी 1500 एवं 650° सेंटीग्रेड तक के हॉट–रिहॅाट एवं क़ोल्ड रिहॅाट आइसोलेटिंग डिवाइसिस
- 372 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर के निर्धारित दाब और 630° सेंटीग्रेड तक तापक्रम के लिए उच्च क्षमता के सुरक्षा वाल्व और 210 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर के निर्धारित दाब तथा 593 डिग्री तक के निर्धारित तापमान के लिए स्वचालित विद्युत प्रचालित प्रेशर रिलीफ वाल्व
- 421 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर के निर्धारित दाब और 537° सेंटीग्रेड तक तापक्रम के लिए विद्युत प्रक्रिया और अन्य उद्योगों में प्रयोग हेतु सुरक्षा रिलीफ वाल्व
- 2700 मिमी आकार में अधिकतम ब्यास वाले रिएक्टिव–कम–एब्जॉर्बप्टिव टाइप साइलेंसर
- डायरेक्टर वाटर लेवल गेज
- एंगल ड्रेन वाल्व–टर्बाइन ड्रेन उपयोग के लिए सिंगल एवं मल्टी स्टेज सर्विस कन्ट्रोल वाल्व
- आरएच एंव एस एच स्प्रे लाइनों के लिए सेरे सर्विस कंट्रोल वाल्व
- 800 मिमी ब्यास 158 किग्रा/वर्ग सेंटीमीटर दाब का 540° सेंटीग्रेड तापक्रम तक के निष्कर्षण लाइनों के लिए शीघ्र बंद होने वाले नन–रिटर्न वाल्व और कोल्ड रिहीड नन–रिटर्न वाल्व

पाइपिंग प्रणालियां

- सुपर क्रिटिकल सेटों सहित 1000 मेगावाट क्षमता तक के विद्युत स्टेशनों के लिए परिचालन जल पाइपिंग सहित विद्युत चक्र पाइपिंग, स्पिर भार हैंगर्स, परिवर्ती स्प्रिंग हैंगर्स, हैंगर संघटक, निम्न दाब पाइपिंग
- न्यूक्लियर विद्युत स्टेशनों, संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों तथा प्रक्रिया उद्योगों में विद्युत संयंत्रों के लिए पाइपिंग प्रणालियां

सीमलेस स्टील टयूबें

- एएसटीएम/एपीआई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टियों के लिए उपयुक्त कार्बन स्टील और निम्न मिश्रधातु स्टील में 19 से 133 मिमी तक के बाहरी ब्यास और 2 से 14 मिमी तक की मोटाई की सीमा सहित उष्म निर्मित और कोल्ड ड्रॅान सीमलेस स्टील टयूबें।
- राईफल्ड टयूब
- स्पाईरल फिंड टयूब

कंडेन्सर और हीट एक्सचेंजर

सर्फेस कंडेन्सर

- 236 मेगावाट और 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांटस
- 12.5 मेगावाट समुद्री अनुप्रयोग
- औद्योगिक कंडेन्सर

फीड वाटर हीटर (एचपी हीटर्स, एलपी हीटर्स, ड्रेन कूलर्स आदि)

- थर्मल–07 से 500 मेगावाट (सब–क्रिटिकल) एवं 300–800 मेगावाट (एकल स्ट्रीम के साथ सुपर क्रिटिकल)
- न्यूक्लियर 236 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट रेटिंग

आर्द्रता सेपरेटर और रि–हीटर्स

- 236 और 500 एवं 700 मेगावाट न्यूक्लियर सेट

लाइव स्टीम रीहीटर (एलएसआर)

- 500 मेगावाट एफबीआर न्यूक्लियर सेट

टर्बो और हाइड्रोजेनेरेटरों के लिए ऑक्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स

- एयर कूलर्स (फ्रेम और ट्यूब किस्म)
- ऑयल कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म तथा प्लग–इन किस्म)
- हाइड्रोजन कूलर्स (फ्रेम और ट्यूब किस्म)

ट्रांसफॉर्मरों के लिए ऑक्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स

- ऑयल कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म एकल ट्यूब अथवा संकेंद्रिक दोहरा ट्यूब किस्म किस्म) (फ्रेम और ट्यूब किस्म)

सामान्य प्रयोग के लिए ऑक्जिलियरी हीट एक्सचेंजर्स

- वाटर – वाटर कूलर्स (शेल और ट्यूब किस्म)
- रिफाइनरी, पेट्रो–केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के लिए औद्योगिक हीट एक्सचेंजर्स
- बटरफलाई वाल्वस (फैब्रिकेटिड/कास्ट बॉडी एवं डोर)
- थर्मल और न्यूक्लियर सेटों के लिए फ्लैश टैंक
- सभी रेटिंग्स के ताप, न्यूक्लियर सेटों के लिए सर्विस टैंक, स्टोरेज टैंक और प्रेशर वैसल्स एवं औद्योगिक अनुप्रयोग
- सीएस/एसएस/नॉन फेरस शैल और ट्यूब हीट एक्सचेंजरर्स और प्रेशर वैसल्स (सभी अनुप्रयोगों के लिए भले ही रेटिंग कुछ भी हो)
- एफआर–9 एफई तक जीटीजी हेतु एअर–कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स और सभी रेटिंग्स के कम्प्रेशर अनुप्रयोग।
- 150 मेगावाट तक के सभी कंडेंसर्स के लिए स्टीम जेट एअर इजेक्टर
- 7 मेगावाट से 800 मेगावाट तक डीरेटर्स
- ग्लैंड स्टीम कंडेंसर 7 मेगावाट से 150 मेगावाट
- सभी संभव कम्प्रेशर अनुप्रयोगों के लिए गैस कूलर्स
- ऑयल कूलर्स–एसटीजी 150 मेगावाट तक, जीटीजी एफआर–9, एफई तक
- 150 मेगावाट एसटीजी और जीटीजी तक 9 एफए तक जनरेटर एअर कूलर्स

पम्प

- 1000 मेगावाट तक की क्षमता वाली यूटीलिटियों के उपयुक्त विभिन्न प्रयोगों के लिए पम्प
- बॉयलर फीड पम्प (मोटर अथवा स्टीम टर्बाइन चालित)
- बॉयलर फीड बूस्टर पम्प
- कंडेन्सेट एक्सट्रैक्शन पम्प
- सर्कुलेटिंग वाटर पम्प (कूलिंग वाटर पंपों के तौर पर भी जाना जाता है)

विलवणीकरण और जल शोधन संयंत्र

- घरेलू और औद्योगिक प्रयोगों के लिए समुद्रीजल, उच्च खारे और अपशिष्ट जल के शोधन के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) आधारित विलवणीकरण संयंत्र
- सेवा/वहनीय/बॉयलर भरण मेक–अप आवश्यकताओं के लिए जल उत्पादन हेतु संयंत्र के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस विखनिजीकरण (आरओ–डीएम) संयंत्र
- आरओ प्रयोग के लिए उपयुक्त खारेजल के शोधन हेतु शोधन–पूर्व (मेम्ब्रेन आधारित/पारंपरिक) प्रणालियों की विभिन्न किस्में
- पुनः उपयोग एवं रिसाइकिल के लिए मल एवं अपशिष्ट जल शोधन संयन्त्र
- संयंत्रों का प्रचालन और अनुरक्षण

स्वचालन और नियंत्रण प्रणालियां

- स्टीम जनरेटर/बायलर कंट्रोल
- स्टीम टरबाईन कंट्रोल्स
- बायलर फीड पंप (बीएफपी) ड्राइव टरबाईन कंट्रोल
- ऑफसाइट/आफ बेस कंट्रोल्स/बैलेंस ऑफ प्लांट कंट्रोल
  - एश हेंडलिंग
  - कोयला हेंडलिंग
  - वाटर सिस्टम
  - मिल रिजेक्ट सिस्टम
  - कंडेन्सेट ऑन लाइन ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम
  - गैस टर्बाइन नियंत्रण प्रणालियां
- हाइड्रो विद्युत संयंत्र नियंत्रण प्रणालियां
- गैस बूटस्टर कम्प्रेसर
- गैस टरबाईन नियंत्रण प्रणाली
- न्यूक्लियर पावर प्लांट टरबाईन एवं सेकेंडरी साइकल कंट्रोल सिस्टम
- पावर ब्लॉक ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट
- औद्योगिक स्वचालन
- सब–स्टेशन स्वाचालन प्रणाली (एसएएस) और पर्यवेक्षीय नियंत्रण तथा आंकडा अधिग्रहण प्रणालियां (स्काडा)
- इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम फॉर रिफाइनरीज
- एनर्जी मैंनेजमेंट सिस्टम फॉर पावर प्लांट

पावर इलेक्ट्रॉनिक्स

- एक्साइटेशन सिस्टम
- एसी ड्राइव सिस्टम
- स्टेटिक स्टार्टस
- इंडक्शन हीटिंग इक्विपमेंट

ट्रांसमिशन सिस्टम कंट्रोल

- हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) सिस्टम
- फलेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफएसीटीएस)
    - फिक्स्ड सीरिज कम्पनसेशन (एफसीएस)/थाईरिस्टर कंट्रोल सीरिज कम्पनसेशन (टीसीएससी)
    - स्टेटिक वीएआर कम्पनसेटर (एसवीसी) सिस्टम
    - कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर)
    - स्टेटिक कम्पनसेटर (एसटीएटसीओएम)

पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसिस

- डायोडस–1400–4400वी/250–2000ए की रेंज तक
- थाईरिस्टर्स–1400–7000वी/150–4950ए की रेंज तक
- टर्बो जनरेटरों के लिए आवर्ती डायोड

सौर फोटोवोल्टिक

- मोनो/मल्टी क्रिस्टेलीनसैल्स सैल्स (125 और 156 एमएम)
- मोनो/मल्टी क्रिस्टेलीनसैल्स मॉडयूल्स (40 से 300 डब्ल्यूपी)
- पीवी सिस्टम्स: ग्रिड इंटरेक्टिव, हाईब्रीड और स्टैंड अलोन पीवी पावर प्लांट्स
- स्पेस ग्रेड सौर पीवी पैनल
- अंतरिक्ष गुणवत्ता बैटरियां

डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स

- इंटेग्रेटिड प्लेटफार्म मैनेजमेंट सिस्टम
- इंटेग्रेटिड ब्रिज सिस्टम
- मशीनरी नियंत्रण कक्ष(एमसीआर) सिमुलेटर
- सभी रक्षा और अर्द्ध सैनिक बलों के लिए वाहनों, प्लेटफार्मों, राडारों, हथियारों, मिसाइलों और सीबीटी के लिए प्रशिक्षण सिमुलेटर
- शस्त्र फायर नियंत्रण प्रणाली, एवियानिक्स, रेडियो संचार उत्पाद, इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम और पूर्व चेतावनी प्रणालियां
- मुख्य युद्धक टैंकों के लिए गन कंट्रोल सिस्टम

सॉफ्टवेयर सिस्टम साल्यूशन

- मैरिट आर्डर रेटिंग
- कार्य निष्पादन विश्लेषण, डायग्नोस्टिक्स एवं ऑप्टिमाइजेशन (पीएडीओ)
- कार्यनिष्पादन गणना और आप्टिमाइजेशन सिस्टम
- डीसीएस से तृतीय पक्ष प्रणालियों के लिए ओपीसी संपर्क
- इंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम
- इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
- ऑपरेटर ट्रेनिंग सिमुलेटर
- पावर हाउस इंटरानेट सॉफटवेयर
- अलार्म विश्लेषण प्रणाली
- रियल टाइम परफारमेंस डाटा मानीटरिंग सिस्टम
- हिस्टोरिकल रिप्ले सिस्टम

स्विचगियर

36 केवी तप वोल्टता रेटिंग और गैस विसंवाहित स्विचगियरों (36 केवी–145 केवी) के लिए भीतरी और बाहरी प्रयोगों हेतु विभिन्न किस्मों के माध्यम वैक्यूम स्विचगियर

- 12 केवी, 50 केए, 3500 एम्पियर तक के भीतरी स्विचगियर, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एवं कम्बाइंड साईकल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए
- 36 केवी, 31.5 केए, 2500 एम्पियर तक के भीतरी स्विचगियर, उद्योग एवं रिफाइनरी के लिए
- 12 केवी, 25 केए, 1250 एम्पियर के भीतरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स वितरण प्रणाली के लिए
- 36 केवी, 25 केए, 2000 एम्पियर के बाहरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स ट्रांसमिशन एवं वितरण खंड के लिए
- 12 केवी, 25 केए, 1250 एम्पियर के बाहरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स वितरण खंड के लिए
- 25 केवी, 25 केए, 1600 एम्पियर के बाहरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स ट्रैक साईड रेलवे अनुप्रयोग के लिए
- 12 केवी ग्रामीण खंड के लिए आउटडोर पोल माउन्टेंड ऑटोरिक्लोजर/ सैक्शनेलाइनर कैपेसिटर स्विच
- रिफ़ाइनरियों, शहरी सब–स्टेशनों के लिए गैस विसंवाहित स्विचगियर 36 केवी – 25 केवी 1600 एम्पी
- ट्रासमिशन खंड के लिए 145 केवी 40 केए 2500 एम्पी. के गैस इन्सुलेटेड स्विचगीयर
- एसएफ6 सर्किट ब्रेकर्स (145 केवी – 800 केवी)

बस डक्ट

- 800 मेगावाट तक की क्षमता यूटीलिटियों के जेनरेटर विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त संबंद्ध उपस्कर सहित बस डक्ट

ट्रांसफॉर्मर

- 1200 केवी तक की वोल्टता के लिए विद्युत ट्रांसफॉर्मर
- जेनरेटर ट्रांसफॉर्मर (500एमवीए, 400 केवी, 3फेज/400एमवीए, 400 केवी, 1फेज तक)
- ऑटो ट्रांसफॉर्मर (±1000एमवीए, 400केवी, 3फेज/600एमवीए, 400केवी, 1फेज/1000 एमवीए, 765केवी, 1फेज/1000 एमवीए, 1200 केवी, 1 फेज तक)
- कन्वर्टर ट्रांस्फॉर्मर/स्मूदिंग रिएक्टर (600एमवीए, ±500केवी/ 254एमवीएआर, ±500केवी तक)
- शंट रिएक्टर (150 एमवीएआर, 420 केवी, 3 फेज/110 एमवीएआर, 765 केवी, 1 फेज तक)
- कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (200 एमवीए, 420 केवी, 3 फेज/150 एमवीएआर, 420 केवी, 1 फेज/110 एमवीएआर, 765 केवी, 1 फेज तक)
- फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर (315 एमवीए, 400 केवी, 3 फेज तक, 333 एमवीए 420 केवी, 1 फेज, पीएसटी तक (1000 एमवीए बैंक इन 3 फेज)–पारेषण लाइनों के लिए)
- इंस्ट्रुमेंट ट्रांसफार्मर
    - 400 केवी तक के करंट ट्रांसफार्मर
    - 220 केवी तक के इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफार्मर
    - (33 केवी से 1200 केवी तक) कैपीसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर
- विशेष ट्रांसफॉर्मर
    - रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर (120 केए, 132 केवी तक)
    - फर्नेस ट्रांसफॉर्मर (33 केवी, 60 एमवीए तक)
- ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर
    - 25 केवी, 7475 केवीए तक 3 फेस ड्राईव लोकोमोटिव्स के लिए फ्रेट लोको ट्रांसफॉर्मर
    - 25 केवी, 1550 केवीए तक एसीइएमयू ट्रांसफॉर्मर
- ईएसपी (एचवीआर) ट्रांसफॉर्मर 100 केवी 1400 एमए
- 15000 केवीए तक ड्राई टाईप ट्रांसफॉर्मर
    - 3.3 एमएच, 2700 एम्पियर तक स्मूदिंग रिएक्टर
    - 300 एमएच, 120 एम्पियर तक शुष्क किस्म रिएक्टर
    - 0.5 एमएच, 4600 एम्पियर तक डीसी चोक
- 15 एमवीए, 33 केवी तक के कास्ट रेजिन शुष्क किस्म

इंसुलेटर्स

हाई टेंशन सेरामिक इंसुलेटर्स

- स्वच्छ एवं प्रदूषित वातावरणों के लिए 800 केवी एसी और डीसी प्रयोगों के लिए उपयुक्त 70केएन से 420 केएन तक इलेक्ट्रोमैकेनिकल शक्ति के एसी/डीसी उपयोगों के लिए हाई–टेंशन पोरसेलेन डिस्क इंसुलेटर्स।
- ट्रांसफार्मरों और एसएफ 6 सर्किट ब्रेकरों के लिए 765 केवी तक के हॉलो पोर्सिलेन
- सब स्टेशन में प्रयोग के लिए बस पोस्ट और आइसोलेटरों के लिए 400 केवी तक के सॉलिड कोर इंसुलेटर

कम्पोजिट इंसुलेटर्स

- 25 केवी रेलवे ट्रेक्शन के लिए
- ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 765 केवी तक लोंग रोड इंसुलेटर
- इंस्ट्रयुमेंट ट्रांसफार्मरों के लिए 765 केवी तक हॉलो इंसुलेटर्स

वीयर प्रतिरोधी सामग्री (सिरालीन)

- ताप विद्युत स्टेशनों तथा विभिन्न अन्य प्रयोगों के लिए में वीयर प्रतिरोधी अनुप्रयोग हेतु सिरामिक लाइनर्स
- एश स्लरी अनुप्रयोग के लिये सिरामिक लाइनर्स

औद्योगिक तथा विशेष सिरामिक

- बॉयलर ड्रम जल स्तर अनुवीक्षण (भेल विज़न प्रणाली) में प्रयुक्त ईडब्ल्यूएलआई–इलेक्ट्रॉनिक जल स्तर संकेतक
- क्रिसमस ट्री वाल्व के लिए सिरामिक और टंगस्टन कार्बाइड फलो बीन्स
- ताप विद्युत केंद्र में पल्वराइज़िंग के लिये ग्राइंडिंग मीडिया

कंट्रोल पैनल

- एलटी स्विचगियर, स्क्रैप, थाइरिस्टर, रेपकान और स्टेटकान पैनल्स

कैपेसिटर्स

- पावर फैक्टर सुधार (मोटर कैपेसिटर्स) के लिए एच.टी. कैपेसिटर्स, 3.3 से 11 केवी डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक
- शंट, सीरीज और एसवीसी (स्टेटिक वीएआर कम्पनशेसन) हार्मोनिक फिल्टर और एचवीडीसी प्रयोगों (3.3 केवी से 500 केवी, 1 फेस/3 फेस कैपेसिटर बैंकस ऑफ रेटिंग 0.5 एमवीए से 250 एमवीए के लिए एच.टी. कैपेसिटर्स

- सीवीटी के लिए कैपेसिटर डिवाइडर
- पीएलसीसी के लिए कपलिंग कैपेसिटर
- जेनरेटर और ट्रांसफॉर्मर के संरक्षण के लिए सर्ज कैपेसिटर (11केवी से 40 केवी)
- ट्रैक्शन लोकोमोटिव के लिए रूफ कैपेसिटर
  - 1200 केवी तक सीवीटी के लिए कैपेसिस्टर डिवाइडर
  - 400 केवी तक पीएलसीसी के लिए कपलिंग कैपेसिस्टर

बुशिंग्स

- ट्रांसफॉर्मर प्रयोगों के लिए 52 से 400 केवी ओआईपी कंडेन्सर बुशिंग्स
- 25 केवी लोकोमोटिव बुशिंग्स
- केबल बॉक्स और वॉल बुशिंग्स जैसी विशेष प्रयोग बुशिंग्स

ऑन लोड टेप चेंजर्स (ओएलटीसी)

विद्युत ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, स्टेशन ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर आदि जैसे विभिन्न प्रयोगों के लिए ऑन लोड टैप चेंजर

- 400 केवी श्रेणी ट्रांसफॉर्मर तक के लिए ऑन लोड टैप चेंजर
- 400 केवी तक के लिए ऑफ सर्किट टैप स्विच

विद्युत मशीनें

एसी स्क्विरल केज, स्लिप रिंग, सिंक्रोनस, वेरिएबल स्पीड मोटर्स, औद्योगिक अल्टरनेटरों तथा जोखिम क्षेत्रों के लिए मोटरों का उत्पादन नीचे वर्णित रेंज के अनुसार किया जाता है। विशेष प्रयोजनार्थ मशीनों का निर्माण अनुरोध पर किया जाता है।

- वोल्टेज फ्रिक्वेंसी और एनक्लोजर्स
- वोल्टेज एसी–415 वी से 13800 वी.
- फ्रिक्वेंसी – 50 हार्टज और 60 हार्टज
- एनक्लोजर – एसपीडीपी, टीईटीवी, सीएसीडब्ल्यू, सीएसीए और डक्ट वेंटिलेटेड
- **सुरक्षित क्षेत्र प्रयोग के लिए एसी मशीनें**
  - इंडक्शन मोटरें
  - सिक्वरेल केज मोटर–150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू
  - स्लिपरिंग मोटर–150 केडब्ल्यू से 10000 केडब्ल्यू
  - सिंक्रोनस मोटरें – 1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू
  - वैरिएबल स्पीड मोटर
    - 150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू (स्क्वायरल केज मोटर)
    - 1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू (सिंक्रोनस मोटर)
- जोखिमपूर्ण क्षेत्र में प्रयोगों के लिए एसी मशीनें (नियत गति अथवा वीएफडी के साथ)
  - फ्लेम प्रूफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटरें (ईएक्स 'डी') (150 केडब्ल्यू से 1500 केडब्ल्यू)
  - नॉन स्पार्किंग स्किविरेल केज इंडक्शन मोटर (ईएक्स 'एन')
  - 150 केडब्ल्यू से 4000 केडब्ल्यू (अनुरोध पर उच्चतर रेटिंग)
  - इन्क्रीज्ड सेफ्टी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर (ईएक्स 'ई') (150 केडब्ल्यू से 4000 केडब्ल्यू (अनुरोध पर उच्चतर रेटिंग)
  - प्रेशराइज्ड मोटर (ईएक्स 'पी')
    - 150 केडब्ल्यू से 21000 केडब्ल्यू (स्क्वायरल केज मोटर)
    - 1000 केडब्ल्यू से 20000 केडब्ल्यू (सिंक्रोनस मोटर)
- मिल ड्यूटी मोटर स्पीड बेस स्पीड >150 आरपीएम के साथ 150 केडब्ल्यू से 5000 केडब्ल्यू
- इंडस्ट्रियल आल्टनेटर्स (स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन तथा डीजल इंजन चालित) (3000 केवीए से 25,000 केवीए)
- इंडक्शन जेनेरेटर्स–300 केवीए से 6000 केवीए, मिनी/माइक्रो एचईपी हेतु
- 330 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 2–पोल गैस टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स
- 60 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 4–पोल गैस टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स
- 330 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 2–पोल गैस टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स
- 60 मेगावाट तक और समतुल्य एक्साइटर्स के साथ 4–पोल स्टीम टर्बाइन चालित जेनेरेटर्स
- 5 मेगावाट तक स्थाई चुम्बक आधारित जनरेटर्स
- 270 मेगावाट तक गैर टरबाईन जनरेटर्स

कंप्रेसर्स

- निम्नलिखित कन्फीग्युरेशन एवं पैरामीटर्स के साथ मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्युगल कम्प्रेसर्स साथ में सहायक प्रणाली का विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विनिर्माण और आपूर्ति की जाती है।
  - मॉडल –
    - 40 बार डिजाइन प्रेशर तक क्षैतिज स्पलिट टाइप
    - 350 बार डिजाइन प्रेशर तक वर्टिकली स्पलिट टाइप
  - क्षमता–300000 एम3/एचआर
  - गैस–एअर, सीओ2, एन2, एनएच3, प्राकृतिक गैस, वैट गैस, प्रोपाइलीन आदि
  - उद्योग–रिफाइनरीज, उर्वरक, तेल एवं गैस, इस्पात, विद्युत
  - अंतर्राष्ट्रीय मानदंड–एपीआई 617
  - परीक्षण क्षमता–एमआरटी, परफारमेंस टैस्ट, पूर्ण लोड, पूर्ण दबाव पूर्ण गति परीक्षण, पूर्ण यूनिट परीक्षण
  - ड्राईवर–भाप टरबाईन, गैस टरबाईन, मोटर

कंट्रोल गियर

औद्योगिक कंट्रोल गियर

- उद्योगों/विद्युत संयंत्रां के लिये इलेक्ट्रानिक कंट्रोलर्स
- डिजिटल एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम (1000 ए, 400वी डीसी/, 400 वी डीसी साथ में रिडंडेंट थाईरिस्टर स्टेक्स और डीसी फील्ड ब्रेकर)
- पीएलसी आधारित डिजिटल कंट्रोल सहित वृहद करंट रेक्टिफायर्स
- डिजिटल हाइड्रोलिक/कम्पैक्ट गवर्नर्स
- डिजिटल एवीआर (1 फेज, 300 वी डीसी/ 3फेज, 400 वी डीसी)
- इस्पात, अल्युमीनियम, सीमेंट, कागज़, रबड़, खनन, चीनी और पेट्रो–रसायन उद्योगों में प्रयोग के लिए कंट्रोल पैनल और क्यूबिकल्स

कंटेक्टर्स

- 660 वोल्ट तक वोल्टेज के लिए एलटी एयर ब्रेक टाइप एसी
- 600 वोल्ट तक वोल्टेज के लिए एलटी एयर ब्रेक टाइप डीसी कंटेक्टर्स
- 11 केवी तक वोल्टेज के लिए एचटी वैक्यूम टाइप एसी

कंट्रोल और रिले पैनल

- 400केवी तक की वोल्टेज के लिए ईएचवी पारेषण परियोजनाओं हेतु कंट्रोल और प्रोटेक्शन पैनल
- सिक्रोनाईजिंग ट्रॉली/स्विंग पैनल
- तापीय, न्यूक्लियर, हाइड्रो और संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र परियोजनाओं के लिए 600 मेगावाट तक बड़े जेनेरेटरों के लिए प्रोटेक्शन पैनल
- एमवी स्विचगियर के लिए रिमोट कंट्रोल और रिले पैनल
- हाइड्रो सेट के लिए टर्बाइन गेज पैनल
- आउटडोर–किस्म कंट्रोल पैनल और मार्शलिंग कियोस्क
- रिमोट ट्रांसफॉर्मर टैप–चेंजर कंट्रोल पैनल
- एलटी स्विचगीयर, स्क्रैप एवं थाइरिस्टर पैनल

परिवहन उपस्कर

टैक्शन मशीनें

- सभी रेंज के लोको और ईएमयू के लिए एसी ट्रैक्शन मोटर (1150 कि.वा तक)
- सभी रेंज के लोको और ईएमयू के लिए डीसी ट्रैक्शन मोटर (630 कि.वा तक)
- सभी रेंज के डीई लोको और ईएमयू के लिए एसी ट्रैक्शन एल्टरनेटर (3860 कि.वा तक)
- 2000 केडब्ल्यू तक डीसी ट्रैक्शन जेनेरेटर
- सभी किस्म की आवश्यकताओं के लिए मोटर जेनरेटर सेट (25 कि.वा तक)
- सभी किस्म की आवश्यकताओं के लिए ऑक्जिलियरी जेनरेटर और एक्सयूटर्स (50 कि.वा तक)
- रेडिएटर फैन के लिए एडी करेंट क्लच
- डायनेमिक ब्रेकिंग प्रणाली के लिए डीसी ब्लोअर मोटर (50 कि.वा तक)
- ट्रैक्शन ग्रेडगियर और पिनियन

परिवहन प्रणाली

- ट्रैक्शन प्रणालियां
- शहरी परिवहन प्रणालियां
- एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (5000 एचपी, 25केवी एसी, 1500वी डीसी)
- एसी–डीसी दोहरा वोल्टता इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
- डीजल–इलेक्ट्रिक (2600 एचपी तक) एवं डीजल

हाइड्रोलिक लोकोमोटिव

- एसीईएमयू कोच
- बैटरी चालित लोकोमोटिव
- ओएचई रिकार्डिंग–सह–टेस्ट कार
- बॉगीज
- डायनेमिक ट्रैक स्टेबिलाइजर्स
- वैगन (28 एक्सल, 296 टन)
- रेल–सह–सड़क वाहन
- यूटीलिटी वाहन
- बैलास्ट क्लिनिंग मशीन

ट्रैक्शन चालित प्रणाली

- ट्रैक्शन चालित प्रणाली में कन्वर्टर, सहायक कन्वर्टर और वाहन नियंत्रण इलेक्ट्रानिक्स के लिए ट्रैक्शन शामिल है।
  - 6000 एचपी जीटीओ/आईजीबीटी आधारित एसी लोकोमोटिव्स
  - 1600 एचपी एसी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयूज)
  - 1400 एचपी डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स (डेमूज)

ट्रैक्शन कंट्रोल गियर

- एसी इलेक्ट्रिक एवं डीज़ल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ईएमयू, डीईएमयू, डीईटीसी मेट्रो रेलवे और अन्य ट्रैक्शन प्रयोगों के लिए कंट्रोल गियर उपस्कर
- ट्रैक्शन उपयोगों के लिए ईपी कंटैक्टर्स, ईएम कंटैक्टर्स, ईएम रिले और ईपी ऑफलोड स्विचेज, आइसोलेटिंग स्विच, रेसिस्टर्स, रेसिस्टर्स पैनल आदि
- मास्टर्स कंट्रोलर्स
- मेन स्टार्टिंग रेसिसटर्स (एमएसआर) और डायनामिक ब्रेकिंग रेसिसटर्स (डीबीआर)
- कंट्रोल क्यूबिकल्स
- डीई लोको के लिए एक्साइटेशन कन्ट्रोल एवं वोल्टेज रेग्युलेटर पेनल
- रेक्टिफायर्स (1200वी तक), कन्वर्टर/इन्वर्टर, एसी/डीसी ईएमयूज हेतु
- ऑक्स कन्वर्टर्स/स्टेटिक इन्वर्टर फॉर एसी लोकोज

ऑयल फील्ड उपस्कर

- ऑयल रिग – 9000 मी. तक की गहराई के लिए एसी–एससीआर तथा एसी तकनीक के साथ विविध प्रकार की तटीय ड्रिलिंग रिंग मैचिंग ड्रा वर्क्स एवं होईस्टिंग उपकरण के साथ वर्क ओवर रिग, मोबाईल रिग, हेली रिग, डेजर्ट रिग सहित :
  - डमास्ट तथा उपसंरचना
  - घूर्णन उपकरण: ड्रॉ वर्क्स, रोटरी, स्वाइवल्स, ट्रैवलिंग ब्लॉक्स
  - स्वतंत्र रोटरी ड्राईव यूनिट
  - पम्प सहित मड प्रणाली
  - पावर पैक और रिग इलेक्ट्रिक्स
  - रिग इंस्ट्रुमेंटेशन
  - रिग यूटिलिटी तथा सहायक उपकरण
  - बीएचईएल और गैर–बीएचईएल निर्मित ऑयल रिगों का पुनःमार्जन और उन्नयन
  - सभी अपेक्षित रेन्जों के लिए डीसी ऑइल रिग
  - सभी अपेक्षित रेन्जों के लिए ऑइल रिग ऑल्टर्नेटर
  - गैस टरबाईन के लिये असेसरी एवं लोड गियर बॉक्स
- 15000 पीएसआई तक वेल हेड्स और क्रिसमस ट्रीज, मड लाइन सस्पेंशन, चोक और किल मेनीफोल्ड, सीबीएम वेलहेड्स डीएसपीएमएच– मनीफोल्ड असेम्बली, मड वाल्व, ईएसपी हेंगर्स, ब्लॉक टाईप क्रिसमिस ट्री और केसिंग हैडस के लिए लैंडिंग बेसिस
- **ऑयल रिग कंट्रोल्स**
  - एसी विद्युत नियंत्रण कक्ष
  - डीसी विद्युत नियंत्रण कक्ष
  - पावर पैक (डीजी सेट)
  - एसी कन्ट्रोल मॉड्यूल
  - डीसी कन्ट्रोल मॉड्यूल
  - ड्रिलर कन्सोल
  - केबल सेट, केबल ट्रेज, केबल बॉक्स और आयल रिग्स हेतु क्रू रूम

- मोबाइल लाइटनिंग टावर, रिग लाइटनिंग टावर
- ऑयल रिग अनुप्रयोग हेतु डीजी सेट (63/250/380/500 केवीए)

वितरित विद्युत उत्पादन और लघु हाइड्रो संयंत्र

- 600 किवा रेटिंग तक विंड इलेक्ट्रिक जेनरेटर
- 25 मेगावाट तक की स्टेशन क्षमता के लघु हाइड्रो विद्युत संयंत्र

प्रणालियां और सेवाएं

विद्युत उत्पादन प्रणालियां

- टर्नकी विद्युत स्टेशन/ईपीसी संविदाएं
- संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र
- सह उत्पादन प्रणालियां
- कैप्टिव विद्युत संयंत्र
- एमडब्ल्यूपी रेटिंग तक सोलर फोटोवाल्टियक सिस्टम्स हेतु कमीशनिंग सॉल्यूशन्स की अवधारणा
- विद्युत स्टेशनों का आधुनिकीकरण और नवीकरण और आरएलए अध्ययन
- यूटीलिटियों के लिए सिमुलेटर्स सहित सॉफटवेयर पैकेज
- उक्त सभी प्रणालियों के लिए निर्माण, कमीशनिंग, समर्थन सेवाएं, स्पेयर्स मैनेजमेंट और परामर्शी सेवाएं

ट्रांसमिशन प्रणलियां

- सबस्टेशन/स्विचयार्ड
- शंट और सीरीज कंपनसेशन प्रणलियां
- विद्युत प्रणाली विश्लेषण और नियंत्रण
- एचवीडीसी ट्रान्समिशन प्रणलियां

औद्योगिक प्रणालियां

- सिविल और संरचनात्मक, यांत्रिक, विद्युतीय कार्य तथा स्वचालन प्रणालियों सहित संपूर्ण कोयला प्रहस्तन संयंत्र और राख प्रहस्तन संयंत्र
- संपूर्ण माइन विंडर सिस्टम्स
- कच्ची सामग्रियों के प्रसंस्करण और सुगठित बनाने, लौह निर्माण, प्राथमिक और गौण इस्पात निर्माण लंबे उत्पादों तथा चिपटे उत्पादों दोनों के लिए मिल तथा प्रोसेस लाइनों जैसे कास्टर्स और स्टील निर्माण के लिए संपूर्ण इलेक्ट्रिक्स, ड्राइव्स, कंट्रोल और स्वचालन प्रणालियां
- इस्पात तथा अन्य उद्योगों के लिए सिविल और संरचात्मक, यांत्रिक, विद्युतीय और स्वचालन प्रणालियों सहित संपूर्ण कच्ची सामग्री प्रहस्तन प्रणाली
- एल्युमीनियम संयंत्रों के लिए एल्युमीनियम स्मेल्टर तथा प्रसंस्करण मिलों के लिए उच्च धारा रेक्टिफायर हेतु संपूर्ण इलेक्ट्रिक्स और स्वचालन प्रणाली
- स्वचालित भंडारण और पुनः प्राप्ति प्रणालियां (एएसआरएस)
- हाइड्रो विद्युत संयंत्रों के लिए बैलेन्स ऑफ़ प्लान्ट्स (बीओपी)

शब्दावली एवं संक्षिप्ताक्षर

आसियान	दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की एसोसिएशन
बीएचपीवी	भारत हेवी प्लेट्स एंड वैसल्स लिमिटेड
बीआईडीसीओ	बजाज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी
सीएंडआई	कंट्रोल एवं इंस्ट्रयुमेंटेशन
सीसीपीपी	संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र
सीईए	केंद्रीय विद्युत विनियामक प्राधिकरण
सीएफबीसी	सर्कुलेटिंग फ्ल्युडाइज्ड बैड कम्बंस्टन
सीआईएसएफ	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सीएलडब्ल्यू	चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस
सीएमआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र
सीपीआरआई	केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीवीसी	मुख्य सतर्कता आयुक्त
डेमू	डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट
डीवीसी	दामोदर घाटी निगम
ईएंडसी	इंजीनियरिंग एवं निर्माण
ईडी	कार्यपालक निदेशक
ईएचवी	अतिरिक्त उच्च वाल्टेज
ईएमयू	इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
ईपीसी	इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण
ईएसपी	इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर
एफएसीटीएस	फलेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम
एफडी फैन	फोर्सड ड्राफ्ट फैन
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीजीएसआर	गुरू गोविंद सिंह रिफाइनरी
जीआईएस	गैस इंसुलेटिड सबस्टेशन
जीएनडीटीपी	गुरू नानक देव ताप विद्युत संयंत्र
जीटीजी	गैस टरबाईन जनरेटर
जीटीपीपी	गैस टरबाईन विद्युत संयंत्र
एचएमईएल	एचपीसीएल–मित्तल एनर्जी लिमिटेड
एचपी टरबाईन	उच्च दबाव टरबाईन
एचवीडीसी	हाई वाल्टेज डाइरेक्ट करंट
आईसीएफ	इंटेग्रल कोच फैक्ट्री
आईजीसीसी	इंटेग्रेटिड गैसिफिकेशन कम्बाइंड साइकल
आरसीएफ	रेलवे कोच फैक्ट्री
आईडी फैन	इंडयूस्ड ड्राफ्ट फैन
आईजीबीटी	इंसुलेटिड–गेट बापोलर ट्रांजिस्टर
आईजीसीएआर	इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
जेएसईबी	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड
केएपीपी	काकरापाड़ परमाणु विद्युत परियोजना
केएससीए	किलोग्राम–फोर्स प्रति वर्ग सेंटीमीटर एब्सोल्यूट
एलटी टरबाईन	कम दबाव टरबाईन
एमएंडए	विलय एवं अधिग्रहण
मेमू	मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
एमएचआईएंडपीई	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
एमओईएफ	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन

शेयरधारकों के लिए अतिरिक्त सूचना

एमआरपीएल	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
एमयूज	मिलियन यूनिटस
नालको	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी
एनपीसीआईएल	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड
ओए	प्रचालन उपलब्धता
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन
ओईएम	मूल उपकरण विनिर्माता
ओपीजीसीएल	ओडिशा विद्युत उत्पादन कार्पोरेशन लिमिटेड
ओटीपीसी	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी
पीईएफ	पावर इक्विपमेंट फैबिक्रेशन
पीएफसीसीयू	पेट्रोकेमिकल फ्ल्युडाइज़्ड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पीएसपीसीएल	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
आरएंडएम	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण
आरएपीपी	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना
आरडीएसओ	अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन
आरईआईएल	राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रयुमेंटस लिमिटेड
आरआईएनएल	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
आरआरवीयूएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
स्कोप	स्टैंडिंग कान्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज़
एसडी	संधारणीय विकास
एसईसीआई	भारतीय सौर ऊर्जा निगम
एसपीवी	सोलर फोटो वोल्टेइक
एसएसएल	सांभर साल्ट लिमिटेड
एसटीपीपी	सुपर थर्मल पावर प्लांट
टीएएन ट्रांस्को	तमिलनाडू ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन
टीजी	टरबाईन एंड जनरेटर
टीएलएंडजेवी	टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एवं संयुक्त उद्यम
नराकास	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीपीएस	ताप विद्युत केंद्र
यूएचवीएसी	अल्ट्रा हाई वाल्टेज एसी
यूएमपीपी	अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट
विजआई–जीपीएमएस	विजिलेंस आई–ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्युशन
डब्ल्यूएजी	डब्ल्यू (ब्रॉड गेज), ए (एसी ट्रैक्शन), जी (गुडस ड्यूटी)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(सीआईएनः एल74899डीएल1964जीओआई004281)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049
फोनः 011–66337000, फैक्सः 011–26493021
वेबसाइटः www.bhel.com, ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 50वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 19 सितंबर, 2014 को प्रातः 10.00 बजे फिक्की आडिटोरियम, बाराखंबा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110001 में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगीः

सामान्य कार्य

1. दिनांक 31 मार्च, 2014 की यथास्थिति अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि तथा उसके साथ उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
2. वर्ष 2013–14 के लिए लाभांश घोषित करना।
3. श्री आर. कृष्णनन (डीआईएनः 03053133) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं।
4. श्री डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर (डीआईएनः 05304782) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं।
5. 2014–15 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करना।

विशेष कार्य

6. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना।

   ''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 148 के प्रावधानों तथा अन्य लागू सभी प्रावधानों और कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (किसी भी सांविधिक सुधार (रों) अथवा इनके पुनः अधिनियम से, वर्तमान में लागू सहित) के अनुरूप कंपनी के निदेशक मण्डल से यथा अनुमोदित 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिये लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक अगली वार्षिक आम बैठक द्वारा संपुष्टि हेतु शेयरधारकों को प्रस्तुत किया जायेगा।''

   ''संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मण्डल को एतद्द्वारा ऐसे सभी कार्य करने और ऐसे सभी कदम उठाने के लिये अधिकृत किया जाता है, जो कि इस संकल्प को प्रभाव में लेने के लिये आवश्यक, उचित अथवा प्रभावी हो सकते हैं।

7. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और सही माने जाने पर आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   ''संकल्प किया जाता है कि श्री अतुल सोबती (डीआईएनः 06715578), जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 161(1) के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसरण में दिनांक 01.12.2013 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पदधारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 (1) के उपबंधों के अनुसरण में, स्वयं निदेशक से लिखित सूचना प्राप्त हुई है, और एतद्द्वारा उन्हें कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो कि चक्रानुसार सेवानिवृत्त होने वाले हैं।''

8. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   'संकल्प किया जाता है कि श्री एस. के. बाहरी (डीआईएनः 06855198), जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 161(1) के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसरण में दिनांक 31.03.2014 से

अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 (1) के उपबंधों के अनुसरण में, स्वयं निदेशक से लिखित सूचना प्राप्त हुई है, और एतद्द्वारा उन्हें कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।'

9. **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और अगर सही माना जाए तो आशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

'संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छे 149, 152 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों तथा कंपनीज (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हताएं) नियम, 2014 (किसी भी सांविधिक सुधार (रों) अथवा इनके पुनःअधिनियम से, वर्तमान में लागू सहित), के अनुसरण में सुश्री हरिन्दर हीरा (डीआईएनः 01858921), जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 161 के साथ पठित कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसरण में दिनांक 08.05.2014 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 (1) के उपबंधों के अनुसरण में, स्वयं निदेशक से लिखित सूचना प्राप्त हुई है, और एतद्द्वारा उन्हें कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है।''

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आई.पी. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2014

टिप्पणियां

1. बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र सदस्य स्वयं अपने बदले बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने के हकदार हैं और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसे सदस्य अथवा अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से कार्य करेगा, जिनके पास मतदान के अधिकार के लिये कंपनी की कुल शेयर पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है। लेकिन कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 192 (2) के प्रावधान के अनुरूप, कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाला कोई सदस्य जिसे मतदान का अधिकार है एकल व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा शेयरधारक के लिये कार्य नहीं करेगा। विधिवत पूरा भरा गया प्रतिनिधि फार्म वार्षिक आम बैठक में निर्धारित समय के अड़तालीस घंटे (48 घंटों) पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। खाली प्रतिनिधि फार्म संलग्न है।

2. कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को उनकी ओर से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिये अधिकृत करने हेतु बोर्ड प्रस्ताव की विधिवत प्रमाणित प्रति/पावर ऑफ अटार्नी भेजें।

3. ऊपर यथानिर्धारित विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छे 102(1) के अनुसरण में संगत व्याख्यात्मक विवरण यहां इसके साथ संलग्न है।

4. नियुक्ति और पुनः नियुक्ति के प्रस्तावित प्रत्येक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध–II के रूप में दिया गया है।

5. सर्वश्री आर. कृष्णनन और डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर निदेशक चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त होंगें और पात्र होने पर स्वयं पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्ताव करते हैं। तथापि, उनकी नियुक्ति की शर्त के अनुसार सर्वश्री आर. कृष्णन और डब्ल्यू. वी. के. कृष्णा शंकर का कंपनी के निदेशकों के रूप में कार्यकाल क्रमशः 31 जुलाई, 2015 और 31 अगस्त, 2015 को समाप्त होगा।

6. सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित किया जाता है, के लिये पात्र शेयरधारकों के नामों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ दिनांक 10 सितंबर, 2014 से 19 सितंबर, 2014 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

7. सदस्यों को कंपनी को ईसीएस के माध्यम से प्रेषण करने में समर्थ बनाने के लिए विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फार्म (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया) में अपने नेशनल इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस/इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) का अधिदेश प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है।

8. निदेशक मंडल ने वर्ष 2013–14 के दौरान अदा किए जा चुके 65.5 प्रतिशत (₹ 1.31 प्रति शेयर) प्रतिशत के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त, कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 76 प्रतिशत (₹ 1.52 प्रति शेयर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

9. दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि कंपनी की वार्षिक आम बैठक में स्वीकृत किया जाता है, लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अथवा दिनांक 18 अक्तूबर, 2014 को अथवा उसके पूर्व उन शेयरधारकों को देय होगा, जिनका नाम :

    i. शेयरों के संबंध में एन एस डी एल/सी डी एस एल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार 9 सितंबर, 2014 को कारोबारी घंटो के बंद होने के समय शेयरों के लाभभोगी मालिक के नामों में इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा गया और

    ii. वास्तविक रूप में उन सभी वैध शेयरों के अन्तरण अनुरोधों को प्रभावी बनाने के पश्चात कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में है जो 9 सितंबर, 2014 को कारोबारी घंटों के बंद होने पर अथवा उससे पूर्व कम्पनी/आरटीए के साथ दर्ज कराया गया।

10. यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के साथ पठित धारा 205क(5) के अनुसरण में लाभांश की राशि जो 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त/अदावाकृत रहती है, को केन्द्र सरकार की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करना अपेक्षित है। इसके बाद सदस्यों का उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का दावा, चाहे जो भी हो, नहीं रह जाता। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2006–07

के लिए अंतिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए अंतरिम लाभांश, जो अदावाकृत रहता है, को उक्त खाते में क्रमशः दिनांक 23 अक्तूबर, 2014, 1 मार्च, 2015 को अंतरित किया जाना है।

सदस्यों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए अभी तक अपने अंतिम लाभांश का दावा/नकदीकरण नहीं किया है, निर्दिष्ट 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

11. सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 72 के अनुरूप ऐसे किसी व्यक्ति को मनोनीत करते हुए नामांकन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं (फार्म वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है) जिन्हें, उनकी मृत्यु की दशा में, कंपनी में उनके शेयर विहित होंगे।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 142(1) के साथ पठित अनुच्छेद 139 (5) के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा नियत किया जाता है। आम बैठक वर्ष 2014–15 के लिए लेखापरीक्षकों का उपयुक्त पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकती है।

13. सदस्यों के पते में किसी परिवर्तन को तत्काल अधिसूचित करने का अनुरोध किया जाता है,

    i. अपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर खाते के संबंध में अपने निक्षेपागार भागीदार (डीपी) को, और

    ii. लाभांश वारंट की तत्काल और सुरक्षित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी फोलियो संख्या, बैंक का नाम और खाता संख्या बताते हुए अपने वास्तविक शेयरों, अगर कोई हो, के संबंध में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमि) को भेजें।

14. सदस्य, जो अमूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं, वे अपनी ग्राहक और डीपी आईडी संख्या लिखने का और जो वास्तविक रूप में शेयर धारित करते हैं, उनसे बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थिति पर्ची में अपनी फोलियो संख्या लिखने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, ऑडिटोरियम में प्रवेश, बैठक स्थल पर काउंटर पर उपलब्ध और उपस्थिति पर्ची से बदली जाने वाली प्रवेश पर्ची के आधार पर सख्ती से होगा।

15. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने प्रतिभूति बाज़ार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थाई खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया है। अतः डीमैंट स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने पैन का विवरण संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास प्रस्तुत करें जहां उनके डीमैट खाते हैं। भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने पैन का विवरण मै. कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड/बीएचईएल के सीएस विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं।

16. सूचीयन समझौते के उपबंध 35बी के अनुरूप कंपनी को अपने सदस्यों को मै. कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के जरिये इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए हर्ष हो रहा है। जिन सदस्यों के नाम बृहस्पतिवार, 14 अगस्त, 2014, अर्थात कंपनी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के वितरण तथा वार्षिक आम बैठक बुलाये जाने हेतु सूचना (ई–वोटिंग के लिये सूचना सहित) हेतु ली गई अंतिम तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में मौजूद हैं, ई–वोटिंग/वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य के लिये वोट करने के पात्र होंगे। ई–वोटिंग अवधि शनिवार, 13 सितंबर, 2014 को प्रातः 9.00 बजे आरंभ होगी और सोमवार, 15 सितंबर, 2014 को सायं 6.00 बजे समाप्त होगी। ई–वोटिंग मॉडयूल 15 सितंबर, 2014 को सायं 6.00 बजे बंद हो जायेगा। इलेक्ट्रानिक पद्धति से मतदान करने के इच्छुक सदस्य आवश्यक यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ अलग से भेजी गई ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का संदर्भ ले सकते हैं। शेयरधारक द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान किये जाने के उपरांत, बाद में शेयरधारक को इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारकों को मतदान का अधिकार अंतिम तिथि, जो कि 14 अगस्त, 2014 है, की स्थिति के अनुरूप कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके हिस्से के समानुपात में होगा।

    कंपनी ने ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच के लिये जांचकर्ता के तौर पर कार्य करने हेतु मैसर्स प्रणव कुमार एंड एसोसिएट्स, श्री प्रणव कुमार, कार्यरत कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। जांचकर्ता ई–वोटिंग अवधि समाप्त होने के अधिकतम तीन (3) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कम से कम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में, जो कंपनी के रोज़गार में नहीं हैं, मतों

को खोल देंगे और पक्ष अथवा विपक्ष में, यदि कोई है, डाले गये मतों की जांचकर्ता की रिपोर्ट तुरंत कंपनी के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर देंगे। परिणाम कंपनी की वार्षिक आम बैठक में अथवा इसके उपरांत घोषित किये जायेंगे। घोषित परिणाम और साथ में जांचकर्ता की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर कंपनी की वार्षिक आम बैठक में प्रस्ताव के पारित होने के दो (2) दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिये जायेंगे और तदनुसार शेयर बाज़ारों को सूचित कर दिये जायेंगे।

17. सदस्यों से अनुरोध हैः

i. बैठक स्थल पर विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची लाएं।

ii. सभी पत्राचार में अपनी फोलियो संख्या/डीपी एवं ग्राहक आईडी संख्या का उल्लेख करें।

iii. यह नोट कर लें कि सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के भीतर कोई ब्रीफकेस अथवा बैग ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

iv. यह नोट कर लें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल की ओर से

(आई.पी. सिंह)

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनाक : 16 अगस्त, 2014

सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के हरित प्रयासों में सहयोग के लिये तुरंत अपने ई–मेल पते दर्ज़ करा दें। जिन शेयरधारकों के शेयर इलेक्ट्रानिक स्वरूप में है उनके विवरण संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजे जा सकते हैं। जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक स्वरूप में हैं उनसे अनुरोध है कि वे ई–मेल विवरण हमारे आरटीए, मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को भेजें।

सूचना का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(I) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ दिनांक 16 अगस्त 2014 की सूचना के मद सं. 6, 7, 8 और 9 में उल्लिखित कार्य से संबद्ध वास्तविक तथ्यों का वर्णन करता है।

मद संख्या 6

कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाये गये नियमों के अधीन लागत लेखापरीक्षा के संबंध में 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी प्रावधान अधिसूचित कर दिये गये हैं जिसके तहत बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की बाद में शेयरधारकों द्वारा पुष्टि किया जाना अपेक्षित है। कम्पनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा), नियम, 2014 कार्पोरेट मामले मंत्रालय की जीएसआर 425(ई) दिनांक 30 जून 2014 के तहत अधिसूचित कर दिये गये हैं। चूंकि लागत लेखा परीक्षा हेतु हमारे उत्पादों की कवरेज के संबंध में स्पष्टता का अभाव है, लागत लेखापरीक्षा शाखा, कार्पोरेट मामले मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस विषय में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर लागत लेखापरीक्षा की नियुक्ति के लिये बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी और बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक अगली वार्षिक आम बैठक द्वारा पुष्टि किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

कंपनी के किसी भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी की मद सं. 6 में निर्धारित प्रस्ताव में वित्तीय या अन्य प्रकार का कोई संबंध अथवा रूचि नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

55 वर्षीय, **श्री अतुल सोबती** (डीआईएनः 06715578 एक यांत्रिक इंजीनियर हैं और परियोजना प्रबंधन में डिप्लोमा रखते हैं। भारत सरकार के निदेशानुसार श्री अतुल सोबती को 01.12.2013 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर श्री अतुल सोबती कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 के अनुसार आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करेंगे और नियुक्त किए जाने के पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 की अपेक्षा अनुसार कंपनी को श्री अतुल सोबती की कंपनी के निदेशक के तौर पर उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई है। श्री अतुल सोबती को छोड़कर, जिनकी नियुक्ति की जा जानी है, कंपनी के कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी की मद सं. 7 पर निर्धारित प्रस्ताव में वित्तीय या अन्य प्रकार का कोई संबंध अथवा रूचि नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 8

58 वर्षीय, **श्री एस. के. बाहरी** (डीआईएनः 06855198), 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वे अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय हैं। भारत सरकार के निदेशानुसार श्री एस. के. बाहरी को 31.03.2014 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर श्री एस. के. बाहरी कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 के अनुसार आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करेंगे और नियुक्त किए जाने के पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 की अपेक्षा अनुसार कंपनी को श्री एस. के. बाहरी की कंपनी के निदेशक के तौर पर उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई है।

श्री एस. के. बाहरी को छोड़कर, जिनकी नियुक्ति की जा जानी है, कंपनी के कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी की मद सं. 8 पर निर्धारित प्रस्ताव में वित्तीय या अन्य प्रकार का कोई संबंध अथवा रूचि नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 9

62 वर्षीया, **सुश्री हरिन्दर हीरा** (डीआईएनः 01858921), हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व मुख्य सचिव हैं। भारत सरकार के निदेशानुसार सुश्री हरिन्दर हीरा को 08.05.2014 से कंपनी की अतिरिक्त निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए जाने पर सुश्री हरिन्दर हीरा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पठित कंपनी

अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161 के अनुसार आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारित करेगी और नियुक्त किए जाने की पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 160 की अपेक्षा अनुसार कंपनी को सुश्री हरिन्दर हीरा की कंपनी के निदेशक के तौर पर उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त हुई है।

कंपनी को सुश्री हीरा से एक घोषणा–पत्र प्राप्त हुआ कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149 के उप अनुच्छेद (6) और सूचीयन समझौते के उपबंध 49 दोनों के अधीन यथा निर्धारित स्वतंत्रता के मापदंड पूरा करती हैं। उनकी व्यापक विशेषज्ञता और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए यह कंपनी के हित में होगा कि सुश्री हरिन्दर हीरा को स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त किया जाये। बोर्ड की राय में सुश्री हीरा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक और प्रबंधन से स्वतंत्र उनकी नियुक्ति के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाई गईं विनिर्दिष्ट शर्तों का पूरा करती हैं।

सुश्री हरिन्दर हीरा को छोड़कर, जिनकी नियुक्ति की जा जानी है, कंपनी के कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधी की मद सं. 9 पर निर्धारित प्रस्ताव में वित्तीय या अन्य प्रकार का कोई संबंध अथवा रूचि नहीं है।

निदेशक मंडल संकल्प को शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आई. पी. सिंह)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2014

यहाँ से काटें

बी एच ई एल BHEL महारत्न कंपनी — Golden Jubilee 1964 - 2014 50 Years

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(सीआईएनः एल74899डीएल1964जीओआई004281)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049
फोनः 011–66337000, फैक्सः 011–26493021
वेबसाइटः www.bhel.com, ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

उपस्थिति पर्ची

50वीं वार्षिक आम बैठक जो कि शुक्रवार 19 सितंबर, 2014 को प्रातः 10.00 बजे फिक्की आडिटोरियम, बाराखंबा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110 001 में होनी है)

उपस्थित सदस्य का नाम (साफ अक्षरों में भरें)	
फोलियो/डीपी आईडी–ग्राहक आईडी सं.	
धारित शेयरों की सं.	
प्रतिनिधि का नाम (साफ अक्षरों में भरें, यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि भाग ले रहा हो)	

मैं एततद्वारा 19 सितम्बर 2014 को आयोजित 50 वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

विधिवत भरी हुई यह पर्ची बैठक कक्ष में प्रवेश द्वार पर सौंपी जाए।

बी एच ई एल BHEL महारत्न कंपनी — Golden Jubilee 1964 - 2014 50 Years

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(सीआईएनः एल74899डीएल1964जीओआई004281)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049
फोनः 011–66337000, फैक्सः 011–26493021
वेबसाइटः www.bhel.com, ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

प्रतिनिधि फार्म

सदस्य का नाम	
पंजीकृत पता	
फोलिया नं./डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी सं.	
ई–मेल पता	
धारित शेयरों की संख्या	

मैं/हम, ऊपर वर्णित नामक कंपनी के ....शेयरों के सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा निम्नलिखित को प्रतिनिधि नियुक्त करता/करते हैं/हूं:–

1.	नाम			
	पता		हस्ताक्षर	
	ई–मेल आईडी			
इनके असफल होने पर				
2.	नाम			
	पता		हस्ताक्षर	
	ई–मेल आईडी			
इनके असफल होने पर				
3.	नाम			
	पता		हस्ताक्षर	
	ई–मेल आईडी			

कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक के लिये, जो कि 19 सितंबर, 2014 को प्रातः 10.00 बजे फिक्की ऑडिटोरियम, बाराखंबा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जायेगी, और नीचे उल्लिखित प्रस्तावों के संबंध में किसी भी स्थगन के लिये मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने और मेरी/हमारी ओर से वोट (मतदान) देने हेतुः–

क्र. सं.	प्रस्ताव	के लिये	विरोध
सामान्य कार्य			
1.	दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों और साथ में उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट स्वीकार करना।		
2.	वर्ष 2013–14 के लिये लाभांश की घोषणा करना		
3.	चक्रानुसार सेवानिवृत्त होने वाले श्री आर. कृष्णन (डीआईएनः 03053133) की पुनः नियुक्ति		
4.	चक्रानुसार सेवानिवृत्त होने वाले श्री डब्ल्यू वी. के. कृष्णा शंकर (डीआईएनः 05304782) की पुनः नियुक्ति		
5.	निदेशक मण्डल को वर्ष 2014–15 के लिये लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिये अधिकृत करना		
विशेष कार्य			
6.	वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		
7.	श्री अतुल सोबती (डीआईएनः 06715578) की निदेशक के तौर पर नियुक्ति		
8.	श्री एस के बाहरी (डीआईएनः 06855198) की निदेशक के तौर पर नियुक्ति		
9.	सुश्री हरिन्दर हीरा (डीआईएनः 01858921) की स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्ति		

दिनांक ...., 2014 को हस्ताक्षरित

शेयरधारकों के हस्ताक्षर

कृपया राजस्व टिकट चिपकाएं

प्रथम प्रतिनिधि धारक के हस्ताक्षर | द्वितीय प्रतिनिधि धारक के हस्ताक्षर | तृतीय प्रतिनिधि धारक के हस्ताक्षर

टिप्पणियां : क) फार्म पर कंपनी में दर्ज हस्ताक्षर के अनुसार टिकट के आर–पार हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
ख) यह फार्म बैठक के आयोजन के निर्धारित समय से अड़तालीस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।

बी एच ई एल
BHEL
महारत्न कंपनी
Golden Jubilee 1964 - 2014
50 Years

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(सीआईएनः एल74899डीएल1964जीओआई004281)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049
फोनः 011–66337000, फैक्सः 011–26493021
वेबसाइटः www.bhel.com, ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

प्रिय शेयरधारक/शेयरधारकों

संदर्भ : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (एनईसीएस)/ इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (ईसीएस) के जरिये लाभांश का भुगतान

सेबी ने परिपत्र सं. सीआईआर/एमआरडी/डीपी/10/2013 दिनांक 21.03.2013 के अनुरूप यह अनिवार्य कर दिया है कि जिन कंपनियों की प्रतिभूतियां शेयर बाजारों में सूचीगत होती है वे प्रत्यक्ष अथवा अपने आरटीए के जरिए, ईसीएस/एनईसीएस आदि जैसे आरबीआई अनुमोदित भुगतान की इलेक्ट्रिक पद्धति को अपनाएंगे।

यदि आपने पहले से हमारे रजिस्ट्रार यानि मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड या निक्षेपागार सहभागी (डीमैट होल्डिंग के मामले में), को एनईसीएस/ईसीएस/बैंक खाता विवरण प्रेषित नहीं किए है, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि नीचे दिए गए फॉर्मेट में उक्त विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि 19 सितंबर, 2014 को आयोजित होने वाली कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित होने वाले लाभांश का शीघ्र सुरक्षित एवं सही भुगतान किया जा सके।

कृपया सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रारों/निक्षेपागार सहभागी को आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही हैं, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि होने पर लाभांश की राशि गलत खाते में जमा हो जाएगी।

एनईसीएस/ईसीएस द्वारा और/अथवा नामोदिष्ट बैंक खातें में लाभांश का भुगतान, जो कि लाभांश वारंट पर लिखा होगा, लाभांश वारंट के कपटपूर्ण नकदीकरण को रोकने में सहायक होगा।

कृपया आपकी बेहतर सेवा करने में हमारी मदद करें।

भवदीय

(आई. पी. सिंह)
कंपनी सचिव

विशेष टिप्पणीः यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं तो अपने निक्षेपागार सहभागी को आपके बैंक खाता विवरणों/एनईसीएस/ईसीएस अधिदेश पर ध्यान देने का परामर्श दें।

यहाँ से काटें

एनईसीएस/ईसीएस अधिदेश/बैंक खाता विवरणों के लिए फार्म

मैं/हम...एतदद्वारा बीएचईएल/अपने निक्षेपागार सहभागी को

- ☐ मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्न विवरण छापने
- ☐ एनईसीएस/ईसीएस द्वारा बैंक खाते में मेरी लाभांश राशि जमा करने हेतु प्रधिकृत करता हूँ/करते हैं

(जो लागू न हो, कृपया उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियों सं. .... अथवा डीपी आईडी सं. .... ग्राहक खाता सं. ....

बैंक खाते का विवरणः

क. बैंक का नाम : ....

ख. शाखा का नाम : ....
(केवल अधिदेश के लिए पता) ....

ग. एमआईसीआर चैक में दिए गए बैंक और शाखा के 9 अंकों की कोड संख्या : ....

घ. आईएफएससी कोड : ....

ड. खाते का प्रकार (बचत/चालू) : ....

च. चैक बुक में दिए गए अनुसार खाता सं. : ....

छ. शेयरधारक का एसटीडी कोड एवं दूरभाष सं. : ....

यदि एनईसीएस/ईसीएस कार्यान्वित न हो सकी अथवा बैंक एनईसीएस/ईसीएस को किसी कारण से समाप्त कर देता है, तो मैं/हम कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगें।

प्रेषित करें →

मैसर्ज कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : बीएचईएल
17–24, विट्ठल राव नगर, माधापुर,
हैदराबाद–500081

....
शेयरधारक के हस्ताक्षर

कृपया (i) 9 अंकों की कोड सं. की यथार्थता के सत्यापन हेतु आपके उक्त खाते से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी चैक या खाली रद्द किए गए चैक की प्रति और (ii) अपने पैन कार्ड की एक प्रति इस फार्म के साथ संलग्न करें।

यहाँ से काटें

बी एच ई एल
BHEL
महारत्न कंपनी

Golden Jubilee 1964 - 2014
50 Years

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(सीआईएनः एल74899डीएल1964जीओआई004281)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट, नई दिल्ली–110049
फोनः 011–66337000, फैक्सः 011–26493021
वेबसाइटः www.bhel.com, ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

नामांकन फार्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनीज (शेयर पूंजी डिबेंचर्स) नियम, 2014 के नियम 19(1) की धारा 72 के अनुरूप)
(व्यक्तिगत या संयुक्त रूप में आवेदन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा भरा जाएं)

सेवा में,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट,
नई दिल्ली–110049

मैं/हम..और..एवं...प्रतिभूतियों के धारक जिसका विवरण नीचे दिया गया है नामांकन करना चाहते हैं और एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों का नामांकन करते हैं जिनमें मेरी या हमारी मृत्यु होने पर प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित होंगे।

(1) प्रतिभूतियों के विवरण (जिसके संबंध में नामांकन किया जा रहा है)

प्रतिभूतियों की प्रकृति	फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रमाण–पत्र संख्या	विशिष्टता संख्या

(2) नामिति/नामितियों के विवरणः–

(क)	नामः		
(ख)	जन्म तिथि	:	
(ग)	नाम : पिता/माता/पति–पत्नी का नाम	:	
(घ)	व्यवसाय	:	
(ड)	राष्ट्रीयता	:	
(च)	पता	:	
(छ)	ई–मेल आईडी	:	
(ज)	प्रतिभूति धारक के साथ संबंध	:	

(3) उस मामले में, यदि नामिती नाबालिग हैः–

(क)	जन्म तिथि	:	
(ख)	बालिग अवस्था धारण करने की तिथि	:	
(ग)	संरक्षक का नाम	:	
(घ)	संरक्षक का पता	:	

तिथि .... नाम ....
स्थान .... पता ....

प्रतिभूति धारक का नाम	हस्ताक्षर	दो गवाहों के नाम, पते एवं हस्ताक्षर

अनुदेशः

1. नामांकन केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी ओर से एकल या संयुक्त रूप से शेयरों के लिए आवेदन किया हो या धारक हो। सोसायटी, न्यास, कॉर्पोरेट निकाय, साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा धारक सहित गैर–व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकते। यदि शेयर संयुक्त रूप से धारित किया जाता है तो सभी संयुक्त शेयरधारक नामांकन फार्म पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के तौर पर स्थान उपलब्ध कराया गया है। यदि संयुक्त धारक अधिक हैं, तो शेयरों के धारकों तथा गवाह के हस्ताक्षर के लिए अधिक शीटें प्रयोग में लाई जा सकती हैं।
2. न्यास, सोसायटी, कॉर्पोरेट निकाय साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता या मुख्तारनामा धारक नामिती नहीं होगा। अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तन के आधार पर नामिती हो सकता है।
3. शेयर के अंतरण पर नामांकन विखंडित हो जाता है।
4. वैध उत्तराधिकारी के विरुद्ध नामिती के पक्ष में शेयर का अंतरण कंपनी द्वारा वैध रूप से डिस्चार्ज किया जाएगा।
5. कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को नामांकन/नामांकन फार्म के संबंध में सूचना दो प्रतियों में देनी होगी, जो उसकी एक प्रति शेयरधारक को वापस करेगी/करेगा।
6. उपरोक्त फार्म केवल नये नामांकनों के लिये वैध है। वर्तमान नामांकन को रद्द या परिवर्तित करने के मामले में कंपनीज (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर्स), नियम, 2014 में उपलब्ध कराया गया अलग फार्म एसएच–14 प्रतिभूति धारक (ों) को प्रस्तुत करना होगा।
7. **यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर है तो कृपया अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को नामांकन के विवरण की सूचना भेज दें।**

बैंकर्स

इलाहाबाद बैंक
आंध्रा बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
कार्पोरेशन बैंक
सेंट्रल बैंक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स
पंजाब नेशनल बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सिंडिकेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
यूको बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
विजया बैंक
आईडीबीआई
सिटी बैंक एन.ए
डचिज बैंक एजी
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
दि रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड एन.वी.
जे. पी. मोर्गन
एक्सिस बैंक
दि फेडरल बैंक लिमिटेड
एचडीएफसी
कोटैक महिन्द्रा बैंक
आईसीआईसीआई
इंडसइंड बैंक
यश बैंक

पंजीकृत कार्यालय

पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरीफोर्ट,
नई दिल्ली–110049 (भारत)
सीआईएनः एल74899डीएल1964जीओआई004281
फोनः 011–66337000
फैक्सः 011–26493021
वेबसाइटः www.bhel.com
ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

लेखापरीक्षक

एस.एन. धवन एंड कं., नई दिल्ली
वाही एंड गुप्ता, नई दिल्ली
विनय कुमार एंड कंपनी, इलाहाबाद
अंजनेयुलु एंड कंपनी, हैदराबाद
वर्धमान एंड कं., त्रिची
पटेल मोहन रमेश एंड कं. बंगलूरू
एसबीए एंड कं. भोपाल
जे.वी. रामानुजम एंड कं., चेन्नई

लागत लेखा परीक्षक

जुगल के. पुरी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
के. एल. जयसिंह एंड कं., नोएडा
नरसिम्ह मूर्ति एंड कं., हैदराबाद
आरकेएमएस एंड एसोसिएट्स, चेन्नई
विश्वनाथ भट्ट एंड कं., बंगलुरू
सुनील सिंह एंड कं., लखनऊ
संजय कासलीवाल एंड एसोसिएट्स, भोपाल
वेलामार्थी एंड एसोसिएटस, विशाखापट्टनम

लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष	लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख	लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट जमा करने की वास्तविक तारीख़
2012–13	27.09.2013	24.09.2013
2013–14	27.09.2014	अंतिम तारीख़ तक जमा कर दी जाएगी

शेयर अंतरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिटः **बीएचईएल**

दिल्लीः 105–108, अरुणाचल बिल्डिंग,
19 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली–110001
टेली.: 011–23324401, 43681700/01/02/21
फैक्सः 011–23730743
ई–मेलः ksbldelhi@karvy.com

हैदराबादः 17–24, विट्ठल राव नगर,
माधापुर, हैदराबाद–500 081
टेलीः 040–44655000
फैक्सः 040–44655024
ई–मेलः madhusudhan.ms@karvy.com
einward.ris@karvy.com
वेबसाइटः www.karvycomputershare.com

यूटिलिटी खंड में

30 मेगावाट से 800 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक की सफल यात्रा

1964-74

1130 मेगावाट (23 सेट)

- जीईसी प्रौद्योगिकी युक्त 30 मेगावाट रेटिंग का पहला सेट जून 1969 में चालू किया गया
- 100 मेगावाट एलएमडब्ल्यू (रूसी डिज़ाइन) के पहले टरबाईन की हरिद्वार से आपूर्ति की गई।
- पहली 33 मेगावाट जलविद्युत परियोजना मई 1970 में ओबरा में चालू की गई

1974-84

20069 मेगावाट (181 सेट)

- 200 मेगावाट (एलएमडब्ल्यू) का पहला टरबाईन 1977 में ओबरा को आपूर्ति की गई।
- 210 मेगावाट केडब्ल्यूयू (जर्मन डिजाइन टरबाईन) के पहले सेट को अक्तूबर 1983 में कोरबा हासदेव में चालू किया गया।
- 235 एमडब्ल्यूई का पहला न्यूक्लियर टरबाईन कलपक्कम (एमएपीपी) में जुलाई 1983 में चालू किया गया।
- पहला 500 मेगावाट (केडब्ल्यूयू) यूनिट जनवरी 1984 में ट्राम्बे में चालू किया गया।
- 120 मेगावाट 3 सिलेंडर एचएमएन सीरिज मशीन प्रस्तुत की गई

1984-94

29053 मेगावाट (270 सेट)

- प्रथम 5 मेगावाट गैस टरबाईन बारामुरा में अप्रैल 1986 में चालू किया गया।
- प्रथम एफआर 5 जीटी आधारित कोगेन संयंत्र का ओएनजीसी से अनुबंध प्राप्त
- प्रथम 146.5 मेगावाट भाप टरबाईन फरवरी 1994 में एनटीपीसी दादरी सीसीपीपी के लिये चालू किया गया।

1994-2004

20895 मेगावाट (224 सेट)

- उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ 250 मेगावाट की माध्यमिक रेटिंग्स शुरू की गई।
- टीएनईबी से पहले एफआर 6 एफए जीटी संयुक्त चक्र संयंत्र का अनुबंध प्राप्त हुआ।
- उन्नत श्रेणी ब्लेडिंग युक्त 250 मेगावाट, 500 मेगावाट रेटिंग्स में घरेलू निर्मित सेटों की शुरुआत
- 120 मेगावाट 2 सिलेंडर केएन श्रृंखला मशीनों की शुरुआत

2004-2014

52917 मेगावाट (205 सेट)

- निम्नलिखित की शुरुआत:
  - 270 / 300 / 525 / 600 मेगावाट घरेलू निर्मित सेट
  - 660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल सेट
  - भारत का सबसे बड़ा 800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल सेट
  - बृहत उन्नत श्रेणी गैस टरबाईन (एफआर 9एफए+8) आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र
  - डबल सिलेंडर 150 मेगावाट भाप टरबाईन
  - 120 मेगावाट एकल सिलेंडर टरबाईन
- 540 एमडब्ल्यूई न्यूक्लियर सेट जून 2005 में टीएपीपी के लिये चालू किया गया।
- पहला 600 मेगावाट सब–क्रिटिकल सेट मार्च 2013 में चालू किया गया।
- पहला 660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल सेट नवंबर 2013 में चालू किया गया।
- प्रथम 800 मेगावाट बायलर मार्च 2014 में कृष्णापट्टनम में सिंक्रोनाइज किया गया।

बीएचईएल
BHEL
महारत्न कंपनी

Golden Jubilee
1964 - 2014
50 Years

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049, भारत

www.bhel.com

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः एल74899डीएल1964जीओआई004281

प्रगति को गति... जीवन को ज्योति...
भारत के हर घर से जुड़ा

गोल्डमाइन 2014